सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का भारत में प्रतिपूरक वनरोपण पर प्रतिवेदन

संघ सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

2013 की संख्या 21

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	विषयसूची	iii
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सार	ix
अध्याय I	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में	1-16
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि का विपथन	2
1.3	वन भूमि के विपथन के बदले प्रतिपूरक वनरोपण	3
1.4	उच्चतम न्यायालय की भूमिका	4
1.5	प्रतिपूरक वनरोपण निधि तथा कैम्पा का सृजन	5
1.6	प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक	6
1.7	तदर्थ कैम्पा का गठन	7
1.8	तदर्थ कैम्पा का गठन तथा कार्यचालन	9
1.9	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा का गठन	9
1.10	तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण	10
1.11	तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निर्गम	11
1.12	तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के लेखाकरण प्रबन्ध	12
1.13	लेखापरीक्षा उद्देश्य	12
1.14	लेखापरीक्षा क्षेत्र	13
1.15	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई सूचना/अभिलेख	13
1.16	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना और उत्तरो की प्राप्ति	15
1.17	लेखापरीक्षा निष्कर्षो का संघटन	16
अध्याय II	वनभूमि का विपथन तथा प्रतिपूरक वनरोपण	17-65
2.1	प्रस्तावना	17
2.2	वनभूमि के विपथन में नियामक कमियां	21
2.3	प्रतिपूरक वनरोपण को बढ़ावा देने में विफलता	42
2.4	खनन पटटे देने/नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	48
2.5	पर्यावरण मामले	55
2.6	भूमि प्रबन्धन के अन्य मामले	60
2.7	दण्ड खण्ड का अपर्याप्त तथा अप्रभावी उपयोग	63
2.8	निष्कर्ष	63
अध्याय III	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण	67-89
3.1	प्रस्तावना	67
3.2	राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधियों का अन्तरण	68
3.3	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटकों का निर्धारण तथा संग्रहण	79
3.4	निष्कर्ष	89
अध्याय IV	प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का उपयोग	91-116
4.1	पृष्ठभूमि	91
4.2	प्राप्त निधियों का कम उपयोग	94
4.3	राज्य कैम्पाओं के पास निधियों का संचय	97

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
4.4	अनुमोदन बिना निधियों का निर्गम/विलम्बित एपीओ	99
4.5	तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी अभिलेखो के अनुसार निर्गमों में अशोधित विसंगतियां	101
4.6	निधियों का संघटवार निर्गम	102
4.7	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा प्राधिकृत न किया गया व्यय	105
4.8	राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदीकेन्द्र द्वारा कैम्पा रोपण की निगरानी	107
4.9	व्यय मनरेगाा के अनुसार नहीं	109
4.10	निगरानी तथा मूल्यांकन	110
4.11	निष्कर्ष	115
अध्याय V	संचित प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निवेश	117-141
5.1	प्रस्तावना	117
5.2	निधियों के निवेश के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन	117
5.3	निवेश नीति बनाना	118
5.4	निवेश के लिए उपलब्ध निधियों का तदर्थ निर्धारण	123
5.5	निष्क्रिय निधियों	123
5.6	निवेशों तथा निधियों की निगरानी तथा सुरक्षा में कमियां	124
5.7	बोलियां आमंत्रण की विधि में कमियां	127
5.8	बोलियों के मूल्यांकन की प्रकिया	130
5.9	जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा	138
5.10	अन्य राज्य/यूटी कैम्पा	140
5.11	निष्कर्ष	140
अध्याय VI	निरीक्षण प्रबन्ध	143-154
6.1	प्रस्तावना	143
6.2	प्राधिकरण का सतत अनन्तिम स्वरूप	143
6.3	व्यय का प्राधिकरण	144
6.4	लेखाकरण	144
6.5	लेखापरीक्षा	150
6.6	जवाबदेही तथा पारदर्शिता	153
अध्याय VII	राज्य/संघराज्य क्षेत्र विशेष निष्कर्ष	155-351
	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	155
	आंध्रप्रदेश	161
	अरूणाचल प्रदेश	168
	असम	175
	बिहार	181
	चण्डीगढ़	187
	छत्तीसगढ़	192
	दिल्ली	199
	गोवा	204

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	गुजरात	**210**
	हरियाणा	**216**
	हिमाचल प्रदेश	**221**
	जम्मू तथा कश्मीर	**229**
	झारखण्ड	**239**
	कर्नाटक	**247**
	केरल	**254**
	मध्यप्रदेश	**259**
	महाराष्ट्र	**264**
	मणिपुर	**270**
	मेघालय	**276**
	मिजोरम	**281**
	ओडिशा	**285**
	पंजाब	**293**
	राजस्थान	**299**
	सिक्किम	**305**
	तमिलनाडू	**312**
	त्रिपुरा	**319**
	उत्तरप्रदेश	**324**
	उत्तराखण्ड	**333**
	पश्चिम बंगाल	**344**
अनुबन्ध		
अनुबन्ध–1	राज्य कैम्पा की अधिसूचना	**355**
अनुबन्ध–2	लेखापरीक्षा क्षेत्र	**356**
अनुबन्ध–3	राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पहचानी गई गैर वन भूमि का हस्तान्तरण तथा परिवर्तन न करना	**359**
अनुबन्ध–4	गैरवन भूमि आरक्षित वन/सुरक्षित वन की घोषणा एवं अधिसूचना न करना	**360**
अनुबन्ध–5	आर एफ/पी एफ के रूप में गैर हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और गैर घोषित	**363**
अनुबन्ध–6	पांच वर्षों की समाप्ति के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन रदद न करना	**364**
अनुबन्ध–7	बेल्लारी खनन मामलों से संबंधित फाईलों को लेखापरीक्षा को न देना	**365**
अनुबन्ध–8	गेवा खनन मामलों से संबंधित फाईलों को लेखापरीक्षा को न देना	**368**
अनुबन्ध–9	अन्तरलेखा अन्तरण के मामले	**369**
अनुबन्ध–10	दिसम्बर 2012 तक लेखों के तैयार होने की स्थिति	**373**

CAMPA PLANTATION
KANKIRE 2011-2012
IN FAVOUR OF T.C.NO. 62A/52
D.B.BANDODKER
SAFETY ZONE-3.00 HACT

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखे जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रतिक्रियाओं के संग्रहण और निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना मांगने के माध्यम से जनवरी – दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान की गई थी। भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित अभिलेखों तथा दस्तावेजों की जांच की गई थी :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), लखनऊ, चण्डीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, शिलांग तथा बैंगलुरू स्थित एमओईएफ के छः क्षेत्रीय कार्यालयों और तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में।

- 30 राज्यों/यूटी, नोडल कार्यालयों और राज्य वन विभागों के चयनित वन मण्डलों, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

PLANTATION UNDER
COMPENSATORY AFFORESTATION
AT BARSA-GAUNDONGREM
YEAR: 2010-11 AREA: 10 Ha.
BEAT: KINDALKATO
ROUND: GAUNDONGREM
RANGE: CANACONA

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अक्टूवर 2002 में निर्देश दिया कि एक प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सी ए एफ) बनाई जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, शास्तिक प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना निधियों आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा। सी ए एफ से वन भूमि, जो गैर वन उपयोग हेतु विपक्षित की गई थीं, से मूर्त तथा अमूर्त लाभों की हानि की प्रतिपूर्ति होनी थी। ये निधियां प्राकृतिक सहायता प्राप्त पुनरूत्पादन, वन प्रबन्धन, सुरक्षा, आधारभूत विकास, वन्यजीव सुरक्षा तथा प्रबन्धन, लकडी की आपूर्ति तथा अन्य वन उत्पाद बचाव साधनों और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए उपयोग की जानी थीं। न्यायालय ने कहा कि निधि संघ के, राज्यों के सामान्य राजस्व का भाग अथवा भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) में प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबन्धन के लिए अप्रैल 2004 में प्रतिपूरक वनरोपण प्रबन्धन निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) को अधिसूचित किया।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने मई 2006 में कहा कि कैम्पा अभी भी प्रचालन में नही आया था और कैम्पा के प्रचालन में आने तक एक तदर्थ निकाय (तदर्थ कैम्पा के रूप में ज्ञात) के गठन का आदेश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि तदर्थ कैम्पा की बावत वसूला गया और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ा सभी धन तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किया जाना था और कैम्पा की बावत प्रयोक्त एजेंसियों से प्राप्त सभी धन तथा विभिन्न राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा उनपर अर्जित आय की लेखापरीक्षा की जानी थी। लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी।

भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की लेखापरीक्षा उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश और जनवरी 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्री से उस पर अभिदेश के अनुसार आरम्भ किया गया था।

2006 तथा 2012 की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधियां ₹ 1,200 करोड़ से ₹ 23,607.67 करोड़ तक बढ़ गईं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्न की जांच करना था।

- क्या गैर वन उपयोग हेतु वन भूमि का विपथन वर्तमान कानून के अनुसार अनुमत किया गया था और इस संबंध में सभी शर्तो का अनुपालन किया गया था।
- क्या गैर वन उपयोग हेतु इन भूमियों के भागों के विपथन के परिणामस्वरूप वन भूमियों के संरक्षण, वनरोपण तथा परिरक्षण करने के लिए किए गए उपाय इस संबंध में वर्तमान विधान, नियमों तथा उच्चतम न्यायालय निर्णयों के उपवन्धों के अनुसार थे।
- क्या प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण, उपयोग, निगरानी, लेखाकरण तथा सुरक्षा का प्रबन्ध गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि का विपथन अनुमत करने वाले लागू विधान, नियम तथा उच्चतम न्यायालय निर्णयों का निवेश के अनुपालन में था, और
- क्या निधियों का निवेश करने में उचित वित्तिय कार्यविधियां अपनाई गई थीं।

वन भूमि का विपथन तथा प्रतिपूरक वनरोपण

हमने वन भूमि के विपथन से संबंधित नियामक मामलों, प्रतिपूरक वनरोपण प्रोत्साहित करने में दयनीय विफलता, खनन के मामलें में वन भूमि का अप्राधिकृत विपथन और पर्यावरण प्रणाली के वर्तमान उल्लंघन की गम्भीर कमियां देखी थीं।

गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण करने में समर्थ होने के लिए सरकार द्वारा ऐसी भूमि का प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय के अभिलेखों से पता चला कि 1,03,381.91 हैक्टेयर प्राप्य गैर वन भूमि के प्रति 2006–12 की अवधि के दौरान 28,086 हैक्टेयर प्राप्त हुई थी जो प्राप्त गैर वन भूमि का केवल 27 प्रतिशत बनी। प्राप्त गैर वन भूमि पर किया गया प्रतिपूरक वनरोपण भूमि जो किंचित प्राप्त होनी थी का सात प्रतिशत बनकर नितलीय 7,280.84 हैक्टेयर थी। निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण पहचाने गए 1,01,037.35 हैक्टेयर तथा 54.5 किमी में से केवल 49,733.76 हैक्टेयर तथा 49 किमी पर किया गया था जो 49 प्रतिशत बना (क्षेत्र में)। सात राज्यों यथा गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब तथा राजस्थान या तो गैर वन भूमि पर अथवा निम्नीकृत वन भूमि पर कोई प्रतिपूरक वनरोपण नहीं किया। इसके विपरीत असम तथा ओडिशा राज्यों ने गैरवन भूमि पर तथा निम्नीकृत वन भूमि पर दोनों में प्रतिपूरक वनरोपण के संबंध में उच्च स्तर उपलब्धि दर्शाई।

राज्य वन विभाग को स्वामित्व के हस्तान्तरण से संबंधित अभिलेख समान रूप से निराशाजनक है। राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चला कि उनके द्वारा प्राप्त 23,246.80 हैक्टेयर गैरवन भूमि में से केवल 11,294.38 हैक्टेयर राज्य वन विभाग के नाम हस्तान्तरित तथा परिवर्तित की गई

थी। इसमें से 3,279.31 हैक्टेयर आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप घोषित की गई थी जो ऐसे प्राप्त गैर वन भूमि का केवल 14 प्रतिशत थी।

गैर वन भूमि की प्राप्ति प्रतिपूरक वनरोपण करने का आरम्भिक बिन्दु है। फिर भी इस संकटपूर्ण घटक पर मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित डाटा पर कोई मेल आधार नहीं था। विपक्षित वन भूमि तथा प्राप्त गैरवन भूमि के डाटा में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य वन विभागों द्वारा अनुरक्षित डाटा के बीच अन्तर क्रमशः लगभग 3.5 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत था। खराब गुणवत्ता तथा असमाशोधित डाटा योजना, प्रचालनों की गुणवत्ता तथा निर्णय करने में समझौता होगा।

मुख्य सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित की जाने वाली वन भूमि की अनुपलब्धता अथवा कम उपलब्धता के मामले में प्रतिपूरक वनरोपण विपक्षित वन भूमि की मात्रा के दोगुने निम्नीकृत वन पर किया जाना था। यह देखा गया था कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में मुख्य सचिव के किसी प्रमाणपत्र बिना 75,905.47 हैक्टेयर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण अनुमत किया गया था। दो राज्यों/यूटी जैसे चण्डीगढ़ तथा उत्तराखण्ड के बराबर अथवा अधिक गैरवन भूमि प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा में ऐसे भी उदाहरण देखे गए जहां उच्चतम न्यायालय के सुस्पष्ट आदेशों की आंध्रप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अवज्ञा की गई थी, जहाँ नागार्जुन सागर बांध में वन भूमि का विपथन उच्चतम न्यायालय की अनुमति मांगे बिना अनुमत की गई थी। पांच अन्य मामलों में राजस्थान तथा ओडिशा में खनन पट्टों के अप्राधिकृत नवीकरण देखे गए थे जहाँ राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया।

पट्टों का अप्राधिकृत नवीकरण, अवैध खनन, निगरानी रिर्पोटों में प्रतिकूल टिप्पणियों के बाबजूद खनन पट्टों के जारी रहने, पर्यावरण निर्बाधनों बिना चालू परियोजनाओं, वन भूमि की स्थिति में अप्राधिकृत परिवर्तन और वानिकी निर्बाधनों के निर्णयों में मनमानी के अनेक उदाहरण देखे गए थे। छः राज्यों, जहाँ सूचना उपलब्ध थी, में 1,55,169.82 हैक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण देखा गया था परन्तु एम ओ ई एफ ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद निष्कासन के लिए कोई समयबद्ध कार्रवाई नहीं की।

मास, जिसपर अनियमितताएं लेखापरीक्षा में देखी गई हैं, को ध्यान में रखकर निगरानी अति महत्वपूर्ण थी। एमआईएस/समेकित डाटाबेस के अभाव ने अनियमितताओं के अलग–अलग मामलों को अजांचित रहने की अनुमति दी। वन भूमि के विपथन से संबंधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप से निभाने में एमओईएफ असफल रहा।

सांविधिक शर्तों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ऐसे सकल अनुपालन के बाबजूद एमओईएफ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वास्तव में एमओईएफ ने अगस्त 2009 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि के दौरान केवल तीन मामलों में शास्तिक प्रावधान का प्रयोग किया था और यह कार्रवाई भी केवल कारण बताओं नोटिस जारी करने तक सीमित थी। हमारे विचार में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निर्धारित शास्तिक खण्ड अवैध तथा अप्राधिकृत प्रथाओं के प्रति कोई रोक लगाने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त तथा अप्रभावी था।

प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण

तदर्थ कैम्पा खाते को प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रति राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा संग्रहीत सभी घन का पूर्ण तथा सामायिक अन्तरण सुनिश्चित करने में तदर्थ कैम्पा अप्रभावी था। यह आश्वासन नहीं है कि राज्यों/यूटी द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि के लिए संग्रहीत सभी धन तदर्थ कैम्पा के खाते में, जमा किया गया है। यह केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता था यदि प्राप्य, संग्रहीत, प्रेषित (अथवा तदर्थ कैम्पा के गठन से पूर्ण राज्यों/यूटी द्वारा प्रयुक्त) और राज्य/यूटी के पास पडे शेष को परियोजना वार दर्शाते हुए एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनाया गया होता। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध तथा राज्यों/यूटी से संग्रहीत निधियों के अन्तरण के डाटा में विसंगति ₹ 6,021.88 करोड़ थी जो तदर्थ कैम्पा के पास मूल राशि का 26.32 प्रतिशत था। वर्षो से इसका समाशोधन न करना न केवल नियंत्रकों में शिथिलता दर्शाता है वल्कि संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा दिए गए डाटा की विश्वसनीयता तथा पूर्णता पर संदेह उत्पन्न करता है। हमारी नमूना जांच में भी पता चला कि कम से कम 23 राज्यों/यूटी ने तदर्थ कैम्पा को प्रतिपूरक वनरोपण निधि का ₹ 401.70 करोड़ अन्तरित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच के आधार पर निवल वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनरोपण/अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/शास्तिक प्रतिपूरक वनरोपण/जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना की निधियों की गैर वसूली/कम निर्धारण ₹ 5,311.16 करोड़ था जो 31 मार्च 2012 को तदर्थ कैम्पा के पास कुल मूल राशि का 23 प्रतिशत बना। कुछ राज्यों, जहाँ, गैर/कम वसूली की राशियां पर्याप्त थीं, में ओडिशा (₹ 1,235.26 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर (₹ 861.80 करोड़), मध्य प्रदेश (₹ 512.84 करोड़), त्रिपुरा (₹ 333.19 करोड़), असम (₹ 223.28 करोड़), उत्तराखण्ड (₹ 207.51 करोड़), गुजरात (₹ 176.02 करोड़), झारखण्ड (₹ 116.28 करोड़), मणिपुर (₹ 106.45 करोड़), तथा छत्तीसगढ़ (₹ 111.29 करोड़) शामिल थे। एमओईएफ/तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा के पास वन भूमियों के विपथन के लिए अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व प्राप्यों के सही निर्धारण तथा संग्रहण की मामला वार निगरानी करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का उपयोग

प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलापों के लिए 2009–12 की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के ₹ 2,925.65 करोड़ में से ₹ 1,149.81 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़कर राज्यों/यूटी द्वारा केवल ₹ 1,775.84 करोड उपयोग किए गए थे। जारी निधियों के समग्र उपयोग की प्रतिशतता केवल 61 प्रतिशत थी। चयनित 30 राज्यों/यूटी में से 11 में उपयोग जीरो से 50 प्रतिशत के बीच था जिसमें राज्यों/यूटी की अल्प अवशोषित क्षमता को दर्शाया। अति अल्पः उपयोग के साथ कुछ राज्य मेघालय (100 प्रतिशत) अरूणाचल प्रदेश (91 प्रतिशत), बिहार (77 प्रतिशत), त्रिपुरा (68 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (67 प्रतिशत), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (63 प्रतिशत), दिल्ली (63 प्रतिशत) थे। अधिकांश राज्यों/यूटी प्रचालनों की वार्षिक योजना तैयार करने में विलम्ब, निधियों के विलम्बित निर्गम के कारण तदर्थ कैम्पा द्वारा उनको जारी धन खर्च करने में असमर्थ थे परिणामस्वरूप राज्यों में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संचय की प्रक्रिया स्थापित हुई जिस समस्या के समाधान की उच्चतम न्यायालय से मांग की गई थी। निधियों का

कम उपयोग इन राज्यों/यूटी द्वारा प्रचालन की वार्षिक योजना में प्रस्तावित विभिन्न निवल वर्तमान मूल्य/प्रतिपूरक वनरोपण योजनाओं का कार्यान्वयन न होना दर्शाता है।

17 राज्यों/यूटी में अप्राधिकृत कार्यकलापों के प्रति ₹ 51.93 करोड की राशि उपयोग की गई थी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) के अनिवार्य मार्गनिर्देश अधिकांश राज्यों/यूटी में कार्यों के निष्पादन के दौरान अपनाए नहीं गए थे।

एमओईएफ राष्ट्रव्यापी ई–ग्रीन वाच प्रणाली आरम्भ करने में समर्थ नहीं था। ई–ग्रीन वाच प्रणाली का कार्यान्वयन न करने के कारण निधि आवंटन, रोपण कार्य अनुमान, अन्य कार्य अनुमान, वन संरक्षण परियोजनाओं, विपथित भूमि, प्रतिपूरक वनरोपण, भूमि प्रबन्धन, रोपण कार्य प्रगति रिपोर्ट आदि की ऑनलाईन सूचना पणधारियों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निवेश

तदर्थ कैम्पा द्वारा वेशी निधियों के लिए निवेश का तन्त्र मनमाना और उचितता तथा पारदर्शिता की कमी वाला था निवेश निर्णय करते समय तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों से बारम्बार तथा अनुचित विचलन हुए थे। तदर्थ कैम्पा निकाय से दोहराए गए निर्देशों के बावजूद एक व्यापक निवेश नीति 2012 तक बनाई और अध्यक्ष तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी।

बैंको, जिन्होंने बोली भी नहीं दी, में किए गए ₹ 1,998.47 करोड के जमाओं के उदाहरण देखे गए थे। सावधि जमाओं के मामले में सावधि जमाओं की परिपक्वता पर ₹ 1.08 करोड के कम क्रेडिट के अतिरिक्त निधियों के निवेश में विलम्ब, व्याज मुक्त चालू खातों में निधियों को रोकने और बैंक खातों में परिपक्वता राशि क्रेडिट करने में विलम्ब के कारण क्रमशः ₹ 8.70 करोड, ₹ 7.80 करोड तथा ₹ 4.45 करोड की हानि हुई थी।

यह स्पष्टतया साक्ष्य था कि न तो वित्तिय प्रबन्धन तथा लेखाकरण के वर्तमान प्रबन्ध से वर्तमान सरकारी वित्तिय नियंत्रण को कोई लाभ हुआ था और न ही तदर्थ कैम्पा द्वारा लेखाकरण और वित्तिय नियंत्रण की एक वैकल्पिक प्रणाली विकसित की गई थी।

निरीक्षण प्रबन्ध

तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत तथा राज्य कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों से खर्च करने की संस्थागत डिजाइन संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा किए जा रहे खर्च के कुछ कुछ भिन्न है। तदर्थ कैम्पा द्वारा तथा राज्य कैम्पा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे खर्च के मामले में ऐसा खर्च करने के लिए कोई विधायी प्राधिकरण नहीं है। इसके अलावा जबकि प्राप्तियां तथा व्यय पर्याप्त हैं तो संसद को अथवा राज्य

विधान मण्डलों को प्रतिपूरक वनरोपण निधियों से संबंधित आय तथा व्यय सूचित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है।

केन्द्रीय कैम्पा (तदर्थ) ने 2006 में अपने आरम्भ से आजतक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि तदर्थ कैम्पा में लेखा बहियां उचितरूप में नहीं बनाई जा रही है। प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र तैयार नहीं किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से कैम्पा की पारदिर्शिता तथा उत्तरदायित्व का प्रतिकूल रूप से अतिक्रमण करता है।

यह उपयुक्त होगा यदि तदर्थ कैम्पा में पड़ी राशियां भारत के लोक लेखे को अन्तरित की जाती हैं जैसा प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक 2008 में निर्दिष्ट किया गया था। अलग–अलग राज्यों को अंन्तरण पारदर्शी बनाए जा सकते हैं ताकि इस विषय पर आवश्यक सूचना पणधारियों को दी जा सके।

प्राधिकरण का सतत अन्तिम स्वरूप

उच्चतम न्यायालय ने 2002 में निर्देश दिया कि भारत संघ आठ सप्ताह के अन्दर प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के निकाय के गठन के संबंध में व्यापक नियम बनाए। तदनुसार एमओईएफ ने 2004 में प्रतिपूरक वनरोपण प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण का गठन अधिसूचित किया। तथापि इस प्राधिकरण का कभी भी प्रचालन नहीं हुआ। हमारे विचार में कैम्पा का प्रचालन न होने, जो मार्गनिर्देश, निर्देश तथा निरीक्षण मुहैया करने के लिए स्थाई, स्वतन्त्र प्राधिकरण के रूप से निर्धारित था, से भारत में प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलाप अलग–अलग से वाधित हुए। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन कैम्पा के शीघ्र प्रचालनीकरण की आवश्यकता का उल्लेख करता है जो व्यापक संवैधानिक तथा कानूनी ढांचे के अन्दर प्रतिपूरक वनरोपण को प्रभावीरूप से तथा कुशलता से सुनिश्चित करने के अधिदेश का निष्पादन कर सकता है।

अध्याय - I

भारत में प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में

1.1. प्रस्तावना

पृथ्वी पर जीवन निर्वाह प्रणाली को बनाए रखने के लिए वन प्राणधार संघटक हैं। वन चाहे सरकारी, गांव अथवा निजी हों सम्पूर्ण समुदाय के लिए उपयोगी होते हैं और समुदाय संसाधन के द्योतक होते हैं जो करोड़ों ग्रामीण जनता विशेषकर जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 ए अपेक्षा करता है कि राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार करने के लिए और देश के वन तथा वन्यजीव की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करना होगा। अनुच्छेद 51 ए के अन्तर्गत वनों, झीलों, नदियों तथा वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के लिए दया रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

मानचित्र 1 : भारत के वन क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र

भारत में वन भूमि के उपयोग तथा सुरक्षा को अनेक विधियां तथा न्यायालय निर्णय शासित करते हैं। विधियों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वन वासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006, और भारतीय वन अधिनियम 1927, शामिल हैं।

1.2. गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि का विपथन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार, भारत में कुल वन क्षेत्र 770 लाख हैक्टेयर निर्धारित किया गया था जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.41 प्रतिशत था। राज्य की पूर्व वन रिपोर्टों में भारत में वन क्षेत्र 2003 तथा 2005 में 677 लाख हैक्टेयर, 2007 में 690 लाख हैक्टेयर तथा 2009 में 692 लाख हैक्टेयर निर्धारित किया गया था।

1.2.1 वनों का उपयोग तथा परिस्थितियां जिनमें वन विपथन की आवश्यकता हुई

वन सामान्यतया जीवन शैली, वन वासियों, वनों पर पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से निर्भर ग्रामीणों तथा अन्य जनता /प्रजातियों के लिए कल्याण के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका उपयोग प्रकृति आरक्षण, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव क्षेत्र आरक्षित, वनस्पति तथा प्राणी समूह की किसी जोखिम ग्रस्त/संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास के रूप में और किसी नदी घाटी अथवा जल विद्युत परियोजनाओं आदि के कारण से अपने आवासों से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कृषि प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है।

वन भूमि सामान्यतया विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, रेलवे, स्कूलों, अस्पतालों, ग्रामीण विद्युतीकरण, दूरसंचार, पेयजल सुविधाओं तथा खनन आदि जैसे गैर वन प्रयोजनों के विकास कार्यकलापों को सुगम करने के लिए विपथित की जाती है।

1.2.2 विपथन पर लगाई गई शर्तों के मुख्य संघटक

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार, जब कभी गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि विपथित की जानी हैं तब हस्तान्तरण, नामान्तरण और आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषणा के लिए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए बराबर गैर वन भूमि और प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए निधियों से सम्बन्धित शर्तें सामान्यतया लगाई जाती है। खनन प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त शर्तें जैसे सुरक्षा जोन क्षेत्र कायम रखने, घेराबन्दी और पुनरूत्पादन इत्यादि तथा मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाओं का संसाधान लगाई जाती है।

1.2.3 प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि का प्रावधान

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार, जहॉ तक सम्भव हो, प्रतिपूरक वनरोपण (सी ए) के लिए गैर वन भूमि आरक्षित वन अथवा संरक्षित वन के निकटस्थ अथवा के सामिव्य में पहचानी जानी है। यदि सीए के लिए गैर वन भूमि उसी जिले में उपलब्ध नहीं है तो सीए के लिए गैर वन भूमि राज्य/संघराज्य क्षेत्र में कहीं भी पहचानी जानी है। यदि गैर वन भूमि सम्पूर्ण राज्य /यूटी में अनुपलब्ध है तब विपथित वन भूमि मात्रा के दोगुने क्षेत्र में सीए करने के लिए निधियां प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की जानी थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सीए के लिए उपयुक्त गैर वन भूमि की अनुपलब्धता इस आशय के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र पर केवल केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाएगी। केन्द्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रम परियोजनाओं, 500 हैक्टेयर से अधिक नदी तल से लघु खनिज के निष्कर्षण, लिंक रोड के निर्माण, छोटे जल घर, लघु सिंचाई कार्यों, 220 केवीए तक संचरण लाइन डालने के मामले इत्यादि में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता से सम्बन्धित मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र के आग्रह के बिना विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र की मात्रा के दो गुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सीए किया जाना है।

1.2.4 प्रतिपूरक वनरोपण का वित्तपोषण

सीए के लिए निधियां राज्य वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल की जानी थीं जो स्थल विशेष और प्रजातियों, वन के प्रकार तथा स्थल के अनुसार अलग–अलग थीं। प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त वनरोपण आदि के लिए प्राप्त धन वन भूमि के विपथन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ–साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल विशेष योजनाओं के अनुसार प्रयोग की जानी थी। धन की प्राप्ति के बाद, राज्य वन विभाग को वनरोपण पूरा करना था जिसके लिए धन एक वर्ष अथवा दो प्ररोही सत्रों की अवधि के अन्दर प्रतिपूरक वनरोपण निधि में जमा किया जाता है। ये निधियां वन के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा और वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति प्रयोग की जानी थीं।

1.2.5 पुनरूत्पादन का वित्तपोषण

वन भूमि जो गैर वन उपयोग हेतु विपथित की गई है, से मूर्त तथा अमूर्त लाभों की हानि को प्रतिपूर्ति करने के लिए भूमि का निवल वर्तमान मूल्य प्राकृतिक वनों की हानि की पर्याप्तरूप से प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किया जाना था। ऐसी निधियां प्राकृतिक सहायक पुनरूत्पादन, वन प्रबन्धन, सुरक्षा, आधारभूत ढ़ांचा विकास, वन्यजीव सुरक्षा तथा प्रबन्धन, लकड़ी की आपूर्ति और अन्य वन उत्पाद रक्षा साधनों तथा अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त की जानी थीं।

1.3. वन भूमि के विपथन के बदले प्रतिपूरक वनरोपण

प्रतिपूरक वनरोपण में गैर वन भूमि अथवा निम्नीकृत वन भूमि की पहचान, कार्य अनुसूची, रोपण की लागत संरचना, निधियों का प्रावधान, निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र और निगरानी तन्त्र आदि को शामिल किया गया। इसलिए, गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि के अनारक्षण अथवा विपथन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में से यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह आवश्यक था कि ऐसे सभी प्रस्तावों के साथ प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई थी और केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी। व्यापक योजना में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए पहचाने गए गैर वन/निम्नीकृत वन क्षेत्र के ब्यौरे, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु लिए जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र, वर्ष वार चरणाबद्ध बागान प्रचालनों, रोपित किए जाने वाली प्रजातियों के ब्यौरे और विभिन्न प्रचालनों की लागत संरचना के साथ–साथ वनरोपण/प्रबन्धन दृष्टिकोण से उपयुक्तता प्रमाणपत्र शामिल किए जाने थे। 1980 तथा मई 2004 के बीच गैर वानिकी उपयोगों के लिए लगभग 9.21 लाख हैक्टेयर[1] वन भूमि विपथित की गई थी और मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के सृजन तक कुल 1.14 लाख हैक्टेयर[2] वन भूमि विपथित की गई थी।

गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि के विपथन की शर्तों के संघटक फ्लो चार्ट 1 में प्रदर्शित किए गए हैं।

[1] स्रोत : मई 2004 में जारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी संशोधित नियम/मार्गनिर्देशों का प्राक्कथन।
[2] स्रोत : एमओईएफ/आरओ डाटा।

चार्ट 1 : गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन की शर्तों के संघटकों का फ्लो चार्ट

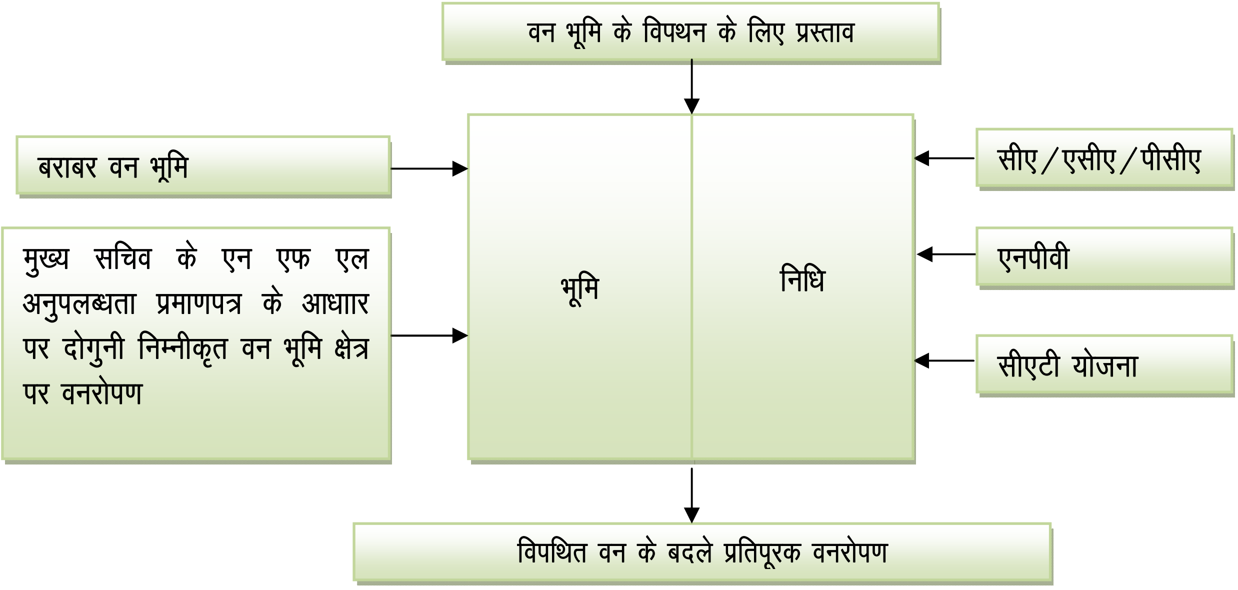

एनएफएल–गैर वन भूमि, सीए–प्रतिपूरक वनरोपण, ए सीए – अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, पी सी ए – दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, एनपीवी – निवल वर्तमान मूल्य, सीएटी – जलग्रहण क्षेत्र संसाधन।

1.4. उच्चतम न्यायालय की भूमिका

1995 से, भारत के उच्चतम न्यायालय ने वन नीति संचालन के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाना आरम्भ किया। टी.एन.गौडावर्मन तिरूमुलपाद बनाम भारत संघ (1995 की याचिका (सिविल) संख्या 202) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुडालूर तालुक, तमिलनाडु में बडे पैमाने पर लकडी की गैर कानुनी कटाई और वनों को वृक्षहीन करने के प्रति कार्रवाई की। गौडावर्मन मामले के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने पेड कटाई, आरा मशीनों के प्रचालन, वन विपथन के अनुमोदनों के उल्लंघन, वनों के अनारक्षण तथा प्रतिपूरक वनरोपण से सम्बन्धित अनेक अन्य मामलों सहित अनेक पहलुओं पर अंतरिम आदेश तथा निर्णय जारी करना जारी रखा। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 1996 में आरा मशीनों के कार्यचालन और सम्पूर्ण देश के किसी राज्य में किसी वन के अन्दर खनन जैसे चालू सभी कार्यकलापों, जो केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना किए जा रहे थे, को बन्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2000 में उचित प्रतिपूरक वनरोपण करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर निर्धारित किया और कहा कि वन निर्बाधन देने के समय पर निर्धारित शर्तों की निगरानी करना मंत्रालय का काम था। 9 मई 2002 को उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी, अतिक्रमण, कार्यचालन योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनरोपण, रोपण तथा अन्य संरक्षण मामलों से सम्बन्धित अननुपालन सहित अननुपालन के मामलों को देखने के सुस्पष्ट कार्यों के साथ एक केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के गठन का आदेश दिया।

1.5. प्रतिपूरक वनरोपण निधि तथा कैम्पा का सृजन

नवम्बर 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जमा निधियों का अल्प उपयोग हुआ था और यह भी कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए विशाल धन राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा वसूल नहीं की गई थी।

मामले की सीईसी द्वारा जांच की गई और यह देखा गया कि कुछ राज्यों में निधियां प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा "वन जमा" के रूप में जमा की गई थीं जो वनरोपण हेतु संबंधित मण्डल को आसानी से उपलब्ध कराई गई थीं। जबकि कुछ राज्यों में निधियां राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा की इसने सिफारिश की कि गई थीं और केवल बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती थीं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि जब तक बजटीय प्रावधानों के माध्यम से निधियों के निर्गम की वर्तमान प्रणाली बदली नहीं जाती है तब तक प्रतिपूरक वनरोपण की गति तथा गुणवत्ता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। इसलिए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए अलग निधि सृजित करना वांछनीय है जिसमें प्रयोक्ता एंजेसियों से प्राप्त सभी धन जमा किये जाएंगे और जब और जैसे आवश्यकता हो कार्यान्वयक एजेंसियों को बाद में सीधे जारी किए जाएंगे। एक विशेष राज्य से प्राप्त निधियां उसी राज्य में उपयोग की जाएंगी। यह प्रणाली सतत आधार पर योजनागत रीति में प्रतिपूरक वनरोपण आरम्भ करने में सहायक होगी।

सीईसी की सिफारिशों के आधार पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 में "प्रतिपूरक वनरोपण निधि" स्थापित करने का निर्देश दिया जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य (एनपीवी), जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना निधियां आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किए जाने थे।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने आगे पाया कि, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सर्वसम्मति थी कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए निधियां, जो प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल की जानी थीं तथा राज्यों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियां ऐसी निधि को अन्तरित जाएंगी। निधि संघ के, राज्यों के सामान्य राजस्व का भाग अथवा भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबन्धन के लिए एक निकाय होगा।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रयोक्ता एजेंसी गैर वन प्रयोजन हेतु विपथित वन भूमि का निवल मूल्य निधि का भुगतान करेगी। भूमि की मात्रा तथा सघनता के आधार पर वन भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर वसूल किया जाएगा। यह सीइसी के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा ऊर्ध्वगामी संसोधन के अध्यधीन होना था और ऐसा संसोधन अन्तिमवार 2008 में किया गया था।

अक्तूबर 2002 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश तालिका 1 में संक्षिप्तीकृत है :

तालिका 1 : अक्तूबर 2002 में जारी उच्चतम न्यायालय के निर्देश

- भारत सरकार को सीईसी के परामर्श से प्रतिपूरक वनरोपण निधि के निकाय के गठन तथा प्रबंधन से संबंधित नियम बनाने चाहिए।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधियां जो अभी तक वसूल नहीं की गई थीं तथा राज्यों द्वारा पहले ही वसूल की गई खर्च न की गई निधियां इसके गठन के छः माह के अन्दर कथित निकाय को सम्बन्धित राज्यों तथा प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा अन्तरित की जानी चाहिए।
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि को विपथित करने के लिए अनुमति लेने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी ऐसी विपथित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य का भी भुगतान करे।
- कृत्रिम पुनरूत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरूत्पादन के लिए स्थल योजनाएं, वनों की सुरक्षा तथा अन्य संबंधित कार्यकलाप तैयार और समयबद्ध रीति में कार्यान्वित किए जाने चाहिए।
- उन मामलों जहाँ विपथित वन भूमि संरक्षित क्षेत्रों में आती में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त निधियां एकमात्र रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए उपयोग की जानी चाहिए।
- समवर्ती निगरानी तथा मूल्यांकन की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से कार्यान्वित की जानी चाहिए।

1.6. प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 'प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक 2008' संसद में पेश किया। विधेयक लोक सभा में पारित हो गया था परन्तु राज्य सभा में मत विभाजन के लिए नहीं लाया जा सका और मई 2009 में लोक सभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

विधेयक की कुछ विशेषताएं निम्न थीं

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के रूप में कहे जाने वाला एक प्राधिकरण होगा। प्राधिकरण शासी निकाय से बना था और कार्यकारी निकाय, निगरानी ग्रुप तथा प्रशासनिक सहायता तन्त्र द्वारा सहायता की जानी थी।
- पर्यावरण एवं वन मंत्री शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और इसमें वित्त मंत्री, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शहरी विकास, पंचायती राज, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनरोपण निधि कहे जाने वाली एक विशेष निधि होगी।
- प्राधिकरण को उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख रखाव करना था और ऐसे फार्म में लेखे की वार्षिक विवरणी तैयार करनी थी, जैसा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

प्राधिकरण के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी।

1.7. तदर्थ कैम्पा का गठन

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग का अनुमोदन करते समय प्रतिपूरक वनरोपण, एनपीवी आदि के प्रति संग्रहीत धन के प्रबन्धन के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का 23 अप्रैल 2004 को गठन किया

5 मई 2006 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने देखा कि कैम्पा अभी तक परिचालन में नहीं आया था और कैम्पा के परिचालन में आने तक एक तदर्थ निकाय ("तदर्थ कैम्पा" के रूप में जाना गया) के गठन का आदेश दिया। न्यायालय ने सीईसी के निम्नलिखित सुझावों को भी स्वीकार किया :

- सुनिश्चित करें कि कैम्पा की बाबत वसूल किए गए और जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास वर्तमान में पड़े हैं, सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाते (खातों) को अन्तरित किए गए थे,
- कैम्पा की बाबत प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन और विभिन्न राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा उन पर अर्जित आय की लेखापरीक्षा कराई जाए। लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना था लेखापरीक्षा यह भी जांच करें कि क्या निधियों का निर्देश करने में उचित वित्तीय प्रकिया अपनाई गई है।

कथित तदर्थ निकाय के दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के आदेश के रूप सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से 30 अक्तूबर 2002 से संग्रहीत राशि को लेखा में लेने और भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी।

तालिका 2 : कैम्पा/ तदर्थ कैम्पा की तथ्य शीट

दिनांक	घटना
29 अक्तूबर 2002	• भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि "प्रतिपूरक वनरोपण निधि" सृजित की जानी थी जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का एनपीवी, जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना निधियों आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाना था। • उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन प्रयोक्ता एंजेसियों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण आदि के लिए भुगतान किए जाने वाले धन के अतिरिक्त विपथित वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) प्रयोक्ता एजेंसी से संग्रहीत किया जाना था। दरें, जिनपर वर्तमान मूल्य वसूल किया जाना था, भी निर्धारित की गई थीं।

दिनांक	घटना
23 अप्रैल 2004	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) अधिसूचित किया गया था।
5 मई 2006	भारत के उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा का गठन किया।
16 सितम्बर 2006	भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिनको उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 से पूर्व सैद्धान्तिक निर्बाधन और इस दिनांक के बाद अन्तिम निर्बाधन दिया गया था, को भी एनपीवी का भुगतान करना पड़ेगा।
13 मार्च 2007	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कैम्पा (संसोधन) अधिसूचना में कहा गया कि कैम्पा सामूहिक लेखाकरण आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली रखेगा और इसके लेखा लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।
28 मार्च 2008	उच्चतम न्यायालय ने एनपीवी की दर निर्धारित की जो तीन वर्षों के लिए लागू होंगी और प्रत्येक तीन वर्षों के बाद संशोधित की जानी थी।
24 अप्रैल एवं 9 मई 2008	उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों, गैर वाणिज्यिक प्रकृति के बाल क्रीडा स्थल, ग्रामीण क्षेत्र सामुदायिक केन्द्रों, चार इंच व्यास तक अद्यो जल पेय पाइप लाइनों, की वैकल्पिक वन भूमि के लिए राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों से गावों पुनः अवस्थापन आदि जैसी परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को दी गई छूट को स्पष्ट किया।
10 जुलाई 2009	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के मार्ग निर्देश भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए गए।
10 जुलाई 2009	• उच्चतम न्यायालय ने सम्बन्धित राज्य/यूटी से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात में अगले पांच वर्षों के लिए लगभग ₹ 1000 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि जारी करने के लिए तदर्थ कैम्पा को अनुमति दी। • उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यथा तैयार मार्ग निर्देश तथा राज्य कैम्पा की संरचना अधिसूचित/लागू की जाए। • उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य महालेखाकार को वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष राज्य कैम्पा निधियों के व्यय की लेखापरीक्षा करनी थी।
15 जुलाई 2009	• राज्य कैम्पा मार्गनिर्देश सभी राज्यों/यू टी का परिचालित किए गए थे।
13 अगस्त 2009	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) का गठन किया गया।

1.8. तदर्थ कैम्पा का गठन तथा कार्यचालन

उच्चतम न्यायालय के 5 मई 2006 आदेशों के अनुसार, तदर्थ निकाय (तदर्थ कैम्पा) में महानिदेशक वन तथा विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में, सदस्यों के रूप में महानिरीक्षक वन (वन संरक्षण), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का एक प्रतिनिधि और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष का नामिती शामिल होंगे।

2006 तथा 2012 के बीच तदर्थ कैम्पा ने 21 बैठकें आयोजित कीं। बैठकों के कार्यवृत्तों तथा तदर्थ कैम्पा की फाइलों, जिनकी जांच की गई थी, से यह स्पष्ट था कि निकाय के रूप में तदर्थ कैम्पा एक शासी निकाय था जिसने समग्र दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण का प्रबन्ध किया। कार्यकारी कार्य और प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबन्धन तथा अन्य प्रशासनिक विषयों पर दैनिक निर्णय लेना सदस्य सचिव के रूप में महानिरीक्षक वन (वन संरक्षण), बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सम्बोधित, के साथ–साथ अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा द्वारा किया गया था। अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा को 15 मई 2006 को आयोजित निकाय की पहली बैठक में तदर्थ कैम्पा के कार्यचालन के लिए सहायक स्टाक, जो उपयुक्त माना जाए, की आउटसोर्सिंग अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.9. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा का गठन

अतिशीघ्र प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलाप करने के लिए तदर्थ कैम्पा से राज्यों/यूटी को निधियां जारी करने के लिए संसद सदस्यों, राज्य मुख्य मंत्रियों/वन मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों से निम्न निरन्तर अनुरोधों के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों संघराज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने के मार्ग निर्देश बनाने के लिए 30 मार्च 2009 को सभी राज्यों की परामर्शी बैठक आयोजित की। इस तरह तैयार मार्ग निर्देश भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 में अनुमोदित और 15 जुलाई 2009 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जुलाई 2009 में राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में कैम्पा स्थापित करने और तदर्थ कैम्पा के पास वर्तमान में उपलब्ध प्रतिपूरक वनरोपण, एनपीवी आदि के प्रति प्राप्त निधियों का उपयोग कर वन तथा वृक्ष क्षेत्र बढ़ाने और वन्य जीव के संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए निधियन तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य कैम्पा मार्ग निर्देश तैयार किए।

मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा निम्न को बढ़ावा देने को अधिदेशित था :

- विद्यमान प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्धन;
- संरक्षित क्षेत्रों के समेकन सहित संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर तथा बाहर वन्य जीव तथा इनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन;
- प्रतिपूरक वनरोपण; और
- पर्यावरण सेवाएं, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।

इसे तीन स्तरीय समिति पदानुक्रम के माध्यम से कार्य करना था :

- राज्य स्तर कैम्पा के कार्यचालन और समय समय पर इसके कार्यचालन की समीक्षा के लिए व्यापक नीति ढांचा निर्धारित करने के लिए अधिदेशित राज्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **शासी निकाय**।
- निकाय तथा इसकी कार्यकारी समिति के कार्यचालन के लिए नियम तथा कार्य विधियाँ निर्धारित करने के लिए अधिदेशित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **संचालन समिति**। इसके उत्तरदायित्वों में राज्य कैम्पा निधि के उपयोग की निगरानी, प्रचालन की वार्षिक योजना (एपीओ), वार्षिक रिपोर्ट तथा राज्य कैम्पा के लेखापरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना शामिल किया गया।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता वाली **कार्यकारी समिति** को विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य का एपीओ तैयार करने, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर अन्त से पूर्व संचालन समिति को इसे प्रस्तुत करने, राज्य कैम्पा से जारी निधियों से कराए जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अधिदेशित किया गया। यह निधियों की प्राप्ति तथा व्यय दोनों के उचित लेखापरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी थी।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत को लागू है। राज्य कैम्पा के गठन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों (अप्रैल 2004) के अनुसरण में जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने क्रमशः फरवरी 2005 तथा अप्रैल 2005 में दो समितियों, एक राज्य स्तर प्रबन्धन समिति (एस एल एम सी) तथा अन्य राज्य स्तर संचालन समिति (एस एल एस सी) का गठन किया। एसएलएससी ने निर्णय लिया (फरवरी 2006) कि कैम्पा लेखा के अन्तर्गत उपलब्ध धन केन्द्र तदर्थ कैम्पा को अन्तरित नहीं किया जाएगा क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में इसका अपना जम्मू एवं कश्मीर वन (संरक्षण) अधिनियम है। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा फरवरी 2010 में और उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जम्मू एवं कश्मीर का राज्य कैम्पा वित्त वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के एपीओ के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किए जाने वाले सीए प्रभारों को रोकना जारी रख सकता है। राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों में आने वाले वन/गैर वन भूमि के उपयोग के लिए एनपीवी के प्रति प्राप्त राशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की जानी चाहिए, यदि पहले नहीं की गई है।

राज्य कैम्पा की अधिसूचना के राज्य वार ब्यौरे अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं।

1.10. तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण

निधियां 16 मई 2006 से आगे तदर्थ कैम्पा में आने लगीं और कार्पोरेशन बैंक, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर नई दिल्ली में प्रत्येक राज्य/यूटी के लिए अलग–अलग अनुरक्षित 35 चालू लेखाओं में ₹ 967.89 करोड़ की राशि आरम्भ में जमा की गई थीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 13 सितम्बर 2006 को सितम्बर 2006 तक इसके पास संचित ₹ 232.42 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को प्रेषित कीं।

दिसम्बर 2012 तक कारपोरेशन बैंक, सीजीओ काम्लैक्स, लोधी रोड में 74 बैंक खाते तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली में 66 खाते तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालित किए जा रहे थे।

तदर्थ कैम्पा के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधि की वृद्धि चार्ट 2 में दी गई है।

चार्ट 2 – तदर्थ कैम्पा के पास निधियों की वृद्धि, राज्य/यूटी कैम्पा तथा एनसीएसी[3] को वितरणों के निवल की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

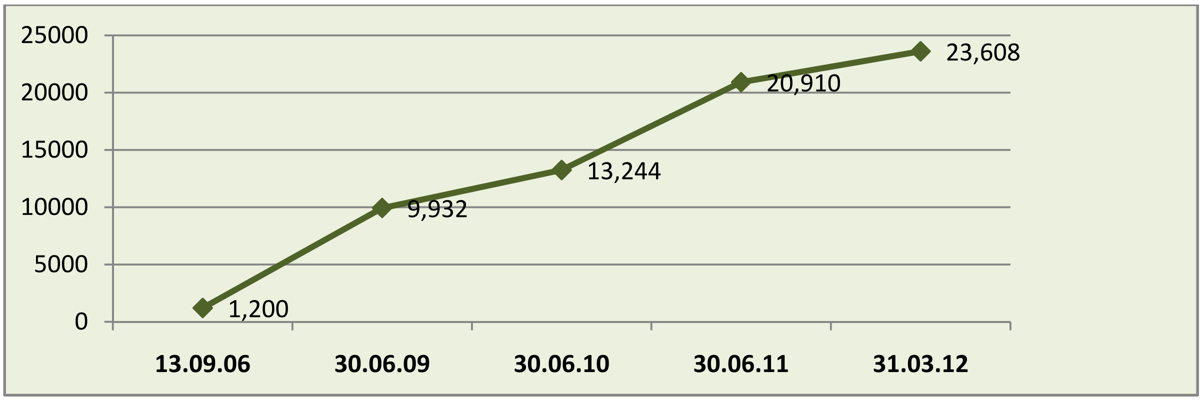

1.11. तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निर्गम

जुलाई 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने पाया कि तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों की पर्याप्त राशि (₹ 9932 करोड़) प्राप्त की गई थी और आकस्मिक निर्गम तथा एक समय पर इस बडी राशि का उपयोग उचित नहीं हो सकता है और व्यय पर किसी प्रभावी नियंत्रण के बिना इसका अनुचित उपयोग हो सकता है।

न्यायालय ने फिलहाल राज्य/यूटी से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात में अगले पांच वर्षों के लिए लगभग ₹ 1000 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि जारी करने की तदर्थ कैम्पा को अनुमति दी। एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रति राशि राज्य की संचालन समिति द्वारा प्रचालन की वार्षिक योजना के अनुमोदन के बाद जारी की जानी थी। प्रतिपूरक वनरोपण अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण तथा जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के प्रति राशि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित कार्यस्थल विशिष्ट कार्यों को आरम्भ करने के लिए तत्काल जारी की जानी थी जब वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (एफसी अधिनियम) के अन्तर्गत अनुमोदन किया जाना था। राज्य कैम्पा को जारी राशि के पांच प्रतिशत राशि जारी की जानी थी और निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा उपयोग की जानी थी।

तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार तदर्थ कैम्पा के पास निधियों की उपलब्धता की स्थिति और 31 मार्च 2012 तक जारी निधियों की स्थिति चार्ट 3 में दी गई है :

[3] 2009–12 अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य/यूटी कैम्पाओं और एन सी ए सी को ₹ 2,829.21 करोड़ वितरित किए गए थे।

चार्ट 3 – 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास निधियों की स्थिति (₹ करोड़ में)

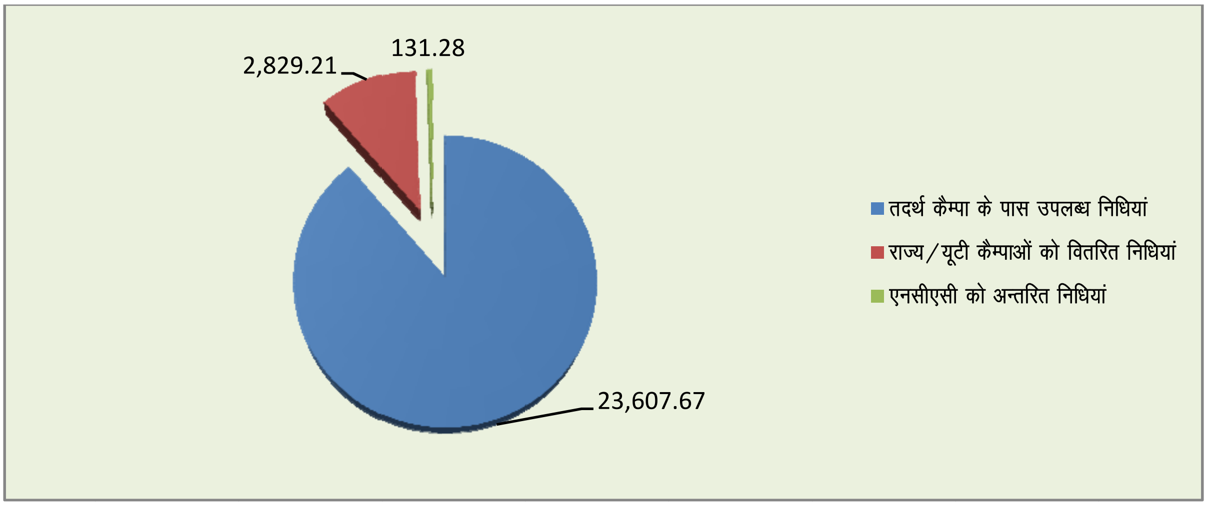

1.12. तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के लेखाकरण प्रबन्ध

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 में निर्देश दिया कि प्रतिपूरक वनरोपण की निधियां संघ के, राज्य के सामान्य राजस्व का भाग अथवा भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होगी। इसलिए कैम्पा निधियां वर्तमान में भारत की समेकित निधि अथवा भारत के लोक लेखा से बाहर रखी गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार 26 सितम्बर 2005 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैम्पा को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित निगम लेखाकरण रखने का निर्देश दिया गया था। राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया कि राज्य कैम्पा उचित लेखाओं तथा सुसंगत दस्तावेजों का रखरखाव करेंगे तथा ऐसे फार्म में लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करेंगे जैसा सम्बन्धित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किया जाए।

1.13. लेखापरीक्षा उद्देश्य

भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की अनुपालन लेखापरीक्षा के उददेश्य निम्न की जांच करना थे :

i. क्या गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि का विपथन वर्तमान कानून के अनुसार अनुमत किया गया था और इस सम्बन्ध में सभी शर्तों का पालन किया गया था,

ii. क्या गैर वन उपयोग के लिए इन भूमियों के भागों के विपथन के परिणामस्वरूप वन भूमि के संरक्षण, वनरोपण तथा परिरक्षण के लिए किए गए उपाय वर्तमान विधान, नियमों तथा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय निर्णयों के प्रावधानों के अनुसार थे; और

iii. क्या प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का संग्रहण, उपयोग, निगरानी, लेखाकरण तथा सुरक्षा के प्रबन्ध लागू विधान, नियमों तथा गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन को अनुमत करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में था;

iv. क्या निधियों का निवेश करने में उचित वित्तीय कार्यविधियां अपनाई गई हैं।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि के संग्रहण तथा उपयोग को विनियमित करने वाले विधानों, नियमों, निर्णयों तथा निर्देशों, जो इस अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान संदर्भित किए गए थे, नीचे सूचीबद्ध किए गए है :

i. 1988 में किए गए संशोधनों के साथ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

ii. 2004 में किए गए संशोधनों के साथ वन (संरक्षण) नियम 2003

iii. अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006

iv. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972

v. भारतीय वन अधिनियम, 1927

vi. इस विषय पर समय–समय पर जारी उच्चतम न्यायालय आदेश।

vii. भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न मार्ग निर्देश तथा आदेश।

1.14. लेखापरीक्षा क्षेत्र

कैम्पा की अखिल भारतीय अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग) के कार्यालय द्वारा नवम्बर 2011 में आरम्भ की गई थी। इसमें तदर्थ कैम्पा, राज्य कैम्पा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की लेखापरीक्षा, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित वन विभाग मण्डलों की लेखापरीक्षा को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा अवधि 2006–2012 थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए 2006–12 से पूर्व अवधि से सम्बन्धित वन भूमि के विपथन, प्रतिपूरक वनरोपण तथा प्रतिपूरक वनरोपण निधियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की भी अवधि, जिससे सम्बन्ध रखते हैं, के उचित संदर्भ के साथ सूचित किया गया है।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग) के कार्यालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा इसके लखनऊ, चण्डीगढ़, भुवनेश्वर, शिलांग, बैंगलुरू तथा भोपाल स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की लेखापरीक्षा की।

राज्य महालेखाकारों ने राज्य कैम्पा तथा मण्डलों, जिनको कैम्पा निधि जारी की गई थी, की नमूना आधार पर लेखापरीक्षा की । नमूना आकार राज्य क्षेत्र मण्डलों, जिन्होने तदर्थ कैम्पा द्वारा वितरित निधि प्राप्त की थी, का 50 प्रतिशत था। भारत के 35 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में से दादर तथा नगर हवेली, दीयू, लक्षदीप, नागालैण्ड तथा पुडुचेरी को छोड़कर सभी को इस लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। चयनित यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे अनुबन्ध 2 में हैं।

1.15. लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई सूचना/अभिलेख

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालयों ने आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचलप्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड से सम्बन्धित 64 फाइलें सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को नहीं भेजीं जिनके ब्यौरे तालिका 3 में दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने

वाली फाइलों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक को और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के छः क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लेखापरीक्षा मांगपत्र जारी किए गए थे।

तालिका 3 : मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए दस्तावेज

क. सं.	राज्य	एमओईएफ से मांगी गई फाइलें	आरओ से मांगी गई फाइलें	एमओईएफ द्वारा प्रस्तुत न की गई फाइलें	आरओ द्वारा प्रस्तुत न की गई फाइलें
1.	आंध्रप्रदेश	.	13	.	2
2.	छत्तीसगढ़	3	10	3	2
3.	गोवा	24	.	12	.
4.	हिमाचल प्रदेश	.	7	.	2
5.	झारखण्ड	3	8	1	.
6.	कर्नाटक	92	14	29	.
7.	मध्यप्रदेश	5	7	.	2
8.	महाराष्ट्र	4	10	2	3
9.	ओडिशा	2	20	.	1
10.	राजस्थान	4	10	2	.
11.	उत्तराखण्ड	3	8	1	2
	जोड़	**140**	**107**	**50**	**14**

उपर्युक्त के अतिरिक्त 71 विशेष फाइलों (40 खनन, पांच संचरण लाइन, पांच थर्मल, आठ विण्ड पावर, पांच सिंचाई, सात हाइडल तथा एक गांव परिवर्तन) कर यादृच्छिक चयन किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मांगी गई थीं। इनमें से 51 फाइलें प्रस्तुत की गई हैं तथा 20 फाइले मई 2013 तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, नमूना आकार तथा विशेष परियोजना फाइलों की जांच नहीं की जा सकी इस प्रकार लेखापरीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

सूचना जो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जुलाई तथा नवम्बर 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मांगी गई थी। निरन्तर प्रयास के बावजूद सूचना भेजी नहीं गई थी (जून 2013)।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि शेष फाइलों को खोजने तथा उन्हे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने के सतत तथा अनवरत प्रयास किए जा रहे थे। 84 फाइले अभी भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है। काफी विलम्ब (जून 2013) से 29 फाइलें भेजी गई थीं और इनकी प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व जांच नहीं की जा सकी। हमारे बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन पर यदि आवश्यक हो, आपतियां करने का हमारा अधिकार सुरक्षित है।

हमने विपथित वन भूमि, वन भूमि के बदले दी गई राजस्व भूमि, वनरोपण हेतु पहचानी गई निम्नीकृत वन भूमि का रकबा, भूमि का रकबा जिस पर प्रतिपूरक वनरोपण किया गया था, संग्रहीत तथा प्रेषित निधियों के घटकवार ब्यौरे, एपीओ के अनुमोदन की तारीखें, तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियां तथा उनके प्रति व्यय आदि

से संबंधित सांख्यिकीय सूचना राज्य कैम्पा नोडल कार्यालयों से मांगी थी। अनेक अनुरोधों में यह सूचना नहीं दी गई थी और प्रतिवेदन के संबंधित खण्डों में इसका उल्लेख किया गया है। अपूर्ण अथवा सूचना की अनुपलब्धता ने लेखापरीक्षा विश्लेषण को बाधित किया और इन विषयों पर साकल्यवादी अखिल भारतीय टिप्पणी प्रस्तुत करने को नियंत्रित किया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि भरे जाने के लिए 45 भिन्न प्रोफार्मा के साथ राज्य महालेखाकारों द्वारा राज्य कैम्पाओं से सम्पर्क किया गया है और ये प्रोफार्मा वन विभाग अथवा राज्य कैम्पा में प्रयोग में नहीं थे और लेखापरीक्षा दल ने प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर/समय उन्हे नहीं दिया।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मांगी गई सूचनाएं परियोजनाओं के किसी निर्माण के लिए मौलिक थीं जो वानिकी निर्बाधनों के लिए दी गई थीं। इसके अलावा हमने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 30 राज्य/यूटी में से 23[4] अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए 45 प्रोफार्मा में मांगी गई अधिकांश सूचना देने के लिए समर्थ थे। चूंकि अधिकांश राज्य/यूटी अपेक्षित सूचना दे सके इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि न तो समय निर्धारित किया गया और न ही मांगी गई सूचना की मात्रा अनुचित थी बशर्ते मूल अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किए गए होते।

1.16. ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना और उत्तरों की प्राप्ति

प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के कार्यचालन पर ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 15 मार्च 2013 तक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अपनी टिप्पणियां भेजने और प्रतिवेदन में उल्लिखत तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए 31 जनवरी 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा तदर्थ कैम्पा को जारी किया गया था। सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तर भेजने के लिए अतिरिक्त समय और लेखापरीक्षा दल के सदस्यों के साथ एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को एक अवसर देने के लिए 8 मार्च 2013 को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया ताकि आवश्यक स्पष्टीकरण दिए जा सकें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्तर भेजने के लिए समय 31 मार्च 2013 तक बढ़ाया गया था और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग) तथा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच 2 अप्रैल 2013 को बैठक हुई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा के आंशिक उत्तर 11 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुए थे। सचिव एमओईएफ तथा महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव के साथ मामला उठाए जाने के बाद महीनिरीक्षक वन (एफसी) से मई तथा जून 2013 में उत्तर प्राप्त हुए थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से सम्बन्धित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों तथा आकडों की पुष्टि नहीं की है परन्तु हर जगह कहा है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए राज्य वार लेखा विवरणों से ब्यौरे प्राप्त किए जाएं। इस कार्यालय को भेजे गए लेखाओं के विवरण तथा तुलनपत्र अपूर्ण, उचित रूप से प्रमाणित नहीं थे और न ही विशेष कार्य अधिकारी/वित्तीय सलाहकार/महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव द्वारा हस्ताक्षरित थे, और न ही आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे। इसलिए इस रूप में इन अभिलेखों की कोई वैधता

[4] सात राज्य/यूटी (आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा सिक्किम) ने आंशिक सूचना दी।

नहीं थी और केवल ड्राफ्ट दस्तावेज थे तथा वर्तमान प्रभावित सूचना के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन (2007) के विनियम 208 के अनुसार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में स्पष्टतया बताया जाना चाहिए कि क्या विभाग ने ड्राफ्ट प्रतिवेदन के तथ्य तथा आंकड़े स्वीकार कर लिए हैं, यदि नही तो विधिवत प्रमाणित सुसंगत दस्तावेजों तथा साक्ष्य द्वारा समर्थित कारण बताए जाने थे। यह प्रतिवेदन में तथ्यों तथा आंकडों की विशेष रूप से पुष्टि करने के अनुरोध के साथ 30 अप्रैल 2013 को सचिव एमओईएफ तथा सीईओ तदर्थ कैम्पा और 15 मई 2013 तथा 27 मई 2013 को महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव के ध्यान में लाया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि दो अथवा अधिक भिन्न अनुभागों/समूहों (तदर्थ कैम्पा, राज्य कैम्पा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) को लेखापरीक्षा उद्देश्यों में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए और आगे बताया कि तदर्थ कैम्पा को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और/अथवा राज्य/यूटी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने की कोई शक्ति अथवा अधिकार नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तदर्थ कैम्पा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन शाखा एक ही अधिकारी अध्यक्ष हैं अर्थात डीजीएफएण्डएसएस तथा आईजी वन तदर्थ कैम्पा के अध्यक्ष तथा सीईओ दोनों भी हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2000 में उचित प्रतिपूरक वनरोपण करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर निर्धारित किया था और कहा कि वन निर्बाधन देने के समय पर निर्धारित शर्तों की निगरानी करना मंत्रालय का काम था। मंत्रालय को अन्तिम उत्तरदायित्व लेना चाहिए क्योंकि अधिदेश के अनुसार जानवरों का कल्याण और रोकथाम तथा पर्यावरण का उपशमन सुनिश्चित करने के लिए झीलों तथा नदियों, इनकी जैवविविधता, वन तथा वन्य जीव सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित भारत की पर्यावरण तथा वन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्र सरकार की नोडल मंत्रालय है।

1.17. लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संघटन

लेखापरीक्षा में विनियामक अधिनियमों, नियमों, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मार्गनिर्देशों के प्रावधानों के सम्बन्ध में सीए निधियों के प्रबन्धन के साथ–साथ प्रतिपूरक वनरोपण की योजना के घटकों की समीक्षा की गई। आपत्तियों पर अध्याय II से VII में चर्चा की गई है।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय II का सम्बन्ध वन भूमि के विपथन तथा प्रतिपूरक वनरोपण से है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय III का सम्बन्ध प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संग्रहण से है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय IV का सम्बन्ध प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के उपयोग से है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय V का सम्बन्ध संचित प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के निवेश से है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय VI का सम्बन्ध निरीक्षण प्रबन्धों से है।
- इस प्रतिवेदन के अध्याय VII का सम्बन्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट निष्कर्षों से है।

अध्याय - II

वनभूमि का विपथन तथा प्रतिपूरक वनरोपण

2.1. प्रस्तावना

2.1.1. प्रतिपूरक वनरोपण विनियमित करने वाले प्रावधान

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीएक्ट) के अधीन 3.1(i) के अनुसार गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के अनारक्षण अथवा विपथन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों में वनरोपण अति महत्वपूर्ण शर्त है। यह अनिवार्य था कि ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाए।

इसके अलावा एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.2(i) के अनुसार निम्नलिखित के अध्यधीन गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर सीए किया जाना था :

- जहाँ तक संभव हो सीए के लिए गैर वन भूमि की नवीन रोपित क्षेत्र का प्रभावी रूप से प्रबन्ध करने में वन विभाग को समर्थ बनाने के लिए आरक्षित वन तथा संरक्षित वन की निकटता में अथवा निकटस्थ पहचान की जानी चाहिए।

- यदि उसी जिले में सीए की गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं थी तो सीए के लिए गैर वन भूमि की विपथन के स्थान के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी पहचान की जानी था ताकि क्षेत्र के माइक्रो इकोलाजी पर निम्नतम प्रतिकूल प्रभाव हो।

- जहाँ गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं थी अथवा गैर वनभूमि विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र से कम मात्रा में उपलब्ध थी तो विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र के अथवा विपथित की जा रही वन भूमि और उपलब्ध गैर वन भूमि के बीच अन्तर, जैसा भी मामला हो, के दो गुने निम्नीकृत वन पर सीए किया जाए।

- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सीए के लिए उचित गैर वनभूमि की अनुपलब्धता केवल राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव के इस आशय के प्रमाण पत्र पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाएगी।

पैरा 3.2(i) के नीचे स्पष्टीकरण प्रावधान करता है कि उपयोगितावाद के मामले में राजस्व भूमि/जुडपी जंगल/छोटे/बड़े झाड़ का जंगल/जंगली झाडी भूमि/सिविल सोयम भूमि और भूमि की सभी अन्य ऐसी श्रेणियां, जिन पर एफसी अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं, पर प्रतिपूरक वनरोपण के प्रयोजन हेतु

विचार किया जाएगा बशर्ते ऐसी भूमि, जिस पर प्रतिपूरक वनरोपण प्रस्तावित है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन आरक्षित वन (आरएफ) के रूप में अधिसूचित की जाएगी।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.2(i) वन में निर्धारित सामान्य शर्तों के अपवाद नीचे सूचीबद्ध हैं :

- एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.2(vi) के अनुसार परियोजना की कुछ श्रेणियों को बराबर गैर वनभूमि देने से मुक्त किया गया है। ऐसे मामलों में सीए विपथित/अनारक्षित किए किए जा रहे वन क्षेत्र की मात्रा के दो गुनी निम्नीकृत वन भूमि पर उत्पन्न किया जाए।

- नियम 3.2(viii) के अनुसार एक हैक्टेयर तक वन भूमि के विपथन, वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पेडों की सफाई, तीन मीटर से नीचे वन भूमि में भूमिगत खनन आदि जैसी परियोजनाओं की कुछ श्रेणी में सीए करने पर बल नहीं दिया जाना है।

- नियम 3.2(ix) के अनुसार केन्द्र सरकार/केन्द्र उपक्रम परियोजनाओं के मामले में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र के लिए जोर दिए बिना विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र की मात्रा को दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सीए किया जाना है।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशो के पैरा 3.4(i) में उद्द्देश्य हेतु पहचान की गई समान गैर वन भूमि राज्य वन विभाग के स्वामित्व में हस्तांनरित करनी थी और आरक्षित/संरक्षित वन (आर एफ/पी एफ) घोषित की जानी थी ताकि किया वनरोपण स्थायी रूप से रख रखाव में आ सके। यह हस्तांन्तरण योजना के शुरू होने से पहले होना चाहिए ।

2.1.2. वन निर्बाधन देने की कार्यविधि

वन (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2004 के खण्ड 6 के अनुसार प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी, जो अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु किसी वन भूमि के उपयोग की मांग करती है, को सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकार के नोडल अधिकारी को प्रस्ताव करना और समबन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त रसीद की प्रति के साथ साथ प्रस्ताव की प्रति पृष्ठांकित करना अपेक्षित है। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राज्य/यूटी सरकार से संसाधित करने और प्रस्ताव की प्राप्ति के दो सौ दस दिनों की अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार को भेजने की अपेक्षा की जाती है।

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और सन्तुष्ट होने पर कि प्रस्ताव सभी प्रकार पूर्ण है और अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करता है, पर राज्य/यूटी सरकार के नोडल कार्यालय से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी को प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की जाती है। मण्डल वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक प्रस्ताव के वास्तविक ब्यौरों तथा व्यवहार्यता की जांच, मानचित्र प्रमाणित, स्थल निरीक्षण, और पेडों की गिनती करेगा और ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के 90 दिनों की अवधि के अन्दर नोडल अधिकारी को निष्कर्ष

भेजेगा। नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सिफारिशों के साथ–साथ राज्य/यूटी सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। राज्य/यूटी सरकार अपनी सिफारिशों के साथ–साथ पूर्ण प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, को भेजेगी।

क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति[5] खनन तथा अतिक्रमणों से सम्बन्धित प्रस्ताव को छोड़कर 40 हैक्टेयर तक वन भूमि के विपथन वाले प्रस्ताव पर निर्णय करने को अधिदेशित है। 40 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव और खनन तथा अक्रिमणों से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव क्षेत्र का विचार किए बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

वन निर्बाधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत दिए जाने हैं। पांच हैक्टेयर तक वन भूमि के विपथन वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य वन संरक्षक अन्तिम निर्बाधन (खनन पटटों को छोड़कर) देता है। पांच हैक्टेयर (खनन पटटों की सभी श्रेणियों सहित) से अधिक वन क्षेत्र के विपथन वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्बाधन वन परामर्श समिति की सलाह पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। महा–निदेशक वन एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समिति का सभापति होता है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन निर्बाधन देता है। महानिरीक्षक वन (वन संरक्षण) समिति का सदस्य सचिव है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी एक्ट 1980) के अधीन जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 4.2(i) के अनुसार वन भूमि के विपथन के लिए वानिकी निर्बाधन दो चरणों में दिया जाना है। प्रथम चरण पर प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दी जानी है। प्रतिपूरक वनरोपण के लिए बराबर गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत हस्तान्तरण परिवर्तन तथा आरक्षित वन/संरक्षित वन की घोषणा और उस पर प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए निधियों से सम्बन्धित शर्तें इस चरण पर लगाई जाती हैं। राज्य सरकार से निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन जारी किया जाता है जिसे निर्बाधन का द्वितीय चरण अथवा अन्तिम निर्बाधन कहा जाता है।

वन निर्बाधन जारी करने की कार्यविधि फ्लो चार्ट 4 में प्रतिलक्षित है ।

---

[5]अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय प्रधान मुख्य संरक्षक और सदस्य सचिव के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय में वन संरक्षक/उप संरक्षक तथा खनन, सिविल इंजीनियरिंग और विकास अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

चार्ट 4 : गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि विपथित करने की अनुमति देने की कार्यविधि का फ्लोचार्ट

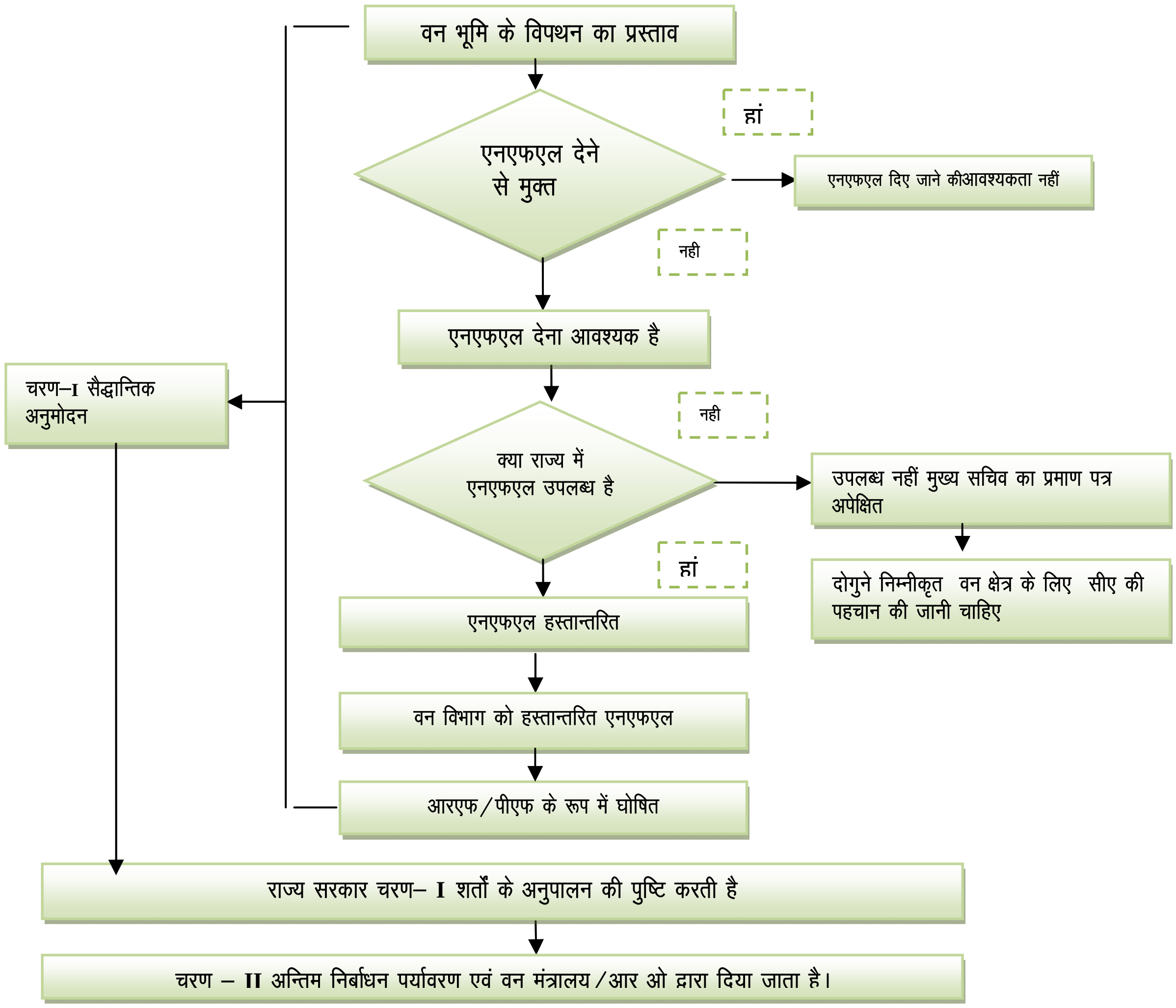

एनएफएल– गैर वनभूमि, सीए – प्रतिपूरक वनरोपण, पीएफ–संरक्षित वन, आरएफ–आरक्षित वन

हमने प्रतिपूरक वनरोपण की लेखापरीक्षा की और लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित छः विषयों में वर्गीकृत की गई है

- वन भूमि के विपथन में नियमक कमियां,
- प्रतिपूरक वनरोपण बढ़ाने में विफलता,
- खनन पटटे देने/नवीकरण नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन,
- पर्यावरणीय विषय,
- भूमि प्रबन्धन के अन्य विषय, और
- दण्ड खण्ड का अपर्याप्त तथा अप्रभावी प्रयोग

2.2. वन भूमि के विपथन में नियामक कमियां

2.2.1. विपथित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि की अप्राप्ति

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों का पैरा 3.2(i) से (v) कहते हैं कि प्रतिपूरक वनरोपण गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर किया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/आरओ से लेखापरीक्षा में संग्रहीत विपथित वन भूमि तथा उसके स्थान पर 2006–12 के बीच दी गई गैर वन भूमि के राज्य वार ब्यौरे तालिका 4 में दिए गए हैं।

तालिका 4 : विपथित वन भूमि तथा कमप्राप्त गैरवन भूमि के राज्यवार ब्यौरे (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/आरओ के अभिलेखों के अनुसार)

(हैक्टेयर में)

क्र. सं. (i)	राज्य (ii)	आरओ के अनुसार विपथित वन भूमि (iii)	मुक्त श्रेणी^ (iv)	मुक्त श्रेणी छोड़कर विपथित वनभूमि (v)	आरओ के अनुसार प्राप्त एनएफएल (vi)	कम प्राप्त एमएफएल (vii)	कम प्राप्त एनएफएल की प्रतिशतता (viii)(vii)* 100/(v)
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	84.55	4.07	80.48	56.88	23.60	29
2	आंध्र प्रदेश	13,774.57	208.18	13,566.39	9,512.17	4,054.22	30
3	अरूणाचल प्रदेश	2,070.84	1,386.70	684.14	89.49	594.65	87
4	असम	631.17	587.29	43.88	28.50	15.38	35
5	बिहार	3,052.36	4.03	3,048.33	2,029.80	1,018.53	33
6	चण्डीगढ़	7.55	1.35	6.20	6.87	(-)0.67	-
7	छत्तीसगढ़	20,461.70	5.51	20,456.19	0	20,456.19	100
8	दिल्ली	23.09	0.94	22.15	0	22.15	-
9	गोवा	1,513.09	0	1,513.09	60.85	1,452.24	96
10	गुजरात	1,882.39	115.02	1,767.37	0	1,767.37	100
11	हरियाणा	1,762.18	543.97	1,218.21	43.79	1,174.42	96
12	हिमाचल प्रदेश	2,978.42	2,045.57	932.85	0	932.85	-
13	जम्मू तथा कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न
14	झारखण्ड	8,328.45	8.45	8,320.00	2,989.82	5,330.18	64
15	कर्नाटक	5,645.14	546.23	5,098.91	3,053.74	2,045.17	40
16	केरल	171.60	95.61	75.99	25.32	50.67	67
17	मध्यप्रदेश	20,795.72	55.20	20,740.52	0	20,740.52	100
18	महाराष्ट्र	2,911.45	44.23	2,867.22	0	2,867.22	100
19	मणिपुर	298.88	32.88	266.00	60.00	206.00	77
20	मेघालय	132.44	12.88	119.56	0	119.56	-
21	मिजोरम	0.59	0.59	0	0	0	0
22	ओडिशा	8,820.77	6.06	8,814.71	5,261.96	3,552.75	40
23	पंजाब	3,039.41	889.85	2,149.56	0	2,149.56	100

क्र. सं. (i)	राज्य (ii)	आरओ के अनुसार विपथित वन भूमि (iii)	मुक्त श्रेणी^ (iv)	मुक्त श्रेणी छोड़कर विपथित वनभूमि (v)	आरओ के अनुसार प्राप्त एनएफएल (vi)	कम प्राप्त एमएफएल (vii)	कम प्राप्त एनएफएल की प्रतिशतता (viii)(vii)* 100/(v)
24	राजस्थान	8,248.04	95.38	8,152.66	584.97	7,567.69	93
25	सिक्किम	1,411.04	1,059.50	351.54	0	351.54	-
26	तमिलनाडु	298.15	28.82	269.33	230.01	39.32	15
27	त्रिपुरा	299.89	108.47	191.42	10.91	180.51	94
28	उत्तरप्रदेश	1,239.20	121.96	1,117.24	535.23	582.01	52
29	उत्तराखण्ड**	4,759.38	3,478.37	1,281.01	3,315.23	(-)2,034.22	-
30	पश्चिम बंगाल	235.20	8.24	226.96	190.36	36.60	16
	जोड़	**1,14,877.26**	**11,495.35**	**1,03,381.91**	**28,085.90**	**75,905.47***	**73**

**इसमें दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में मुख्य सचिव से एनएफएल अनुपलब्धता प्रमाणपत्र उपलब्ध थे।*

***उत्तराखण्ड के लिए सिविल सोयम भूमि प्राप्त हुई बताई गई है परन्तु दस्तावेज नहीं दिखाए गए।*

^आरओ भोपाल तथा लखनऊ ने मुक्त परियोजनाओं की सूची नहीं भेजी। ये इन आरओ द्वारा दी गई परियोजनाओं की संकलित सूची से परिकलित किए गए थे।

उ.न.–उपलब्ध नहीं

चार्ट 5 : विपथित वन भूमि तथा कम प्राप्त गैर वन भूमि के ब्यौरे (है.मैं)

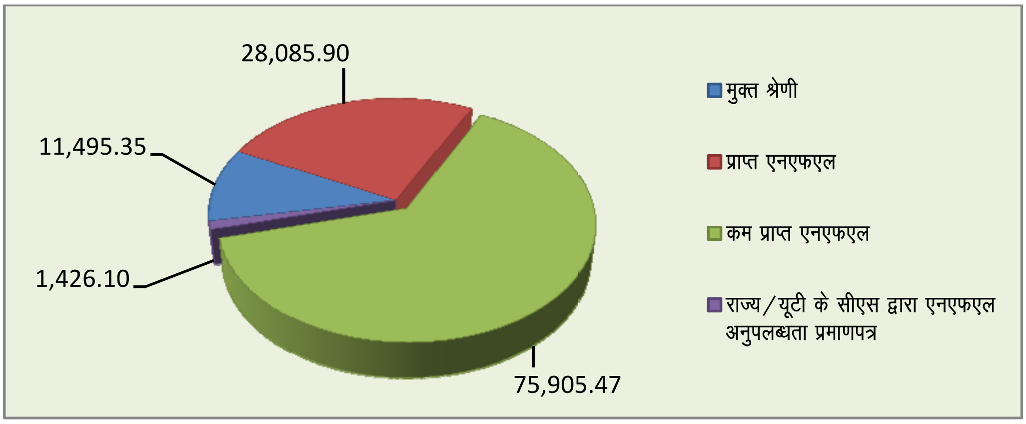

मुक्त श्रेणी को छोड़कर विपथित वन भूमि और उसके बदले में प्राप्त गैर वन भूमि की तुलना चार्ट 6 में दी गई है।

चार्ट 6 : कम प्राप्त गैर वन भूमि की प्रतिशतता दर्शाने वाला चार्ट

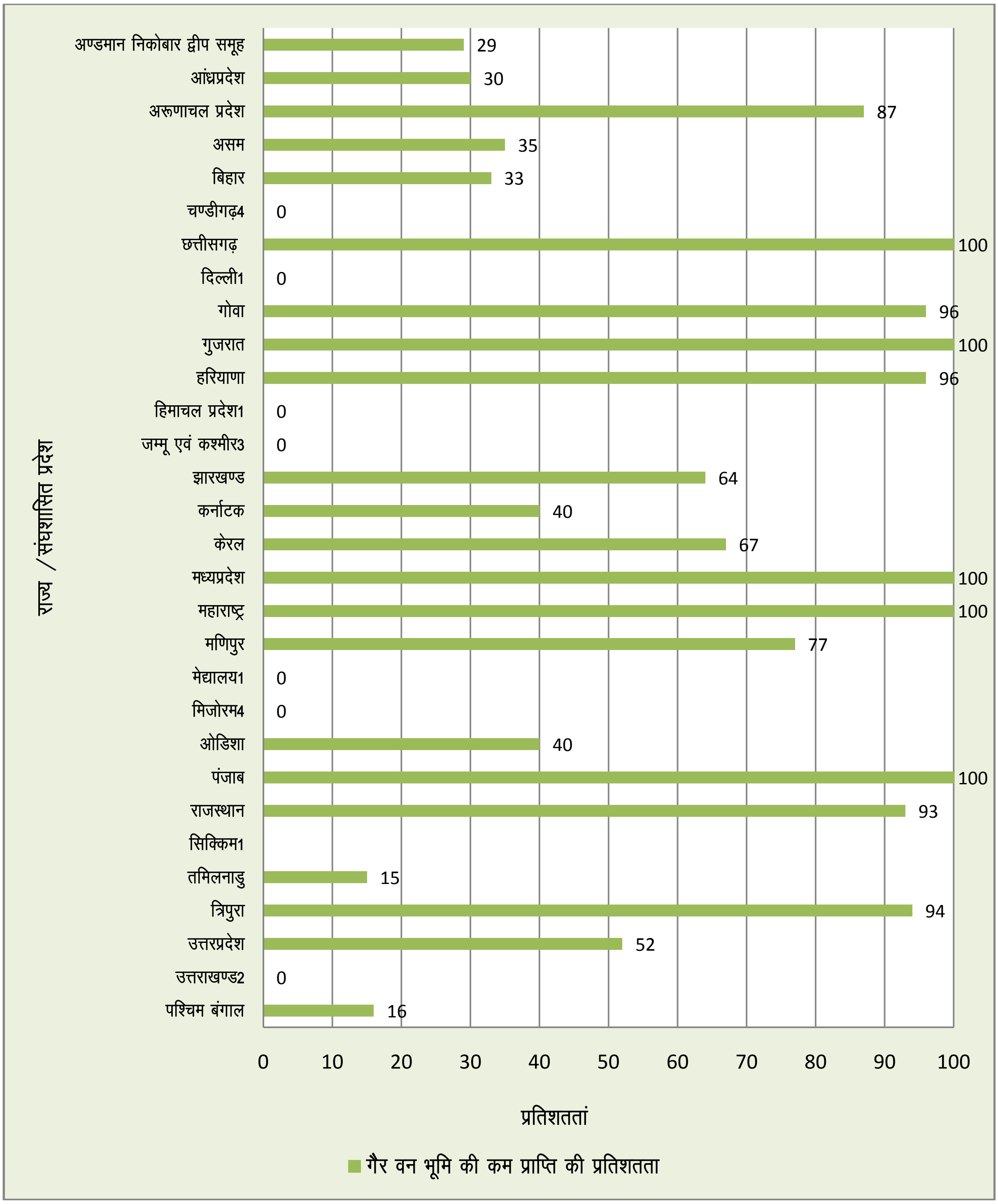

1 दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम में अधिकांश मामलों में एनएफएल की अनुपलब्धता से सम्बन्धित मुख्य सचिव से प्रमाणपत्र उपलब्ध थे।

2 उत्तराखण्ड के लिए विपथित वन भूमि की दोगुनी मात्रा में सिविल सोयम भूमि प्राप्त हो गई बताई गई है।

3 जम्मू एवं कश्मीर के लिए डाटा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिया गया था।

4 चण्डीगढ़ में सभी गैर वन भूमि प्राप्त हो गई थी और मिजोरम में वन भूमि के सभी विपथन मुक्त परियोजनाओं के लिए था।

उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह देखा गया कि:

i. आरओ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 2006–12 की अवधि के दौरान विपथित कुल भूमि 1,14,877.26 हैक्टेयर थी। परियोजनाओं की मुक्त श्रेणियों को छोड़कर गैर वन भूमि 1,03,381.91 हैक्टेयर थी। परन्तु उसके प्रति केवल 28,085.90 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी। चार राज्यों[6] में 1,426.10 हैक्टेयर गैर वन भूमि का अनुपलब्धता प्रमाणपत्र उपलब्ध थे। इसलिए 75,905.47 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त नहीं हुई थी जो प्राप्य गैर वन भूमि का 73 प्रतिशत थी।

ii. गैर वन भूमि के कम प्राप्ति से सम्बन्धित राज्य/यूटीवार स्थिति संक्षिप्त में नीचे दी गई है :

एनएफएल की कम प्राप्ति की प्रतिशतता	राज्य/यूटी
0 से 25	चण्डीगढ़, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल
26 से 50	अण्डमान एवं निकोबार, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक तथा ओडिशा
51 से 75	झारखण्ड, केरल तथा उत्तरप्रदेश
76 से 100	अरूणाचलप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब राजस्थान तथा त्रिपुरा

iii. जम्मू एवं कश्मीर के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/आरओ द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मिजोरम में गैर वन भूमि प्राप्त होने को अपेक्षित नहीं थी। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाणपत्र अधिकांश मामलों में प्राप्त हो गया था। उत्तराखण्ड में गैर वन भूमि क बदले सिविल सोयम भूमि प्राप्त हो गई थी जो विपथित वन भूमि के प्रति 100 प्रतिशत थी।

iv. हमने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा आरओ के अभिलेखों की यह सत्यापन करने के लिए नमूना जांच की कि क्या प्राप्त सूचित की गई और वन भूमि राज्य वन विभाग (एसएफडी) के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित की गई थी। लेखापरीक्षा में संवीक्षित आरओ/एमओईएफ से संबंधित सभी 167 फाइलों में इस भूमि के हस्तान्तरण तथा परिवर्तन दर्शाने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा एमओईएफ (अनुबन्ध 3) में 52 विशिष्टि फाइलों की नमूना जांच में भी पता चला कि सीए के लिए पहचानी गई 2,310.86 हैक्टेयर गैरवन भूमि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित /परिवर्तित नहीं की गई थी।

परिणामत, यह पाया गया था कि न तो राज्य नोडल अधिकारी/पी सी सी एफ और ना ही एमओईएफ ने गैर वन भूमि की प्राप्ति सुनिश्चित की और प्रयोक्ता एजेंसियों से बराबर गैर वन भूमि की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सदस्य

[6] दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय व सिक्किम

सचिव के रूप में महानिरीक्षक वन (वन संरक्षण) वाली समिति द्वारा अन्तिम निर्बाधन दिए गए थे। अतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपने ही वानिकी परिसीमन शर्तों के पालन को जांचने में असफल रहा ।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि इस पैरा में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्तिया राज्य विशेष थीं और इसलिए सीधे राज्यों द्वारा विस्तार में उत्तर दिए जाएंगे और डाटा अपूर्ण सूचना पर आधारित होने प्रतीत होते हैं इसलिए पूर्णतया सही नहीं हैं। एमओईएफ ने दावा किया कि मुक्त श्रेणी की परियोजनाओं के लिए विपथित वन भूमि के क्षेत्र का सकल कम अनुमान हुआ था। इसके समर्थन में यह कहते हुए उदाहरण के रूप में ओडिशा का हवाला दिया कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के प्रतिकूल की ओडिशा में 2006 तथा 2012 के बीच सभी श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए विपथित वन भूमि के क्षेत्र में से केवल 6.05 हैक्टेयर मुक्त श्रेणी का था, एमओईएफ के अभिलेखो के अनुसार केवल 19 परियोजनाओं से सम्बन्धित 3,150.09 हैक्टेयर वन भूमि, में से 1,885.13 हैक्टेयर मुक्त श्रेणी का था। यह मुक्त परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को शामिल न कर लेखापरीक्षा द्वारा विपथित भूमि को कम अनुमान के कारण बताया गया। उन्होने आगे बताया कि उन्होनें यह जाँच करने, कि क्या सीए के लिए अपेक्षित गैर वन भूमि, जहाँ लागू हो, हस्तान्तरित की गई थी और एसएफडी के पक्ष में परिवर्तित की गई थी और भारतीय वन अधिनियम, 1927/स्थानीय वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की गई थी, के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव किया। यह समिति अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी भूमि की अद्यतन सूची तैयार करेगी और भूमि अभिलेखों के साथ इनका मिलान करेगी और कि एमओईएफ उचित समय अर्थात ऐसे निर्देश जारी करने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सम्बन्धित राज्य वन विभाग के पक्ष में गैर वन भूमि का हस्तान्तरण तथा परिवर्तन सुनिशचित करने के लिए उचित निर्देश जारी करेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत सूचना एमओईएफ/आरओ से संग्रहीत की गई है और मंत्रालय के अभिलेखों पर आधारित है। ये तथ्यों तथा आंकड़ो की पुष्टि के लिए आरओ तथा एमओईएफ दोनों को जारी की गई थी जिन्होनें न तो आंकडों की पुष्टि की और न ही प्रमाणित वैकल्पिक आंकड़े प्रस्तुत किए। उत्तर केवल एमआईएस और एक सन्तुलित निगरानी प्रणाली के अभाव की लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। एमओईएफ ने अपने उत्तर में केवल ओडिशा के एक उदाहरण को उद्धरित किया था और कहीं भी सूचना/तथ्यों/आंकड़ों, जैसे एमओईएफ/आरओ से लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहीत किए गए, की विशेष रूप से और सुस्पष्ट रूप से पुष्टि, खण्डन अथवा संशोधित नहीं किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए एमओईएफ के पास कोई तन्त्र नहीं है कि सम्पूर्ण एनएफएल, जो हस्तान्तरित और राज्य विभागों के पक्ष में परिवर्तित किए जाने के लिए देय है, वास्तव में प्राप्त तथा परिवर्तित की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर स्थिति और भी चिन्ताजनक है कि ऐसे हस्तान्तर तथा परिवर्तन वन भूमि का विपथन अनुमत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त है कि देश की वन भूमि समाप्त नहीं की गई है और अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व पूरी अवश्य की जानी है। यह भी चिन्ता का विषय है कि यद्यपि प्रमुख शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना अन्तिम निर्बाधन दिए गए थे, जिसने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3ए के अन्तर्गत शास्ति खण्ड के उपयोग को आमंत्रित किया।

2.2.2. वन विभाग को गैर वन भूमि का हस्तान्तर आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित न करना

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों का पैरा 3.4 (i) कहता है कि इस प्रयोजन हेतु पहचानी गई बराबर गैर वन भूमि राज्यवन विभाग के स्वामित्व को हस्तान्तरित तथा आरक्षित/संरक्षित वन (आरएफ/पीएफ) के रूप में घोषित की जानी है ताकि किए गए रोपण को स्थाई रूप से अनुरक्षित किया जा सके। हस्तान्तरण परियोजना के आरम्भ से पूर्व किया जाना था।

क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त डाटाः

आरओ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि 28,085.90 हैक्टेयर थी। साक्ष्य कि ऐसे प्राप्त सम्पूर्ण एनएफएल वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित तथा परिवर्तित की गई थी, के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।हमने आगे देखा कि इस प्रकार प्राप्त भूमि गैर वन भूमि सौंपने के छः माह के अन्दर राज्य वन विभाग द्वारा आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित नहीं की गई थी जो किया जाना अपेक्षित था। क्षेत्रीय कार्यालयों/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में जांचे गए विशेष मामलों पर हमारी आपत्तियां नीचे दी गई है :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि जाँचे गए 52 मामलोंमें से 30 मामलों (अनुबंध 4) में राज्य सरकारों को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा दी गई 11,033.28 हैक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित/अधिसूचित नहीं की गई थी।

- आरओ शिलांग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध सितम्बर 2011 में आयोजित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के नोडल अधिकारियों की पहली तिमाही की कार्यसूची के अनुसार 5,921.03 हैक्टेयर गैर वन भूमि (10 परियोजनाओं में शामिल) पर्यावरण एवं वन विभाग, मिजोरम सरकार को मिजो जिला (भूमि एवं राजस्व) अधिनियम 1956 के अधीन 1996 से 2010 तक की अवधि के दौरान आरक्षित वनों के रूप में राज्य राजस्व विभागद्वारा हस्तान्तरित तथा अधिसूचित की गई थी परन्तु यह मिजोरम वन अधिनियम, 1955 की धारा 15 से 21 के अन्तर्गत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित नहीं की गई थी। चूंकि पूर्वोत्तर राज्य भारत के संविधान की 6 वीं अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं इसलिए ये आरक्षित वन भूमि मिजोरम वन अधिनियम 1955 की धारा 15 से 21 के अन्तर्गत सरकारी आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किए जाने थे।यह 15 वर्षों से लम्बित था।

राज्य अधिकारियों से प्राप्त डाटाः

प्राप्त गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में इसका हस्तान्तर/परिवर्तन और आरएफ/पीएफ के रूप में इसकी घोषणा की स्थिति भी राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारी/राज्य वन विभाग से प्राप्त की गई थी और अनुबंध 5 में है। राज्य एजेंसियों द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 2006–2012 की अवधि के दौरान राज्य वन विभागों द्वारा प्राप्त 23,246.80 हैक्टेयर गैर वन भूमि में से 11,294.38 हैक्टेयर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित की गई थी जिसका केवल 3,279.31 हैक्टेयर आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी।

दो एजेंसियों से प्राप्त परस्पर विरोधी तथा असंगत डाटा गम्भीर चिन्ता का मामला है। डाटा को दोनो सेट ने दर्शाया कि अन्तिम निर्बाधन वन विभाग को एनएफएल का हस्तान्तर/परिवर्तन और आरएफ/और पीएफ के रूप में इन क्षेत्रों की अधिसूचना सुनिश्चित किए बिना दिये गए थे जो एफसी एक्ट के अनुसार सैद्धान्तिक शर्तों में लगाई गई शर्तों के सम्पूर्ण उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन ने शास्तिक दण्ड के उपयोग को आमंत्रित किया।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि तथ्य यह शेष रहता है कि सीए के लिए पहचानी गए गैर वन क्षेत्र आरएफ/पीएफ के रूप में घोषणा समय लेने वाली कार्यविधि है इसलिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई विविध प्रशासनिक कार्यविधियों और आरएफ/पीएफ के रूप में क्षेत्र की घोषण करने में जनता विरोध की विभिन्न मात्रा, राज्यों द्वारा आरएफ/पीएफ के रूप में क्षेत्र की घोषणा करने में जनता विरोध की विभिन्न मात्रा, राज्यों द्वारा आरएफ/पीएफ के रूप में वन क्षेत्र की घोषणा में एकरूपता तथा तत्परता को ध्यान में रखकर हमेशा सम्भव नहीं है। तथापि आरएफ/पीएफ के रूप में सीए क्षेत्र की घोषणा में पर्याप्त प्रगति की गई है। एमओईएफ ने आगे बताया कि अन्य बातों के साथ यह अभिनिश्चित करने कि क्या सीए उत्पन्न करने के लिए एडीएफ के पक्ष में हस्तान्तरित तथा परिवर्तित सीए के लिए अपेक्षित गैर वन भूमि, जहाँ कहीं लागू हो, आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी, प्रत्येक प्रस्ताव जिसके लिए गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि के विपथन के लिए एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन दिया गया था, की जांच करने के लिए राज्य/संघ सरकारों के परामर्श से एक समिति गठित की जाएगी।

एमओईएफ ने यह स्वीकार करते हुए कि राज्यों द्वारा आरएफ/पीएफ के रूप में वन क्षेत्र की घोषणा में एकरूपता तथा तत्परता हमेशा सम्भव नहीं हो सकती है, दावा किया कि आरएफ/पीएफ के रूप में पर्याप्त प्रगति की गई थी। एमओईएफ का यह दावा मान्य नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट छः माह अवधि के अन्दर आरएफ/पीए के रूप में गैर वन भूमि की घोषणा की कोई प्रगति राज्य/आरओ अभिलेखों के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान देखी नहीं गई है। उत्तर मंत्रालय के स्तर पर एमआईएस अथवा निगरानी की पूर्ण कमी को स्पष्ट नहीं करता है। यह इसके द्वारा पूर्ण सूचित निर्णय के विषय पर आलोचनात्मक है।

2.2.3. निम्नीकृत वन के दोगुने क्षेत्र पर वनरोपण के लिए भुगतान करने की अनियिमित अनुमति

जहॉ गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र के कम मात्रा में उपलब्ध है वहॉ विपथित किए जा रहे क्षेत्र अथवा विपथित की जा रही वन भूमि और उपलब्ध गैर वन भूमि, जैसा भी मामला हो, के बीच अन्तर की मात्रा के दोगुने निम्नीकृत वन पर प्रतिपूरक वनरोपण किया जाए।

एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.2 (v) के अनुसार सम्पूर्ण राज्य/यूटी में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त गैर वन भूमि की अनुपलब्धता केवल राज्य/यूटी सरकार के मुख्य सचिव से इस आशय के प्रमाणपत्र पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाएगी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मामले में उप/मंडल आयुक्त द्वारा जारी किया जाना है।

लेखापरीक्षा में राज्य/यूटी के मुख्य सचिव के अपेक्षित प्रमाणपत्र के बिना दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि में दोहरे क्षेत्र पर सीए अनुमत करने के द्वारा गैर वन उपयोगों हेतु विपथित वन भूमि का डाटा संग्रहीत करने

का प्रयास किया गया। वन विभाग, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा मे नमूना जांचित मण्डलों (जहॉ नोडल अधिकारियों ने सूचना नहीं दी) से संग्रहीत ब्यौरे तालिका 5 में हैं।

तालिका 5 : राज्य/यूटी के मुख्य सचिव के अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त न किया जाना

क्रं सं.	राज्य	राज्य वन विभाग के अनुसार विपथित वन भूमि (है.में)	क्या उचित अधिकारी से सम्पूर्ण राज्य/यूटी में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाणपत्र किया गया था।
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	117.74	प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं था क्योंकि सभी भूमि सरकारी विभागों को विपथित की गई थी और यूटी होने पर सभी विभाग केन्द्र सरकारी विभाग हैं।
2	आंध्रप्रदेश	14,208.60	नहीं
3	अरूणाचल प्रदेश	2,547.16	नहीं
4	असम	2,523.35	नहीं
5	बिहार	2,286.25	नहीं
6	चण्डीगढ़	8.67	प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं था क्योंकि सभी वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन क्षेत्रों के बदले विपथित/हस्तान्तरित की गई।
7	छत्तीसगढ़	8,389.40	राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीए के लिए राज्य में 5.78 लाख हैक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध होने के बावजूद, नहीं ।
8	दिल्ली	40.29	10 में से 2 मामलों (2.22 है.) में मुख्य सचिव प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
9	गोवा	728.94	नहीं
10	गुजरात	5,795.82	नहीं
11	हरियाणा	2,154.89	नहीं
12	हिमाचल प्रदेश	4,080.23	8,240.04 है. दोगुनी निम्नीकृत भूमि पर सीए के लिए मुख्य सचिव प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, 7.56 है. के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया।
13	जम्मू एवं कश्मीर	3,967.46	जे एण्ड के के सम्बन्ध में उप/मंडल आयुक्त द्वारा जारी किया जाना है। अधिकांश प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे और कुछ मामलों में प्रमाणपत्र स्वयं प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जारी किए गए थे।
14	झारखण्ड*	15,881.06	नहीं
15	कर्नाटक	3,354.11	नहीं
16	केरल	156.07	उ.न.
17	मध्यप्रदेश	9,753.47	नहीं
18	महाराष्ट्र	6,361.09	नहीं
19	मणिपुर	33.88	नहीं
20	मेघालय	245.33	114.02 हैक्टेयर के लिए 2008–09 में प्राप्त

कं सं.	राज्य	राज्य वन विभाग के अनुसार विपथित वन भूमि (है.में)	क्या उचित अधिकारी से सम्पूर्ण राज्य/यूटी में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाणपत्र किया गया था।
21	मिजोरम	128.28	नहीं
22	ओडिशा**	उ.न.	नहीं
23	पंजाब	2,190.49	उ.न.
24	राजस्थान	2,975.84	नहीं
25	सिक्किम	1,359.91	1,359.91 है0 वन भूमि के लिए प्रमाणपत्र अलग–अलग मामले आधार पर जारी नहीं किए गए थे। तथापि प्रमाणपत्र मुख्य सचिव द्वारा एक बार जारी किए गए थे
26	तमिलनाडु	323.09	नहीं
27	त्रिपुरा	696.22	उ.न.
28	उत्तरप्रदेश	2,995.23	नहीं
29	उत्तराखण्ड	9,669.74	जी हां, मुख्य सचिव ने 2002 तथा 2009 में एक सामान्य प्रमाणपत्र जारी किया। प्रत्येक मामले के लिए अलग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।और गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के शेष मामलो के लिए उसकी फोटोप्रति उपयोग की गई थीं।
30	पश्चिम बंगाल	425.17	उ.न.

** झारखण्ड के आंकड़े 2002 से आगे के हैं।*

*** ओडिशा ने प्राप्त गैर वन भूमि के आंकडे उपलब्ध नहीं कराए।*

उ.न. – उपलब्ध नहीं

उपर्युक्त तालिका 5 से संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि

- 26 राज्यों, जिनसे इस सम्बन्ध सूचना प्राप्त हुई थी, में से 19 में वन भूमि की उपलब्धता मुख्य सचिव/उप अथवा मण्डल आयुक्त[7] द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी। यह पाया गया था कि अन्तिम निर्बाधन सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र/उचित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विपथित वन भूमि की मात्रा के दोगुने निम्नीकृत वन पर प्रतिपूरक वनरोपण अनुमत कर महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिए गए थे।
- दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा मेघालय में अधिकांश मामलों में नियम का पालन किया गया था। सिक्किम में प्रमाणपत्र मुख्य सचिव द्वारा एक बार जारी किया गया था और प्रत्येक मामले में नया प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा सभी मामलों में उसका उपयोग किया गया था।
- उत्तराखण्ड में मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र के आधार पर विपथित वन भूमि की मात्रा के दोगुने में सिविय – सोयम भूमि प्राप्त की गई थी।

[7] जम्मू एवं कश्मीर

- छत्तीसगढ़ में नवम्बर 2006 में राजस्व विभाग ने बताया कि 5.78 लाख हैक्टेयर राजस्व भूमि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए राज्य में उपलब्ध थी, इसके बावजूद निम्नीकृत वन भूमि की मात्रा के दोगुने पर सीए अनुमत किया गया था।
- अण्डमान एवं निकोबार तथा चण्डीगढ़ में लेखापरीक्षाधीन अवधि के लिए प्राप्तय सभी एनएफएल प्राप्त किया गया था। इसलिए प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं था।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि अलग – अलग मामलों के अपेक्षित ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा आपत्ति कि क्या ऐसे मामलों में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था अथवा नहीं, पर टिप्पणी करना एमओईएफ के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। उन्होने आगे बताया कि मात्रा के दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सीए केवल मुक्त श्रेणियों में आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनुमत किया गया था और मेघालय, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुख्य सचिव का अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में प्राप्त सूचना के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र अधिकांश राज्यों/यूटी में प्राप्त नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ के मामले में जबकि मुख्य सचिव ने प्रमाणित किया कि सीए करने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई उपयुक्त गैर वन सरकारी राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं थी" वहीं नवम्बर 2006 में राज्य राजस्व विभाग ने बताया कि सीए के लिए राज्य में 5.78 लाख हैक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध थी। एमओईएफ को विशेष रूप से ऐसी स्थिति में प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता का सत्यापन करनेा चाहिए था। मेघालय में 2008–09 में केवल 114.02 हैक्टेयर के लिए प्रमाणपत्र जारी किया था। पंजाब के मामले में यद्यपि एमओईएफ को पंजाब में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के प्रभाव का मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र कीद एक प्रस्तुत की परन्तु राज्य वन विभान ने सूचित यिका कि विपथित वन भूमि के बदले 1.51 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई थी। यह प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है।

एमओईएफ की अलग–अलग केस फाइलों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि शासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) के मामले में एमओईएफ ने शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में उचित सचेतना नही दिखाई और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उल्लिखित प्रमाणपत्र में कमियों की अबोध्य रूप से अनदेखी की गई तथा मुख्य सचिव द्वारा जारी अपात्र प्रमाण पत्र के आधार पर गैर वन भूमि देने से एस पी एल को मुक्त कर दिया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के ब्यौरे केस स्टडी 1 के रूप में सूचित हैं।

केस स्टडी I

मुख्य सचिव के अनुचित प्रमाणपत्र के आधार पर एमओईएफ द्वारा निर्बाधन और अतिरिक्त वनरोपण की शर्तों का पूरा न किया जाना।

शासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के विकास के लिए बनाया गया विशेष प्रयोजन (एसपीवी) था। एसपीएल विद्युत वित्त निगम के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी थी परन्तु अगस्त 2007 में यह रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को हस्तान्तरित की गई थी।

जून 2007 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले में मै. शासन पावर लिमिटेड के यूएमपीपी के निर्माण के लिए 320.94 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की मांग की। दिसम्बर 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन परियोजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। परियोजना के लिए अन्तिम अनुमोदन अप्रैल 2009 में दिया गया था।

इसके अलावा सितम्बर 2008 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के सीधी वन मंडल (कोयला खनन परियोजना) पूर्व के अन्तर्गत शासन यूएमपीपी के कोयला खनन के लिए स्थानीय ब्लाकों के आवंटन के लिए 1,064.02 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की मांग की। नवम्बर 2009 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन परियोजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। परियोजना के लिए अन्तिम अनुमोदन मई 2010 में दिया गया था।

इन परियोजनाओं में वन भूमि का विपथन अनुमत करने में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी :

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के मार्ग निर्देशों एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एसपीएल को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 1,384.96 हैक्टेयर गैर वनभूमि के बराबर क्षेत्र प्रदान करना था। जहॉं तक संभव हो प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि की सीधी जिले के सन्निकट को अथवा पास में ही पहचान की जानी थी और इस दशा में कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि सीधी जिले में उपलब्ध नहीं थी तब गैरवन भूमि की मध्यप्रेदश में कहीं भी पहचान की जा सकती थी। सम्पूर्ण राज्य में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उचित गैर वन भूमि की अनुपलब्धता केवल मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव से इस आशय के प्रामणपत्र के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकार की जानी थी।

तथापि इन दोनों मामलों में मुख्य सचिव से जारी प्रमाणपत्र कि सीधी जिले में कोई वन भूमि उपलब्ध नहीं थी, के आधार पर प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र मुहैया करने से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एसपीएल को मुक्त कर दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए ऐसा प्रमाणपत्र भेजने के लिए अथवा मध्यप्रदेश में कही भी प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि की पहचान के लिए प्रयास करने के लिए एसपीएल को नहीं कहा। इसके बजाय एसपीएल को दोगुने निम्नीकृत वन के लिए प्रयास करने के लिए एसपीएल को नहीं कहा। इसके बजाय एसपीएल को दोगुने निम्नीकृत वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण अनुमत किया गया था यद्यपि यह ऐसी छूट का पात्र नहीं था।***और मुख्य सचिव द्वारा जारी अपात्र प्रमाणपत्र के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में गैर वन भूमि देने से एसपीएल को मुक्त कर दिया। यह प्रतीत हुआ कि एक अस्वीकार्य प्रमाणपत्र का जारी करना तथा उपयोग करना वन भूमि के विपथन से सम्बद्ध शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यविधि को धुंघला करने को अभिप्रेत था। एमओईएफ ने न केवल शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में उचित सचेतना का उपयोग नहीं किया बल्कि वर्तमान मामलें में छूट देते समय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उलिलिखत प्रमाणपत्र की कमियों की भी अबोध्य रूप से अनदेखी की गई।***

इसके अलावा एमओईएफ ने कोयला खनन परियोजना प्रस्ताव पर विचार करते समय टिप्पणी ही " विपथित की जा रही अच्छी वन भूमि की पर्याप्त मात्रा के मददेनजर प्रतिपूरक वनरोपण के अतिरिक्त 991.81+72.21 हैक्टेयर के बराबर क्षेत्र पर अतिरिक्त वनरोपण (रोपण नहीं) परियोजना द्वारा आरम्भ किया जाना चाहिए। यह प्रकट निम्नतम विशेष शर्त है जो सामान्य शर्तों को जोडी जानी चाहिए" एमओईएफ ने कम्पनी से इस सम्बन्ध में किसी निश्चित प्रस्ताव के लिए जोर नहीं दिया। इसके अलावा एमओईएफ ने यह सुनिश्चित करने कि क्या एसपीएल ने 1,065 हैक्टेयर पर अतिरिक्त वनरोपण किया था, जैसा निर्दिष्ट किया गया, के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया था।

आगे फिर जुलाई 2011 में मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में उनके छत्रसाल कैप्टिव कोल ब्लाक (आधारभूत ढांचा विकास के लिए 30.21 हैक्टेयर वन भूमि सहित) के लिए शासन यूएमपीपी के पक्ष में 965.40 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की मांग की। नवम्बर 2012 में एमओईएफ ने विपथित की जाने के लिए प्रस्तावित वन भूमि (अर्थात 965.40 हैक्टेयर) के क्षेत्र की मात्रा के बराबर गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण सहित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के अध्ययीन परियोजना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। कथित गैर वन भूमि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित और परिवर्तित की जानी थी। इसके अलावा अच्छे गुणवत्ता वनों की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य दर पर प्रतिपूरक वनरोपण के सृजन को अतिरिक्त कम्पनी को विपथन के लिए प्रस्तावित वन भूमि की मात्रा के दोगुने निम्नीकृत वन के नवीकरण तथा रीष्टोकिंग के लिए निधियां प्रदान करनी थीं। इस परियोजना का अंतिम निर्बाधन अभी भी लम्बित था क्योंकि परियोजना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन देते समय एमओईएफ द्वारा निर्धारित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट कम्पनी को अभी प्रस्तुत करनी थी।

इस प्रकार एमओईएफ ने मध्यप्रदेश में निकट स्थिति में उसी कम्पनी की नवीनतम परियोजना में गैर वन भूमि पर प्रतिपरूक वनरोपण के लिए जोर दिया था जो स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि पूर्ववर्ती दो मामलों में मै. शासन पावर लिमिटेड का अनुचित पक्षपात किया गया था।

एमओईएफ ने अपने उत्तर (मई 2013) में मुख्य सचिव के अपात्र प्रमाण्पत्र के आधार पर एसपीएल को निर्बाधन जारी करने के संबंध में कुछ नहीं कहा जिस पर भी मंत्रालय अधिकारियों द्वारा आपत्ति की गई थी। इसके अलावा एमओईएफ ने बताया कि एसपीएल ने सपना शेयर धारिता प्रतिरूप स्पष्ट तथा दर्शाए बिना 1,064.02 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और यह प्रतीत होता है कि एसपीएल एफएसी तथा एमओईएफ के ध्यान में यह नहीं लाया कि विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) से आरपीएल को हस्तान्तरित हो गया है। इस प्रकार एसपीएल के पक्ष में 1,064.02 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए एफसी एक्ट 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन केन्द्रीय पीएएलयू (अर्थात पीएएफसी) की सहायक कम्पनी के रूप में एसपीएल को मानकर दिया गया। तथापि एमओईएफ ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर ध्यान दिया है। उन्होंने आगे बताया कि यह प्रावधान करने कि प्रयोक्ता एजेंसी एक वर्ष के अन्दर एसएफडी के पक्ष में हस्तान्तर तथा परिवर्तन करेगी, के लिए एसपीएल के पक्ष में कथित भूमि के विपथन के लिए एमओईएफ द्वारा दिए गए एफसी एक्ट, 1980 के अनुमोदनों में लगाई गई सीए से सम्बन्धित शर्त को संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की मांग की जा रही है।

1,065 हैक्टेयर अतिरिक्त वनरोपण के संबंध में एमओईएफ ने बताया कि अतिरिक्त वनरोपण को प्रयोक्ता एजेंसी/परियोजना प्रसतावाक द्वारा किए जाने की आवश्यकता है और कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार से अतिरिक्त वनरोपण की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन पावर लिमिटेड अगस्त 2007 में रिलांयस पावर लिमिटेड को हस्तान्तरित किया गया था परन्तु सैद्धान्तिक अनुमोदन एमओइएफ द्वारा दिसम्बर 2008 में दिया गया था और अंतिम अनुमोदन अपात्र प्रमाण पत्र के आधार पर और इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा व्यक्त विशेष अधिकार की अनदेखी कर अप्रैल 2009 में दिया गया था।

2.2.4. विपथित/प्राप्त भूमि के आंकड़ों का मिलान न किया जाना

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 2006–12 की अवधि के दौरान विपथित भूमि तथा विपथन के बदले प्राप्त गैर वन भूमि पर सूचना आरओ तथा राज्य कैम्पा दोनों से संग्रहीत की जो तालिका 6 में दी गई है।

तालिका 6 : आरओ तथा राज्य वन विभाग के अनुसार विपथित वन भूमि तथा उसके बदले प्राप्त गैर वन भूमि के डाटा में विसंगतियां

(हैक्टेयर में)

क्रं सं	राज्य/यूटी	विपथित वन भूमि		प्राप्त गैर वन भूमि	
		आरओ	राज्य वन विभाग	आरओ	राज्य वन विभाग
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	84.55	117.74	56.88	112.96
2	आंध्रप्रदेश	13,774.57	14,208.60	9,512.17	10,168.63
3	अरूणाचल प्रदेश	2,070.84	2,547.16	89.49	205.86
4	असम	631.17	2,523.35	28.50	0
5	बिहार	3,052.36	2,286.25	2,029.80	63.51
6	चण्डीगढ़	7.55	8.67	6.87	8.14
7	छत्तीसगढ़	20,461.70	8,389.40	0	323.08
8	दिल्ली	23.09	40.29	0	0
9	गोवा	1,513.09	728.94	60.85	28.50
10	गुजरात	1,882.39	5,795.82	0	591.65
11	हरियाणा	1,762.18	2,154.89	43.79	51.67
12	हिमाचल प्रदेश	2,978.42	4,080.23	0	0
13	जम्मू तथा कश्मीर	NA	3,967.46	उ.न.	0
14	झारखण्ड*	8,328.45	15,881.06	2,989.82	530.11
15	कर्नाटक	5,645.14	3,354.11	3,053.74	2,231.96
16	केरल	171.60	156.07	25.32	0
17	मध्यप्रदेश	20,795.72	9,753.47	0	2,332.49
18	महाराष्ट्र	2,911.45	6,361.09	0	4,077.99
19	मणिपुर	298.88	33.88	60.00	0
20	मेद्यालय	132.44	245.33	0	0
21	मिजोरम	0.59	128.28	0	17.50
22	ओडिशा	8,820.77	7,524.80	5,261.96	उ.न.
23	पंजाब	3,039.41	2,190.49	0	1.51
24	राजस्थान	8,248.04	2,975.84	584.97	1,698.72
25	सिक्किम	1,411.04	1,359.91	0	0
26	तमिलनाडु	298.15	323.09	230.01	230.95
27	त्रिपुरा	299.89	696.22	10.91	10.95

क्र सं	राज्य/यूटी	विपथित वन भूमि		प्राप्त गैर वन भूमि	
		आरओ	राज्य वन विभाग	आरओ	राज्य वन विभाग
28	उत्तरप्रदेश	1,239.20	2,995.23	535.23	374.23
29	उत्तराखण्ड	4,759.38	9,669.74	3,315.23	0
30	पश्चिम बंगाल	235.20	425.17	190.36	186.39
	जोड़	**1,14,877.26**	**1,10,922.58**	**28,085.90**	**23,246.80**

**झारखण्ड के लिए आंकड़े 2002 से हैं*

*** ओडिशा ने प्राप्त गैर वन भूमि के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।*
उ.न. – उपलब्ध नहीं

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आरओ तथा राज्य वन विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के बीच पर्याप्त अन्तर हैं। वास्तव में हमने एक भी राज्य/यूटी में यह नहीं देखा कि जहां सम्बन्धित राज्य वन विभाग तथा एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय के बीच डाटा की कोई अभिसारिता थी। यह न केवल दो प्राधिकरणों के बीच डाटा के आवधिक मिलान की प्रणाली की कमी का उल्लेख करता है बल्कि डाटा की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रमाणित डाटा और वन विभाग के पक्ष में पहचानी गई भूमि के परिवर्तन/हस्तान्तरण के साक्ष्य प्रस्तुत न करने के अभाव में यह सुनिश्चित नही किया जा सकता है कि अन्तिम निर्बाधन केवल निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने पर दिए गए थे और वन भूमि की उचित रूप से सुरक्षा की गई है।

आरओ तथा राज्य वन विभाग के अनुसार विपथित वन भूमि और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि के डाटा में विसंगति प्रतिशतता का चार्ट 7 में उल्लेख किया गया है।

चार्ट 7 : आरओ तथा राज्य वन विभाग के अनुसार विपथित वन भूमि तथा बदले में प्राप्त गैर वन भूमि के डाटा में विसंगति प्रतिशतता

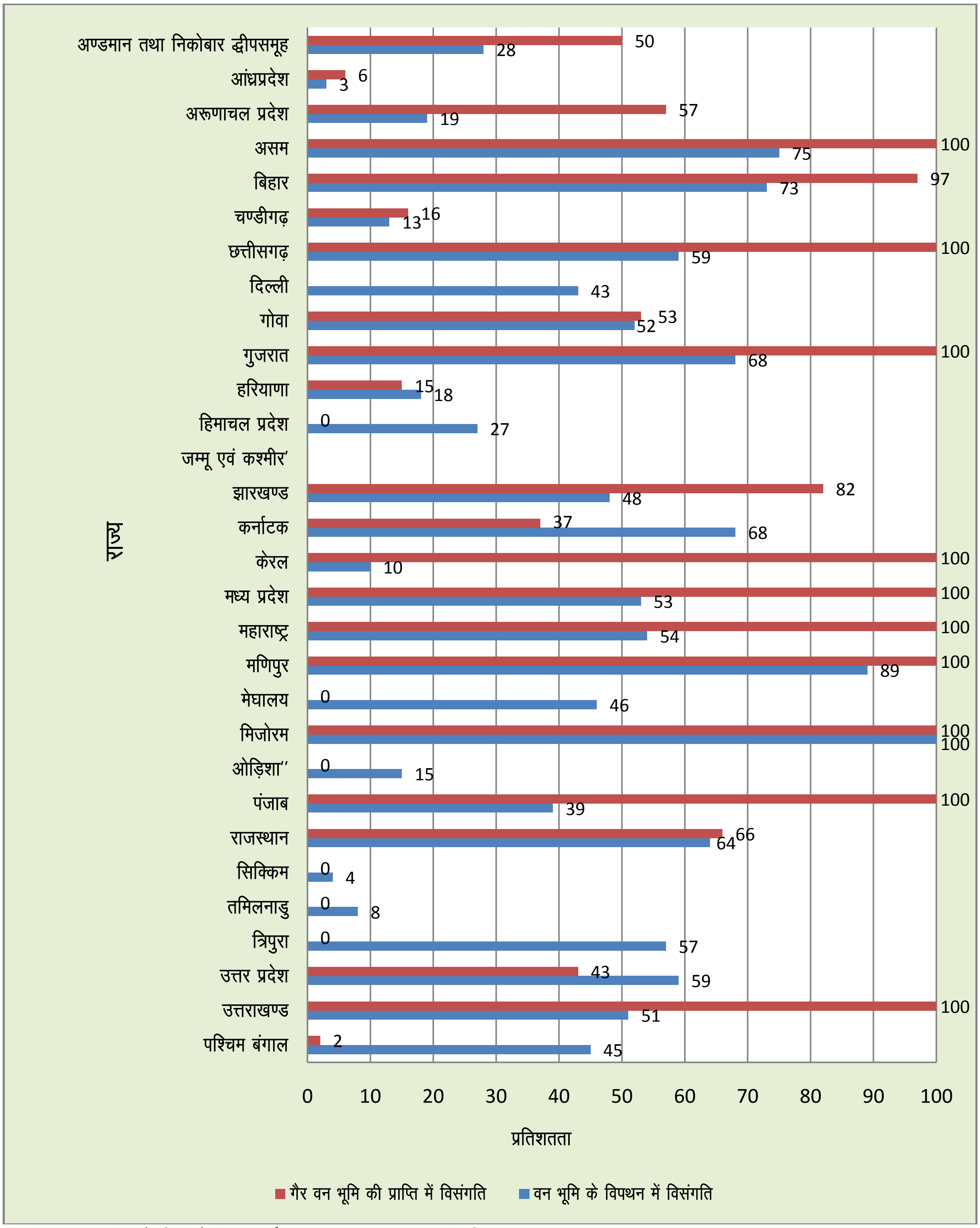

*जम्मू एवं कश्मीर के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
**ओडिशा में प्राप्त गैर वन भूमि के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।

आंकड़ों के एक भी सहमत सेट के अभाव में हमें प्रस्तुत किए गए डाटा की पूर्णता तथा विश्वसनीयता पर आश्वासन देने पर भी हम असमर्थ हैं। यह गंभीर चिन्ता का मामला है कि नियंत्रक प्राधिकरणों के पास

मात्रा, जिस तक वन भूमि दोनों विपथित की गई थी, की निगरानी के लिए और मात्रा, जिस तक एनएफएल उपलब्ध न कराने के कारण ये वन भूमि कम की गई थी, का निर्णय करने के लिीए सुदृढ एमआईएस स्थापित नहीं किया गया। अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन में लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए यह डाटा भी समीक्षात्मक था। इस संबंध में प्रणाली का ऐसा अभाव एमओईएफ तथा राज्य वन विभाग में सम्पूर्ण निगरानी तन्त्र पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि एमओईएफ द्वारा गठित किए जाने को प्रस्तावित समिति अन्य के साथ–साथ ऐसे डाटा का मिलान करेगी।

2.2.5. लागत लाभ विश्लेषण करने में विफलता

एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के अनुबन्ध VI (ए)के अनुसार मैदानों में 20 हैक्टेयर से अधिक तथा सड़कों, संचरण लाइनों, लघु, मध्यम तथा प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं, खनन कार्यकलापों, रेलवे लाइनों, स्थान विशेष संस्थापनों जैसे माइक्रोवेव स्टेशनों, स्व पुनरावर्तक केन्द्रों, टीवी टावरों आदि सहित पहाड़ों में पांच हैक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले सभी परियोजना प्रस्तावों के लिए यह निश्चित करने, कि गैरवन उपयोग को वन भूमि का विपथन पूर्णतया सार्वजनिक हित में था, के लिए लागत लाभ विश्लेषण किया जाना अपेक्षित था।

एमओईएफ/आरओ की 219 फाइलों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि यह दर्शाने के लिए फाइलों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए लागत लाभ विश्लेषण किया गया था और वन भूमि सम्पूर्ण सार्वजनिक हित सुनिश्चित किए बिना विपथित की गई थी।

एमओईएफ का उत्तर इस विषय पर मौन है।

2.2.6. सैद्धान्तिक अनुमोदन रदद न करना

एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार वानिकी निर्बाधन दो चरणों में दिया जाना था। तथापि उन मामलों में जहॉ सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन राज्य सरकार से पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षित था। वहॉ सैद्धान्तिक अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय अथवा एमओईएफ द्वारा, जैसा मामला हो, सरसरी तौर पर रदद किया जाना था। सैद्धान्तिक अनुमोदन के रददगीकरण के बाद यदि राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की अभी भी परियोजना में रूचि है तो उनको नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित था जिस पर नए सिरे से विचार होना था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 2.54 लाख हैक्टेयर वन भूमि वाले 1,022 प्रस्ताव जिन्होनें पांच वर्ष से अधिक समय से प्रथम चरण शर्तों का अनुपालन नहीं किया था, अस्वीकृत/रदद नहीं किए गए थे राज्यवार ब्यौरे अनुबन्ध 6 में दिए गए हैं।

उस सीमा जिस तक हस्तान्तरण, परिवर्तन और बराबर गैर वन भूमि की घोषणा तथा उसकी आरएफ/पीएफ के रूप में घोषणा, सीए के लिए निधियां आदि जैसी शर्तों का पालन किया गया या नहीं

किया गया था, दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे। इस प्रकार सैद्धान्तिक अनुमोदन पर निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/आरओ में कोई उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी तथा राज्य/यूटी सरकारों पर है। वर्तमान संसाधनों के साथ निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करना एमओईएफ तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए व्यवहार्य नहीं था। उन मामलों में भी जहाँ सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन पांच वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है और सैद्धान्तिक अनुमोदन औपचारिक रूप से रदद/वापस नहीं किया गया है वहाँ ऐसे प्रस्तावा को अन्तिम अनुमोदन केवल विरल तथा योग्य मामलों में दिया गया है जहॉ सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में विलम्ब के लिए वैघ कारण राज्य सरकार तथा प्रयोक्ता एजेंसियों ने प्रस्तुत किए। तथापि एमओइएफ ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर ध्यान दिया और उन सभी प्रस्तावों, जहॉ सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन पांच वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, के सैद्धान्तिक अनुमोदन को औपचारिक रूप से रदद् /वापस लेने की उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.2.7. वन भूमि की स्थिति का अनियमित परिवर्तन

एफसी अधिनियम 1980 के अनुसार किसी राज्य में फिलहाल लागू किसी अन्य विधि में कुछ भी अन्तर्विष्ट होने के बावजूद कोई राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, को छोड़कर यह निर्देश देते हुए कोई आदेश नहीं दे सकेगा कि कोई आरक्षित वन अथवा उसका कोई भाग आरक्षित होने से समाप्त हो जाएगा

आरओ लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि अगस्त 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एफसी अधिनियम 1980 के उल्लंघन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना सोनभद्र जिले में 1,083.23 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि की स्थिति को राजस्व भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। भूमि सीमेंट संयंत्र की स्थापना, खनन तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों जैसे गैर वन उपयोग के लिए मै. जेपी एसोसिएट को सौंपी गई थी। मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित था। आरओ लखनऊ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार गैर वन भूमि का मूल्य जो विपथन के स्थान पर सामान्यतया प्राप्त होना था, रू. 133.78 करोड़ था।

इसके अलावा लखनऊ में 2.5 हैक्टेयर आरक्षित वन को प्लाट संख्या 1308 जो राजस्व अभिलेखों में इमारती लकडी का वन के रूप में दर्ज था, पर मान्यवर श्री कांशी राम जी शहरी आवास योजना के निर्माण के लिए राजस्व भूमि के रूप में एफसी अधिनियम 1980 के उल्लंघन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अप्राधिकृत रूप से हस्तान्तरित किया गया था। इसी प्रकार वन भूमि पर 545 मीटर की सड़क की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कथित शहरी विकास योजना से संबंध जोड़ने के लिए राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा आंशिक रूप से निर्मित की गई थी।

एक अन्य मामले में यह पाया गया था कि 1974 में यूपी सरकार ने 30 वर्षों की अवधि के लिए जो 16 दिसम्बर 2004 को समाप्त हो गई, पल्स पोलियो अस्पताल के निर्माण के लिए सरोजनी नगर लखनऊ में मालवीय अनन्त आश्रम को ग्राम गेहरू लखनऊमें पांच एकड़ (दो हैक्टेयर) वन भूमि का पटटा किया। अवध वन मण्डल ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना फरवरी 2009 तक पटटा किराया प्रभारित कर पटटे का नवीकरणीय किया।

इन सभी मामलों में राज्य सरकार ने सीए, एनपीवी आदि के लिए कोई घन भी वसूल नहीं किया। इसके अतिरिक्त मै. जेपी एसोसिएट के मामले में प्रयोक्ता एजेंसी को विपथित वन भूमि को गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र से न बदलने का लाभ भी दिया गया जिसकी कीमत आरओ के शपथ पत्र के अनुसार लगभग ₹133.78 करोड़ थी।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि मै.जेपी एसोसिएट के मामले में मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और अन्य मामलों में कथित उल्लंघन के लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

2.2.8. टेल पाण्ड डैम के निर्माण के लिए वन भूमि का अनियमित विपथन

नवम्बर 2000 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि आगे आदेश होने तक किसी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क का अनारक्षण नहीं किया जाएगा। फरवरी 2000 में भी उच्चतम न्यायालय ने किसी राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य से मृत रोगग्रस्त मरणासन्न अथवा हवा से गिरे पेडों तथा घास को हटाने का भी आदेश देने से सभी राज्यों को रोक दिया था। तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मई 2001 में उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति मांगे बिना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों में वन भूमि के विपथन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न करने की सलाह दी।

आरओ बैंगलौर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि आंध्रप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने मार्च 1996 में नागार्जुन सागर बांध के टेलपाण्ड डैम डाउनस्ट्रीम के निर्माण के लिए 113 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय कार्यालय ने मई 1996 में स्थल का निरीक्षण करते समय बताया कि यह विपथन बांए पार्श्व पर नलगौण्डा मण्डल के अन्तर्गत 52 हैक्टेयर वन भूमि और दाएं पार्श्व पर गुन्टूर मण्डल के अन्तर्गत 61 हैक्टेयर वन भूमि को जलमग्न कर देगा जिसमें से 20 हैक्टेयर नागार्जुन सागर श्री सेलम बाइल्डलाइफ सैंक्चुरी का भाग है जो हिरण, लोमडी, जंगली भालू, खरगोश, चिंकारा तथा मगर आदि जैसे जंगली जानवरों का आवास है। इसलिए जनवरी 1997 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन भूमि के विपथन का अनुमोदन करने में अपनी असमर्थता सूचित की। मंत्रालय ने फिर एपीएसईबी के दिनांक 28 फरवरी 1998 के अनुरोध पर विचार किया और 4 मई 1998 को गुणदोष के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।.

उच्चतम न्यायालय आदेशों तथा जनवरी 1997 और मई 1998 में की गई अपनी आपत्तियों की अवहेलना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस प्रयोजन हेतु 113 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए गैर वन भूमि का हस्तान्तर तथा परिवर्तन, सीए की लागत का अन्तरण करना, ईको–रेस्टोरेशन स्कीम के लिए निधियां देना, वन्यजीव आवास पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव कम करना जैसीकुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पांच माह बाद अप्रैल 2001 में सैद्धान्तिक अनुमोदन सूचित किया। अन्तिम अनुमोदन भी जून 2006 में दिया गया था। अपने पूर्व निर्णयों को पलटने के कारण स्पष्ट करने वाला और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में अनुमोदन करने वाला औचित्य भी फाइलों में उपलब्ध नहीं था।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आंध्रप्रदेश ने दिसम्बर 2004 में सूचित किया कि भारत सरकार की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रयोक्ता एजेंसी तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के साथ पर्याप्त पत्राचार किया गया था परन्तु शर्तों का अनुपालन अभी तक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित नहीं किया गया था। उसने यह भी सूचित किया कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की दिसम्बर 2004 के दूसरे सप्ताह में इस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए दौरा करने की प्रत्याशा थी।

आरओ बैंगलौर की निगरानी रिपोर्ट (अगस्त 2010) के अनुसार यह बताया गया था कि ₹ 0.68 करोड़ का सीए, ₹ 0.95 करोड़ का ईकोरेस्टोरेशन तथा ₹ 5.35 करोड़ का एनपीवी कारपोरेशन बैंक, लोधीरोड़, नई दिल्ली के कैम्पा खाता में जमा किया गया था। परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च 2012 में प्राप्ति की पुष्टि के लिए आरओ को कहा था। इसके अतिरिक्त निगरानी रिपोर्ट के अनुसार एनएफएल मुहैया कराने और सीए के लिए निधियां वसूल करने आदि जैसी अन्य सैद्धान्तिक अनुमोदन शर्तों के अनुपालन का प्रयोक्ता एजेंसी अर्थात एपीएसईबी द्वारा प्रबन्ध नहीं किया गया था।

इस प्रकार, एमओईएफ ने किसी विधि संगत स्पष्टीकरण के बिना अपने पूर्व निर्णयों को उलट दिया और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति बिना और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में वन्यजीव अभयारण्य भूमि वाली वन भूमि विपथित की। यह ये भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि अनयिमित अनुमोदन से सम्बद्ध सभी शर्तों का पालन किया गया था।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि नागार्जुन सागर श्रीसेलम वन्यजीव अभयारण्य के अन्दर स्थित 20 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति की जांच करने के लिए आंध्रप्रदेश राज्य सरकार तथा आरओं बैंगलुरू से अपेक्षित सूचना संग्रहीत की जा रही है लेखापरीक्षा में उल्लिखित अन्य अनियमितताओं पर मंत्रालय ने कोई उतर नहीं दिया।

2.2.9. विंड फार्म के मामले में वन भूमि का उलटाव न करना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तालिका 7 में दिए गए मामलों में सैद्धान्तिक अनुमोदन करते समय शर्त लगाई कि प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित अवधि (चार वर्ष) के अन्दर विण्ड फार्म विकसित करे जिसकी विफलता में सम्पूर्ण विपथित वन भूमि वापस ली जानी थी।

तालिका 7 : विंड फार्म स्थापित न करना और वन भूमि वापस नहीं लेना।

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य का नाम	वन भूमि का क्षेत्र (है. में)	निर्बाधन की तारीख	अनुपालन की अवधि
मै. एक्सियन विंड इनर्जी प्रा. लिमिटेड	कर्नाटक	4.82	18.03.2004	4 वर्ष

आरओ बैंगलुरू के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि निगरानी रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी ने चार वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर विंड फार्म की स्थापना की शर्त का पालन नहीं किया था। वन भूमि, जो वापस की जानी चाहिए थी, मई 2012 तक वन विभाग के वापस नहीं की गई थी।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि परियोजना की वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया जाएगा और यदि स्थापित किया गया तो उसकी तारीख प्राप्त/अभिनिश्चित की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि अन्तिम अनुमोदन देने से चार वर्षों के अन्दर परियोजना स्थापित नहीं की गई थी तो एमओईएफ उचित कार्रवाई करेगा।

2.2.10. वन भूमि का अधिक उपयोग

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 ए के अनुसार जो भी व्यक्ति धारा 2 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन का उपशमन करता है, जो उसे एक अवधि, जो पन्द्रह दिन तक बढ़ाई जा सकती है, के साधारण कारावास के साथ दण्ड दिया जाना है।

आरओ भुवनेश्वर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि आरओ की निगरानी रिपोर्टों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियां अनुमोदित क्षेत्र से अधिक वन भूमि का उपयोग कर रही थीं जैसा तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8 : प्रयोक्ता एजेंसियां अनुमोदित क्षेत्र से अधिक वन भूमि का उपयोग कर रही प्रयोक्ता एजेंसियां

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य का नाम	कब और किसने सूचित किया	अनुमोदन की तारीख	कुल विपथित क्षेत्र (है. में)	प्रयुक्त अधिक वन भूमि (है. में)
मै. सीसीएल परेज ओपनकास्ट	झारखण्ड	फरवरी 2004 में राज्य वन अधिकारियों	अप्रैल 1993	43.52	7.10
मै. महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	ओडिशा	क्षेत्रीय कार्यालय अगस्त 2004	सितम्बर 1998	162.20	29.00

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोई उपचारी कर्रवाई नहीं की गई थी और न ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 ए के अन्तर्गत किसी शास्तिक प्रावधान का सहारा लिया गया था।

एमओईएफ ने मई 2013 मे बताया कि ऑडिट जांच रिपोर्ट का विन्दु ध्यान मे रखा गया है । राज्य सरकार को भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं सम्बन्धित राज्य वन अधिनियमों मे सूचित प्रावधानो के अनुसार, यदि अभी तक नहीं है तो कार्यवाही करने को कहा गया है।

2.2.11. वन भूमि का अतिक्रमण

एफसी एक्ट, 1980, अनुबन्ध iv (3.1)के अनुसार अतिक्रमण, जो 24 अक्तूबर 1980 के बाद हुए है, नियमित नहीं किए जाने चाहिए। अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य/यूटी सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 2001 के अपने आदेश में अतिक्रमण जारी रहने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की और देश में अतिक्रमणों का हटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया। राज्य वन विभागों से जुलाई 2002 से आरम्भ कर को खाली कराए गए क्षेत्र, वापस प्राप्त किए/योजना किए गए क्षेत्र आदि सभी अतिक्रमणों की व्यापक सूची और की गई कार्रवाई की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित था।

वन भूमि पर अतिक्रमणों से सम्बन्धित सूचना 24 राज्यों/यूटी द्वारा नहीं दी गई थी। छः राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वन भूमि पर अतिक्रमण की मात्रा तालिका 9 में दी गई है।

तालिका 9 : वन भूमि पर अतिक्रमण के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र (है. में)
1	आंध्रप्रदेश	3.75
2	अरूणाचल प्रदेश	1,341.00
3	असम	1,28,308.69
4	पंजाब	3,090.15
5	उत्तराखण्ड	9,672.43
6	पश्चिम बंगाल	12,753.80
	जोड़	**1,55,169.82**

यह पाया गया था कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम एमओईएफ/आरओं द्वारा बनाया नहीं गया था। राज्य वन विभागों ने भी देश के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से अतिक्रमणों की व्यापक सूची तैयार नहीं की।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि वन भूमि पर गैर कानूनी अतिक्रमणों के मामलों में उचित कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि देश में अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम न बनाकर उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने में एमओईएफ तथा राज्य/यूटी सरकारें असफल रहीं। इसने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में कार्यानवयक एजेंसियों के अति लापरवाह दृष्टिकोण तथा कमजोर इरादे को दर्शाया।

2.3. प्रतिपूरक वनरोपण को बढ़ावा देने में विफलता

2.3.1. विपथित वन भूमि के बदले किया गया अपर्याप्त प्रतिपूरक वनरोपण

एफसी अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा3.1(i) के अनुसार गैरवन उपयोगों के लिए वन भूमि विपथित करते समय लगाई गई महत्वपूर्ण शर्तों में से प्रतिपूरक वनरोपण एक है।

लेखापरीक्षा में 2006 से 2012 तक की अवधि के दौरान किए गए प्रतिपूरक वनरोपण की मात्रा और क्या इनका वन विभाग द्वारा उचित रूप से अनुरक्षण किया गया था, का एक निर्धारण किया गया था। वन विभाग, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारियों द्वारा 29 राज्य/यूटी से संग्रहीत ब्यौरे के अनुसार तथा राजस्थान राज्य में नमूना जांचित 28 मण्डलों (जहाँ नोडल अधिकारियों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी) से संग्रहीत ब्यौरे तालिका 10 ए तथा 10 बी में हैं।

तालिका 10ए : गैर वन भूमि पर किए गए प्रतिपूरक वनरोपण की मात्रा

(हैक्टेयर में)

क्र. संख्या	राज्य	प्राप्त एन एफ एल	वनरोपण हेतु अभिज्ञात गैर वन भूमि	गैर वन भूमि का क्षेत्र जिस पर वन रोपण किया गया	वनरोपण हेतु अभिज्ञात क्षेत्र के संबंध में वनरोपण प्रतिशत्ता	प्राप्त एन एफ एल के संबंध में वनरोपण की प्रतिशत्ता
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	80.48	112.96#	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2	आंध्रप्रदेश	13,566.39	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3	अरूणाचल प्रदेश	684.14	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4	असम	43.88	152#	152	100	346
5	बिहार	3,048.33	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	चण्डीगढ़		6.80	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ़	20,456.19	134.82	33.18	25	0.16
8	दिल्ली A	22.15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	गोवा	1,513.09	24.10	शून्य	शून्य	शून्य
10	गुजरात	1,767.37	2,737.39#	शून्य	शून्य	शून्य
11	हरियाणा	1,218.21	52.85	शून्य	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेशA	932.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	जम्मू तथा कश्मीर	उ.न.	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य
14	झारखण्ड*	8,320.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
15	कर्नाटक	5,098.91	2,594.07	शून्य	शून्य	शून्य
16	केरल	75.99	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य
17	मध्यप्रदेश	20,740.52	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य
18	महाराष्ट्र	2,867.22	4,913.26#	शून्य	शून्य	शून्य
19	मणिपुर	266.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. संख्या	राज्य	प्राप्त एन एफ एल	वनरोपण हेतु अभिज्ञात गैर वन भूमि	गैर वन भूमि का क्षेत्र जिस पर वन रोपण किया गया	वनरोपण हेतु अभिज्ञात क्षेत्र के संबंध में वनरोपण प्रतिशत्ता	प्राप्त एन एफ एल के संबंध में वनरोपण की प्रतिशत्ता
20	मेघालयA	119.56	2.40	शून्य	शून्य	शून्य
21	मिजोरम	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22	ओडिशा**	8,814.71	4,380.46	6,951.54	159	79
23	पंजाब	2,149.56	1.51	शून्य	शून्य	शून्य
24	राजस्थान	8,152.66	917.07	शून्य	शून्य	शून्य
25	सिक्किमA	351.54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	तमिलनाडु	269.33	226.95	144.12	63	54
27	त्रिपुरा	191.42	10.95	शून्य	शून्य	शून्य
28	उत्तरप्रदेश	1,117.24	229.91	शून्य	शून्य	शून्य
29	उत्तराखण्ड	1,281.01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30	पश्चिम बंगाल	226.96	186.39	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	**1,03,381.91**	**16,683.89**	**7,280.84**	**44**	**7**

 # चार राज्यों /यूटी–अण्डमान एवं निकोबार द्विपसमूह, असम, गुजरात तथा महाराष्ट में लेखापरीक्षा को दिए गए डाटा प्रदर्शित करता है कि वनरोपण के लिए पहचानी गई गैर वन भूमि प्राप्य गैर वन भूमि से बड़ी है।

**झारखण्ड में गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि के क्षेत्र के द्विभाजित डाटा का ए पी ओ में उल्लेख नहीं किया गया था।*

***ओडिशा में 2006 – 12 के बीच वनरोपण की मात्रा नोडल अधिकारी ओडिशा की प्रतिपूरक वनरोपण पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट से प्राप्त की गई है।*

Aदिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम के लिए अधिकांश मामलों में मुख्य सचिव द्वारा जारी गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र उपलब्ध थे। तथापि मेघालय में राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि पहचानी गई थी।
उ.न.–उपलब्ध नही

एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 4.15 (v) के अनुसार नोडल अधिकारी को प्रतिपूरक वनरोपण तथा लगाई गई पौध के उत्तरजीविता अनुपात की शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2000 में भी उचित प्रतिपूरक वनरोपण करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर निर्धारित किया और बताया कि वन निर्बाधन देने के समय पर निर्धारित शर्तों की निगरानी करना मंत्रालय का काम था।

उपर्युक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि :

1. 1,03,381.91 हैक्टेयर प्राप्य एन एफ एल के प्रति केवल 28,085.90 हैक्टेयर अथवा 27 प्रतिशत एन एफ एल प्राप्त हुई थी। ऐसे प्राप्त एन एफ एल में से सी ए कार्यकलाप केवल 7,280.84 हैक्टेयर भूमि पर किया गया था जो प्राप्य गैर वन भूमि का अल्पतम 7 प्रतिशत है।
2. यह आगे पाया गया था कि 1,03,381.91 हैक्टेयर के प्राप्य एन एफ एल के प्रति प्रतिपूरक वनरोपण के लिए पहचाना गया क्षेत्र 16,683.89 हैक्अेयर था जो प्राप्य एन एफ एल का केवल 16 प्रतिशत

बनता है। उसके प्रति वनरोपण केवल 7,280.84 हैक्टेयर पर किया गया था जो वनरोपण के लिए पहचाने गए गैर वन भूमि क्षेत्र का केवल 44 प्रतिशत है।

3. गैर वनभूमि में वनरोपण कार्यकलाप केवल चार राज्यों – असम, छत्तीसगढ., ओडिशा तथा तमिलनाडु तक सीमित किया गया था। वास्तव में देश में गैर वन भूमि पर किए गए सभी वनरोपण का 95 प्रतिशत एक राज्य अर्थात ओडिशा में था। ओडिशा से अलग गैर वन भूमि पर देश में किया गया कुल वनरोपण मात्र 329.30 हैक्टेयर था।

4. ओडिशा ने अपने लिए निर्धारित एन एफ एल पर वनरोपण के लक्ष्य से अधिक किया और सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।

5. यह देखा गया था कि 27 राज्यों/यूटी[8] में से सात[9] राज्यों/यूटी में वनरोपण हेतु लाक्षयित गैर वन भूमि से सम्बनधित डाटा नहीं दिए। शेष बीस राज्यों/यूटी, जहां लक्ष्य उपलब्ध थे, में यह पाया गया था कि छत्तीसगढ, गोवा, हरियाणा, मेधालय, पंजाब, त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में गैर वनभूमि पर वनरोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्य गैर वन भूमि के 10 प्रतिशत से कम थी।

6. पांच राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों[10] में गैर वन क्षेत्रों के वानिकीकरण की सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई।

तालिका 10बी : निम्नीकृत वन भूमि पर किए गए प्रतिपूरक वनरोपण की मात्रा

(हैक्टेयर में)

क्र. संख्या	राज्य	वनरोपण हेतु अभिज्ञात निम्नीकृत वन भूमि	निम्नीकृत वन भूमि जिस पर वनरोपण किया गया	वनरोपण की प्रतिशत्ता
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	112.96	37.48	33
2	आंध्रप्रदेश	315.87	1,481.84	469
3	अरूणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4	असम	1,989.06	1,989.06	100
5	बिहार	2,017.55 है० & 5.5 कि.मी.^	3,300#	164
6	चण्डीगढ़	कोई निम्नीकृत भूमि नहीं थी		
7	छत्तीसगढ़	5,143.14	3,668.73	71
8	दिल्ली	100.00	100.00	100
9	गोवा	350.67	1,007.98	287
10	गुजरात	5,800.24	शून्य	शून्य

[8] चण्डीगढ., दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश को छोड.कर जहाँ न तो एन एफ एल उपलब्ध था और न ही वनरोपण हेतु पहचान की गई थी।
[9] आंघ प्रद्रेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू – कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश तथा मिजोरम
[10] अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, झारखण्ड व मिजोरम

क्र. संख्या	राज्य	वनरोपण हेतु अभिज्ञात निम्नीकृत वन भूमि	निम्नीकृत वन भूमि जिस पर वनरोपण किया गया	वनरोपण की प्रतिशत्ता
11	हरियाणा	4,182.00	शून्य	शून्य
12	हिमाचल प्रदेश	8,247.61	2,789.51	34
13	जम्मू तथा कश्मीर	14,312.00	7,838.00#	55
14	झारखण्ड*	16,992.14 है०& 49 कि.मी.^	10,636.87 है०& 49 कि. मी.#	63
15	कर्नाटक	2,187.28	19.60	1
16	केरल	295.92	शून्य	शून्य
17	मध्यप्रदेश	उ.न.	5,136.97	उ.न.
18	महाराष्ट्र	3,916.65	शून्य	शून्य
19	मणिपुर	2,415.78[11]	263.44	11
20	मेघालय	521.13	शून्य	शून्य
21	मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22	ओडिशा**	3,388.72	5,341.99	158
23	पंजाब	2,883.40	शून्य	शून्य
24	राजस्थान	273.72	शून्य	शून्य
25	सिक्किम	2,306.21	511.09	22
26	तमिलनाडु	147.51	66.97[12]	45
27	त्रिपुरा	1,597.45	80.00	5
28	उत्तरप्रदेश	1,731.11	1,177.40	68
29	उत्तराखण्ड	19,339.46	4,178 [13]	22
30	पश्चिम बंगाल	469.77	108.83	23
	जोड़	**1,01,037.35 & 54.5 है०^**	**49,733.76 & 49 है०^**	**49**

^किमी सड़क, रेलवे लाइन, नहरों आदि के किनारे किए गए पट्टी वनरोपण से संबंधित है।

**झारखण्ड में गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि के क्षेत्र के विभाजित डाटा का एपीओं में उल्लेख नहीं किया गया था।*

***ओडिशा में 2006 तथा 2012 के बीच वनरोपण की मात्रा नोडल अधिकारी ओडिशा के प्रतिपूरक वनरोपण की तिमाही प्रगति रिपोर्ट से निकाली गई है।*

 # 2011–12 के दौरान किया गया वनरोपण

उ.नि.–उपलब्ध नहीं

[11] 2003–11 के दौरान
[12] 2008–09 के दौरान
[13] 2011–12 के दौरान.

उपर्युक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि यद्यपि 2006–12 की अवधि के दौरान प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 1,01,037.35 है० एवं 54.5 किमी. निम्नीकृत वनभूमि की पहचानी गई थी परन्तु प्रतिपूरक वनरोपण केवल 49,733.76 है० एवं 49 किमी निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया था जो वनरोपण हेतु पहचाने गए निम्नीकृत वन भूमि क्षेत्र (है० में) का 49 प्रतिशत था। तीन[14] राज्यों/यूटी में निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण से संबंधित ऐसी सूचना दी नहीं गई थी। चण्डीगढ़ में वनरोपण के लिए कोई निम्नीकृत वन भूमि उपलब्ध नहीं थी।

पहचानी गई निम्नीकृत वन भूमि तथा गैर वन भूमि पर किए गए वनरोपण से सम्बन्धित स्थिति संक्षिप्त रूप में नीचे दी गई है।

किए गए वनरोपण की प्रतिशतता	निम्नीकृत वन भूमि पर	गैर वन भूमि पर
वनरोपण नहीं किया गया	गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, तथा राजस्थान	बिहार,चण्डीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल
1 से 25	कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, व पश्चिम बंगाल	छत्तीसगढ़
26 से 50	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु	शून्य
51 से 75	छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेश	तमिलनाडु
75 से 100	असम, दिल्ली तथा ओडिशा	असम
100 से अधिक	आंध्रप्रदेश, बिहार तथा गोवा	ओडिशा

पूर्णता स्थिति इस बात की ओर इंगित करती है कि सात राज्यों, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब एवं राजस्थान व गैर वन भूमि व निम्नीकृत वन भूमि किसी पर भी वृक्षारोपण नहीं किया। इसके विपरीत आसाम एंव ओडिशा ने गैर वन भूमि व निम्नीकृत वनभूमि पर प्रतिपूर्ति वनरोपण में उच्च स्तरीय उपलब्धियां दिखाई। उगाए गए पेड़ो की संख्या और उनके उत्तरजीविता अनुपात की स्थिति अधिकांश राज्यों में वन विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 5 मई 2006 के अनुसरण में सीए स्थापित करने और रखरखाव के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल की गई निधियां तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई थीं। उच्चतम न्यायालय के अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 के तहत कैम्पा निधियों के निर्गम के लिए ₹1,000 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के साथ सम्बन्धित राज्य कैम्पाओं को इन निधियों का भाग जारी करने की तदर्थ कैम्पा को अनुमति दिए जाने तक सभी सीए कार्यकलाप बन्द रहे।

[14] अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा मिजोरम

2006 से 2009 तक राज्य/यूटी सरकारों को किसी निर्गम के बिना तदर्थ कैम्पा को सीए निधियों का अन्तरण और उच्च्तम न्यायालय द्वारा 2009 से आगे उनके निर्गम पर वार्षिक अधिकतम सीमा लगाने के परिणामस्वरूप सीए निधियों का संचय हुआ। एमओईएु ने कैम्पा निधियों का त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय तथा प्रत्येक राज्य/यूटी दोनों स्तर पर पर्याप्त जनशक्ति के साथ नियमित कैम्पाओं के गठन के लिए उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव आरम्भ किया था।

जबकि लेखापरीक्षा सहमत है कि सीए कार्यकलाप के लिए मई 2006 व जुलाई 2009 के बीच कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं परन्तु यह ध्यान दिया जाना है कि प्रचालनों की वार्षिक योजना के प्रति 2009–12 के बीच सीए कार्यकलापों के लिए किए गए निर्गमों के बाद भी जारी राशियां व्यवस्थित तथा अनुमोदित कार्यकलापों पर खर्च नहीं की जा सकीं।

तथापि ₹2,925.65 करोड़ (जम्मू कश्मीर) सहित जो राज्य वन विभागों को प्रतिपूर्ति वनरोपण हेतु 2009–12 में प्राप्त हुए, ₹1,149.80 करोड़ की धनराशि संबंधित राज्य वन विभाग के लेखें में अनुप्रयुक्त पड़ी रही। यह स्पष्ट है कि एफ सी एक्ट 1980 की अति महत्वपूर्ण शर्तों में से एक, जैसे कि तथ्य प्रमाणित है, विपथित वन भूमि के वदले किये जाने वाला प्रतिपूर्ति वनरोपन अति हतोत्साह पूर्ण रहा।

2.3.2. प्रतिपूरक वनरोपण से सम्बन्धित अभिलेखों का न बनाया जाना

एफसीअधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.1(i) के अनुसार गैर वन उपयोगों हेतु वन भूमि के अनारक्षण अथवा विपथन प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अति महत्वपूर्ण शर्तों में प्रतिपूरक वनरोपण एक शर्त है। यह अनिवार्य था। कि ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए सीए की एक व्यापक योजना बनाई और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा अधिनियम के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 3.2 (viii) के अन्तर्गत दी गई कुछ छूटों के अध्यधीन विपथित किए जा रहे वन क्षेत्र की मात्रा के बराबर गैर वन भूमि क्षेत्र पर अथवा दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सीए किया जाना था।

कैम्पा अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 2004 के अनुसार सीए, एसीए के लिए प्राप्त धन का एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के विपथन के प्रस्ताव के साथ–साथ राज्यों तथा यूटी से प्राप्त स्थान विशेष योजनाओं के अनुसार उपयोग किया जाना था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अधिकांश मामलों में प्रतिपूरक वनरोपण की योजना भेजी गई थी परन्तु यह दर्शाने को फाइलों में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे कि प्रतिपूरक वनरोपण वास्तव में अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया गया था।

हमने आरओ में 16 राज्यों से संबंधित 102 फाइलों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 117 फाइलों की जांच की। हमने देखा कि यद्यपि 2009–12 के दौरान प्रतिपूरक वनरोपण के लिए तदर्थ कैम्पा से ₹2,829.21 करोड़ की राशि जारी की गई थी परन्तु 2006–12 की अवधि के दौरान आरओ/एमओईएफ के अभिलेखों

के अनुसार विपथित 1,14,877.26 हैक्टेयर वन भूमि के स्थान पर वास्तव में किए गए प्रतिपूरक वनरोपण की निगरानी के साक्ष्य के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय /तदर्थ कैम्पा के पास संकलित अभिलेख नहीं थे।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि योजना के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण आरम्भ करना राज्यों का उत्तरदायित्व था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2000 में उचित प्रतिपूरक वनरोपण करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर निर्धारित किया और कहा कि वन निर्बाधन देने के समय निर्धारित शर्तों की निगरानी करना मंत्रालय का काम था।

उत्तर अनुमोदित योजनाओं के अनुसार सीए कार्यकलापों के वास्तविक निष्पादन की निगरानी करने के लिए एमओईएफ के पास किसी केन्द्रीय डाटाबेस/प्रबन्धन सूचना प्रणाली के अभाव की भी पुष्टि करता है। विशेष से वनरोपण के लिए पहचानी गई गैर वन भूमि के मामले में प्रतिपूरक वनरोपणए की निराशापूर्ण स्थिति को देखते हुए इस संबंध में किसी केन्द्रीयकृत सूचना का अभाव एमओईएफ में निर्णय करने की गुणवत्ता को स्पष्टतया प्रभावित करेगा।

2.4. खनन पटटे देने/नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन

2.4.1. राज्य सरकार द्वारा खनन पटटों का अप्राधिकृत नवीकरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 1.6 के प्रावधानों के अनुसार किसी वन क्षेत्र में वर्तमान खनन पटटे के नवीकरण को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित होता है। पूर्व अनुमोदन के बिना खनन पटटे की समाप्ति पर खनन प्रचालन को चालू रखना अथवा पुनरारंभ अधिनियम का उल्लंघन होता है।

उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर 1996 के अपने आदेश में बताया कि इसके स्वामित्व का ध्यान किए बिना किसी गैर वन प्रयोजनों के लिए वन के विपथन के सभी प्रस्तावों को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांचित 219 फाइलों से यह देखा गया था कि राज्य सरकारों ने उपर्युक्त नियमों तथा आदेशों के उल्लंघन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना खनन पटटों का नवीकरण किया था। खनन पटटों के ऐसे अप्राधिकृत नवीकरण के ब्यौरे तालिका 11 में विस्तृत हैं।

तालिका 11 : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा किया गया खनन पटटा का नवीकरण

क्रं सं	पटटधारी का नाम	वन क्षेत्र (है.में)	खनिज का नाम	राज्य	अप्राधिकृत नवीकरण अवधि	अप्राधिकृत पटटा अवधि
1	मै. हरीश व्यास	8.54	सिलिका सैण्ड	राजस्थान	23/07/1999 से 22/07/2019	12 वर्ष
2	मै. गणेश अग्रवाल	27.32	मार्बल	राजस्थान	15/04/1999 से 14/04/2019	18 महीने
3	मै. बालाजी मिनरल	13.93	सिलिका सैण्ड	राजस्थान	27/12/1999 से 26/12/2019	10 वर्ष
4	मै. एस्सेल माइनिंग इंडस्ट्रीज	30.00	डोलोमाइट	ओडिशा	अगस्त 1985 से सितम्बर 2005	20 वर्ष
5	मै. उदयपुर मिनरल्स डवलपमेंट सिण्डीकेट	641.86	.	राजस्थान	मई 1981 से मई 2001[15]	20 वर्ष

तालिका 11 में (1) , (2) तथा (3) तक के मामलों में अप्राधिकृत नवीकरण आरओ लखनऊ की पहल पर क्रमशः फरवरी 2012, अक्तूबर 2011 तथा नवम्बर 2010 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक दिया गया था। (4) तथा (5) के मामले में राज्य सरकार द्वारा पूर्व अप्राधिकृत नवीकरणों के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ किए बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आगे नवीकरण किया गया था।

उपर्युक्त मामलों में यह देखा गया था कि एमओईएफ ने दोषी प्रयोक्ता एजेंसियों के विरूद्ध किसी दण्ड प्रावधान का प्रयोग नहीं किया और लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने के बाद दोषी अधिकारियों/प्रयोक्ता एजेंसियों को विशेष कारण बताओं नोटिस जारी करने को छोड़कर राज्यों अधिकारियों के साथ अप्राधिकृत नवीकरण का मामला भी नहीं उठाया।

हमने यह भी देखा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास उसके द्वारा अनुमोदित खनन पटटों, खनन पटटे की अवधि, आरओ द्वारा निगरानी रिपोर्टोंका प्रस्तुतीकरण नवीकरण के लिए अनुरोध की प्राप्ती तथा भूमि पटटे की समाप्ति पर वन विभाग का भूमि वापस करने पर समेकित डाटाबेस प्रबन्धन सूचना प्रणाली नहीं है ऐसे डाटाबेस के अभाव में एमओईएफ वन भूमि में खनन कार्यालय की प्रभावी रूप से निगरानी तथा खनन पटटों के अप्राधिकृत नवीकरणों की जांच करने/रोकने के लिए असमर्थ है। इसलिए एमओईएफ के पास अप्राधिकृत नवीकरणों की जांच करने/रोकने के लिए कोई प्रवर्तन तन्त्र नही है।

---
[15] आर ओ लखनऊ के अनुसार जुलाई 2010 तक खनन जारी था।

एमओईएफ ने अपने उत्तर (मई 2013) में स्वीकार किया कि राजस्थान राज्य में वन भूमि क्षेत्र में अधिकांश खनन पटटे एफसी एक्ट 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त किए बिना दिए गए अथवा नवीकृत किए गए थे। एमओईएफ ने बताया कि फरवरी 2012, अक्तूबर 2011 तथा नवम्बर 2010 में पारित अपने आदेशों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्रं सं. 1 से 3 पर दर्शाए गए तीन खानों में गैर कानूनी नवीकरण को पहले ही रोक दिया है। आगे यह बताया गया था कि एमओईएफ क्रं सं. 4 तथा 5 पर दर्शाई खानों के संबंध में एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमोदन के बिना खनन पटटों के नवीकरण की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। एमओईएफ ने यह भी बताया कि उन्होनें एफसी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगने वाले आवेदनों पर वस्तुपरक निर्णय के सुगमीकरण के लिए भौगोलीय सूचना प्रणाली आधारित निर्णय सहायक डाटाबेस तैयार करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण को एक परियोजना पहले ही सौंप दी है। डाटाबेस में अन्य बातों के साथ वन क्षेत्रों में खनन पटटों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा द्वारा यथा उल्लिखित सभी सुसंगत सूचना शामिल होंगी।

2.4.2. अपेक्षित अनुमति के बिना खनन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 केअन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 1.6 के प्रावधानों के अनुसार वन क्षेत्र में विद्यमान खनन पटटा के नवीकरण को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित होता है। पूर्व अनुमोदन के बिना खनन पटटा की समाप्ति पर खनन प्रचालन जारी रखना अथवा पुनरारंभ अधिनियम का उल्लंघन होता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3ए के अनुसार जो भी व्यक्ति धारा 2 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन को प्रेरित करता है, अवधि, जो पन्द्रह दिन तक बढ़ाई जा सकती है, के साधारण कारावास के साथ दंडनीय है।

आरओ भुवनेश्वर तथा आरओ बैंगलुरू के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वानिकी निर्बाधनों के बिना खनन कार्यकलाप चालू था जैसा तालिका 12 में विस्तृत है।

तालिका 12 : वन निर्बाधन के बिना खनन कार्यकलाप

क्र. सं.	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य	वन भूमि (है. मे.)	अवैध खनन की अवधि	एमओईएफ का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	बेल्लारी क्षेत्र में तुंगभद्रा मिनरल्स प्राइ. लिमि. को खनन पटटा	कर्नाटक	232.70	सितम्बर 1990 से जनवरी 1997	राज्य सरकार ने सूचित किया कि 11 जून 1999 (अर्थात पूर्व अनुमति के बाद) कोई खनन कार्य नही हुआ।	लेखा परीक्षा जांच में पाये अवैध खनन मामले पर एमओईएफ ने कोई टिप्पणी नहीं की

क्र. सं.	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य	वन भूमि (है. मे.)	अवैध खनन की अवधि	एमओईएफ का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	ओएमसी लिमिटेड जयपुर जिला	ओडिशा	142.73	अगस्त 2007 से अक्तूबर 2009	आरओ ने सूचित किया कि 7 जुलाई 2007 को पटटे की समाप्ति के बाद खनन कार्य नही किया गया है। तथापि लेखापरीक्षा आपत्ति पर टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।	आर ओ की मानिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार इस समयाब्धि में अवैध खनन था। अतः रिपोर्ट परस्पर विरोधी है।

उपरोक्त मामलों में यह पाया गया कि उमओईएफ ने बिना वन विनथन की अनुमति के खनन करने वाली ऐजैन्सीयों के खिलाफ दण्ड धाराओं का प्रयोग नहीं किया।

2.4.3. बेल्लारी खनन मामलों में एफसी अधिनियम के उल्लंघन में वन भूमि का विपथन

आरओ बैंगलुरू के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि केवल बेल्लारी वन मंडल में 92 मामलों में खनन पटटों को 6,170.25 हैक्टेयर क्षेत्र की वन भूमि के विपथन के लिए अनुमति 1994 से जुलाई 2009 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण क्षेत्र)/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई थी। 92 मामलों से केवल दो मामलों में 949.02 हैक्टेयर वन क्षेत्र को कवर करने वाला राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), भारत सरकार का उपक्रम शामिल था। अन्य सभी 90 मामलों में निजी एजेंसियां लगी थी।

इन 90 मामलों में से 36 मामलों में मार्च 2006 से जुलाई 2009 तक के दौरान नवीकरण /नये अनुमोदन दिए गए थे। जिसमें 3,739.51 हैक्टेयर वन क्षेत्र शामिल था।

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26 फरवरी 2010 में ऊपर उल्लिखित 90 खनन मामलों (एनएमडीसी से संबंधित दो को छोड़कर) में खनन कार्यकलाप अतिशोषण तथा पर्यावरण को पर्याप्त हानि के कारण निलम्बित/बन्द कर दिए गए थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान उपर्युक्त मामलों से संबंधित39 फाइलें लेखापरीक्षा में मांगी गई थीं। लेखापरीक्षा को 29 फाइलें भेजी नहीं भेजी गई थीं। (अनुबन्ध –7)।

इन 10 फाइलों की संवीक्षा से पता चला :

क. सं.	
1	₹ 64.41 करोड़ की एनपीवी (10 में से 8 परियोजनाओं में) का अन्तरण रू. 9.08 करोड़ (10 में से 9 परियोजनाओं में) के रूप में सीए की लागत तथा सुरक्षा क्षेत्र प्रभारों के रूप में ₹ 0.53 करोड़ (6 परियोजनाओं में) राज्य के पीसीसीएफ के पास जमा किया गया बताया गया था। फाइलों से यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि ये राशियां तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई थीं।
2	नौ परियोजनाओं में 311.85 हैक्टेयर गैर वनभूमि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा दी नहीं गई थी। उपर्युक्त से यह देखा गया था कि एमओईएफ द्वारा अन्तिम निर्बाधन सैद्धान्तिक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना दिए गए थे।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि आरओ बैंगलुरू ने तदर्थ कैम्पा को निधियों के अन्तरण के ब्यौरे देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध किया है। एफसी निर्बाधन वार प्रतिपूरक वनरोपण क्षेत्रों का मिलान करने और मामलों, जिनके संबंध में था तो प्रतिपूरक वनरोपण किंचित किया नहीं गया है अथवा रोपण के लिए क्षेत्र की अनुपलब्धता, अतिक्रमण मुकदमेबाजी आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण केवल आंशिक रूप से किया गया है, के ब्यौरे भेजने के लिए आरओ बैंगलुरू द्वारा कर्नाटक सरकार को अनुरोध किया जा रहा था। रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

एमओईएफ का उत्तर केवल यह सुनिश्चित करने कि अन्तिम निर्बाधन केवल सैद्धान्तिक अनुमोदन देते समय लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद दिए गए थे, की निगरानी की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने की मंत्रालय की नितलीय प्रणाली की विफलता की पुष्टि करता है।

2.4.4. गोवा में खान पटटों में एफसी अधिनियम के उल्लंघन में वन भूमि का विपथन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने गोवा में खनन से संबंधित 24 फाइलों की मांग की। लेखापरीक्षा को 12 फाइलें नही भेजी गई थीं (अनुबन्ध 8)।

पांच फाइलों की सूची नीचे दी गई है जिनमें 2006–12 की अवधि से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां थी :

क्र सं.	एजेंसी का नाम	विपथित क्षेत्र (है.में)
1	मैं. सालगांवकर एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	44.98
2	श्रीमती शशीकला काकोदकर	48.44
3	मै. सोसाइडेड टिम्बोलप्रेस लि मि.	109.94
4	मै. पाण्डुरंगा टिम्बलों इण्डस्ट्रीज	32.33
5	मै. आरपी टिम्बलो	63.51
	जोड़	**299.20**

हमारी संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला :

(i) इन सभी पांच परियोजनाओं में विपथित कुल 299.20 हैक्टेयर वन भूमि के स्थान पर बराबर गैर वन भूमि का प्रावधान सैद्धान्तिक अनुमोदन शर्तों में भी निर्धारित नहीं किया गया था और इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा मुहैया नहीं कराई गई थी। उनको विपथित वन भूमि की मात्रा से दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर वन रोपण के लिए सीए निधियां देना अनुमत किया गया था।

(ii) गोवा के उत्तरी जिला से संबंन्धित एक मामले में 32.33 हैक्टेयर भूमि कवर करने वाले मै. पाण्डुरंगा टिम्बलों इण्डस्ट्रीज पर एनपीवी, सीए, पीसीए आदि की शर्तें नहीं लगाई गई थीं और इस प्रकार इन शीर्षों के प्रति कोई राशि वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार रू. 1.88 करोड़ (रू. 5.8 लाख प्रति हैक्टेयर की निम्नतम दर पर परिकलित) की राशि के एनपीवी की वसूली नहीं की गई थी।

(iii) तीन परियोजना फाइलों में यह अभिलिखित नहीं था कि क्या तदर्थ कैम्पा को एपीबी का रू. 13.10 करोड़, सीए का रू. 2.77 करोड़, सुरक्षा क्षेत्र प्रभारों का रू. 0.08 करोड़ जैसा अनुमति की शर्त के रूप में निर्धारित था, प्राप्त हो गया था।

उपर्युक्त से यह देखा गया था कि आईओएमएफ द्वारा अन्तिम निर्बाधन सैद्धान्तिक अनुमोदन शर्तों का अनुपालन/विनिर्देशन सुनिश्चित किए बिना दिए गए थे।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि उन्होने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया था और कि लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए पांच प्रस्तावों में वन भूमि के विपथन के लिए एफसी एक्ट, 1980 क अन्तर्गत दिए गए अनुमोदन में निर्धारित शर्तों की पुनः जांच की जाएगी।

2.4.5. खनन पटटे की समाप्ति के बाद वन भूमि का सौंपा न जाना

एफसी अधिनियम, 1980 के अनुबन्ध ।।। के प्रावधानों के अनुसार पटटे का नवीकरण वास्तव में नए पटटे का दिया जाना है। एफसी अधिनियम 1980 की धारा 2 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जब अधिनियम के लागू होने से पूर्व दिए गए खनन पटटे का इसके लागू होने के बाद नवीकरण किया जाता है।

आरओ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 406.32 हैक्टेयर वन भूमि जुलाई 2007 से फरवरी 2012 तक के दौरान पटटा अवधि की समाप्ति के बाद वन विभाग को वापस नहीं की गई थी। मामलावार ब्यौरे तालिका 13 में हैं।

तालिका 13 : खनन पटटा अवधि की समाप्ति के बाद वन भूमि वापस न करने के मामलों के ब्यौरे

क. सं.	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य	वन भूमि (है. में)	पटटा अवधि की समाप्ति का महीना
1	मै. गावीसिद्धेश्वर एंटरप्राइजेज	कर्नाटक	5.67	अप्रैल 2010
2	मै. एसए तवाब	कर्नाटक	31.60	मार्च 2011
3	मै. कालियापानी क्रोमाइट माइन्स	ओडिशा	142.73	जुलाई 2007
4	मै. गिरधारीलाल अग्रवाल	ओडिशा	23.24	अगस्त 2008
5	मै. टिसको	झारखण्ड	109.99	मई 2012
6	मै. सीसीएल	झारखण्ड	43.30	फरवरी 2012
7	मै. हरीश व्यास	**राजस्थान**	8.54	फरवरी 2012
8	मै. गणेश अग्रवाल	**राजस्थान**	27.32	अक्तूबर 2011
9	मै. बालाजी मिनरल्स	**राजस्थान**	13.93	नवम्बर 2010
		जोड़	**406.32**	

यह स्पष्ट करने के लिए किसी अभिलेख के अभाव में कि पटटे की समाप्ति के बाद वन भूमि वापस कर दी गई थी, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में आगे कोई खनन कार्यकलाप नहीं किया जा रहा है।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि ऐसे मामलों में राज्य वन विभाग खनन पटटे की समाप्ति के बाद तत्काल ऐसे पटटों के अन्दर स्थित वन भूमि का अधिकार सामान्यतया नहीं लेते हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में भारी मशीनरी तथा पटटे की वैघता के दौरान निकाला गया अयस्क वन भूमि में पडे होते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य वन विभागों से पटटा अवधि के समाप्त होने के बाद वन भूमि को तत्काल अधिकार में लेने की अपेक्षा की गई थी। पटटेधारी को भी पटटे की अवधि का पता होता है और अपनी परिसम्पतियों को हटाने तथा सुरक्षा के उचित प्रबन्ध करने चाहिए।

2.4.6. खनन की निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

एफ सी एक्ट, 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 4.10 (iv) के अनुसार पट्टों के नवीकरण के प्रस्तावों के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को शर्तें जो पूरी नहीं की गई थीं, का निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारणों के पूर्ण व्यौरें के साथ विशेष रूप से उल्लेख कर पट्टा अवधि के दौरान परियोजना की निगरानी रिपोर्ट के साथ–साथ की गई अन्तिम निगरानी (पट्टा अवधि की समाप्ति से एक वर्ष पूर्ण) रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करनी थी। शर्तों, जिनका पालन किया गया था, का भी परियोजना अधिकारियों के निष्पादन की गुणवत्ता, पट्टा के नवीकरण की वांछनीयता को उचित ठहराने वाली एक छोटी टिपण्णी तथा अन्य सिफारिशों के साथ विशेष उल्लेख किया जाना था। रिपोर्ट के आधार पर पट्टे का नवीकरण एमओईएफ द्वारा किया जाना था।

एमओईएफ/आरओ में 2002 से 2012 के बीच नवीकृत खनन पट्टों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 56 मामलों में आर ओ ने एमओईएफ को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थीं जैसा कथिक नियम में प्रावधान किया गया। राज्यवार ब्यौरे तालिका 14 में हैं।

तलिका 14 : 2002–12 के बीच खनन पट्टों के नवीकरण से पूर्व प्राप्त न हुईं निगरानी रिपोर्टों की स्थिति

क्र. संख्या	राज्य	निगरानी रिपोर्टों की संख्या	शामिल एजेंसिया		शामिल भूमि का क्षेत्र (है० में)	
			निजी	सरकारी	निजी	सरकारी
1	छत्तीसगढ़	3	2	1	17.74	84.00
2	मध्य प्रदेश	2	1	1	194.00	194.78
3	महाराष्ट्र	6	6	शून्य	71.26	शून्य
4	आन्ध्र प्रदेश	8	8	शून्य	598.86	शून्य
5	कर्नाटक	8	8	शून्य	861.98	शून्य
6	ओडिशा	13	13	शून्य	791.15	शून्य
7	झारखण्ड	7	6	1	550.01	8.70
8	उत्तराखण्ड	2	1	1	8.09	204.00
9	राजस्थान	7	7	शून्य	796.15	शून्य
	कुल	**56**	**52**	**4**	**3,889.24**	**491.48**

उपर्युक्त तालिका से यह पाया गया था कि एमओईएफ ने यह सुनिश्चित किए बिना कि क्यो प्रयोक्ता एजेंसियों ने सम्पूर्ण पूर्व अवधि में निर्धारित शर्तों का पालन किया था अथवा नहीं, 56 मामलों, जिनमें से 3,889.24 है० वन भूमि वाले 52 मामलों निजी एजेंसियों से संबंधित थे, में अनुमोदन दिए थे। एमओईएफ ने इसको अपेक्षित मूल विधिवत सतेतना के बिना खनन पट्टों का प्रभावी रूप से नवीकरण किया था और इस प्रकार एक लापरवाह रीति में कार्य किया।

एमओईएफ ने अपने उत्तर (मई 2013) में स्वीकार किया कि क्षेत्रीय कार्यलयों में स्टाफ की कमी के कारण वांछित निगरानी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया था कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यभार पर्याप्त रूप से बढ़ गया है जिसको अतिरिक्त स्टाफ की संस्वीकुति अपेक्षित है। तथापि संस्वीकृत स्टाफ संख्या होने पर भी एमओईएफ के अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों ने रिपोर्ट नहीं दी थी।

2.5. पर्यावरण मामले

2.5.1. पर्यावरण निर्बाधन के बिना खनन के लिए वन भूमि का विपथन

एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 2.3(i) के अनुसार पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अधीन समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पर्यावरण दृष्टिकोण से निर्बाधन की अपेक्षा करने वाले परियोजना प्रस्तावों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण शाखा द्वारा निर्धारित कार्यविधि

के अनुसार अलग से निर्बाधन अपेक्षित होता है। पर्यावरण निर्बाधन जहॉ, अपेक्षित हो, को वन निर्बाधन के साथ अलग से तथा साथ ही आवेदन करना चाहिए। वन तथा पर्यावरण दृष्टिकोण से निर्बाधनों की अपेक्षा करने वाली परियोजना के लिए संस्वीकृतियों की अलग सूचना जारी जानी थी और परियोजना केवल दोनों दृष्टिकोण से निर्बाधनों के बाद निर्बाध होनी मानी जानी थी।

आरओ बैंगलुरू के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि दो मामलों में खनन परियोजनाएं पर्यावरण निर्बाधन के बिना चल रही थीं जैसाकि तालिका 15 में विस्तृत है।

तालिका 15 : पर्यावरण निर्बाधन के बिना चल रही परियोजनाएं

प्रयोक्ता एजेंसी	राज्य	वन भूमि क्षेत्र (है.में)	अभ्युक्तियां
मै. सिंगरैनी कोलियारी कम्पनीज मंचेरियल डिवीजन, इलाहाबाद जिला	आंध्रप्रदेश	278.00	जुलाई 2008 में आरओ ने विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को उल्लेख किया कि खान पर्यावरण निर्बाधन के बिना चल रही थीं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
मै. मैसूर मिनरल्स लिमिटेड बेल्लारी जिला	कर्नाटक	80.93	आरओ ने सितम्बर 2003 में खनन बन्द करने के लिए प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार को लिखा परन्तु उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार खनन मार्च 2005 तक बन्द नहीं किया गया था। उसके बाद कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इनका उल्लेख किए जाने के बावजूद पर्यावरण निर्बाधन बिना खनन परियोजनाओं के प्रचालन के लिए एमओईएफ को चूकों का निर्धारण और एमओईएफ/राज्य वन विभाग में अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

अन्तिम अनुमोदन देते समय एमओईएफ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि पर्यावरण निर्बाधन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था। उपर्युक्त दोनों मामलों में यह देखा गया था कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित करने के बाद भी एमओईएफ ने दोषी एजेंसियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की और पर्यावरण निर्बाधन सुनिश्चित किए बिना अन्तिम निर्बाधन दे दिया।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि पर्यावरण निर्बाधन बिना दो खानों के चलने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा की आपत्ति पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए एमओईएफ को पर्यावरण शाखा को सूचित की जा रही है।

एमओईफ क्षेत्रीय कार्यालयो के इंगित करने के बावजूत बिना प्र्यावरण विपथन के खनन परियोजना के चालू रखने पर एमओईएफ व राज्य वन विभाग के अधिकारियों की कमियों को सुनिश्चित करे तथा जिम्मेदारी निर्धारित करे ।

2.5.2. वन तथा वन्यजीव पर खनन का प्रतिकूल प्रभाव

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी मार्गनिर्देशों के पैरा 4.16 (ii)तथा (iii)के अनुसार खनिज प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन/नवीकरण का अनुमोदन देते समय निर्धारित शर्तों की प्रत्येक पांच वर्ष बादनवीकरण/निगरानी की जाएगी। यदि यह पाया गया था कि पटटाधारी ने निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया था अथवा अनुपालन नहीं कर रहा था तब वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दिया गया अनुमोदन रदद किया जाना था। संबंधित वन संरक्षक (सी), मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को निगरानी करने के बाद इन शर्तों को पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी करना था। ये मार्ग निर्देश सभी खनन पटटों को पूर्वव्यापी रूप से लागू होगें जिनकी पांच वर्ष से अधिक पटटा अवधि शेष है। क्षेत्रीय कार्यालय जहॉं तक संभव हो बारम्बार वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक अनुमोदन के मुख्य पैरामीटरों/शर्तों की निगरानी करेगा। पांच वर्षों में कम से कम एक बार वायु तथा जल प्रदूषण पर निगरानी के आशय की व्यापक निगरानी की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय ऊपर दर्शाए निगरानी तन्त्र के संबंध में ऐसी रिपोर्टें/प्रमाणपत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजेंगे ताकि पांच वर्षों के बाद खनन पटटा जारी रहने पर एक दृष्टि रखी जा सके।

आरओ भुवनेश्वर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि चार खनन पटटों पर निगरानी रिपोर्टों में यह सूचित किया गया था कि परियोजना में खनन कार्यकलाप वनस्पति तथा जीवजन्तु और वन तथा वन्यजीव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। तथापि दिसम्बर 2012 तक इन परियोजनाओं की निगरानी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे मामलों के ब्यौरे तालिका 16 में दिए गए हैं।

तालिका 16 : मामले जिनमें आरओ ने वन तथा वन्यजीव पर खनन कार्यकलाप के प्रतिकूल प्रभाव सूचित किए परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी

प्रयोक्ता एजेंसी	राज्य	वनभूमि का क्षेत्र (हे. में)	निगरानी रिपोर्ट की तारीख	निगरानी रिपोर्ट में टिप्पणियां
मै. भरतराज सिंह	झारखण्ड	10.08	ज्नवरी 2008	परियोजना पर्यावरण तथा वन को प्रभावित कर रही थी।
मै. नेशनल एन्टरप्राइजेज, सुन्दरगढ़ जिला	ओडिशा	37.32	दिसम्बर 2009	बोनाई क्षेत्र में खुला खनन सामान्यतया वन तथा वन्यजीव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था।
मै. ओएमसी लिमिटेड, कालिया पानी कोमिट खानें जयपुर जिला	ओडिशा	142.73	अप्रैल 2002	परियोजना निश्चित रूप से आसपास के वन तथा वन्यजीव की क्षति का कारण होगी। इस मामले में निर्बाधन जुलाई 2007 तक दिया गया था।

प्रयोक्ता एजेंसी	राज्य	वनभूमि का क्षेत्र (है. में)	निगरानी रिपोर्ट की तारीख	निगरानी रिपोर्ट में टिप्पणियां
मैं महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	ओडिशा	174.90	अगस्त 2004	परियोजना वन तथा वन्य जीव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए वन तथा वन्यजीव को प्रभावित कर रही है। निगरानी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी के बाद भी अन्तिम निर्बाधन जून 2006 में दिया गया था।
	जोड़	365.03		

उपर्युक्त से यह स्पष्ट था कि आरओ से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी एमओईएफ द्वारा कोई सुधारक/उपचारी कार्रवाई नहीं की गई थी और इसने प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वानिकी मार्गनिर्देशों के उल्लंघन की अनदेखी कर निर्बाधन देना जारी रखा।

एमओईएफ ने बताया (मई 2013) कि वर्तमान मामले में निगरानी रिपोर्ट में सामान्य आपत्ति की गई थी कि खनन कार्यकलाप वनस्पति तथा जीव जन्तु और वन तथा वन्यजीव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे। अपनी यर्थाथ प्रकृति द्वारा खनन परियोजनाएं किसी तक प्रतिकूलरूप से वनस्पति तथाा जीव जन्तु को प्रभावित करती हैं। तथापि इनमें से किसी भी मामले में निर्धारित शर्तों में से किसी के उल्लंघन अथवा अननुपालन को सूचित नहीं किया गया है। निर्धारित शर्तों में से किसी के विशेष उल्लंघन अथवा अननुपालन के अभाव में ऐसे पटटाधारियों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई करना एमओईएफ के लिए उचित नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ ने पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षा के लिए कोई उपचारी/सुधारक कदम नहीं उठाए। परियोजनाओं की निगरानी के दौरान उल्लिखित प्रतिकूल टिप्पणियों पर उचित कदम उठाने के लिए एमओईएफ को स्पष्ट कार्यविधि निर्धारित करनी चाहिए अन्यथा निगरानी रिपोर्ट अर्थहीन हो जाएंगी।

2.5.3. निजी लाभों के लिए एमओईएफ द्वारा पर्यावरण रूप से हानिकारक खनन पटटे का नवीकरण

एमओईएफ ने खनन के लिए नया क्षेत्र विपथित न करने की अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थान निरीक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों को रददकर वानिकी निर्बाधन के सामान्य तथा विशेष प्रावधानों का उपहास कर मनमाने तरीके में मै. एलरे मिनरल्स एण्ड कम्पनी को खनन के लिए 100 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन अनुमत किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के ब्यौरे केस स्टडी ।। के रूप में सूचित हैं।

केस स्टडी II

निजी लाभ के लिए पर्यावरण रूप से हानिकारक खनन पटटे का नवीकरण

पुर्तगाल सरकार ने 1937 में मै. एलरे मिनरल्स एण्ड कम्पनी को स्थाई अधिकार में 100 हैक्टेयर भूमि का खनन पटटा दिया। इस 100 हैक्टेयर में से 60.61 हैक्टेयर तथा 39.39 हैक्टेयर क्रमशः वर्ष अगस्त 1979 तथा अक्तूबर 1981 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 तथा धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। 1987 में भारत सरकार द्वारा गोवा, दमन एवं दीव खनन छूट (उन्मूलन एवं घोषणा) अधिनियम पारित किया गया था जिसने स्थाई खनन छूट को समाप्त कर दिया जो 1937 में इस परियोजना को पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। इसलिए "माने गए एमएमआरडी[16] पटटे" खान एवं भूगर्भ विभाग, गोवा द्वारा रियायत ग्राही व्यक्तियों को 1987 से 20 वर्षों के लिए भविष्य प्रभावी रूप से दिया गया है जिसका अर्थ हुआ कि उनका 2007 मं अन्त होगा।

गोवा सरकार ने मई 2006 में आवेदक के पक्ष में खनन हेतु भावी उपयोग के लिए 82.16 हैक्टेयर आरक्षित रखकर 17.84 हैक्टेयर वन भूमि (12.97 हैक्टेयर पहले ही खंडित + 4.87 हैक्टेयर खंडित किए जाने के लिए) के विपथन के लिए मै. एलरे मिनरल्स एण्ड कम्पनी के पक्ष में माने गए खनन पटटे के नवीकरण क`लिए एमओईएफ को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एमओईएफ ने मई 2008 में सैद्धान्तिक अनुमोदन (अगस्त 2008 में संशोधित) तथा फरवरी 2009 मं परियोजना की अन्तिम अनुमोदन दिया।

दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरू ने जून 2006 में परियोजना का स्थल निरीक्षण किया और जुलाई 2006 में एमओईएफ को अपनी रिपोर्ट भेजी। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य के साथ साथ निम्नलिखित प्रस्तावित तथा अवलोकित किया गया :

- प्रस्तावित स्थान भगवान महावीर अभयारण्य से भाग तीन किलोमीटर दूर था और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का आना जाना था।

- आवेदक ने सीए करने के लिए किसी गैर वन भूमि की पहचान करने का प्रवास नहीं किया था। विपथन के लिए वर्तमान में मांगे जा रहे क्षेत्र में 10 वर्ष पुराने गड़ढे आवेदक द्वारा किसी प्रकार स्थाई नहीं किए गए थे।

- यह सामान्यतया अनुमान किया गया था कि गोवा में भूमि से निष्कार्षित लौह अयस्क का प्रत्येक टन खनन रददी का लगभग तीन टन पीछे छोड़ता है और इस प्रकार यह पूर्णतया आवंछित था कि आवेदक ने पर्यावरण रूप से गैर जिम्मेदार रीति में खनन किया। प्रस्तावच में आवेदक ने खनिज बाहरी क्षेत्र को वापस मांगने को प्रस्ताव क्यों किया, के ब्यौरे देकर किसी सुधार योजना को भी शामिल नहीं किया।

- विपथन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में एक बड़ा नाला था जो खान से पानी को माण्डोवी नदी में बहा कर ले जाता है। चूँकि प्रस्ताव में खान स`जल निकास के लिए संसाधन योजना का कोई घटक शामिल नहीं किया गया इसलिए यह कल्पना जा सकेगी कि खान अवशिष्ट वाले प्रदूषण माण्डोवी नदी में बहाए जाएंगे। वर्तमान प्रस्ताव में प्राकृतिक नाले की ऐसी प्रमुख बाधाओं का कोई उल्लेख नहीं पाया गया।

- लागत अनुपात का लाभ प्रस्ताव में अनुमानित नहीं किया गया था।

- चूंकि खनन क्षेत्र वन्यजीव आवास के काफी नजदीक है इसलिए विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से

[16] खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957

किए गए विस्फोटों जैसा कोई खनन प्रचालन प्रतिकूल रूप से वन्यजीव को अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा।

- पेड़ों की कुल संख्या जो 4.86 हैक्टेयर नए क्षेत्र के विपथन को सुगम बनाने के लिए काटे जाने अपेक्षित थे 1000 से अधिक परिकलित किए गए थे।
- परियोजना की उपयोगिता निजी लाभ के लिए सीमित की जानी प्रतीत हुई।

निरीक्षण रिपोर्ट में अन्त में विचार व्यक्त किया गया कि गोवा में खनन के लिए नए क्षेत्र विपथित करने के लिए आगे और कुछ वांछनीय नहीं था।

अगस्त 2006 में एमओईएफ के वन निर्बाधन प्रभाग ने उपर्युक्त गम्भीर आपत्तियों की उपेक्षा कर अन्य सामान्य शर्तों के साथ-साथ 4.86 हैक्टेयर तक गैर वन भूमि देने की शर्त के साथ 17.84 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन को अनुमोदन के लिए परियोजना की सिफारिश थी। गैर वन भूमि देने से छूट की मांग कम्पनी द्वारा मुख्य सचिव से प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यह प्रमाणपत्र किसी शीर्ष पत्रक और कार्यालय अथवा अधिकारी की मोहर के बिना था जो प्रथम दृष्तया गम्भीर प्रतीत हुआ। तथापि एमओईएफ ने अगस्त 2008 में सैद्धान्तिक अनुमोदन परिवर्तित किया और दोगुने निम्नीकृत वन पर सीए अनुमत करने के द्वारा गैर वन भूमि देने से कम्पनी को मुक्त कर दिया।

मुख्य वन संरक्षक, गोवा सरकार ने 100 हैक्टेयर का कुल पटटा क्षेत्र का उल्लेख कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की (के वल 17.84 हैक्टेयर के सैद्धान्तिक अनुमोदन और 17.84 हैक्टेयर वन भूमि के लिए एनपीवी की प्राप्ति के साथ साथ 4.86 हैक्टेयर के लिए दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सीए के प्रति रू. 0.09 करोड़ जमा करने के बावजूद)। वसूले गए तथा ***तदर्थ कैम्पा को जमा किए गए एनपीवी की राशि का कोई उल्लेख नहीं था।***

एमओईएफ ने फरवरी 2009 में एक अस्पष्ट शर्त, कि पटटा क्षेत्र के अन्दर उसे रोकने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को शेष वन क्षेत्र के लिए एनपीवी का भुगतान करना अपेक्षित था, लगाकर परियोजना को अन्तिम अनुमोदन दे दिया। वाक्यांश 'शेष वन क्षेत्र के लिए एनपीवी का भुगतान' का मूल अर्थ लेखापरीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सका। यह अर्थ निकाला गया था कि एमओईएफ ने 100 हैक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र के विपथन की अनुमति दी। 100 हैक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र का एनपीवी परिकलित और तदर्थ कैम्पा में जमा किया पाया नहीं गया था तथा 82.16 हैक्टेयर के शेष क्षेत्र के एनपीवी की राशि संग्रहीत नहीं की गई थी।

इस प्रकार वन भूमि का विपथन वानिकी निर्बाधनों के सामान्य तथा विशेष प्रावधानों की अवज्ञा कर मनमाने तरीके में किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्तिया अप्रैल 2013 में एमओईएफ को जारी की गई थीं, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2013)।

2.6. भूमि प्रबन्धन के अन्य मामले

क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान प्रयोक्ता एजेंसियों को वन भूमि के विपथन के मामलों में विभिन्न अनियमितताएं, अर्थात, अवैध खनन, सैद्धान्तिक अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन और परियोजनाओं की अनुचित निगरानी, जैसा कि तालिका 17 में दिया गया है, पाई गई थीं।

तालिका17 : अवैध खनन तथा सैद्धान्तिक निर्बाधन की शर्तों के अननुपालन के अन्य मामले

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अन्तर्गस्त वन भूमि (हे. में)	अन्तिम अनुमोदन की तारीख	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	एमओईएफ द्वारा उत्तर/कार्रवाई
औंकारेश्वर प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश सरकार मध्यप्रदेश	5,829.85	19.8.2004	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एनपीवी संग्रहीत नहीं किया गया था।	एमओईएफ (मई 2013) ने लेखापरीक्षा आपत्ति का संज्ञान लिया और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से रू. 339. 90 करोड़ का एनपीवी वसूल कर लिया।
मै. स्वामीकाशी रत्नम. मदीनाषादु आंध्र प्रदेश का वत्तपालम आंध्र प्रदेश	4.85	23.8.2004	अक्तूबर 2013 में मंत्रालय को द्वितीय चरण अनुमोदन देने से पूर्व वन विभाग के पास सुधार की लागत जमा करने का निर्देश दिया। निदेशक आरओ (मुख्यालय) द्वारा जुलाई 2004 में शर्त रदद कर दी गई थी। सुधार कार्य अक्तूबर 2011 तक नहीं किया गया था।	अक्तूबर 2011 में आरओ बैंगलुरू द्वारा निगरानी की गई थी और अनुपालन में कमी उचित कार्रवाई के लिए आंध्रप्रदेश राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को सूचित की गई थी।
मै. नरेन्द्रा हुबली जिला कर्नाटक	27.72	01.6.2004	राज्य द्वारा वसूल गए सीए की राशि रू. 0.40 करोड थी जबकि निगरानी रिपोर्ट अनुसार राशि रू. 0.45 करोड थी।	आरओ बैंगलुरू ने मई 2004 में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था और कि एमओईएफ उपरोक्त विसंगति के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगेगा।
मै. एसए तवाब बेल्लारी लौह अयस्क के लिएकर्नाटक	31.60	24.4.2003	मूल खनन 10 वर्षों के लिए 3 मार्च 1981 से 3 मार्च 1991 तक था। सैद्धान्तिक अनुमोदन जो 23 दिसम्बर 1992 को दिया गया था 14 सितम्बर 2001 को यह कहते हुए रदद कर दिया गया था कि यदि राज्य सरकार/यूए की अभी भी परियोजना में रूचि है तो एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा जिसपर नए सिरे से विचार होगा। तथापि अप्रैल 2003 में अन्तिम अनुमोदन 20 वर्ष के लिए 4 मार्च 1991 से दिया गया था। तथ्य यह शेष रहा कि 04 मार्च 1991	एमओईएफ ने सूचित किया कि अप्रैल 2003 का इसका अनुमोदन 4 मार्च 1991 से 24 अप्रैल 2003 तक की अवधि को कवर करता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ ने मार्च 1991 से अप्रैल 2003 तक के दौरान वास्तविक खनन कार्यकलाप सुनिश्चित किए बिना मार्च 1991

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	अन्तर्गस्त वन भूमि (है. में)	अन्तिम अनुमोदन की तारीख	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	एमओईएफ द्वारा उत्तर/कार्रवाई
			से 24 अप्रैल 2003 की अवधि के बीच कोई खनन पटटा नहीं हुआ था। पटटा प्रस्ताव का हस्तांतरण 04 फरवरी 2009 में आरम्भ किया गया था परन्तु पीसीसीएफ ने मानवीय लोकायुक्त रिपोर्ट के कारण प्रस्ताव रोक दिया था।	की पूर्वव्यापी तारीख से अनुमोदन दिया
मै. टाटा रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड	58.50	जून 2005	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से निर्बाधन बिना अन्तिम अनुमोदन किया गया था क्योंकि चांद का वन्य जीव अभ्यारणय काफी निकट था। अप्रैल 2008 की निगरानी रिपोर्ट से पता चला कि 41 हैक्टेयर क्षेत्र उचित सुधार बिना वन विभाग को वापस किया गया था और 4.50 हैक्टेयर का डम्पिंग क्षेत्र का भी उचित रूप से सुधार नहीं किया गया था। भारी धूल थी और पानी छिड़काव प्रबन्धों का अभाव था तथा खान से पानी उचित संसाधन बिना बहाया जा रहा था। वन्यजीव से खतरे के कारण अभयारणय चारदीवारी के साथ हाथी अमेघ नाका के निर्माण/खोदने के लिए नवम्बर 2007 में यूए को सलाह दी गई थी। वन के विखण्डन के कारण खनन वन तथा वन्यजीव के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। यूए से पहले वर्ष से ही राज्य वन विभाग के परामर्श से समवर्ती सुधार योजना निष्पादित करना अपेक्षित था और नोडल अधिकारी तथा क्षेत्रीय सीसीएफ, भुवनेश्वर को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी थी जिसकी विफलता में खनन कार्यकलाप निलम्बित रहना था। जैसा आरओ भुवनेश्वर के अक्टूबर 2009 के पत्र से स्पष्ट है, प्रयोक्ता एजेंसी से से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई थी और एमओईएफ द्वारा कोई उपचारी/सुधार कार्रवाई नहीं की गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित है।

2.7. दण्ड खण्ड का अपर्याप्त तथा अप्रभावी उपयोग

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 वन के अनारक्षण अथवा गैर वन प्रयाजनों हेतु वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, को छोड़कर, आरक्षित वन के अनारक्षण,गैर वन प्रयोजन हेतु वन भूमि को उपयोग, वन भूमि का पटटा करने और वन भूमि से पेड़ों को हटाने का निर्देश देने का कोई आदेश नहीं करेगा। वन निर्बाधन देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी मुख्य वन संरक्षक /क्षेत्रीय कार्यालय का प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं एमओईएफ का महानिदेशक वन है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 ए के अनुसार जो कोई व्यक्ति धारा 2 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के प्रेरित करता है, अवधि, जो पन्द्रह दिन तक बढ़ाई जा सकती है, के साधारण कारावास के साथ दण्डनीय है । जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध होने के समय प्रभारी था, इसके लिए उत्तरदायी था, प्राधिकरण के कामकाज करने के लिए अधिकारी तथा प्राधिकारी अपराध के लिए दोषी होना माना जाना था और मुकदमा चलाए जाने का दायी था तथा तदनुसार दण्डित किए जाने का दायी था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 1,03,381.91 हैक्टेयर प्राप्य गैर वन भूमि के प्रति केवल 28,085.90 हैक्टेयर प्राप्त हुई थी जिसमें से केवल 11,294.38 हैक्टेयर राज्य/यूटी वन विभागों के पक्ष में हस्तान्तरित तथा परिवर्तित की गइ्र थी और इसमे से 3,279.31 हैक्टेयर् को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किया गया। आगे, ₹ 5,311.16 करोड[17] जो 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल मूल धन का 23 प्रतिशत बनता था, के गैर वसूली/निवल वर्तमान मूल्य के कम निर्धारण/प्रतिपूरकवनरोपण/अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/शास्तिक प्रतिपूरक वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के मामले हुए थे। तथापि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के सम्पूर्ण उल्लंघनों के बाद भी एमओईएफ द्वारा कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

एमओईएफ ने अगस्त 2009 से अक्तूबर 2012 तक की अवधि के दौरान केवल तीन मामलों में दण्ड प्रावधान का प्रयोग किया था और यह कार्रवाई भी केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित थी। हमारे विचार में एफसी एक्ट, 1980 में निर्धारित दण्ड खण्ड अवैध तथा अप्राधिकृत परियोजनाओं के प्रति कोई रोक स्थापित करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त तथा अप्रभावी था।

2.8. निष्कर्ष

पृथ्वी पर जीवन आधार प्रणाली को बनाए रखने में वन प्राणाधार संघटक हैं। विकास के किसी कार्यक्रम को व्यवस्था परक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा को संतुलित किया जा सके। इसलिए गैर वन उपयोग हेतु वन को अव्यवस्थित विपथन को विनियमित करना

[17] विवरण के लिए अध्याय ।।। देखें।

अलोचनात्मक है। तदनुसार गैर वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के अनारक्षण अथवा विपथन के प्रस्तावों के मामले में अनुमोदन करते समय प्रतिपूरक वनरोपण को अति महत्वपूर्ण शर्तों में से एक बनाया गया है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि गैर वन भूमि, जो राज्य वन विभाग के स्वामित्व को हस्तान्तरित की जानी है, के बराबर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण किया जाएगा।

यह अध्याय वन भूमि के विपथन, प्रतिपूरक वनरोपण को प्रोत्साहित करने में अपक्षेपित विफलता, खनन के मामले में वन भूमि के अप्राधिकृत विपथन तथा पर्यावरण प्रणाली के सहगामी उल्लंघन से सम्बन्धित नियामक मामलों में गंभीर कमियों का उल्लेख करता है।

गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण करने में समर्थ होने के लिए सरकार द्वारा ऐसी भूमि का प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय के अभिलेखों से पता चलता है कि प्राप्य 1,03,381.91 हैक्टेयर गैर वन भूमि के प्रति 2006–12 की अवधि के दौरान केवल 28,086 हैक्टेयर प्राप्त हुई थी जो प्राप्तय गैर वन भूमि का केवल 27 प्रतिशत थी। प्राप्त गैर वन भूमि पर किया गया रोपण 2006–12 की अवधि के दौरान प्राप्त 28,086 हैक्टेयर में से नितलीय 7,280.84 हैक्टेयर जो प्राप्त भूमि का काफी कम 26 प्रतिशत और भूमि जो किंचित प्राप्त हुई है, का काफी छोटा खण्ड थी। निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण पहचानी गई 1,01,037.35 है. एवं 54.5 किमी. में से केवल 49,733.76 हैक्टेयर एवं 49 किमी. पर किया गया था जो 49 प्रतिशत था।

राज्य वन विभाग को स्वामित्व के हस्तान्तर से सम्बन्धित अभिलेख समान रूप से निराशापूर्ण है। राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चला कि उनके द्वारा प्राप्त 23,246.80 हैक्टेयर गैर वन भूमि में से केवल 11,294.38 हैक्टेयर राज्य वन विभाग के नाम हस्तान्तरित तथा परिवर्तित की गई थी। इसमें से केवल 3,279.31 हैक्टेयर आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की गई थी जो प्राप्त गैर वन भूमि के केवल 14 प्रतिशत थी।

प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए गैर वन भूमि की प्राप्ति आरम्भिक बिन्दु था। अभी तक इस आलोचनात्मक घटक पर मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए डाटा का कोई मिलन आधार नहीं था। विपथित वन भूमि तथा प्राप्त गैर वन भूमि के डाटा में अन्तर में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य वन विभाग द्वारा अनुरक्षित डाटा के बीच क्रमशः काफी कम 3.5 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत था। खराब गुणवत्ता तथा असमाशोधित डाटा योजना, प्रचालनों की गुणवत्ता और निर्णय लेने से समझौता करेंगे।

मुख्य सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतिपूरक वनरोपण के लिए वनल भूमि की अनुपलब्धता तथा कम उपलब्धता के मामले में वनरोपण विपथित वन भूमि की मात्रा के दोगुने निम्नीकृत वन पर किया जाना था। यह देखा गया था कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय तथा सिक्किम को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में प्रतिपूरक वनरोपण मुख्य सचिव के किसी प्रमाण पत्र बिना 75,905.47 हैक्टेयर क्षेत्र पर अनुमत किया गया था। केवल दो राज्यों यथा चण्डीगढ़ तथा उत्तराखण्ड में बराबर अथवा अधिक गैर वन भूमि प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टान्त भी देखे गए जहॉं उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अवज्ञा की गई थी। आंध्रप्रदेश में एपीएसईबी के मामले में उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति मांगे बिना राष्ट्रीय पार्कों तथा

अभयारणयों में वन भूमि का विपथन अनुमत किया गया था और राजस्थान तथा ओडिशा में खनन पटटों के अप्राधिकृत नवीकरण के पांच मामलों में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

अध्याय में पटटों के अप्राधिकृत नवीकरण, अवैध खनन, निगरानी रिपोर्टों में टिप्पणियों के बावजूद खनन पटटों को जारी रखने, पर्यावरण निर्बाधन बिना चल रही परियोजनाओं, वन भूमि की स्थिति में अप्राधिकृत परिवर्तन और वानिकी निर्बाधनों के निर्णयों में मनमानापन के अनेक दृष्टान्तों का भी उल्लेख है छः राज्यों, जहाँ सूचना उपलब्ध थी, में 1,55,169.82 हैक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण देखा गया था परन्तु एमओईएफ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बावजूद निष्कासन के लिए समयबद्ध कार्रवाई नहीं की।

माप, जिस तक इस लेखापरीक्षा में अनयिमितताएं देखी गई हैं, को ध्यान में रखकर निगरानी अति महत्वपूर्ण थी, एमआईएस/संकलित डाटाबेस के अभाव ने अजांचित रहने के लिए अनियमितताओं के अलग मामले अनुमत किए। वन भूमि के विपथन से सम्बन्धित एफसी एक्ट की शर्तों के अनुपालन की निगरानी का अपना उत्तरदायित्व उचित रूप से निभाने में एमओईएफ असफल हुआ।

लेखा परीक्षा जांच के दौरान पाई गई कमियों के मद्देनजर मानिटरिंग करना परमावश्यक था। एमआईएस व संकलित डाटाबैस की कमी के कारण अनियमितताओं के अजांचित रहने में इजाफा हुआ। एफसी एक्ट 1980 में निर्धारित दण्ड खण्ड अवैध तथा अप्राधिकृत प्रथाओं पर कोई रोक लगाने में पूर्णतया अपर्याप्त तथा अप्रभावी था और इसका एमओईएफ द्वारा प्रर्याप्त रूप से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था।

एम ओई एफ ने अगस्त 2009 से अक्तूबर 2012 तक की अवधि के दौरान केवल तीन मामलों में दण्ड प्रावधान का प्रयोग किया था और यह कार्रवाई भी केवल कारण बताओं नोटिस जारी करने तक सीमित थी। हमारे विचार में एफसी एक्ट, 1980 में निर्धारित दण्ड खण्ड अवैध तथा अप्राधिकृत प्रथाओं पर कोई रोक लगाने में पूर्णतया अपर्याप्त तथा अप्रभावी था।

अध्याय - III

प्रतिपूरक वनीकरण निधियों का संग्रहण

3.1. प्रस्तावना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियो से धन संग्रहीत किया जाना था जिसमें गैर वन उपयोग हेतु विपथित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण (एसीए), दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (पीसीए), जलग्रहण क्षेत्र संसाधन (सीएटी) योजना आदि के लिए धन शामिल किया गया। 2002 तक यह निधियां प्रतिपूरक वनरोपण, अग्रिम मिटटी कार्य, अनुरक्षण आदि कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत तथा रखी जा रही थीं।

2001 में उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिपूरक निधि के लिए जमा निधियों का बहुत कम उपयोग हुआ और प्रतिपूरक वनरोपण की एक बड़ी राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा वसूल नहीं की गई। आगे पाया गया कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु राज्य सरकारों को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा धन दिया गया किंतु पुनर्वनरोपण के लिए उपयोग की गई राशि, राज्य सरकारो द्वारा प्राप्त राशि का केवल 83 प्रतिशत ही था और लगभग ₹ 200 करोड़ के करीब कमी रही थी। 29 अक्तूबर 2002 को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रयोक्त एजेंसी गैर वन प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि के निवल मूल्य का वन की मात्रा व घनत्व के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि में भुगतान करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने 29 अक्तूबर 2002 के आदेश में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रबन्धन के लिए निकाय बनाने का निर्देश देते हुए यह आदेश भी दिया कि प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त राशि जो कि खर्च नही की गई अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी कोई शेष राशि अथवा कोई राशि जो प्रयोक्ता एजेंसी से अभी वसूल की जानी थी, भी इस निधि में जमा की जाएगी। 5 मई 2006 को तदर्थ कैम्पा के सृजन का आदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सेन्ट्रल ऐमपावरड कमेटी (सीईसी) के सुझावों को भी स्वीकार किया कि तदर्थ निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि कैम्पा के लिए प्राप्त सभी धन राशि और जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास वर्तमान में पड़ी है, इस निकाय द्वारा खोले गए बैंक खाते (तो) में अन्तरित किया जाए।

2002 में उच्चतम न्यायालय को अपनी अनुशंसाओ में सीईसी ने उल्लेख किया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कथन के अनुसार मार्च 2002 तक ₹ 859.29 करोड़ जो प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किया जाना था, के प्रति अभी तक ₹ 793.86 करोड़ वसूल किया गया और प्रतिपूरक वनरोपण पर वास्तव में ₹ 496.22 करोड़ खर्च किया गया। इसलिए यह परिकलित किया गया कि 2002 में प्रतिपूरक वनरोपण का ₹ 297.64 करोड़ राज्य सरकारों के पास पड़ा था और ₹ 65.43 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों से अभी वसूल किए जाने थे। 2006 तक जब तदर्थ कैम्पा प्रचालन में आए तब संचय ₹ 1,200 करोड़ से अधिक हो गया जैसा कि आरम्भिक वर्ष में तदर्थ कैम्पा निधियों के अन्तरण से स्पष्ट था।

3.2. राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधियों का अन्तरण

उच्चतम न्यायालय के 5 मई 2006 के आदेश के अनुसार तदर्थ कैम्पा को सुनिश्चित करना था कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकारों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक लेखाओ को अन्तरित किया जाना था। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार 30 अक्तूबर 2002 से संग्रहीत राशि का कथित तदर्थ निकाय को लेखांकित तथा भुगतान करना था।

तदनुसार, तदर्थ कैम्पा ने राष्ट्रीयकृत बैंको में राज्य विशिष्ट बैंक खाते खोलने का प्रबंध किया । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार गैर वन उपयोग हेतु वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्यों द्वारा संग्रहीत धन इन लेखाओं में जमा किया गया।

2006 से तदर्थ कैम्पा ने कारपोरेशन बैंक, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली में 37 चालू खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 35 चालू खाते, तदर्थ कैम्पा के प्रबंधन व्यय से संबंधित दो चालू खाते) और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली में 33 चालू खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 32 चालू खाते, और एक मुख्य खाता) प्रचालित किए गए। इसके अलावा, मार्च 2011 में कारपोरेशन बैंक में 37 बचत बैंक खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 35 बचत बैंक खाते, एक मुख्य खाता और तदर्थ कैम्पा के प्रबन्धन व्यय से संबंधित एक बचत बैंक खाता) और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली में 33 बचत बैंक खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 32 बचत बैंक खाते और एक मुख्य खाता) खोले गए।

तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाई गई लेखाकरण अवधि 1 जुलाई से 30 जून थी। इसे लेन देन अवधि होने के कारण वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष के समान करने के लिए 30 जून 2012 से बदला गया।

3.2.1. निधियों के संग्रहण तथा अन्तरण के संबंध में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश

तदर्थ कैम्पा ने अपनी शासी निकाय की हैसियत से, समय समय पर, अपनी क्रमिक बैठकों में निधियों के संग्रहण तथा अन्तरण से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्यों/यूटी द्वारा भेजे जाने के लिए देय धन वसूल, अन्तरित तथा लेखांकित किया जाए इन निर्देशों तालिका 18 में दिया गया हैं।

तालिका 18 : तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां

बैठक की तिथि	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां
7 जुलाई 2006	सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों के साथ प्राप्तियों का अवाधिक मिलान अनिवार्य माना गया था। यह निर्णय लिया गया कि : • तदर्थ निकाय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से एक प्राप्ति खाता खोला जाए जिसे इसके मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उचित रूप से अनुरक्षित किया जाए। राज्य/यूटी, कारपोरेशन बैंक तथा तदर्थ कैम्पा के साथ प्राप्तियों के अन्योन्य संदर्भ के लिए एक उपयुक्त तन्त्र भी वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विकसित किया जाए।

बैठक की तिथि	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां
	• राज्य/यूटी सरकारों से प्राप्त निधियों का मासिक विवरण मिलान के लिए उन्हे वापस भेजा जाए।
27 नवम्बर 2006	• वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रत्येक मामले के संबंध में प्राप्य धन वास्तव में प्राप्त धन, प्राप्य ब्याज की राशि, प्राप्त ब्याज की राशि, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे संकलित किए जाएं। • अनुमोदित प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए कि सूचना तदानुसार संकलित और लेखापरीक्षित की गई तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30 अक्तूबर 2002 के अनुसार प्राप्य धन के संबंध में लेखापरीक्षा की गई थी। • यह भी देखा गया कि यद्यपि 24 नवम्बर 2006 तक तदर्थ कैम्पा द्वारा ₹ 2,414.09 करोड़ की राशि प्राप्त की गई, प्राप्य धन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे और इसलिए तदर्थ कैम्पा को राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित की जाने वाली शेष राशि से सम्बन्धित कोई दृष्टिकोण संभव नहीं था।
20 जून 2007	यह देखा गया कि विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों से सम्बन्धित राशियों का राज्य/यूटी स्तर पर उपलब्ध राशियों के साथ अभी तक मिलान नहीं किया गया। चूंकि तदर्थ कैम्पा स्तर पर अर्थपूर्ण फारमेट में राशियां संकलित नहीं की गई इसलिए ऐसा मिलान में सम्भव नहीं था।

तदर्थ कैम्पा की बैठकों के कार्यक्रमों के उपर्युक्त सार से यह स्पष्ट है कि शासी निकाय ने न केवल राज्यों/यूटी से प्राप्य तथा प्राप्त धन के अभिलेख अनुरक्षित किए जाने चाहिए, के बारे में निर्देश जारी किए के संबंध में विशेष तथा प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्य सभी राशियां संग्रहीत तथा लेखांकित की भी जानी चाहिए, सुनिश्चित करने के लिए मामलावार अभिलेख बनोने के लिए भी निर्देश जारी किए। इसे इस संबंध में राज्यों/यूटी के अभिलेखों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा रखे अभिलेखों के बीच मिलान की कमी के बारे में भी ध्यान दिया गया। तथापि हमने पाया कि स्थिति को आश्चर्यजनक रूप से परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेशों कि संग्रहीत तथा राज्य/यूटी सरकारों के पास अप्रयुक्त अथवा संग्रहीत किए जाने वाली प्रतिपूरक वनरोपण निधि से सम्बन्धित सभी निधियां तदर्थ कैम्पा लेखे को अन्तरित की गई, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तथा निगरानी की प्रणाली आरम्भ करने के कार्यकारी उत्तरदायित्वों से पारित सदस्यों द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। यह निधियों के अन्तरण के तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी के अभिलेखों में विसंगतियों, अन्तरणों में असाधारण विलम्ब और राज्य सरकार लेखाओं में निधियों को लगातार अपने पास रखने के उदाहरणों के हमारे निष्कर्षों से स्पष्ट था। ऐसी लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरे आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा का अस्तित्व पूर्णतया अस्थाई था और लेखा फारमेट/प्रणालियां जो तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाई जानी चाहिए थीं आज की तारीख तक सीएजी/महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि तदर्थ कैम्पा पूर्णतया अस्थाई था परंतु इसका सृजन मई 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया गया था, जिसने वसूल किए जा रहे/राज्य के पास पड़े सभी धन का अन्तरण और उसकी लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ कैम्पा को बाध्यकारी भी बनाया था। यह उत्तर कि लेखाओं का फारमेट सीएजी/ सीजीए द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि सितम्बर 2005 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार दोहरी प्रविष्टि के सिद्धान्तों पर आधारित निगम लेखाकरण तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाया जाना चाहिए था। इसकी मार्च 2007 की कैम्पा (संशोधन) अधिसूचना द्वारा भी पुष्टि की गई थी।

3.2.2. तदर्थ कैम्पा की राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित निधियों की स्थिति का मिलान न करना

उच्चतम न्यायालय के मई 2006 के आदेश में यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तदर्थ कैम्पा को दिया गया कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाते (तों) में अन्तरित किया जाए।

हमारी लेखापरीक्षा में पता चला कि प्राप्तियों के उचित अभिलेख बनाने और आवधिक मिलान के संबंध में 2006 तथा 2007 में तदर्थ कैम्पा को जारी निर्देशों के बावजूद मई 2013 तक ऐसा कोई मिलान नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों के रूप में सूचित और राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारियों से संग्रहीत ब्यौरों के अनुसार राज्य/यूटी द्वारा अन्तरित किए जाने को दावित निधियों की स्थिति में बड़ी विसंगतियां हुईं। विसंगतियों के ब्यौरे तालिका 19 में हैं।

तालिका 19 : राज्य/यूटी द्वारा अन्तरित के रूप में सूचित राशियों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्ति के रूप में सूचित राशियों में विसंगतियां।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के जमा की गई राशि[20]	राज्य कैम्पा के अनुसार तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	प्रतिशतता अन्तर	अभ्युक्तियां
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	12.63	11.27	10.77	
2	आंध्रप्रदेश	2,514.35	2,105.54	16.26	2006–12 की अवधि के लिए
3	अरूणाचल प्रदेश	731.92	438.82	40.05	
4	असम	327.13	157.82	51.75	
5	बिहार	195.90	172.34	12.03	
6	चण्डीगढ़	2.09	2.35	-12.44	
7	छत्तीसगढ	2,491.30	1,114.81	55.25	

[20] यह राशि 31 मार्च 2012 को तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 20,063 करोड़ की मूल राशि और तदर्थ कैम्पा को अन्तरित के रूप में राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा बताई गई राशियों के साथ इसे तुलनीय बनाने के लिए 2009–12 के दौरान राज्यों/यूटी को जारी राशि अर्थात ₹ 2,829 करोड़ भी शामिल करती है।

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के जमा की गई राशि[20]	राज्य कैम्पा के अनुसार तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	प्रतिशतता अन्तर	अभ्युक्तियां
8	दिल्ली	35.77	34.76	2.82	
9	गोवा	146.29	146.97	-0.46	
10	गुजरात	663.51	583.49	12.06	
11	हरियाणा	343.17	280.00	18.41	2006–12 की अवधि के लिए
12	हिमाचल प्रदेश	1,084.72	628.44	42.06	राज्य निश्चित नहीं हैं कि कितनी राशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई।
13	जम्मू–कश्मीर	138.43	365.90	-	₹ 291.85 करोड़ को एफडीआर तदर्थ कैम्पा को गिरवी रखी गई
14	झारखण्ड	2,014.76	1,598.32	20.67	
15	कर्नाटक	930.31	836.39	10.10	
16	केरल	24.50	30.99	-26.48	
17	मध्यप्रदेश	1,285.21	902.53	29.78	
18	महाराष्ट्र	1,753.15	738.45	57.88	
19	मणिपुर	34.55	34.59	-0.12	
20	मेघालय	90.36	90.36	0.00	
21	मिजोरम	10.62	10.62	0.00	
22	ओडिशा	4,394.16	3,697.26	15.86	
23	पंजाब	439.58	286.33	34.86	
24	राजस्थान	794.28	354.75	55.34	राशि केवल 28 नमूना जांचित मण्डलों के लिए उपलब्ध
25	सिक्किम	195.49	178.86	8.50	2006–12 की अवधि के लिए
26	तमिलनाडु	30.24	27.02	10.65	
27	त्रिपुरा	82.49	57.43	30.38	
28	उत्तरप्रदेश	643.10	584.52	9.11	
29	उत्तराखण्ड	1,364.85	1,296.96	4.97	
30	पश्चिम बंगाल	110.90	95.99	13.44	
	कुल	**22,885.76**	**16,863.88**	**26.31**	

समान लेनदेन को प्रदर्शित करने वाले अभिलेखों के दो स्वतन्त्र सैट, जैसा वर्तमान मामले में है, का मिलान यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तन्त्र था कि निधियों की प्राप्तियों/अन्तरणों के अभिलेख पूर्ण तथा सही हो। राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित किए जाने के लिए दावित राशियों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त सूचित राशियों के बीच महत्वपूर्ण असमाशोधित अन्तर नियंत्रणों में शिथिलता के संकेत हैं। समाशोधित आंकड़ो के एकल सेट के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि संग्रहीत तथा राज्यों/यूटी के पास अप्रयुक्त पडीं सभी प्रतिपूरक वनरोपण निधियां तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई जैसा 5 मई 2005 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य/यूटी से प्राप्त राशियों के ब्यौरों के मिलान की प्रकिया चल रही है और समाशोधित अनुसूची/खाते लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

3.2.3. तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई निधियां

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मई 2006 के आदेश के अनुसार सभी धन जो कैम्पा की बाबत प्राप्त किया गया था और जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास वर्तमान में पड़ा था, तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाता (तों) को अन्तरित किया जाना था।

हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने कि राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत प्रतिपूरक वनरोपण की सभी राशियां तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई थीं, के लिए प्रत्येक राज्य/यूटी द्वारा प्राप्य राशियों, वसूली गई राशियों और प्रेषित राशियों का केन्द्रीयकृत परियोजना वार डाटा बेस तैयार नहीं किया गया। जबकि 26 नवम्बर 2006 को आयोजित अपनी बैठकों में इस संबंध में तदर्थ द्वारा कैम्पा निर्देश गए थे।

राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा में नमूना जांचित मण्डलों (जहां नोडल अधिकारियों ने सूचना मुहैया नहीं की,) से संग्रहीत ब्यौरों से हमने देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल किए गए 30 में से 23 राज्यों/यूटी के राज्य कैम्पाओं ने आज तक (जनवरी 2013) तदर्थ कैम्पा को ₹ 401.70 करोड़ प्रेषित नहीं किए। राज्य/यूटी तथा प्रेषित न की गई राशियों के ब्योरे तालिका 20 में दिए गए है।

तालिका 20 : राज्यों/यूटी के ब्यौरे जिन्होने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रतिपूरक वनरोपण निधियां प्रेषित नहीं कीं।

(₹ करोड़ में)

कं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई राशि
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.45
2	अरूणाचल प्रदेश	5.06
3	असम	50.81
4	बिहार	1.44
5	चण्डीगढ़	0.04
6	छत्तीसगढ़	0.17
7	गोवा	1.33

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई राशि
8	हरियाणा	18.94
9	हिमाचल प्रदेश	21.51
10	जम्मू–कश्मीर*	59.83
11	झारखण्ड**	28.06
12	कर्नाटक	9.66
13	केरल**	1.80
14	महाराष्ट्र**	0.04
15	मणिपुर	0.50
16	मेघालय	61.58
17	मिजोरम	16.62
18	ओडिशा	18.37
19	राजस्थान**	30.57
20	तमिलनाडु	19.45
21	उत्तरप्रदेश	23.50
22	उत्तराखण्ड **	24.12
23	पश्चिम बंगाल	7.85
	कुल	**401.70**

**जम्मू – कश्मीर के लिए सी ए राज्य कैम्पा द्वारा रखा जाना था। तालिका में इंगित राशि केवल एनपीवी के लिए है। 2007 से पहले के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।*

***इन राज्यों में नोडल अधिकारियों द्वारा सूचना दी नहीं गई। इसलिए यह नमूना जांच आधार पर मण्डलों से संग्रहीत की गई थी अर्थात झारखण्ड – पांच मण्डल, केरल – दो मण्डल, महाराष्ट्र–एक मण्डल, राजस्थान – 28 मण्डल तथा उत्तराखण्ड –13 मण्डल*

जैसा तालिका 20 में सूचित, अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामों से स्पष्ट है, कि लेखापरीक्षा में शामिल किए गए 30 राज्यों/यूटी में से 23 राज्यों /यूटी ने तदर्थ कैम्पा को सीएएफ का कुछ भाग प्रेषित नहीं किया जो उच्चतम न्यायालय के उन आदेशों का उल्लंघन था जिसके अनुसार कि ऐसी सभी निधियां केन्द्रीय निकाय को अन्तरित की जानी चाहिए थी। प्राप्य, वसूल की गई और तदर्थ कैम्पा को या तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तदर्थ कैम्पा अथवा राज्य कैम्पा के पास प्रेषित मामलावार राशि के केन्द्रीयकृत डाटा बेस के अभाव में यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि तालिका 20 में सूचित ₹ 401.70 करोड़ तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई सीएएफ की कुल राशि है। तदर्थ कैम्पा राशियों जो राज्यों/यूटी के पास पडी थीं, को निर्धारित करने की प्रणाली स्थापित करने और तदर्थ कैम्पा लेखाओं को सम्पूर्ण निधियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में भी असफल रहा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाएगा। तथापि यह तथ्य शेष रहता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तदर्थ कैम्पा की विभिन्न बैठकों में इस विषय पर की जा रही चर्चा तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद राज्य/यूटी सरकारों से बकाया प्राप्यों को वसूल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।

3.2.4. राज्य सरकारों द्वारा अपने पास रखी गई निधियां

30 अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि संघ, राज्यों के सामान्य राजस्व का भाग अथवा भारत की समेकित निधि में शामिल नहीं होनी थी। प्रतिपूरक वनरोपण निधियां जो अभी तक वसूल नहीं की गई थीं तथा राज्यों द्वारा पहले ही वसूल कर ली गई अव्ययित निधियां कैम्पा को अन्तरित की जानी थीं। 2009 में जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में भी स्पष्ट किया गया कि राज्य कैम्पा प्रतिपूरक वनरोपण तथा एनपीवी के प्रति उपचित निधियों को सामान्य जमा कर्ता के रूप में कार्य करेगा। इसलिए प्रतिपूरक वनरोपण निधियां सभी स्थितियों में राज्य/यूटी सरकार की निधियों से अलग रखी जाएं।

30 राज्य/यूटी में अभिलेखों की हमारी नमूना जांच में पता चला कि 16 राज्य/यूटी में ₹ 186.32 करोड़ की कैम्पा निधियां अक्तूबर 2002 के बाद राज्य लेखाओं में जमा की गई जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था। राज्य/यूटी वार ब्यौरे तालिका 21 में दिए गए हैं।

तालिका 21 : राज्य लेखाओं को प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के अन्तरण के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	राज्य खाते में जमाएं
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.11
2	अरूणाचल प्रदेश	5.06
3	असम	26.64
4	बिहार	1.44
5	छत्तीसगढ़	0.17
6	हरियाणा	18.94
7	हिमाचल प्रदेश	21.51
8	झारखण्ड	28.06
9	कर्नाटक	9.66
10	मेघालय	0.06
11	ओडिशा	13.61
12	राजस्थान	1.91
13	तमिलनाडु	19.45
14	उत्तर प्रदेश	22.93
15	उत्तराखण्ड	8.92
16	पश्चिम बंगाल	7.85
	कुल	**186.32**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त राशियों के वर्षवार ब्यौरे सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाए जाने के लिए तदर्थ कैम्पा को दिए जाए। उत्तर तदर्थ कैम्पा द्वारा खराब अनुवर्ती कार्रवाई को प्रदर्शित करता है क्योंकि तदर्थ कैम्पा द्वारा उचित समय पर सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ अवरोधन के मामले को उठाना चाहिए था।

3.2.5. तदर्थ कैम्पा को निधियों के अन्तरण में विलम्ब

30 अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधियां जो अभी तक वसूल नहीं की गई थीं तथा राज्यों द्वारा पहले ही वसूल की गई अव्ययित निधियां, सम्बन्धित राज्यों तथा प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इनके गठन के छः माह के अन्दर कैम्पा को अन्तरित की जानी थीं। 5 मई 2006 को तदर्थ कैम्पा के सृजन का निर्देश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने पुनः निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना था कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाता (तों) को अन्तरित किया गया था।

राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा में नमूना जांचित मण्डलों से संग्रहीत ब्यौरों से हमने देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल 30 राज्यों /यूटी में से 14 में मई 2006 में तदर्थ कैम्पा के गठन से एक से 2,555 दिनों तक के विलम्ब से बाद ₹ 4,178.92 करोड़ तदर्थ कैम्पा को प्रेषित किए गए। प्रेषण में विलम्ब के ब्यौरे तालिका 22 में दिए गए है।

तालिका 22 : प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रेषण में विलम्ब के ब्यौरें

क्र सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को देरी से प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)	तदर्थ कैम्पा को प्रेषण में विलम्ब* (दिनों में)	अभ्युक्तियां
1	आंध्रप्रदेश	1,467.82	252	सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के दौरान 512 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
2	छत्तीसगढ़	0.54	420 से 1,095	चार मामलों में प्रेषण में विलम्ब तीन मण्डलों से सम्बन्धित है। अप्रैल 2005 तथा अप्रैल 2009 के बीच संग्रहीत राशि जून 2007 तथा जून 2010 के बीच तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई।
3	हिमाचल प्रदेश	534.83	141	फरवरी 2007 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान प्रेषण में विलम्ब। धन राशि बैंक में चालू खाते में रखी गई।
4	झारखण्ड	27.02	22 से 1,604	तीन वन मण्डलों में प्रेषण में विलम्ब।
5	कर्नाटक	528.14	30 से 270	31 जुलाई 2007 तक राज्य कैम्पा के पास संचित निधियां जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान चार किश्तों में विलम्ब से तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई।
6	मध्यप्रदेश	985.92	30 से 2,555	63 मण्डलों में प्रेषण में विलम्ब।
7	मणिपुर	17.47	44 से 589	पांच मामलों में प्रेषण में विलम्ब
8	मेघालय	0.49	300	18 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
9	पंजाब	51.74	16 से 2,040	2006–07 से 2008–09 तक की अवधि के दौरान छः मण्डलों में 306 मामलों में प्रेषण में विलम्ब।
10	राजस्थान	151.51	30 से 1,650	28 मण्डलों में 218 मामलों में प्रेषण में विलम्ब

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को देरी से प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)	तदर्थ कैम्पा को प्रेषण में विलम्ब* (दिनों में)	अभ्युक्तियां
11	सिक्किम	1.15	203 से 541	19 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
12	उत्तरप्रदेश	195.18	1 से 1,943	471 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
13	उत्तराखण्ड	191.77	30 से 90 तथा अधिक	192 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
14	पश्चिम बंगाल	25.34	30 से 150	
	कुल	4,178.96		

** इस तालिका में तदर्थ कैम्पा के मई 2006 में गठित होने के बाद अंतरित मामले शामिल हैं। अंतरण के प्रबंध हेतु 14 दिनों की अवधि की छूट के बाद विलम्ब का आकलन किया गया है।*

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अक्तूबर 2002 के आदेश के अनुसार प्राप्य धन के सम्बन्ध में प्राप्य धन, वास्तव में प्राप्त धन, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे के केन्द्रीयकृत डाटा के अभाव में तदर्थ कैम्पा यह भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत सभी राशियां उचित समय अवधि के अन्दर सम्बन्धित तदर्थ कैम्पा लेखाओं को प्रेषित की गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विलम्ब के राज्य वार आंकडे राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से दिए जा सकेगें। आगे यह भी बताया गया की तथापि प्रतिपूरक वनरोपण उदग्रहण, जब प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए जाते हैं तो वे वन मण्डलों में रेंज अधिकारी/मण्डल वन अधिकारी स्तर से राज्य सरकार में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अर्थात वन निर्बाधन मामलों के नोडल अधिकारी तक के माध्यम से गुजरते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर तदर्थ कैम्पा में प्रतिपूरक उदग्रहणों के समय से अंतरित नही कराया जाना, अन्तरण के ऊपर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निरीक्षण के अभाव की पुष्टि करता है। यह नवम्बर 2006 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की बैठक की विवेचना से भी स्पष्ट हो गया था।

3.2.6. प्राप्त निधियों का संघटक वार अभिलेखों का रखरखाव

उच्चतम न्यायालय अपने अक्तूबर 2002 के निर्णय में ने अन्य बातों के साथ यह निर्देश दिया कि संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के विपथन के लिए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्राप्त निधियां सम्बन्धित राज्यों/यूटी के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यकलाप करने के लिए एकमात्र रूप से उपयोग की जानी चाहिए। इसी प्रकार जलग्रहण क्षेत्र, जिससे वन भूमि कम विपथित हुई, के संसाधन के लिए संग्रहीत निधियां केवल इस विशिष्ट क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना लागू करने के लिए उपयोग की जा सकेगी। 23 अप्रैल 2004 की कैम्पा की अधिसूचना के तहत संघटक अर्थात प्रतिपूरक वनरोपण/अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/निवल /वर्तमान मूल्य /जलग्रहण क्षेत्र संसाधन आदि का विशेष प्रयोजन उल्लेखित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए यह सुनिश्चित करने कि प्राप्ति के प्रत्येक संघटक के निर्गम प्रत्येक संघटक के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों के प्रति किए गए थे, के लिए संघटक वार सीएएफ के अन्तर्गत प्राप्तियां दर्ज करने की प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य था।

अपनी बैठकों में तदर्थ कैम्पा ने ऐसी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और समय समय पर इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का सार नीचे दिया गया है:

बैठक की तारीख	जारी किए गए निर्देश
7 जुलाई 2006 (दूसरी बैठक)	तदर्थ कैम्पा ने महसूस किया कि अधिकांश प्राप्तियों के साथ ऐसे ब्यौरे नहीं थे जो उचित अभिलेख रखरखाव, डाटा प्रबन्धन तथा सीए, पीसीए, सीएटी, एनपीवी आदि जैसी कैम्पा निधियों के विभिन्न घटकों से सम्बन्धित सूचना को त्वरित प्राप्ति तथा सुधार के लिए अनिवार्य थे। यह निर्णय लिया गया कि अन्तरित निधियों के ब्यौरे भेजने के लिए एक फारमेट राज्य/यूटी सरकारों को भेजा जाएगा।
9 मार्च 2009 (नौंवी बैठक)	तदर्थ कैम्पा ने एकबार फिर महसूस किया कि कार्य के निष्पादन के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जमा की गई निधियों और राज्यों को उनके निर्गम के ब्यौरों को तुरंत संकलित करने और मिलान करने की आवश्यकता है।

तदर्थ कैम्पा ने प्राप्यों के परियोजनावार, संघटकवार, तदर्थ कैम्पा को उनके प्रेषण और राज्य सरकारों के पास शेष, यदि कोई हो, की विस्तृत सूचना मुहैया कराने के लिए 25 अक्तूबर 2010 को राज्य सरकारों को भी लिखा। इस सूचना का अभिप्राय प्राप्यों के मिलान को सुगम बनाना था।

हमने पाया कि निधियों की प्राप्ति और इनके निर्गमों के संघटकवार ब्यौरे कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। इस संबंध में एक विशेष प्रश्न पर तदर्थ कैम्पा ने बताया (अगस्त 2012) कि यह सूचना राज्यों से मांगी गई थी परन्तु यह उपलब्ध नहीं थी । तदर्थ कैम्पा ने राज्यवार प्राप्तियों के अपने अभिलेख तैयार किए जो आगे मूल तथा उस पर ब्याज में विभक्त किए गए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि यद्यपि एपीओ तैयार किए गए और राज्य की स्तर संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए परन्तु ₹ 1,000 करोड़ की समग्र सीमा से अधिक निर्गम सम्भव नहीं था। उत्तर लेखापरीक्षा के मुददे को टालते हुए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुकूल नहीं है जिसने निर्दिष्ट किया कि विशेष निधियां विशेष प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जानी थीं। निधियों के संघटक वार अभिलेख न बनाकर इन निधियों के विशेष उपयोग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए ।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान संघटकवार संग्रहण निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य महालेखाकारों ने प्रत्येक राज्य/यूटी के नोडल अधिकारियों से यह सूचना एकत्र करने का प्रयास किया। यह सूचना नोडल अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसे लेखापरीक्षा के लिए चयनित मण्डलों से एकत्र किया गया। इस नमूना जांच के आधार पर 2002 से 2012 तक संघटकवार संग्रहण, तालिका 23 में दिया गया है।

तालिका 23 : 2002–12 के बीच राज्यों में संघटकवार संग्रहण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	एसीए	पीसीए	सीएटी	अन्य	कुल
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.85	2.93	0	0	0	0	4.78
2	आंध्रप्रदेश	1,310.82	132.53	6.70	43.12	33.19	26.83	1,553.19
3	अरूणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	827.05
4	असम	407.90	14.72	0	0	0	0	422.62
5	बिहार	148.08	23.52	0	0	0	0.09	171.69
6	चण्डीगढ़	1.61	0.74	0	0	0	0	2.35
7	छत्तीसगढ़	1,178.49	161.75	14.56	6.95	9.07	0	1,370.82
8	दिल्ली	3.74	28.57	0	2.45	0	0	34.76
9	गोवा	119.69	9.33	0.44	4.72	0	0.51	134.69
10	गुजरात	422.01	162.35	0	0	0	0.15	584.51
11	हरियाणा	158.44	142.28	0	0	1.86	0	302.58
12	हिमाचल प्रदेश	378.3	97.26	240	0.35	5.54	2.05	723.5
13	जम्मू–कश्मीर (2007 के बाद)*	214.62	0.06	0	0	0	42.87	257.55
14	झारखण्ड	1284.46	128.67	0	62.93	0	48.50	1524.56
15	कर्नाटक	379.23	61.04	0	0	11.54	78.07	529.88
16	केरल	24.69	3.05	0.02	0	0.37	1.12	29.25
17	मध्यप्रदेश	495.29	242.10	3.19	2.42	15.64	48.26	806.90
18	महाराष्ट्र#	200.68	23.09	4.79	7	18.91	14.15	268.62
19	मणिपुर	26.80	8.00	0.29	0	0	0.11	35.20
20	मेघालय	81.02	2.63	0	1.13	0.98	4.44	90.20
21	मिजोरम	45.46	4.74	0	0	0	0.14	50.34
22	ओडिशा	3,319.41	51.01	0	7.63	45.53	261.15	3,684.73
23	पंजाब	10.98	6.59	0	0.08	0	0	17.65
24	राजस्थान	280.35	32.60	10.94	9.48	0	83.10	416.47
25	सिक्किम	78.93	46.81	0	0.06	39.16	13.92	178.88
26	तमिलनाडु	30.23	8.87	0	0.32	0.40	0.99	40.81
27	त्रिपुरा	49.23	9.00	0	0	0	0	58.23
28	उत्तरप्रदेश	237.64	122.92	0.70	0.40	0.35	65.29	427.30
29	उत्तराखण्ड $	954.47	82.84	0	उ.न.	उ.न.	259.65	1,296.96
30	पश्चिम बंगाल	74.46	23.19	0	0	11.58	3.09	112.32
	कुल	**11,918.88**	**1633.19**	**281.63**	**149.04**	**194.12**	**954.48**	**15,958.39**

उ.न. – राज्य में सूचना उपलब्ध नहीं थीं।

** जम्मू–कश्मीर के लिए 2007 से पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं थी।*

 # महाराष्ट्र के लिए राशियां नमूना मण्डलों की हैं, नोडल अधिकारी ने सूचना नहीं दी।

$ उत्तराखण्ड के लिए अन्य में एसीए, पीसीए, सीएटी तथा अन्य शामिल है।

यह देखा जाए कि तालिका 23 के अनुसार ₹ 15,958.39 करोड़ का कुल संग्रहण तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्ति के रूप में सूचित ₹ 22,885.72 करोड़ तथा राज्य /यूटी कैम्पा (तालिका 19 में) द्वारा प्रेषित के रूप में सूचित ₹ 16,863. 88 करोड़ के साथ इस तथ्य के कारण मेल नहीं खाता कि संघटक वार ब्यौरे अभिलेखों की नमूना जांच से संग्रहीत किए गए थे और ये उस सीमा तक पूर्ण नहीं थे।

प्रत्येक राज्य/यूटी में सीएएफ के संघटक वार संग्रहण के विश्वसनीय तथा प्रमाणित डाटा के अभाव में हम उस तन्त्र को समझने में असमर्थ हैं जिसके द्वारा तदर्थ कैम्पा ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि प्रत्येक संघटक के अंर्तगत संग्रहीत निधियां इस संबध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक संघटक के अंतर्गत केवल पात्र कार्यक्रम/योजना/कार्यकलापों के लिए जारी की गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) तालिका 23 में यथा प्रदर्शित विभिन्न निधियों के संघटक वार संग्रहण के बारे में मौन रहते हुए बताया कि निधियों के परियोजनावार तथा संघटक वार ब्यौरे रखने के प्रयास जारी थे और ये भी बताया कि तदर्थ कैम्पा के पास राज्य लेखाओं को निधियों का समय से अंतरण जैसा तदर्थ कैम्पा द्वारा रखरखाव किया गया सुनिश्चित करने के लिए राज्य/यू.टी. के ऊपर कोई प्राधिकार नहीं हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि परिवायोजनावार तथा संघटकवार प्राप्तियां उचित रूप से लेखांकित की गई है और अंतिम निर्वाधन देने से पूर्व तदर्थ कैम्पा को अंतरित की गई है। महानिदेशक (एफ.सी.) तथा महानिरीक्षक (एफ.सी.) भी तदर्थ कैम्पा के क्रमशः अध्यक्ष तथा सी.ई.ओ. के रूप में कार्य कर रहे थे इस लिए उन्हें राज्य/यू.टी. को निर्देश देने तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुरक्षित राज्य लेखाओं को निधियों का समय से अंतरण सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार था।

3.3. प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटकों का निर्धारण तथा संग्रहण

3.3.1. प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटक

सीएएफ के संघटक तथा प्रत्येक संघटक की गणना की प्रक्रिया निम्नवत है :

संघटक	प्राधिकार	एनपीवी की दर	कैसे गणना की जानी है	किसने गणना करनी है
निवल वर्तमान मूल्य	उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 तथा 28 मार्च 2008	मार्च 2008 तक ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर और मार्च 2008* के बाद ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर	विपथित वन भूमि के वर्ग/श्रेणी तथा घनत्व के आधार पर गणना की जानी थी	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी
प्रतिपूरक वनरोपण/ अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण/ जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना	राज्य का प्रधान मुख्य वन संरक्षक/राज्य कैम्पा का नोडल अधिकारी		वनरोपण के लिए पहचानी गई भूमि की विभिन्न श्रेणियों तथा स्थलों की दरों के आधार पर गणना की जानी है।	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी

**उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दर निर्धारित की जो तीन वर्षों तक लागू मानी जाएगी और तीन वर्षों के बाद परिवर्तन के अधीन होगी।*

3.3.2. प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की वसूली, जिनमें 2002 से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ व से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करना

सितम्बर 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उन सभी मामलों में जिनमें 29 अक्तूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक निर्बाधन दिया गया परन्तु बाद में अंतिम निर्बाधन प्रदान किए गए, में अन्य उगाहियों के अतिरिक्त निम्नतम ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूल किया जाना था।

नवम्बर 2006 तथा जून 2007 में आयोजित अपनी क्रमशः तीसरी तथा सातवीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने देखा कि सैद्धान्तिक अनुमोदन मामलों में 30 अक्तूबर 2002 से पूर्व के लिए एनपीवी की किसी वसूली की किसी राज्य/यूटी ने सूचना नहीं दी। इस विषय पर जनवरी 2012 में आयोजित एनसीएसी की चौथी बैठक में चर्चा की गई और यह निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में एनपीवी राशियों की वसूली अगले छः महीनों में पूर्ण की जाए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मार्च 2012 में ऐसे मामलों में एनपीवी की मामलावार वसूली की जांच करने और 31 मई 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया।

यह पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थिति में 21 राज्यों/यूटी से सम्बन्धित 292 मामलों को शामिल किया गया जिनमें 29,201.30 हैक्टेयर भूमि विपथित की गई थी। स्थिति रिपोर्ट में इन मामलों में वसूली की जाने वाली एनपीवी की राशि परिकलित नहीं की गई। हमने इन सभी मामलों में ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की निम्नतम दर लागू करके सन्तुलित आधार पर एनपीवी की कुल राशि ₹ 1693.67 करोड़ निर्धारित की। ऐसे मामलों के ब्यौरे तालिका 24 में दिए गए हैं।

तालिका 24 : मामलों के ब्यौरे जिनमें अक्तूबर 2002 से पूर्व दिए गए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए एनपीवी संग्रहीत नही की गई।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	मामलों की संख्या	विपथित कुल भूमि (है.में)	बकाय एनपीवी[21]
1.	आंध्रप्रदेश	22	1,053.10	61.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	264.43	15.34
3.	छत्तीसगढ़	17	1,160.42	67.30
4.	गुजरात	18	275.94	16.00
5.	हरियाणा	1	8.48	0.49
6.	हिमाचल प्रदेश	7	140.86	8.17
7.	झारखण्ड	12	607.57	35.24
8.	कर्नाटक	20	1,336.36	77.51
9.	केरल	2	14.77	0.86
10.	मध्यप्रदेश	22	6,804.25	394.65
11.	महाराष्ट्र	63	1,870.63	108.50

[21] रू. 5.80 लाख प्रति है० (निम्नतम दर) की दर पर परिकलित

क्र सं.	राज्य/यूटी	मामलों की संख्या	विपथित कुल भूमि (है.में)	बकाय एनपीवी[21]
12.	मेघालय	1	99.00	5.74
13.	मिजोरम	2	143.97	8.35
14.	ओडिशा	36	3,679.69	213.42
15.	पंजाब	2	401.05	23.26
16.	राजस्थान	13	893.99	51.85
17.	तमिलनाडु	7	107.40	6.23
18.	त्रिपुरा	16	5,741.55	333.01
19.	उत्तरप्रदेश	2	1,149.87	66.69
20.	उत्तराखण्ड	23	3,433.27	199.13
21.	पश्चिम बंगाल	1	14.70	0.85
	कुल	**292**	**29,201.30**	**1,693.67**

तालिका से यह स्पष्ट है कि 29,201.30 हैक्टेयर वन भूमि उच्चतम न्यायालय के सितम्बर 2006 के आदेश के उल्लंघन में ₹ 1693.67 करोड़ के एनपीवी की वसूली के बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय /क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विपथित की गई।

उपर्युक्त 292 मामलों के अलावा राज्य वन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सिक्किम तथा उत्तरप्रदेश राज्यों में क्रमशः दो मामलों में ₹ 0.41 करोड़ तथा एक मामले में ₹ 3.01 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया। ये मामले ऊपर उल्लिखित मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय रिपोर्ट की पूर्णता पर संदेह होता है। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारें यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि एनपीवी की उच्चतम न्यायालय आदेशों के अनुसार मांग की गई और संग्रहीत किया गया और अंत में ₹ 1,693.67 करोड़ की कम वसूली हुई। इस राशि में ब्याज का कोई घटक शामिल नहीं है जो सामान्यतया निधियों पर उपचित होना था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि अधिकांश मामलों में एनपीवी संग्रहीत किया गया था और इस संबंध में लेखापरीक्षा सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन मामलों में से किसी में संग्रहीत एनपीवी का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया और ऐसे मामलों के ब्यौरे तैयार करना तदर्थ कैम्पा के लिए बाध्यकारी था।

3.3.3. राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य से भूमि के विपथन हेतु निर्धारित दरों को लागू न करना।

मार्च 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार वन की सघनता तथा वर्ग के आधार पर ₹ 4.38 लाख से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर एनपीवी प्रभारित की जानी थी और राष्ट्रीय पार्को के मामले में यह राशि सामान्य दरों के 10 गुने की दर पर प्रभारित की जानी थी तथा अभयारण्यों के मामले में यह राशि सामान्य दरों के 5 गुने की दर पर प्रभारित की जानी थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया कि तालिका 25 में दिए मामलों के संबंध में मार्च 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से वन्य जीव अभयारण्य की भूमि के विपथन के लिए निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल नहीं किया गया।

तालिका 25 : वन्य जीव अभयारण्य में आने वाले क्षेत्र के विपथन के मामले जिनमें एनपीवी वसूल नहीं की किया गया।

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य	वन्यजीव मण्डल का नाम	वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र (है. में)	अवसूलित एनपीवी (₹ करोड़ में)
आंध्रप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आंध्रप्रदेश	नागार्जुन सागर श्रीसेलम वन्यजीव अभयारण्य	20.00	4.38*
टाटा रिफेक्टरीज	ओडिशा	चंदका वन्यजीव मण्डल	58.50	12.81*
त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड (टीडीबी)	केरल	पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर)	12.68	2.77*
इन्दिरासागर (पोलावरम) बहुउददेशीय योजना	आंध्रप्रदेश	पापी कोण्डा राष्ट्रीय पार्क	101.81	41.42**
कुल			**192.99**	**61.38**

**एनपीवी निम्नतम दर ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर के पांच गुणा संतुलित अनुमान पर आधारित*
***88.81 हैक्टेयर में ₹ 8.03 लाख/हैक्टेयर के 10 गुने और 13.00 हैक्टेयर में ₹ 8.87 लाख/हैक्टेयर के 10 गुने पर एनपीवी संग्रहीत किया जाना था परन्तु दरों के पांच गुने पर संग्रहीत किया गया।*

दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेंसियों से निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि ओडिशा तथा केरल में एनपीवी निर्धारित दर पर संग्रहीत किया गया और आंध्रप्रदेश के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.4. एनपीवी की संशोधित दरें लागू न करने के कारण एनपीवी का कम निर्धारण

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 में निर्देश दिया कि निवल वर्तमान मूल्य, भूमि की मात्रा तथा सघनता के आधार पर ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर वन भूमि की दर पर वसूल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दरें संशोधित की जो विभिन्न घटकों के आधार पर ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर के बीच थीं। मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सूचित करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की और अन्ततः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उदासीन रवैये को दर्शाते हुए 5 फरवरी 2009 को संशोधित दरों के आदेश 11 महीने के असामान्य बिलम्ब के बाद सभी राज्य वन विभागों की सूचित किए।

2006–12 की अवधि के लिए राज्य कैम्पा/नमूना मण्डलों/नोडल अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि राज्य वन विभागों ने पुनः निर्धारित दरों पर एनपीवी प्रभारित नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 166.61 करोड़ की एनपीवी की कम वसूली हुई। राज्य /यूटी वार ब्यौरे तालिका 26 में दिए गए है।

तालिका 26 : राज्य/यूटी वार मामलों के ब्यौरे जिनमें संशोधित दरों पर एनपीवी वसूल नहीं की गई।

क्रं. स.	राज्य/यूटी	एनपीवी की कम वसूली (रू. करोड़ में)	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	संशोधित दरों पर वसूल न करने के कारण/प्रयोक्ता एजेंसियों का नाम
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.04	5	2	
2	असम	0.04	1	1	ओएनजीसी को 10 प्रतिशत छूट दी गई
3	छत्तीसगढ़	34.06	23	-	
4	दिल्ली	0.25	4	1	
5	गोवा	13.67	5	1	मै. सोसाइडेड टिम्बोल्मप्रेस लि. मै. जी एन अग्रवाल बिम्बोल आयरन और माइन आका एम को गोवा प्र. लि., मै. डैम्पो एण्ड कम्पनी प्राईवेट लि., मै. बदरूददीन एच मवानी, मै. सोवा कं. लि.
6	गुजरात	89.47	3	3	राशि एनएचएआई से वसूल नहीं की गई
7	हरियाणा	0.36	1	1	
8	जम्मू–कश्मीर	21.04	-	8	
9	कर्नाटक	3.28	12	7	
10	मध्यप्रदेश	3.80	14	7	
11	मेघालय	0.42	4	-	वर्ल्ड विक्ट्री चर्च, शिलांग, भारतीय खेल प्राधिकरण, शिलांग, पूर्वोत्तर विद्युत संचरण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, चर्च आफ गौड, 5 वां माइल अपर शिलांग
12	त्रिपुरा	0.18	12	4	
	कुल	**166.61**			

3.3.5. एनपीवी/सीए/सीएपीटी/पीसीए आदि के वसूल न करने के अन्य मामले

उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर 2002 के आदेशों के बाद गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के लिए सीए/एसीए/पीसीए/सीएटी आदि के साथ एनपीवी वसूल की जानी थी। अक्तूबर 2002 के आदेशों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित एनपीवी की दरें मार्च 2008 में पुनः निर्धारित की गई।

राज्य कैम्पा/नमूना मण्डलों/नोडल अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि ₹ 3145.16 करोड एनपीवी, ₹ 115.58 करोड़ सीए, ₹ 89.74 करोड़ सीएटी योजना/पीसीए/अन्य राज्य वन विभागों द्वारा वसूल नहीं किया गया जैसाकि तालिका 27 में दिया गया है। तालिका 27 में उल्लिखित अलग–अलग मामलों के ब्यौरे राज्य विशेष अध्यायों में दिए गए हैं।

तालिका 27 : मामलों की संख्या, राशियां तथा मण्डलों की संख्या के राज्य/यूटीवार ब्यौरे जिनमें एनपीवी/सीए/पीसीए/सीएटीपी/कम वसूल किए गए अथवा वसूल नहीं किए गए।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.15	0.10	-	4	2	उ.न.
2	आंध्र प्रदेश	7.60			4	4	उ.न.
3	अरूणाचल प्रदेश	32.59*		0.20			उ.न.
4	असम	214.64*	8.60		4	4	उ.न.
5	बिहार	7.26*	4.10			1	उ.न.
6	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	उ.न.
7	छत्तीसगढ़	3.43	6.50		48	3	उ.न.
8	दिल्ली	0.68	0.98		3	2	दिल्ली मेट्रो रेल निगम
9	गोवा	0.73	0.16	-	2	2	मै. चन्द्रकान्त एफ नाइक/श्री राजेश पी टिम्बलो,
10	गुजरात	62.77	2.43	5.35	3	3	मै. एमपीएसईजैडएल (पूर्व में मै. अडानी केमीकल्स लिमि के रूप में ज्ञात) साउथ गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड (एसजीवीसीएल)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/ सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
							वलसाड
11	हरियाणा	3.57*			7	6	उ.न.
12	हिमाचल प्रदेश	26.99*	1.37	-	-	-	उ.न.
13	जम्मू–कश्मीर	837.76*	3.00	-	-	-	उ.न.
14	झारखण्ड	69.45*	10.01	1.48	-	28	उ.न.
15	कर्नाटक	216.77	19.55	2.01	33	7	उ.न.
16	केरल	0.29*			2	2	उ.न.
17	मध्यप्रदेश	114.39*			36	7	उ.न.
18	महाराष्ट्र	174.27	8.74		106	7	उ.न.
19	मणिपुर	100.99	5.17	0.29	1	1	उ.न.
20	मेघालय	55.42	-	-	11	2	आधुनिक सीमेंट लिमिटेड, अमृत सीमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड एण्ड सबसीडरीज, ग्रीन वैली इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोल्डस्टोन सीमेंट लिमिटेड, हिल सीमेंटस कम्पनी लिमिटेड और मेघालय सीमेंट लिमिटेड
21	मिजोरम	219.33*		17.00	5	2	
22	ओडिशा	941.67	30.35	37.01	335	28	मै. पटनायक मिनरल्स, मै. सेल, मै. डी सी जैन, मै. ओएम सी लिमिटेड, मै. केसी प्रधान, मै. आरबी ठाकुर, मै. डा. सरोजिनी प्रधान, मै. क्योंझर मिनरल्स (प्रा.) लि., मै. श्री बी के मोहन्ती, मै. एससी मलिक, मै. बीएल नेवतिया, मै. एस

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/ सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
							एल एक्सप्लोरेशन (प्रा.) लि., मै. रूंगटा सन्स, मै. आईएमएफए लि., मै. घन्श्याम मिश्रा एण्ड सन्स (प्रा.) लि., मै. जी एस चौबे, मै. के के चौरसिया, मै. मणिश्री रिफ्रेक्टरीज लि., मै. फाकर लि. और मै. सेल
23	पंजाब	-					उ.न.
24	राजस्थान	6.97**	6.25	0.64	91	-	उ.न.
25	सिक्किम	30.34	8.22		48	-	उ.न.
26	तमिलनाडु	0.37	0.00	0.17	-	4	उधागई नगरपालिका
27	त्रिपुरा	-			-	-	उ.न.
28	उत्तरप्रदेश	0.10	0.05	0.08	-	4	बजाज हिन्दुस्तान सुगर इण्डस्ट्री लिमिटेड
29	उत्तराखण्ड	0.01	-	8.37	8	2	मै. यूवीएन माइनिंग लीज
30	पश्चिम बंगाल	15.62***		17.14	3	3	उ.न.
	कुल	**3,145.16**	**115.58**	**89.74**			उ.न.

**कुछ मामलों के सीए में एनपीवी भी शामिल है जिनमें एनपीवी/सीए का द्विभाजन उपलब्ध नहीं कराया गया।*
*** एनपीवी में सीए एवं कटे पेड़ों की कीमत शामिल है।*
**** एनपीवी में सीए एवं पर्यावरण हानि शामिल है।*
उ.न. – उपलब्ध नहीं

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि आपत्तियों पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा कार्रवाई की जानी है, सम्बन्धित राज्य/यूटी से प्राप्त उत्तर अलग से भेजे जा रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। यह सुनिश्चित करना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए बाध्यकारी था कि प्रतिपूरक वनरोपण निधियां अंतिम निर्बाधन देने से पूर्व उचित रूप से निर्धारित, संग्रहीत तथा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2000 के अपने आदेश द्वारा भी उचित प्रतिपूरक वनरोपण की सुनिश्चितता के लिए पर्यावरण एंव वन मंत्रत्रालय का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था तथा यह भी कहा गया कि ये मंत्रालय पर है कि वह वन निर्बाधन प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों की निगरानी करे।

3.3.6. उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी के भुगतान की छूट प्राप्त नही करने वाली प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी वसूली नही करना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 19 दिसम्बर 2005 को सभी राज्य वन विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि प्रयोक्ता एजेंसियों से ऐसा वचन कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अन्तिम रूप से निर्णय किया जाता है कि ऐसी परियोजनाएं एनपीवी के भुगतान से मुक्त नहीं है इसलिए तो ऐसी प्रयोक्ता एजेंसी उस एनपीवी की राशि का भुगतान करेगी जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए और आदेश दिया जाए, लेने के बाद ही निश्चित परियोजनाओं को वानिकी निर्बाधन दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 2008 तथा 9 मई 2008 को इस मामले पर निर्णय दिया।

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में 181 मामलों में अप्रैल 2006 से जून 2008 के दौरान 443.17 हैक्टेयर वन भूमि विपथित की गई जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा मुक्त मामलों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लम्बित होने पर कोई एनपीवी, सीए आदि संग्रहीत नहीं किया गया। जैसाकि क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा परिकलित किया गया, एनपीवी के रूप में ₹ 39.02 करोड़ की राशि अभी भी इन प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्य थी। ये 181 परियोजनाएं गैर वन भूमि की प्राप्ति से मुक्त थीं परन्तु एनपीवी/सीए आदि के भुगतान से मुक्त नहीं थीं। हमने इन मामलों में सीए की राशि हिमाचलप्रदेश में सीए की निम्नतम दर (₹ 1.50 लाख प्रति हैक्टेयर) लागू करने के द्वारा संतुलित आधार पर ₹ 6.65 करोड़ निर्धारित की।

क्षेत्रीय कार्यालय ने एनपीवी की वसूली के लिए 4 जुलाई 2008 को और बाद में 28 जुलाई 2008 को हिमाचलप्रदेश सरकार को लिखा। एनपीवी/सीए/एसीए आदि की वसूली दिसम्बर 2012 तक अभी भी लम्बित थी।

3.3.7. प्रत्येक तीन वर्षों के बाद एनपीवी की दरों का संशोधन न किया जाना

उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 के अपने आदेश में निर्देश दिया कि सभी गैर वन प्रयोजनों हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन हस्तान्तरण करते समय, प्रयोक्ता एजेंसी गैर वन प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि के निवल मूल्य का भी कथित निधि को भुगतान करेगी। गैर वन उपयोग हेतु परिवर्तित विचाराधीन भूमि की मात्रा तथा सघनता के आधार पर ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर वन की दर पर वर्तमान मूल्य वसूल किया गया। जब और जैसे आवश्यक हो, यह दर केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ऊर्ध्व संशोधन के अध्यधीन होगी।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वनों की पारिस्थितिक भूमिका तथा मूल्य को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक डाटा के आधार पर 28 मार्च 2008 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने एनपीवी की दरें पुनः निर्धारित की। उन्होने आगे कहा कि अब निर्धारित एनपीवी दर तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी और तीन वर्ष बाद परिवर्तन के अध्यधीन होगी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2009 के तहत एनपीवी की पुनः निर्धारित दरें परिचालित की इसलिए फरवरी 2012 में पुनः निर्धारण के लिए देय है।

यह देखा गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तीन वर्ष बाद अर्थात 2012 में ये दरें पुनः निर्धारित नहीं की।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी की दरों के संशोधन के लिए वर्तमान में कार्रवाई जारी है और इस मामले में जैसे ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा है वैसे ही ये पूर्व प्रभाव से लागू की जाएंगी इनके प्रभावी होने की तारीख से एनपीवी की संशोधित दरों का भुगतान करने का उन्हें दायी बनाने के लिए सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों से इस बावत एक उचित वचन पत्र लिया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य का ध्यान रखते हुए देखने का आवश्यकता है कि संशोधित दरें फरवरी 2012 में देय हो गई थी तथापि उन्हें जून 2013 तक भी लागू नहीं किया गया।

3.3.8. राज्य कैम्पा/प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की उचित प्राप्ति की निगरानी न करना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के नियम 4.2 (i) के अनुसार वन भूमि के विपथन हेतु वानिकी निर्बाधन दो चरणों में दिया जाना था। प्रयोक्ता एजेंसी को राज्य वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। राज्य वन विभाग को वन भूमि के क्षेत्र, प्रकार और स्थान आदि का सीमांकन करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव आरओ/एमओईएफ, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करना था। आरओ एमओईएफ हस्तांतरण परिवर्तन तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत घोषित आरक्षित वन/संरक्षित वन में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए बराबर की गैर वन भूमि संबंधी शर्तों तथा उस पर प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एन पी वी सीए आदि निधियों संबंधी शर्ते लगाते हुए, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करना था। प्रयोक्ता एजेंसी से तब डीएफओ/राज्य कैम्पा के पास एनपीवी, सीए, एसीए आदि की निधियां जमा करने सहित शर्तों का पालन करना अपेक्षित है। उसके बाद राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)/एमओईएफ, जैसा भी मामला हो, को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद आरओ/एमओईएफ द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाना था। राज्य वन विभाग तदर्थ कैम्पा के साथ खोले गए सम्बन्धित बैंक खाते में धन प्रेषित करता है।

यह देखा गया कि सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही एमओईएफ /आरओ द्वारा अन्तिम अनुमोदन किया गया जैसाकि जहाँ सैद्धान्तिक अनुमोदन 2002 से पूर्व दिया गया था, वहाँ एनपीवी की वसूली न करने, राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों से निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल न करना एनपीवी की संशोधित दरों को लागू न करने के कारण एनपीवी का कम निर्धारण, एनपीवी/सीए/सीएपीटी/पीसीए की वसूली न करने के अन्य मामले, प्रत्येक तीन वर्ष पर एनपीवी दरों को संशोधित न करने तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गई निधियों की प्राप्ति की निगरानी न करने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियों से स्पष्ट है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 1980 से अनुमत वन भूमि के विपथन के सभी मामलों के सम्बन्ध में परियोजना वार तथा संघटक वार सूचना के संकलन के लिए सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों को सम्बोधन के द्वारा सक्रिय प्रयास किए गए हैं। सूचना सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों से प्रतीक्षित है। तथापि वर्ष 2011 से एक प्रणाली आरम्भ की गई जिसके अनुसार एफसी अधिनियम 1980 के

अन्तर्गत अन्तिम निर्बाधन केवल तदर्थ कैम्पा से विशेष लिखित पुष्टि कि कथित निधियां उनके द्वारा अनुरक्षित राज्य विशेष खाते में प्राप्त हो गई हैं, के बाद दिया जाए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए था कि परियोजना वार तथा संघटक वार प्राप्तियां अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व उचित रूप से लेखांकित , अन्तरित तथा तदर्थ कैम्पा से सत्यापित हैं। उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि अन्तिम अनुमोदन सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना एमओईएफ /आरओ द्वारा दिया गया और एमओईएफ यह भी आश्वासन नहीं दे सका कि कितने मामलों में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों की प्राप्तियां सही प्रकार निर्धारित तथा जमा की गई।

3.4. निष्कर्ष

इस अध्याय से स्पष्ट है कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रति राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत सभी धन राशि का तदर्थ कैम्पा खातों में पूर्णतया तथा समय से अन्तरण सुनिश्चित करने में पर्यावरण और वन मंत्रालय अप्रभावी रहा। आज भी (जुलाई 2013) वह आश्वस्त नहीं है कि राज्यों/यूटी द्वारा सीएएफ के लिए संग्रहीत सभी धन तदर्थ कैम्पा खातों में जमा कर दिया है। यह केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता था जब परियोजना वार प्राप्य, संग्रहीत, प्रेषित (अथवा तदर्थ कैम्पा के गठन से पूर्व राज्यों/यूटी द्वारा प्रयुक्त) और राज्यों/यूटी के पडी शेष राशियां दर्शाते हुए एक केन्द्रीयकृत डाटा बेस बनाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तिम निर्बाधन केवल तभी दिए गए थे जब सैद्धान्तिक निर्बाधन की सभी शर्तें पूरी हो गई थी और राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा को अन्तरण की निगरानी करने के लिए भी नियंत्रण तन्त्र के रूप में ऐसा डाटाबेस बनाना व्यवहार्य तथा आवश्यक दोनों था। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध और राज्यों/यूटी से संग्रहीत निधियों के अन्तरण के डाटा में अन्तर ₹ 6,021.88 करोड़ था जो तदर्थ कैम्पा के पास मूल राशि का 26.31 प्रतिशत था। कई शर्तों से इसका मिलान न करना न केवल नियंत्रणों में शिथिलता दर्शाता है बल्कि सम्बन्धित सभी एजेंसियों द्वारा दिए गए डाटा की विश्वसनीयता तथा पूर्णता पर भी सन्देह पैदा करता है। हमारी नमूना जांच में यह भी पता चला कि 23 राज्यों/यूटी ने तदर्थ कैम्पा को सीएएफ का लगभग ₹ 401.70 करोड़ अन्तरित नहीं किया। संग्रहणों के संघटक वार ब्यौरों के अभाव में हम यह आश्वासन देने में असमर्थ हैं कि निर्गम उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार किए गए हैं।

अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व प्राप्यों के सही निर्धारण तथा संग्रहण की मामलावार निगरानी करने के लिए एमओईएफ/तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा के पास कोई प्रणाली नहीं थी। यह पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सीएएफ प्राप्यों के अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा असंग्रहण के उदाहरणों से स्पष्ट है। जिसके अभाव में यह आश्वासन कि अन्तिम निर्बाधन केवल उन मामलों में दिए गए थे जिनमें सैद्धान्तिक निर्बाधनों की सभी शर्तें पूर्ण की गई थीं, स्थापित नहीं किया जा सकता।

यह तथ्य कि नमूना जांच के आधार पर इस अध्याय में यथा सूचित कम वसूलित/अवसूलित एनपीवी/सीए/एसीए/पीसीए/सीएटी योजना राशि ₹ 5311.16 करोड़ अर्थात 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल मूल राशि का 23 प्रतिशत थी, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्य एनपीवी/सीए आदि की राशि निर्धारित करने और अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व इसका संग्रहण सुनिश्चित करने में गंभीर विसंगतियों का संकेत है।

अध्याय - IV

प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का उपयोग

4.1 पृष्ठभूमि

नवम्बर 2006 को तदर्थ कैम्पा के पास पडी राशि ₹ 1,200.31 करोड़ थीं, यह 30 जून 2009 को ₹ 9,932.13 करोड़ तक और आगे 31 मार्च 2012 को ₹ 23,608 करोड़ तक बढ़ गई थी।

फरवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की पाचवीं तथा छठी बैठक में राज्यों/यूटी को चालू सीए परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनरोपण धन जारी करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। अप्रैल 2008 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की आठवीं बैठक में यह सामने आया कि निधियां जारी करने के राज्यों से अनेक अनुरोधों के बावजूद उच्चतम न्यायालय से इस संबंध में कार्य करने के अधिकार के अभाव में तदर्थ कैम्पा ऐसा करने में असमर्थ था। मई 2009 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की दसवीं बैठक में यह पाया गयाथा कि राज्यों /यूटी ने एपीओ अग्रसारित किए जिनमें तुलनीयता की कमी थीं इसलिए यह निर्णय किया गया कि राज्य फिर एपीओ तैयार करें और धन का निर्गम राज्यों से सुसंगत तथा तुलनीय प्रस्तावों के विश्लेषण पर तथा इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित होगा इसलिए 2009 मध्य तक यद्यपि सीएएफ में निधियों का संचय हो रहा था, फिर भी निर्गम नहीं किए गए थे।

निधियों के निर्गम तथा निगरानी से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के आदेश नीचे संक्षिप्तीकृत है :

निधियों का निर्गम	• उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 में संबंधित राज्य/यूटी से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात में राज्य कैम्पाओं को अगले पांच वर्षों के लिए फिलहाल लगभग ₹ 1000 करोड़ प्रति वर्ष की राशि जारी करने के लिए तदर्थ कैम्पा को निर्देश दिया। • एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रति राशि योजना के राज्य स्तर कार्यकारी समितियों द्वारा समीक्षा किए जाने और प्रचालनों की वार्षिक योजना के संचालन समिति द्वारा अनुमोदन करने के बाद जारी की जानी थी। • सीए, एसीए, पीसीए, तथा जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के प्रति राशि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित विशिष्ट कार्य आरम्भ करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के संबंधित बैंक खातों में जारी की जानी थी।

निधियों की निगरानी	• उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार सहमत निगरानी की एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जानी थी और निधि का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से लागू की जानी थी। • जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य कैम्पा को जारी राशि की पांच प्रतिशत राशि भी जारी की जानी थी और निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए और विभिन्न योजनाओं, जैसी कि राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के पैरा 19 में दी गई है, के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) द्वारा उपयोग की जानी थी। • इसके अतिरिक्त अगस्त 2009 में अधिसूचित राज्य कैम्पा मार्ग निर्देश ने भी निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए निधियों के दो प्रतिशत तक उदिदष्ट करने के लिए राज्य कैम्पा को प्राधिकृत किया।

स्थिति की पुष्टि करते हुए तदर्थ कैम्पा ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि निधियां जो मई 2006 से आरम्भ कर तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई थीं, इस निकाय के पास रहीं और समय–समय पर राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रतिपूरक उदग्रहणों की नई प्राप्तियों के साथ संचित हो रही थीं। यह केवल जुलाई 2009 में हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य कैम्पाओं को निधियां जारी करने की अनुमति दी जो उनके अनुमोदन से जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार गठित किए गए थे। यहाँ यह विचारणीय है कि मई 2006 तथा जुलाई 2009 के बीच प्रतिपूरक वनरोपण हेतु कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं और तदर्थ कैम्पा ने 17 अगस्त 2009 से निधियां जारी करना आरम्भ किया।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा ने 2009 के बाद से निधियां जारी करना आरम्भ किया। तालिका 28 में 31 मार्च 2012 तक संचित निधियों और 2009 तथा 2012 के बीच जारी निधियों की संकलित स्थिति दर्शायी गई हैं।

तालिका 28 : 31 मार्च 2012 तक संचित निधियों और 2009 तथा 2012 के बीच जारी निधियों की राज्य/यूटीवार संकलित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क. सं	राज्य/यूटी	31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल शेष (ब्याज सहित)	तदर्थ कैम्पा द्वारा कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)
1	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	22.98	1.89
2	आंध्रप्रदेश	2,359.09	329.09
3	अरूणाचलप्रदेश	799.01	75.35
4	असम	353.81	17.17

क. सं	राज्य/यूटी	31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल शेष (ब्याज सहित)	तदर्थ कैम्पा द्वारा कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)
5	बिहार	167.20	24.44
6	चण्डीगढ़	6.89	0.31
7	छत्तीसगढ़	2,239.09	356.86
8	दादरा एवं नगर हवेली	10.73	0.32
9	दमन एवं दीव	0.77	Nil
10	दिल्ली	37.20	3.25
11	गोवा	171.71	22.37
12	गुजरात	691.44	80.42
13	हरियाणा	390.34	38.00
14	हिमाचल प्रदेश	1,131.44	135.97
15	जम्मू कश्मीर	139.89	-
16	झारखण्ड	2,057.88	260.66
17	कर्नाटक	1,028.60	151.04
18	केरल	37.37	1.75
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्यप्रदेश	1,341.19	157.53
21	महाराष्ट्र	1,859.09	257.47
22	मणिपुर	37.33	2.08
23	मेघालय	96.92	0.10
24	मिजोरम	12.42	-
25	नागालैण्ड	-	-
26	ओडिशा	4,570.17	437.26
27	पंजाब	464.08	68.98
28	पुडुचेरी	-	-
29	राजस्थान	857.07	106.55
30	सिक्किम	202.45	27.28
31	तमिलनाडू	8,832.95	3.67
32	त्रिपुरा	92.73	6.13
33	उत्तरप्रदेश	752.94	82.45
34	उत्तराखण्ड	1,527.93	164.40
35	पश्चिम बंगाल	114.96	16.42
	जोड़	**23,607.67**	**2,829.21**

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के नियम 11(i) के अनुसार राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन प्रचालन की अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार वनों तथा वन्यजीव प्रबन्धन के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति व्यय पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना था।

तदर्थ कैम्पा को संबंधित राज्यों/यूटी से प्राप्त प्रचालन की वार्षिक योजना के आधार पर निधियां जारी की जानी थीं। ये योजनाएं राज्य स्तर कार्यकारी समिति द्वारा बनाई और तदर्थ कैम्पा को भेजे जाने से पूर्व संचालन समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थीं। जारी निधियाँ तब कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग के लिए डीएफओ के बीच नोडल अधिकारियों द्वारा वितरित की जानी थीं। निधियों के निर्गम की कार्यविधि को चार्ट 8 में सचित्र दर्शाया गया है।

चार्ट 8: निधियों के निर्गम की कार्यविधि

4.2 प्राप्त निधियों का कम उपयोग

एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के लिए निधियां योजनाओं के राज्य स्तर कार्यकारी समितियों द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद जारी की जानी थीं। सीए, एसीए, पीसीए तथा जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के प्रति राशियां वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्यों को करने के लिए जारी की जानी थीं। तालिका 29 में निधियों की राज्य/यूटी वार प्राप्ति, व्यय तथा अप्रयुक्त रहने का ब्यौरा है।

तालिका 29 : प्राप्तियों, व्यय तथा अप्रयुक्त राशियों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	कैम्पा के अनुसार कुल प्राप्तियां (2009–12)	राज्य रिपोर्ट के अनुसार किया गया कुल व्यय (2009–12)	अप्रयुक्त राशि	उपयोग प्रतिशतता
1	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	1.89	0.69	1.20	63
2	आन्ध्रप्रदेश	329.09	247.26	81.83	25
3	अरूणाचल प्रदेश	75.35	6.53	68.82	91

क. सं.	राज्य/यूटी	कैम्पा के अनुसार कुल प्राप्तियां (2009–12)	राज्य रिपोर्ट के अनुसार किया गया कुल व्यय (2009–12)	अप्रयुक्त राशि	उपयोग प्रतिशतता
4	असम	22.83	11.54	11.29	49
5	बिहार	24.44	5.60	18.84	77
6	चण्डीगढ़	0.31	0.30	0.01	3
7	छत्तीसगढ़	357.95	118.04	239.91	67
8	दिल्ली	3.25	1.20	2.05	63
9	गोवा	22.37	10.89	11.48	51
10	गुजरात	80.42	70.11	10.31	13
11	हरियाणा	38.00	27.40	10.60	28
12	हिमाचल प्रदेश	135.98	79.97	56.01	41
13	जम्मू–कश्मीर*	67.09	55.68	11.41	17
14	झारखण्ड	260.66	185.31	75.35	29
15	कर्नाटक	151.04	139.38	11.66	8
16	केरल	1.37	0.97	0.40	29
17	मध्यप्रदेश	157.54	82.53	75.01	48
18	महाराष्ट्र	256.64	219.00	37.64	15
19	मणिपुर	2.09	2.00	0.09	4
20	मेघालय	0.10	0	0.10	100
21	मिजोरम	0	0	0	0
22	ओडिशा	447.33	219.85	227.48	51
23	पंजाब	81.65	45.41	36.24	44
24	राजस्थान	106.54	63.00	43.54	41
25	सिक्किम	27.28	27.85	-0.57	-2
26	तमिलनाडु	5.05	2.98	2.07	41
27	त्रिपुरा	6.12	1.93	4.19	68
28	उत्तरप्रदेश	82.45	38.56	43.89	53
29	उत्तराखण्ड	164.40	103.88	60.52	37
30	पश्चिम बंगाल	16.42	7.98	8.44	51
	जोड़	**2,925.65**	**1,775.84**	**1,149.81**	**39**

* जम्मू –कश्मीर के मामले में प्राप्तियां जे एण्ड के राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशियां हैं।

जैसा तालिका 29 से देखा जा सकता है, 2009–12 की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा से राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों की राशि ₹ 2,925.65 करोड़ (जम्मू कश्मीर सहित) थी जिसमें से ₹ 1,149.81 करोड़ अप्रयुक्त छोड़ते हुए राज्यों/यूटी द्वारा केवल ₹ 1,775.84 करोड़ खर्च किया जा सका।

जबकि जारी राशियों की तुलना में निधियों के कम उपयोग की प्रतिशतता 39 थी वहीं यह मेघालय (100 प्रतिशत), अरूणाचल प्रदेश (91 प्रतिशत), बिहार (77 प्रतिशत), त्रिपुरा (68 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (67 प्रतिशत) अण्डमान – निकोबार द्वीप समूह, (63 प्रतिशत) तथा दिल्ली (63 प्रतिशत)। बेहतर निष्पादकों में सिक्किम (0 प्रतिशत), चण्डीगढ़ (3 प्रतिशत), कर्नाटक (8 प्रतिशत) व मणिपुर (4 प्रतिशत) थे।

तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियां एपीओ के प्रति थीं जिनमें उन योजनाओं को भी शामिल किया गया जो निर्बाधन देने के समय पर पहचानी गई थीं और जिनके लिए निर्बाधन देने के समय पर भूमि की पहचान कर ली गई है, का दावा किया गया था। तथ्य यह शेष रहा कि अनुमोदित योजनाओं के आधार पर जारी धन की बड़ी राशियां उपयोग नहीं की जा सकीं। इसने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य वन विभागों द्वारा खराब योजना तथा निष्पादन को दर्शाया।

निधियों का कम उपयोग राज्य/यूटी वनविभागों की अवशोषक क्षमता के बारे में चिन्ता का विषय है। यह चिन्ता आगे और सुदृढ़ हो गई थी जब उसे 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास संचित पडे अन्य ₹23,607.67 करोड़ के संदर्भ में देखा गया जिसे वनरोपण, विकास, संरक्षण तथा वनभूमि की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए राज्य कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 2006 तथा 2009 के बीच राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई थीं और केवल जब उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दी राज्यों को निधियां जारी की गई थीं। उन्होनें आगे बताया कि निधियां काफी देरी से अप्रैल 2010 में प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलाप करने के लिए जारी की गई थीं और ऐसे कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए काफी प्रारम्भिक कार्य अपेक्षित होता है।यह आगे बताया गया कि निधियां उपलब्ध हो जाने के बाद तत्काल वनरोपण कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं हुआ था, इस प्रकार राज्यों को निधियों के विलम्बित वितरण और इन निधियों से कार्यकलाप आरम्भ करने के बीच का समय अन्तराल अपरिहार्य था और इसके परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ।

जबकि यह एक तथ्य है कि सीए निधियां केवल अगस्त 2009 के बाद से जारी की गई थीं वहीं जारी निधियों के कम उपयोग का औचित्य स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये निधियां राज्यों/यूटी से प्राप्त एपीओ के आधार पर जारी की गई थीं और एपीओ में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर पूर्णतया उपयोग की जानी चाहिए थीं जिनमें कुछ राज्यों में प्रारम्भिक कार्य शामिल किए गए। यह खराब योजना, कार्यों के अप्रभावी निष्पादन तथा जारी निधियों की अवशोषी क्षमता की कमी दर्शाता है।

4.3 राज्य कैम्पाओं के पास निधियों का संचय

प्रतिपूरक वनरोपण निधि तथा इसके प्रबन्ध के लिए एक निकाय (कैम्पा) के सृजन का निर्देश देने वाले अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मूल की मुख्य चिन्ता प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त और अव्ययित पड़ी अथवा राज्यों द्वारा दुरूपयोग की जा रही राशियों के संचय की थी। 2009 से तदर्थ कैम्पा ने अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/यूटी को प्रतिपूरक वनरोपण निधि जारी करना आरम्भ किया थापरन्तु , 2009–12 के दौरान जारी राशि का केवल 61 प्रतिशत वास्तव में खर्च किया जा सका। चूकि अव्ययित शेष न तो वित्तीय अवधि (1 जुलाई–30 जून वर्तमान मामले में) की समाप्ति पर तदर्थ कैम्पा को लौटाए गए और न ही अनुवर्ती वर्ष निर्गमों में ये समायोजित किए गए थे इसके परिणामस्वरूप राज्यों/यूटी के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संचय की प्रक्रिया की स्थापना हुई जिसे यदि अजांचित जारी रखना अनुमत किया गया तो इसका परिणाम 2002 से पूर्व की स्थिति का दोहराया जाना हो सकता है जिसका समाधान केन्द्रीय कैम्पा के सृजन द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में संग्रहीत सूचना के आधार पर जून 2010, 2011, तथा 2012 के अन्त में संचित शेष की स्थिति तालिका 30 में दी गई है।

तालिका 30 : राज्य /यूटी कैम्पा के पास निधियों के अन्तशेष की राज्य वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	2009-10	2010-11	2011-12
1	अण्डमान–निकोबार	0	0	1.20
2	आंध्रप्रदेश	78.91	116.82	81.83
3	अरूणाचल प्रदेश	0.00	27.63	68.82
4	असम	12.38	22.71	11.29
5	बिहार	7.73	10.80	18.84
6	चण्डीगढ़	0.18	0.04	0.01
7	छत्तीसगढ़	119.27	234.29	239.91
8	दिल्ली	1.85	3.24	2.05
9	गोवा	12.12	17.46	11.48
10	गुजरात	16.39	12.78	10.31
11	हरियाणा	19.11	26.77	10.60
12	हिमाचल प्रदेश	35.33	40.43	56.01
13	जम्मू–कश्मीर	8.40	8.10	11.41
14	झारखण्ड	95.00	122.64	75.35
15	कर्नाटक	58.56	28.82	11.66
16	केरल	0.40	0.40	0.40
17	मध्यप्रदेश	53.05	71.36	75.01
18	महाराष्ट्र	0.00	0.00	37.64
19	मणिपुर	0.75	0.20	0.09

क्र. सं.	राज्य/यूटी	2009-10	2010-11	2011-12
20	मेघालय	0.10	0.10	0.10
21	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
22	ओडिशा	6.97	74.99	227.48
23	पंजाब	33.05	44.74	36.24
24	राजस्थान	32.59	48.83	43.54
25	सिक्किम	3.58	0.46	-0.57
26	तमिलनाडु	1.97	2.00	2.07
27	त्रिपुरा	3.54	5.58	4.19
28	उत्तरप्रदेश	0	14.59	43.89
29	उत्तराखण्ड	81.65	120.80	60.52
30	पश्चिम बंगाल	5.30	6.46	8.44
	जोड़	**688.18**	**1,063.04**	**1,149.81**

अधिकांश राज्यों/यूटी में 2009–10 में जारी राशि खर्च नहीं की जा सकी। इसे विलम्बित निर्गमों तथा एपीओ प्रस्तुत न करने को आरोपित किया जा सका। कुछ राज्यों में निर्गमों की तुलना में कम खर्च करना चिरस्थायी था जैसा तीन वर्ष अवधि में संचित आरक्षित की क्रमिक वृद्धि में दर्शाया गया। यह चिन्ता के साथ माना जाता है कि 30 राज्यों/यूटी जिनसे डाटा संग्रहीत, किए जा सके, में से 11[1]में अव्ययित संचित शेष की राशि तेजी से बढ़ रही थी। अधिकांश राज्यों/यूटी ने दूसरे तथा तीसरे वर्ष में अपना खर्च करने का स्वरूप सुधार लिया।

अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में एमओईएफ ने स्वीकार किया कि निधियां लगातार कई वर्षों के अन्तराल के बाद जारी की गई थीं और जारी किए जाने के तत्काल बाद उन्हें खर्च करने में राज्यों की असमर्थता स्पष्ट रूप से साक्ष्य था। उन्होने आगे बताया कि अव्ययित राशियों को वापस करने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि ये अव्यपगमनीय थीं और अग्रसारित की जानी थीं। उन्होने आगे बताया कि तालिका 30 में यथा उल्लिखित अन्त शेषों के तथ्य की सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि की जानी अपेक्षित है। तथापि उन्होने निधियों के लगातार कम खर्च करने के तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि निधियां काफी वर्षों के अन्तराल के बाद संस्वीकृत की गई थीं। यह स्वाभाविक था कि इसने विशेषकर प्रतिपूरक वनरोपण के क्षेत्र में गति लाने में व्यय के लिए उचित समय लिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधियां राज्यों से एपीओ के आधार पर जारी की गई थीं और एपीओ के अनुसार खर्च की जानी चाहिए थीं। वर्तमान प्राकृतिक वनों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्धन आदि सहित प्रतिपूरक कार्यकलाप करना वन विभाग के लिए नया कार्यकलाप नहीं था जो इन कार्यकलापों की योजना तथा निष्पादन के लिए सम्भावतः कौशल तथा अनुभव रखता है।

[1]अण्डमान – निकोबार,अरूणाचलप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश,, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

सितम्बर –अक्तूबर 2011 में आयोजित अपनी 17 वीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने यह माना कि कुछ राज्यों में वर्ष 2009–10 में संस्वीकृत निधियां पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं की गई थीं। यह निर्णय किया गया था कि अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय की अभ्युक्तियां कि अतिरिक्त निधियों, यदि कोई हो, के निर्गम की सिफारिशें राज्य स्तर कैम्पा द्वारा की गई प्रगति को देखने के बाद समय समय पर यथा समय की जाएंगी और लेखाकरण निगरानी की प्रभावकारिता तथा मूल्यांकन प्रणालियों का प्रभाव देखा जाएगा। तथापि इन निर्णयों तथा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के साक्ष्य हमें नही मिले।

एमओईएफ ने बताया (अप्रैल 2013) कि हाल के वर्षों में राज्यों के अव्ययित शेषों की राज्यों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों, ई–ग्रीन वाच, जहॉ लागू हो तथा कैम्पा निधियों से किए गए कार्य के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काआर्डिनेटस द्वारा ध्यान से निगरानी की जा रही थी और कि भावी वर्षों का आवंटन उपर्युक्त प्राचालों पर राज्य कैम्पा से इनपुट की केवल ध्यान से जांच करने के बाद किया जाएगा। यह आगे बताया गया था कि कुछ पिछड़े राज्यों जहॉ कुछ "प्रमुख" राज्यों के मामले सहित विगत में खर्च आवंटन के अनुसार नहीं हुआ वहॉ यह धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूप से गति पकड रहा है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा आश्वासन के बावजूद सीए के सम्बन्ध में यह एक गम्भीर चिन्ता का मामला है कि एक अनियमित स्थिति बन गई है। जबकि तदर्थ कैम्पा के पास सीएएफ में ₹ 23,607.67 करोड़ की निधियां पडी हुई हैं वहीं समीक्षा अवधि के दौरान कवर किए जाने के लिए योजित केवल 44 प्रतिशत गैर वन भूमि और 49 प्रतिशत निम्नीकृत वन क्षेत्र पर सीए किया गया था तथा इस प्रयोजन हेतु 2009–12 के बीच संस्वीकृत निधियों का 39 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा।

4.4 अनुमोदन बिना/विलम्बित एपीओ पर निधियों का निर्गम

निर्धारित कार्यविधि के अनुसार तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा से अनुमोदित एपीओ प्राप्त करने के बाद निधियां जारी करनी थीं। राज्य/यूटी वार और वर्षवार दृष्टान्तों के ब्यौरे, जिनमें एपीओ के अनुमोदन के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं, तालिका 31 में हैं।

तालिका 31 : उदाहरण जब अनुमोदित एपीओ प्राप्त किए बिना राज्य कैम्पा को निधियां जारी की गई थीं

वर्ष	राज्य/यूटी द्वारा एपीओ तैयार किए बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि जारी करना	अनुमोदित एपीओ की प्राप्ति बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी करना
2009-10*	असम, दिल्ली, गोवा, मध्यप्रदेश, राजस्थान,, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल	आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा तथा सिक्किम
2010-11	असम, चण्डीगढ़, दिल्ली, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तथा पश्चिम बंगाल,	अरूणाचलप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश,सिक्किम तथा उत्तराखण्ड

**एपीओ तैयार करने के सम्बन्ध में वर्ष 2009–10 के लिए बिहार, गुजरात, तथा मेघालय द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।*

एपीओ की प्राप्ति तथा तैयारी बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्यों को अन्तरित निधियां 2009–10 तथा 2010–11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 653.43 करोड़ तथा ₹. 406.43 करोड़ थीं।

जम्मू – कश्मीर में राज्य का समग्र एपीओ तैयार नहीं किया गया था। अलग–अलग कार्यान्वयक एजेंसियों (आईए) द्वारा अलग–अलग एपीओ तैयार किए गए थे। जे एण्ड के में 45 आईए थे। कार्यान्वयक एजेंसियों ने अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय मण्डलों के संबंध में प्रथम चरण के रूप में पांच वर्षों (2010–15) के लिए परियोजना प्रस्ताव (पीपी) तैयार किए। एपीओ इन पीपी से निकाले और सिफारिशों के लिए कैम्पा की कार्यकारी समिति को तथा अन्तिम अनुमोदन के लिए संचालन समिति को प्रस्तुतीकरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे थे। संचालन समिति ने 2010–11 में ₹ 32.33 करोड़ के 40 एपीओ तथा 2011–12 में ₹58.37 करोड़ के 65 एपीओ अनुमोदित किए।

उपर्युक्त से यह देखा गया था कि एपीओ तैयार करने से सम्बन्धित राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों का एक समान अनुपालन नहीं किया गया था और संचालन समिति द्वारा अनुमोदित एपीओ प्राप्त किए बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई थीं और जारी निधियों का कम उपयोग भी आंशिक रूप से खराब योजना को आरोपित किया जा सकेगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियां पूर्णतया सही नहीं थीं। मई 2009 से पूर्व राज्यों द्वारा भेजे गए एपीओ में तुलनात्मकता की कमी थी और यह निर्णय लिया गया था कि राज्य एकवार फिर एपीओ तैयार करें। जून 2010 में तीसरी एनसीएसी बैठक तक एपीओ का प्रोफार्मा केन्द्रीय रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। इसी बीच यह मानकर कि वर्ष 2006 से राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई थीं और निधियां जारी करने के लिए इसे उचित माना गया था क्योंकि राज्यों ने कुछ एपीओ भेजे थे फिर भी तब तक कोई प्रोफार्मा निर्धारित नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि राज्य कोई और अधिक समय बर्बाद किए बिना वनरोपण कार्यकलाप आरम्भ करे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एपीओ तैयारी/अनुमोदन के बिना 18 राज्यों/यूटी (2009–10) तथा 11 राज्यों/यूटी (2010–11) को धन जारी किया गया था। जुलाई 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सीए, एसीए, पीसीए तथा सीएटी योजना के प्रति राशि एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य आरम्भ करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के सम्बन्धित बैंक खातों को जारी की जानी थी और एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रति राशि राज्य स्तर कार्यकारी समिति योजनाओं की समीक्षा किए जाने तथा संचालन समिति द्वारा एपीओ का अनुमोदन किए जाने के बाद जारी की जानी थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने यह सुनिश्चित किए बिना निधियां जारी कीं कि सीए, एसीए, पीसीए, तथा सीएटी योजना की निधियां एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य करने के लिए उपयोग की गई हैं न कि एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र की निधियां अनुमोदित एपीओ के अनुसार उपयोग की गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास गैर वन उपयोग हेतु वन भूमि के विपथन का अनुमोदन करते समय उनके द्वारा अनुमोदित सभी सीए

कार्यों का एक डाटाबेस होना चाहिए तथा तदर्थ कैम्पा से सीए निधियों से निधियां स्थलों तथा कार्यों के लिए जारी की जानी चाहिए जैसा अनुमोदित विपथनों में उल्लिखित है।

4.5 तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी अभिलेखों के अनुसार निर्गमों में असमाशोधित विसंगतियां

हमने राज्यों/यूटी को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी के रूप में दर्शाई राशि और प्राप्त के रूप में राज्यों/यूटी में दर्ज राशियों की प्रति जांच की। दो निकायों के अभिलेखों में पाए गए अन्तर के ब्यौरे तालिका 32 में दिए गए हैं।

तालिका32 : 2009–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा से निर्गमों तथा राज्य/यूटी कैम्पा में प्राप्तियों में अन्तर के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के अनुसार कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)	राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त हुई बताई गई कुल राशि (2009–2012)	जारी तथा प्राप्त निधियों में अन्तर की प्रतिशतता*
1	असम	17.17	22.83	(-) 32.96
2	छत्तीसगढ़	356.86	357.95	(-) 0.31
3	केरल	1.75	1.37	21.71
4	मध्यप्रदेश	157.53	157.54	(-) 0.01
5	महाराष्ट्र	257.47	256.64	0.32
6	ओडिशा	437.26	447.33	(-) 2.30
7	पंजाब	68.98	81.65	(-) 18.37
8	तमिलनाडु	3.67	5.05	(-) 37.60
	जोड़	1,300.69	1,330.36	(-) 2.28

** (–) राज्य कैम्पा द्वारा कम प्राप्ति दर्शाता है।*

जैसा तालिका 32 से स्पष्ट है नमूना जांचित 30 राज्यों/यूटी में से आठ में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियां राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई दर्शाई गई राशि से मेल नहीं खाती।

तीन वर्ष अवधि (2009–12) के लिए ऐसे अन्तर और मिलान की कमी तदर्थ राज्य कैम्पा द्वारा खराब प्रबन्धन, आन्तरिक नियंत्रण तथा निगरानी को दर्शाते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य कैम्पा को वितरित राशियां राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आरटीजीएस प्रेषण के माध्यम से भेजी गई हैं इसलिए तदर्थ कैम्पा से प्रेषण तथा नोडल अधिकारी द्वारा उनकी प्राप्ति में अन्तर होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने केवल तदर्थ कैम्पा के आंकड़ो की पुष्टि की और कहा कि राज्य कैम्पाओं द्वारा प्राप्त निधियों से सम्बन्धित स्थिति पर उनके द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। यह केवल लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के बीच मिलान तथा निगरानी की कोई मानक कार्यविधि नहीं है।

4.6 संघटक वार निधियों का निर्गम

उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई 2009 के आधार पर राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का संवितरण नीचे दिए अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना था :

संघटक	प्रयोजन
प्रतिपूरक वनरोपण/ अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों के साथ–साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्थल विशिष्ट योजनाओं के अनुसार उपयोग किया जाना। जैसा राज्य एपीओ से देखा गया, इनमें सामान्यतया नर्सरी वृद्धि, अग्रिम मिटटी कार्य और रोपण शामिल होते हैं।
निवल वर्तमान मूल्य	प्राकृतिक सहायता प्राप्त पुनरूत्पादन, वन प्रबन्धन तथा सुरक्षा, आधारभूत संरचना विकास, वन्यजीव सुरक्षा और प्रबन्धन, लकड़ी की आपूर्ति तथा अन्य वन उत्पाद बचत साधनों की आपूर्ति और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाना। जैसा राज्य एपीओ से देखा गया इनमें सामान्यतया वन संरक्षण, आधारभूत संरचना एवं एचआरडी, वन्यजीव प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, मिटटी एवं जल संरक्षण , वन पंचायतों को सुदृढ़ करना, अनुसंधान सहित सम्बद्ध कार्यकलाप, जैव विविधता प्रबन्धन, संविदात्मक नियुक्ति, निगरानी, परिचालन व्यय तथा आकस्मिक खर्चे शामिल होते हैं।
संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के विपथन के मामलों में वसूले गए धन	सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यकलाप करने के लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाना जैसाकि एपीओ से देखा गया इनमें क्षेत्र विशेष योजनाएं शामिल की गईं।

हमने देखा कि निधियों की प्राप्ति और इनके निर्गमों के संघटक वार ब्यौरे तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। इनके अभाव में हम यह आश्वासन निकालने में असमर्थ हैं कि प्रचालन की वार्षिक योजना में प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को किए गए निर्गम एक विशेष संघटक में राज्य के निधि संचय के प्रति लेखांकित किए जा रहे थे। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध सूचना केवल राज्यवार संचय की थी जो आगे मूल तथा ब्याज में बांटी गई थी।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान संघटक वार निर्गमों तथा उपयोग के निर्धारण के उददेश्य से राज्य महालेखाकारों ने प्रत्येक राज्य /यूटी में नोडल अधिकारियों से यह सूचना एकत्र करने का प्रयास किया। इस नमूना जांच के आधार पर एपीओ के अनुसार 2009 – 2012 तक संघटक वार निर्गम तालिका 33 में दिए गए हैं। इस लेखापरीक्षा में शामिल 30 राज्यों/यूटी में से चार[2] द्वारा यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

तालिका 33 : वार्षिक योजना प्रचालनों के अनुसार निधियों का संघटक वार निर्गम जैसे राज्यों/यूटी से प्राप्त किए गए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	वन्यजीव प्रबन्धन	सीएटीपी	अन्य	जोड़
1	अण्डमान – निकोबार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.89
2	आंध्रप्रदेश	324.05	57.42	0	0	0.94	382.41
3	अरूणाचल प्रदेश	16.99	4.40	0.00	0.56	1.01	22.96
4	असम	29.99	68.63	11.47	0.00	17.72	127.81
5	बिहार	9.38	4.34	1.00	0.00	1.84	16.56
6	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31
7	छत्तीसगढ़	192.77	46.04	0.00	0.00	25.50	264.31
8	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3.25
9	गोवा	3.15	2.92	0.00	0.00	3.86	9.93
10	गुजरात	41.61	38.87	0.00	0.00	0.00	80.48
11	हरियाणा	23.76	13.71	0.00	1.28	0.03	38.78
12	हिमाचल प्रदेश	31.35	3.24	0.00	41.06	13.18	88.83
13	जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	67.09	67.09
14	झारखण्ड	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	260.66
15	कर्नाटक	120.82	27.26	0.00	8.49	0.00	156.57
16	केरल	3.40	0.35	0.00	0.00	0.32	4.07
17	मध्यप्रदेश	80.78	92.45	12.00	0.49	11.68	197.40
18	महाराष्ट्र	133.87	85.13	0.00	0.00	0.00	219.00
19	मणिपुर	0.00	0.05	1.60	0.00	0.31	1.96
20	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	ओडिशा	147.68	161.55	50.00	0.00	74.90	434.13

[2]अण्डमान – निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	वन्यजीव प्रबन्धन	सीएटीपी	अन्य	जोड़
23	पंजाब	63.50	0.00	0.00	0.00	11.38	74.88
24	राजस्थान	53.10	16.84	12.06	0.00	3.55	85.55
25	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	27.28
26	तमिलनाडु	1.08	1.56	0.00	0.00	0.54	3.18
27	त्रिपुरा	4.54	0.35	0.00	0.00	0.00	4.89
28	उत्तरप्रदेश	11.94	34.07	0.00	0.00	2.53	48.54
29	उत्तराखण्ड	109.30	13.29	1.54	2.68	1.80	128.61
30	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	16.42
	जोड़	**1,663.72**	**672.47**	**89.67**	**54.56**	**238.49**	**2,767.75**

* जारी निधियों के संघटक वार ब्यौरे अण्डमान निकोबार, दिल्ली, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे इसलिए राज्य/यूटी द्वारा सीए निधियों की कुल राशि ली गई थी।

** तालिका 33 के आंकड़े कार्यान्वयक एजेंसियों को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के हैं इसलिए कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आंकडे तालिका 28 तथा 29 से मेल नहीं खाएंगे।

उ.न. – उपलब्ध नहीं

संग्रहीत सीमित डाटा से यह प्रतीत होता है कि संघटक वार निर्गम (26 राज्य/यूटी) संघटकवार संग्रहण से अधिक नहीं थे। तथापि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी कैम्पा को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संग्रहणों तथा निर्गमों का संघटक वार/राज्यवार डाटाबेस तैयार करना चाहिए।

जैसा तालिका 33 से देखा जा सकता है जारी निधियों का 60 प्रतिशत एनपीवी संघटक से, प्रतिपूरक वनरोपण संघटक से 24 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अन्य कार्यकलापों जैसे सड़क किनारे रोपण, खाली जगह भरने आदि से थे। इस वितरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे ज्यादा जोर वर्तमान वन भूमि (अधिकांशतः एनपीवी के अन्तर्गत शामिल) की सुरक्षा तथा अनुरक्षण पर था और नवीनतम अधिग्रहीत राजस्व भूमि अथवा विपथन के कारण वन कटाई की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नीकृत वनों पर नए रोपण पर कम ध्यान दिया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों में तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां संघटक वार जारी करने की अपेक्षा नहीं की गई। एकमात्र अपेक्षा अनुमोदित एपीओ के आधार पर निधियां जारी करने की थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उददेश्य से संघटक वार व्यय पर नजर रखने और निगरानी रखने के लिए संघटक वार निर्गमों का अभिलेख आवश्यक था परन्तु निधियों की प्राप्ति तथा इनके निर्गमों के संघटक वार ब्यौरे तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे।

उच्चतम न्यायालय के जुलाई 2009 के आदेश के अनुसार सीए, एसीए, पीसीए, तथा सीएटी योजना के प्रति राशि एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के सम्बन्धित बैंक खातों को जारी की जानी थी और एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रति राशि राज्य स्तर कार्यकारी समिति द्वारा योजनाओं की समीक्षा किए जाने और संचालन समिति द्वारा एपीओ अनुमोदित किए जाने के बाद जारी की जानी थी। प्राप्त तथा वितरित निधि के संघटक वार ब्यौरे न रखकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन की निगरानी का तन्त्र स्थापित नहीं किया है।

4.7 राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा प्राधिकृत न किया गया व्यय।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के नियम 11(i) के अनुसार राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन अनुमोदित एपीओ के अनुसार वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा और वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति खर्च पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना था।

एनसीएसी ने 24 जून 2010 तथा 24 जनवरी 2012 को आयोजित क्रमशः अपनी तीसरी तथा चौथी बैठकों में निर्देश दिया कि कैम्पा निधियों से कुछ व्यय जैसे प्रशासनिक खर्च, मुख्यालय में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर व्यय , वाहनों पर पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक खर्च, कार्यालय, आवासीय भवन, वन अतिथि गृह, रेंज वन अधिकारी स्तर से ऊपर लिपिकवर्गीय कर्मचारी क्वाटर्स आदि के निर्माण, मरम्मत, पुनरूद्धार विशेषकर अधिकारियों आदि द्वारा उपयोग के लिए वाहनों की खरीद पर अनुमेय नहीं थे।

राज्य कैम्पा/नमूना मण्डल/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2009 – 12 के दौरान ₹ 51.93 करोड़ का व्यय राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एनसीएसी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था जैसा ब्यौरेवार तालिका 34 में दिया गया है।

तालिका 34 : राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया खर्च।

क्र. सं.	राज्य/यूटी	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
1	**अरूणाचल प्रदेश**	3.16	वाहनों की खरीद (₹.0.79करोड़) आवासीय भवनों का निर्माण (₹2.19 करोड़), कार्यालय उपकरण, मोबाईल तथा फर्नीचर (₹ 0.12करोड़) आदि
2	**बिहार**	4.51	2010–11 तथा 2011–12 के दौरान वाहनों की खरीद (₹ 3.38 करोड़), 2011–12 के दौरान आवासीय भवनों का निर्माण (₹ 1.13 करोड़)
3	**छत्तीसगढ़**	11.98	वाहनों की खरीद (₹ 1.30 करोड़) भवनों का निर्माण (₹ 5.82 करोड़ जिसमें ₹ 2.03 करोड़ पहले ही खर्च किया गया) और ईको पर्यटन (₹4.86 करोड़जिसमें ₹ 0.71 करोड़ पहले ही खर्च किया गया)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
4	दिल्ली	0.06	मारूति जिप्सी की खरीद (₹ 0.05 करोड़) और छः मोबाइल फोन (₹ 0.29 लाख) और एक लैपटॉप (₹ 0.01करोड़)
5	गोवा	0.75	एक्जीक्यूटिव टेबल, वाहनों, कम्प्यूटरों/लैपटाप आदि की खरीद
6	हरियाणा	0.15	वन भवन बिल्डिंग का पुनरूद्धार
7	जम्मू–कश्मीर	0.31	कारपेट,लाईट एमिटिंग डायस, एयर कंडीशनर,आईपैड, प्रोजेक्टर, कार्यालय केबिन का संस्थापन, सोफा सैट बिजली ट्रांसफार्मर का संस्थापन, वाहनों आदि की खरीद।
8	कर्नाटक	6.71	वाहनों की खरीद (3.36 करोड़) अतिथि गृह/कार्यालय भवन का अनुरक्षण (₹ 2.55 करोड़) पुराने बीएफसी की सहायता (₹ 0.61 करोड़) और ट्री पार्क का सुधार (₹ 0.19 करोड़)
9	केरल	0.96	वाहनों की खरीद (₹ 0.96करोड़ अर्थात कुल प्रावधान का 70 प्रतिशत)
10	महाराष्ट्र	6.19	कार्यालय के लिए वाहनों, फर्नीचर, कम्प्यूटरों की खरीद, ईको टूरिजम, अतिथि गृह की मरम्मत तथा प्रशिक्षण (₹ 0.40 करोड़) और वन भवन का निर्माण तथा पुनरूद्धार (₹ 4.88 करोड़) वन भवन के लिए सौर ऊर्जा उपकरण कीखरीद (₹ 0.91 करोड़)
11	मणिपुर	0.26	सामुदायिक भवन का निर्माण, स्थानीय क्लब को सहायता, सिलाई मशीनों का वितरण तथा ईको टूरिज्म का विकास आदि
12	ओडिशा	0.07	वहन की खरीद
13	पंजाब	0.10	वाहनों आदि की खरीद
14	राजस्थान	2.04	भवन का अनुरक्षण, पीओएल प्रभार तथा सैल्यूलर फोन प्रभार
15	सिक्किम	2.24	वाहनों की खरीद (₹ 0.25 करोड़), वन सचिवालय भवन का विस्तार तथा घेराबन्दी, डीएफओ आवासों, कार्यालयों, सहायक वन संरक्षक क्वार्टरों आदि की मरम्मत आदि (₹ 1.99 करोड़)
16	उत्तराखण्ड	12.26	प्रधान सचिव के कार्यालयीन आवास का पुनरूद्धार (₹ 0.16 करोड़), आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत (₹ 0.24 करोड़), पीसीसीएफ वीपी के लिए वाहनों की खरीद (₹ 0.05 करोड़) कार्यालय खर्चे (₹ 0.72 करोड़), ब्रिकेटिंग मशीन (₹ 0.13 करोड़), अटल आदर्श ग्राम योजना (₹ 4.99 करोड़), वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालन खर्चे (₹ 5.35 करोड़), मानदेय (₹ 0.62 करोड़)
17	पश्चिम बंगाल	0.18	फाउण्डेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी तथा वाहन किराए पर लिया जाना आदि।
	जोड	**51.93**	

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनसीएसी की चौथी बैठक के बाद अननुमेय मदों की प्रतीति सूची के लिए कैम्पा निधियों के उपयोग का मामला उच्चस्तरीय समिति को भेजा गया है जिसमें कुछ राज्य सम्मिलित थे। इस विषय पर उच्च स्तर समिति की सिफारिशें एनसीएसी की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी थीं उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के इस बाबत अनुमोदन अपेक्षित होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान आदेश तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालन को अनुमोदित वार्षिक योजनाओं में किसी परिवर्तन का प्रावधान नहीं करते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कैम्पा निधियां अनुमोदित एपीओ के अनुसार वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा और वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति उपयोग की जानी थीं तथा व्यय के किसी विचलन का तदर्थ कैम्पा तथा एनसीएसी द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी की जानी थी। उपर्युक्त व्यय एनसीएसी मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में किया गया है।

4.8 राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदीकेन्द्र द्वारा कैम्पा रोपण की निगरानी

सैटलाइट डाटा का उपयोग कर कैम्पा रोपणों की वृद्धि का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया गया। अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय दूरस्थ संवेद केन्द्र से पूर्व तथा पश्च रोपण दिनांक दूरस्थ संवेद डाटा का उपयोग कर विशिष्ट स्थलों पर रोपण कार्यकलाप की पहचान करने के लिए सम्पर्क किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान राज्य महालेखाकारों ने 2009–12 की अवधि के दौरान किए गए एक प्रयास रोपणों के लिए राज्य वन विभागों से रोपित स्थलों का जीपीएस कोआडीनेट तथा क्षेत्र एकत्रित किया। आरम्भिक विकास में युवा रोपण बहुत कमजोर फौलिएज (विशेष प्रजातियां) रखते हैं और उनके पूर्णतया स्थापित होने तक दूरस्थ संवेदी संकेत पूरी तरह ग्रहण नही करते हैं। इसलिए डाटा, जिसमें वर्ष 2009–10 में रोपण किया गया था, का चयन किया गया। केवल दो राज्यों छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा ने वर्ष 2009–10 में कैम्पा रोपण किया था।

रोपण के क्षेत्र तथा वृक्षो की संख्या के आधार पर, सेटलाइट इमेजरी के द्वारा 10 प्रतिशत रोपण स्थलों का चुनाव निगरानी के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 और ओड़िशा में 3 रोपण स्थलों को चूना गया ।

इस प्रयोजन के लिए लगाई गई विशेषज्ञ एजेंसी एनआरएससी थी। इसमें[3] "सैटेलाइट इमेजरी" का प्रयोग करते हुए पौधों को ढूढ़ने की प्रक्रिया अपनाई एनआरएससी दलों ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में तीन जिलों (कोरबा, बिलासपुर तथा जंगीर चम्पा) के 13 स्थलों और ओडिशा में क्योंकर जिले के तीन स्थलों का दौरा भी किया।

[3]एनआरएससी द्वारा रोपण खोज मुख्यतया पांच मीटर आकाशीय निवेदन वाले रिसोर्ससैट–एलआईएसएस–IV का उपयोग कर की गई थी रोपणों के लिए दिए गए भूस्थानों के आधार पर हरित सत्र 2008–09 से संबंधित डिजिटली मर्जड नेचुरल कलर हुई हाई रिजोल्यूशन कम्पोजिट (कैरोटसैट –एलआईएसएस–IV) के मुक्त के भुवन इमेज डाटाबेस (इसरो निओविजुअलाइजेशन पोर्टल) की पूर्व रोपण/रोपण सत्र जहाँ कहीं आवश्यकता हुई, आवश्यताओं के लिए ऊपर उल्लेख किया गया, उन्हीं स्थानों के लिए 2012–13 के लिए तदनुरूपी एलआईएसएस-IV ग्रीन सीजन आर्थो–करेक्टेड इमेजेज 2008–09 की पूर्व रोपण अवधि के संदर्भ में रोपण वृद्धि के लिए एक से दूसरे की तुलना के लिए खरीदे गए थे। इस प्रकार रोपण वृद्धि की दृश्य व्याख्या दो समयावधि आकृतियों से की गई थी और अवलोकन दर्ज लिए गए थे।

13 चयनित स्थलों के लिए एनआरएसी के सामान्य अवलोकन कि रोपण कार्यकलाप 2009–10 के दौरान आरम्भ किए गए थे और 2011 में भी किए गए थे। अधिकतर पौधो की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर के लगभग थी और वृद्धि एलआईएसएस–IV दृष्टांकन पर खोजे जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा रोपण से पूर्व ढ़ंढी/मौजूद वनस्पति से वृद्धि की सुरक्षा तथा वानिकी प्रचालन विम्बाकन में स्पष्ट थे।

क्षेत्र अवलोकनों के आधार पर सूचित सामान्य अवलोकनों के अपवाद नीचे विस्तृत है :

4.8.1 चटटानी प्रभावन तथा अल्प वृद्धि

हर्दी, छत्तीसगढ़ में यह देखा गया कि टीक रोपण जून – जुलाई 2011 में किया गया था, पेडों की औसत ऊंचाई एक मीटर से कम थी, मध्य भाग में वृद्धि पांच से छः फीट होनी देखी गई और बहुत लम्बी घास भी देखी गई थी। उत्तरी क्षेत्र चटटानी प्रभावन था और अल्प वृद्धि देखी गई जबकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 50 हैक्टेयर क्षेत्र में 1,16,500 पेड उगाए गए थे।

हर्दी, (छत्तीसगढ़) में टीक वृक्षारोपण

4.8.2 भारी जीवीय दबाव तथा गुम पौध

मरवाही – 1405, छत्तीसगढ़ में यह देखा गया था कि बहुत अधिक जीवीय दबाव था, गडढ़े देखे गए थे और क्षेत्र में कोई पौध नहीं थी।

यह पाया गया कि टीक वृक्षारोपण के लिए उचित स्थान की पहचान सही तरीके से नहीं होने के कारण पौधों की कम वृद्धि हुई।

उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियां 10 जुलाई 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जारी की गई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है ।

4.9 व्यय मनरेगा के अनुसार नहीं

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 के अनुसार कैम्पा निधियों का उपयोग कर कार्यों को कराते समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा अपनाए गए व्यापक मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जाना था और जहाँ तक सम्भव हो, निम्मतम मजदूरी स्तर कायम रख कार्य अधिकांशतः ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को आवंटित किया जाना था।

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि नौ राज्यों/यूटी (आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल) में कैम्पा के अन्तर्गत किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यकलापों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डाटा बनाया नही गया था। इसलिए यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था और मनरेगा के मार्ग निर्देशों का पालन किया गया था। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा रोपण कार्य कराने में ग्रामीण बेरोजगार युवकों का लगाया जाना दर्शाने के लिए अभिलेखों पर कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर के में यह देखा गया था कि मजदूरों को भुगतान आदाता लेखा चैक के स्थान पर नकद किए गए थे। इसके अलावा सात राज्यों[4] में श्रमिकों को मजूदरों का भुगतान करते समय मनरेगा मार्गनिर्देशों को अपनाया नहीं गया था। शेष 14 राज्यों /यूटी[5] ऐसे अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। इसलिए इस संबंध में लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इसका उत्तर राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना चाहिए।

[4] दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
[5] अण्डमान निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा सिक्किम

4.10 निगरानी तथा मूल्यांकन

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार निधि का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहमत निगरानी की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित तथा प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थी। जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य कैम्पा को जारी राशि का पांच प्रतिशत राशि भी जारी की जाएगी और कैम्पा धन का उपयोग कर इस क्षेत्र में राज्य/यूटी में कार्यान्वित योजनाओं, संस्थाओं की स्थापना, समितियों, वन तथा वन्य जीव के क्षेत्र में श्रेष्ठता केन्द्र, प्राथमिक योजनाएं, इस क्षेत्र के लिए संहिताओं, मार्गनिर्देशों आदि का मानकीकरण की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा उपयोग की जाएगी। इसके अलावा अगस्त 2009 में अधिसूचित राज्य कैम्पा मार्गनिर्देश में भी निगरानी तथा मूल्यांकन[6] के लिए निधियों के दो प्रतिशत तक उदिदष्ट करने के लिए राज्य कैम्पा को प्राधिकृत किया गया।

4.10.1 राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद

जैसाकि 2 जुलाई 2009 के राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया, 13 अगस्त 2009 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) का गठन किया गया था। दस अन्य सदस्यों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी थी।

31 मार्च 2012 तक ₹ 131.28 करोड़ की राशि एनसीएसी के खाते में अन्तरित की गई थी।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार एनसीएसी को करना था:

- राज्य कैम्पा के लिए व्यापक मार्गनिर्देश निर्धारित करना,
- राज्यों के परामर्श से राज्य कैम्पाओं द्वारा आरम्भ की जा रहीं परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी तथा मूल्यांकन करना,
- बैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा अन्य सहायता, जिनकी राज्य कैम्पाओं द्वारा अपेक्षा की जाए, को सुगम बनाना
- उनकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर राज्य कैम्पाओं को सिफारिशें करना।
- अन्तरराज्यीय अथवा केन्द्र राज्य प्रकृति के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य कैम्पाओं को तन्त्र उपलब्ध कराना।

4.10.1.1 समन्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (ई ग्रीन वाच) का विकास

एनसीएसी ने तीसरी बैठक दिनांक 24 जून 2010 में समान्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (आईसीसीएमईएस) विकसित करने का सैद्धान्तिक अनुमोदन सूचित किया। पर्यावरण एवं वन

[6]निगरानी तथा मूल्यांकन पर व्यय प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि के दो प्रतिशत की समग्र सीमा के अध्ययीन था।

मंत्रालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को मध्यप्रदेश सरकार के साथ निकट रूप से कार्यरत प्रणाली विकसित करनी थी।

24 जनवरी 2012 को आयोजित चौथी बैठक में एनसीएसी ने आई–सीसीएमईएस (अब ई ग्रीन वाच कहा गया) को राष्ट्रव्यापीस्तर और एफसी मण्डल के लिए वेब आधारित प्रस्ताव निगरानी प्रणाली पर बदलने को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति ने माना कि योजनाओं के कार्यान्वयन में समय का निकल गया था। समिति को अपने विचार विमर्श पूर्ण करने थे और तीन महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजनी थी।

तदर्थ कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि तदर्थ कैम्पा ने (i)समान्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (आई–सीसीएमईएस), अब ई – ग्रीन वाच के रूप में ज्ञात) और (ii)एफसी मण्डल के दिए वेब आधारित प्रस्ताव निगरानी प्रणाली के विकास के लिए सितम्बर 2010 से मई 2011 तक एन आई सी को ₹1.05 करोड़ की राशि जारी की थी। ये दोनों निगरानी प्रणालियां जो नवम्बर 2011 तक विकसित की जानी अपेक्षित थीं,अभी तक (जून 2013) विकसित नहीं की गई। इस प्रकार वनरोपण की कोई ऑनलाइन निगरानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा द्वारा नहीं की जा रही थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार यद्यपि ₹ 2,829.21 करोड़ की निधियां 31 मार्च 2012 तक विभिन्न राज्यों की जारी की गई थीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने न तो वैब आधारित निगरानी प्रणाली अथवा ईग्रीन वाच आदि के माध्यम से किसी आनलाइन निगरानी तन्त्र का विकास करने में सफल हुआ और न ही कैम्पा निधियों से चलाई जा रही परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई–ग्रीन वाच के विकास की प्रगति और अन्य राज्यों को इसके अनुपयोग की लगातार निगरानी की जा रही है। अनेक राज्यों में कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए व्यापक योजना तथा समन्वय आवश्यक है और कुछ अधिक समय लगाना अपरिहार्य है। कैम्पा कार्यकलाप उठान चरण में हैं और कि निगरानी तथा मूल्यांकन विकास चरण पर हैं और समाधान के लिए उचित समय लगेगा। सूचना के लगातार आदान–प्रदान के लिए एक प्रोफार्मा तिमाही प्रगति रिपोर्टों और राज्यों में किए गए सभी कैम्पा आधारित कार्यों की जीआईएस पुष्टि के मध्यम से आरंभ किया गया है।

उत्तर प्रभावी नहीं है क्योंकि निधियों को जारी करने के मार्गनिर्देश जुलाई 2009 में जारी किए गए थे इसलिए 48 माह से अधिक की अवधि तक भी किसी निगरानी का विकास कार्यान्वयन न करने को उचित समय के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 के आदेश में कहा गया कि सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन की एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जाएगी और निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से लागू की जाएगी इसके अलावा जैसा अधिकांश राज्यों द्वारा सूचित किया गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ई –ग्रीन वाच को लागू न करने के कारण सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

4.10.2 राज्य कैम्पा द्वारा निगरानी

4.10.2.1 राज्य कैम्पा समितियों की अनियमित बैठकें

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले शासी निकाय को राज्य स्तर कैम्पा के कार्यचालन और समय समय पर इसके कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए व्यापक नीति ढ़ाचा निर्धारित करना था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति को एपीओ का अनुमोदन करना था और राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करनी थी तथा इसकी छः माह में एक बार बैठक होनी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति को राज्य कैम्पा को अमल में लाने और अतिप्रभार उद्देश्य तथा कोर प्रिंसीपल के लिए सभी कदम उठाने के लिए एपीओ तैयार करने थे और राज्य कैम्पा से जारी निधियों से राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना था।

राज्य कैम्पा /नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा के निकायों की बैठकें सभी राज्यों में नियमित अन्तराल में आयोजित नहीं की जा रही थीं जिनके कारण एपीओ को तैयार करना, निधियों के उपयोग का पर्यवेक्षण और कैम्पा निधि से चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति आदि की राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार निगरानी नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा समितियों की बैठकों के राज्यवार ब्यौरे तालिका 35 में हैं।

तालिका 35 : राज्य कैम्पा समितियों की बैठकों के राज्यवार ब्यौरे

क्रं सं.	राज्य/यूटी	2009 –12 की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या		
		शासी निकाय	संचालन समिति	कार्यकारी समिति
1	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह	0	3	3
2	आंध्र प्रदेश	_	3	3
3	अरूणाचलप्रदेश	2	2	2
4	असम	0	1	2
5	बिहार	1	3	3
6	चण्डीगढ़	_	3	2
7	छत्तीसगढ़	_	4	7
8	दिल्ली	_	2	3
9	गोवा	0	2	3
10	गुजरात	_	2	4
11	हरियाणा	_	4	4

क्रं सं.	राज्य/यूटी	2009 –12 की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या		
		शासी निकाय	संचालन समिति	कार्यकारी समिति
12	हिमाचलप्रदेश	0	7	4
13	जम्मू–कश्मीर	_	_	_
14	झारखण्ड	_	4	4
15	कर्नाटक	_	3	_
16	केरल	_	2	2
17	मध्यप्रदेश	_	2	7
18	महाराष्ट्र	_	3	13
19	मणिपुर	0	2	4
20	मेघालय	0	1	1
21	मिजोरम	0	1	1
22	ओडिशा	_	4	4
23	पंजाब	_	_	_
24	राजस्थान	1	2	2
25	सिक्किम	_	3	3
26	तमिलनाडु	_	2	2
27	त्रिपुरा	_	2	1
28	उत्तरप्रदेश	1	3	6
29	उत्तराखण्ड	1	3	_
30	पश्चिम बंगाल	0	3	7

(–) सूचना उपलब्ध नहीं दर्शाता है

तालिका 35 से यह देखा गया कि आठ राज्यों/यूटी में शासी निकाय की एक भी बैठक नहीं हुई जबकि 5 राज्यों/यूटी में बैठक हुई और 17 राज्यों/यूटी में बैठकों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य/यूटी की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रतिमान के प्रति चार से अधिक बैठक नहीं हुई। कार्यकारी समिति की बैठकें लगातार आयोजित नहीं की गई जिसके कारण ₹ 1,775.84 करोड़ की निधियों के उपयोग इन निधियों से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण और राज्य कैम्पा के कार्यचालन के लिए व्यापक नीति ढ़ांचा प्रस्तुत करने की प्रगति की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस विषय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

4.10.2.2 निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली का विद्यमान न होना

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 17(1) के अनुसार उपलब्ध निधियों का उपयोग कर राज्यों में कार्यान्वित कार्यों की सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जानी थीं। और निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की जानी थीं।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 11(iii)के अनुसार प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि के दो प्रतिशत की समग्र सीमा के अध्यधीन होगा।

राज्य कैम्पा/राज्य वन विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 30 राज्यों/यूटी में किसी में भी परियोजनाओं की निगरानी के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 2009 –12 के दौरान चार राज्यों[7] में निगरानी तथा मूल्यांकन पर केवल ₹ 4.39 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, अन्य राज्यों/यूटी ने कोई व्यय नहीं किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि राज्यों/यूटी में परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए उचित प्रणाली स्थापित की गई थीं

4.10.2.3 ई–ग्रीन वाच प्रणाली का कार्यान्वयन न किया जाना

सभी राज्यों में राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि कर्नाटक राज्य को छोड़कर कैम्पा निधि से संबंधित डाटाबेस नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित ई–ग्रीन वाच वेबसाइट पर अद्यतन नहीं किया गया था। ई–ग्रीन वाच प्रणाली नवम्बर 2011 तक विकसित की जानी अपेक्षित थी परन्तु तदर्थ कैम्पा द्वारा सितम्बर 2010 से मई 2011 तक के बीच निक को ₹ 1.05 करोड़ की राशि जारी किए जाने के बाद भी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। ई–ग्रीन वाच प्रणाली का कार्यान्वयन न करने के कारण निधि आवंटन, रोपण कार्य अनुमान, अन्यकार्य अनुमान, एफपीए परियोजनाएं, विपथित भूमि, सीए, भूमि प्रबन्धन,रोपण कार्य प्रगति रिपोर्ट आदि की आनलाइन जांच लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई–ग्रीन वाच निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली में अधिक समय लग रहा था जिसके परिणामस्वरूप इसे नवम्बर 2011 में आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक में औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया था और सम्बन्धित राज्य/यूटी की तैयारी की स्थिति के निर्धारण के बाद देश के सभी राज्यों/यूटी में परियोजना का प्रारम्भ करना प्रस्तावित था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2006–12 की अवधि के दौरान परियोजनाओं की सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए कोई प्रणाली नहीं थी और कि अब भी यह केवल दो राज्यों में प्रारम्भ की गई है। अन्य राज्यों/यूटी में इसके प्रारम्भ के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर 2002 के आदेश में निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से विकसित तथा कार्यान्वित की जाने वाली सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन की एक स्वतन्त्र

[7]हरियाणा (रू. 2.72 करोड़), हिमाचल प्रदेश (रू. 0.04 करोड़), तमिलनाडु (रू. 1.34 करोड़) उत्तराखण्ड (रू. 0.29 करोड़)

प्रणाली की मांग रखी गई थीं। इसके अलावा जैसा कि अधिकांश राज्यों द्वारा सूचित किया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ई – ग्रीन वाच का कार्यान्वयन न करने के कारण सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

4.10.2.4 युवा तथा छात्रों की स्वैच्छिक गतिविधि

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अतिप्रभार उददेश्यों तथा कोर सिद्धान्तों के अनुसार राज्य वन विभाग में आरंभ किए गए। चालू संरक्षण कार्यकलापों की सहायता करने के लिए युवा तथा छात्रों की स्वैच्छिक गतिविधि को भी राज्य कैम्पा प्रोत्साहित करेगा।

सभी राज्यों में 30 राज्य/यूटी कैम्पा/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि छः राज्यों (गोवा,झारखण्ड,कर्नाटक,मणिपुर,मध्यप्रदेश तथा राजस्थान) ने स्वीकार किया कि उन्होने किसी युवा जागरूकता कार्यक्रम को नहीं अपनाया था जबकि अन्य राज्यों/यूटी ने इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त सभी विषयों पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी एवं मुल्यांकन का व्यापक उत्तर दायित्व सौपां गया था।

4.11 निष्कर्ष

प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलापों के लिए 2009–12 के दौरान जारी सीएएफ की ₹ 2,925.65 करोड़ की राशि में से ₹ 1,149.81 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए राज्यों/यूटी द्वारा केवल ₹ 1,775.84 करोड़ उपयोग किए गए थे। जारी निधियों के समग्र उपयोग की प्रतिशतता केवल 61 प्रतिशत थी जबकि 30 से चयनित राज्यों/यूटी में यह शून्य से 50 प्रतिशत की बीच रहा जिसने राज्यों/यूटी की खराब अवशोषी क्षमता को प्रदर्शित किया। अधिकांश राज्य/यूटी एपीओ की तैयारी में विलम्ब, निधियों के विलम्बित निर्गम के कारण तदर्थ कैम्पा द्वारा उन्हें जारी धन को खर्च करने में असमर्थ थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में सीएएफ के संचय की प्रक्रिया की स्थापना हुई जो ऐसी समस्या थी जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा समाधान किया जाना था।

सीए के संबंध में यह गम्भीर चिन्ता का मामला है कि असंगत स्थिति बन गई है। जबकि तदर्थ कैम्पा के पास सीएएफ में ₹ 23,607.67 करोड़ की निधियां पडी है परन्तु समीक्षा की अवधि के दौरान शामिल किए जाने को योजित गैर वन भूमि के केवल 44 प्रतिशत गैरवन भूमि पर और 49 प्रतिशत निम्नीकृत वन क्षेत्र पर सीए किया गया था।

तदर्थ कैम्पा ने अनुमोदित एपीओ की प्राप्ति के बिना 2009–10 में 18 राज्य/यूटी को 2009–10 में तथा 2010–11 के दौरान निधियां जारी कीं जिसने 13 राज्यों/यूटी को निधियां जारी करने में असावधानी तथा

उपयोग के प्रति लापरवाही प्रदर्शित की क्योंकि ये निधियां निर्धारित तथा अनुमोदित उददेश्यों के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थीं। जारी निधियां कैम्पा तथा एनसीएसी मार्गनिर्देशों के अनुसार भी खर्च नहीं की गई थीं। प्रयुक्त निधियों में से ₹ 51.93 करोड़ की राशि 17 राज्यों/यूटी में अप्राधिकृत कार्यकलापों के प्रति उपयोग की गई थीं वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा आ|र वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति व्यय पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली निधियां प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग की गई थीं। मनरेगा के अनिवार्य मार्गनिर्देशों का अधिकांश राज्यों/यूटी में कार्यों के निष्पादन के दौरान अनुपालन नहीं किया गया था।

कैम्पा निधियों का उपयोग कर राज्य/यूटी में कार्यान्वित योजनाओं के नियन्त्रण तथा मूल्यांकन के लिए नवम्बर 2011 में विकसित की जाने वाली राष्ट्रव्यापी "ई ग्रीन वाच प्रणाली" को शुरू करने में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय असफल रहा। "ई ग्रीन वाच प्रणाली" के कार्यान्वयन नही होने से निधि बटॅवारे की, वृक्षारोपण कार्यो के अनुमान, अन्य कार्यो के अनुमान, वन संरक्षण योजनाएं, विपथित भूमि, सीए, भूमि प्रबंधन, वृक्षारोपण कार्यो की प्रगति की रिपोर्ट आदि की सूचनाएं लाभार्थियों को "ऑनलाइन" उपलब्ध नही की जा सकी।

अध्याय - V

संचित प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का निवेश

5.1. प्रस्तावना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवन प्रयोजनों हेतु वन भूमि का विपथन अनुमत करते समय प्रयोक्ता एजेंसियों से संग्रहीत सभी निधियों और इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय निर्देशों के अनुसार इस प्रकार विपथित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य के प्रति प्राप्त राशियों का अभिरक्षक कैम्पा को होना था। संग्रहीत धन प्रत्येक राज्य/यूटी के लिए कैम्पा द्वारा न्यास में रखा जाना था और प्रचालन अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों को जारी किया जाना था। इस बीच संचित निधियों को निवेश मंत्रालय में रहने देना था। समय –समय पर उच्चतम न्यायालय और एम ओ ई एफ द्वारा जारी निर्देश नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए है :

दिनांक	निर्देश
23 अप्रैल 2004	कैम्पा का गठन करने वाली पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना में अन्य बातों के साथ निम्न निर्धारित किया गया : • कार्यकारी निकाय, कैम्पा की शक्तियों तथा कार्यों में 'निधियों का निवेश' शामिल किया गया : • कैम्पा द्वारा संग्रहीत राशि का भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकघर, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी बाण्डों तथा जमाओं में निवेश किया जाएगा।
6 मई 2006	उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा बनाने वाले अपने आदेश के तहत निकाय को कैम्पा की बाबत प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन और विभिन्न राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा उन पर अर्जित आय की लेखापरीक्षा कराने का भी आदेश दिया। लेखापरीक्षक सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने थे। लेखापरीक्षा को यह भी जांच करनी थी कि क्या निधियों का निवेश करने में उचित वित्तीय कार्यविधि अपनाई गई थी।

2006 से 2012 की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधियां ₹ 1,200 करोड़ से ₹ 23,608 करोड़ तक बढ़ गई। 31 मार्च 2012 को इसकी संचित निधियां ₹ 20,063 करोड़ के मूलधन तथा ₹ 3,545 करोड़ के ब्याज घटक से बनी थीं।

5.2. निधियों के निवेश के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन

15 मई 2006 को तदर्थ कैम्पा की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तदर्थ कैम्पा में जमा की जाने वाली निधियों से किए जाने वाले निवेश के लिए सामान्य मार्गनिर्देशों का अनुमोदन तदर्थ कैम्पा

अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया जाना था। सदस्य सचिव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) तदर्थ कैम्पा विशेष कार्य अधिकारी की सहायता से सीएएफ के निवेशों का प्रबन्ध करने और निवेश निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी थे। यदा कदा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निवेश प्रस्ताव इस चेतावनी के साथ कि फाइल टिप्पणियाँ उसके वापस कार्यालय आने पर अध्यक्ष को दिखाई जाएं, तदर्थ कैम्पा में सीईसी के प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित किए जाने थे।

इस प्रबंधन की 19 अप्रैल 2012 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की 18 वीं बैठक में इस टिप्पणी द्वारा पुनः पुष्टि की गई थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कैम्पा निधियों के निवेश की कार्यविधि के मामले में निर्णय स्वयं तदर्थ कैम्पा में पूर्व में माने गए निर्णयों के अनुसार आन्तरिक रूप से लिए जाने थे। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध निधियों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन से सम्बन्धित दैनिक निर्णयों में तदर्थ कैम्पा के सदस्य यथा तदर्थ कैम्पा में सीएजी के प्रतिनिधि और अथवा सदस्य सचिव सीईसी (तदर्थ कैम्पा का सदस्य भी) को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि कैम्पा निधियों के निवेश में अध्यक्ष तदर्थ कैम्पा के स्तर पर अनुमोदित नीति अपनाई गई।

5.3. निवेश नीति बनाना

बेशी नकदी की विशाल मात्रा का लेनदेन करने वाली कोई हस्ती चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजि क्षेत्र में, के पास औपचारिक रूप से दस्तावेजित निवेश नीति अथवा विस्तृत कार्यविधियों द्वारा सम्पूरित खजाना प्रबंधन नीति होनी चाहिए। ऐसी नीति तथा कार्यविधियों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित निर्धारित होंगें:

- विभिन्न अधिकारियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व;
- बेशी नकदी के अनुमान की कार्यविधि, अवधि जिसके लिए ऐसी नकदी का संगठन की आवश्यकताओं से बेशी रहना जारी रहेगा और ऐसी बेशी नकदी के अनुमान/पुनः अनुमान की आवृति।
- जिन तक निवेश सीमित होंगे उसमें शामिल होगे:
    - ➢ दस्तावेज का प्रकार (अर्थात सावधि जमा, भारत सरकार बाण्ड);
    - ➢ दस्तावेज की परिपक्वता अवधि (जो अवधि जिसके लिए नकदी संगठन की अवाश्यकताओं से बेशी रहेगी, के अनुकूल होगी);
    - ➢ दस्तावेजों की क्रेडिट रेटिंग जहां लागू हो;
    - ➢ ऐसे दस्तावेजों को जारी करने वाले और उनकी वित्तीय विश्वसनीयता;
    - ➢ विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का मिश्रण, परिपक्वता अवधि, जारीकर्ता और क्रेडिट जोखिम इष्टतम के लिए अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग, द्रव्यता, ब्याज दर जोखिम और कोई अन्य सार्वजनिक नीति उद्देश्य/प्रतिबंध आदि।

दैनिक निवेश निर्णय लेते समय पालन की जाने वाली विस्तृत कार्यविधियों में सामान्यतया निम्न शामिल होंगे:

- नकदी आवश्यकताएं अनुमान करने की कार्यविधि (निर्धारित नकदी बहाव विवरण);
- निवेश की लगभग राशि, परिपक्वता अवधि, बोलियों की वैधता अवधि, बोलियों की प्राप्ति की विधि (मोहरबंद कवर, फैक्स, ईमेल आदि) दर्शाते हुए बोलियों के आमंत्रण की कार्यविधि;
- बोलियों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन और निवेशों के आत्तिमीकरण (बोलीदाताओं के साथ बातचीत सहित) की कार्यविधि;
- प्रत्येक कार्यकलाप के लिए समय अनुसूची
- दस्तावेजीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपर्युक्त कार्यविधियाँ परिश्रमपूर्ण, उचित रूप से और पारदर्शी रूप से तथा विधिवत व्यावसायिक सावधानी के साथ सम्पन्न की गई हैं ।

हमने देखा कि संचित प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के निवेश के मार्गदर्शन के लिए निवेश नीति बनाने पर तदर्थ कैम्पा की बैठकों में बारम्बार चर्चाएं हुई थीं। निकाय की बैठकों में तदर्थ कैम्पा सदस्यों ने न केवल एक निवेश नीति बनाने और इसे अनुमोदित करने के लिए कार्यकारी सदस्यों (अर्थात अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव) से अनुरोध किया बल्कि निवेश नीति के लिए पैरामीटरों के मार्गदर्शन भी प्रस्तुत किए। निकाय द्वारा विभिन्न समयों पर दिए गए निर्देश नीचे दिए गए है:

बैठक का दिनांक	तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों का सार
15 मई 2006	• निधियां सावधि जमाओं में राष्ट्रीयकृत बैंको/भारतीय रिजर्व बैंक/डाकघर /सरकारी प्रतिभूतियों/सरकारी बाण्डों/ डिपोसिट्स में उचित रूप से रखी जाएगी। • तदर्थ कैम्पा में जमा की जाने वाली निधियों से किए जाने वाले निवेश के सामान्य मार्गनिर्देश अध्यक्ष अनुमोदित करेगा।
7 जुलाई 2006	एक निवेश नीति विकसित की जाए। ऐसी निवेश नीति विकसित करने के लिए समान निवेशों के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् मार्गनिर्देशों पर विचार किया जाना था। निवेश नीति में सम्मिलन के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए थे : • तदर्थ कैम्पा द्वारा निवेश केवल अनुसूचित बैंको/भारतीय रिजर्व बैंक/डाकघर में किए जाने थे। • निधियां सामान्यतया छमाही सावधि जमाओं (एफडी) में निवेश की जाए। • दिल्ली समाशोधन प्रणाली में शामिल बैंकों में निधियों का निवेश किया जाए। • अन्तर्ग्रस्त जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उच्चतम ब्याज दरें प्रस्तावित करने वाले बैंक के अतिरिक्त सावधि जमा करने के लिए अगली निम्न ब्याज दरें प्रस्तावित करने वाले निम्न अनुसूचित बैंकों पर भी विचार किया जाए।

बैठक का दिनांक	तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों का सार
	• कोटेशन का आरूप (विभिन्न बैंको से मांगे जाने वाला)सीएजी के प्रतिनिधि सदस्य के परामर्श से वित्तीय सलाहकार द्वारा मानकीकृत किया जाना था। कोटेशनों की वैधता अवधि अभिप्रेत जमाओं के स्लैब के साथ साथ निरपवाद रूप से निर्धारित की जानी थी। • अध्यक्ष मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न बैंको/डाकघर में निवेश के वितरण का निर्णय करने का अधिकार आरक्षित रखेगा। • चूंकि निवेश दैनिक आधार पर किए जाने के लिए अभिप्रेत नहीं था इसलिए निवेश करने के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत ₹ 50 करोड़ की राशि होने अथवा 15 दिन जो भी पहले हो का इन्तजार करना था। यह सामान्य सिद्धांत अन्य उत्तरदायित्वों जिनका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य निर्वहन कर रहे हैं, की आवश्यकताओं के अध्यधीन होगा।
20 नवम्बर 2006	तदर्थ कैम्पा का वित्तीय सलाहकार को कोटेशन मांगने के लिए ड्राफ्ट फारमेट तथा सीएजी के प्रतिनिधि के परामर्श से निवेश के लिए ड्राफ्ट मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप देना था जिसे अनुमोदन हेतु तदर्थ कैम्पा के समक्ष रखा जाना था।
15 फरवरी 2007	एक और दो वर्षों के लिए कोटेशन आमंत्रित किए जाने थे और दो वर्षों की ब्याज दर एक वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक होने पर दो वर्ष के लिए निवेश किया जाना था।
20 जून 2007	• वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र का मामला और तत्कालीन अध्यक्ष के विरूद्व ₹ 250 करोड़ के निवेश वाले आरोप सहित उसमे उठाए गए विषयों पर चर्चा हुई। • इसमें अन्तर्ग्रस्त विशाल वित्तीय पक्ष के मद्देनजर वित्तीय सलाहकार के त्यागपत्र में लगाए गए आरोप की जांच करना आवश्यक माना गया था। सीएजी के प्रतिनिधि का भी यह विचार था कि ऐसी प्रतिक्रियाएं वित्तीय प्रतिमानों का उल्लंघन थीं और गम्भीर चिन्ता का विषय थीं। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सदस्य सचिव वित्तीय सलाहकार द्वारा उठाए गए विषयों की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो तदर्थ कैम्पा की अगली बैठक में रखी जाएगी। • यह भी निर्णय किया गया था कि कोटेशन टेलोफोनिक रूप से मांगे जाएंगे और बोलीदाता को प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि देकर मोहरबंद कवर में प्राप्त किए जाएंगे।
16 अप्रैल 2008	• जहां तक कोटेशन मांगने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सम्बन्ध है,यह सुनिश्चित करने कि कोटेशन उचित प्रकार प्राप्त,खोले, संकलित तथा निर्णीत किए गए हैं, यह निर्णय लिया गया था कि मोहरबंद लिफाफे खोलने के समय पर बैंको के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा।

बैठक का दिनांक	तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों का सार
9 मार्च 2009	तत्कालीन अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा द्वारा वित्तीय प्रतिमानों के कथित उल्लंघन पर तदर्थ कैम्पा सीएजी के प्रतिनिधि के विचार बैठक में रखे गए और भविष्य के लिए नोट किए गए थे। (सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर इस अध्याय में वृत्त अध्ययन III में विस्तार से चर्चा की गई है)। सीएजी के प्रतिनिधि ने 24 नवम्बर 2008 को विस्तृत कार्यविधियों द्वारा सम्पूरित निवेश नीति परिभाषित करने के उद्देश्यों तथा पैरामीटरों का भी सुझाव दिया था । उन्होने निष्कर्ष निकाला कि : • तदर्थ कैम्पा द्वारा बेशी निधियों के निवेश का तन्त्र केवल तदर्थ था जो व्यवस्थित नीति और सम्बद्ध कार्यविधियों के बिना अलग–अलग मामले के आधार पर निष्पादित किया गया था। • तदर्थ कैम्पा को उपलब्ध मानव संसाधन भी अवाश्यकताओं के सुसंगत नहीं थे, यह मानकर कि तदर्थ कैम्पा का प्राथमिक उद्देश्य खजाना/निवेश प्रबंन्धन नहीं था, जो इस क्षेत्र में सामान्यतया व्यावसायिक संगठनों को विशेषज्ञ बनाने से सम्बद्ध था। • कैम्पा के पास बेशी नकदी का पैमाना ऐसे तदर्थ अभिगम के लिए उचित नहीं था और निरंकुशता, पारदर्शिता की कमी आदि से संबंधित विषय भविष्य में भी पैदा हो सकते हैं। • इन विषयों से बचने और निवेश के उत्तरदायित्व से वंचित करने के लिए तदर्थ कैम्पा भारत के लोक लेखा में बेशी नकदी रखने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव देने पर भी विचार करें।
17 जनवरी 2011	कैम्पा निधियों का बैंको में वर्ष 2011 के दौरान राज्यों की निधि आवश्यकताओं के प्रत्याशित पैटर्न के आधार पर इस प्रकार निवेश किया जाना था ताकि पूर्व निर्धारित दिनांको, जैसे 30 मार्च, 2012, 29 जून, 2012, 30 दिसम्बर 2012 और इसी तरह को परिपक्व हों ताकि इस बाबत तदर्थ कैम्पा को ब्याज की कोई हानि न हो। राष्ट्रीयकृत बैंको से ब्याज दरें अभिनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी कार्यविधि निश्चित की जानी थी।
14 सितम्बर तथा 17 अक्तूबर 2011	• तदर्थ कैम्पा में संचित निधियों से केवल ₹ 20,000 करोड़ की राशि राष्ट्रीयकृत बैंको में एफडीआर में 'अवरूद्ध' के रूप में अलग से रखी जानी थी और इससे अतिरिक्त निधियां चालू निर्गमों के लिए उपयोग की जानी थी। इस बाबत प्रस्तुत तदर्थ कैम्पा तदर्थ कैम्पा की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। • किसी विशेष बैंक में निवेश की सीमा बैंक के निवल धन से देखी जानी थीं जिसके आंकड़े इंटरनेट से पता किए जाने थे। इस संबंध में प्रस्ताव तदर्थ कैम्पा की अगली बैठक के पहले रखे जाने चाहिए। • माह में केवल एक बार कोटेशनो के लिए कहने के स्थान पर बैंको को एफडीआर की परिपक्वता की तिथि के कार्य दिवस आगे कोट करना अनुमत किया जाना चाहिए। तथापि माह के दौरान उपलब्ध किए जाने वाली सम्भावित निधियों के बारे

बैठक का दिनांक	तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों का सार
	में माह में केवल एक बार बैंको को सूचित करने की वर्तमान प्रथा अपरिवर्तित रहेगी। प्रत्येक माह की 25 तारीख को भेजे गए ईमेल की हार्ड कापियां बैंको के सभी सीमडी और नामित महाप्रबन्धकों तथा उप महाप्रबन्धकों को भी अधिकारिक रूप से भेजी जानी थीं।
20 जनवरी 2012	यह दोहराया गया था कि एक निवेश नीति बनाने की आवश्यकता थी।
19 अप्रैल 2012	यह महसूस किया गया था कि एक औपचारिक निवेश नीति को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए और कैम्पा की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सीएजी के प्रतिनिधि की आपत्तियों पर उस समय विचार किया गया था जब प्रतिपूरक वनरोपण विधेयक 2008 संसद में था और तदर्थ कैम्पा के भविष्य पर अनिश्चितता अत्यधिक अस्पष्ट थी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि दीर्घावधि निर्णय लेने के लिए तदर्थ कैम्पा के पास समय नहीं था क्योंकि इसकी विद्यमानता का भविष्य स्वयं बहुत अनिश्चित था।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीएजी के प्रतिनिधि की आपत्तियों पर विधिवत विचार नहीं किया गया था। कैम्पा निधियों के निवेश में अनियमितताएं, जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई चर्चा से स्पष्ट है, अच्छी तरह बनाई गई निवेश नीति के अभाव और कमजोर कार्यविधियों तथा आन्तरिक नियंत्रणों के कारण हुईं।

जैसा उपर्युक्त तालिकाबद्ध निर्देशों के कालानुक्रम में दर्शाया गया है, तदर्थ कैम्पा से बारम्बार निर्देशों के बावजूद 2006 तथा 2012 के बीच अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा द्वारा विस्तृत कार्यविधियों के साथ कोई व्यापक निवेश नीति अनुमोदित नहीं की गई थी। इसके अलावा निवेश योग्य वेशी का उचित निर्धारण, प्रतिस्पर्धी बोली आमन्त्रण तथा बोलियों के मूल्यांकन, परिपक्वताओं की निगरानी और निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्यविधियां निर्धारित नहीं की गई थीं। निवेश निर्णय सामान्यतया अपनी बैठकों में तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्धारित व्यापक मानदण्डों से निर्देशित थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि इन निधियों और उनके प्रबन्धन के बहुत अनिश्चित स्वरूप के मददेनजर निवेश नीति औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं की गई थी। तथापि उन्होंने आगे बताया कि तदर्थ कैम्पा में लिए गए निर्णयों का ईमानदारी से पालन किया गया था। तथ्य यह शेष रहा कि अपने आरम्भ से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों कोई निवेश नीति निरूपित नहीं की गई थी। तथापि तदर्थ कैम्पा द्वारा बैंकों में निधियों के निवेश की निवेश नीति बनाई गई थी तदर्थ कैम्पा के सृजन के छः वर्षों बाद फरवरी 2013 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में अभिपुष्ट की गई थी।

5.4. निवेश के लिए उपलब्ध निधियों का तदर्थ निर्धारण

निवेश के लिए उपलब्ध निधियों के आवधिक निर्धारण के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में हमने बेशी नकदी, अवधि जिसके लिए ऐसी नकदी बेशी रहेगी और ऐसे अनुमान तथा पुनः अनुमान की बारम्बारता का अनुमान लगाने के लिए अपनाई जा रही प्रथा सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ कैम्पा के अभिलेखों की जांच की।

हमने देखा कि ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही थे जो दर्शाते हो कि सावधि जमाओं के परिपक्वता प्रतिरूप और सम्भावित अन्तर्वाहों तथा बहिर्वाहों को ध्यान में रखकर निवेश के लिए तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध निधियों की मात्रा के अवाधिक अनुमान की कार्यविधि प्रथा में अपनाई जा रही थी। निवेश प्रस्ताव नोटिंग शीटों पर पाए गए थे जिसमें निवेश के लिए उपलब्ध एक मुश्त राशि दर्शाई गई जिसमें एफडीआर की परिपक्वता और नवीन जमाओं से उपलब्ध राशियां शामिल की गई। अवधि जिससे दर्शाने वाला कोई कार्य पेपर नहीं था कि क्या इस अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली सभी एफडीआर को शामिल किया गया था, क्या इस अवधि के दौरान राज्यों/यूटी से प्राप्त सभी नए जमाओं को शामिल किया गया था। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से हम यह निश्चय करने में असमर्थ थे कि निवेश के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण निधियों को किसी विशेष समय पर निवेश निर्णय लेते समय हिसाब में लिया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि अपने गठन की तारीख से तदर्थ कैम्पा ने अपने भविष्य तथा दीर्घायु के सम्बन्ध में बहुत अनिश्चित परिदृश्य में कार्य किया। निधियों के निवेश के मामले में बेहतर सम्भावित निर्णय लिए गए थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर यह मानकर कि उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा को उसके उत्तरदायित्व सौंपे थे, धन की पर्याप्त राशियों के निवेश का प्रबन्ध करने की स्पष्ट कार्यविधियों के अभाव को उचित नहीं ठहराता है।

5.5. निष्क्रिय निधियां

वित्तीय विवेक दर्शाता है कि कोई धन निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। नकद वहिर्वाहों का उचित अनुमान किया जाना चाहिए और सभी बेशी निधियों का तत्काल निवेश किया जाना चाहिए। निवेशों की परिपक्वता का समय निर्धारण द्रव्यता की आवश्यकता के समय निर्धारण से मेल खाना चाहिए।

2006–12 की अवधि के लिए तदर्थ कैम्पा में शामिल यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा कारपोरेशन बैंक में छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तथा झारखण्ड राज्यों के 10 बैंक खातों की हमारी नमूना जांच में हमने 204 दृष्टांत ऐसे देखे जहाँ निधियां, जो खाते में पडी थीं, का निवेश करने में तीन से 22 कार्यदिवसों के बीच विलम्ब हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 8.70 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रबन्धित निधियों के परिणाम को ध्यान में रखकर निवेश के लिए उपलब्ध निधियों की दैनिक समीक्षा करना सम्भव अथवा व्यावहारिक नहीं था। राज्यों को वितरण के लिए निधियों के आवश्यकता की मामले का परिदृश्य भी कुल अनिश्चितता में से एक है क्योंकि तदर्थ कैम्पा निधियों के बहिर्वाह को निर्देशित अथवा आदेश करने की स्थिति में नहीं था जो राज्य कैम्पा द्वारा केवल एपीओं के अनुमोदन पर किया जाना था। उन्होनें आगे बताया कि वेब में निर्धारित

कैम्पा निधियों के निवेश मार्गनिर्देश बैंकों में उपलब्ध निधियों और बैंकों में सावधि जमाओं में निधियों के निवेश पर निर्णय की पाक्षिक समीक्षा निर्धारित की गई थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए निधियों के निवेश में दो दिनों के विलम्ब का उल्लेख कर लेखापरीक्षा की आपत्ति असंगत थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तदर्थ कैम्पा द्वारा बैठकों में निधियों के निवेश की निवेश नीति केवल फरवरी 2013 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में तैयार तथा अभिपुष्ट की गई थी और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित उदाहरण निवेश नीति बनाने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा लेखापरीक्षा में उल्लिखित ₹ 8.70 करोड़ की हानि तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालित 140 खातों में से केवल 10 से सम्बन्धित है और महत्वहीन नहीं मानी जा सकती है।

तथ्य यह शेष रहा कि नकदी बहाव अनुमान, निवेशों की परिपक्वता का समय निर्धारण और तदर्थ कैम्पा में द्रव्यता के लिए निधियों की आवश्यकता के लिए कोई स्थाई तथा निर्धारित प्रणाली नहीं थी।

5.6. निवेशों तथा निधियों की निगरानी तथा सुरक्षा में कमियां

अभिलेखों की हमारी नमूना जांच में हमने निधियों की निगरानी तथा सन्तोषजनक रूप से उन्हे हिसाब में लेने की निम्नलिखित विफलताएं देखी:

5.6.1. सावधि जमा रजिस्टर उचित प्रकार नहीं बनाए गए

सावधि जमाओं (एफडी) की उचित निगरानी और परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए सावधि जमा रसीद संख्या, मूलधन, सावधि जमा खोलने की तारीख, परिपक्वता दिनांक, परिपक्वता राशि, बैंक जिसमें एफडी की गई है प्रत्येक एफ डी के लिए खाता जिसमें परिपक्वता पर राशि क्रेडिट की गई है, दर्शाने वाला सावधि जमा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए था। रजिस्टर की पूर्णता तथा यथार्थता के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और प्रमाणित किया जाना चाहिए। हमने पाया कि यद्यपि सावधि रजिस्टर बनाया गया था परन्तु इसमें खाता नहीं दर्शाता गया जिसको परिपक्वता पर राशियां क्रेडिट की गई थीं। ये रजिस्टर पूर्णता तथा यथार्थता के लिए प्रमाणित भी नहीं थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सावधि जमा रजिस्टर बनाए गए थे और उनमें सभी ब्यौरे थे तथा वे निधियों के निवेश के लिए अनुरक्षित फाइलों में दर्शाए गए थे जो तदर्थ कैम्पा में उच्च स्तर पर प्रमाणित किए जाने वाले इन अभिलेखों का स्वयं एक साक्ष्य था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि तथ्य यह शेष रहता है कि सावधि जमा रजिस्टर उस प्रारूप में नहीं बनाए गए थे जिसमें सभी सुसंगत सूचना शामिल होंगी इस प्रकार यह नियंत्रण बिन्दुके रूप में कार्य करें। इस नियंत्रण बिन्दु के अभाव के परिणाम तदर्थ कैम्पा के बैंक खातों में अखोजनीय सावधि जमा राशियां, सावधि जमाओं का समय पूर्व भुनाना, सावधि जमा परिपक्वता राशियों का विलम्बित केडित तथा कम क्रेडिट के दृष्टान्तों में प्रदर्शित किए गए थे जो लेखापरीक्षा में देखे गए और अनुवर्ती पैरा में सूचित किए गए हैं।

5.6.2. किसी उचित दस्तावेजकरण के बिना निधियों की अन्तर – लेखा प्रविष्टियां

प्रत्येक राज्य/यूटी के लिए अलग–अलग बैंक खाते रखे गए थे। इन खातों के अन्दर गतिविधि केवल इन खातों को गलत क्रेडिट/डैबिट के समायोजन के लिए की जा सकती थी। ऐसी गतिविधियां उचित रूप से प्राधिकृत की जानी अपेक्षित थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचलित किए जा रहे कुल 140 बैंक खाते हैं।

हमने निधियों के अन्तरलेखा लेनदेन के अनेक उदाहरण देखे, जैसा कि अनुबन्ध 9 में विस्तृत है, जिसके लिए ऐसे लेनेदेन को उचित ठहराने वाला सन्तोषजनक साक्ष्य हमें दिया गया नहीं था। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के चालू खाते से लगभग ₹ 300 करोड और ₹ 90.25 करोड़ छत्तीसगढ़ तथा आंध्रप्रदेश को अन्तरित किए गए थे। 23 ऐसे मामले थे जहां विभिन्न राज्यों से मुख्य लेखा अधिकारी के खाते में निधियां अन्तरित की गई थीं । ये खाते तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुरक्षित 140 खातों की सूची में मौजूद नहीं है।

उन खातों को निधियों का अन्तरण जो तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुरक्षित नहीं थे, अत्यन्त अनियिमित था और निधियों के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि निधियों की अन्तर खाता प्रविष्टियां एक सामान्य लेखा कार्य है (तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाई जा रही दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में) और अपनाए जा रहे सुदृढ़ वित्तीय सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इन लेखा लेन देनों में किसी राज्य कैम्पा खाते को ब्याज की कोई कोई हानि नहीं हुई थी। अन्तिम खाता बहियां सही रीति में स्थिति दर्शाएंगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा में उठाए गए मुददे का समाधान नहीं करता है। एफडीआर की परिपक्वता के बाद राज्य की निधियां सम्बन्धित राज्यों के सम्बन्धित खातों में दर्ज की जानी थीं और उचित दस्तावेजीकरण के बिना किसी अन्य खाते को उनका अन्तरण और वह भी ऐसे खातों को जो तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुरक्षित नहीं किए जा रहे, अत्यन्त अनियमित था। अन्तर लेखा अन्तरणों के प्राधिकरण के लिए कोई मार्ग निर्देश नहीं थे। इसके अलावा राज्यों/यूटी के साथ आंकडे मिलाए नहीं जा रहे थे इसलिए जोखिम और भी अधिक था।

5.6.3. सावधि जमाओं की परिपक्वता के बाद बैंकों में रोकी गई निधियां परिणामस्वरूप तदर्थ कैम्पा को ब्याज की हानि

किसी निधि प्रबन्धक यह सुनिश्चित करने कि निधियां किसी भी समय निष्क्रिय अथवा अनिवेशित न रहें, के लिए निवेशों की परिपक्वता को निकटता से देखना अनिवार्य है।

हमने देखा कि दिसम्बर 2006 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान 3,048 एफडी में परिपक्वता राशि बैंक खाते में क्रेडिट करने में विलम्ब हुए थे और तदर्थ कैम्पा को विलम्बित क्रेडिट की अवधि के लिए सम्बन्धित बैंको से कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप ब्याज की प्रचालित दर पर परिकलित ₹ 4.45 करोड के ब्याज हानि की हुई और सम्बन्धित बैंकों को तदनुरूपी लाभ हुआ। मामलों के ब्यौरे तालिका 36 में दिए गए है।

तालिका 36: एफडी की परिपक्वता पर राशियों के विलम्बित क्रेडिट के मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एफडीआर की संख्या	ब्याज की हानि
2006	178	0.23
2007	346	1.62
2008	598	1.50
2009	803	0.42
2010	932	0.67
2011	191	0.01
जोड़	**3048**	**4.45**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि परिदृश्य को देखते हुए जहाँ तदर्थ कैम्पा द्वारा ₹ 25,000 करोड़ की निधियों का प्रबन्ध किया जा रहा था, जिसका अस्तित्व की अवधि अनिश्चित थी और जमाओं के नवीकरण के लिए किए जाने को अपेक्षित कवायद को देखते हुए ₹ 4.45 करोड़ की हानि सूक्ष्म है और अतिरिक्त ब्याज, जो प्राप्त हो सकती थी, को काल्पनिक हानि के रूप में माना नहीं जाना चाहिए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तदर्थ कैम्पा में सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली लागू नहीं की गई थी जिसके कारण जमा तथा एफडीआर की परिपक्वता के ऊपर नियमित तथा सामयिक निगरानी नहीं रखी जा सकी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

5.6.4. एफडी परिपक्वता राशियों का कम क्रेडिट

जनवरी 2008 से जनवरी 2011 तक की अवधि से सम्बन्धित 5 मामलों में राज्य खातों में प्राप्त सावधि जमाओं की परिपक्वता राशि ₹1.08 करोड़ कम थी जैसाकि तालिका 37 में विस्तृत है।

तालिका 37:परिपक्वता राशियों के कम क्रेडिट के उदाहरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	परिपक्वता तारीख	कुल परिपक्वता राशि जैसा कि एफ डी आर	प्राप्त परिपक्वता राशि	कम क्रेडिट
1.	उत्तरप्रदेश	23.2.2008	2.66	2.58	0.08
2.	महाराष्ट्र	14.1.2010	185.92	185.19	0.73
3.	ओडिशा	14.1.2010	16.86	16.79	0.07
4.	ओडिशा	8.12.2010	58.56	58.45	0.11
5.	उत्तरप्रदेश	15.12.2010	53.07	52.98	0.09
	जोड़				**1.08**

एमओईएफ ने बताया (अप्रैल 2013) कि दो मामलों को छोड़कर कम क्रेडिट के उदाहरण गलत हैं। कम क्रेडिट के दो मामलों, जो परिपक्वता आय से स्रोत पर आयकर की कटौती के द्योतक हैं, को टीडीएस का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ उठाया गया है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 'कम क्रेडिट' के उदाहरणों की दोबारा जांच की गई थी और सत्य होने पाए गए थे। 22 जनवरी 2013 को तदर्थ कैम्पा द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार पहले मामले में कोई 'कम क्रेडिट' नहीं हुआ है और पूर्ण राशि बैंक में जमा की गई थी, जो असत्य है। शेष बैंक द्वारा टीडीएस कटौती के कारण थे और मामला बैंकों के साथ उठाया जा रहा था। तथ्य यह शेष रहता है कि ₹ 1.08 करोड़ अभी भी सम्बन्धित बैंक खातों में क्रेडिट नहीं किए गए हैं।

5.6.5. ब्याज मुक्त चालू खातों में रखी गई निधियां परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

किसी बैंक में चालू खाते में रखी गई निधियों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इस प्रकार निष्क्रिय रहती हैं। इसलिए यह समझदारी है कि निधियां बैंको के बचत खातों और/अथवा सावधि जमाओं में रखी जांए ताकि अवधि, जिसमें ये किसी उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं हैं, के दौरान अतिरिक्त निधियां उत्पन्न हो सकें।

तथापि हमने देखा कि कैम्पा निधियां मई 2006 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के दौरान कार्पोरेशन बैंक सीजीओ काम्पलैक्स लोधी रोड तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दरनगर, नई दिल्ली में चालू खातों में रखी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप मई 2006 से अप्रैल 2011 तक के दौरान रू.7.80 करोड (लगभग 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर परिकलित) के ब्याज की हानि हुई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य/यूटी कैम्पा खाते जो पूर्व में चालू खाते थे, बचत बैंक खातों और फ्लेक्सी खातों में बदले जा चुके हैं। पूर्व में भी फ्लेक्सी खाते यूबीआई में प्रचालन में थे जिन पर बचत बैंक खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज मिल रहा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने ₹ 7.80 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई जैसाकि बचत/फ्लेक्सी खातों के स्थान पर चालू खातों में रखी जा रही राशियों के कारण लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित किया गया।

तदर्थ कैम्पा राज्यों/यूटी से सम्बन्धित निधियों का अभिरक्षक था। इसलिए परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उनकी निधियों के प्रबन्ध में राज्यों/यूटी को किसी वित्तीय हानि से बचाना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने का इसका न्यासीय उत्तरदायित्व था। निवेश कार्य विनियिमित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यविधियों तथा नियंत्रणों की कमी का परिणाम सम्बन्धित राज्यों की वित्तीय हानि के रूप में हुआ जैसा पैरा 5.6.4 और 5.6.5 में सूचित किया गया।

5.7. बोलियां आमंत्रण की विधि में कमियां

निवेश की लगभग राशि, परिपक्वता अवधि, बोलियों की वैधता अवधि और बोलियों की प्राप्ति की विधि (मोहरबंद कवर, फैक्स, ई–मेल आदि) दर्शाते हुए बोलियों के आमंत्रण की एक स्पष्टतया निर्धारित कार्यविधि होनी चाहिए।

बोलियां आमंत्रण की कार्यविधि के इस मामले पर तदर्थ कैम्पा की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी जैसा नीचे विस्तृत है :

बैठक की तारीख	तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों का सार
7 जुलाई 2006	कोटेशन का फारमेट (विभिन्न बैंको से मांगे जाने वाला) सीएजी के सदस्य प्रतिनिधि के परामर्श से वित्तीय सलाहकार द्वारा मानकीकृत किया जाएगा।
20 नवम्बर 2006	तदर्थ कैम्पा के वित्तीय सलाहकार को ड्राफ्ट कोटेशन मागने तथा ड्राफ्ट मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देना था जो निवेश के लिए अनुमोदन हेतु सी ए जी हेतु के प्रतिनिधि के समक्ष तदर्थ कैम्पा से जाने से पहले रखा जाना था।
15 फरवरी 2007	एक तथा दो वर्षों के लिए कोटेशन आमंत्रित किए जाए और एक वर्ष की तुलना में दो वर्षों के लिए ब्याज दर 0.5 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में निवेश दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाए।
20 जून 2007	कोटेशन टेलीफोन से मांगे जाएंगे और बोलीदाताओं को प्रस्तुतीकरण के लिए एक निर्धारित समय सीमा देते हुए ये मोहरबंद कवर में प्राप्त किए जाएंगे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि जैसा तदर्थ कैम्पा बैठकों से स्पष्ट है, बोलियों की स्वीकृति के लिए एक प्रोफार्मा अपनाना वित्तीय सलाहकार के ऊपर छोड़ा गया था और 26 जून 2007 को आयोजित बैठक में टेलीफोनिक रूप से मांगी जा रही बोलियां अनुमत करने का सुस्पष्ट निर्णय लिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह दर्शाने के लिए अभिलेखों पर कुछ नहीं था कि कोटेशन आमंत्रण का फारमेट सीएजी के प्रतिनिधि के परामर्श से वित्तीय सलाहकार द्वारा बनाया गया था और बोलियों के आमंत्रण तथा उनकी स्वीकृति के लिए तदर्थ कैम्पा में कोई संहिताबद्ध कार्यविधि नहीं थी।इस सम्बन्ध में हमने निम्नलिखित देखाः

5.7.1. इस आश्य का निर्णय करने से पूर्व टेलीफोन से बोलियों का आमंत्रण

20 जून 2007 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बोलियां टेलीफोन से आमंत्रित की जा सकेंगी परन्तु ये मोहरबन्दकवर में प्राप्त होनी थीं। तथापि हमने देखा कि तदर्थ कैम्पा द्वारा लिए गए निर्णय से पूर्व नौ मामलों, जैसे कि तालिका 38 में दिए गए हैं, में कोटैशनों में निर्दिष्ट ब्याज दरें या तो फोन पर प्राप्त हुई थीं या एआईजी (वन)द्वारा सूचित की गई थीं और मोहरबंद कवर में नहीं जैसा निर्धारित था। ऐसी बोलियां बोली आमंत्रण कार्यविधि में शामिल की गई थीं।

तालिका 38: मामले जहां कोटेशनों में निर्दिष्ट ब्याज दरें या तो फोन पर प्राप्त हुई थी या एआईजी (वन) द्वारा सूचित की गई थीं

क्रम संख्या	विवरण	रीति जिसमें बोलियां प्राप्त हुईं
1	केनरा बैंक–9.00प्रतिशत दिनांक 05.02.07	टेलीफोन से
2	केनरा बैंक–9.50प्रतिशत दिनांक 13.02.07	टेलीफोन से
3	यूनियन बैंक आफ इण्डिया–10.88 प्रतिशत दिनांक 02.03.07	टेलीफोन से

क्रम संख्या	विवरण	रीति जिसमें बोलियां प्राप्त हुई
4	यूनियन बैंक आफ इण्डिया–10.00 प्रतिशत दिनांक 08.03.07	टेलीफोन से
5	यूनियन बैंक आफ इण्डिया–10.00 प्रतिशत दिनांक 15.03.07	टेलीफोन से
6	यूनियन बैंक आफ इण्डिया–10.80 प्रतिशत दिनांक 22.03.07	टेलीफोन से
7	विजया बैंक–11.35 प्रतिशत दिनांक 22.03.07	एआईजी (वन) द्वारा सूचित
8	एसबीबीजे–10 प्रतिशत, इलाहबाद बैंक–9.75 प्रतिशत दिनांक 04.04.07	टेलीफोन से
9	इलाहबाद बैंक–10.70 प्रतिशत दिनांक 14.05.07	टेलीफोन से

ऐसे दृष्टान्त बोली आमंत्रण कार्यविधि में तदर्थता, पारदर्शिता तथा वास्तविकता की कमी का और पक्षपात के जोखिम का भी उल्लेख करते हैं।

तथ्यों की स्वीकारते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 26 जून 2007 को निर्णय लेने से पूर्व जहाँ बोलियां टेलीफोन से आमंत्रित की होगीं वहां कोई निर्धारित कार्यविधि नहीं थी इसलिए बोलियों के आमंत्रण को चूक नहीं कहा जा सकता और कि यह ध्यान में रखना था कि उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा के गठन का आदेश दिया था। इस तदर्थ निकाय के कार्यकाल के बारे में अनिश्चितता के परिदृश्य में किसी अनियमितता का होना साक्ष्य नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक धन था और इन निधियों के अभिरक्षक होने पर तदर्थ कैम्पा/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जीएफआर के नियम 171 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों के लिए मानक फारमेट के प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) बोलियों के आमंत्रण का पत्र जारी करते समय तैयार किया जाना चाहिए। तथ्य यह शेष रहा कि ऊपर सूचित मामलों में उचित तथा पारदर्शी रीति में कोटेशन आमंत्रित किए बिना निधियों का निवेश किया गया था।

5.7.2. कोटेशन आमंत्रण बिना निधियों का निवेश

निवेश पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने और निर्णय लेने मे उचितता तथा निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रण के माध्यम से निधियों का निवेश अनिवार्य है।

हमने देखा कि 24 फरवरी 2009 को किए गए ₹ 368.27 करोड़ के निवेशों के लिए बोलियों के लिए कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं किए गए थे। टिप्पणियों में यह कहा गया था कि ब्याज की प्रचलित दर अर्थात 7.50 प्रतिशत सभी अनुसूचित बैंको के लिए समान थी और कार्पोरेशन बैंक, सीजीओ काम्पलैक्स (₹ 191.99 करोड) तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दरनगर (₹ 176.28 करोड) को निधियां आबंटित की जाएं। इसके अलावा 13 अक्तूबर 2009 को इस आधार कि राशि उसी बैंक में एफडी में पहले थी और 10 अक्तूबर 2009 को परिपक्व हो गई थी, पर बोली देने के लिए अन्य बैंको को अवसर दिए बिना ₹40.64

करोड़ की राशि का कार्पोरेशन बैंक में निवेश किया गया था। कार्पोरेशन बैंक में निवेश छः प्रतिशत पर किया गया था परन्तु ब्याज की यह दर केवल 12 अक्तूबर 2009 तक वैध थी। न तो संशोधित कोटेशन मांगे गए थे और न ही अन्य बैंको को दरें उद्धरित करने का अवसर दिया गया था।

ये मामले एक बार फिर मनमानेपन को स्थापित करते हैं जो निवेश निर्णय लेने में अविभावी थे।

मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने स्वीकार किया कि पहली घटना मार्च 2009 से सम्बन्धित है जब सीएएफ विधेयक 2008 संसद में था और यदि संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया होता तो तदर्थ कैम्पा को अहत होना था। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि विस्तृत कोटेशनों के आमंत्रण की कार्यविधि के माध्यम को अपनाया जा सकता था। दूसरा दृष्टान्त उस समय का है जब राज्य कैम्पाओं को निधियां जारी करने के लिए अनेक एफडीआर को बन्द करना पडा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोटेशन आमंत्रण की कार्यविधि केवल उपर्युक्त मामलों में अपनाई नहीं गई थी। यह तथ्य कि इस समय पर प्रतिपूरक वनरोपण विधेयक 2008 संसद में था, को निवेश के लिए कोटेशन आमंत्रित करने की विधिवत कार्यविधि के अनुपालन के साथ कुछ नहीं करना था। इन निधियों, जो सार्वजनिक धन था, का अभिरक्षक होने पर तदर्थ कैम्पा/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जीएफआर के नियम 171 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए था जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों के मानक फारमेट के प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) बोली के आमंत्रण के पत्र को जारी करते समय तैयार किया जाना चाहिए।

5.8. बोलियों के मूल्यांकन की प्रकिया

किसी निवेश प्रक्रिया के लिए बोली आमंत्रणा के बाद उचित दस्तावेजीकरण के साथ बोलियों का मूल्यांकन करना और निवेश पर अधिकतम प्रतिफल के लिए सही निवेश निर्णय सुनिश्चित करने के लिए तुलनात्मक विवरण तैयार करना आवश्यक है।

हमने देखा कि बोलियों के तुलनात्मक विश्लेषण और निवेशों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया मनमानी थी तथा विभिन्न अनियमितताएं देखी गई थीं। बैंकों, जो उच्चतम बोलीदाताओं में से थे, में नहीं किए जा रहे जमाओं के दृष्टान्त, किसी आन्तरिक नियंत्रण का अभाव, निवेश निर्णयों की समीक्षा तथा निगरानी की कमी, बोली आमंत्रण प्रकिया में अनुमत किए जा रहे हस्तलिखित कोटेशन आदि निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा केस स्टडी III कुछ निवेश निर्णयों में मनमानेपन तथा आत्मपरकता को प्रचुरमात्रा में प्रदर्शित करती है। अल्प आन्तरिक नियंत्रण तथा स्पष्टता की कमी ने ऐसी अनियमितताओं के घटने के अनुमत दृष्टान्तों की कार्यविधि को प्रदर्शित किया।

केस स्टडी III

निवेश निर्णयों में मनमानापन व अनियमितताएं

प्रतिपूरक वनरोपण निधि के निवेश में मनमानेपन तथा अनियमितताएं आर के तुली, वित्तीय सलाहकार (एफसी) तदर्थ कैम्पा के त्यागपत्र वृतांत से स्पष्ट थीं। एफसी 4 जुलाई 2006 से तदर्थ कैम्पा में कार्यरत था। वह निधियों के निवेश के लिए विभिन्न बैंको से कोटेशन मांगने, लेखाओं के पर्यवेक्षण तथा अन्य सहायक मामलों के लिए उत्तरदायी था। एफसी ने अपने पत्र दिनांक 22 मई 2007 के द्वारा अपना त्यागपत्र भेजा जिसमें उसने गम्भीर अनियमितताओं और अनैतिक कार्यविधियों से बाध्य होकर अपना त्यागपत्र देना बताया। उसने कार्पोरेशन बैंक में मई 2007 में ₹ 250 करोड़ के जमा के सबंध में अनौचित्य के विशेष आरोप लगाए जो नीचे सूचीबद्ध हैः

कोटेशन संग्रहण के बाद एफसी ने तीन राष्ट्रीयकृत बैंको, जिन्होने 10.76 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर प्रस्तावित की थी, में ₹ 256 करोड जमा करने की 14 मई 2007 को सिफारिश की थी। कार्पोरेशन बैंक ने 10.65 प्रतिशत की ब्याज दर प्रस्तावित थी इसलिए उसकी सिफारिश नहीं की गई थी।

बाद में कार्पोरेशन बैंक से 10.77 प्रतिशत का ताजा कोटेशन प्राप्त किया गया था और छः दिन के अन्तराल के बाद 21 मई 2007 को ₹ 256 करोड़ की सम्पूर्ण राशि इसको दिया गया था।

अन्य बैंको को संशोधित दरें देने का अवसर नहीं दिया गया था। एफसी की उपेक्षा करने, केवल एक बैंक से संशोधित कोटेशन प्राप्त करने तथा उच्चतम प्रस्ताव देने वाले बैंको से संशोधित कोटेशन न मांगने के कोई कारण नहीं बताए गए थे।

तीन बैंको, जिन्होने पूर्व में 10.76 प्रतिशत ब्याज प्रस्तावित की थी, ने बाद में 10.80 प्रतिशत की बढी दर प्रस्तावित की। इन कोटेशनों पर विचार नहीं किया गया था।

20 जून 2007 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की बैठकों में यह देखा गया था किः

रीति जिसमें सभी बोलियां खोले जाने, तुलनात्मक विवरण तैयार किए जाने और उनकी बोलियां संशोधित करने के लिए अन्य बोलीदाताओं को समान अवसर दिए बिना और उच्चतमपात्र बोली अन्तिम करने के बाद अल्प उच्च दर (प्राप्त उच्चतम पात्र बोली की अपेक्षा) के साथ एक अन्य कोटेशन एक विशेष बैंक (कार्पोरेशन बैंक) को प्रस्तुत करना अनुमत किया गया था, इस संबंध में यह प्रथम दृष्टया नियमों/प्रक्रियाओं के उल्लंघन में था। हजारों करोड़ रूपयों की राशि के लेनदेन के मनमाने, अनोखे तथा उच्चरूप से प्रश्ननीय प्रकार की रीति घटित नहीं होनी चाहिए थी।

यह सुनिश्चित करने, कि क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे) राष्ट्रीयकृत बैंक है, के लिए फाइल में उठाया गया प्रश्न इस पर विचार करते हुए एकदम आश्चर्यजनक है कि धन की एक बडी राशि इस बैंक अर्थात एसबीबीजे में तदर्थ कैम्पा द्वारा पहले भी जमा की गई है। यह भी आश्चर्यजनक है कि उपर्युक्त प्रश्न उठाने के बाद, उसी दिन एक विशेष बैंक से संशोधित कोटेशन प्राप्त किया गया था और उन बैंको को कोई अवसर नहीं दिया गया था जिन्होने उच्चतम दर प्रस्तावित की थी।

एफसी के त्याग पत्र में लगाए गए आरोप की जांच करना आवश्यक महसूस किया गया था। सीएजी के प्रतिनिधि का भी यह विचार था कि ऐसी कार्वाहियाँ वित्तीय प्रतिमानों का उल्लंघन है और गम्भीर चिन्ता के विषय हैं। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सदस्य सचिव वित्तीय सलाहकार द्वारा उठाए गए विषयों की जांच करे और तदर्थ कैम्पा की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

मामले की बाद में सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा जांच की गई थी जिन्होने नवम्बर 2008 में विचार प्रकट किया कि उन्हे उपलब्ध कराए गए कागजों से यह स्पष्ट था कि तीन बैंको (एसबीबीजे, केनरा बैंक तथा ओबीसी) से 10.76 प्रतिशत के बेहतर कोटेशनों को अलग करने और अन्य बैंक कारपोरेशन बैंक सीजीओ काम्पलैक्स जो बोलियों की

आकर्षकता की सूची में केवल छठे स्थान पर था और कि तीन अन्य बैंको को कोई अवसर दिए बिना कार्पोरेशन बैंक के साथ डीजीएफ द्वारा चर्चा के बाद भी से 10.77 प्रतिशत का संशोधित कोटेशन प्राप्त करने का डीजीएफएण्ड एसएस का निर्णय स्वीकृत वित्तीय प्रतिमानों के पूर्ण उल्लंघन में था, मनमाना और पूर्णतया पारदर्शिता के अभाव का था।

सीएजी के प्रतिनिधि का विचार निम्नलिखित तर्क द्वारा समर्थित था:

"जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2005 इस मामले को सीधे तथा विशेष रूप से लागू होते हैं वहीं इन नियमों में निर्दिष्ट सार्वजनिक खरीददारी के मूल सिद्धांत संकेत करते हैं कि "प्रस्ताव उचित पारदर्शी तथा यथोचित प्रक्रिया अपनाकर आमंत्रित किए जाने चाहिए"। इसके अलावा किसी सरकारी विभाग/पीएसयू द्वारा खरीद के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देश किसी करार करने की प्रक्रिया में एल–1 बोलीदाता के अतिरिक्त किसी बोलीदाता के साथ सौदेबाजी को प्रतिबन्धित करते हैं। एक बोली दाता के अतिरिक्त किसी बोलीदाता के साथ सौदेबाजी को प्रबिन्धित करने हैं। एक बोलीदाता जिसने श्रेष्ठ बोली प्रस्ताव नहीं दिया है–इस मामले मे कार्पोरेशन बैंक, सीजीओ काम्पलेक्स, शाखा के साथ तत्कालीन डीजीएफ एण्ड एसएस द्वारा चर्चा का और बैंको, जिन्होने श्रेष्ठ बोलियां प्रस्तावित कीं, को एक अवसर न देने (या तो लिखित में अथवा मौखिक रूप से) का कृत्य पूर्णतया अनियमित तथा अनुचित था।

तत्कालीन डीजीएफ एण्ड एसएस द्वारा उठाया गया प्रश्न कि क्या एसबीजेजे एक राष्ट्रीयकृत बैंक था, अप्राधिकृत था और पक्षपात को स्पष्ट दर्शाता है, विशेषकर तब तदर्थ कैम्पा एसबीबीजे के पास पर्याप्त जमा पहले ही रखता था। इसके अलावा यह जानने कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर एसबीआई समूह की एक सहयोगी बैंक है, के लिए वित्तीय ज्ञान के उत्तम सौदे की अपेक्षा नहीं करता है।

उसी परिपत्र सं. 360/07 तथा इसी तारीख 13 मई 2007 से प्रभावी हो रहे, का संदर्भ देते हुए कार्पोरेशन बैंक, सीजीओ काम्पलैक्स से दिनांक 16 मई 2007 तथा 14 मई 2007 के कोटेशनों की तुलना से पता चला कि उन्होने ब्याज की भिन्न दरें, अवधियों की भिन्न श्रेणियां और जमा राशि के भिन्न स्लैब कोट किए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि स्वयं पहली बोली में 10.77 प्रतिशत की श्रेष्ठ दर क्यों नहीं प्रस्तावित की गई थी जब परिपत्र में 13 मई 2007 प्रभावी तारीख निर्दिष्ट की गई थी। ये विसंगतियां गम्भीर सन्देह उठाती हैं।

21 मई 2007 को कार्पोरेशन बैंक से एफडीआर प्राप्त करने और 22 मई 2007 को संशोधित कोटेशनों (जिसकी प्रतियां मुझे भेजी नहीं गई हैं) को इस आधार पर अस्वीकृत करने कि अपेक्षित निवेश पहले ही किए गए थे, का समय सन्देह का और आधार उत्पन्न करता है।

एक मामला बनाया जा सकता था कि 16 मई 2007 को कोट की गई 10.77 प्रतिशत की अन्तिम दर दो दिन पूर्व कोट की गई 10.76 प्रतिशत की बेहतर दर की अपेक्षा उच्च थी। तथापि बडी राशियों (इस मामले में ₹ 200 करोड़ से अधिक) के निवेशों पर ब्याज दरें अस्थिर तथा परिवर्तनशील हैं और बैंकों वित्तीय संस्थानों तथा अन्य खिलाडियों से तरल नकदी की आपूर्ति तथा मांग स्थिति के आधार पर दैनिक आधार (और घंटा दर घंटा आधार पर भी) परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार 16 मई 2007 को कोट की गई दूसरी और यह तथ्य कि 10.77 प्रतिशत की संशोधित दर 10.76 प्रतिशत की पूर्व बेहतर दर की अपेक्षा यथार्थ रूप में 0.01 प्रतिशत उच्च है, सन्देह का और आधार उत्पन्न करता है।"

तदर्थ कैम्पा द्वारा जांच आदेश के विषय पर यह देखा गया था कि सदस्य सचिव, तदर्थ कैम्पा द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी। इसके बजाय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सुधीर मित्तल द्वारा जांच की गई थी तदर्थ कैम्पा में सीईसी प्रतिनिधि ने इस पर आपत्ति की थी। इस रिपोर्ट की एक प्रति जो सितम्बर 2012 में मांगी गई थी, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। सम्बन्धित दस्तावेजों से यह स्पष्ट था कि जांच में यह अरोप कि बोलियां खोले जाने के बाद एक बैंक को अपनी ब्याज दर में वृद्धि करना अनुमत किया गया था, सत्य पाया गया था। यह भी पाया गया था कि एफसी ने भी निधियों के निवेश में निरन्तर अनियमिताएं की थीं बाद में स्वीकार किया और बोली विवरण तैयार करने के बाद ब्याज के उच्च प्रस्ताव अपने हाथ से बैंको की

बोली बदलकर किए थे। एमओईएफ/तदर्थ कैम्पा ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹ 250 करोड़ के निवेश वाली घटना में आर व अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा के विरूद्ध था और वित्तीय सलाहकर के विरूद्ध नहीं तथा एमओईएफ के सेवारत संयुक्त सचिव द्वारा की गई जांच सामर्थ्य तथा तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन बिना थी। इसके अलावा मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने बताया कि इस मामले की जांच रिपोर्ट मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा में प्राप्य नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जांच का आदेश अध्यक्ष तदर्थ कैम्पा द्वारा दिया गया था परन्तु तत्कालीन सचिव एमओईएफ ने मामले की जांच संयुक्त सचिव से कराई और इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा भी मांगा गया था। उत्तर हजारों करोड़ रूपये वाली राशि के मनमाने, हास्यास्पद तथा अति संदेहास्पद तरीके के मामले के बारे में मौन है।

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया में देखी गई कमी से सम्बन्धित हमारे निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है :

5.8.1. जमाओं का मनमाना आबंटन

हमने अनेक उदाहरण देखे जहां धन ऐसे बैंको में जमा किए गए थे जिन्होने न तो बोली दी थी अथवा ऐसे बैंको में जमा नहीं किए थे जो उच्चतम बोलीदाताओं में से थे। ये मामले नीचे सूचीबद्ध है:

5.8.1.1. बोलियों बिना जमा

बैंकों, जिन्होने बोली नहीं दी, में किए गए जमाओं के उदाहरण निम्नवत है :

दिनांक	निवेश की जाने वाली राशि (₹ करोड़ में)	बैंक जिसने बोली दी	बैंक जिसने बोली नहीं दी	अभ्युक्तियां
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1 जनवरी 2009	172.22	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, इलाहबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, इण्डियन ओवरसीज बैंक एवं केनरा बैंक	कार्पोरेशन बैंक	निवेश कारपोरेशन बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया में किए गए
17 फरवरी 2009	859.07	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कारपोरेशन बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया	इस तथ्य, कि उन्होने बोली दी अथवा नहीं, के बावजूद कालम (iii)एवं (iv)के सभी बैंकों में निवेश किया गया।
4 मार्च 2009	320.32	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कार्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा इलाहाबाद बैंक	
19 मार्च 2009	646.86	विजया बैंक तथा केनरा बैंक	कार्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	

5.8.1.2. चयन में मनमानापन

6 नवम्बर 2009 को तीन बैंको, नामतः पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, यूको बैंक तथा विजया बैंक ने ब्याज की दर छः प्रतिशत कोट की थी। यद्यपि ₹ 318.16 करोड़ की राशि इन सभी तीन बैंको में निवेश की जानी थी परन्तु विजया बैंक को इस बहाने पर छोड़ दिया गया था कि बैंक को लगभग एक वर्ष की अवधि में निवेश प्रयोजन हेतु पर्याप्त राशि आबंटित की गई थी। तथापि 24 नवम्बर 2009 को ₹ 113.33 करोड़ की राशि का विजया बैंक में फिर निवेश किया गया था।

15 जून 2010 को सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया (सीबीआइ), यूनियन बैंक आफ इण्डिया (यूबीआई) ईस्ट पटेल नगर तथा यूबीआई सुन्दर नगर नामक तीन बैकों ने 6.92 प्रतिशत के रूप में ब्याज दर कोट की और परिणामस्वरूप निवेश इन तीन बैंको में किया गया था। हमने पाया कि यूजीआई, सुन्दरनगर का पक्षपात किया गया प्रतीत होता है क्योंकि इसके कोटेशन में मुद्रित ब्याज दर को हाथ से बदला दर्शाया गया था। इसी प्रकार सीबीआई ने हस्तलिखित कोटेशन भेजा जो प्रतिमानों के प्रतिकूल था और ब्याज दर जो इसने कोट की थी ₹ 1000 करोड़ के लिए थी परन्तु राशि जिसका निवेश किया गया वह केवल ₹ 400 करोड़ थी।

5.8.1.3. मार्गनिर्देशों के अनुपालन में विफलता

7 जलाई 2006 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अन्तर्गत जोखिम को कम से कम करने के उद्देश्य से उच्चतम ब्याज दरें प्रस्तावित करने वाले बैंक के अतिरिक्त सावधि जमा करने के लिए अगली निम्नतर ब्याज दरें प्रस्तावित करने वाले विभिन्न अनुसूचित बैंको पर भी विचार किया जाए। तथापि हमने देखा कि 21 मई 2010 को ₹ 576.61 करोड की कुल राशि का सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया में निवेश किया गया था जिसने 6.36 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर कोट की। यह देखा गया था कि यद्यपि नौ बैंको से कोटेशन प्राप्त हुए थे और इनमें से एक बैंक, नामतः विजया बैंक ने 6.35 प्रतिशत की सीमान्ततः निम्नतर दर कोट की परन्तु उसे निवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार 10 नवम्बर 2010 को ₹ 412.07 करोड का निवेश पंजाब एण्ड सिंध बैंक, करोलबाग में किया गया था क्योंकि इसने 8.62 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर कोट की थी। अगला उच्चतम बोलीदाता अपनी ब्याजदर के रूप में 8.61 प्रतिशत के साथ सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया था। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कोटेशन का राशि कालम जो ₹ 200 करोड़ तक पढ़ा गया, पैन से काटा गया था और ब्याज कालम भी बैंक से किसी प्रमाणन के बिना उसी पैन से लिखा गया था। इसके अलावा दो बैंको द्वारा प्रस्तावित ब्याज में केवल अल्प परिवर्तन हुआ था ।

लेखापरीक्षा में देखे गए ये उदाहरण यह सुनिश्चित करने कि ये तदर्थ कैम्पा के निर्देशों के अनुसार तथा उचितता तथा औचित्य और निधियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण प्रथाओं के अनुसार लिए गए थे, के लिए निवेश निर्णयों का मनमानापन और किसी आन्तरिक नियंत्रण, समीक्षा तथा निगरानी के अभाव के संकेतक हैं।

तथ्यों को स्वीकार कर मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि संदर्भित किए जा रहे सभी उदाहरण उस समय से सम्बन्धित हैं जब सीएएफ विधेयक 2008 संसद में लम्बित था और पूर्ण वित्तीय अनिश्चितता की अवधि उच्चतम न्यायालय के पास लम्बित थी जिसने प्रवाह की स्थिति में निधि प्रबन्धन कार्य डालकर राज्यों को निधियां जारी करने का आदेश दिया। मामलों की इस परिवर्तनात्मक स्थिति में जहाँ प्रत्येक दिन भावी गठन और राज्यों को वितरण के लिए वित्त की आवश्यकता की अनिश्चितता के साथ आरम्भ हुआ वहाँ निर्णय जो लिए गए थे, तदर्थ कैम्पा के बेहतर हित में थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनिश्चितता के बावजूद तदर्थ कैम्पा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में शिथिलता नहीं दिखा सकता था क्योंकि वह इन निधियों का अभिरक्षक था, जो सार्वजनिक धन था। इसके अलावा सीएएफ विधेयक 2008 के मार्ग को निवेश के लिए कोटेशन आमंत्रित करने की विधिवत कार्यविधि में करने के लिए कुछ नहीं था।

5.8.2. मामलें, जहां बोली प्रक्रिया में हस्तलिखित कोटेशन अनुमत किए गए थे

निवेश के लिए बोली आमंत्रित करने वाले कैम्पा द्वारा जारी पत्रों के अनुसार निवेशों के प्रयोजन हेतु विभिन्न बैंको को भेजी गई निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार कोटेशन टाइप किए हुए अथवा कम्पयूटर प्रिंट वाले होने चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि तदर्थ कैम्पा ने बोलियों का ऐसा प्रस्तुतीकरण अनुमत किया जो हस्तलिखित थे, बोलियां जहां कुछ कालम हस्तलिखित थे, बोलियों में विभिन्न स्याहियों का उपयोग किया गया था। इसलिए यह अभिनिश्चित करना कठिन है कि क्या ये कोटेशन के प्रस्तुतीकरण के समय पर किया गया था अथवा बाद में, इसलिए छलकपट की सम्भावना से इनकार नहीं है। ये मामले तालिका 39 में सूचीबद्ध है।

तालिका 39: मामले जहां बोली प्रक्रिया में सम्पूर्ण/आंशिक हस्तलिखित कोटेशन अनुमत किए गए थे

अनियमितता की प्रकृति	मामलों की संख्या	ब्यौरे
स्वीकृत कोटेशन हस्तलिखित थे	26	एक दृष्टांत ऐसा था जहां 4 नवम्बर 2008 को केनरा बैंक, आर के पुरम से हस्तलिखित कोटेशन प्राप्त हुआ था और यह उच्चतम बोलीदाता के रूप में माना गया था।
कोटेशन का ब्याज कालम भिन्न स्याही में लिखा गया था और भिन्न स्याही से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया था	3	• 29 नवम्बर 2010 को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दरनगर में ₹ 263.81 करोड़ का निवेश किया गया था। बैंक के कोटेशन का ब्याज कालम भिन्न स्याही में लिखा गया पाया गया था। • 10 दिसम्बर 2010 को ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, राजीव चौक में ₹ 122 करोड का निवेश किया गया था। बैंक के कोटेशन का ब्याज कालम भिन्न स्याही में लिखा गया था।

अनियमितता की प्रकृति	मामलों की संख्या	ब्यौरे
		• 20 दिसम्बर 2010 को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दरनगर में ₹ 138.03 करोड़ का निवेश किया गया था। बैंक के कोटेशन का ब्याज कालम भिन्न स्याही में लिखा गया था।
सम्पूर्ण कोटेशन कम्पयूटर प्रिंट था जबकि ब्याज दरऔर जमाओं की अवधि वाला कालम हाथ से लिखा गया था।	58	2008–10 के दौरान देखे गए मामलों में नौ बैंक नामतः यूनियन बैंक आफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंक, आरियंटल बैंक आफ कामर्स, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक तथा इलाहाबाद बैंक शामिल थे।
निवेशों के लिए बैंको द्वारा भेजे गए कोटेशनों में परिवर्तन/हेरफेर	14	बैकों द्वारा भेजे गए कोटेशनों में या तो ब्याज दर, वैधता तथा जमा की निम्नतम राशि के लिए उचित प्रमाणन/बैंक के अनुमोदन के बिना परिवर्तन/हेरफेर किए गए थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि हस्तलिखित कोटेशनों में गलती खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन समय पर बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अन्तिम क्षण में केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय से दरें अभिनिश्चित करने के बाद कोटेशन की दर भरेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तदर्थ कैम्पा के निर्देशों के बावजूद हस्तलिखित कोटेशन स्वीकार किए गए थे। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तालिका में उल्लिखित अन्य मुददों पर कुछ नहीं कहा।

5.8.3. अन्य अनियमितताएं

कोटेशनों पर जमा केवल कोटेशनों की वैधता अवधि के दौरान किए जा सकते हैं। एकबार कोटेशन की अवधि समाप्त होने पर नए कोटेशन आमंत्रित किए जाने चाहिए। तथापि हमने देखा कि ऐसे मामलें थे जहॉं कोटेशनों की वैधता की अनदेखी की गई थी। जैसा कि तदर्थ कैम्पा की दूसरी बैठक (7 जुलाई 2006) में निर्णय लिया गया, इस संबंध में तैयार किए जाने वाले मार्गनिर्देशों के अनुसार भिन्न बैंकों/ डाकघर में निवेशों का आबंटन का निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। हमने देखा कि विभिन्न बैंको में निवेश किए जाने वाले धन की मात्रा के लिए किसी विशेष मानदण्ड का पालन नहीं किया गया था। बोलियों में सामान्यतया अधिकतम/निम्नतम राशियां दर्शाई गईं जो बैंक ब्याज की उद्धरित दर पर स्वीकार करने को सहमत थीं। तदनुसार बैंको में जमा की गई राशि उद्धरित सीमाओं से न तो कम और न ही अधिक होनी चाहिए। हमारी नमूना जांच में हमने ऐसे उदाहरण देखे जहां बोली तारीख को बैंको द्वारा किए गए टेलीफोन अनुरोधों के आधार पर सीमा से अधिक राशियां बैंको में डाली गई थीं। यद्यपि इन विपथनों से तदर्थ कैम्पा को राजस्व की हानि नहीं हुई थी परन्तु ये प्रक्रियाओं में स्पष्टता का अभाव और निर्णय लेने में मनमानेपन को दर्शाते हैं।

तालिका 40 : मामले जहॉ कोटेशनों की वैधता की अनदेखी की गई और मामले जहॉ अधिकतम सीमा से अधिक राशियां बैंकों में डाली गई थीं।

अनियमितता का प्रकार	विवरण
कोटेशन की वैधता की समाप्ति के बाद निवेश किया गया	• 23 मई 2008 को कोटेशन की वैधता की समाप्ति के बाद एसबीबीजे में ₹ 297.99 करोड़ के निवेश किए गए थे। कोटेशन 22 मई 2008 तक वैध था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि यह बैंकों के लिए असामान्य नहीं था विशेषकर जब एक या दो दिन तक उनके कोटेशन की वैधता बढ़ाने के लिए निधियों की बडी सम्भावना अन्तर्ग्रस्त हो। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बढ़ाई गई वैधता के लिए बैंक से कोई संशोधित कोटेशन नहीं लिया गया था और निवेश के समय पर अपनाई गई प्रथा के अनुसार बैंक अर्हक ही नही था क्योंकि कोटेशन की वैधता समाप्त हो गई थी।
कोटेशन में निर्दिष्ट राशि से कम अथवा अधिक राशि का उच्चतम बोलीदाता के निवेश किया गया	• 13 मई 2008 को ₹ 424.36 करोड़ का सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, ग्रेटर कैलाश–II में निवेश किया गया था यद्यपि बैंक ज्यादा से ज्यादा ₹ 400 करोड़ स्वीकार कर सकता था। • 23 मई 2008 को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, फैजारोड में ₹ 297.99 करोड़ का निवेश किया गया था यद्यपि अधिकतम राशि 100 करोड़ जिसे बैंक स्वीकार कर सकता था। • 27 अप्रैल 2009 ₹ 528.08 करोड़ निवेश का विजया बैंक में किया गया था यद्यपि अधिकतम राशि जिसे बैंक स्वीकार कर सकता था 200 करोड़ थी। • 19 मई 2009 को ₹ 330.74 करोड़ का यूबीआई में निवेश किया गया था यद्यपि अधिकतम राशि जिसे बैंक स्वीकार कर सकता था ₹ 235 करोड़ थी। • 6 जुलाई 2009 को ₹ 357.10 करोड़ का यूबीआई, सुन्दरनगर में निवेश किया गया था यद्यपि यह बैंक ₹ 500 करोड़ से कम राशि के लिए अर्हक नहीं था। • 16 सितम्बर 2010 को ₹ 315.87 करोड़ का निवेश सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राइट गंज, गाजियाबाद में

अनियमितता का प्रकार	विवरण
	किया गया था। यद्यपि यह बैंक ₹ 500 करोड़ से कम राशि के लिए अर्हक नहीं था। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में माना कि इन मामलों में बैंक की अधिकतम सीमा से अधिक निधियां जमा कराई थी तथा कहा कि यह समझदारी पूर्ण एवं प्रसंशनीय निर्णय था क्योंकि यदि बैंक ने सीमा से अधिक राशि स्वीकार ना की होती तो मात्र चारा यह था कि यह निम्न बोली दाता को दिया जाता जिससे तदर्थ कैम्पा को वित्तीय घाटा होता। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के मामलों में तदर्थ कैम्पा के प्राप्त दूसरी बिडिंग प्रक्रिया का चारा उपलब्ध था। सीमा से अधिक निधियां बैंक के पास जमा करना स्पष्टतया बैंकों का पक्षपात करना दर्शाता है।

जैसा कि घटना, जो 2007 में हुई, की केस स्टडी और अनेक अनियमितताएं जिनका लेखापरीक्षा में उल्लेख किया है, द्वारा प्रचूर मात्रा में प्रमाणित है निवेश निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट निर्धारित कार्यविधियां कभी विद्यमान नहीं थी। इस संबंध में समय–समय पर तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों की खुले रूप में अवहेलना की गई थी। टेलीफोन से/हस्तलिखित कोटेशन स्वीकार किए गए थे, निवेश ऐसे बैंकों में किए गए थे जिन्होनें बोलियां प्रस्तुत नहीं की थीं अथवा श्रेष्ठ ब्याज दरें प्रस्तावित नहीं कर रही थीं, कोटशनों की वैद्यता अवधि की अनदेखी की गई थी और अनुपात जिसमें समान ब्याज कोट करने वाले विभिन्न बैंकों में धन निवेश किया जाना था, मनमाने ढ़ग में निर्धारित किए गए थे।

5.9 जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा

राज्य कैम्पा के गठन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों (अप्रैल 2004) के अनुसरण में जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने फरवरी 2005 तथा अप्रैल 2005 में दो समितियों, एक राज्य स्तर प्रबन्धन समिति (एसएलएससी) तथा अन्य राज्य स्तर संचालन समिति (एसएलएमसी) का गठन किया। एसएलएससी ने निर्णय लिया (फरवरी 2006) कि कैम्पा खाते में उपलब्ध धन इस आधार, कि जे एण्ड के राज्य का अपना स्वयं का जे एण्ड के वन (संरक्षण) अधिनियम है, पर केन्द्रीय तदर्थ कैम्पा को अन्तरित नहीं किया जाएगा। इनका विचार था कि धन एसएलएमसी द्वारा तैयार तथा एसएलएमसी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली प्रचालन की वार्षिक योजना के अनुसार उपयोग में लाया जाएगा। अन्ततः केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निश्चय किया गया था (फरवरी 2010) कि जम्मू तथा कश्मीर के राज्य कैम्पा को केन्द्रीय तदर्थ कैम्पा को वन संरक्षण अधिनियम के अधीन वन भूमि के विपथन के बदले में प्राप्त मुआवजे का केवल एनपीवी जमा करना पडेगा।

जम्मू तथा कश्मीर कैम्पा द्वारा निधियों के प्रबन्धन की समीक्षा से निम्नलिखित पता चला :

5.9.1. केवल जम्मू तथा कश्मीर बैंक में सावधि जमा बनाए रखना

जमाओं में कैम्पा धन का निवेश करने पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए राज्य कैम्पा को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको से कोटैशन मांगने चाहिए थे। इसका अपनी एकमात्र बैठक में (दिसम्बर 2009) ईसी द्वारा भी निर्देश दिया गया था। तथापि राष्ट्रीयकृत बैंको से कोई कोटेशन नहीं मांगे गए थे ओर पर्याप्त समय अवधि बीत जाने के बावजूद केवल जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक में एफडी किए गए थे। इसके अलावा इस बाबत अपनी बाद की बैठकों में ईसी द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.9.2. जे एण्ड के में कैम्पा निधि का सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि

जे एण्ड के राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त एनपीवी/सीए आदि की निधियां जनवरी 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान एफडीमें अथवा सब्याज खातों में इनका निवेश करने के स्थान पर राज्य कैम्पा द्वारा चालू खाते में जमा की गई थीं परिणामस्वरूप ₹ 8.94 करोड़ (यदि निधियां बचत खाते में जमा की जातीं) से ₹ 14.60 करोड़ (यदि एफडी में निवेश किया जाता) तक की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त विभिन्न वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि मण्डलों ने सब्याज खाते के स्थान पर चालू खाते में निधियां रखी थीं परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

5.9.3. जे एण्ड के राज्य कैम्पा द्वारा एफडीआर के अभिलेख न बनाया जाना

एफडी अधशेष/नवीन/नवीनीकरण/अन्तशेष आदि दर्शाते हुए कोई एफडीआर रजिस्टर राज्य कैम्पा द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त बैंक से पुष्टि व अंकित एफडीकी वास्तविक राशि, पुनर्निवेश, परिपक्वता की तारीख, अर्जित ब्याज आदि राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं था। खुले कागजो पर उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार ₹ 71.91 करोड़ के उचचितनीय ब्याज के साथ एफडी का मूलधन ₹ 545.30 करोड़ था और परिपक्वता मूल्य ₹ 617.21 करोड़ था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि जे एण्ड के राज्य कैम्पा केवल उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2012 के अनुसरण में तदर्थ कैम्पा की परधि में आया। क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं जम्मू–कश्मीर में लागू नहीं होता इसलिए जे एण्ड के में संग्रहीत सीए निधियां तदर्थ कैम्पा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और केवल एनपीवी/डब्ल्यूएल निधियां इसके अधिकार में लाई गईं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जे एण्ड के राज्य कैम्पा द्वारा एफडीआर के अभिलेख न बनाए जाने की विशेष आपत्तियों का उत्तर नहीं दिया।

5.10. अन्य राज्य/यूटी कैम्पा

5.10.1. सब्याज खाते न खोलना

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा में प्राप्त धन राष्ट्रीयकृत बैंक (कों) में सब्याज खाते (तों) में रखा जाना था और संचालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रचालनों की वार्षिक योजना (एपीओ) के अनुसार कार्यों के लिए आवधिक रूप से आहरित किया जाना था। कुछ चयनित राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में कि ब्याज रहित चालू खातों में निधियां रखने के कारण ब्याज की हानि के कुछ मामलों का पता चला। तीन ऐसे मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- अरूणाचल प्रदेश के बंदरदेवा मण्डल में निधियां राष्ट्रीयकृत बैंक के ब्याज रहित चालू खाते (सीए) में रखी गई थीं। परिणामस्वरूप इस समयावधि में खाते में उपलब्ध निधियों पर कोई ब्याज अर्जित करने में मण्डल विफल रहा।
- हरियाणा के यमुनानगर मण्डल में प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त ₹ 0.34 करोड़ (अक्तूबर 2011 में ₹ 0.17 करोड़ तथा जनवरी 2012 में ₹ 0.17 करोड़) की निधियां सब्याज खाते के स्थान पर चालू खाते में जमा की गई थीं।
- उत्तरप्रदेश के अवध, गोरखपुर तथा फैजाबाद वन मण्डलों में सब्याज खाता खोलने में विलम्ब के कारण ₹ 0.08 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

5.10.2. झारखण्ड में गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में निधियों के जमा

झारखण्ड में नमूना जांचित पांच[1] मण्डलों में हमने देखा कि ₹ 9.14 करोड़ की राशि मार्गनिर्देशों के प्रावधान के उल्लंघन में जुलाई 2010 तथा मार्च 2012 के बीच आईडीबीआई/एक्सिस बैंक, दोनों निजी क्षेत्र बैंक होने पर, में जमा की गई थी। उत्तर में डीएफओ ने बताया कि आईडीबीआई बैंक को आरबीआई द्वारा (मई 2008) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के समान माना गया है जबकि डीएफओ गिरिडीह वनरोपण मण्डल ने बताया (नवम्बर 2012) कि एक्सिस बैंक में रखी गई निधि शीघ्र निकाल ली जाएगी।

5.11. निष्कर्ष

तदर्थ कैम्पा द्वारा वेदी निधियों के निवेश का तन्त्र मनमाना और उचितता तथा पारदर्शिता की कमी वाला था। निवेश निर्णय निष्पादित करते समय तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों से बारम्बार तथा अनुचित विचलन हुए थे। तदर्थ कैम्पा निकाय से पुनरावृत निर्देशों के बाबजूद एक व्यापक निवेश नीति 2012 तक अध्यक्ष, तदर्थ कैम्पा द्वारा बनाई तथा अनुमोदित नही की गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि तदर्थ कैम्पा द्वारा लगाया गया आउटसोर्स स्टाफ निवेश[2] किए जाने वाले धन की बडी राशियों का प्रबन्ध करने

[1]गिरिडीह वनरोपण, हजारीबाग डब्ल्यूएल, हजारीबाग पूर्व, हजारीबाग वनरोपण तथा हजारीबाग सामाजिक वानिकी मण्डल।

[2]तदर्थ कैम्पा से अपने कर्मचारियों के नाम, जाब विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा नियुक्ति की अवधि के ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था। यह सूचना अभी तक (जुलाई 2013) दी नही गई है।

के लिए उचित रूप से अर्हक तथा सज्जित भी नहीं था। निवेश किए जाने वाली निधियों का आकार को अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा खजाना प्रबन्धन कार्य का अनुभव अपेक्षित है।

लेखापरिक्षा में पाया की बैंको, जिन्होनें बोली भी नही दी, में रखे जा रहे ₹ 1998.47 करोड़ के जमाओ ं के दृष्टान्त हुए थे। एफडी की परिपक्वता पर ₹ 1.08 करोड़ के कम क्रेडिट के अलावा निधियों के निवेश में विलम्ब, व्याज मुक्त चालू खातों में निधियों रोकने और बैंक खाते में परिवक्वता राशि क्रेडिट करने में विलम्ब के कारण क्रमशः ₹ 8.70 करोड़, ₹ 7.80 करोड़ तथा ₹ 4.45 करोड़ के व्याज की हानि हुई थी।

यह पूर्णतया स्पष्ट था कि न तो वित्तीय प्रबन्धन तथा लेखाकरण के वर्तमान प्रबन्ध से वर्तमान सरकारी वित्तीय नियंत्रण को लाभ हुआ था और न ही तदर्थ कैम्पा द्वारा लेखाकरण तथा वित्तीय नियंत्रण की वैकल्पिक प्रणाली विकसित की गई थी जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गई थी। यह हमारा विचार हैं कि सरकार को उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए ताकि तदर्थ कैम्पा में पडी राशियां संघ सरकार द्वारा निर्णीत की जाने वाली दरों पर भुगतान किए जाने के लिए ब्याज के साथ सब्याज खण्ड में भारत के लोक लेखे को अन्तरित की जा सकें।

COMPENSATORY AFFORESTATION
PLANTATION
YEAR:- 2011-12
AREA:- 7 HAC.
LOCATION SY.NO.:- 13 AGLOT
BEAT:- AGLOT
ROUND:- SACORDA
RANGE:- COLLEM
DIVISION:- NORTH GOA DIVISION

अध्याय - VI

निरीक्षण प्रबन्ध

6.1 प्रस्तावना

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 में प्रस्तुत उत्पत्ति ग्रन्थ कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि बनाई जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनरोपण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना निधि आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा। प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबन्धन के लिए नियम, कार्यविधि तथा निकाय का संघटन को सीईसी के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना था। इन आदेशों के अनुपालन में धन प्राप्त करने प्रबन्ध करने और वितरण करने तथा निगरानी करने और कार्यों का मूल्यांकन करने के उत्तरदायित्व के साथ सीएएफ के अभिरक्षक के रूप में कैम्पा का सृजन अप्रैल 2004 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदर्थ कैम्पा एक अन्तरिम निकाय था जो कैम्पा के प्रचालन में आने तक बनाया गया था। आरम्भ में इसके अधिदेश में धन का संग्रहण तथा उसका निवेश शामिल किया गया। 2009 में तदर्थ कैम्पा को निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार निधियां वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और साथ ही साथ राज्य/यूटी कैम्पा के सृजन के लिए मार्ग निर्देश अधिसूचित किए गए थे।

6.2 प्राधिकरण का सतत अनन्तिम स्वरूप

भारत के उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 2001 में पाया कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जमा की गई निधियों का अल्प उपयोग हुआ था और प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण के धन की बड़ी राशि भी वसूल नहीं की गई थी। उन्होने पाया कि कुछ राज्यों में निधियां "वन जमा" के रूप में जमा की गई थीं और वनरोपण के लिए आसानी से उपलब्ध कराई गई थीं जबकि अन्य राज्यों में निधियां राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में जमा की गई थीं तथा केवल बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराई जा सकीं। प्रतिपूरक वनरोपण की गति तथा गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायालय ने अक्तूबर 2002 में अलग निधि बनाई ताकि योजनाओं आदि के कार्यान्वयन में आवश्यक नमनीयता देने के लिए सतत आधार और धन का सामयिक तथा पर्याप्त निर्गम सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध रीति में प्रतिपूरक वनरोपण किया जा सके परन्तु अभिप्रेत प्रयोजन पूरे नहीं किया जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि भारत संघ आठ सप्ताह के अन्दर निकाय के गठन और प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रबन्धन के संबंध में व्यापक नियम बनाएगा।

आरम्भ में सीए के लिए ₹ 297 करोड़ सम्बन्धित राज्यों/यूटी के वन विभागों के पास अप्रयुक्त पड़ा था और यह ₹ 1200 करोड़ तक बढ़ गया तथा 2006 में तदर्थ कैम्पा को क्रेडिट किया गया। यह राशि 2009 में ₹ 9932 करोड़ तक बढ़ गई और मार्च 2012 तक ₹ 23607.67 करोड़ तक संचित हो गई। 2009–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा ₹ 2829.21 करोड़ की राशि जारी की गई थी और 2006–09 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

हमने पाया कि अप्रैल 2004 में कैम्पा के सृजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के बावजूद निकाय प्रचालनात्मक नहीं हुआ जिससे मई 2006 में उच्चतम न्यायालय को तदर्थ कैम्पा सृजित करने के लिए आदेश पारित करने की आवश्यकता हुई और इसने उस समय तक कार्य करना था जब तक नियमित कैम्पा प्रचालन में नहीं आए। तदर्थ कैम्पा का कार्यचालन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे दिए अधिदेश अथवा निर्देशों तक सीमित किया गया था। 2006–09 के बीच इसने केवल राज्यों से सीएफ संग्रहीत किया और इसके निवेश का प्रबन्ध किया। 2006 से 2009 तक की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों का निर्गम नहीं किया गया था। परिणामत : इसने भारत में प्रतिपूरक वनरोपण की कार्यविधि रोक दी। सीए कार्यकलापों के लिए निर्गम जुलाई 2009 में आरम्भ हुए जब उच्चतम न्यायालय ने अगले पांच वर्षों के लिए केवल ₹ 1000 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा सम्बन्धित राज्य/यूटी से सम्बन्धित मूल राशि का 10 प्रतिशत जारी करने का सीमित अधिदेश दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा के पास वन भूमि के विपथन, कैम्पा निधियों के संग्रहण तथा उपयोग से सम्बन्धित एमआईएस नहीं था।

हमारे विचार में कैम्पा की अप्रचालनात्मकता, जिसकी मार्गनिर्देश, निर्देश तथा निरीक्षण प्रदान करने के लिए स्थाई, स्वतन्त्र प्राधिकरण के रूप में परिकल्पना की गई थी, ने भारत में सीए कार्यकलापों को बाधित किया। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन स्थाई प्राधिकरण के सृजन की आवश्यकता का उल्लेख करता है जो व्यापक संवैधानिक तथा कानूनी ढ़ाँचे में प्रभावी रूप से तथा कुशलता से प्रतिपूरक वनरोपण सुनिश्चित करने का अधिदेश निष्पादित कर सकता है।

6.3 व्यय का प्राधिकरण

तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत तथा राज्य कैम्पा द्वारा सीएएफ से व्यय करने की संस्थागत डिजाइन संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा किए जा रहे व्यय से कुछ कुछ भिन्न है।

तदर्थ कैम्पा द्वारा तथा राज्य कैम्पा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यय के मामले में ऐसा व्यय करने के लिए कोई विधायी प्राधिकरण नहीं है। इस निधि में धन उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से बाहर रखा जाता है और संसद से प्राधिकार बिना खर्च किया जाता हैं। न्यायालय ने 2002 में अपने आदेश पारित किए जब व्यय की मात्रा आरम्भिक वर्षों के दौरान नगण्य थी। अब मार्च 2012 के अन्त तक किया गया व्यय ₹ 2829.21 करोड़ के निर्गमों के प्रति ₹ 1775.84 करोड़ था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनरोपण के अधीन प्रयोक्ता एजेंसियाँ से संग्रहीत की जा रही बडी राशियों को देखते हुए और कैम्पा के उदेदश्यों के संदर्भ में कैम्पा संबंधित कार्यकलापों पर व्यय करने के प्राधिकरण के संबंध में वर्तमान संस्थागत डिजाइन की समीक्षा करना, जहा आवश्यक समझा जाए, उच्चतम न्यायालय से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। एमओईएफ ने बताया (अप्रैल 2013) कि ये तथ्यों के विवरण थे और टिप्पणियां अपेक्षित नहीं थीं।

6.4 लेखाकरण

6.4.1 उचित लेखाकरण फारमेट तथा लेखाओं का अनुरक्षण

6.4.1.1 तदर्थ कैम्पा

23 अप्रैल 2004 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आरम्भिक अधिसूचना में कैम्पा द्वारा अपनाए जाने वाली प्रणाली अथवा फारमेट का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार 26 सितम्बर 2005 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैम्पा को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर निगम लेखाकरण करने का निर्देश दिया गया था।

निर्धारित वित्तीय सूचना ढांचे के अनुसार लेखाओं का अनुरक्षण नियंत्रण, जवाबदेही तथा निगरानी स्थापित करने की नींव रखता है। चूंकि कैम्पा निधियों को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर निगम लेखाकरण में रखा जाना था इसलिए आसानी से उपलब्ध व्यावासायिक संदर्भ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में लेखाकरण के लिए मानक स्थापन निकाय, द्वारा जारी लाभ के लिए नहीं संस्थान के लेखाकरण पर तकनीकी गाइड थी।

तदर्थ कैम्पा बैठकों के कार्यवृत्तों से हमने देखा कि लेखाओं के फारमेट के अनुसार उचित वित्तीय लेखाकरण प्रणाली, अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख, लेखाओं का मिलान आदि निर्धारित करने के विषय पर तदर्थ कैम्पा बैठकों में आवधिक रूप से चर्चा की गई थी और इस संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे निर्देशों का सार तालिका 41 में दिया गया है।

तालिका 41 : लेखाकरण विषयों पर तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों /अवलोकनों का सार

बैठक सं. तथा तारीख	जारी निर्देश /अवलोकन
पहली बैठक (15 मई 2006)	चूंकि तदर्थ कैम्पा में जमा की जानी वाली निधियां सरकारी राजस्व के अतिरिक्त मानी जानी हैं इसलिए उचित वित्तीय लेखाकरण प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता है।
द्वितीय बैठक (7 जुलाई 2006)	• संबंधित राज्य/यूटी सरकारों के साथ प्राप्तियों का आवधिक मिलान अनिवार्य था। • तदर्थ निकाय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से एक प्राप्ति खाता खोला जाएगा जो उसके मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उचित रूप से अनुरक्षित किया जाएगा। • राज्य/यूटी, कार्पोरेशन बैंक तथा तदर्थ कैम्पा के साथ प्राप्तियों का परस्पर संदर्भ करने के लिए एक उचित तन्त्र भी वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विकसित किया जाएगा। • राज्य/यूटी सरकारों से प्राप्त निधियों के मासिक विवरण को मिलान के लिए उन्हें वापस भेजा जाएगा।
चौथी बैठक (27 नवम्बर 2006)	• प्राप्य धन, वास्तव में प्राप्त धन, प्राप्य ब्याज की राशि, प्राप्त ब्याज की राशि, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रत्येक मामले के संबंध में संकलित किए जाने चाहिए। • यह सुनिश्चित करने की उपर्युक्त सूचना संकलित की जाती है और अनुमोदित प्रत्येक मामले के लिए लेखापरीक्षा की जाती है, के लिए एक संस्थानीकृत प्रणाली होनी चाहिए। • उपर्युक्त सूचना के अभाव में सीएजी द्वारा कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती है।

बैठक सं. तथा तारीख	जारी निर्देश /अवलोकन
6 वीं बैठक (11 अप्रैल 2007)	यह देखा गया था कि प्रतिपूरक वनरोपण निधियों, जो राज्य/यूटी सरकारों द्वारा अन्तरित की जानी थीं और जो उनके द्वारा तदर्थ कैम्पा में जमा की गई के मिलान के लिए मुश्किल से कोई प्रगति की गई है।
7 वीं बैठक (20 जून 2007)	यह देखा गया था कि राज्य/यूटी स्तर पर उपलब्ध आंकड़ो के साथ विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों से संबंधित आंकड़ों का मिलान अभी तक नहीं किया गया हैं। चूंकि तदर्थ कैम्पा स्तर पर आंकडे अर्थपूर्ण फारमेट में संकलित नही किए गए हैं इसलिए वर्तमान में ऐसा मिलान सम्भव नहीं है। इसके अलावा इस स्थिति में सीएजी द्वारा कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा व्यवहार्य नहीं है।
9 वीं बैठक (9 मार्च 2009)	कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जमा की गई निधियां और राज्यों को इनके निर्गम के ब्यौरे संकलित किए जाने चाहिए और तत्काल इनका मिलान किया जाना चाहिए।
12 वीं बैठक (17 जनवरी 2010)	यह निर्णय लिया गया था कि तदर्थ कैम्पा में धन जमा करने के संबंध में राज्यों से रिपोर्टों के प्राप्त न होने के विषय को राष्ट्रीय कैम्पा सलाहाकार परिषद की अगली बैठक में विचार करने के लिए लाया जाना चाहिए।
17 वीं बैठक (14 सितम्बर तथा 17 अक्तूबर 2011)	लेखाओं के रखरखाव की प्रकिया पर विस्तार से विचार किया जाए और जहॉ आवश्यक हो, सीएजी कार्यालय के अनुमोदन से ऐसी प्रक्रियाओं को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाए।

सीएजी के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2012 में टिप्पणी दी कि तुलन पत्र के रूप में कोई वार्षिक वित्तीय विवरण निकाय की किसी बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंनें विशेष रूप से यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या तदर्थ कैम्पा उचित लेखा बहियों का रखरखाव और बैंक विवरणों तथा एफडी में जमा राशियों के ब्यौरों के रूप में अभिलेख रखकर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर रहा था।

'तदर्थ कैम्पा की लेखा बहियों के रखरखाव तथा सम्बद्ध विषयों से संबंधित' जुलाई 2012 में सदस्य सचिव सीईसी तथा सदस्य तदर्थ कैम्पा द्वारा तैयार कार्यसूची तदर्थ कैम्पा लेखाओं की निराशाजनक स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है जैसा नीचे दर्शाया गया;

- तदर्थ कैम्पा की लेखाबहियां गत दो वर्षों और आगे किंचित बनाई नही गई हैं। पूर्व वर्षों की लेखा बहियां भी उचित रूप से बनाई नहीं गई हैं/मिलान नहीं किया गया है ;
- विभिन्न राज्यों/यूटी से एनपीवी, सीए आदि के प्रति प्राप्त राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एफडीआर के रूप में किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज, विभन्न राष्ट्रीकृत बैंकों में एफडीआर में निवेशित राशि, एफडीआर से परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि और वैद्यता के दौरान एफडीआर की बकाया राशि, का वर्षवार/आवधिक मिलान किया नहीं गया है और इस प्रयोजन हेतु कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित नहीं की गई है;

- यह सुनिश्चित करने कि क्या एफडी आर के रूप में निवेशित राशि का वास्तव में निवेश किया गया है और क्या यह परिपक्वता पूर्व भुनाई (अप्राधिकृत रूप से) नहीं गई है, के लिए आवधिक सत्यापन के लिए नियंत्रण और संतुलन की उचित प्रणाली स्थापित नहीं की गई है; और

- विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशियों का संबंधित राज्य/यूटी द्वारा जमा की गई राशि से वर्षवार /आवधिक मिलान नहीं किया गया है।

- मामलों की उपर्युक्त स्थिति अति व्याकुल करने वाली है और यह अत्यावश्यक है कि तत्काल उपचारी उपाय किए जाते हैं। ऐसे उपायों की एक सूची भी प्रस्तावित थी।

इस संबंध में हमने देखा कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों का मुश्किल से पालन किया गया था और कार्यान्वित किए गए थे और कोई उचित लेखाकरण अभिलेख बनाए नहीं गए थे जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- इसके आरम्भ से तदर्थ कैम्पा के प्राप्ति तथा भुगतान, आय तथा व्यय और परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के लिए कोई वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया था;

- रोकड़ बही तथा जर्नल लेजर जैसे प्राथमिक अभिलेख बनाए नहीं गए थे;

- प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियों, राज्यों/यूटी द्वारा प्रेषित राशियों, तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशियों, विभिन्न बैंक खातों और सावधि जमाओं मे पड़ी राशियों, उपनपर प्राप्त/उपचित ब्याजों का कोई मिलान नहीं किया गया था;

- अनुरक्षित सावधि जमा रजिस्टर अपर्याप्त तथा अप्रमाणित थे।

तदर्थ कैम्पा ने आन्तरायिक रूप से व्यावसायिक लेखाकारों की सेवाएं ली। श्री आर के तुली 7 जुलाई 2006 से 20 जून 2007 तक वित्तीय सलाहाकार था। जून 2007 में तदर्थ कैम्पा ने वित्तीय सलाहाकार के रूप में सनदी लेखाकार फर्म और सीए आर्टिकल, जिन्होनें लेखाकार के रूप में व्यावसायिक शिक्षा I तथा II पूर्ण कर लिया था, लगाने पर विचार किया। उपयुक्त लेखाकरण साफ्टवेयर प्राप्त करने को ₹ 25000 खर्च करने की प्रशासनिक संस्वीकृति भी दी गई थी। यद्यपि सीएजी के पास सूचीबद्ध सनदी लेखाकर फर्मों की एक सूची 14 सितम्बर 2007 को सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा तदर्थ कैम्पा को भेजी गई थी परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। श्री के एस आचार को मई 2010 में सलाहाकार के रूप में नियुक्त किया गया था और यह काफी बाद अप्रैल 2011 में हुआ था कि उसे ओएसडी बनाया गया तथा उसे तदर्थ कैम्पा निधियों के लेखाओं का रखरखाव करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था। मै. आर के तुली को छः माह की आरंभिक अवधि के लिए 1 अगस्त 2012 को तदर्थ कैम्पा का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके कर्तव्यों में तदर्थ कैम्पा के लेखाओं को अन्तिम करने में गहन संवीक्षा तथा सहायता, एक समयबद्ध रीति में वित्तीय वर्ष 2006–07 और आगे के लिए वित्तीय लेखा विवरण तैयार करना, लेखाओं के मामले में निपुण आर्टिकल सहायक/लेखाकार की सहायता करना और वित्तीय /लेखाओं के क्षेत्र में कोई अन्य सहायता जो समय–समय पर मांगी जाए, को शामिल किया गया। निधियों का उचित लेखा बनाने के लिए और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, के आधार पर निगम लेखाकरण के अनुरूप लेखे नियमित रूप से तैयार

करना सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से योग्य जनशक्ति लगाने में तदर्थ कैम्पा के कार्यकारी सदस्यों की और से गम्भीरता की कमी हुई थी। ये लेखे तैयार और तदर्थ कैम्पा को अनुमोदन तथा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

हमारे विचार में जवाबदेही के पहले सिद्धान्त कि निकाय, जिसको निधियां सौंपी गईं, को उसके लिए लेखा प्रस्तुत करना चाहिए, का पूर्णतया उल्लंघन किया गया था। तदर्थ कैम्पा से वित्तीय सूचना के लिए उचित ढ़ाचा तत्काल विकसित करने, उचित लेखा भेजने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया किए गए थे, मामलों की स्थिति का सत्य एवं उचित दृश्य देने वाले लेखे आवधिक रूप से बनाए गए थे, सुनिश्चित करने, की अपेक्षा की गई थी। समय की लम्बी अवधि में ऐसा करने में इसकी विफलता ने सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग के जोखिम और उनकी सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है।

2006 –12 के लेखे जुलाई 2012 के बाद तैयार किए गए थे। 7 फरवरी 2013 को आयोजित 22 वीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने लेखा विषय अपनाने और सनदी लेखाकारों की सीएजी सूचीबद्ध फर्म द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन और पूर्णता तक लम्बित रखने का निर्णय लिया। 30 राज्यों के लेखे विवरण तथा तुलनपत्र तदर्थ कैम्पा द्वारा 7 फरवरी 2013 को लेखापरीक्षा के लिए भेजे गए थे। ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित अथवा हस्ताक्षरित नहीं थे और आन्तरिक लेखापरीक्षा होने तक तदर्थ कैम्पा द्वारा सशर्त अनुमोदित किए गए थे। इनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के फारमेट, अनुमोदित लेखाकरण नीति तथा लेखाओं की टिप्पणियां, सभी बैंक खातों की सूची और सभी बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण शामिल नहीं किए गए थे। उस रूप में ये लेखे से अधिक अधिक ड्राफ्ट लेखे थे, वित्तीय सूचना जो तैयारी से प्रभारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थी इसलिए बाहय लेखापरीक्षकों अर्थात सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के लेखा फारमेट के लिए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) से पत्राचार में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सम्पर्क किया गया था। सीएजी ने सलाह दी कि महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से सम्पर्क किया जाए परन्तु सीजीए ने तदर्थ कैम्पा के लिए लेखा कार्यविधि निर्धारित करने को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय जोर दिया कि निधियां भारत की समेकित निधि /लोक लेखे में रखी जाएं। यह अब भी धुंधला क्षेत्र है कि क्या दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित निगम लेखाकरण की अपेक्षा केवल तदर्थ कैम्पा को अथवा राज्य कैम्पाओं को लागू होती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नवम्बर 2011 में अर्थात तदर्थ कैम्पा के गठन के पांच वर्ष से अधिक के बाद लेखाओं का फारमेट सूचित करने के लिए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र) प्रभार द्वारा सीएजी को सम्पर्क किया गया था। तथ्य यह शेष रहता है कि तदर्थ कैम्पा ने फरवरी 2013 तक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए। यह केवल 2013 के आरम्भ में हुआ था कि 2006–12 की अवधि के लेखे सर्वप्रथम तदर्थ कैम्पा को प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा एमओईएफ ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा समापन पर थी और एकबार वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाए जाने पर ये लेखापरीक्षा को भेजे जाएंगे। राज्य कैम्पा के लेखाओं का फारमेट निर्धारित करने का उत्तरदायित्व महालेखाकारों का था जो अपने आप 2012 किया गया था।

6.4.1.2 राज्य/यूटी कैम्पा

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 के अनुसार राज्य स्तर कार्यकारी समिति को लेखाओं, विवरणियों, के रखरखाव के लिए और लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त तथा प्रभावी लेखाकरण प्रक्रिया विकसित करनी थी। राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों (2 जुलाई 2009) में निर्दिष्ट किया गया कि राज्य कैम्पा उचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव और ऐसे फार्म, जैसा संबंधित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किया जाए, में वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

राज्य/यूटी कैम्पा के लिए लेखाओं का एक समान फारमेट मई 2012 में राज्य/यूटी कैम्पा के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा स्वत: निर्धारित किया गया था।

आंध्रप्रदेश तथा असम को छोड़कर किसी भी राज्य ने निर्धारित फारमेट में दिसम्बर 2012 तक अपने लेखे तैयार नहीं किए। दिसम्बर 2012 तक राज्य /यूटी कैम्पा के लेखे तैयार करने की स्थिति अनुबंध – 10 में दी गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि यह अब भी धुंधला क्षेत्र है कि क्या दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित निगम लेखाकरण की अपेक्षा केवल तदर्थ कैम्पा अथवा राज्य कैम्पाओं को भी लागू होती है। ऊपर उल्लिखित पृष्ठभूमि में राज्य कैम्पाओं में अपनाए जाने वाले लेखा फारमेट के बारे में केवल महालेखाकारों की और से स्पष्टता की कमी नहीं हुई।

उत्तर इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जुलाई 2009 के राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव करेंगे तथा ऐसे फार्म में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेंगे जैसा सम्बन्धित महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित किए जाए जो कि मई 2012 में निर्धारित किया गया था।

6.4.2 निधियों का मिलान

मिलान प्रति सत्यापन और दो अथवा अधिक पार्टियों, जो परस्पर लेनदेन में लगी हैं, के लेखाओं के बीच शेषों की स्वतंत्र पुष्टि की प्रकृति में हैं।

पूर्ण तथा सही लेखे बनाने के उददेश्य से तथा यह सुनिश्चित करने कि संग्रहीत तथा संवितरित सभी धन उचित रूप से लेखांकित किए गए थे और परिसम्पत्तियों (प्राप्य/बैंक शेष/सावधि जमा) की विद्यमानता तथा पूर्ण लेखाकरण की पुष्टि करने के लिए यह आवश्यक था कि निम्नलिखित का मिलान किया जाना चाहिए था :

- गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि का विपथन अनुमत करने के लिए वसूली योग्य राशि तथा तदर्थ कैम्पा, राज्य/यूटी कैम्पा अथा राज्य/यूटी सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा प्रेषित राशियों का परियोजना वार मिलान;
- राज्य/यूटी कैम्पा अथवा राज्य/यूटी सरकार द्वारा प्राप्त राशियों और तदर्थ कैम्पा को प्रेषित राशि;

- अपने लेखा अभिलेखों के अनुसार तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि तथा राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा प्रेषित राशियां;
- अपने लेखा अभिलेखों के अनुसार तदर्थ कैम्पा द्वारा वितरित राशियां तथा राज्य/यूटी कैम्पा में प्राप्त के रूप में दर्ज राशियां।
- उसके द्वारा धारित तदर्थ कैम्पा के सावधि जमाओं की प्रत्येक बैक से स्वतंत्र पुष्टि के साथ तदर्थ कैम्पा लेखाओं के अनुसार सावधि जमाओं में रखी गई के रूप में दर्ज राशियां।
- तदर्थ कैम्पा लेखाओं तथा प्रत्येक बैक विवरण के अनुसार बैक शेषों का मिलान।

यह दर्शाने के लिए कि प्राप्य सभी प्रतिपूरक वनरोपण निधियां प्राप्त हो गई थीं और राज्य कैम्पा अभिलेखों में संगत आंकड़ो के साथ उनके आवधिक मिलान के अभिलेख बनाना यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पूरा करने का केन्द्र था कि राज्य कैम्पा के पास पड़ी सभी राशियां कैम्पा निधि को अन्तरित की गई हैं। अभिलेखों में विसंगतियों के मामले और राज्य/यूटी कैम्पा के साथ तदर्थ कैम्पा अभिलेखों का मिलान करने की तत्काल आवश्यकता पर तदर्थ कैम्पा बैठकों में बारम्बार चर्चा की गई थी जैसाकि तालिका 41 में दर्ज है परन्तु इस प्रतिवेदन के पूर्व अध्यायों में सूचित तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी कैम्पा के आंकड़ो में विसंगतियों से जैसा दर्शाया गया, ऐसे कोई मिलान नहीं किए गए थे। हमने पाया कि ऐसे निर्देशों के बावजूद तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पाओं के अभिलेखों में विसंगतियां बनी रहीं और राज्य अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। इसलिए प्राप्तियों के मिलान के विषय पर लगभग सभी बैठकों में चर्चा की गई थी परन्तु प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया गया था। सम्पूर्ण कवायद केवल कागजों पर रही।

6.5 लेखापरीक्षा

6.5.1 तदर्थ कैम्पा

कैम्पा के गठन से संबंधित 23 अप्रैल 2004 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कैम्पा को अपने लेखाओं की सनदी लेखाकार (रों), जो भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की सूची पर हैं, के माध्यम से आन्तरिक रूप से तथा बाहय रूप से लेखापरीक्षा कराई जानी थी और लेखापरीक्षक (कों) का चयन कैम्पा के शासी निकाय द्वारा किया जाना था।

4 मई 2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की लेखापरीक्षा करने वाले प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय, ने सीईसी को अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास कैम्पा के अधीन संग्रहीत निधियों को ब्यौरों पर केन्द्रीय डाटाबेस नहीं है,
- कैम्पा को अभी प्रचालन में आना है,
- लेखापरीक्षा कार्य तथा जनशक्ति आवश्यकता की मात्रा सुनिश्चित करने की कवायद आरम्भ की गई है,

- अधिकांश राज्य महालेखाकारों ने कुछ डीएफओ की नमूना लेखापरीक्षा की है और जांच के आरम्भिक चरणों में ब्याज की हानि और कैम्पा निधियों के विपथन की प्रवृतियां देखी गई हैं।

5 मई 2006 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा के सृजन का आदेश करते हुए यह भी निर्देश दिया कि इसे कैम्पा की बाबत प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन तथा विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन पर अर्जित आय की लेखापरीक्षा कराई जानी चाहिए। लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जाए। लेखापरीक्षा यह भी जांच करे कि क्या निधियों का निवेश करने में उचित वित्तीय प्रक्रिया अपनाई गई है। 13 मार्च 2007 को कैम्पा का लेखापरीक्षण प्रबन्ध संशोधित किया गया था और लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी।

तथापि उचित अभिलेखों के रखरखाव के अभाव में तदर्थ कैम्पा लेखाओं की कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। यह मामला निकाय में सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा अन्य तदर्थ कैम्पा सदस्यों के ध्यान में बारम्बार लाया गया था। 27 नवम्बर 2006 तथा 20 जून 2007 को आयोजित तदर्थ कैम्पा की इसकी बैठक में सीएजी के प्रतिनिधि द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि अर्थपूर्ण फारमेट में आंकड़ों के उचित संकलन तथा राशियों के मिलान के अभाव में कोई अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकती थी। संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2009 में प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा वैज्ञानिक विभाग ने उल्लेख किया कि चूंकि निवेश प्रयोजनों हेतु तदर्थ कैम्पा के पास निधियों की विशाल राशियां पडी है इसलिए यह विवेकी है कि अन्तर्ग्रस्त जोखिमों को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा की एक नियमित प्रणाली आरम्भ की जाए। हमारे पास उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रतीत नहीं होता है कि तदर्थ कैम्पा ने अभी तक किसी लेखापरीक्षक (सीएजी की सलाह पर) की नियुक्ति की है। उन्होने यह भी सूचना मांगी कि क्या कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध किए गए हैं।

13 मार्च 2007 को जारी संशोधन अधिसूचना 26 सितम्बर 2005 के उच्चतम न्यायालय आदेशों पर आधारित थी। हमने देखा कि उपरोक्त आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया था कि कैम्पा की आंतरिक लेखापरीक्षा सीएजी की सूची के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक छः माह में आयोजित की जाएगी। तथापि अधिसूचना में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक की लेखा बहियां सीएजी की सूची में दर्ज सीए की एक फर्म द्वारा तैयार की गई हैं और लेखापरीक्षा को भेजी गई हैं जिन्होने आपत्ति की है कि उनके संज्ञान में आ सके उससे पूर्व तदर्थ कैम्पा के अधिकारियों द्वारा लेखा बहियां हस्ताक्षर की जानी चाहिएं। यह "लेखापरीक्षा के अध्ययीन" तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में औपचारिक रूप से अपनाई जा रहीं इन लेखा बहियों के बावजूद है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सामान्यतया स्वीकृत सिद्धान्त है कि मामलों के नियंत्रण के समय पर निकाय संगठन के लेखाओं के लिए उत्तरदायी है और लेखाओं का मालिक है। इसके अलावा जीएफआर के नियम 64 के अनुसार मंत्रालय/विभाग का सचिव, जो मंत्रालय/विभाग का मुख्य लेखाकरण अधिकारी है, अपने मंत्रालय/विभाग के वित्तीय प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी तथा जवाबदेह होगा और अपने मंत्रालय से सम्बन्धित व्यय तथा अन्य विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुनिश्चित करेगा कि

उसका मंत्रालय/विभाग वित्तीय लेनदेनों के पूर्ण तथा उचित अभिलेख तैयार करता है और प्रणालियों तथा कार्यविधियों को अपनाता है जो हर समय आन्तरिक नियंत्रणों को बरदाश्त करता है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखाओं का अनुमोदन करने से पूर्व सामान्यतया लेखापरीक्षा आरम्भ नहीं की जानी चाहिए।

इस प्रकार, जैसी स्वीकृत प्रथा है, शासी निकाय को लेखे तैयार तथा हस्ताक्षर करने चाहिए थे। सीएजी सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा समाप्त होने तक तदर्थ कैम्पा की 22 वीं बैठक में लेखाओं की मात्र सशर्त स्वीकृत तदर्थ कैम्पा द्वारा लेखाओं का स्वामित्व के अनुरूप नहीं होती है अथवा ये लेखापरीक्षा हेतु लिए जाने के लिए तदर्थ कैम्पा के अन्तिम लेखा नहीं बनाते हैं। तदर्थ कैम्पा को 7 फरवरी 2013, उसी दिन जब ड्राफ्ट लेखे लेखापरीक्षा के लिए इसके द्वारा भेजे गए थे, को स्थिति से अवगत कराया गया था। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर थी और तदर्थ कैम्पा द्वारा एक बार वित्तीय विवरणी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को स्वीकृत करने के बाद ये सब लेखापरीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

6.5.2 राज्य कैम्पा

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देश दिनांक 2 जुलाई 2009 के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ – साथ महालेखाकार या इस बाबत उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य कैम्पा के लेखे राज्य कैम्पा द्वारा राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा तदर्थ कैम्पा को वार्षिक भेजे जाएंगे। राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने की राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को शक्ति होगी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा निर्देश दिया कि राज्य महालेखाकार वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष राज्य कैम्पा निधियों से किए गए खर्च की लेखापरीक्षा करेंगे।

यह पाया गया था कि केवल आंध्रप्रदेश राज्य ने 2009–11 वर्षों के लेखाओं की राज्य महालेखाकार से लेखापरीक्षा कराई। उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों ने 2010–12 वर्षों के अपने लेखाओं की केवल सनदी लेखाकारों से लेखापरीक्षा कराई। अन्य किसी राज्य ने निर्धारित फारमेट में अपने लेखाओं की राज्य महालेखाकार से लेखापरीक्षा नहीं कराई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि भरे जाने वाले 45 विभिन्न प्रोफार्मा के साथ राज्य महालेखाकारों द्वारा राज्य कैम्पाओं से सम्पर्क किया गया है और ये प्रोफार्मा वन विभाग अथवा राज्य कैम्पा में उपयोग में नहीं थे और कि लेखापरीक्षा दल द्वारा उन्हें प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर/समय नहीं दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कथित प्रोफार्मा वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित की जा रही अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है और तदर्थ कैम्पा के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय प्रमाणित लेखापरीक्षा से

सम्बन्धित नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 30 राज्यों/यूटी में से 23[1] अनुपालन लेखापरीक्षा के 45 प्रोफार्मा में मांगी गई अधिकांश सूचना उपलब्ध नहीं करा सके। चूंकि अधिकांश राज्य/यूटी अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सके इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो समय निर्धारित किया गया और न ही मांगी गई सूचना की मात्रा अनुचित थी बशर्ते अभिलेख उचित रूप में बनाए गए होते।

6.6 जवाबदेही तथा पारदर्शिता

प्रयोक्ता एजेंसियों से सीएएफ के प्रति प्राप्य धन के संग्रहण, उनके लेखांकन, संघ/राज्य/यूटी स्तर पर कैम्पा अधिकारियों द्वारा व्यय, सरकार के वित्तीय विवरणों में इस निधि और इससे प्राप्तियों तथा खर्चों, संसद तथा राज्य विधान मण्डलों को इसकी सूचना के प्रदर्शन से सम्बन्धित प्रबन्ध का वर्तमान नमूना पर्याप्त विषयों का प्रदर्शन करता है जिस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ध्यान देना है।

- केन्दीय कैम्पा के पास निधियों की वर्तमान राशियां पर्याप्त हैं। 31 मार्च 2012 को वे ₹ 23607.67 करोड़ थीं।
- 31 मार्च 2012 तक राज्य/यूटी कैम्पा अधिकारियों को किया गया कुल निर्गम ₹ 2829.21 करोड़ था और उनके द्वारा सूचित व्यय ₹ 1775.84 करोड़ था।
- जबकि प्राप्तियां तथा व्यय प्रर्याप्त हुए हैं परन्तु या तो संसद अथवा राज्य विधान मण्डलों को सीएएफ से संबंधित आय तथा व्यय सूचित करने सूचित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है।
- संग्रहीत तथा खर्च की गई राशियां न केवल संसद तथा राज्य विधान मण्डलों को पता नहीं है बल्कि विधायी प्राधिकारियों द्वारा व्यय करने के प्राधिकरण के लिए कोई विधि तंत्र भी नहीं है।
- इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त राशि काफी पर्याप्त हैं इसलिए यह समान रूप से उल्लेख करना व्यथित कर देने वाला है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनो में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है जिससे उच्च स्तर पर मंत्रालय में अथवा राज्यों में अधिकारी स्वयं को संतुष्ट हो सके कि संग्रहीत की जा रही राशियां वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों, नियमों के अन्तर्गत विद्यमान आदेशों और सीएएफ के संग्रहण तथा उपयोग को विनियमित करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हैं।

किसी सत्व के लेखापरीक्षित लेखे लेखाकरण अवधि के दौरान इसके द्वारा दर्ज लेन देनों के संबंध में सभी पणधारियों को आश्वासन देते है। 2006 में अपने आरम्भ से केन्द्रीय कैम्पा (तदर्थ) ने आज तक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तदर्थ कैम्पा में लेखा बहियां उचित प्रकार नहीं बनाई जा रही हैं। प्राप्ति तथा भुगतान लेखे, आय तथा व्यय लेखा और तुलना पत्र तैयार नहीं किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से पारदर्शिता तथा कैम्पा की जवाबदेही का प्रतिकूल रूप से अतिक्रमण करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि कैम्पा निधियों की आन्तरिक

[1] सात राज्य/यूटी (आंध्रप्रदेश, अरूणाचलप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान तथा सिक्किम) ने आंशिक सूचना दी।

लेखापरीक्षा समापन पर थी और एक बार वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा अपनाए जाने पर ये लेखापरीक्षा को भेजे जाएंगे।

प्रतिपूरक वनरोपण के अन्तर्गत संग्रहीत की रही निधियों, उनसे व्यय की पर्याप्त राशियों, वनों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्ध, वन्यजीव एवं इनके आवासों के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन और प्रतिपूरक वनरोपण के सम्पूर्ण उददेश्यों, कैम्पा से संबंधित कार्य में अन्तर्ग्रस्त स्पष्ट लोक प्रयोजन को देखते हुए कैम्पा के वर्तमान प्रतिमान की मंत्रालय का जहां आवश्यक समझा जाए, उच्चतम न्यायालय से संपर्क द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता हैं। यह इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है, संसद तथा राज्य विधान मण्डलों दोनों के व्यापक केन्द्र के अन्दर और बृहतर सार्वजनिक दृष्टि में कैम्पा को लाता है ताकि विशालतम सम्भावित पणधारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दूसरी और यह उचित होगा यदि तदर्थ कैम्पा में पडी राशियां भारत के लोक लेखे में अन्तरित की जाती हैं जैसा प्रतिपूरक वनरोपण निधि विधेयक 2008 में निर्दिष्ट था जो 2009 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और बाद में सदन के समापन पर समाप्त हो गया। अलग–अलग राज्यों को अन्तरण पारदर्शी बनाए जा सकते हैं ताकि इस विषय पर आवश्यक सूचना सभी लाभार्थियों को दी जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि बजटीय, वित्तीय तथा कैम्पा के निष्पादन संबंधित संकेतक/सूचना आय तथा कैम्पा से बहिर्वाहों के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोक दस्तावेजों में यथोचित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं ताकि वर्तमान प्रबन्ध में वृहत्तर पारदर्शिता तथा जवाबदेही का प्रभाव हो सके।

लेखाओं की स्थिति की मामले को छोड़कर एमओईएफ ने जवाबदेही तथा पारदर्शिता से सम्बन्धित लेखापरीक्षा की उपर्युक्त आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अध्याय - VII

राज्य/संघराज्य क्षेत्र विशेष निष्कर्ष

अण्डमान–निकोबार

1. पृष्ठभूमि[1]

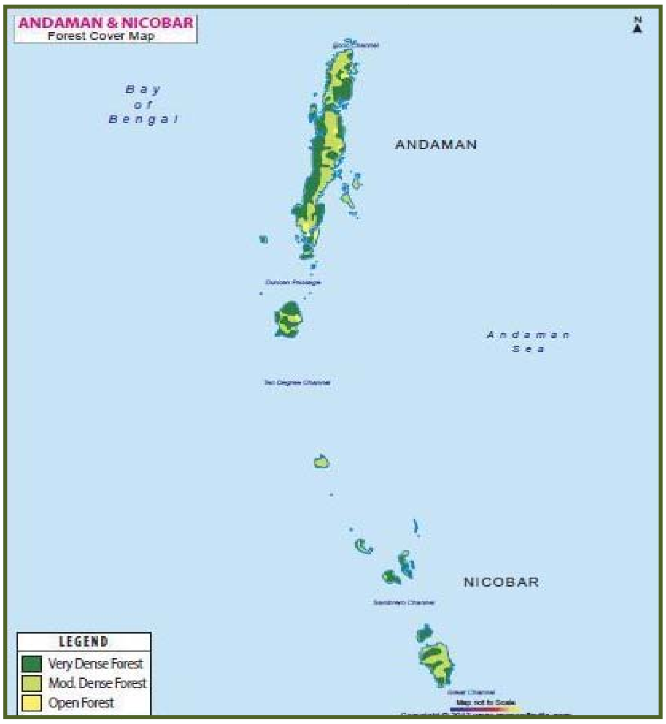

अण्डमान–निकोबार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8,24,900 हैक्टेयर है। दिसम्बर 2008–दिसम्बर 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 6,72,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 81.51 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 3,76,100 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 2,41,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा अरक्षित वन के अन्तर्गत 54,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारणमें 6200 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)

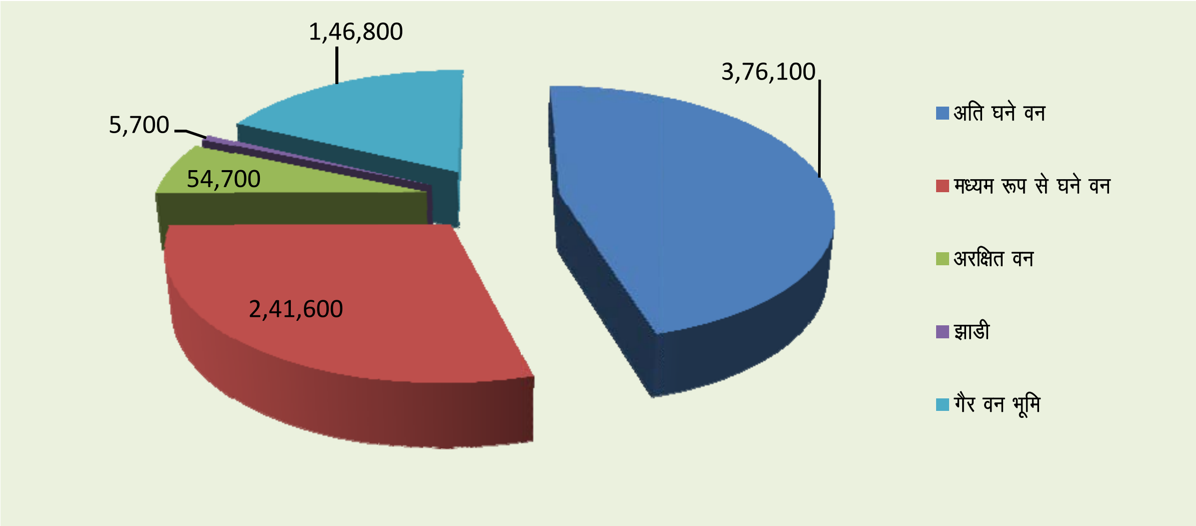

[1] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नवत थे:–

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[2] के पास निधियों का संचय
2006–12[3]	11.27	1.89	0.69	1.20

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि के 17 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किए गए थे। एपीओ के प्रति जारी ₹ 1.89 करोड़ का 63 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 0.11करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित नहीं की गई थीं और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थीं। वर्ष 2010–11 का एपीओ एक वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2011–12 का एपीओ जून 2012 में अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि और राज्य कैम्पा द्वारा उसके प्रति किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराए गए थे। राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय 2009–12 वर्षों के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी कुल राशियों के 37 प्रतिशत था। इसलिए यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 22.98 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं (31 मार्च 2012) और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

अण्डमान–निकोबार मे़ं के एनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं।इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायालयने मार्च 2008 में एन पी जी की दर संशोधित की। नमूना जांच में पता चला कि पांच मामलों में एनपीवी संशोधित दरों पर संग्रहीत नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीजी की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई थी।	0.04
2	निकोबार वनमण्डल में लालटेकरी में डिफेंस सिगनल इंटीलीजेंस यूनिट की स्थापना के लिए भारतीय नौसेना को आबंटित राजस्व भूमि, जिसका वन वितान 0.8 है० था, को माने गए वन के रूप में वर्गीकृत किया जाना था तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए 485 वृक्षों को गिराया जाना था।	1.15

[2]2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[3]तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत/जारी राशि तथा राज्य कैम्पा द्वारा उठाये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा लेखापरीक्षा में नहीं वन उपलब्ध हुआ।

क्रम सं.	विवरण	राशि
	विपथन का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था और इसका अनुमोदन जनवरी 2007 में किया गया था। तथापि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्य ₹ 1.15 करोड का एनपीवी प्रस्ताव में नहीं शामिल किया गया था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने चूक को स्वीकार किया।	
3	दक्षिण अण्डमान मण्डल के दो मामलों में सीए की गलत दरें लागू करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 0.10 करोड़ का सीए कम वसूल किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से सी ए की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी।	0.10
4	निकोबार मण्डल के एक मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते समय शास्त्रीनगर से इंदिरा पाइन्ट तक उत्तर दक्षिण सडक के निर्माण के लिए अप्रैल 2012 में ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में 8.43 है0 वन भूमि विपथित की गई थी। मण्डल की रिपोर्ट में विपथित किए जाने वाली वन भूमि की सघनता 0.5 तथा 0.8 अर्थात पर्यावरण मूल्य–अतिघने वन के साथ पर्यावरण वर्ग–1 वर्गीकृत की गई थी। तथापि अनुमोदन की प्राप्ति पर मण्डल ने पर्यावरण मूल्य–घने वन (सघनता 0.1 से 0.4 तक) के साथ पर्यावरण वर्ग 1 की दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ और परिणमतः प्रयोक्ता एजेंसी, से ₹ 0.09 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹ 0.09 करोड़ के एनपीजी की मार्च 2013 में प्रयोक्ता एजेंसी से वसूली गई थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा के बतायें जाने पर एनपीजी वसूली किया गया था।	0.09
5	प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए लागत की वसूली के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा द्वारा कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए थे। निर्धारित प्रतिमानों के अभाव में विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखे बिना चालू मूल्य सूचकांक के आधार पर वसूल किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सीए की लागत की वसूली के लिए कोई प्रतिमान निर्धारित करना संभव नहीं होगा, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए विषय पर विचार किया गया था। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सीए की लागत के प्रतिमान अन्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए थे।	
	कुल	**1.38**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एपीओ अनुमोदन बिना परियोजना पर अनियमित व्यय**	राज्य कैम्पा ने पोर्टब्लेयर में राजस्व भूमि पर अबरदीन गांव में शहरी वन की स्थापना के लिए एक परियोजना आरम्भ की और तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन बिना वर्ष 2010–11 में कैम्पा निधियों से ₹ 0.13 करोड़ का व्यय किया। परियोजना तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थीइसको ईको टूरिज्म गतिविधि माना गया था। इस प्रकार इस परियोजना पर किया गया ₹ 0.13 करोड़ का व्यय अनियमित था।	0.13

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस परियोजना पर किया गया व्यय पूर्णतया निष्फल नहीं था और परियोजना क्षेत्र में उपयुक्त बागान प्रजातियां उगानें के लिए वर्तमान पेड़ पौधों, रूपरेखा मानचित्र पर स्थिति रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नही था क्योंकि परियोजना तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन के बिना आरम्भ की गयी थी।	
2	**विवादित भूमि पर निष्फल व्यय**	डिगलीपुर वन मण्डल में सितम्बर 2005 में कलारा जंक्शन से परंगारा जंक्शन तक 33 केबी हाई टेंशन सिंगल सर्किट ट्रांसमिलन लाइन बिछाने के लिए विपथित 12 है0 वन भूमि के बदले सीए के लिए प्राप्त गैर वन भूमि का अधिकार स्पष्ट नहीं था। ₹ 0.02 करोड़ के व्यय पर गैर वन भूमि पर किए गए सीए पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। परिणामस्वरूप इस भूमि पर सीए पर किया गया ₹ 0.02 करोड़ मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि रोपित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं हुआ था और प्रतिपूरक वन रोपण को कोई हानि नही हुई थी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नही था क्योकि सीए ऐसी गैर भूमि पर किया गया था जिसका स्पष्ट अधिकार नहीं था।	0.02
3	**सीए निधियों का कम उपयोग**	पांच वन मण्डल[4] 2009–12 वर्षों के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा दी गई निधियों का उपयोग नहीं कर सके। सीए की अव्ययित राशि की प्रतिशतता 2009–12 वर्षों के दौरान लगभग चार मण्डलों में 14.40 से 80.92 के बीच थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सीए निधि का कम अपयोग भण्डारो के बाजार मूल्यों में अन्तर, कार्यविधिक विलम्बों, सीए क्षेत्रों की दूरस्थता आदि के कारण था। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एपीओ में सीए के प्रावधान सभी सुसंगत घटकों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए थे।	
	कुल		**0.15**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[5]–80.48 है0[6] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–117.74 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–56.88 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 112.96 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–23.60 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–4.78 है0

[4]मध्य अण्डमान, मायाबन्दर, निकोबार, दिगलीपुर तथा सिल्विकल्चर
[5]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[6]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–112.96 है0 गैर वन भूमि पर–112.96 है0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–37.48 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–65.11 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–26.00 है0

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के चरण पर तथा मंत्रालय/राज्य प्रधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 80.48 है. थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 71 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 117.74 है. तथा 96 प्रतिशत थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आरफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 65.11 है. गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित केवल 26 है. गैर वन भूमि आरफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 33 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताए

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप
आरएफ/पीएफ के रूप में गैर वन भूमि का अधिसूचित न किया जाना	दो मामलों में 2006–12 के दौरान वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त 34.43 है0 गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एक अन्य मामले में 2006–07 के दौरान ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में कैम्पबैल खाडी से शास्त्रीनगर तक उत्तर–दक्षिण सडक के निर्माण के लिए वन भूमि केविपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 23.29 है0 गैर वन भूमि में से केवल 22.05 है गैर वन भूमि आरएफ के रूप में घोषित की गई थी। इस प्रकार 1.24 है0 गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक आरएफ के रूप में घोषित/अधिसूचित नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के बदले प्राप्त गैर भूमि को अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा रही थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में नहीं बनाए। उचित लेखाओं के अभाव में इसके वार्षिक लेखे की यथा तथ्यता की लेखापरीक्षा नही की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के साथ लेखाओं का मिलान नहीं किया, राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित राशि तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा वास्तव में प्राप्त राशि के बीच ₹ 0.49 करोड़ का अन्तर था। दिसम्बर 2012 तक अन्तर के मिलान के लिए राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह पाया गया था कि संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क, दक्षिण अण्डमान से 0.43 है के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त ₹ 1.5 करोड़ की राशि के निकाय निधि के अन्तर्गत कोई अलग लेखा लिए नहीं बनाया गया था जैसी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में अपेक्षा की गई। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होगी। हालांकि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 में) लेखापरीक्षा परीकलन को मान लिया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। अण्डमान–निकोबार कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठक के प्रति तीन बैठक हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठक हुईं। शासी निकाय की 2009–12 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

आंध्रप्रदेश

1. पृष्ठभूमि[7]

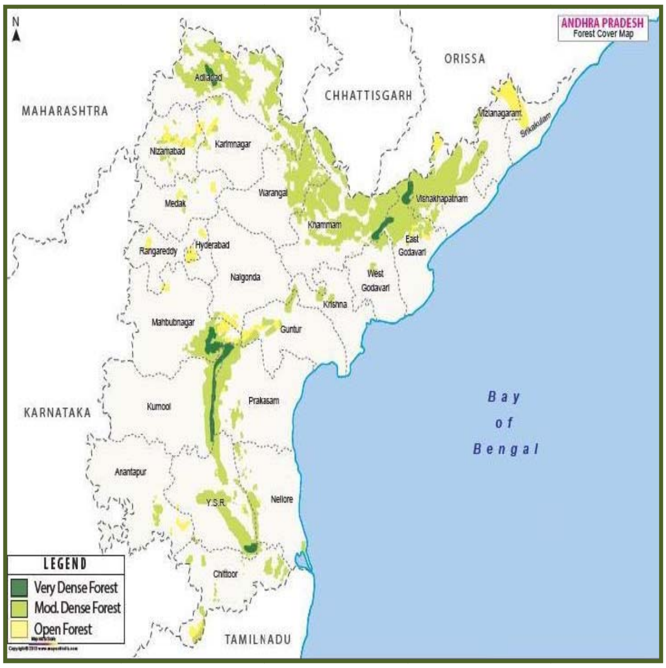

आंध्रप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,75,06,900 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–मार्च 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 46,38,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.86 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत क्षेत्र 85,000 हैक्टेयर, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत क्षेत्र 26,24,200 हैक्टेयर तथा मुक्त वन के अन्तर्गत क्षेत्र 19,29,700 हैक्टेयर था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में वन क्षेत्र – वन प्रकार 28,100 है० की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन का प्रकार (हैक्टेयर में)

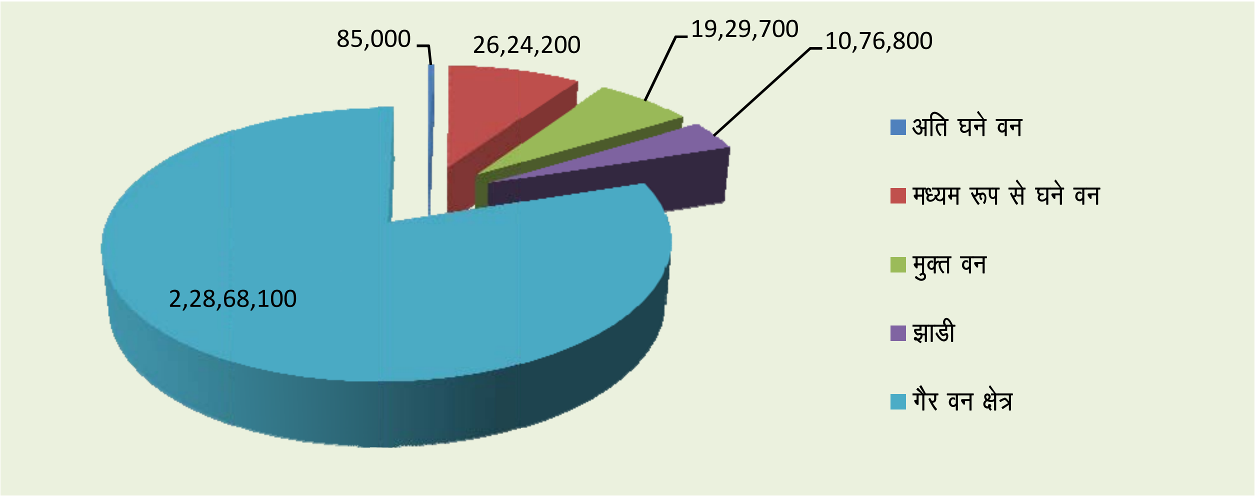

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[7]स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा की अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[8]
2006–07	270.85	शून्य	शून्य	
2007–08	270.42	शून्य	शून्य	
2008–09	234.83	शून्य	शून्य	
2009–10	677.84	89.78	10.87	78.91
2010–11	467.64	120.74	82.83	116.82
2011–12	183.96	118.57	153.56	81.83
कुल	2,105.54	329.09	247.26	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों 16 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किए गए थे। ₹ 329.09 करोड़ में से 25 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

आंध्रप्रदेश में एन पी वी/सी ए/पी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	राशि
1	1053.10 है० की वन भूमि सम्मिलित 22 मामलों[9] में जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[10] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	61.08[11]
2	सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की तथापि पलोचा तथा भद्रचालन वन मंडल के अभिलेखों की प्रति जांच में उदघटित हुआ कि एन पी वी पुन: संशोधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसी[12] से एकत्र नहीं किया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कि स्तर–1 क्लीयरेंस के समय पर वन्य जीवन सेंचुरी का भाग 101.81 है० का क्षेत्र था तथा स्तर–1 शर्तों के परिपालन के बाद क्षेत्र सिर्फ राष्ट्रीय पार्क का भाग वन गया तथा पूर्वव्यापी एन पी वी की दरों को लागू करने की कोई न्यायसंगतता नही थी। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योकि की एन पी वी की संशोधित दरें सभी मामलों में लागू थी जहां वनभूमि के विपथन के लिए 28 मार्च 2008 के बाद पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अंतिम अनुमोदन था।	41.42

[8] 2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[9] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार

[10] एनएचएमएआई, मै० प्रसाद सीडस लि०, वामशाधरा प्रोजेक्ट, एससीसीएल, अनन्तपुर माइनिंग कारपोरेशन, मै० अमर राजा बैट्रीज़ लि०, मै० एस शंकर रेड्डी, ककातिया सीमेंट शुगर इण्डस्ट्रियल, मै० स्वामी काशीरत्नम, मै० के सी पी लि०, मै० एनसीएल इण्डस्ट्रिज, मै० एस्सार स्टील लि०, मै० सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी, मै० तिरूमाला ग्रेनाइटस लि० आदि।

[11] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (1,053.10x5.8)

[12] इन्दिरा सागर पोलावरम परियोजना

क्रं सं	विवरण	राशि
3	नलगौण्डा वन मंडल में अगस्त – अक्तूबर 2007 के दौरान नलगौण्डा में कृष्णा नदी पर पुलीचि–ताला जलाशय परियोजना के निर्माण के लिए 377 है० वन भूमि का विपथन अनुमत करते समय आरम्भिक प्रस्ताव में 102.80 है वन भूमि शामिल नहीं की गई थी इसके परिणामस्वरूप वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि न देने के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेंसी से एनपीवी की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 102.80 है० का अतिरिक्त क्षेत्र अभी राज्य वन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत था तथा प्रयोक्ता एजेंसी को तुरंत कार्य समाप्त करने की सूचना दी थी। मंत्रालय के उत्तर में अस्पष्टता थी क्योंकि एक तरफ ये स्पष्ट किया गया था। कि 102.80 है० का अतरिक्त क्षेत्र राज्य वन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत था तथा दूसरी तरफ निर्देश दिया गया था कि प्रयोक्ता एजेंसी को वन क्षेत्र पर कार्य समाप्त कर दें।	7.20
4	तीन वन मण्डलों[13] मे ₹ 3.86 करोड़ के एन पी वी की प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली नहीं हुई जिन्हें 1998 से 2004 के दौरान अंतिम अनुमोदन दिया गया था। इस राशि में से ₹ 3.46 करोड़ की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल की गई थी और लेखापरीक्षा के कहने पर 23 नवम्बर 2012 की तदर्थ कैम्पा में जमा की गई थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि इन मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की वसूली करने का कार्य या खनन पट्टों को रद्द करने का कार्य शुरू कर दिया था।	0.40
	कुल	110.10

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[14]		64.52	7.28		101.60	73.18		157.93	142.44
प्रतिपूरक वनरोपण		22.77	3.59		23.37	9.31		11.28	10.52
संरक्षित क्षेत्र[15]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.34	0.34		0.60	0.60
कुल	**89.78**	**87.29**	**10.87**	**120.74**	**125.31**	**82.83**	**118.57**	**169.81**	**153.56**

---

[13] अनन्तपुर (मै० मेहबूब मिनरल्स पुलीवेन्दुला के पक्ष में गूटी रंज के मुचुकोटा आरक्षित वन में 41.00 है० वन भूमि का विपथन), विशाखापत्तनम (एनएच 5 को चौड़ा करने के लिए बैयाबरम वन ब्लाक में 1.88 है० वन भूमि का विपथन), तथा इलूरू (पश्चिम गोदावरी जिले में कोव्वादकलुवा के चारों ओर जलाशय के निर्माण को 39.37 है० आरक्षित वन भूमि का विपथन)

[14] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है

[15] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में 12 प्रतिशत और 2010–11 में 69 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2009–10, 2010–11, तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी सम्पूर्ण राशि खर्च नहीं कर सकीं। जब जारी राशियों से तुलना की गई तब व्यय के स्तर 2009–10 में 12 प्रतिशत और 2010–11 में 66 प्रतिशत तथा 2011–12 में 90 प्रतिशत थे। 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ पांच माह के विलम्ब के बाद संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे और निधियां वर्ष 2010–11 के लिए अक्तूबर 2010 में तथा वर्ष 2011–12 के लिए अगस्त 2011 में जारी की गई थीं। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास (31 मार्च 2012) ₹ 2,359.07 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी किए जा सकते हैं।

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[16]– 13,566.39 है०[17] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –14,208.60
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,512.17 है०। है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार –10,168.63 है०
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –4,054.22 है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4,039.97 है०
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 315.87 है० गैर वन भूमि पर –उ.न.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया जाना	निम्नीकृत वन भूमि पर –1,481.84 है० गैर वन भूमि पर – उ.न.
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि प्राप्त	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,360.39 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 230.80है०

[16]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[17]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 13,566.39 है०. थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 70 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 14,208.60 है० तथा 72 प्रतिशत थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 2,360.39 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित केवल 230.80 है० गैर वन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 1,481.84 है० था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**सैद्धांतिक अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन की गलत सूचना**	कोतागुडम वन मण्डल में 2006 में सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी (प्रा.) लि. के पक्ष में 231.94 है. वन भूमि के विपथन के लिए चरण । शर्तों के अनुपालन में कडपा वन मण्डल में 210.44 है. गैर वन भूमि के अधिकार में लेना गलत सूचित किया गया था और इसके आधार पर चरण ।। निर्बाधन दिया गया था। बाद में जनवरी 2009 में 210.44 है० की सीमाओं का सीमांकन नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी को शीघ्रता से वैकल्पिक सी ए भूमि प्रदान करने के लिए सूचना दी गई थी।
2	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सीए भूमि को अभयारण्य के रूप में घोषित न किया जाना**	मार्च 1993 में कुरनूल वन मण्डल में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने श्रीसेलम राइट ब्रांच कैनाल के लिए 177.47 है० वन भूमि के विपथन का अनुमोदन इस शर्त पर दिया था कि सीए के लिए अभिज्ञात गैर वन भूमि का स्वरूप ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (जीआईबी) के आवास के रूप में अनुरक्षित किया जाना चाहिए और अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए। प्रयोक्ता वन भूमि ने राज्य वन विभाग को 1990 में कूरनूल के मिदढूर मंडल में रोलापादु तथा सन कुशुला गावों में सीए के निष्पादन के लिए 246.77 है० गैर वन भूमि सौंपी परन्तु यह दिसम्बर 2012 तक जीआईबी के आवास के रूप में अनुरक्षित किए जाने के लिए अभयारण्य के रूप में घोषित नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि संबंधित वन मंडल को एक माह के अन्दर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत क्षेत्र को संचुरी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।
3	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार नहर**	अनन्तपुर वन मंडल में नवम्बर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चित्रावती संतुलन जलाशय नहर के लिए 118.71 है०[18] वन भूमि के विपथन का अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया था कि नहर किनारे रोपण परियोजना की लागत पर किया जाएगा। तथापि वन विभाग द्वारा न तो नहर किनारे रोपण करने की कार्ययोजना बनाई गई थी और न ही प्रयोक्ता एजेंसी

[18]अनन्तपुर मण्डल के दादीधोता आरएफ में 110.78 है० तथा प्रोददातूर मण्डल के दौरागल्लू में 7.93 है०

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
	किनारे रोपण न किया जाना	सिंचाई विभाग से निधियां प्राप्त की गई थी परिणामस्वरूप यह कार्य किया (दिसम्बर 2012)। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013)किसंबंधित मण्डलों में नहर किनारे रोपण किये जा रहे थे।
4	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार हरित पटटी स्थापित न करना**	अनन्तपुर वन मण्डल में मई 2002 में मुचुकोता आरएफ में 4.05 है. वन भूमि के विपथन की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि हरित पटटी/संवर्धन रोपण का विकास करने के द्वारा खानों के समूह के आसपास के क्षेत्रों को समृद्ध बनाने को योजना और एसएमसी[19] कार्य सभी पटटा धारकों की लागत पर कार्यान्वित किए जाएगे। तथापि इस प्रयोजन हेतु किए जा रहे ₹ 0.04 करोड़ के प्रावधान के बावजूद ऐसा कोई कार्यकलाप आरम्भ नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि हरित पट्टी रोपण वर्ष 2013–14
5	**विवादित भूमि का हस्तान्तरण**	जून 1999 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मै. आरियन्ट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में चूना पत्थर के खनन के लिए 100 है० वन भूमि के विपथन का अनुमोदन दिया जो बाद में मै. एपी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पक्ष में संशोधित किया गया था। सीए के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गई 100 है० गैर वन भूमि मे. से 40 है० गैर वन भूमि की विवादित और ग्रामीणों के खेती के अन्तर्गत भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा पहचान की गई थी। इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए एमओईएफ ने जून 2009 में लीज का नवीनीकरण आगे 20 वर्षो के लिए कर दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस तथ्य की अनदे में बताया कि 40 है० की वैलल्पिक सी ए भूमि आबंटन के लिए जिला कलेक्टर, आदिलाबाद के साथ मामले को आगे बढ़ाना था।
6	**वन विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि**	2006–08 की अवधि के दौरान मै. सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी (प्रा.) लिमि. के पक्ष में 567 है. वन भूमि के विपथन के बदले सीए करने के लिए श्रीकाकुलम मंडल में स्वीकृत 339.34 है. वन भूमि तदनन्तर 1976 से वृद्धि स्टाक के साथ गैर अधिसूचित वन ब्लाक के रूप में वन विभाग के अधिकार में पहले ही होनी पाई गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 339.34 है० की सीए भूमि की पूर्ण अधिसूचना तथा सीए करने के लिए मामलों को जोरदार रूप से आगे बढ़ाना होगा।
7	**वनरोपण के लिए पहले ही वनरोपित भूमि की स्वीकृति**	कडप्पा वन मंडल में डा. वाईएसआर स्मृति वनम के विकास के लिए अगस्त 2010 में 6.70 है. वनभूमि के विपथन के बदले हस्तान्तरित 25.08 एकड़ अभिप्रायिक वन भूमि ₹ 0.17 करोड़ की लागत पर राज्य वन विभाग द्वारा 2007–08 के दौरान किए गए रेड सैन्डर्स फ्लांटेशन से पहले ही रोपित हुई पाई गई थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लेखे निर्धारित फॉरमेट में तैयार किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के लेखे दिसम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण

[19]मिट्टी तथा नमी संरक्षण

हो चुकी है और लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम किए जाने की प्रक्रिया में हैं (अप्रैल 2013)। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखाओं का फारमेट वैसा ग्रहण किया गया था जैसा राज्य वन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये थे तथा इन लेखाओं की चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा लेखापरीक्षा भी की गई थी। तथ्य यह शेष रहता है कि लेखाओं को महालेखाकार द्वारा निर्धारित किये गये फॉरमेट में तैयार नहीं किया गया था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। आंध्रप्रदेश कैम्पा की संचालन समिति व कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान निर्धारित छः की बजाय तीन बैठक हुई।

अरूणाचल प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[20]

अरूणाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 83,74,300 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 67,41,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 80.50 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 20,86,800 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 31,51,900 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 15,02,300 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 7,400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में कमी दर्शाई।

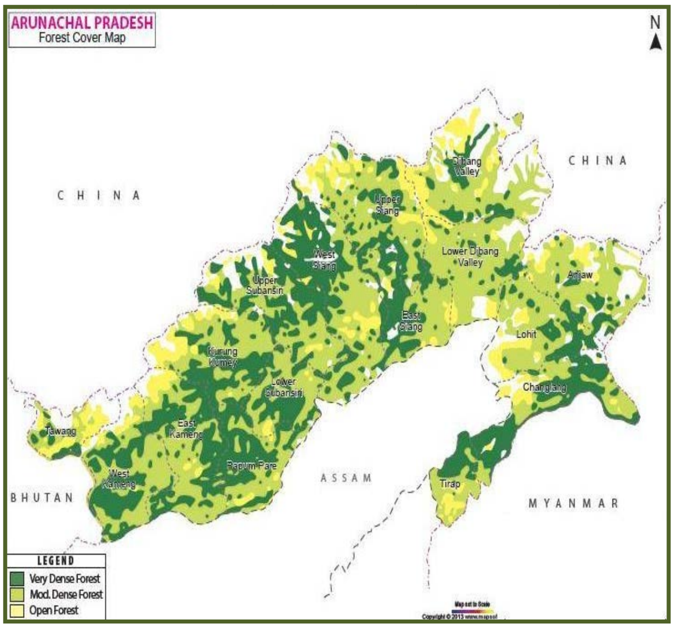

वन क्षेत्र – वन का प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

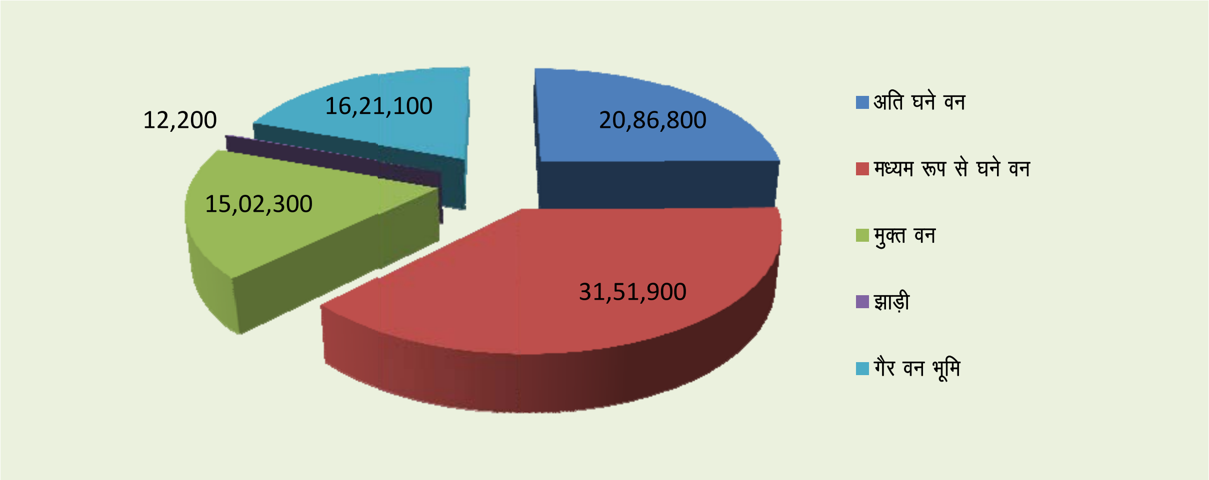

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा की राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[20] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[21]
2006-07	111.28	शून्य	शून्य	
2007-08	24.80	शून्य	शून्य	
2008-09	20.27	शून्य	शून्य	
2009-10	53.00	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	184.19	34.16	6.53	27.63
2011-12	45.28	41.19	उ.न.[22]	68.82
कुल	438.82	75.35	6.53	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2010–12 के बीच जारी किया गया था। 2010–11 में जारी ₹ 34.16 करोड़ में से 81 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 5.06 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

अरुणाचल प्रदेश में के एन पी वी/सी ए/पी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	264.63 है. की वन भूमि सम्मिलित 5[23] मामलों में जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[24] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	15.34[25]
2	₹ 32.59[26] करोड़ का एन पी वी/सी ए प्रयोक्ता एजेंसियों[27] से वसूल नहीं किया गया था, जिनको वर्ष 2010–12 के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन भूमि का विपथन किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों ने मंत्रालय के पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2001 तथा एफ सी एक्ट 1980 के अनुसार स्तर–1 अनुमोदन की अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन के लिए पांच वर्षों की अवधि में उनकी संविधानुसार निधि का निरपवाद हस्तांतरण किया। मंत्रालय का उत्तर तथ्य आधारित नहीं था क्योंकि वन भूमि के विपथन के लिए मंत्रालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन में ऐसी कोई शर्त अनुबद्धित नहीं थी।	32.59

[21] 2009 के बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[22] राज्य कैम्पा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं हुई
[23] 16 मार्च 2012 की एमओईएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
[24] बी.आर.टी.एफ
[25] लेखापरीक्षा ने इन मामलों में एनपीवी ₹5.80 लाख प्रति है० की न्यूनतम दन के आधार पर निकाला (264.43x5.8)
[26] ₹ 24.25 करोड़ एनपीवी एवं ₹ 8.34 करोड़ सीए
[27] बी आर टी एफ, पी डब्ल्यु डी, मै० आदिशंकर पॉवर प्रा० लि०, मै० केएसके द्रुविन पॉवर प्रा० लि० आदि

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	₹ 0.20 करोड़ का पी सी ए प्रयोक्ता एजेंसी (पी डब्ल्यू डी राज्य) से वसूल नहीं किया गया था जिसको एटालिन से मलिनी तक तथा अनीनी से मीपी तक सड़कों के निर्माण के लिए 2001 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भूमि का विपथन किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से बकाया देय राशि वशूल किये जाने के प्रयत्न किये गये थे।	0.20
कुल		**48.13**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[28]					16.99	4.56		उ.न.	उ.न.
प्रतिपूरक वनरोपण					4.40	1.72		उ.न.	उ.न.
संरक्षित क्षेत्र[29]					0	-		उ.न.	उ.न.
सीएटी योजना					0.56	0.22		उ.न.	उ.न.
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					1.01	0.03		उ.न.	उ.न.
कुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	**34.16**	**22.96**	**6.53**	**41.19**	उ.न.	उ.न.

वर्ष 2009–10 का एपीओ तैयार तथा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों का एपीओ चार माह के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किया गया था परिणामतः राज्य कैम्पा वर्ष 2010–11 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों का केवल 19 प्रतिशत उपयोग कर सका। इसके अलावा 2011–12 वर्षों के लिए राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों के निर्गम में विलम्ब हुआ था। तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2011–12 में नवम्बर माह में निधियां जारी की गई थीं। राज्य कैम्पा ने अपने चार मण्डलों[30] को निधियां मार्च माह में जारी की। मार्च माह में निधियां जारी करने की प्रतिशतता 36 से 100 के बीच थी।

राज्य के खर्च करने का निम्न स्तर इसके ₹ 799.01 करोड़ (ब्याज सहित) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास संचित हैं, को ध्यान में रखकर इस की अवशेषी क्षमता पर चिन्ता व्यक्त करती है और केवल निर्दिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

---
[28] एनपीवी वन रक्षा संरक्षण एवं विनयमन पर खर्च होता है

[29] संरक्षित क्षेत्र कोष वन विनयमन पर खर्च होता है

[30] लिखावाली, बन्डेरडेवा, हपोली, अंजा

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ए पी ओ की विलम्ब से तैयारी अपरिहार्य थी क्योंकि इसमें विभिन्न स्तरीय कार्यालयों, जैसे क्षेत्र, कैम्पा सैल, कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति शामिल थे। हालांकि भविष्य में पहले से ही ए पी ओ तैयार करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय का राज्य कैम्पा दिशा निर्देशो तथा एनसीएसी द्वारा प्राधिकृत न होना**	कैम्पा की निधियां राज्य वन मुख्यालय तथा इकापर्यटन के इन्फ्रास्टक्चर पर खर्च नहीं करनी चाहिए। राज्य कैम्पा के रिकार्ड की जांच से विदित हुआ कि (₹ 0.79 करोड) गाड़ियों की खरीद (₹ 2.19 करोड़) भवन, कार्यालय चित्रों, तथा आवासीय मोबाइल व फर्नीचर पर (₹ 0.12 करोड़) का खर्चा किया गया। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि कुछ मदों पर खर्चे पर सकावट पर राज्यों द्वारा आपति जताई गई और इन आपतियों के निपटान हेतु एन सी ए सी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। एन सी ए सी का निर्णय प्रतीक्षित था। इस विषय में कोई निर्णय होने के बाद तद्नुसार कार्य किया जाऐगा।	3.16
2	**समेकित कृषि–उद्यान – वन वर्धन योजना पर अनियमित व्यय**	2010–11 के एपीओं में स्वीकृत कृषि उद्यान वन वर्धन कृषि के माध्यम से भूमि क्षेत्रों का सुधार कार्यान्वित करने का राज्य कैम्पा का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत (सितम्बर 2011) किया गया था क्योंकि ऐसे कार्यकलाप की सीएएफ से अनुमति नहीं थी। राज्य कैम्पा ने योजना पर व्यय को उचित बताते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक पत्र लिखा (जनवरी 2012) और सीएएफ से सांगली वन मण्डल में इसे कार्यान्वित किया। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि कुछ मदों पर खर्चे पर सकावट पर राज्यों द्वारा आपति जताई गई और इन आपतियों के निपटान हेतु एन सी ए सी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। एन सी ए सी का निर्णय प्रतीक्षित था। इस विषय में कोई निर्णय होने के बाद तद्नुसार कार्य किया जाऐगा। यह भी कहा गया कि शासी निकाय ने लोंगों के द्वारा वन नष्ट करने को वचाये जोने तथा वन सुरक्षित रखने के लिए एक निर्णय लिया कि इस योजना को विशेष कार्यक्षेत्र योजना के रूप में चालू रखा जाए। यह उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि कथित योजना पर्यावरण मंत्रालय/एनसीएसी की मान्यता के विना लागू की गई है।	0.06
3	**ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम(जीपीएस) की खरीद पर अधिक व्यय**	बंदरदेवा वन मंडल ने मार्च 2011 में ₹ 0.45 लाख की दर पर 20 गलोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की खरीद पर ₹ 0.05 लाख का अधिक व्यय किया जबकि उसी मंडल ने मार्च 2012 में ₹ 0.21 लाख की दर पर 40 जीपीएस की खरीद की। मंत्रालय ने बताया संबधित मण्डलों को वस्तु स्थिति प्रदान करने व विषयों पर किये गये कार्यों का स्पष्टीकरण देने के लिये अनुरोध किया गया था।	0.05
4	**क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के बजाय निधियों**	अन्जा वन विभाग ने ₹ 2.85 लाख (7.03–4.45 लाख) एस पी टी टाइप–II	

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	का दूसरे कार्यों के लिए विपथन	विल्डिग के बनाने पर अतिरिक्त खर्च किया जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण व मानव संसाधन विकास के लिए क्रमशः ₹ 2.82 लाख व ₹ 2.50 लाख रूपये में से कोई खर्च नहीं किया जबकि यह राशि इन मदों पर खर्च में प्रयुक्त होनी थी। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि वन मण्डलाधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के आदेश दे दिए गए है।	
	कुल		**3.27**

4.3 लेखापरीक्षा की सूचना/अभिलेख न भेजना राज्य कैम्पा ने निम्नलिखित सूचना/अभिलेख नहीं भेजे यद्यपि लेखापरीक्षा में मांग की गई

- प्रयोक्ता एजेंसियों से राशियों के संग्रहण तथा तदर्थ कैम्पा को इनके प्रेषण के अभिलेख
- वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर आने वाली विपथित वन भूमि के अभिलेख विपथन के मामले में क्या अलग समूह निधि सृजित की गई है।
- मामलों के अभिलेख जिनमें वन भूमि के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि प्रदान की गई/प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा यदि प्रदान की गई क्या यह आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई।
- दोगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर खर्च की गई सीए की राशि और वनरोपण के लिए पहचाने गए गैर वन /निम्नीकृत वन क्षेत्र के ब्यौरे
- मामले जिनमें गैर वन भूमि की अनुपलब्धता मुख्य सचिव द्वारा प्रमाणित की गई थी और निम्नीकृत वन के दोगुने क्षेत्र पर वनरोपण किया गया था।
- मामले जिनमें जनवरी 2006 से अप्रैल 2008 तक की अवधि के लिए स्कूल, अस्पताल पीडब्ल्यूडी सड़क आदि जैसी प्रयोक्ता एजेंसियों की कुछ श्रेणियों को छूट अनुमत की गई थीं।
- मामले जिनमें वन भूमि का विपथन खनन प्रयोजन हेतु किया गया था।
- मामले जिनमें वन निवासियों के अधिकारों का विभाग द्वारा की गई कार्रवाई/उठाए गए कदम द्वारा उल्लंघन हुआ।
- विपथन तथा वनरोपण की प्रक्रिया में क्रमशः गिर गए/रोपे गए पेड़ो की संख्या तथा प्रकार से संबंधित अभिलेख और वनरोपण की उत्तरजीविता रिपोर्ट।
- मामले जिनमें वन भूमि की कानुनी स्थिति बदली गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) राशि को संग्रहण करने के अभिलेख लेखा परीक्षा को दिये गये थे तथा दूसरी अन्य सूचनाएं तालिकाओं में दी थीं। तथ्य यह रहा कि मंत्रालय व सम्बद्ध विभागों ने मूल दस्तावेज जांच के लिए नहीं दिये।

कुछ चयनित क्षेत्रों में वनरोपण की तस्वीरें

बन्दरदेवा वन मण्डला अधिकारी के अधीन किमन में वन का गस्थ कार्यालय

वन मण्डलअधिकारी लिखावली के गॉव गोजर में वनरोपण

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[31] – 684.14 है.[32] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2547.16 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 89.49 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 205.86 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 594.65 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,341.30 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – उ. न. गैर वन भूमि पर – उ.न.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – उ.न. गैर वन भूमि पर – उ. नि.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसा – उ.न.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसा – उ.न.

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि लेखों में अपरीसीक्षित भिन्नताएं पायी गई जा कि राज्य कैम्पा के नोडल अफसर व सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रलेखों के अनुसार गैर वानिक प्रयोग के लिए 684.14 है० वनपूर्ति प्रदत की गई और उसके बदले केवल 13 प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई जवकि नोडल अधिकारी के रिकार्ड के अनुसार ये आंकडे 2,547.16 है० व 8 प्रतिशत थे। क्षेत्रीय कार्यालय व नोडल कार्यालय के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के लिए हस्तांतरित व

[31] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[32] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

परिवार्तित वन के रूप अधिसूवित की गई तथा गैर वन भूमि व निम्नीकृत वन भूमि पर कोई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	वर्ष 2010–11 तक विपथित 19,198 हैक्टेयर वन भूमि के प्रति केवल 6,748 है भूमि पर सीए किया गया था जो कुल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत था। इसके अलावा 2010–11 से 2014 –15 वर्षों की 10500 हैक्टेयर भूमि पर योजना के प्रति सीए केवल 2,047 हैक्टेयर भूमि अर्थात 19.50 प्रतिशत पर किया गया था। अप्रैल 2013 में मंत्रालय ने बताया कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में कमी का कारण (i) अपर्याप्त निधि (ii) देखी गई भूमि की अधिसूचित ना होने तव (iii) कार्यक्षेत्र में सीमित मानव संसाधन होना था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैमपा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2010–11 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ वही तथा सहायक खाता वही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता वही के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। कैम्पा शेषों तथा बैंक विवरणियों के साथ कोई मिलान नहीं किया गया था, 2010–12 की अवधि के अन्तर ₹ 0.01 करोड़ से ₹ 0.55 करोड़ के बीच थे।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होगी। परन्तु कोई लेखपरीक्षा नही कराई गई। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 ने) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया

6.1 राज्य के नियमित बजट में प्रतिपूरक वनरोपण पर कम व्यय

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के विस्तृत विनियोग लेखाओ से यह देखा गया था कि विभाग को नियमित बजट से प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति व्यय 2010–11 में ₹ 4.16 करोड़ से घटाकर 2011–12 में ₹ 1.25 करोड़ हो गया। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने सीए पर व्यय का अपना हिस्सा कम कर दिया है।

7. निगरानी

कैम्पा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान संचालन समिति की बैठकों में कमी हुई थी। संचालन समिति की वर्ष 2009–10 में कोई बैठक नहीं हुई और वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में दो के स्थान पर केवल एक बैठक हुई। शासीय निकाय की 2009–12 में सिर्फ एक बैठक हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में कहा कि भविष्य में उचित संख्या मे बैठकें कराई जाने के प्रयास किए जा रहे थे।

असम

1. पृष्ठभूमि[33]

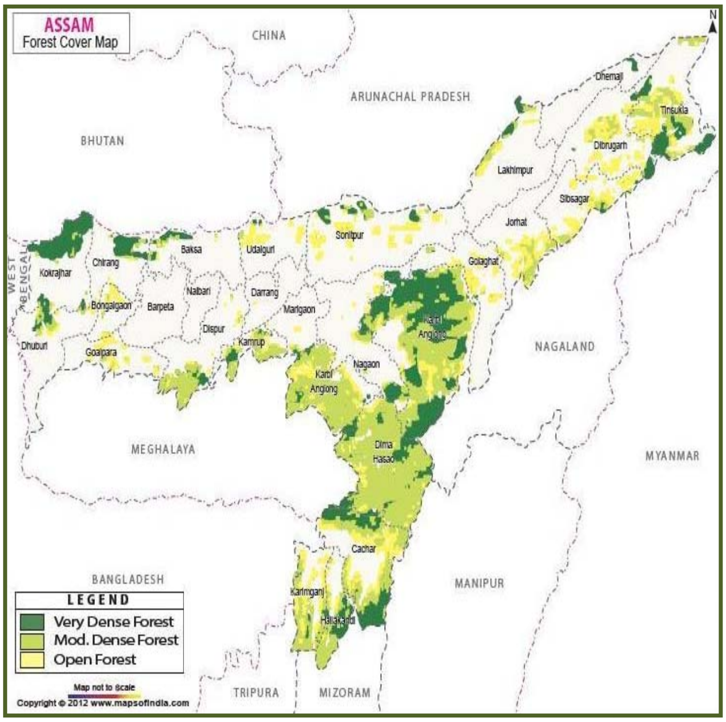

असम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 78,43,800 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 27,67,300 हैक्टैयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 35.28 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य के अति घने वन के अन्तर्गत 1,44,400 हैक्टेयर, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 11,40,400 है० क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 14,82,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में1900 हैक्टेयर की अल्प हानि दर्शाई।

राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

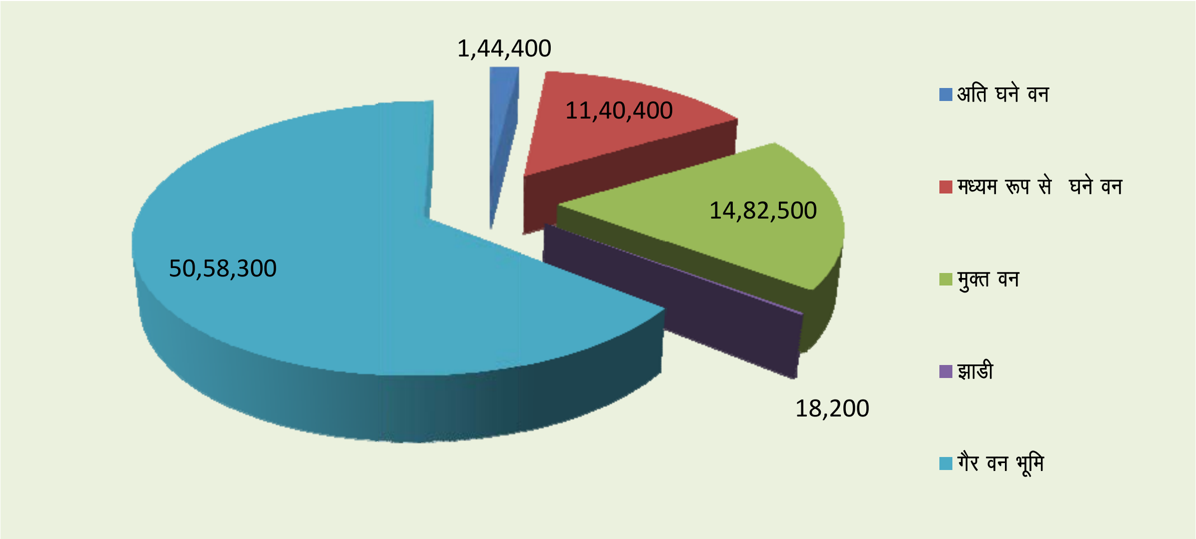

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2007 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[33] स्त्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[34] के पास निधियों का संचय
2006-07	4.86	0	0	0
2007-08	5.39	0	0	0
2008-09	102.23	0	0	0
2009-10	13.91	12.38	0	12.38
2010-11	18.77	10.45	0.12	22.71
2011-12	12.66	0	11.42	11.29
कुल	**157.82**	**22.83**	**11.54**	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 22.83 करोड़ में से 49 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 26.64 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

असम में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायलय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दरों को संशोधित किया था। तथापि शिवसागर मंडल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 4.09 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए संशोधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसी (ओ एन जी सी) से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन पी वी में कोई कम वसूली नहीं किया गया था क्योंकि इस विषय में 10 प्रतिशत छूट स्वीकृत नहीं थी। मंत्रालय का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि 10 प्रतिशत छूट अमान्य मदों पर स्वीकृत थी परिणामत: एन पी वी में कम वसूली की गयी।	0.04
2	कपिली जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 1976–1977 में 3685.60 है0 वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी (मै0 निपको लिमि0) ने अप्राधिकृत रूप से अधिकार में ले लिया था, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियंत्रण में था, इस मामले में निम्नलिखित अनियमितताएं नोट की गई थी। • माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹ 5.80 लाख प्रति है0 एनपीवी की निम्नतम दर के बजाय प्रयोक्ता एजेंसी से 6625.55 प्रति है0 की दर पर ₹ 2.44 करोड़ के एनपीवी एकत्र किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 211.32 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई तथा ₹ 59.17 करोड़ की हानि हुई।	211.32

[34] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि
	• सीए की पूर्ति करने के लिए विपथित वन के दोगुने क्षेत्र का विचार न करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी (मै0 निपको लिमि0) से ₹ 7.15 करोड़ के सीए की भी कम वसूली हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सी ए की लागत तथा उपस्करि खर्च का उस समय पर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आकलन किया गया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एफ सी अधिनियम 1980 में अपेक्षित के अनुसार विपथित वन के दोगुने क्षेत्र का विचार न करने के कारण सी ए तथा उपस्करि खर्च की लागत कम वसूली गई थी।	7.15
3	प्रयोक्ता एजेंसी (पीडब्ल्यू डी, एनइ सी मण्डल) जिन्हे 2008 में जमुआंग–हरीपगान–दुलावचेरा सड़क के निर्माण के लिए 35.79 है0 वन भूमि विपथित की गई थी, से ₹ 2.96 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामतः ₹ 0.53 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन में एन पी वी/सी ए की राशि प्रयोक्ता एजेंसी ने जमा नहीं करवाई थी तथा प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने इस मामलें में दिये गएसैद्धान्तिक अनुमोदन को वापिस लेने या रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी।	2.96
4	लोअर सुबर्नसीरीधाम परियोजना के लिए 245 है0 वन भूमि के विपथन के बदले जुलाई 2004 में प्रयोक्ता एजेंसी (एनएचपीसी लिमि0 धेमाजी) से ₹ 1.45 करोड़ के सीए तथा अन्य प्रभारों का एक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ था परन्तु ड्राफ्ट समय पर तदर्थ कैम्पा के खाते में जमा नहीं किया गया था जिसके कारण इसकी समयावधि समाप्त हो गयी और यह प्रयोक्ता एजेंसी के पास लौट गयी। यह देखा गया था कि ₹ 1.45 करोड़ का पुनः वैधित ड्राफ्ट दिसम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ के सीए तथा अन्य प्रभारों की वसूली नहीं हुई और उसपर ₹ 0.51करोड़ के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि ₹ 1.45 करोड़ का सीए तथा अन्य प्रभार ब्याज सहित प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त किया जा चुका था और तदर्थ कैम्पा के खाते में जमा किया गया। जबकि संबंधित जमें का विवरण जवाब के साथ संग्लन नहीं किया गया।	1.45
5	धेमाजी वन मण्डल में ₹ 0.36 करोड़ का एनपीवी प्रयोक्ता एजेंसी से कम वसूला गया जिसे 2004 में दो परियोजनाओं के लिए 816.3 है0 वन भूमि विपथित की गई थी, परिणामस्वरूप आठ वर्षों के लिए ₹ 0.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 0.36 करोड़ की बकाया राशि तथा ₹ 0. 12 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इन मामलों में एन पी वी की वसूली की गई थी तथा कैम्पा खाते/राज्य सरकार खाते में जमा की गई थी। तथापि, जमा के तथाकथित प्रासंगिक ब्यौरे जवाब के साथ संलग्न होने थे, नही दिए थे।	0.36
	कुल	**223.28**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[35]		3.75			12.77	0		13.47	0.46
प्रतिपूरक वनरोपण		2.01			0	0.12		66.62	1.06
संरक्षित वन[36]		1.97			3.94	0		5.56	0
सीएटी योजना		0			0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		1.16			10.97	0		5.59	9.90
कुल	12.38	8.89	शून्य	10.45	27.68	0.12	शून्य	91.24	11.42

वर्ष 2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना जारी की गई थीं। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रशितता 2009–10 में शून्य प्रतिशत और 2010–11 में एक प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा 2011–12 में कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2009–10 तथा 2010–11 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। व्यय के स्तर जारी राशियों के 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में एक प्रतिशत से नीचे तथा 2011–12 में 13 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामीरूप से वृद्धि हुई है परन्तु राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 353.81 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है को ध्यान में रखकर चिन्ताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	निधियों का अनियमित निर्गम	नर्सरी के लिए 4.5 है0 उपयुक्त भूमि की उपलब्धता अभिनिश्चित किए बिना राज्य कैम्पा द्वारा जुलाई 2010 में ₹ 0.33 करोड़ की राशि जारी की गई थी और जोरहाट एवं करीमगंज वन मण्डल में सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त रही। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जोरहाट मंडल में, नर्सरियों की स्थापना का काम किया गया था करीमगंज मंडल में, कार्य जल्दी ही होगा। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योकि वर्ष 2010–11 में कार्य किया जाना था जो कि अभी भी पूर्ण होना था।	0.33

[35] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[36] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	अलग संग्रह सृजित न करना	राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में एकमात्ररूप से वन की सुरक्षा तथा संरक्षण करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किए धन से कोई अलग संग्रह सृजित नहीं किया गया था जैसा उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा राज्य कैम्पा मार्गनिदेशों में अपेक्षित था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल राशि को मुख्य वन्यजीवन वॉर्डन के पास रखा गया था तथा एक अलग संग्रह सृजित होना था जितना जल्द से जल्द वन्य जीवन क्षेत्र के लिए पैसा खर्च होगा। मंत्रालय का जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायलय के आदेशों तथा राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित, संरक्षित क्षेत्र के लिए प्राप्त निधियों के लिए एक अलग संग्रह सृजित नहीं किया गया था।	
	कुल		**0.33**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[37]–43.88 है0[38] एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 2,523.35 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–28.50 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–15.38है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,523.35है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–1,989.06है0 गैर वन भूमि पर–152.00 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–1,989.06है0 गैर वन भूमि पर– 152.00
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। विभिन्नताओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रधिकरणों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के चरण पर तथा

[37]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[38]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

मंत्रालय/राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए उत्तरों में समाधान नहीं किया गया था। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 43.88 है० थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 65 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,523.35 है० तथा शून्य प्रतिशत थीं। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार, वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार 152 हैक्टेयर गैर भूमि पर तथा 1989.06 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	1,389.06 है0 निम्नीकृत वन भूमि के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2010–11 के लिए केवल 165.79 है0 पर सीए के लिए निधियां जारी की गई थीं। सीए कार्य के निष्पादन के लिए निधियां कम जारी करने के कारण अभिलिखित नहीं थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि शेष बचा हुआ वनरोपण वर्ष 2011–12 के दौरान किया गया था तथा प्रगति पर था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखे स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखाओं के समान फारमेट में तैयार किए जाने थे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इसकी आय तथा व्यय की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखा केवल वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित फारमेट में बनाया गया था। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए खर्च की रोकड बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) राज्य कैम्पा द्वारा अपनाई गई लेखा प्रक्रिया तब से तैयार की गई थी तथा सभी सम्बद्ध निकायों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दी गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। असम कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान केवल एक बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठक हुईं। शासीनिकाय की अगस्त 2009 में इसकी स्थापना से कोई बैठक नहीं हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि शासी निकाय की बैठकों को अल्प रूप से संगठित किया जाना था।

बिहार

1. पृष्ठिभूमि[39]

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,16,300 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 – जनवरी 2009 के सेटेलाइट आंकडों केभाषान्तरण के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 6,84,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अर्न्तगत 23100 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अर्न्तगत 3,28,000 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अधीन 3,33,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में निर्धारण 2011 में 4,100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शायी गई।

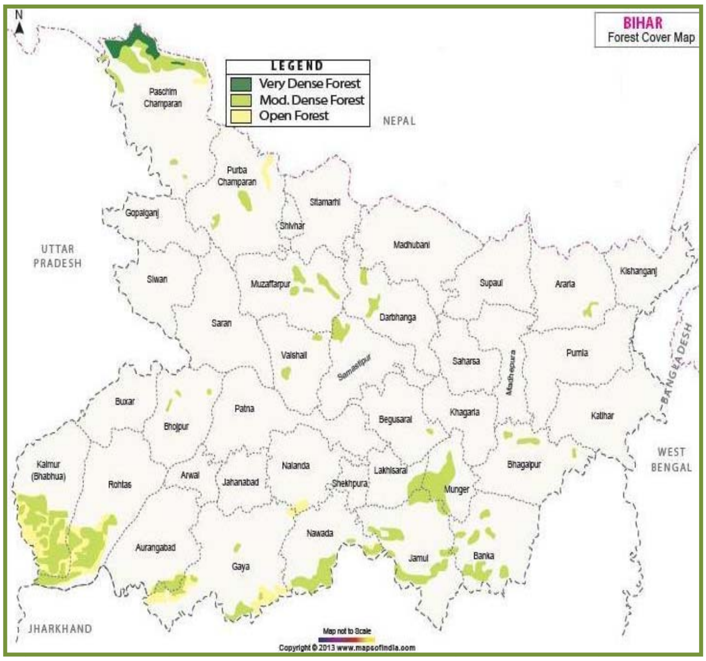

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)-2011

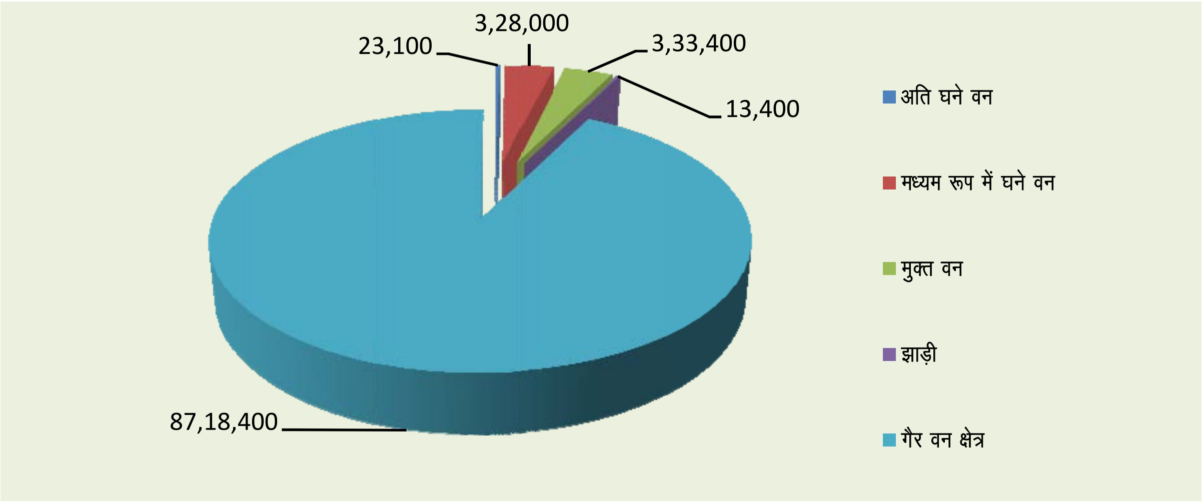

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[39]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[40] के पास निधियों का संचय
2006–07	42.23	शून्य	शून्य	
2007–08	0.56	शून्य	शून्य	
2008–09	45.82	शून्य	शून्य	
2009–10	22.20	7.73	शून्य	7.73
2010–11	22.80	8.67	5.60	10.80
2011–12	38.73	8.04	लागू नही[41]	18.84
कुल	172.34	24.44	5.60	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी की गई था। 2009 और 2011के दौरान जारी ₹ 16.40 करोड़ में से 66 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 1.44 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा परीक्षण को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2013)।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

बिहार में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष 2007–10 के दौरान ₹ 75.83 करोड़ की उठी मांग के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों[42] से दिसम्बर 2012 तक ₹ 68.57 करोड़ चुकाये परिणाम स्वरूप रूपये 7.26 करोड़ की कम वसूली हुई मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन पी वी/सी ए की बकाया राशि जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों को निर्देश दिये जा रहे थे।	7.26
2	नवाडा वन जिलों में, यद्यपि जून 2011 में कोडम–तिलाइया रेलवे के निर्माण कार्य हेतु 330.70 हेक्टेयर वन भूमि के विपणन की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी गई थी, ₹ 4.10 करोड़ के सी ए के लिए मांग अक्टूबर 2012 में रेलवे प्रधिकरण को भेजी गई अर्थात 16 महीनों के विलम्ब के बाद और यह जनवरी 2013 तक गैर चुकता रहा। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि कई अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी ए की राशि जमा नहीं की गई थी।	4.10
	कुल	**11.36**

[40] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[41] राज्य कैम्पा द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

[42] नेशनल हावेज्स ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, उत्तर रेलवे, आईआरसीओएन, सीपीडब्ल्यूडी, पॉवर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा राज्य एंजेसियां

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[43]					4.05	3.26		5.33	उ. न.
प्रतिपूरक वनरोपण					1.09	0.95		3.25	उ. न.
संरक्षित वन[44]					1.00	0.56		शून्य	उ. न.
सीएटी योजना					शून्य	शून्य		शून्य	उ. न.
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					1.03	0.83		0.81	उ. न.
कुल	7.73	शून्य	शून्य	8.67	7.17	5.60	8.04	9.39	उ. न.

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कार्यान्वयन एजेंसियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी/निर्गत राशि का प्रर्याप्त भाग व्यय नहीं कर सकी। 2009–10 में व्यय का स्तर शून्य था, और 2010–11 मे जारी–निर्गत राशि का 64 प्रतिशत था। खर्च का निम्न स्तर देरी से जारी की गई निधियों के कारण था। 2009–10 के लिए निधियां नवम्बर 2009 में जारी की गई और 2010–11 के लिए मार्च 2011 में। वास्तव में, 2009–10 और 2010–11 के लिए एपीओ की प्राति के बिना जारी की गई। इसके अलावा, वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के लिए एपीओ की तैयारी में क्रमशः 12 और 15 महीनों का क्रमशः विलम्ब था। इस प्रकार स्टेट कैम्पा द्वारा वर्ष के दौरान की जाने वाली मुख्य गतिविधियों की योजना तथा पहचान अपर्याप्त थी जो कि राज्य कैम्पा को निर्गत राशि के उपयोगिता अधीन होने का परिणाम हुआ, जिसमें वर्ष 2011–12 में वन भुमि की उपलब्धता की पुष्टि किये बिना नारायनूर तथा कारमदीह में वन भुमि पर संयुक्त प्राकृतिक पुनरवधान तथा कारमदीह में वन भुमि पर संयुक्त प्राकृतिक पुनरुत्थान के अन्तर्गत वनरोपण के लिए ₹ 0.09 करोड़ का प्रावधान बना तथा परिणामतः गैर उपयोगी रहा। जारी निधियों के खर्च की धीमी गति राज्य की अवशोषी क्षमता के चिंता व्यक्त करती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012)तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 167.20 करोड़ (व्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वनिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किये जा सकते है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) में कार्यवाही की भविष्य योजना के अंतिम रूप देने और अभिलेखों के एकत्रीकरण तथा समायोजन के कारण ए पी ओ को तैयार करने में विलम्ब हुआ था।

[43] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

[44] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	**व्यय, राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि 2010–11 और 2011–12 के दौरान वाहनों की खरीद पर (₹ 3.38 करोड़) तथा 2011–12 के दौरान (₹ 1.13 करोड़) आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए (₹ 1.13 करोड़) व्यय किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा निरीक्षण सही नही है क्योंकि वाहनो की खरीद पर खर्च और विभागीय इमारतों के निर्माण को राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों मे अनुमति दी गई थी मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाहनों की खरीइ पर और इमारतों के निर्माण की अनुमति इंस्टेट मामले में रेंज स्तरीय अधिकारियों तक ही दी गई थी, ऐसा व्यय रेंज स्तरीय से ऊपर के अधिकारियों के लिए किया गया था।	4.51
2	**पर्यावरण वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षरोपण स्थल का बदलाव**	पर्यावरण वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना वृक्षरोपण स्थल का बांस तथा वृक्षारोपण को बाहर सिंगी–गुडी रोड़, अरा तथा औरंगाबाद–अम्बा–हरिहरगंज रोड़ में किया गया जो कि राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (अप्रैल 2013)	0.45
3	**अवमानक वृक्षारोपण**	जमुई जिला मे, वृक्षरोपण की उत्तरजीविता दर 50 प्रतिशत थी जो कि पहले वर्ष में 80 प्रतिशत की इच्छित मानदंडों से काफी कम थी। इस प्रकार, अवमानक वृक्षरोपण पर ₹ 0.23 करोड़, मृत/गैर जीवित वृक्षरोपण पर लागत की सीमा का निरर्थक व्यय था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि नक्सल समस्या के कारण सभी ऑपरेशन समय पर नहीं किये जा सके और अत्यधिक झाड़ियों ने नये पौधों को ढक दिया था। जोकि निम्न उत्तरजीविता का कारण बना।	0.23
	कुल		**5.19**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य पत्र

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[45] के अभिलेखों के अनुसार–3,048.33 है0[46] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,286.25 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2,029.80 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–63.51 है0

[45]एमओईएफ का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा एसएफडी का नोडल अधिकारी (एनओ)

[46]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
अल्प प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–1,018.53 है[47] एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 2,222.74 है0
गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र की संलग्नता	नहीं
सीए के लिए निर्धारित क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,017.55 है0 व 5.5 किमी. गैर वन भूमि पर– शून्य है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–3300 है0[48] (2010–12 के दौरान) गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2.51 है0
गैर वन भूमि प्राप्त संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार– शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 3,048.33 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 2,029.80 हैक्टेयर थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,286.25 है० तथा 63.51 है० थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 2.51 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत भूमि पर 3,300 हैक्टेयर वृक्षारोपण किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमति बिना वन भूमि पर कार्य का निष्पादन	रोड निर्माण विभाग के 95 मामलों में ₹ 30.42 करोड़ के एन पी वी/सी ए/पी सी ए को जमा करने के उद्देश्य से गैर वन भूमि के लिए पांच वन जिलों मे 397.94 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रायल ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। यद्यपि प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 6.77 करोड़ किये थे, वन भूमि पर कार्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के विना ही प्रारंभ कर दिया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि बिहार राज्य में, 2006–07 से बड़े पेमाने पर विकास कार्य शुरू किया गया था, जिसमें सड़क निर्माण, सुंदृढ़ीकरण तथा चौड़ा करने को ज्यादा प्राथमिकता दी गई तथा 95 में से 80 उल्लंघन के मामलों में कार्योत्तर स्वीकृति प्रकियारत थी।

[47]इस अवधि दौरान प्राप्त बकाया भूमि
[48]2010–11 से 2011–12 के लिए

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जैसा वह निर्धारित करें। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फार्मेट मेंवित्तीय वर्ष 2010–11 और 2011–12 तक के वर्षों के लेखे तैयार नही किये। उचित लेखाओं के अभाव लेखापरीक्षा नहीं की जा सकीं।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि 2010–11 के वार्षिक लेखे विभागीय प्रपत्र में तैयार किये गऐ थे तथा 2011–12 के वार्षिक लेखे निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जा रहे थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की एक वर्ष में दो बार बैठक होनी चाहिए। बिहार कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 वर्षों के दौरान तीन बैठक हुई। शासी निकाय की 2009–12 के दौरान केवल एक बार बैठक हुई।

चण्डीगढ

1. पृष्ठभूमि[49]

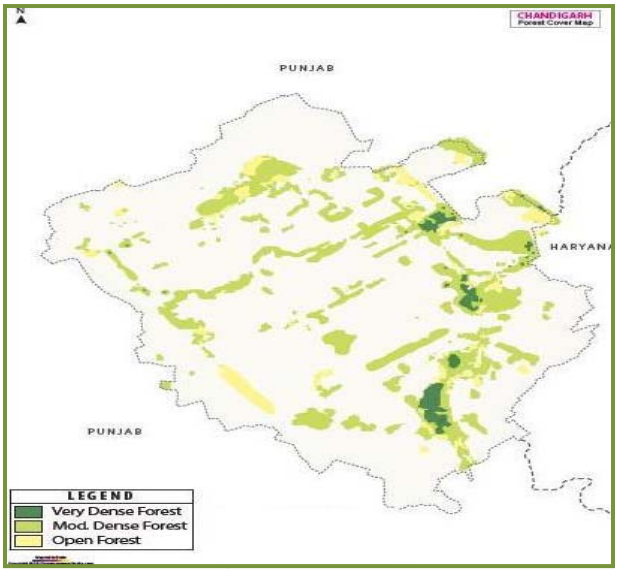

चण्डीगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्र 11,400 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर संघराज्य क्षेत्र (यूटी) में वन क्षेत्र 1678 हैक्टेयर था जो यूटी के भौगोलिक क्षेत्र का 14.72 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार यूटी का अति घने वन के अन्तर्गत 135 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 955 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 588 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर)– 2011

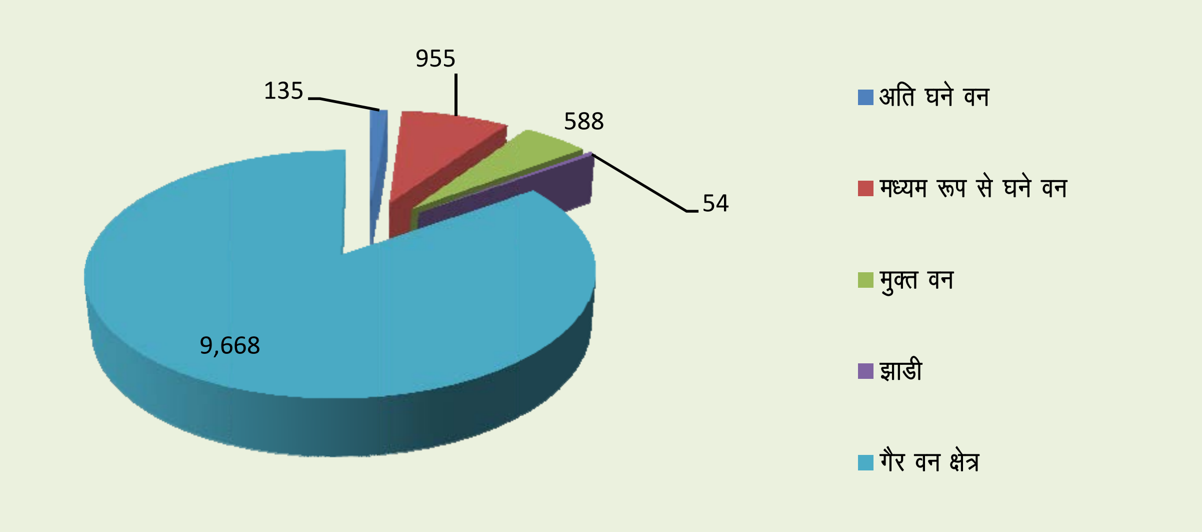

2. यूटी की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत थे :–

[49] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

क. सं.	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से यूटी कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	यूटी कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	यूटी कैम्पा के पास निधियों का संचय[50]
2006-07	1.25	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	0.79	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	शून्य	0.18	शून्य	0.18
2010-11	0.26	0.13	0.27	0.04
2011-12	0.05	शून्य	0.03	0.01
कुल	2.35	0.31	0.30	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को यूटी कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 13 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था।

3. कैम्पा निधियों का उपयोग

3.1 यूटी कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	यूटीकैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[51]		0			0	0			0
प्रतिपूरक वनरोपण		0			0	0			0
संरक्षित क्षेत्र[52]		0			0	0			0
सीएटी योजना		0			0	0			0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0.18			0.13	0.27			0.03
कुल	0.18	0.18	शून्य	0.13	0.13	0.27	शून्य	शून्य	0.03

[50] 2009 से तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पड़ी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[51] एन पी वी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च किया जाता है।

[52] संरक्षित वन निधि, वन्य जीवन प्रबंधन पर खर्च की जाती है।

यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा ने वित्त वर्ष 2010–11 के एपीओ तैयार नहीं किए और वित्त वर्ष 2011–12 के एपीओ मार्च 2012 में वर्ष के अंत में तैयार किया गया था। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यूटी कैम्पा ने वर्ष 2009–10 के दौरान एपीओ के आधार पर तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी ₹ 0.18 करोड़ में से कोई खर्च नहीं किया। तथापि इसने वर्ष 2010–11 के दौरान उपलब्ध ₹ 0.31 करोड़ में से ₹ 0.27 करोड़ खर्च किया। इसके अलावा वर्ष 2011–12 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा यूटी कैम्पा को निधियां नहीं जारी की गई थीं क्योंकि वर्ष 2011–12 का एपीओ तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं था। तथापि यूटीकी प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 6.89 करोड़ (ब्याज सहित) संचित थे और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी किया जा सकता है।

तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2009–10 की एपीओ के प्रति निधि न मिलने के कारण 2010–11 एपीओ प्रस्तुत नहीं की गई और 2011–12 को एपीओ मार्च 2012 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके प्रति निधि अभी भी प्राप्त हुई थी।

3.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
निष्फल व्यय	वन मंडल ने 2010–11 के दौरान चेन लिंक घेराबंदी के लिए स्टोन मैसनरी वाल पर ₹ 27.14 लाख और 2011–12 के दौरान निर्माण सामग्री की खरीद के लिए ₹ 3.47 लाख खर्च किए। यह देखा गया था कि स्टोन मैसनरी वाल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था और चैन लिंक घेराबंदी दिसम्बर 2012 तक अभी संस्थापित की जानी थी। इसके अलावा स्थल पर कोई रोपण कार्य नहीं किया गया था यद्यपि रोपण/अनुरक्षण तथा चेन लिंक घेराबंदी करने की लागत संस्वीकृत एपीओ में शामिल थी। इस प्रकार ₹ 0.31 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि समय में धन की गैर रिहाई के कारण से चेन लिंक धेराबंदी और रोपण पूरा नहीं किया जा सका।	0.31

4. भूमि प्रबन्धन

4.1 तथ्यशीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[53]– 6.20 है.[54] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 8.67 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 6.87 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 8.14 है.

[53]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का, क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल राज्य वन विभाग का अधिकारी (एनओ)

[54]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – (–) 0.67 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 0.53 है.
गैर वन भूमि की उपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन क्षेत्र के बदले सभी वन भूमि विपथित/हस्तान्तरित– उ.न.
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–यूटी चण्डीगढ़ में निम्नीकृत वन भूमि नहीं है गैर वन भूमि पर –6.80 है०
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –शून्य गैर वन भूमि पर – शून्य
आरक्षित / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, यूटी कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 6.20 है० थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 6.87 है० थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 8.67 है० और 8.14 है० थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तांतरित/ प्रतिवर्तित और आर एफ/ पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर वनरोपण नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि विपथित वन भूमि के बदले में प्राप्त गैर वन भूमि का प्रतिवर्तन प्रक्रिया के अन्तर्गत था तथा प्रतिवर्तन के पश्चात, यह भूमि आर एफ घोषित होगी।

4.2 भूमि प्रबंधन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितताओं की प्रकृति स्वरूप	विवरण
वन भूमि के स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव नहीं होना	यूटी चण्डीगढ़ के वन मंडल में स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव नहीं था। इन अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वन भूमि का कौन सा क्षेत्र/प्रकार, गैर वन उपयोग के लिए विपथित/हस्तांतरित किया गया था तथा कौन सी गैर वन भूमि, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए वन भूमि के बदले में प्राप्त हुई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वन भूमि के स्थायी अभिलेख रजिस्टर का रख–रखाव किया जा चुका।

5. यूटी कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्यों/यूटी कैम्पा के लेखाओं के लेखापरीक्षा ऐसे अंतराल पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि, यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इन लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं हो सकती थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अब से 2009–10 से 2011–12 और भविष्य में लेखा निर्धारित फारमेट में बनाया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्यों/यूटी कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि यूटी चण्डीगढ़ कैम्पा में ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

6. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। चण्डीगढ़ की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुईं।

छत्तीसगढ

1. पृष्ठभूमि[55]

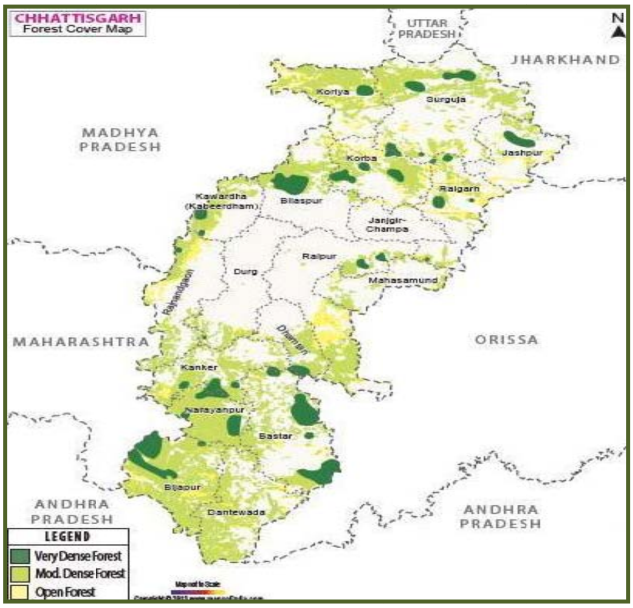

छत्तीसगढ़ का कुल भोगोलिक क्षेत्र 1,35,19,100 हेक्टेयर है। अक्तूबर 2008– जनवरी 2009 के सेटेलाइट डाटा की व्याखा के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 55,67,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 41.18 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 4,16,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 34,91,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 16,60,000 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में कमी दर्शाई।

वन आवरण–वनों के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

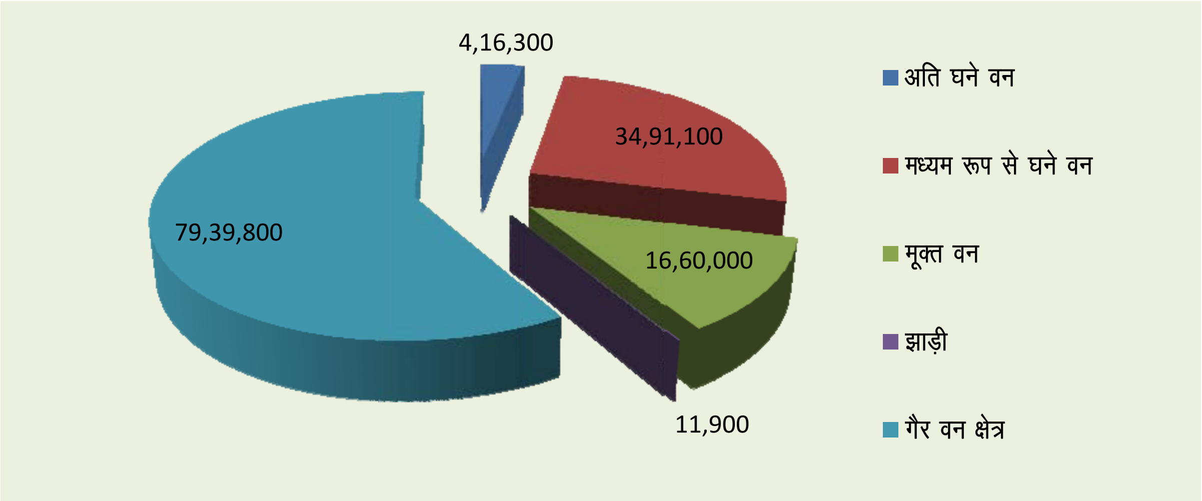

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जुलाई 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

---

[55] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तांतरित राशि	राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा उठाया गया व्यय	राज्य कैम्पा से निधियों का संचय[56]
2006–07	45.82	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	42.87	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	127.03	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	450.59	123.21	3.94	119.27
2010–11	68.66	135.20	20.18	234.29
2011–12	379.84	99.54	93.92	239.91
कुल	1,114.81	357.95	118.04	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में तदर्थ कैम्पा को राज्य द्वारा प्रेषित कुल वनरोपण का 32 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। ए पी ओ के प्रति जारी ₹ 357.95 करोड़ में से 67 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 0.17 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा के अन्तर्गत प्राप्तियां

छत्तीसगढ़ में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	राशि
1.	1,160.42 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 17 मामले[57] थे, जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[58] से एन पी वी एकत्र नहीं किया था जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व तथा अंतिम अनुमोदन उसके बाद दिया गया था।	67.30[59]
2	उच्चतम न्यायालय ने एन पी वी की दरें मार्च 2008 में संशोधित की थी। तथापि सी सी एफ (भूमि प्रबंधन) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 23 मामलों[60] में एन पी वी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (अप्रैल 2013)	34.06
3.	सीए के निर्धारण/आकलन के अन्तर्गत 46 मामलें में प्रतिदानों में मुद्रास्फीती के कारण सीए की दरों में वार्षिक वृद्धि का 10 प्रतिशत समावेशन नहीं किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मार्च 2002 में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली की गई थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2001–02 के लिए निर्धारित सी ए	5.15

[56] 2009 से तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत निधियों में से राज्य कैम्पा से समाप्त वर्ष पर संचयमान राशि जो कि अप्रयुक्त पड़ी रही।
[57] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[58] राज्य सरकार के विभागों भिलई स्टील प्लॉट मै० ओसीएल इंडिया लि०, मै० एसईसीएल (कोल माइनिंग), मै० नागपुर अलोय कास्टिग लि० आदि।
[59] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (1160.423 x 5.8) पर अनुमानित की गई।
[60] मै० सावित्री पॉवर प्रोजेक्ट प्राईवेट लि०, मै० सीजी एनर्जी कार्न्सोटियम प्राईवेट लि०, मै० गोदावरी पॉवर एण्ड स्टील लि०, भिलाई स्टील प्लांट, एनटीपीसी, राज्य एजेंसियां आदि।

क्रम सं0	विवरण	राशि
	की दरें वर्ष 2002–03 के लिए लागू की गई थी। यह सी ए की लागत में अल्प वसूली का कारण बना।	
4.	2009 में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध एन पी वी/सी ए/पी सी ए के भुगतान की मांग बिना वसूले रह गई (नवम्बर 2012)। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी/सी ए/ पी सी ए की वसूली का मामला सब–ज्यूडिस था और एन पी वी/सी ए/पी सी ए की वसूली के लिए कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद की जाएगी।	3.43
5.	पेसिड जलाशय निर्माण के लिए 61.64 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी ने 4.13 हैक्टेयर राजस्व भूमि और 57.07 हैक्टेयर ओरेंज भूमि[61] का हस्तांतरण किया। क्षेत्रीय सी सी एफ, भोपाल के आदेशों के बावजूद दुगुनी निम्नीकृत वन भूमि पर सी ए की लागत राशि ₹ 1.35 करोड़ जमा होनी होगी यह अभी तक जमा होनी थी (दिसम्बर 2012) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2013)।	1.35
	कुल	111.29

4. कैम्पा निधि का उपयोग

4.1 वर्ष तथा घटक के आधार पर राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों का वर्गीकरण तथा निर्गत निधियों का उपयोग।

(₹ करोड़ में)

कैम्पा निधि का उपयोग	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	राज्य कैम्पा द्वारा निर्गत राशि	व्यय
एनपीवी [62]		64.83	3.79		39.90	10.84		88.04	83.97
प्रतिपूरक वनरोपण		18.14	शून्य		16.90	8.87		11.00	9.47
संरक्षित क्षेत्र[63]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट गतिविधियां		15.00	0.15		10.00	0.47		0.50	0.48
कुल	123.21	97.97	3.94	135.20	66.80	20.18	99.54	99.54	93.92

उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसी को एपीओ के तहत तदर्थ कैम्पा से प्राप्त सम्पूर्ण राशि निर्गत नहीं की। निर्गत की गई राशि 2009–10 में 80 प्रतिशत, 2010–11 में 49 प्रतिशत, 2011–12 में 100 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा निर्गत राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत 2009–10 में 3 प्रतिशत, 2010–11, में 15 प्रतिशत और 2011–12 में 94 प्रतिशत था। इसके आगे, कार्यान्वयन एजेंसियां स्टेट

[61] ओरेंज भूमि एक वन भूमि है जिसका सीमांकन नहीं किया गया है और इसको वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।
[62] एनपीवी को वन के सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंध पर व्यय किया जाता है।
[63] वन्य जीव प्रबंध पर संरक्षित क्षेत्र निधि का व्यय किया जाता है।

कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10 और 2010–11 में निर्गत राशि के अधिक भाग को विस्तृत नहीं कर सकी। निर्गत राशि के व्यय का स्तर 2009–10 में 4 प्रतिशत और 2010–11 में 31 प्रतिशत था। यद्यपि पिछले तीन वर्षों में व्यय का प्रतिशत उत्तरोतर बढा है, राज्य की ग्रहण क्षमता राज्य (₹ 2239.09 करोड़) (ब्याज सहित) के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा से संचय किया गया है और केवल विशिष्ट वन निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए ही निर्गत किया जा सकता है।

4.2 निधियों के उपयोग मं अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण	राशि
1.	राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा गैर प्राधिकृत व्यय	इको टूरिज्म और राज्य वन मुख्यालय पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच से पता चला कि वाहनों की खरीद, टाटा सफारी, टोयोटा इत्यादि पर (₹ 1.30 करोड़) डी एफ ओ कार्यालय के निर्माण पर रहन सहन आदि ₹ 5.82 करोड़ जिसमें ₹ 2.03 करोड़ पहले ही खर्च किया जा चुका है। और ईको टूरिज्म (₹ 4.86 करोड़ जिसका ₹ 0.71 करोड़ पहले ही खर्च था) मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मार्गनिर्देशों में रेंज स्तर से उपर के अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीद के प्रतिवंध से संबंधित कोई निर्देश नहीं था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में ये स्पष्ट उल्लिखित था कि सिर्फ रेंज स्तर तक अधिसंरचा के सुदृढीकारण के लिए निधियों का उपयोग होगा।	11.98
2.	अति सघन वनों में किया गया प्रतिपूरक वनरोपण	धर्मगंज, पूर्वी रायपुर और पूर्वी सुरगुजा जिलों में, निकृष्ट वनों के बजाय निर्धारण व सुधार कार्यवृत[64] में रखे गये सघन वनों में सीए लिया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि घने वन में सी ए नहीं किया गया था। मंत्रालय का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योकि उक्त मंडलों में घने वनों पर जहां सी ए किया गया था, उसका विवरण लेखापरीक्षा में बताया गया था।	1.40
3.	प्रतिपूरक वनरोपण पर संशयगत व्यय	पूर्व सुरगुजा जिले में कैम्पा के अन्तर्गत 2006–08 के दौरान रिक्त/स्टाक के अन्तर्गत क्षेत्र की 52.43 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा 2010–11 में उसी समान क्षेत्र की 50 हैक्टेयर भूमि पर यह दुबारा किया गया, चूंकि वनरोपण के लिए आगे कुछ भी क्षेत्र उपलब्ध न हो सकने की स्थिति ने वनरोपण की प्रमाणिकता के प्रति संशय खडा कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि मामले की जांच होगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	0.18
4	अनुपयुक्त स्थल पर रोपण	बिलाईगढ में बांस रोपण, लाल मिट्टी तथा पहाड़ी द्वारा अधिकृत स्थल पर किया गया। लेखापरीक्षा तथा विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन (जून 2012) करने पर उदघटित हुआ कि अधिकतर पौधे या तो मृत	0.29

[64] उच्च गुणवत्ता वाले मध्य तथा परिपक्व आयु के सघन वनों को निर्धारण व सुधार कार्यवृतों में रखा गया है जहां सहायता प्राप्त प्राकृतिक नवनिर्माण/नवजन्म तथा मुख्य कटाव/गिराव आदि गतिविधियां की जाती है।

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण	राशि
		हो चुके थे या मरणासन्न थे। इस प्रकार, बांस रोपण के लिए निर्धारित स्थल का चयन वृक्षरोपण के लिए अनुपयुक्त था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी के कारण बांस के पौधों की पत्तियां गिर गई थी। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि साइट का भौतिक सत्यापन करने पर पता चला कि भू–भाग पहाड़ी था और बोल्डर से भरा पड़ा था तथा वृक्षारोपण असफल था।	
	कुल		13.85

चयनित वनरोपण की कुछ तस्वीरें

5. भूमि प्रबंध

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006–12)	
विपथित वन भूमि	आर ओ[65] के अभिलेखों के अनुसार 20,456.19 हैक्टेयर[66] एन ओ के अभिलेखों के अनुसार 8,389.40 हैक्टेयर
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एन ओ के अभिलेखों के अनुसार – 323.08 हैक्टेयर
अल्प प्राप्त गैर वन क्षेत्र	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार – 20,456.19 हैक्टेयर एन ओ के अभिलेखों के अनुसार– 8,066.31 हैक्टेयर
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं, राजस्व विभाग के संकेत देने के बावजूद कि 5.78 लाख हैक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध है।

65 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा नोडल अधिकारी
66 मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–12)	
एन ओ के अनुसार सी ए के लिए निर्धारित क्षेत्र	निकृष्ट वन भूमि पर –5,143.14 हैक्टेयर गैर वन भूमि पर 134.82 हैक्टेयर
एन ओ के अनूसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,668.73 है० आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –33.18 है०
प्राप्त गैर वन भूमि का हस्तांतरण/परिवर्तन	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
गैर वन भूमि प्राप्त संरक्षित/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचना	एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य आर ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 20,456.19 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 8,389.40 है० तथा 4 प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अनुसार 33.18 है० गैर वन भूमि पर वनरोपित किये जाने वाले क्षेत्र का 71 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबंधन में देखी गई अनियमितताएं

क्रम संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	विवरण
1.	एनपीवी/सीए/पीसीए का भुगतान किये बिना वन भूमि का उपयोग	जंजगीर–चम्पा मे, 44 है० राजस्व भूमि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकाश निगम को हस्तांरित कर दी गई थी जिस भूमि को प्रकाश उद्योग लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) (1990) को लीज पर दे दिया गया। वन विभाग ने इसका विरोध किया क्योंकि यह वन भूमि थी तथा परिणामस्वरूप आबंटन 1991 में रद्ध हो गया था। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तैयार एक आवेदन पत्र के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1993 में समान भूमि के लिए इन प्रीसिंपल अनुमोदन अनुबद्ध किया। ₹ 3.43 करोड़ के एन पी वी/सी ए/पी सी ए के भुगतान के लिए मांग विलम्ब करते करते, 16 साल के अन्तराल के 2009 तक उठाई गई परन्तु यह गैर–भुगतान के शेष रही थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी/सी ए/पी सी ए की वसूली के लिए कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद की जाएगी।
2.	एम ओ इ एफ के अनुमोदन के बिना गैर वन निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग	बस्तर में 77.50 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि का उपयोग पर्यटन को बढावा देने हेतु वन्य जीवन संरक्षण और शिक्षा केन्द्र (लमनी पार्क) के लिए किया गया जो कि एम ओ इ एफ के अनुमोदन के बिना एक गैर वन गतिविधि थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन जीवन संरक्षण तथा शिक्षा केन्द्र का विकास एफ सी अधिनियम 1980 के प्रावधान के अन्तर्गत था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही है क्योंकि उल्लिखित केन्द्र के विकास का कार्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुमोदन के बिना किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा की संचालन समिति ने 3 मई 2010 को अपनी बैठक में यह निर्धारित किया कि राज्य कैम्पा, राज्य वन विभाग पर लागू लेखा प्रक्रिया को ग्रहण करेगा। राज्य कैम्पा के संग्रहित लेखों को स्टेट कैम्पा को अग्रेषित एक प्रति और वन विभाग के लेखों के साथ सी सी एफ वित्त/बजट को जमा किया जाना था। राज्य कैम्पा मुख्यालय, निधि प्रबंध, लेखा पद्धति आदि कार्य राज्य कैम्पा द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा किया जाना था। तैयार खातों को संचालन समिति के पास प्रति वर्ष 31 मार्च से 30 जून के दौरान जमा किया जाना था। हालांकि 2009–10 से 2011–12 के खाते एक निर्धारित प्रारूप में बनाये जाने तथा राज्य कैम्पा निर्देश के अनुसार जमा किये जाने बाकी थे। इसके अलावा कि स्टेट कैम्पा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार तथा एम ओ ई एफ के पास शक्तियां थी कि वे विशेष लेखापरीक्षा या राज्य की निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करें। हालांकि, इस प्रकार कि कोई लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा निर्देशों के अनुसार संचालन समिति को वर्ष में दो बार बैठक करनी थी। छत्तीसगढ़ की संचालन समिति ने 2009–12 के दौरान छः के प्रति पर केवल चार बार बैठक की। कार्यकारी समिति ने 2009–12 के दौरान सात बार बैठक की।

दिल्ली

1. पृष्ठभूमि[67]

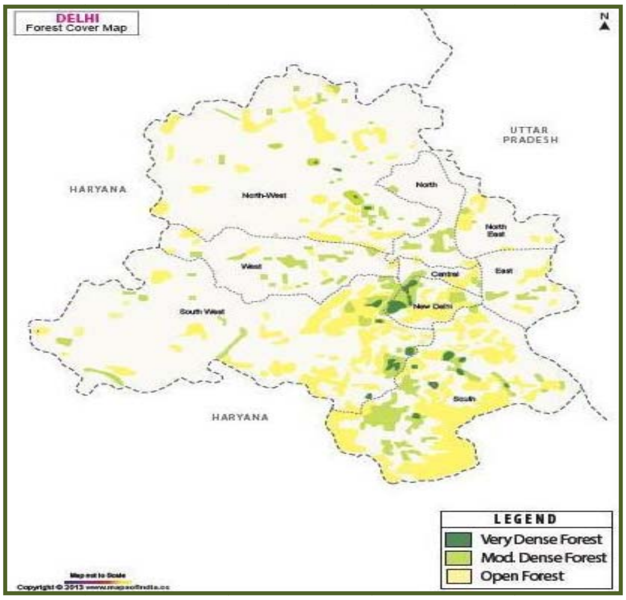

दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,48,300 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सेटेलाइट आंकडों की व्याखा के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 17,620 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 11.88 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्ग के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 676 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 4,948 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 11,996 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण वन क्षेत्रमें 38 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र–वन का प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

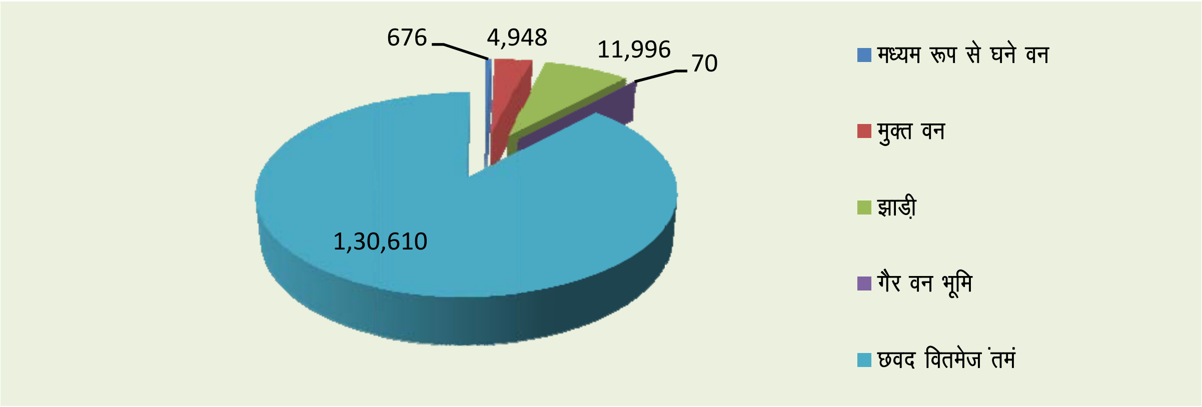

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[67]स्त्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन 2011

(₹ करोड़ में)

बर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तांतरित राशि	राज्य कैम्पाद्वारा तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वाराकिया गया व्यय	राज्य कैम्पा[68]निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	
2007–08	5.17	शून्य	शून्य	
2008–09	12.81	शून्य	शून्य	
2009–10	शून्य	1.85	शून्य	1.85
2010–11	3.66	1.40	0.01	3.24
2011–12	13.12	शून्य	1.19	2.05
कुल	34.76	3.25	1.20	

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है,सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनाके अनुसार कुल प्रतिपूरक वनरोपण विधि का 9 प्रतिशत राज्य द्वारा तदर्थ कैम्पा को वर्ष 2009 और 2012 के बीच में जारी किया गया। जारी राशि ₹ 3.25 करोड़ का 63 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियां संचित हुईं ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

दिल्ली में एन पी वी/सी ए/पी पी ए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसा लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिये गये हैं। इन मामलो का सार अध्याय 3 की तालिकाऐं 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	मार्च 2008 में उच्चतम न्यायालय ने एन पी वी की दरों को संशोधित किया था। हालांकि नमूना जांच में पता चला कि 4 मामलों[69] में एन पी वी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उक्त चार मामलों में ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से एन पी वी न्यायसंगत था। जवाब तर्कसंगत नहीं है चुंकि एन पी वी उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2008 में संशोधित दरों पर नहीं वसूला गया था।	0.25
2	डी एम आर सी ने वन भूमि के निम्नलिखित क्षेत्रों को बिना प्रधिकरण के अधिकृत कर रखा था तथा एन पी वी/सी ए का भुगतान नहीं किया था। (i) 1.35 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि 2008 में ऐयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस योजना के लिए। ii) 0.38 हेक्टेयर वन भूमि, नवम्बर 2002 में भूमिगत रेलवे लाइन की डायाफाम दीवार के निर्माण के लिए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 4.37 हैक्टेयर क्षेत्र का विपथन एन पी वी/सी ए इत्यादि के भुगतान पर अनुमोदित किया गया था। ऐयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस योजना के लिए 1.35 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के गैर–प्राधिकृत अधिग्रहण के लिए तथा भूमिगत रेलवे लाइन की डायाफ्राम दीवार के निर्माण के लिए 0.38 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए एन पी वी/सी ए की वसूली से संबंधित जवाब पर मंत्रालय चुप रहा।	0.56 0.12

[68]2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[69]दिल्ली टूरिजम एण्ड ट्रांसपोर्ट डैवलपमैंट कारपोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	दो मामलों (दिल्ली पी डब्ल्यू डी और नई दिल्ली नगर निगम) को केन्द्रीय सरकार की योजनाएं मानी गई तथा जिनमें प्रतिपूरक वनरोपण का कम निर्धारण/वसूली हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इन सभी योजनाओ की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय अधिकारी, चढ़ीगढ़ द्वारा जांच की गई थी तथा सीए वसूला गया था। राज्य में गैर वन उपलब्ध नहीं होने के प्रभाव स्वरूप मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण दो मामलों में ₹ 0.98 करोड़ के सीए की गैर वसूली से संबंधित मंत्रालय का जवाब सामान्य प्रकृति का था।	0.98
	कुल	**1.91**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों के उपयोग वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरा।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[70]									0.16
प्रतिपूरक वनरोपण									1.01
संरक्षित क्षेत्र[71]									0
सीएटी योजना									0
अन्य विशिष्ट गतिविधियां						0.01			0.02
कुल	1.85	उ.न.	शून्य	1.40	उ.न.	0.01	शून्य	उ.न.	1.19

2009–10 और 2010–11 वर्षो में एपीओ न तो बनाया गया तथा न ही प्रस्तुत किया गया। 2011–12 के एपीओ को जुलाई 2011 में स्वीकृति दी गई, तदर्थ कैम्पा ने 2011–12 में कोई निधि जारी नहीं की। 2010–11 और 2011–12 के एपीआ के अनुमोदन के बिना व्यय किया गया। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत और 2010–11 में एक प्रतिशत से कम थी। 2011–12 में विशेष रूप से उस वर्ष के लिए जारी किए बिना व्यय किया गया। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में

[70]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[71]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.20 करोड़ (ब्याज सहित)संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है को ध्यान में रखकर चिंताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	व्यय राज्य कैम्पा के दिशा निर्देशों तथा एनसीएसी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना के लिए कैम्पा निधियों को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय वाहनों की खरीद पर हुआ– मारूति–जिप्सी (₹ 0.05 करोड़), छः मोबाइल फोन (₹ 0.29 लाख) तथा लेपटाप (₹ 0.01 करोड़) मंत्रालय ने बताया कि संचालन समिति ने इन सामानों की खरीद के लिए कार्य पश्चात अनुमोदन लिया था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन सामानों पर किया गया व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एनसीएसी द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	0.06
2	ए पी ओ के अनुमोदन के बिना व्यय	वर्ष 2011–12 के लिए ए पी ओ तैयार नहीं होने के कारण राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय अप्रधिकृत था तथा 2011–12 के लिए एपीओ यद्यपि संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परन्तु तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि संचालन का कार्य पश्चात अनुमोदन व्यय हेतु प्राप्त किया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योकिं व्यय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा द्वारा, एपीओ के अनुमोदन के बिना किया गया।	1.20
	कुल		**1.26**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य पत्र

विवरण (2006–2012)	
विपथित वन भूमि	आरओ[72] के अभिलेखों के अनुसार–22.15 है0[73] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–40.29 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–22.15 है एनओ के अभिलेखों के अनुसार– 40.29 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	10 में से 2 मामलों में, (2.22 है.) मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र नही प्राप्त किया गया।
एनओ के अनुसार ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–100है0 गैर वन भूमि पर– शून्य
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–100 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य

[72]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[73]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006–2012)	
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार– शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए आकड़ों में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार, गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 22.15 है० तथा बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल शून्य प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 40.29 है. तथा शून्य प्रतिशत थीं। आरओ तथा एनओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी ।एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 100 प्रतिशत था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा ने निर्धारित प्रारूप में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नही किये। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नही की जा सकी। इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने जवाब दिया था कि क्षेत्र लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा 31 मार्च 2012 तक सम्पूर्ण की जा चुकी थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए।दिल्ली कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति दो बैठक हुईं। 2009–12 वर्षों के दौरान कार्यकारी समिति की तीनबैठक हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि दिशानिर्देशों के प्रावधानो के अनुसार समितियों की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

गोवा

1. पृष्ठभूमि[74]

गोवा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,70,200 हैक्टेयर है। फरवरी 2009 के सैट लाइट ऑकड़ों की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 2,21,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 59.94 प्रतिशत था। वन वितान धनत्व वर्गो के अनुसार आते घने वन के अन्तर्गत 54,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 58,500 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 1,09,100 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण वन क्षेत्र ने 700 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई गई।

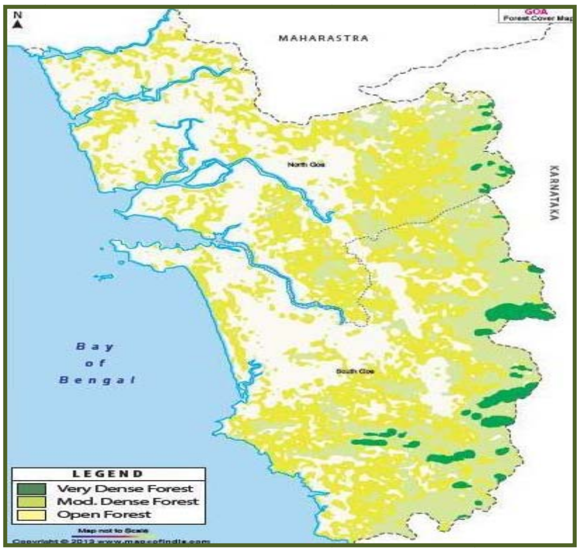

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

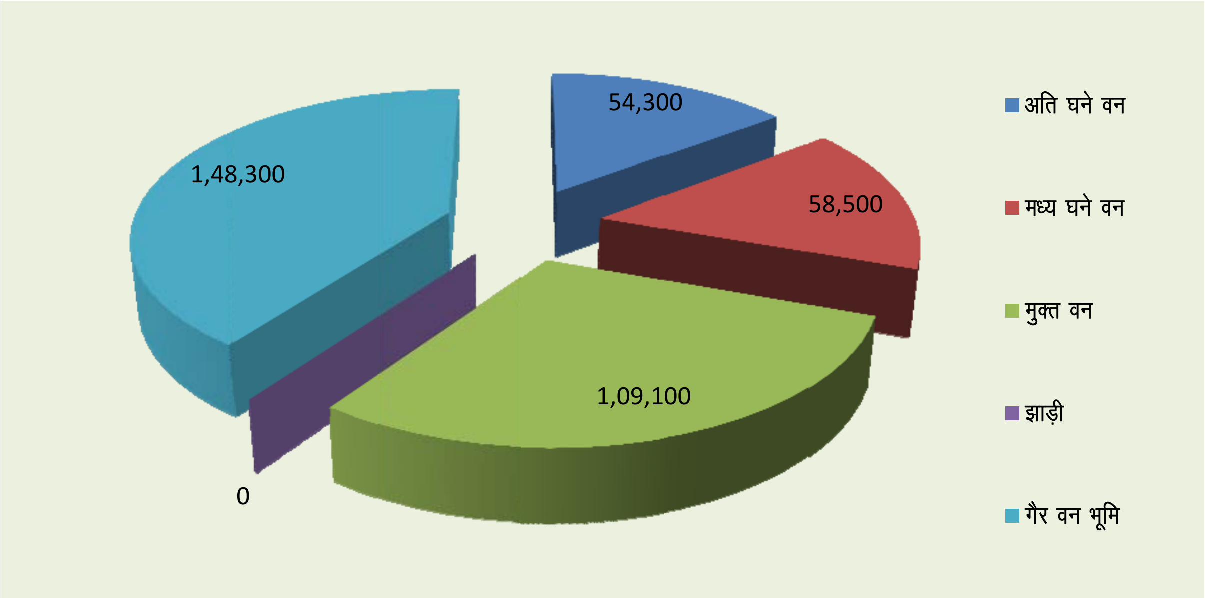

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा की जारी निधियां और वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान किये गये व्यय को ब्यौरा निम्नवत है।

[74] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा की हस्तांतरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[75]
2006–07	28.21	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	68.93	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	20.40	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	23.25	12.12	शून्य	12.12
2010–11	4.40	10.25	4.91	17.46
2011–12	1.78	शून्य	5.98	11.48
कुल	**146.97**	**22.37**	**10.89**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियां का 15 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओ के प्रति जारी ₹ 22.37 करोड़ में से 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

गोवा एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की। नमूना जांच में पता चला कि 5 मामलों[76] में एन.पी.बी संशोधित दरों पर संग्रहीत नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस संबंध में ली गई अंतिम कारवाई लेखापरीक्षा को सूचित होगी।	13.67
2	₹0.73 करोड़ का एनपीवी पटटाधारी मै. चन्द्रकान्त एफ नायक/श्री राजेश पी. टिम्बलो से कम संग्रहीत किया गया था क्योंकि एनपीवी वास्तव में विपथित 38.60 है. भूमि के स्थान पर 22.25 है. के लिए संग्रहीत किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लीस में कुल वन क्षेत्र के 38.60 हैक्टेयर लिए एन पी वी की वसूली उस समय प्रचलित दरों पर की गई थी। मंत्रालय का जवाब सम्बंधित दस्तावेजों से समर्थ नहीं था।	0.73
3	4 जनवरी 2008 के माननीव उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि खान मलिक खान पटटे के लिए संस्वीकृत ताजा तोड़ें गए क्षेत्र के बदले प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए निम्नीकृत वन भूमि	0.16

[75] 2009 के बाद तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास वर्ष के अंत में अप्रयुक्त पड़ी संचित राशि।

[76] मेसर्स सोसिदादे टिम्बलोप्सेस लिमिटिड, मेसर्स जी.एन अग्रवाल एट बिमबोल आयरन ओर माईन, मेसर्स एकमो गोवा प्राईवेट लिमिटिड, मेसर्स डेम्पो एण्ड कॅम्पनी प्राईवेट लिमिटिड, मेसर्स बदरूद्दीन एच मावानी एण्ड मेसर्स सेावा.

क. सं.	विवरण	राशि
	देने में असमर्थ है तब खान मलिक को ₹ 92,368 प्रति है० की दर पर सरकार को नए खनन पटटे में शामिल वन क्षेत्र के दो गुने के बराबर राशि का भुगतान करना पड़ता है। तथापि एक मामले में खनन पट्टा धारी, जिसे अक्तूबर 2010 में 8.44 है० नई खंडित क्षेत्र मंजूर किया गया था, से ₹ 0.16 करोड़[77] सीए का वसूल नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई थी। मंत्रालय ने (अप्रेल 2013) में राज्य कैम्पा के उत्तर की पुष्टि करते हुए यह बताया कि प्रयोक्ता ऐजेन्सियों से ₹ 0.16 करोड़ की वसूली के लिए स्पष्टीकरण हेतु बार बार अनुस्मारक देने के बावजूद मंत्रालय ने कोई उत्तर नही दिया	
	कुल	14.56

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आंबटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार एवं संघटक के ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[78]					1.87	0.86		1.28	0.77
प्रतिपूरक वनरोपण					1.42	0.85		1.50	1.46
संरक्षित क्षेत्र[79]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.81	3.20		3.05	3.75
कुल	12.12	शून्य	शून्य	10.25	4.10	4.91	शून्य	5.83	5.98

तदर्थ कैम्पा द्वारा एपीओ के विना ही वर्ष 2009–10 के लिए राशि जारी की गई। अगस्त 2011 में संचालन समिति द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए एपीओ का अनुमोदन किया गया और 2011–12 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई राशि जारी नही की गई।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त सम्पूर्ण राशि जारी नहीं की। अपनी विभिन्न यूनिटों को राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि 2009 –10 में शून्य तथा 2010–11 में 40 प्रतिशत थी। व्यय के स्तर जारी राशियों के 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा

[77] (8.44x₹92,368)
[78] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[79] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्य जीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

2010–11 में 48 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012) तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 171.71 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, को ध्यान रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों हेतु जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय, एक्सयूटिव टेवल, वाहनों, कम्प्यूटरों/लेपटापों इत्यादि पर किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वाहनों, कम्प्यूटरों छोटे फर्नीचर इत्यादि को अभिलेखों के रख–रखाव तथा वनों की सुरक्षा के लिए खरीदे गये थे तथा ये सामान मुख्य कार्यालय द्वारा खरीदे गए थे तथा सब–ओरडिनेट कार्यालय को वितरित कर दिए गए थे। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन सामानों की खरीद राज्य कैम्पा निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती थी।	0.75
2	**वृक्षारोपण में कमियां**	राज्य कैम्पा के अन्तर्गत रोपण के 19 स्थलों के अभिलेखों की नमूना जांच में रोपण में निम्नलिखित कमियों का पता चला। • वर्तमान रोपण वाले क्षेत्र और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो घनी वनस्पति से घिरे थे में रोपण किए गए थे (जैसा देखा और फोटो लिए)। रोपण का क्षेत्र पहले ही 0.4 तथा अधिक घनत्व वाला होना प्रतीत हुआ। • रोपण रजिस्टर रोपण के लिए क्षेत्र का चयन करने के कारणों का उल्लेख नहीं करता हैं। • रोपण के क्षेत्र की सघनता का किसी रोपण के प्रति रोपण रजिस्टर में उल्लेख नहीं किया गया है। • जैसा देखा गया रोपण ऐसे स्थानों में किए गए हैं जहॉ अकाकिया तथा यूकिलिप्टस रोपण पहले ही विद्यमान है। • रोपण निम्नीकृत वन भूमि में किए जाने थे न कि पूर्णतया विकसित वयस्क पेडों के साथ उच्च घने वन वाले क्षेत्रों में किये जाने थे। तथापि चयनित किसी क्षेत्र में यह मानदण्ड अपनाया नहीं गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विपथित क्षेत्र पर वन क्षेत्र की कमी की प्रतिपूर्ति करने के कारण वृक्ष क्षेत्र बढ़ाने के लिए निम्नीकृत वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था। तथापि, भविष्य में, वन रोपण को बढ़ाने के समय रोपण घनत्व को अभिलिखित करने हेतु संबंधित मंडलों को निर्देश जारी किए जाएगें।	

कुल चयनित वनरोपण की तस्वीरें

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार[80]– 1,513.09[81] है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 728.94 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार –60.85 एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 28.50 है
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – 1,452.24 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 700.44 है
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ केअनुसार क्षेत्र जिस पर सीए देय था	निम्नीकृत वन भूमि पर – 350.67 है. गैर वन भूमि पर – 24.10 है.
एन ओ केअनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –1007.98 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित / परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –24.10 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4.40 है.

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिये गये आंकड़ो में विसंगतियां थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनो हेतु विपथित वन भूमि 1513.09 है० थी और बदले सें प्राप्त वन भूमि चार प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह संख्या क्रमश: 728.94 है० और चार प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित परिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एनओ के अनुसार 24.10 है० गैरवन भूमि में से केवल 4.40 है०

[80]क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[81]मुक्त परियोजनाओ को छोडकर

गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नही किया गया था और निम्नीकृत वन भूमि पर 1007.98 है० पर वनरोपण किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसे वह निर्दिष्ट करें। तथापि राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही तथा सहायक खाता वही नहीं बनाए। रोकड़ वही तथा सहायक खाता वहियों के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य कैम्पा द्वारा जमा की गई राशि तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा स्वीकार की गई राशि के बीच ₹ 1.33 करोड़ का अंतर था। अंतर का दिसम्बर 2012 तक मिलान नहीं किया गया। कार्यान्वयक मंडलों द्वारा 2010–11 के दौरान जारी ₹ 0.81 करोड़ तथा 2011–12 के दौरान जारी ₹ 0.52 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य कैम्पा में प्राप्त नहीं हुए थे।

इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने की शक्तियां थी, तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखपरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। गोवा कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठक हुई। वर्ष 2010–11 में शासी निकाय की बैठक नहीं हुई।

मंत्रालय ने बताया(अप्रैल 2013) कि राज्य विधानसभा के सत्रों, राज्य विधान सभा चुनाव तथा अन्य स्थानीय निकायों के कारण विभिन्न कमेटियों की बैठकों का निम्नतम संख्या को आयोजित करना कठिन था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संचालन कमेटी की एक वर्ष में दो बैठके निर्धारित थी।

गुजरात

1. पृष्ठभूमि[82]

गुजरात का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,96,02,200 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008 नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 14,61,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.46 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 37,600 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 5,23,100 हैक्टेयर तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 9,01,200 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

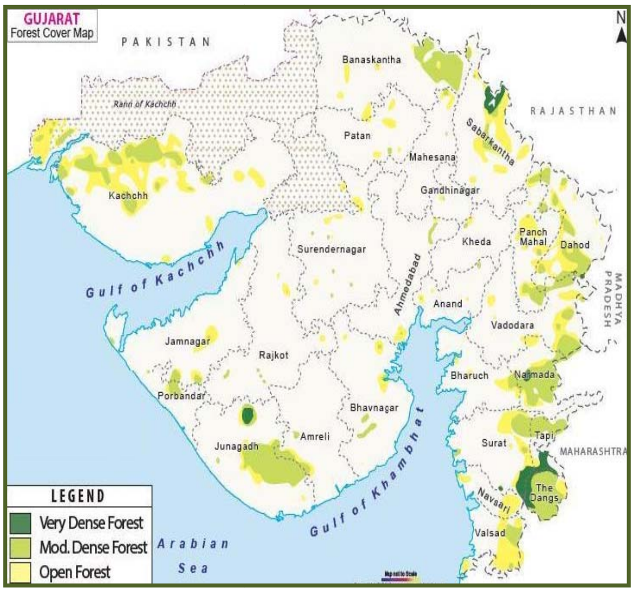

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

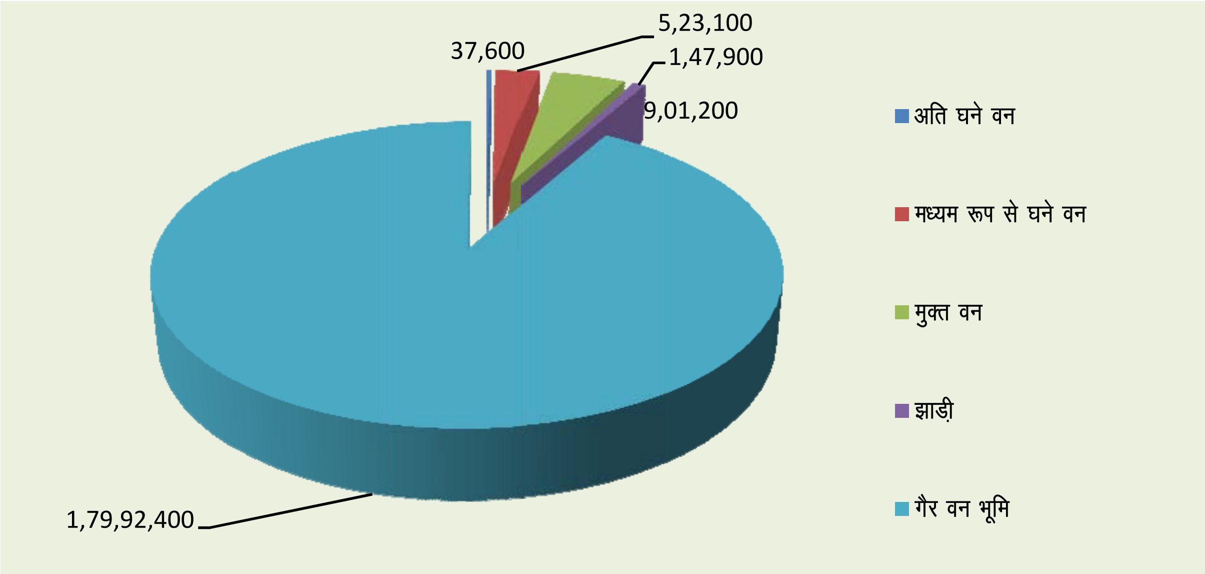

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत है :–

[82] स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय[83]
2006–07	64.74	शून्य	शून्य	
2007–08	55.84	शून्य	शून्य	
2008–09	81.96	शून्य	शून्य	
2009–10	170.44	24.96	8.57	16.39
2010–11	112.11	29.16	32.77	12.78
2011–12	98.40	26.30	28.77	10.31
कुल	**583.49**	**80.42**	**70.11**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 80.42 करोड़ में से 13 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

गुजरात मेंएनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है।इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	275.94 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 18 मामले[84] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[85] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	16.00[86]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दरें संशोधित की थी। तथापि तीन वन मंडलों[87] की नमूना जांच से पता चला कि प्रयोक्ता एजेंसी (एन एच ए आइ) से संशोधित दरों पर एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि एनपीवी बकाया राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता ऐंजेसियों को कहा गया है।	
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एनपीवी जमा करने के आधारित मै. एमपीएसईजैडएल (पूर्व में अडानी कैमीकल्स लिमि. के रूप में ज्ञात) मई तथा जून 2004 में क्रमशः 1840 है. तथा 168.42 है. आरक्षित वन भूमि के विपथन का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया। तथापि 168.41 है. वन भूमि के लिए ₹ 15.16 करोड़ का एनपीवी निर्धारित और ₹ 9 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर अक्तूबर 2007 में वसूल किया गया था जो मार्च 2009 में गलती से ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर संशोधित तथा पुनः निर्धारित किया गया था और ₹ 7.78 करोड़ की अधिक राशि 1840 हैक्टेयर भूमि के विपथन को वसूली गई एनपीवी राशि के प्रति समायोजित की गई थी।	89.47

[83] 2009 और आगे तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पड़ी वर्ष के अंत में संचित राशि
[84] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[85] मै० एसआर स्टील कम्पनी, भारत ओमान रिफाईनीरिज़ आदि
[86] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (275.94x5.8)
[87] पाटन पालनपुर और राजकोट

क. सं.	विवरण	राशि
	इसी प्रकार 1840 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन का एनपीवी कंटीले वन को ध्यान में रखकर 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर निर्धारित (मार्च 2009) तथा जुलाई 2009 में वसूल किया गया था यद्यपि यह शाब्दिक तथा दलदल वन था जो ₹ 7.30 लाख प्रति है. की दर पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.73 करोड़ का कम निर्धारण तथा वसूली हुई। इस प्रकार एनपीवी की कम वसूली ₹ 61.51 करोड़ (₹ 7.78 करोड़ + ₹ 53.73 करोड़) बनी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि एमपीएसईजेडएल ने 168.41 हैक्टेयर वन भूमि में जलाऊ लकड़ी की लागत में अंतर के प्रति वसूलीयोग्य ₹ 5.35 करोड़ का भुगतान नहीं किया था। एमपीएसईजैडएल को राज्य सरकार के 17 नवम्बर 2009 के आदेश में यथा अपेक्षित घेराबंदी तथा सुरक्षा कार्यों के प्रति ₹ 7.73 करोड़ तथा ₹ 19 लाख की बैक गारंटी भी भेजनी थी। तथापि एमपीएसईजैडएल द्वारा दिसम्बर 2012 कि कोई बैक गारंटी नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विपथित वन भूमि इको क्लास–IV,ट्रापिका और थोर्न वन के अन्तगर्त, लिटोरल तथा स्वाम्प वन के अन्तर्गत नहीं थी और इसलिए इको क्लास–IV, के लिए ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की वसूली की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत विपथित क्षेत्र, इको क्लास–II, लिटोरल तथा स्वाम्प वन के अन्तर्गत था और उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशाधित दरों पर प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी वसूला जाना था।प्रयोक्ता एजेंसी से फायरवुड की लागत में भिन्नता होने की ₹ 5.35 करोड़ की वसूली के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी से धन जमा करने को कहो गया था।	
4	भुज वन मंडल में गांधीधाम–कांडला राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 171 है. वन भूमि के विपथन के लिए 9 सितम्बर 2011 को भुज में इंडियन बैंक में प्रचालित उप सीएफ भुज (पूर्व) के खाते में एनएचएआई द्वारा ₹ 2.43 करोड़ का अतिरिक्त सीए क्रेडिट किया गया था। ₹ 2.43 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को आगे प्रेषण के लिए राज्य कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई थी इसके बजाय इसका राज्य कैम्पा सुप्रीम कोर्ट मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में सीधे डीएफओ द्वारा उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इंडियन बैंक में डिप्टी वन संरक्षक, कच्छ पूर्व मंडल के खाते में ₹ 2.43 करोड़ की राशि जमा की गई थी, क्योंकि यह एन पी वी या सी ए से संबंध नहीं रखती थी और योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए कार्य पर उपयोग की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹ 2.43 करोड़ की राशि गैर–प्राधिकृत रूप से उपयोग की गई थी और यह राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जानी थी।	2.43
5	वलसाड (दक्षिण) वन मंडल में ₹ 1.26 करोड़ का एनपीवी दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एसजीवीसीएल) वलसाड, जिसको जनवरी 2003 में 14 है. वन भूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक (चरण I) अनुमोदन दिया गया था, से वसूल नहीं किया गया था। उपसीएफ, वलसाड (दक्षिण) द्वारा आवधिक अनुस्मारकों के बावजूद डीजीवीसीएल ने अक्तूबर 2012 तक एनीपीवी का भुगतान नहीं किया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन पी वी वसूल करने का मामला तेजी से आगे बढाया जाना था।	1.26
	कुल	**176.02**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[88]		8.31	2.92		14.90	13.00		18.40	12.24
प्रतिपूरक वनरोपण		15.60	5.65		15.60	19.77		7.67	16.53
संरक्षित क्षेत्र[89]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0	0		0	0		0	0
कुल	**24.96**	**23.91**	**8.57**	**29.16**	**30.50**	**32.77**	**26.30**	**26.07**	**28.77**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के प्रति उठाये गये व्यय का प्रतिशत 2009–10 में 34 प्रतिशत था।यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है। परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 691.44 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देकर राज्य की अवशेषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**उच्चतम न्यायालय आदेशों के उल्लंघन मे क्लोन युकलिप्टस का रोपण**	माननीय उच्चतम न्यायालय के 30 जनवरी 2002 के आदेशों तथा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार क्लोन युकलिप्टस का रोपण नहीं किया जाना था जो जैव विविधता अधिनियम के अनुसार भी आपत्तिजनक था। तथापि नडियाद तथा आणन्द वन मंडलों में क्लोन युकलिप्टस का रोपण कार्य ₹ 2.30 करोड़ के व्यय पर एवं (संचालन समिति के अनुमोदन से, अतिरिक्त पी सी सी एफ के विरूद्ध होने के बावजूद) किया गया था। परिणाम स्वरूप, संचालन समिति के अनुमोदन के विरूद्ध, पूर्व वर्ष की बचत से ₹ 0.80 करोड़ पर वर्ष 2012–13 तथा 2011–12 में 50 हैक्टेयर अतिरिक्त में क्लोन लिप्टस वनरोपण किया गया था।	3.10

[88]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[89]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	सीए कार्य पर निष्फल व्यय	भुज वन मंडल में यद्यपि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव विचाराधीन था परंतु गुजरात राज्य कैम्पा की संचालन समिति ने 2009–10 से 2011–12 तक के दौरान किए जाने के लिए 161.27 हैक्टेयर में प्रतिपूरक वनरोपण का अनुमोदन किया जिसमें चौड़ा किए जा रहे भुज मचाऊ रोड पर 88.27 हैक्टेयर में सीए शामिल था। वन भूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के बिना सीए पर ₹ 0.60 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। चूंकि चौडाई कार्य सड़क विस्तार में चालू था इसलिए उस क्षेत्र पर सीए कार्य करने का परिणाम ₹ 0.60 करोड़ का निष्फल व्यय होगा क्योंकि रोपित पेड़ विपथन हेतु विचाराधीन भूमि विस्तार से हटा दिये जाएगें। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सी ए को रोड साइड़ पर करना रोका गया था तथा इसको ही ब्लाक वन क्षेत्रों पर होना था।	0.60
	कुल		**3.70**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[90] के अभिलेखों के अनुसार – 1,767.37 हैं.[91] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,795.82 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 591.65 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,767.37 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,204.17 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 5,800.24 है. गैर वन भूमि पर – 2,737.39 है.
क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – शून्य गैर वन भूमि पर – शून्रू
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 591.95 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 5.43 है.

[90] क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[91] मुक्त परियोजनों को छोड़कर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए आकंड़ो में विभिन्नतायें थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 1,767.37 है० थी और बदले में प्राप्त गैरवन भूमि केवल शून्य प्रतिशत थी। जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार संख्या 5,795.02 है० तथा 10 प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई भी भूमि हस्तांरित परिवर्तित और आरएफपीएफ के रूप में अधिसूचित नही की गई थी। जबकि एमओके अनुसर 591.65 है० गैरवन भूमि में से वन विभाग के पक्ष दें हस्तांरित/परिवर्तित भूमि के 5.43 है० गैरवन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैरवन भूमि तथा निम्नीकृत भूमि पर कोई वन रोपण कार्य नही किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के इसके आय तथा व्यय की यथा तथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों की रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए, जिसके अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। भावनगर वन मंडल में यह पाया गया था कि रू. 0.23 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए कार्यकारी अभियंता, पंचायत आर एण्ड डी मंडल, भावनगर (दिसम्बर 2012) के पास अव्ययित पड़ी थी, राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वलसाड (उत्तर) वन मंडल में वर्ष 2010–11 के रोपण से संबंधित ₹ 0.41 करोड़ के वन अग्रिम के वाउचर प्रस्तुत करने मं आरएफओ विफल हुआ।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वार्षिक लेखे तैयार कर लिए थे और कार्यकारी समिति और संचालन कमेटी के पास अनुमोदन के लिए जमा होगे और तथा 2011–12 के लिए रोकड़ नहीं जल्द ही बना लिए जाएगे। रू 0.41 करोड़ के वाउचर के जमा न होने के संबंध में, यह बताया गया था कि उल्लिखित वाउचर मंडल कार्यालय में स्थित तथा रखे गये थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। गुजरात कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठक हुई।

हरियाणा

1. पृष्ठभूमि[92]

हरियाणा का कुल भैगोलिक क्षेत्र 44,21,00 हैक्टेयर है। अक्तूबर–नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 1,60,800 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.64 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 2700 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्य रूप से घने वन के अधीन 45,700 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अधीन 1,12,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 1400 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)– 2011

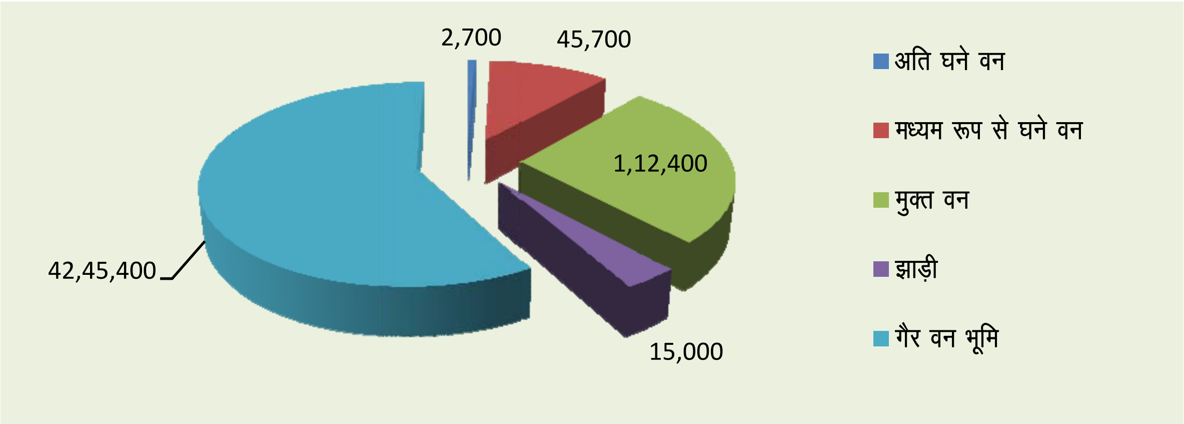

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जनवरी 2010 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वाराराज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[92]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[93] के पास निधियों का संचय
2006–07	28.01	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	18.26	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	50.25	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	103.10	19.11	शून्य	19.11
2010–11	49.57	18.89	11.23	26.77
2011–12	30.81	0.00	16.17	10.60
कुल	280.00	38.00	27.40	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी 38 करोड़ में से 28 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा किसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 18.94 करोड़ की निधियां तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी और राज्य सरकार लेखा में जमा की गई थी।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

हरियाणा मेंएनपीवी/सीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3की तालिका 24,26 ओर 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	8.48 हैक्टेयर की वन भूमि के एक मामले[94] में जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	0.49[95]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की थी। राज्य सरकार ने भी ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर एन पी वी नियत कर दिया था। तथापि हिसार वन मंडल के अभिलेखों नमूना जांच से पता चला कि प्रयोक्ता एजेंसी से संशोधित दरों पर एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि योजना के लिए अंतिम अनुमोदन दिया जाना बाकी था तथा शेष राशि, यदि कोई हो तो, जल्दी ही प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल होगी।	0.36
3	छः वन मंडलों[96] के सात मामलों में वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 के दौरान 37.28 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी/सी ए की अल्प वसूली हुई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी/सी ए के राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जानी थी।	3.57
	कुल	4.42

[93] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[94] एम ओ ई एफ द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्टेटस रिपोर्ट अनुसार।

[95] इन मामलो में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति हैक्टेयर (8.48X5.8)

[96] सोनीपत जीन्द, हिसार, कुरूक्षेत्र, पिंजोर तथा महेन्द्रगढ़

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा की आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[97]					11.17	6.26		12.59	10.31
प्रतिपूरक वनरोपण					7.10	4.41		6.61	5.09
संरक्षित वन[98]					0	0		0	0
सीएटी योजना					1.28	0.56		0	0.77
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.03	0		0	0
जोड़	**19.11**	**शून्य**	**शून्य**	**18.89**	**19.58**	**11.23**	**शून्य**	**19.20**	**16.17**

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा को ए पी ओ जमा नहीं किया था और वर्ष 2011–12 के लिए ए पी ओ वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद मई 2012 में जमा किया था। इस प्रकार, वर्ष 2009–12 के लिए राशि ए पी ओ के बिना राशि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई थी। तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 में कार्यान्वयक एजेसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि जारी नहीं की थी। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में प्राप्त निधियां जैसे 2010–11 के दौरान कार्यान्वयक एजेंसियों को राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 19.58 करोड़ की राशि जारी की थी। 2011–12 में यद्यपि तदर्थ कैम्पा ने कोई निधियां जारी नहीं कीं परन्तु राज्य कैम्पा ने पूर्व दो वर्षों में संचित धन से निधियां जारी कीं। 2010–11 में व्यय का स्तर 57 प्रतिशत तथा 2011–12 में 84 प्रतिशत थे जब कार्यान्वयक एजेंसियों को जारी राशियों के साथ तुलना की गई। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से बढ़ी थी परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 390.34 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रही है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है।

[97] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है।
[98] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनियमितता की प्रकृति	विवरण	राशि
1	व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों के प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय, भवन इमारत, राज्य वन मुख्यालयों के नवीनीकरण पर उठाया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन सी ए सी ने अपनी 24 जून 2010 की बैठक में निर्णय लिया था कि मुख्यालयों के स्तर पर अधिसंरचना एफ डी पर कमाये व्याज से किया होगा तथा वन भवन में नवीनीकरणर का कार्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया था जो कि किसी भी मामले में ₹ 0.50 करोड़ तक के एक व्यय की वित्तीय तथा प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा निर्देशों के उलंघन में वन भवन के नवीनीकरण पर ₹ 0.15 करोड़ का व्यय उठाया गया था।	0.15
2	अननुमोदित स्थलों पर किया गया प्रतिपूरक वनरोपण	नमूना जांचित 11 वन मएडलों में से चार मण्डलों[99] में यह पाया गया था कि 336.35 आरकेएम[100] के क्षेत्र में फैले 25 अननुमोदित स्थलों पर सीए किया गया था।	0.93
	कुल		**1.08**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[101]–1,218.21 हे0[102] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,154.89 हे0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–43.79 हे0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–51.67 हे0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–1,174.42 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,103.04 हे0
सम्बद्व गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–4,182.00 हे० गैर वन भूमि पर–52.85 हे0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–51.67 हे0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–7.77 हे0

[99]पानीपत, करनाल, सोनीपत तथा गुड़गांव
[100]मार्ग किलोमीटर
[101]क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग के नोडल अधिकारी (एनओ)
[102]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 1,218.21 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 4 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,154.89 है० तथा 2 प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 51.67 है० गैर वन भूमि में से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित केवल 7.77 है० गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रू॰ में घोषित की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत भूमि पर कोई वनरोपणनहीं किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का प्रकार	विवरण
सभी शर्तों को पूरा किए बिनावन भूमि का विपथन	i. छः वन मण्डलों[103] के सात मामलों में ₹ 3.57 करोड़ के एनपीवी/सीए की वसूली किए बिना (दिसम्बर 2012) 2006–07 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान प्रयोक्ता एजेसियों को 37.28 है0 वन भूमि विपथित की गई थी। ii. पिंजौर मण्डल में सिंचाई विभाग ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तिम अनुमोदन तथा एनपीवी/सीए जमा किए बिना 11.70 है0 वन भूमि पर कार्य किया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य वन विभाग ने गैर वन भूमि को अधिकृत किया था तथा वन विभाग के पक्ष में भूमि का उत्परिवर्तन प्रक्रिया के अन्तर्गत था। मंत्रालय का एन पी वी/सी ए की बकाया राशि की वसूली से संबंधित जवाब मूक था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

2010–11 तथा 2011–12 के वार्षिक लेखे वन विभाग की प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्य कैम्पा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जो प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे क्योंकि यह निर्धारित फारमेट में नहीं था। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए। हरियाणा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल चार बैठकें हुईं। 2009–12 के दौरान कार्यकारी समिति की चार बैठकें हुई।

[103] सोनीपत, जींद, हिसार, कुरूक्षेत्र, पिंजौर तथा महेन्द्रगढ़

हिमाचल प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[104]

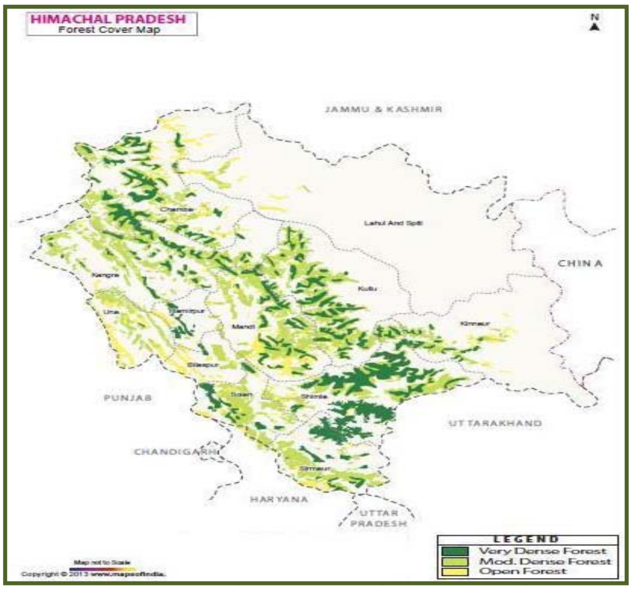

हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,67,300 हैक्टेयर है। अक्तूबर – दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 14,67,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 26.37 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने के अन्तर्गत 3,22,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,38,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 5,07,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में वन क्षेत्र ने 1,100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

वनक्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

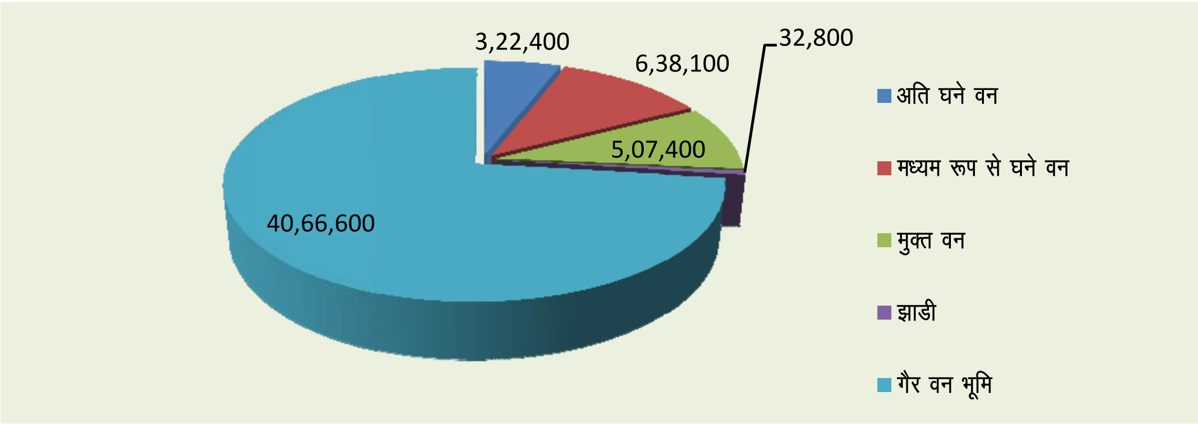

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[104]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[105] के पास निधियों का संचय
2006–07	61.11	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	22.97	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	35.80	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	99.37	36.68	1.35	35.33
2010–11	370.07	42.17	37.07	40.43
2011–12	39.12	57.13	41.55	56.01
कुल	628.44	135.98	79.97	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 22 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया। जारी किये गये ₹ 135.98 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 21.51 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को नहीं दी गई तथा राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए एन पी/सी ए/पी सी ए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले निम्न लिखित है। जिनका सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	140.86 है० वन भूमि के सात मामले[106] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी नही। लिया गया तथा जिनको अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन तथा बाद में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	8.17
2	राज्य कैम्पा द्वारा अक्टूबर 2002 से मार्च 2009 के दौरान वन भूमि विपथन के लिए ₹ 26.99 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किए गए।	26.99
3	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सड़कों के अनधिकृत निर्माण के 121 मामलों में ₹ 1.37 करोड/सीए करोड़ वसूल किया जाना था दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेसियों से इस सीए वसूल करने के लिए राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।	1.37
	कुल	**36.53**

उक्त टिप्पणियों के संबंध में मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एन पी वी की इस वसूली में काफी सारी प्रयोकता एजेंसियां शामिल हैं इसलिए इसमें और समय लगेगा तथा तथा इसकी प्रगति के बारे में लेखापरीक्षा को उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा।

[105] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[106] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीबी (वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन)		4.44	0.18		11.48	10.72		15.43	12.71
प्रतिपूरक वनरोपण (सीए)		0	0		0.70	0.60		2.54	2.12
वन्यजीव प्रबन्धन (पीए)		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		2.85	1.17		21.83	22.59		16.38	15.69
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप यदि कोई हो		0	0		4.41	3.16		8.77	6.30
विविध प्रतिदाय		0	0		0	0		0	4.73
कुल	**36.68**	**7.29**	**1.35**	**42.17**	**38.42**	**37.07**	**57.13**	**43.12**	**41.55**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्व्यक एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त संपूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2009–10 में 20 प्रतिशत, 2010–11 में 91 प्रतिशत तथा 2011–12 में 75 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में चार प्रतिशत, 2010–11 में 88 प्रतिशत तथा 2011–12 में 73 प्रतिशत था। य़द्यपि व्यय की प्रतिशतता में गत तीन वर्षों से प्रगामीरूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह की राज्य की अवशोषी क्षमता पर ध्यान रखते हुए प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,131.44 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**वन्य जीव के अनुरक्षण तथा सुरक्षा पर निधियों का उपयोग न करना**	मार्च 2012 को ₹ 11.72 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए राज्य कैम्पा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा से प्राप्त ₹ 29.31 करोड़ में से ₹ 17.59 करोड़ उपयोग कर सका। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण कार्यकलापों, अर्थात वनों तथा वन्य जीव के संरक्षण,विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा आदि आरम्भ नहीं किया जा सके, जैसाकि वर्ष 2009–12 की योजना की गई, के इसके अतिरिक्त एपीओ अवास्तविक आधार पर बनाए गए थे। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013) कि विभिन्न कार्यकलापो पर राज्य कैम्पा के व्यय में 2009–12 के दौरान क्रमिक वृद्धि हुई है। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि इन वर्षों के दौरान ₹ 135.98 करोड़ में से केवल ₹ 79.97 करोड़ ही प्रयुक्त किए जा सके अर्थात 59 प्रतिशत ₹ 56.01 की अप्रयुक्त राशि जो कि वन्य जीव की सुरक्षा एवं रखरखाव में खर्च की जानी चाहिए थी।	11.72
2	**योजना के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना**	₹ 10.00 करोड़ के एक योजना के अन्तर्गत "ऊहाल चरण ।।। एचईपी सीएटी योजना" विभिन्न कार्यकलापों जैसे संवर्धन रोपण, सहायक वन वर्धन प्रचालन, समेकन तथा सीमांकन, वन सुरक्षा, सड़को का निर्माण भवनों का निर्माण, मिट्टी संरक्षण तथा आकस्मिक व्यय का निष्पादन करने के लिए तैयार की गई। योजना 2002–03 से 2012–13 तक 10 वर्षों की अवधि में निष्पादित की जानी थी। 540 हैक्टेयर वन भूमि के लक्ष्य के प्रति रोपण कार्य दिसम्बर 2012 को ₹ 6.00 करोड़ की अव्ययित राशि के साथ रोपण किए जाने के लिए 249 है. वन भूमि छोड़कर 2011–12 तक ₹ 4.00 करोड़ की लागत पर केवल 291 हैक्टेयर वन भूमि पर किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध निधियों के अनुसार सी ए टी योजना के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है तथा अगले दो–तीन वर्षों में उसके पूर्ण होने की आशा है।	6.00
3	**बंदर वन्धीकरण कार्यक्रम पर रू. 4.97 करोड़ की एनपीवी निधियों का विपथन**	राज्य कैम्पा ने बंदर वन्धीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2011–12 वर्षों के दौरान ₹ 4.97 करोड़ की राशि जारी की जबकि 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के राज्य सरकार के विनियोग लेखा के अनुसार इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.77 करोड़ खर्च किया गया । इस प्रकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां के निर्गम के पूर्व, व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। इसलिए राज्य कैम्पा ने कथित योजना के कार्यान्वयन पर ₹ 4. 97 करोड़ का अनियमित व्यय किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि बंदी बंधीकरण कार्यक्रम राज्य कैम्पा संचालन समिति द्वारा ए पी ओ में शामिल किया गया था। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2011–12 तक उक्त कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था।	4.97
4	**भण्डार मदों की खरीद पर अनियमित व्यय**	छः वन मंडलों में प्रतिस्पर्धी बोली तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा उचित वित्तीय कार्यविधियां अपनाए बिना ₹ 2.53 करोड़ की लागत पर 2009–12 वर्षों के दौरान कुछ भंडार मदों की खरीद की थी जिसमें	2.53

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		जीएफआर का उल्लंघन हुआ इसलिए ₹ 2.53 करोड़ का संपूर्ण व्यय अनियमित था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि खरीदी गई वस्तुओं के साथ– साथ कार्यालयों के ब्यौरो तथा लेखापरीक्षा जल्दी ही भेज दिये जाएगें।	
5	**जीपीएस उपकरणों की खरीद पर रू. 20.22 लाख का अनाधिकृत व्यय**	राज्य कैम्पा ने दिसम्बर 2010 में ₹ 0.20 करोड़ की लागत पर मै. असीम इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली से 200 जीपीएस उपकरणों की खरीद की। तथापि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार जीपीएस उपकरण सम्बन्धित राज्य को भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा दिये जाने थे। इस प्रकार जीपीएस उपकरणों की खरीद पर किया गया ₹ 0.20 करोड़ का व्यय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रतिकूल था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि जी पी एस यंत्रों की आपूर्ति एफ एस आई देहरादून द्वारा की जानी थी।	0.20
6	**बाहय एजेंसी के माध्यम से अलाभकर रोपण**	प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 0.60 लाख प्रति हैक्टेयर के विभागीय वित्तीय प्रतिमानों पर कोल बांध जलाशय के पास 1531 हैक्टैयर क्षेत्र पर किनारा रोपण के लिए ₹ 9.15 करोड़ जमा किया। कार्य फरवरी 2006 में ईको टास्क फोर्स (ईटीएफ) को आवंटित किया गया था। लेखापीक्षा में पाया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किए गए ₹ 9.15 करोड़ के प्रति ₹ 5.47 करोड़ का अधिक व्यय करने के बावजूद 581 हैक्टेयर भूमि पर रोपण अभी किया जाना था। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभाग ने कोल बांध एचईपी सीएटी योजना के अन्य संघटकों से ₹ 7.34 करोड़ विपथित किया था । जिसके कारण अन्य कार्यकलापप्रभावित हुए। एक अन्य मामले में लारजी एचईपी सीएटी योजना की कुल लागत ₹ 12.80 करोड़ थी। जिसमें से ₹ 8.93 करोड़ ₹ 0.31 लाख प्रति हैक्टेयर के विभागीय वित्तीय प्रतिष्ठानों पर 2859 हैक्टेयर क्षेत्र पर वनरोपण के निष्पादन तथा अनुरक्षण के लिए उददिष्ट था। विभाग ने कार्य स्वयं नहीं किया परंतु मार्च 2010 में उसे ईटीएफ बी को आंवटित किया गया था। 2010–12 के दौरान ईटीएफ ने 614 हैक्टेयर में रोपण किया और ₹ 7.87 करोड़ (सैज एचईपी सीएटी योजना से विपथित ₹ 1.50 करोड़ की स्थापना लागत सहित का भुगतान किया गया था। यह देखा गया था कि कार्य का केवल 21 प्रतिशत (614 हैक्टेयर) कुल उददिष्ट निधियों का 88 प्रतिशत उपयोग करने के बाद पूर्ण किया गया था। शेष कार्य ईटीएफ की वर्तमान दर पर ₹ 23.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार ईटीएफ को कार्य का आवंटन अलाभकर था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई टी एफ की स्थापाना को पुनः शामिल करने का मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है तथा इस मामलों में अंतिम निष्कर्ष उचित समयाअवधि में सूचित कर दिए जाएगें।	
7	**सीए कार्य का निष्पादन न करने के कारण पर्यावरण को हानि**	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के सभी मामलों में विपथित क्षेत्र के दोगुने में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण की हानि को पूरा करने के लिए अंतिम अनुमोदन के एक वर्ष के अन्दर किया जाना अपेक्षित था।	

क. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के विपथन, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जून 2002 तथा नवम्बर 2011 के बीच अनुमोदित किए गए थे, के 106 मामलों में अनुमोदन के एक वर्ष के अंदर विभाग द्वारा सीए नहीं किया गया था यद्यपि प्रयोक्ता एजेंसियों ने ₹ 8.20 करोड़ की सीए की लागत जमा कर दी थी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामरूवरूप पर्यावरण महत्व को बहुत हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि सी ए कार्यों का कार्यान्वयन प्रगति पर है तथा वह सारे बचे हुए कार्यों को पूरा करने पर केंद्रित है।	
8	सीए के अन्तर्गत पौधों का जीवित न रहना	राज्य वन विभाग ने 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 71,87,592 पौधे लगाए। इनमें से 15,50,217 पौधे भारी सूखा आग दुर्घटनाओं तथा खराब मृदास्थितियों के कारण नष्ट हो गए। पौधों की नश्वरता 22 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य की जलवायु तथा पहाड़ी क्षेत्र में जीवितता अच्छी थी। सत्यता यह थी कि 22 प्रतिशत पौधे मर गये।	
	कुल		**25.42**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार[107]– 932.85 है.[108] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 4,080.23 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – 932.85 हैं एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 4,080.23 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	8240.04 है. दोगुनी निम्नीकृत भूमि पर सीए के लिए मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया , 7.56 है. के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं दिया गया
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 8,247.61 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2,789.51 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित, प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखो के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

[107] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)

[108] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

तालिका से स्पष्ट है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकडो एवं राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये आंकडों में अतुलनीय विसंगतियां पायी गई। आर के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि उद्देश्यों के लिए वन भूमि का विपथन 932.85 है० थी। तथा उसके बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी। जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार ये संख्याएं क्रमशः 4,080.23 है० तथा शून्य प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार कोई गैर वन भूमि हस्तांतरित/प्रविर्तित वन विभाग के पक्ष में नहीं हुई तथा आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित हुई। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनीकरण नहीं हुआ तथा निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनीकरण किये जाने वाले वनीकरण क्षेत्र का 34 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमिताएं

क्र. सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना वन भूमिका विपथन**	करसौंग वन मंडल में एचपीपीडब्ल्यूडी तथा खण्ड विकास अधिकारी ने 34.2 हैक्टेयर वन भूमि पर 1997–98 से 2008–09 तक की अवधि के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना 42.9 कि.मी. लम्बी 27 सड़कों का निर्माण किया था। स्टैट कैम्पा द्वारा वनभूमि के विपथन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति की कोई कार्रवाई नहीं की थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन का मामला हिमाचन प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अंतिम कार्यवाही की जाएगी।
2	**वन भूमि का अनियमित विपथन**	प्रयोक्ता एजेंसी से गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना मण्डी तथा कुल्लू जिलों में लारजिल एचईपी के निर्माण के लिए 1987 में 16.28 हैक्टेयर वन भूमि विपथित की गई थी और इस आशय, कि राज्य में गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं थी, मुख्य सचिव के प्रमाणपत्र बिना 1992–94 के दौरान 32.56 हैक्टेयर वन भूमि पर सीए अनुमत किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) की मामला हिमालच प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी जैसे उनके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। तथापि राज्य कैम्पा ने दिसम्बर 2012 तक निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि दिसम्बर 2012 तक ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई। तथ्यों को स्वीकारते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) 2009–10 से

2011–12 के वर्षों के वार्षिक लेखाओं को बनाने का कार्य चार्टरड अकाउटेंट को दिया गया। तथा अंतिम लेखे सी ए फार्म से प्राप्त होते ही लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जाएगें।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। तथापि,कार्यकारी समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुई। संचालन समिति की 2009–12 के दौरान सात बैठकें हुईं। शासी निकाय ने 2009–12 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की। तथ्यों को स्वीकरतें हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि क्योंकि लेखे तथा अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुए थे इस लिए शासी निकाय की बैठक आयोजित नहीं जा सकी। अब लेखे कम्पाइल किये जा रहे है तथा पूर्ण होने के अंतिम चरण में है अतः शासी निकाय की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जायेगी।

जम्मू कश्मीर

1. पृष्ठभूमि[109]

जम्मू–कश्मीर का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,22,23,600 हैक्टेयर है। अक्तूबर –दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 22,53,900 हैक्टेयर था जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.14 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 4,14,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 8,76,000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 9,63,900 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र मे 2011 निर्धारण में 200 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई गई।

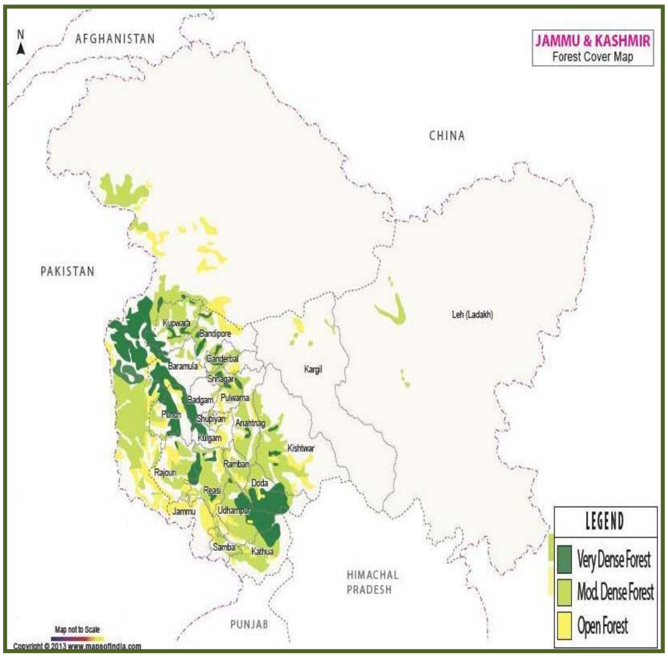

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

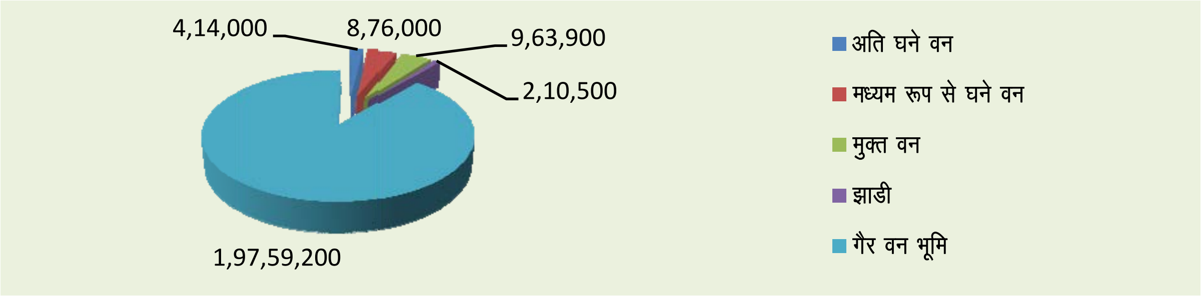

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

केन्द्रीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर वन विभाग, जम्मू कश्मीर संरक्षण अधिनियम (एफ सी ए) 1997 द्वारा शासित है। केन्द्रीय समर्थ कमेटी (सी ई सी) के निर्देशों (फरवरी 2010) के अनुसार जम्मू कश्मीर की राज्य कैम्पा को सिर्फ एन पी वी तदर्थ कैम्पा के पास जमा करना था तथा बाकी सी ए/ए सी ए इत्यादि राज्य कैम्पा द्वारा रखा जाना था। इसके अलावा सी इ सी की सिफारिशें थी कि जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा द्वारा सी ए से प्राप्त राशि का उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू की गई उच्चतम सीमा वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए ए पी ओ के

[109] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जा सकता था तथा बाद के वर्षों के लिए तदर्थ कैम्पा ए पी ओ के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित राशि जारी करेगा।

जम्मू कश्मीर अपने संरक्षण अधिनियम, 1997 से शासित होने से, राज्य कैम्पा का ए पी ओ इसलिए तदर्थ कैम्पा के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाता था। कार्यान्वयन एजेंसियों ने उनके विशेष देशीय/क्षेत्रीय मंडलों के संबंध में प्रथम चरण के रूप में पांच साल (2010–15) के लिए योजना प्रस्ताव (पी पी) तैयार कर लिये थे। ए पी ओ इन पी पी में से निकाले गए तथा कैम्पा की कार्याकारी समिति के पास सिफारिशों तथा संचालन समिति के पास अंतिम अनुमोदन के लिए जमा किए गए थे।

राज्य कैम्पा का गठन अप्रैल 2011 में हुआ था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[110] के पास निधियों का संचय
2006–07	27–04–2011 को तदर्थ कैम्पा को ₹ 74.05 करोड़ अन्तरित किये गये और ₹ 291.85 करोड़ के एफ डी आर केन्द्रीय तदर्थ कैम्पा के नाम प्रतिभूत दर्शाते थे	शून्य	शून्य	उ.न.
2007–08		शून्य	शून्य	उ.न.
2008–09		शून्य	शून्य	उ.न.
2009–10		11.15	2.75	8.40
2010–11		15.70	16.00	8.10
2011–12		40.24	36.93	11.41
कुल	365.90	67.09	55.68	

यह अवलोकन गया था कि वर्ष 2009–12 से तदर्थ कैम्पा ने जम्मू कश्मीर राज्य कैम्पा को कोई निधियां जारी नहीं की थी। जम्मू कश्मीर कैम्पा, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्तियों के संबंध में शीर्षवार/प्रयोक्ता वार लेखे नहीं बनाए गए थे इसके स्थान पर सभी धन जैसा एन पी वी/सी ए आदि परस्पर मिल गए थे।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

जे एण्ड के में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले, जो लेखापरीक्षा के ध्यान में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 26 तथा 27 में भी दिया गया है।

[110] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	उच्चतम न्यालय न्यायालय ने मार्च 2008 में एन पी वी की दर संशोधित की थी। तथापि आठ मंडलों[111] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एनपी वी संशोधित दरों परएकत्र नहीं किया गया था।	21.04
2	वन विभाग ने गैर वन प्रयोजनों हेतु एजेंसियों को 10683.86 है0 भूमि का विपथन किया (1991 से मार्च 2012) परन्तु ₹ 795.75 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था।	795.75
3	वन्यजीवन संचुरी भूमि का विपथन (679.12 हैक्टेयर) • अक्तूबर 2007 में मुगल रोड के निर्माण के लिए अभयारण्य से भूमि के विपथन के बदले एनपीवी की संशोधित दरें लागू न करने और वन्यजीव अभयारण्य के लिए निर्धारित एनपीवी की सामान्य दर का पांच गुना प्रभारित न करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी (मुगल रोड मण्डल शोपियां) से ₹ 25.04 करोड़ के एनपीवी की कम वसूली हुई। इसके अलावा ₹ 13.72 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि भी दिसम्बर 2012 एक प्रयोक्ता एजेंसी के प्रति बकाया थी। • मार्च–जुलाई 2010 के दौरान 600.68 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति छः मामलों में ₹ 3.00 करोड़ का सीए भी दिसम्बर 2012 को प्रयोक्त एजेंसियों (बीआरटीएफ तथा आईटीबीपी) से वूसल नहीं किया गया था। • बनिहाल से श्रीनगर तक एनएच–1 ए पर सुरंग निर्माण वन्यजीव अभयारण्य से भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 3.25 करोड़ का एनपीवी फरवरी 2007 मे कम वसूल किया गया था।	45.01
	कुल	**861.80**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[112]		0	0		0	0		0	0
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0	0		0	0
संरक्षित वन[113]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		11.15	2.75		15.70	16.00		40.24	36.93
कुल	शून्य	11.15	2.75	शून्य	15.70	16.00	शून्य	40.24	36.93

[111] बन्दरबाह,जम्मू, कामराज,अन्तनाग,लेनगेट,उद्यमपुर, लिद्वार, सौप्यन

[112] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

[113] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

आईए के संबंध में आबंटन/व्यय की तुलना में निधियों की उपलब्धता के शीर्षवार/संघटकवार ब्यौरे राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लेखे चित्रित/संकलित नहीं किए गए हैं। लेन देन एक लेखा/एकल लेखा बहियों में परस्पर मिल गए हैं। आईए से लेखे तथा प्रगति रिपोर्टों के लम्बन के कारण लेखे किसी भी चरण पर संकलित नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप सभी आईए द्वारा खर्च की गई राशि की वास्तविक संकलित स्थिति उपलब्ध नहीं थी और अभिनिश्चित भी नहीं की जा सकी। तथापि एपीओ 2010–11 में निर्धारित कार्य वर्ष 2009–10 के दौरान अग्रिम में किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि राज्य के लिए व्यय और उपलब्धियों के रूप में वित्तीय तथा फिजिकल संख्याएं राज्य के लिए समायोजित की जा रही थी। तथापि बताए गये विवरण को उत्तर के साथ संलग्न किया जाना था, दिये नहीं गये थे।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमिताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनियमितता	विवरण	राशि
1	**अप्राधिकृत व्यय**	चूंकि केन्द्रीय अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को लागू नहीं था इसलिए राज्य स्तर संचालन समिति (एसएलएससी) ने अप्रैल 2007 में निर्णय किया कि कैम्पा निधियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों के समाधान तक राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि एसएएलसी के उपर्युक्त निर्णय के प्रतिकूल राज्य कैम्पा ने ऋण, अग्रिम, खेलकूद प्रतियोगिता, निजि होटलों को भुगतान आदि के भुगतान पर ₹ 5.25 करोड़ की कैम्पा निधियों की राशि खर्च की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.25 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ।	5.25
2	**सीए निधियों का विपथन**	20 राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2010–11 में ₹ 8.78 करोड़ और 2011–12 में ₹ 12.55 करोड़ रोपण पर खर्च किया गया था जिसमें से 2010–11 मे ₹ 5.04 करोड़ तथा 2011–12 में ₹ 8.41 करोड़ चेनलिंक फेसिंग/एंगल आयरन आदि पर खर्च किया गया था रोपण पर किये गये खर्च का जो कि 57 प्रतिशत वर्ष 2010–11 और 67 प्रतिशत 2011–12 था। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निधियों का विपथन और परिणामतः रोपण और परिगामी वनरोपण का मूल उद्देश्य वंचित हुआ था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जम्मू एवं कश्मीर में अंतिम अशांत अवधि के दौरान प्रभावी बाड़ तंत्र आवश्यक था और बाड़ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2013–14 के आगे से लाइव होप बाड़ के साथ निम्न लागत की कांटेदार तार वाली बाड़ पूरित की जा रही थी। यह बाड़ व्यय के अंश को कम रखेगा।	13.45

क्रम सं0	अनियमितता	विवरण	राशि
3	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एनसीएसी द्वारा अप्राधिकृत व्यय	अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि कारपेट, एलईडी, एसी, आई.पौड, सोफासैट, प्रोजेक्टर, कार्यालय केबिनों का संस्थापन, विद्युत ट्रांसफार्मर का संस्थापन, वाहनों आदि की खरीद जैसे कार्यकलापों पर ₹ 0.31 करोड़ खर्च किए गए थे जिनका मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत प्रबंधन नहीं था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि पिछले 2 वर्षो के दौरान कई मामलों में योजना की जमीनी स्थिती और शैशव अवस्था के कारण अप्रयुक्त राशि 30 प्रतिशत से तेतीस प्रतिशत के बीच मे रही। तथ्य रहा कि 2009–12 के दौरान स्टेट कैम्पा एनपीवी योजना हेतु उपलब्ध की गई राशि को प्रयोग नहीं कर सका ।	0.31
4	निधियों का कम उपयोग	2009–12 वर्षों के दौरान वित्त वर्ष के अन्त में बडा अव्ययित शेष था जो 24 से 75 प्रतिशत के बीच था।	
5	राज्य कैम्पा तथा वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों में बडा अन्तर	8 राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2011–12 के लिए राज्य कैम्पा तथा वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों में बडा अन्तर था। वर्ष 2011–12 में निधियों के आबंटन में अन्तर ₹ 0.03 लाख से ₹ 93.52 लाख के बीच और व्यय में अन्तर ₹ 31.27 लाख से ₹ 1.43 लाख के बीच था। इस प्रकार वन मण्डलों के आबंटन तथा व्यय के आंकडों का मिलान राज्य कैम्पा के आंकडों के साथ नहीं किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि बिना खर्च किये गये शेष तथा व्यय के ब्यौरों के साथ वर्ष 2011–12 के लिए मंडल वार निर्धारण किया गया था। तथापि उत्तर के साथ संलग्न किये जाने वाले बताये गये सहायक दस्तावेज दिये नहीं गये।	
6	सी ए की पुष्टि से संबंधित संचालन समिति के निर्णय का अनुसरण नहीं किया गया	संचालन समिति ने अप्रैल 2011 मे निर्णय किया कि वनरोपण हेतु कोई क्षेत्र किए जाने से पूर्व इसका समायोजन अक्षांश ओर देशांतर रेखा के रूप में अभिलिखित किया जाना था और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का फोटोग्राफी–वीडियोग्राफी के साथ–साथ सेटेलाइट इमैजिनरीस पर के रूप में अभिलिखित किया जाना था। यह नोटिस किया कि दिसम्बर 2012 के राज्य कैम्पा द्वारा लिये गये सी ए के पुष्टीकरण से संबंधित कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।	
	कुल		**19.01**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[114]– उ0न0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3,967.46 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	एनओ के अभिलेखों के अनुसार– उ0न0 आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार– उ0न0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3,967.46 है0
गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र की संलग्नता	जे एण्ड के संबंध में प्रमाणपत्र उप/मण्डल आयुक्त द्वारा जारी किया जाना है। अधिकांध प्रमाणपत्र संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे और कुछ प्रमाणपत्र स्वयं प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जारी किए गए थे।
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–14,312.00 है0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–7,838.00 है0 (2010–11 एवं 2011–12) गैर वन भूमि पर–शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार– उ.न. एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

एफ सी अधिनियम 1980 जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। एफ ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि 3,967.46 हैक्टेयर थी तथा इसके बदले में कोई गैर वन भूमि प्राप्त नहीं हुई थी। निम्नीकृति भूमि किया गया वन रोपण, वर्ष 2010–12 के दौरान वनरोपित अभिज्ञात क्षेत्र का 55 प्रतिशत था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का प्रकार	विवरण
वन्यजीव अभयारण्य भूमि का विपथन	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि छः मामलों में मार्च–जुलाई 2010 के दौरान 600.68 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति सीए करने के लिए गैर वन भूमि दिसम्बर 2012 तक राज्य वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

[114]पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

कैम्पा की लेखाकरण प्रक्रिया एसआरओ–354 के प्रावधानों के अनुसार महालेखाकार, जम्मू तथा कश्मीर के परामर्श से विकसित किया जाना है। राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत की जानी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं के लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए यह पाया गया था कि जीएफआरएस के अनुसार अनुरक्षित किए जाने को अपेक्षित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टर यथा परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, सामग्री खरीद रजिस्टर, कार्य रजिस्टर तथा मस्टर रौल रजिस्टर आदि राज्य कैम्पा तथा इसके विभिन्न मण्डलों द्वारा बनाए नहीं गए थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) किकैम्पा लेख पुस्तिका का अंतिम रूप प्रक्रिया के अन्तर्गत था तथा महत्वपूर्ण अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधी, प्रयोक्ता एजेंसियों को इस संबंध में जो भी मौजूदा भिन्नताएं थी उनके सख्ती से परिपालन के लिए निर्देशित किया गया था।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए उचित रूप से रोकड बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बहियों के अनुचित रखरखाव के कारण 2007–08 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके। इसके कारण कुछ कमियां निम्न थीं:

- बैंक के साथ आंकडों का मिलान नहीं– राज्य कैम्पा द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही में दर्शाए शेषों के आंकडों तथा 2007–12 के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक विवरण में दर्शाए आंकडों में ₹ 0.09 करोड़ से ₹ 5.41 करोड़ के बीच बडा अन्तर था।

  तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि रोकड़ पुस्तिका का सत्र नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित के अनुसार रख–रखाव होगा। यह भी बताया गया था कि लेखापरीखा में संकेत किया गया था, रोकड़ पुस्तिका तथा प्रगति रिपोर्ट के मध्य संख्याओं की भिन्नताएं सही करनी थी।

- बैंक द्वारा दर्शाए आहरण परन्तु रोकड़ बही में विद्यमान नहीं: बैंक विवरण के अनुसार राज्य कैम्पा के बैंक खाते से मार्च 2005 से जनवरी 2011 तक के दौरान ₹ 90.62 करोड़ आहरित दर्शाए गए थे जिसमें सात एफडीआर के प्रति ₹ 84.00 करोड शामिल थे। तथापि कैम्पा की रोकड़ बही में ऐसी कोई प्रविष्टियां नहीं पाई गई थीं।

- ₹ 33.27 करोड़ के गुम चैक: रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार 25 चैक (संख्या 8659423, 8659425, 8659428,8659432 से 8659444 8659446 से 8659450, 7285401, 7285402, 7285405, 7285409) गुम पाए गए थे। इन गुम चैकों के ब्यौरे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए गए थे। इसके अलावा ₹ 33.27 करोड़ के 162 चैक राज्य कैम्पा के खाते में गुम पाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.27 करोड़ की हानि हुई।

- ₹ 66.58 करोड़ के एनपीवी/सीए के क्रेडिट का लेखांकन नहीं करना : एनपीवी/सीए आदि के प्रति ₹ 66.58 करोड़ के चैक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे परन्तु उनका क्रेडिट बैंक खाते में खोजने योग्य नहीं था। इस प्रकार रोकड बही में दिखाई देने वाली परन्तु बैंक खातों में दिखाई न देने वाली प्राप्तियां ने इंगित किया कि या तो चैक बैंक में जमा नहीं किए गए थे अथवा उनके क्रेडिट बैंक द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.58 करोड़ की हानि/क्रेडिट का लेखांकन नहीं हुआ।

- रोकड़ बही में अग्रिमों का लेखांकन न करना: सैल्फ चैक के प्रति बैंक से आहरित ₹ 8.49 लाख और जुलाई 2007 में प्रदत्त ₹ 5.00 लाख के अग्रिम की प्रविष्टि रोकड़ बही में खातो प्राप्ति अथवा भुगतान की ओर नहीं की गई थी। इसके अलावा मार्च 2008 को ₹ 33 लाख के अथशेष तथा जुलाई 2007 को ₹ 7.06 करोड़ के अथशेष की प्रामाणिकता उचित अभिलेखों का रखरखाव न करने के कारण लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

- कार्यान्वयन एजेसियों को जारी राशियों, जैसे प्रगति रिपोर्ट में दर्शाई गई और राज्य कैम्पा द्वारा अनुरक्षित रोकड़ बही में प्रदर्शित राशियों के बीच 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में क्रमशः ₹ 3.07 करोड़ तथा ₹ 2.01 करोड़ का अन्तर था।

- एफडीआर के अभिलेख न बनाना: एफडीआर का अथशेष/नवीन/नवीकरण/अन्तशेष आदि दर्शाने वाला कोई रजिस्टर राज्य कैम्पा द्वारा बनाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त एफडीआर की वास्तविक राशि, निवेशों की वास्तविक तारीख, पुनर्निवेश, परिपक्वता की तारीख, अर्जित ब्याज आदि दर्शाने वाली बैंक पुष्टियां राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थीं। खुले कागजों पर उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार ₹ 71.91 करोड़ के उपचित योग्य ब्याज सहित एफडीआर की मूल राशि ₹ 545.30 करोड़ और परिपक्वता मूल्य ₹ 617.21 करोड़ था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि पी सी सी एफ कार्यालय में एफ डी आर के पूर्ण कम्प्यूटरीकृत अभिलेख उपलब्ध थे। तथापि जवाब के साथ संलग्न किये जाने वाले बताये गये दस्तावेज, दिये नहीं गये। इस प्रकार रोकड़ बही शेष और बैंक के मिलान के लिए और अन्य संबंधित दस्तावेजों और रोकड़ बही व वार्षिक खातों के रख–रखाव की कार्यविधि और मानक नियमों के अनुसरण करने के लिए उसके स्थान पर कोई प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वारूप अनुचित विनियोजन के मामलों पर निर्णय नहीं किया जा सका था।

7. प्रतिपूरक वन रोपण निधियों का निवेश

7.1 निवेश नीति के ढ़ाचे का अभावः–

- राशि जो तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित नहीं थी, एफडीआर में रखी जानी थी। निधियों के निवेश की ऐसी कोई नीति बनाई और अपनाई तथा कैम्पा के शिखर द्वारा अनुमोदित कराई नहीं गई थी। निवेश नीति न बनाने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई थी जो एफडीआर में निधियां रखे जाने पर प्राप्त होनी थी।

- जमाओं में कैम्पा धन का निवेश का अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कैम्पा को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको से कोटेशन मांगे जाने चाहिए थे। इसका (दिसम्बर 2009) में ईसी द्वारा भी निर्देश दिया गया था। तथापि राष्ट्रीयकृत बैंको से काई कोटेशन नहीं मांगे गए थे और पर्याप्त समय अवधि बीत जाने के बावजूद एफडीआर केवल जेएण्डके बैंक में रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ईसी द्वारा अपनी बाद की बैठकों में इस बावत कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामलों में प्रतिबिम्बित निवेश नीति के अभाव का प्रभाव निम्नवत हैः–

7.2 एफडी में कैम्पा निधियों का निवेश न करने के कारण ₹ 14.60 करोड़ के ब्याज[115] की हानि–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त एनपीवी/सीए आदि की निधियां जनवरी 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान एफडी में अथवा सब्याज खातों में इनका निवेश करने के स्थान पर राज्य कैम्पा द्वारा चालू खाते के रखी गई थीं परिणामस्वरूप ₹ 8.94 करोड़ (यदि निधियां बचत खाते में जमा की जाती) से ₹ 14.60 करोड़ (यदि एफडी में निवेश की जाती) तक ब्याज ही हानि हुई। इसके अलावा विभिन्न वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि मण्डलों ने सब्याज के स्थान पर चालू खाते में निधियां रखी, परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के बयाज की हानि हुई।

7.3 वन मण्डलों द्वारा राज्य कैम्पा को निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण ₹ 8.12 करोड़ के ब्याज की हानि–

विभिन्न राज्य वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 2002–12 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा सीए निधियों के प्रेषण में एक से 95 महीनों के बीच विलम्ब हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 8.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

[115]ब्याज की गणना 4 प्रतिशत पर की गई.

7.4 राज्य वन्यजीव विभाग द्वारा राज्य कैम्पा को निधियों के प्रेषण में विलम्ब के कारण ₹ 1.68 करोड के ब्याज की हानि–

लेह वन मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि प्रयोक्ता एजेंसी ने चुशमुले, डेमचौक रोड के निर्माण के लिए 124.80 है0 वन भूमि के विपथन के बदले राज्य कैम्पा के स्थान पर सितम्बर 2010 में राज्य वन्यजीव विभाग के पास ₹ 55.87 करोड़ की निधियां जमा कीं। वन्यजीव विभाग द्वारा निधियां राज्य कैम्पा को नौ महीनों से अधिक के विलम्ब के बाद जून 2011 में अन्तरित की गई थीं परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

7.5 विभिन्न राज्य वन मण्डलों द्वारा प्राप्त सीए निधियों का मिलान न करना–

राज्य कैम्पा तथा इसके विभिन्न मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि प्राप्य राशि, प्राप्त राशि तथा सीए निधियों की बकाया राशि अभिनिश्चित करने के लिए वन भूमि के विपथन के बदले विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सीए निधियों का राज्य कैम्पा द्वारा अपने विभिन्न मण्डलों के साथ मिलान नहीं किया गया था।

7.6 बैंक में चैक जमा करने में विलम्ब के कारण ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की हानि–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 2007–12 के दौरान बैंक खातों को क्रेडिट के लिए 352 चैकों के प्रेषण में 8 से 369 दिनों के बीच विलम्ब के कारण ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

7.7 अन्य विभागों/एजेंसियों द्वारा ₹ 32.08 करोड़ की निधियों का अप्राधिकृत जमा–

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 37 मामलों में 2007–12 वर्षों के दौरान वन भूमि के विपथन के किसी प्रस्ताव के बिना विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों ने ₹ 32.08 करोड़ की निधियां जमा की थीं।इस प्रकार, निवेश नीति/प्रक्रिया के अभाव में, इसमें राज्य कैम्पा द्वारा निधियों के निवेश में विलम्ब के कारण बकाया राशि के ब्याज की हानि तथा राज्य वन मंडल/प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की प्राप्ति/पावती में विलम्ब के मामले थे।

8. निगरानी

कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति की प्रत्येक छः महीने बाद इनकी बैठकें होनी थीं। यह देखा गया था कि ईसी की बैठक 1 माह से 10 महीनों के बीच की अवधि के अन्तर पर हुई थी। एससी की बैठक 4 माह से 11 महीनों के बीच की अवधि के अन्तर पर हुई थी। ईसी/एससी बैठकें आयोजित करने की कोई परिभाषित समय सूची नहीं थी।

झारखण्ड

1. पृष्ठभूमि[116]

झारखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79,71,400 हैक्टेयर था। नवम्बर 2008 जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य का वन क्षेत्र 22,97,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 28.82 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 2,59,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अन्तर्गत 9,91,700 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 10,47,000 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 8,300 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शाई।

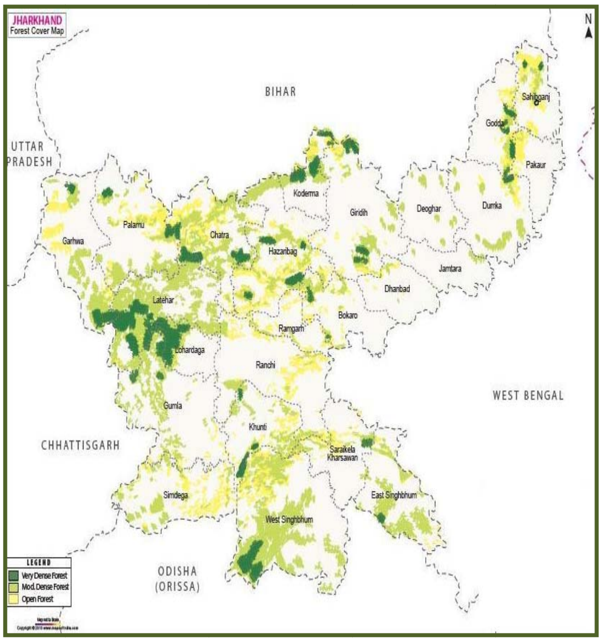

वन क्षेत्र – वन प्रकार (हैक्टेयर में)– 2011

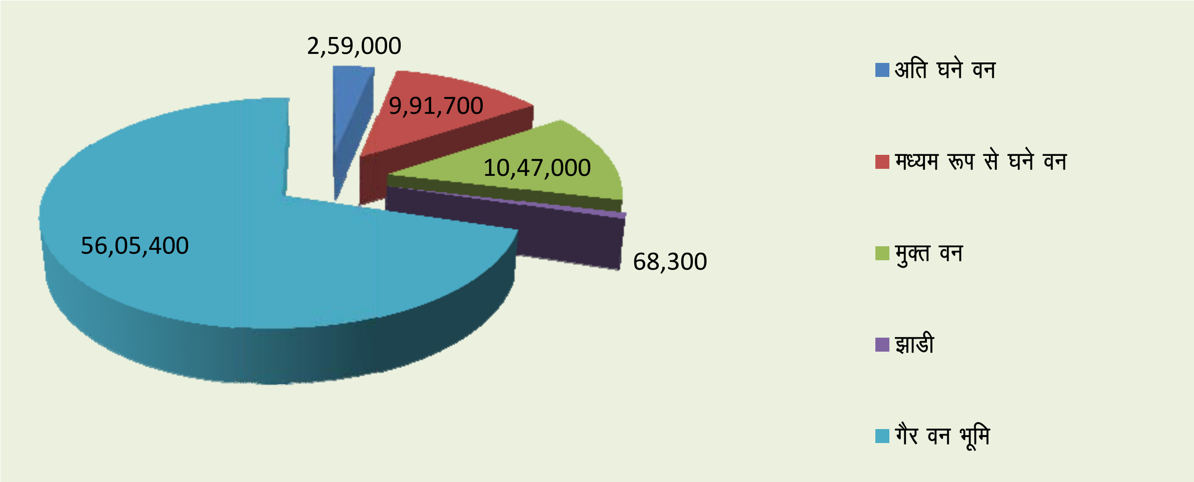

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

अक्टूबर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[116]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[117] के पास निधियों का संचय
2006–07	822.09	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	76.23	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	55.82	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	187.64	95.00	शून्य	95.00
2010–11	272.00	103.16	75.52	122.64
2011–12	184.54	62.50	109.79	75.35
कुल	15,98.32	260.66	185.31	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 16 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। प्राप्त ₹ 260.66 करोड़ में से 29 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 28.06 करोड़ तदर्थ कैम्पा को न देकर राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

झारखण्ड में लेखपरीक्षा में पाये गए एनपीवी सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के निम्नलिखित मामले नीचे दिये गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 तथा 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	विवरण	राशि
1	607.57 है० वन भूमि के 12 ऐसे मामले[118] जिनमे प्रयोक्ता एजेंसियों[119] से एन पी वी वसूल नहीं किया गया एवं जिनको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उसके बाद अंतिम अनूमोदन प्रदान किया गया।	35.24[120]
2	11 वन मण्डलों में, जिनको 2334.99 है. वन भूमि को गैर वनिकीय प्रयोजन हेतु नवम्बर 1993 एवं जुलाई 2012 के बीच सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन दिया गया, ₹ 70.05 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों[121] से वसूल नहीं किया गया। राज्य वन विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि कोडरमा वन मण्डलों से सम्बंधित ₹ 0.60 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी (नवम्बर–दिसम्बर 2012) तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि ग्यारह वन मंडलों में से दो में यह राशि	69.45

[117] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[118] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
[119] टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि., मैं. सी सी एल, भारतीय खेल प्राधिकरण, मै. एस्सार कोल फील्ड लि., मै. सेल, भरत राज सिंह आदि
[120] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (607.57×5.8)
[121] डीवीसी, एनटीपीसी, नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि., सीसीएल, जेएसईबी, एनएचएआई, तथा राज्य सरकार एजेंसियां आदि

क्रं सं	विवरण	राशि
	प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल और कैम्पा खाते में जमा की जा चुकी थी। तथापि मंत्रालय कोई लिखित प्रमाण नही दे पाया।	
3	छः वन मंडलों में नवम्बर 2012 तक 6 से 25 महीने बीत जाने के बाद भी पांच प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 5.69 करोड़ के सीए की वसूली की मांग नहीं की गई जिन्हें गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु 415.10 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए जनवरी 1995 से जून 2012 तक के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक/अंतिम अनुमोदन दिया गया । तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इस संबंध में संबंधित डीएफओ द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा रही थी तथा अंतिम निष्कर्ष से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।	5.69
4	दस वन मंडलों में सात प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 4.32 करोड़ के सीए की कम वसूली की गई जिन्हें गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु 833.87 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन की अक्तूबर 2003 से मई 2012 के दौरान सैद्धान्तिक /अंतिम अनुमोदन दिया गया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से सीए की शेष राशि की वसूली की मांग की जा चुकी थी।	4.32
5	चतरा (दक्षिण) वन मंडल में प्रयोक्ता एजेंसी (सीसीएल) से ₹ 1.48 करोड़ के पीसीए की वसूली की मांग नहीं की गई थी जिसने पटटा अवधि अर्थात 16 फरवरी 2012 के बाद 43.30 हैक्टेयर वन भूमि पर कोयला खनन जारी रखा। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से पीसीए की ₹ 1.48 करोड़ की वसूली मांग की चुकी थी।	1.48
	कुल	116.18

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[122]		95.00			103.16	75.52		62.50	109.79
प्रतिपूरक वनरोपण		0			0	0		0	0
संरिक्षत क्षेत्र[123]		0			0	0		0	0
सीएटी योजना		0			0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप		0			0	0		0	0
कुल	95.00	95.00	0	103.16	103.16	75.52	62.50	62.50	109.79

[122]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

[123]संरिक्षत क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

2009–10 के दौरान विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिए तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 95 करोड़ की राशि मार्च 2010 में प्राप्त हुई परन्तु वर्ष 2009–2010 के एपीओ का अनुमोदन न होने के कारण किसी मंडल को कोई धन अंतरित नहीं किया गया। यह तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के बीच समन्वय की कमी दर्शाता है।यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से बढ़ी है परंतु इसे ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंता शेष रहती है कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में (31 मार्च 2012) तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 2,057.88 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते हैं।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वर्ष 2009–10 में एपीओ का अनुमोदन नहीं होने तथा तदर्थ कैम्पा से निधियां देरी से प्राप्त होने के कारण वन मंडलों को धन अंतरित नहीं किया जा सका।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**अनियमित व्यय**	i. आठ वन मंडलों[124] में 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के दौरान कार्यस्थल की तकनीकी संस्वीकृति, सक्षम प्राधिकारी का विशेष अनुमान प्राप्त किए बिना विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सभी संबंधित आधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया था कि कार्यस्थल की तकनीकी संस्वीकृति तथा सक्षम आधिकारी का विशेष अनुमान प्राप्त करने के बाद ही किसी योजना को कार्यान्वित किया जाए।	23.40
		ii. जून 2010 में दिए गए संचालन समिति के निर्देशों कि प्राकृतिक वन की स्थापना तथा पर्वतों की हरियाली योजना के अर्न्तगत कोई आरम्भिक कार्यकलाप नहीं किए जाने थे, के बावजूद पांच वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2010–11 के दौरान आरम्भिक कार्यकलाप किए गए थे। मंत्रालय ने (जून 2013) बताया कि वर्ष 2010–11 प्राकृतिक वन एवं पहाड़ी हरित करन योजना में की स्थापना की दरों की अनुसूची में कोई आरम्भिक कार्यकलाप को शामिल नहीं किया गया। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पांच वन मण्डलों में 2010–11 के दौरान आरम्भिक कार्य कलाप किये गये थे।	0.16
2	**अप्राधिकृत व्यय**	i. हजारीबाग पश्चिम वन मंडल में 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित 12 रोकबांध के प्रति 16 रोकबांधों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक रोक बांध का अनुमोदित स्थल से भिन्न स्थल पर निर्माण किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अनुमोदित राशि के अंर्तगत 16 रोकबांध बनाए गए थे।मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योकि 2011–12 के	0.20

124 चतरा उत्तर, चतरा दाक्षिण, धनबाद, हजारीबाग वनरोपण, हजारीबाग पूर्व, गिरिडीह वनरोपण, रांची पश्चिम, रांची वन्यजीव

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		अनुमोदित एपीओ के अनुसार केवल 12 रोक बांधों का निर्माण किया जाना था। इसके अलावा अनुमोदित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर एक रोक बांध का निर्माण करने के बारे में मंत्रालय चुप रहा। ii. वन्य जीव वन मंडल, रांची में 2010–11 के अनुमोदित एपीओ के अनुसारएनपीवी योजना 'प्राकृतिक वनों की स्थापना' के अधीन खाई घेराबंदी/पत्थर दीवार का निर्माण किए बिना संरक्षण किया जाना था। अग्रिम कार्य 2011–12 के दौरान पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में 500 हैक्टेयर भूमि पर दस स्थलों पर आरम्भ किया गया था और दस स्थलों में से सात में कार्य खाई घेराबंदी से किया गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि घेराबंदी जिला प्रशासन के अनुमोदन से की गई। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2010–11 के एपीओ में खाई घेराबंदी/पत्थर दीवार निर्माण का अनुमोदन नहीं किया गया।	0.14
3	व्यर्थ व्यय	वन्यजीव वन मंडल, रांची में 300 हैक्टेयर में एनपीवी योजना के अंतर्गत 2010–11 के दौरान अग्रिम कार्य किया गया था परन्तु कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 2011–12 में कोई निधि जारी नहीं की गई थी जिससे अग्रिम कार्य पर किया गया व्यय व्यर्थ हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एक वर्षीय पौधे उपलब्ध नही होने के कारण वृक्षारोपण नही हो सका तथा उसे वर्ष 2012–13 में पूरा किया गया। मंत्रालय का उत्तर वर्ष 2011–12 में जो पौधे देखरेख नहीं होने के कारण जीवित नहीं बचे उनके बारे में मंत्रालय मूक वना रहा।	0.18
4	निष्फल व्यय	देवघर वन मंडल में दो स्थलों जलथर तथा कृपाहारी में विद्यमान रोपण प्रथम तथा द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य न होने के कारण विफल हो गया, परिणामस्वरूप 2008–09 तथा 2009–10 वर्ष में क्रमशः गहन वन विकास तथा कलमी आम कार्यक्रमों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यों पर किया गया व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वृक्षारोपण राज्य योजना के अर्न्तगत किया गया जिसके लिए पौधों की देखभाल संबंधी निधियां तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा द्वारा प्रदान नहीं करने के कारण यह निष्फल व्यय हुआ।	0.15
5	संदिग्ध व्यय	हजारीबाग सामाजिक वानिकी मंडल में सीए के अन्तर्गत पौधा बालवृक्ष कार्य 20 हैक्टेयर तथा 30 हैक्टेयर भूमि, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कार्यों के निष्पादन के लिए उपलब्ध थी, के बजाय रेकुआ तथा बांधडीह में क्रमशः 77 हैक्टेयर तथा 60 हैक्टेयर पर किया गया बताया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।	0.13
	कुल		24.36

कुछ चयनित वृक्षारोपण की तस्वीरें

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[125] के अभिलेखों के अनुसार – 8,320.00 है.[126] एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 15,881.06 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,989.82 है. एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 530.11 है
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,330.18 है. एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 15,350.95 है
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रामणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर –16,992.14 है० और 49 किमी. (झारखण्ड के एपीओ में गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि क्षेत्र के अलग–अलग आँकड़े नहीं दिए गए)। गैर वन भूमि पर –उपलब्ध नहीं
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 10,636.87 है० और 49 किमी. (2010–12) गैर वन भूमि पर–उ.न.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 530.11 है.
प्राप्त गैर वन भूमि आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

[125]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग नोडल अधिकारी (एनओ)
[126]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

भूमि 8,320.00 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 36 प्रतिशत थी जबकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 15,881.06 है० तथा तीन प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/परिवर्तित और न ही आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित की गई थी जबकि एनओ के अनुसार वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/परिवर्तित 530.11 है० गैर वन भूमि में से कोई भी गैर वन भूमि आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित नहीं की गई।एनओ के अभिलेखों के अनुसार 10,636.87 है० और 49 किमी (2010–12 के दौरान) वन भूमि का वनीकरण हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि की अधिसूचना का कार्य जारी है तथा इसे आरएफ/पीएफ के रूप में अधिचूचित करने के निर्देश संबंधित डीएफओ को दे दिए गए है।

5.2 भूमि प्रबंधन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
5.87 है. वन भूमि का अधिक विपथन	ढ़लभूम वन मंडल में 124.95 है. वन भूमि के विपथन के प्रयोक्ता एजेंसी के अनुरोध के बावजूद 130.82 है. वन भूमि के विपथन के लिए अप्रैल 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अंतिम अनुमोदन (चरण।।) दिया परिणामस्वरूप 5.87 है. वन भूमि का अधिक विपथन हुआ। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वन भूमि का कोई अधिक विपथन नही हुआ क्योकि प्रयोक्ता एंजेसियों द्वारा 130.82 है० वन भूमि के विपथन के लिए आवेदन किया गया। मंत्रालय का उत्तर तथ्य आधारित नही था क्योकि प्रयोक्ता एंजेंसी द्वारा 124.95 है० वन भूमि के विपथन के लिए आवेदन किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच में पाया कि ₹ 5.67 करोड़ की राशि का ढलभूम सामाजिक वानिकी जमशेदपुर एवं रांची वनमण्डलों में तथा ₹ 0.12 करोड़ ब्याज की राशि का बोकारो, देवघर एवं धनबाद वन मण्डलों में रोकड़ बहीं में लेखांकन नही किया गया। वर्ष 2010–11 में गिरिडीह वनीकारण प्रभाग की रोकड़ वही ₹ 0.92 करोड़ के वाउचर समायोजित नही होने के कारण मासिक रूप से बंद नही की गयी। देवघर तथा चतरा दक्षिण वन मण्डलों मे ₹ 0.31 करोड़ के वन अग्रिम असमायोजित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, राज्य कैम्पा द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में बैंक मिलान नहीं किया गया।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति होगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि विभागों की निधियों के लिए रखे जा रहे लेखाओं की तरह ही मण्डल स्तर पर रखे जाने के साथ–साथ लेखाओं के फार्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा वर्ष 2013–14 में सीएजी द्वारा नामित सीए से लेखाओं की लेखापरीक्षा करा ली जाएगी। सरकारी पैसे का लेखांकन नही करने/बैंक ब्याज/तथा वन अग्रिमों के असमायोजन के बारे में मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुपालन में कारवाई की जा रही है।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। झारखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की छः के प्रति 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठकें हुईं।

कर्नाटक

1. पृष्ठभूमि[127]

कर्नाटक का कुल भोगोलिक क्षेत्र 1,91,79,100 हैक्टैयर है। अक्तूबर 2008 फरवरी 2009 के सैटलाइट की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 36,19,400 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 18.87 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 1,77,700 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 20,17,900 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 14,23,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

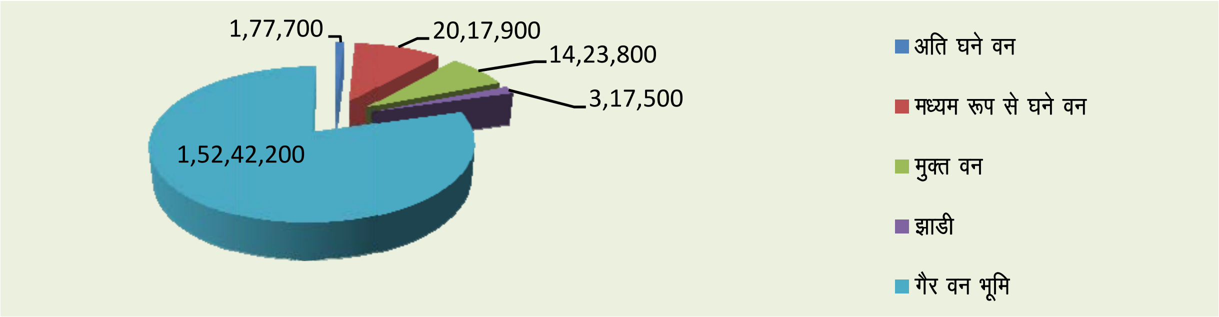

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

जून 2010 में राज्य कैम्पा का गठन हुआ/2006–07 से 2011–12 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियों, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी की गई निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया हैः–

[127]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[128] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	235.69	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	238.10	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	69.53	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	38.11	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	62.27	58.56	शून्य	58.56
2010–11	111.37	50.91	80.65	28.82
2011–12	81.32	41.57	58.73	11.66
कुल	836.39	151.04	139.38	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 18 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 151.04 करोड़ में से आठ प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 9.66 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नहीं किया और राज्य सरकार के लेखे में जमा किए गए।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

कर्नाटक में लेखापरीक्षा में देखने में आए एनपीवी/सीए/पीए आदि के नही वसूले गए। कम वसूली के मामले निम्नलिखित हैं इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24,26 तथा 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	1,336.36 है० वन भूमि के 20 ऐसे मामले[129] जिनमें प्रयोक्ताओं[130] से एनपीवी नहीं लिया गया। तथा जिनमें अक्टूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन एवं उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	77.51
2	मार्च 2008 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी की दरें संशोधित की गई। तथापि सात वन मण्डलों[131] के अभिलेखों की जाँच में पाया कि 12 मामलों[132] में एनपीवी संशोधित दर से नही वसूला गया।	3.28
3	दिसम्बर 2012 तक 2002–12 के दौरान छः वन मण्डलों में 2,535.90 है० वन भूमि के विपथन के आठ मामलों[133] में एनपीवी/सीए/पीसीए/सीएटीपी/एस एम सी कार्यो आदि की वसूली नही हुई।	188.37

[128] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[129] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 26 मार्च 2012 की जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार

[130] मै० बालाजी माइन्स मिनरल्स (पी) लि०, मैसूर सीमेंटस लि० मै० किर्लोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज लि०, मै० मैसूर मिनरलस् लि०, मै० तुगंभद्रा मिनरल्स लि०, मै० सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि० मै० एस ए तवब।

[131] हसन, बेलगाम, बैंगलोर शहरी, रामनगर,, सागर, बैंगलोर ग्रामीण, बानरघाटा

[132] डब्ल्यू पी पी, के एन एन एल, बी एम आई सी परियोजना, के पी टी सी एल आदि।

क्रम सं.	विवरण	राशि
4	बारह मामलों में जिनमें 2002–12 के वर्षो के दौरान 489.58 है० वन भूमि का विपथन हुआ उनमें दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्त एंजेसियों[134] से एनपीवी के ₹ 28.40 करोड़ नही बसूले गए। ₹ 2.88 करोड़ एनपीवी वसूली का एक मामला न्यायालय में लंबित बताया गया।	28.40
5	11 मामलों में सीए गिरे हुए वृक्षों, औषधय पौधों के मूल्य का भुगतान, पोधों के उखाड़ने का मूल्य की उचित दरों के लागू नही करने के कारण ₹ 18.47 करोड़ सीए की प्रयोक्ताओं[135] से कमवसूली हुई।	18.47
6	दो मामलों में "अपर तुंगा प्रोजेक्ट" में 449.55 है० वन भूमि के विपथन के लिए दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एंजेसियों से सीए के ₹ 1.08 करोड़ तथा सीएटीपी के ₹ 2.01 करोड़ नही वसूले गए।	3.09
	कुल	319.12

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[136]		56.64	0		37.67	68.98		26.51	42.32
प्रतिपूरक वनरोपण		3.54	0		10.63	9.19		13.09	12.22
संरक्षित वन[137]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0.68	0		2.50	2.48		5.31	4.19
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		0	0		0	0
कुल	58.56	60.86	0	50.91	50.80	80.65	41.57	44.91	58.73

2009–12 वर्षो के लिए एपीओ 6 माह के विलम्ब के बाद संचालन समिति द्वारा मई–जून में अनुमोदित किए गए। यद्यपि 2009–10 और 2010–11 वर्षो के दौरान व्यय की प्रतिशतता में क्रमिक वृद्धि हुई फिर भी राज्य की अवशेषी क्षमता पर ध्यान दे तो राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के

[133]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल हैं, मै० के आई ओ सी एल लि०, मै० के एन एन एल, मै० सर्जन रीयलतीज् लि०, मै० सुजलोन एनर्जी लि०, मै० एनरकोन इंडिया प्राईवेट लि० आदि।
[134]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल है, मै० के एन एन एल, मै० सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग, मै० हिन्द ट्रेडर्स आदि।
[135]प्रयोक्ता एजेंसियों में शामिल है, मै० के पी टी सी एल, मै० के आई ओ सी एल, मै० के एन एन एल, मै० सुजलोन एनर्जी लि० रेलवे, आर्मी आदि।
[136]वनो की सुरक्षा, संरक्षण एंव प्रबंधन पर एपीवी खर्च हुआ।
[137]सुरक्षा क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर व्यय हुई।

पास ₹ 1,028.60 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हुए तथा जो केवल विशिष्ट वानिकी कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**राज्य कैम्पा तथा एन सी ए सी द्वारा प्रधिकृत नही किया गया व्यय**	कैम्पा निधियों का राज्य वन मुख्यालयों तथा ईकोटूरिज्म संरचनात्मक निर्माण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथापि नमूना जाँच में पाया कि वाहनों की खरीद पर (₹ 3.36 करोड़) गैस्ट हाऊस/ कार्यालयीन भवन के रखरखाव पर (₹ 2.55 करोड़) अप्रचलित वीएफसी को वित्तिय सहायता देने पर (₹ 0.61 करोड़) तथा उद्यानों के सुधार पर (₹ 0.19 करोड़) व्यय किए गए।	6.71
2	**अलग लेखे नहीं बनाना**	राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र में वन भूमि के विपथन संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों या वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसियां वसूली गई धनराशि से एक पृथक निकाय बनाया जाएगा और एकमात्र रूप से राज्य के संरक्षित क्षेत्रों तथापि संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एंव सुरक्षा के लिए प्राप्त ₹ 8.08 करोड़ की धनराशि के लिए राज्य कैम्पा द्वारा बोर्ड पृथक लेखा नही बनाया गया। तथ्यों के स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि के लिए पृथक बैंक खाते के रखरखाव की कार्रवाई कर ली जाएगी।	8.08
3	**क्षेत्रीय वन अधिकारियों को वन अग्रिमों की अनियमित संस्वीकृति**	राज्य कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ₹ 0.02 करोड़ तक के वन अग्रिम केवल अपवाद स्वरूप ही संस्वीकृत किया जाना चाहिए तथा एक माह के अन्दर उनका समायोजन किया जाना चाहिए तथापि तेहरह राज्य वन मण्डलों में 2010–2012 के दौरान राज्य वन मण्डलों द्वारा ₹ 0.58 करोड़ तक के वन अग्रिमों की संस्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त मार्च 2011 में दिए गए ₹ 0.41 करोड़ के वन अग्रिमों का समायोजन मई 2011 तथा सितम्बर 2011 अर्थात 2 से 6 माह के विलम्ब के बाद के दौरान हुआ। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि सभी नियंत्रण अधिकारियों तथा कार्यान्वयन अधिकारियों को वन अग्रिमों की संस्वीकृति तथा उसके समायोजन के संबंध में राज्य कैम्पा द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दे दिए गए थे।	0.58
4	**अधिक व्यय**	बांदीपुर वन मण्डल ने वन विभाग के एसआर में निर्धारित 58 प्रतिघनमीटर के स्थान पर 107 प्रति घमी की उच्चतर दर पर कीचडदार स्थिति में टैंक/चैनल तली से गाद निकालने के कार्य पर ₹ 0.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। एक अन्य मामले में मण्डल ने वन विभाग के एसआर में निर्धारित दर की	0.16

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		तुलना में उच्च दर पर टैंक के निर्माण के लिए खुदाई कार्य के भुगतान पर ₹ 0.04 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि ये कार्य तकनीकी रूप से जाँची गई दरों पर किए गए थे तथा इन मामलों में कोई अधिक व्यय नही हुआ। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि इन कार्यो के लिए वन विभाग के एस आर में निर्धारित दरों को नही अपनाया गया था तथा ये कार्य उच्च दरों पर कार्यान्वित किए गए।	
	कुल		**15.53**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[138] के अभिलेखों के अनुसार–5,098.91 है0[139] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–3354.11 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–3,053.74 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,231.96 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2,045.17है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–1,122.15है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,187.28 है0 गैर वन भूमि पर–2,594.07 है0
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–19.60 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,231.96 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए ऑकड़ो में विभिन्नताएं पाई गई। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी कार्यो के लिए विपथित वन भूमि 5,098.91 है० तथा उसके बदले में जो गैर वन भूमि प्राप्त हुई उसकि प्रतिशतता 60 थी जबकि एन ओ के रिकोर्ड के अनुसार यह क्रमशः 3,354.11 है0 व 67 प्रतिशत थी। आर ओ

[138] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी।
[139] छूट प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर।

के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित नही हुई तथा आरएफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित हुई। जबकि एन ओ के अनुसार 2,231.96 है0 में से जो भूमि हस्तांतरित / परिवर्तित की गई कोई भी भूमि आरक्षित/संरक्षित वन धोषित नहीं की गई थी। एन ओ के रिकोर्ड के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था। निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपित होने वाले क्षेत्र के 1 प्रतिशत से कम था।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के उदाहरण**	चार मण्डलों मं छः मामलों में 323.05 है0 वन क्षेत्र के विपथन एफसी अधिनियम के उल्लंघन में किया गया। देखे गए मामलों में गोल्फ क्लब को दी गई वनभूमि, पटटा क्षेत्र से अधिक वन क्षेत्र का उपयोग, चरण IIअनुमोदन प्राप्त करने पूर्व ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्यों का आरम्भ आदि शामिल थे।
2	**माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा**	करकला वन मण्डल में अक्तूबर 2002 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क में केआईओसीएल को विपथित 4,605 है0 वन भूमि पर खनन कार्य 1 जनवरी 2006 से बन्द किए गए थे। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के बावजूद जनवरी 2007 में राज्य वन विभाग ने 3,703.55 है0 क्षेत्र को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया जिसमें 3,203.55 है0 का मुख्य भाग शामिल था, जिस पर खनन प्रचालन 1 जनवरी 2006 से बन्द किए गए थे। दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेंसी से 3,203.55 है0 वन भूमि पुनः वापस प्राप्त करने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
3	**प्रयोक्ता एजेंसी के पास पडी प्रयुक्त 600.16 है0 वन भूमि के लिए राज्य वन विभाग की निष्क्रियता**	• बंगलौर (ग्रामीण) वन मण्डल में बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए अगस्त 2002 में विपथित 565 है0 वन भूमि में से 102 है0 वन भूमि अप्रयुक्त पाई गई। सरकार ने पीसीसीएफ को सर्वेक्षण करने और पटटाधारी के पास अप्रयुक्त पडी अधिक वन भूमि को पुनः वापस प्राप्त करने का निर्देश दिया (जून 2010)। तथापि इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई (अक्तूबर 2012)। • एक अन्य मामले में 411.16 है0 वन भूमि अप्रयुक्त पाई गई थी जो "सी बर्ड" परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जुलाई 2000 में विपथित की गई। पुनर्वास प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई। क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों ने नकद पैकेज अपनाया था। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिनावन भूमि को राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया। • एक अन्य मामले में 2002–03 में "हाई पॉवर ट्रांसमिशन लाइन" बिछाने के लिए पीजीसीआईएल को दी गई 330 है० विपथित वन भूमि में से 87 है० अप्रयुक्त पड़ी वन भूमि वन विभाग द्वारा वापस नही ली गई।
4	**सीए कार्य न करना**	224 मामलों में 2002–09 के दौरान 8,692.96 है0 वन भूमि के विपथन के प्रति 8,363.87 है0 गैर वन भूमि (3,853.29 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 4,510.58 है0 गैर वन भूमि) पर सीए किया जाना था। 31 मार्च 2012 तक सीए 5,658.82 है0 में किया गया (2,918.89 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 2,739.93 है0 गैर वन भूमि) और 2917.14 है0 (1,079.60 है0 निम्नीकृत वन भूमि तथा 1,837.54 है0 गैर वन भूमि) में सीए अभी किया जाना बाकि था।

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि सीए कार्यो के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों का समाधान कर सी ए कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए मशीनरी को दुरूस्त किया जाना है।
5	**सीए कार्य के लिए गैर वन भूमि की गलत पहचान**	• बेल्लारी वन मण्डल में 659.30 है0 गैर वन भूमि पर सीए कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि पहचाना गया क्षेत्र पहाडी चट्टानी क्षेत्र था और रोपण करने के लिए उचित नहीं था। • इसके अलावा भद्रावती वन मण्डल में कि अक्तूबर 2010 में पहचानी गई 72.52 है0 गैर वन भूमि 2003–04 से राज्य वन विभाग के अधिकार में थी तथा 72.52 है० गैरवन भूमि में से 12.98 है० गैरवन भूमि पर 1990–91 में पहले से ही वन रोपण किया जा चुका था। मंत्रालय ने बातया (अप्रैल/जून 2013) कि सीए के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैरवन भूमि पहले से ही वन विभाग के पक्ष में परिवर्तित की जा चुकी है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योकि प्रयोक्ता एंजेसियों से प्राप्त गैर वन भूमि पौधो के लिए उपयुक्त नहीं थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाए जैसा कि वह निश्चित करे। तथापि राज्य कैम्पा द्वारा 2009–10 से 2011–12 वर्षो के लेखे निर्धारित फार्मेट में नही बनाए गए। निर्धारित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नही की जा सकी। इसके अतिरिक्त राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां है। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नही की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। कर्नाटक कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुईं।

मंत्रालय ने बातया (अप्रैल/जून 2013) कि क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव संचालन समिति के चेयरमैन है इसलिए मुख्य सचिव के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण कई बार बैठक निरस्त की गई। इस प्रकार राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की छः माह में एक बार बैठक हो पाना मुश्किल होगी। तथापि दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति को बैठकों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

केरल

1. पृष्ठभूमि[140]

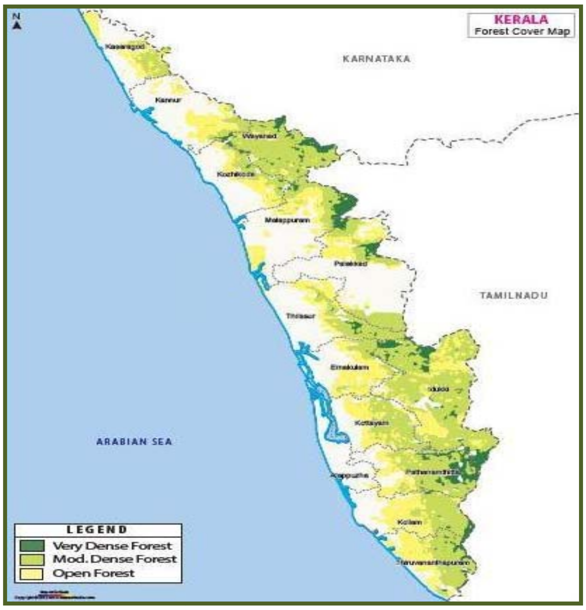

केरल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 38,86,300 हैक्टैयर था। फरवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,30,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.52 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 1,44,200 हैक्टैयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 9,39,400 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 6,46,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में वनक्षेत्र में 2400 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टयर में)– 2011

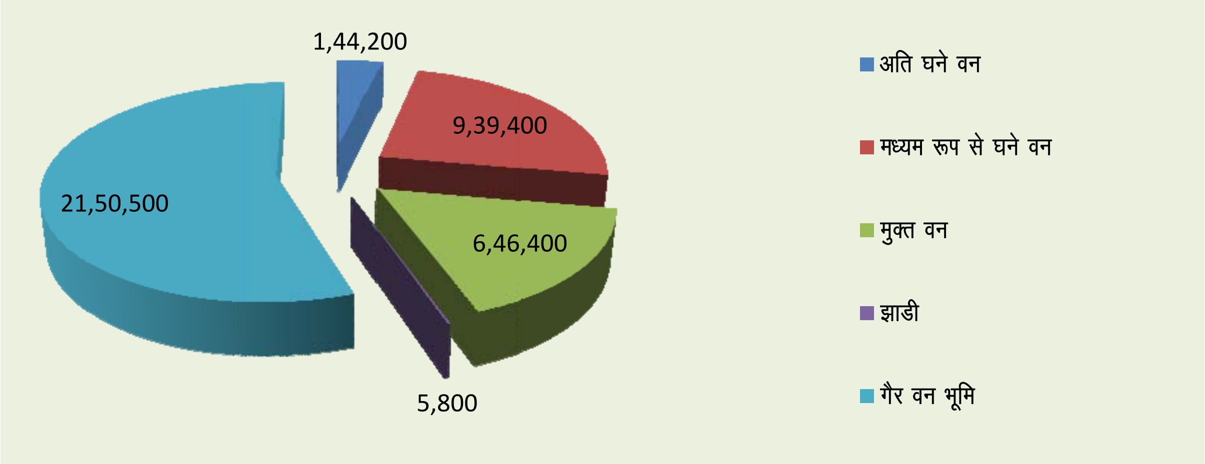

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

नवम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[140] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[141] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	11.69	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	10.98	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	5.93	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	0.59	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	0.34	1.37	0.97	0.40
2010–11	0.03	शून्य	शून्य	0.40
2011–12	1.43	शून्य	शून्य	0.40
कुल	**30.99**	**1.37**	**0.97**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 4 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹1.37 करोड़ में से 30 प्रतिशत अप्रयुक्त रही जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

केरल में एनपीवी/पीसीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	14.77 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 2 मामले[142]थे जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियो[143] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	0.86[144]
2	प्रयोक्ता एजेंसी से ₹0.29 करोड़ के एनपीवी/सीए की वसूली नहीं की जिसे संचरण लाइन बिछाने के लिए पुनालूर तथा कान्नी मंडलों में 4.4 है० वन भूमि के विपथन के लिए नवम्बर 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के विना 2006 के दौरान कार्य पूर्ण किया। पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय ने एनपीवी/सीए की वसूली के लिए काई कार्यवाई नहीं की (दिसम्बर 2012)।	0.29
3	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 30 अक्तूबर 2002 के बाद जनजातियों के पुनर्वास के लिए 7,693.23 है0 वन भूमि के विपथन के लिए कोई एनपीवी/सीए संग्रहीत नहीं किया गया था क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी के भुगतान से छूट का मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित चल रहा था।	
	कुल	**1.15**

[141] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[142] पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार
[143] प्लांटेन्शन कॉरपोरेशन
[144] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख/है0 की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एनपीवी की कुल राशि अनुमानित की गई (14.77x5.80)

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[145]		1.34	0.97		2.06				
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0.35				
संरक्षित वन[146]		0	0		0				
सीएटी योजना		0	0		0				
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0.03	0		0.29				
जोड़	**1.37**	**1.37**	**0.97**	**शून्य**	**2.70**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा ने मार्च 2010 में निधियां जारी की परंतु ए पी ओ मार्च 2011 में अनुमोदित किया गया। वर्ष 2010–11 के लिए संचालन समिति द्वारा एपीओ फरवरी 2012 में अनुमोदित किया गया था परंतु तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गयी थी। 2011–12 मे कोई एपीओ नहीं बनाया गया। 2009–10 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के प्रति व्यय 71 प्रतिशत था। वर्ष 2010–11 और 2011–12 में कोई व्यय नहीं किया गया। राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2013) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.37 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है जो कि राज्य की अवशोषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चिंता की बात है।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के एपीओ के प्रति निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी नहीं की गई थी। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि तदर्थ कैम्पा से वर्ष 2009–10 में ₹ 1.37 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा ने प्राप्त की थी और इसके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 0.97 करोड़ का व्यय किया गया था।

[145] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है
[146] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनिमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा गैर प्रधिकृत व्यय	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालय पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच से पता चला कि ₹ 0.96 करोड़ का व्यय, वाहनों की खरीद पर किया गया था अर्थात सम्पूर्ण राशि का व्यय किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) किवाहन की खरीद वन स्टेशनों की कार्य प्रकियाा के सुदृढीकरण के लिए सी ए कार्य के निष्पादन के लिए की गई थी। मंत्रालय का जवाब तथ्य पर आधारित नहीं था क्योंकि 2009–10 के लिए विशिष्ट साइट प्रति पूरक वनरोपण एपीओ में संभावित थी तथा सम्पूर्ण राशि सिर्फ इन वाहनों पर व्यय कर दी गई थी।	0.96

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[147] के अभिलेखों के अनुसार–75.99 है0[148] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–156.07 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–25.32 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–50.67है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–156.07 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	उ0न0
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–295.92 है0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 75.99 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर भूमि केवल 33 प्रतिशत थी जबकि कि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 156.07 है० तथा शुन्य प्रतिशत थीं। आर ओ एवं एन

[147] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[148] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखे 31 मार्च 2013 के बाद तैयार होगे क्योंकि तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के ए पी ओ के लिए निधियां जारी नहीं की गई थी। जबाब तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योकि तदर्थ कैम्पा से वर्ष 2009–10 में ₹ 1.37 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा से प्राप्त की थी, और उसके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 0.97 करोड़ का व्यय उठाया गया था।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठकें होनी चाहिए। केरल कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान केवल दो बैठक हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बार बैठक हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य स्तरीय कमेटियों की बैठकों की बारम्बारता मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमित होगी।

मध्य प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[149]

मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,08,24,500 हैक्टेयर है। अक्तूबर –दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 77,70,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.21 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 6,64,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 34,98,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 36,07,400 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है।

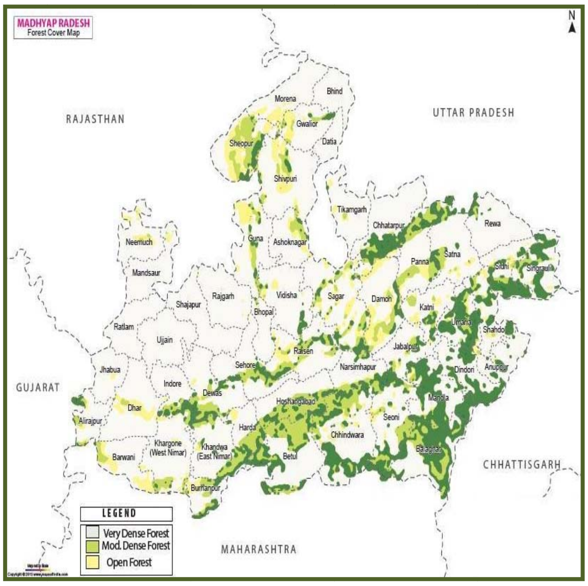

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

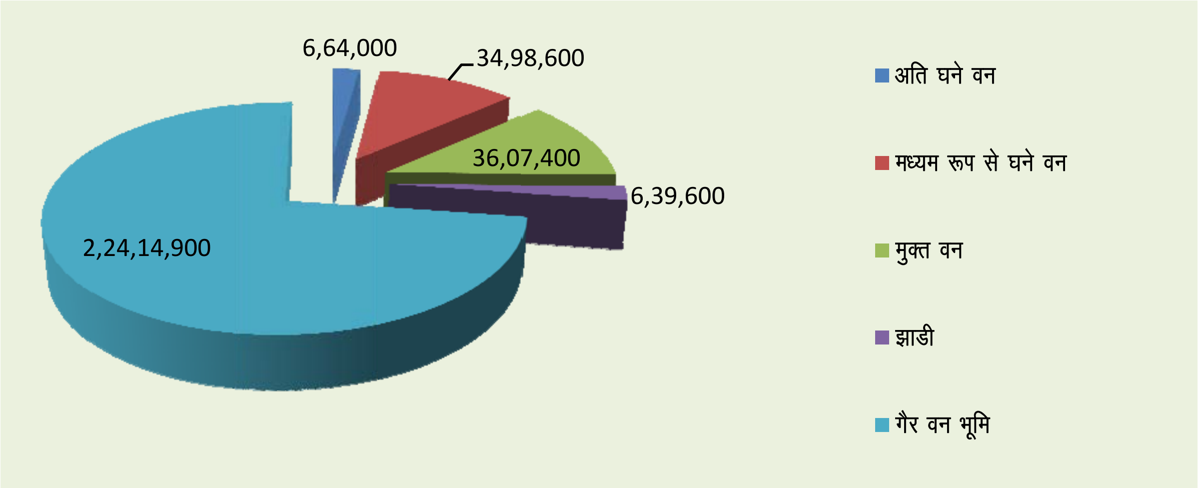

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत हैः–

---
[149]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[150] के पास निधियों का संचय
दिनांक उपलब्ध नहीं	49.43	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	225.7	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	103.51	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	114.38	53.05	शून्य	53.05
2010–11	285.10	50.97	32.66	71.36
2011–12	124.41	53.52	49.87	75.01
कुल	902.53	157.54	82.53	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 157.54 करोड़ में से 48 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तिया

मध्य प्रदेश में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24, 26 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	6,804.25 है० वन भूमि वाले 22 मामलों[151] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[152] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसकों अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धान्तिक अनुमोदन और इसके बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया था।	394.65[153]
2	उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दर संशोधित की थी। तथापि सात मण्डलों[154] के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 14 मामलों में एनपीवी संशोधित दरों पर एकत्र नहीं किया गया था।	3.80
3	₹ 68.72 करोड़ का एनपीवी/सीए आदि प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था जिन्हे वन भूमि पहले ही विपथित की गई थी।	68.72

[150] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[151] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार

[152] इनमें मुंडियाखेडा टैंक, ओमकारेश्वर वहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, अर्जुनगावा अंदर वाहान प्रोजेक्ट, एनएमडीसी, मनीष दिक्षित, मैसर्स एनसीएल, मैसर्स वीएलए इंडस्ट्री इत्यादि।

[153] लेखापरीक्षा में ₹5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की न्यूनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (6804.25×5.8)

[154] इन्दौर,धार, सेन्धवा, सतना, उत्तरी सीवनी, नरशिंगपुर और देवाश

क्रम सं.	विवरण	राशि
4	छः मण्डलों में 1984 से 2011 तक संस्वीकृत भूमि विपथन के 36 मामलों में ₹ 45.67 करोड़ का एनपीवी तथा सीए जैसा लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित किया गया,की नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा गणना नहीं की गई थी।	45.67
	जोड़	**512.84**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[155]					2.48	2.35		78.30	21.83
प्रतिपूरक वनरोपण					42.76	28.64		49.69	23.80
संरक्षित वन[156]					0	0		12.00	1.00
सीएटी योजना					0.47	0.16		0.02	0.04
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					8.05	1.51		3.63	3.20
कुल	53.05	0	0	50.97	53.76	32.66	53.52	143.64	49.87

2009–10 तथा 2010–11 वर्षों के लिए निधियां तदर्थ कैम्पा द्वारा एपीओ के बिना जारी की गई थीं। 2011–12 वर्षों के एपीओ सात महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रशितता 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में 64 प्रतिशत तथा 2011–12 में 93 प्रतिशत थी। यद्यपि व्यय के स्तर जारी राशियों के 2010–11 में 61 प्रतिशत तथा 2011–12 में 35 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय में गत तीन वर्षों में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परन्तु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1341.19 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

[155] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[156] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[157]–20,740.52 है0[158] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–9,753.47 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2,332.49 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–20,740.52 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–7,420.98 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–उ0न0 गैर वन भूमि पर– उ0न0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–5,136.97 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–492.80 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आर ओ के अभिलेखों के अनुसार शून्य एन ओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपक्षित वन भूमि 20,740.52 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं क्रमशः 9,753.47 है० तथा 24 प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में 492.80 है. वन भूमि हस्तान्तरित/प्ररिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में कोई भूमि अधिसूचित नहीं की गई थी जबकि एन ओ के अनुसार कोई गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्ररिवर्तित और आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था और 5,136.97 है० निम्नीकृत वन भूमि पर वनरोपण किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि वर्तमान वित्त वर्ष में 137 योजनाओं में वनरोपण किया जाएगा।

[157]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[158]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**खनन पटटा की अनियमित मंजूरी**	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार खनन पटटों की मंजूरी/नवीकरण के लिए वन भूमि के विपथन का अनुमोदन एमएमडीआर अधिनियम 1957 अथवा उसके अधीन बनाए नियमों के अन्तर्गत दिए जाने को प्रस्तावित खनन पटटा की अवधि के साथ का टर्मीनस अवधि, परन्तु 30 वर्षों से अधिक नहीं, के लिए सामान्यतया मंजूर किया जाएगा। शिवपुरी वन मण्डल में पत्थर खनन पटटा शर्त लगाकर कि खनन पटटा की अवधि एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अधीन मंजूर किए जाने को प्रस्तावित खनन पटटा अवधि के साथ को–टर्मीनस अवधि के लिए होगी, अप्रैल 2007 में 217.06 है0 वन भूमि के लिए संस्वीकृत किया गया था। तथापि संस्वीकृति में एफसीए के अन्तर्गत यथा अपेक्षित 30 वर्षों तक पटटा अवधि सीमित नहीं की गई।
2	**वन्य जीव संरक्षण धन का अनियमित उपयोग**	राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 11(ii) के अनुसार राज्य कैम्पा के प्रबंधन के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च इसके द्वारा निवेशित निधियों पर प्राप्त ब्याज से आय के भाग के उपयोग द्वारा पूरा किया जाएगा परन्तु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं 18, 26ए अथवा 35 के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रयोक्ता एजेंसियों सें प्राप्त निधियों से आय जैव विविधता तथा वन्यजीव सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग की जाएगी। तथापि जबलपुर मण्डल ने प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यकलापों पर ₹0.45 करोड़ का उपयोग किया जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा ने वार्षिक लेखेनिर्धारित फॉरमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए और तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही नहीं बनाए। इसके अलावा राज्य कैम्पा लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए भुगतान वाउचर तथा प्राप्ति बहियां प्रस्तुत करने में विफल हो गयामंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार करने की कार्यवाही की जा रही और इनको लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश कैम्पा की संचालन समिति की छः बैठकों के प्रति 2009–12 के दौरान दो बैठक हुईं । कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान सात बैठकें हुईं।

8. राज्य में अच्छी प्रथाएं

नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रोपण की नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन ई–ग्रीन वाच साफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा मानकीकृत तंत्र के अनुसार किया गया था।

महाराष्ट्र

1. पृष्ठभूमि[159]

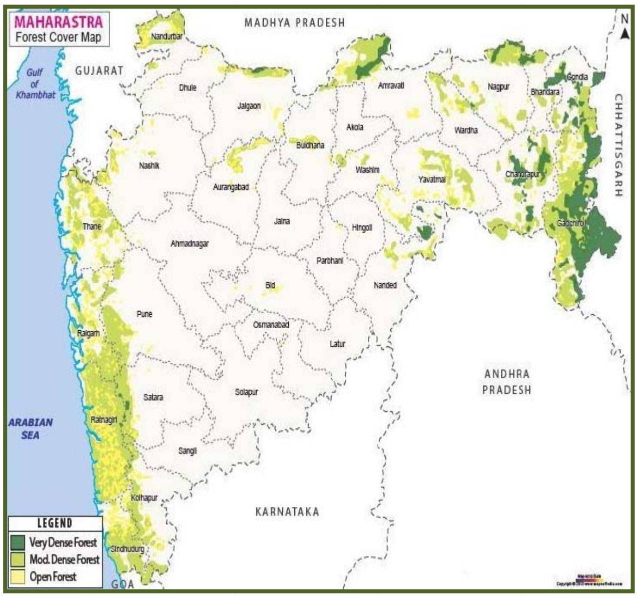

महाराष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र 3,07,71,300 हैक्टेयर था। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 50,64,600 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.46 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 8,73,600 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 20,81,500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 21,09,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 400 हैक्टेयर की कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में) – 2011

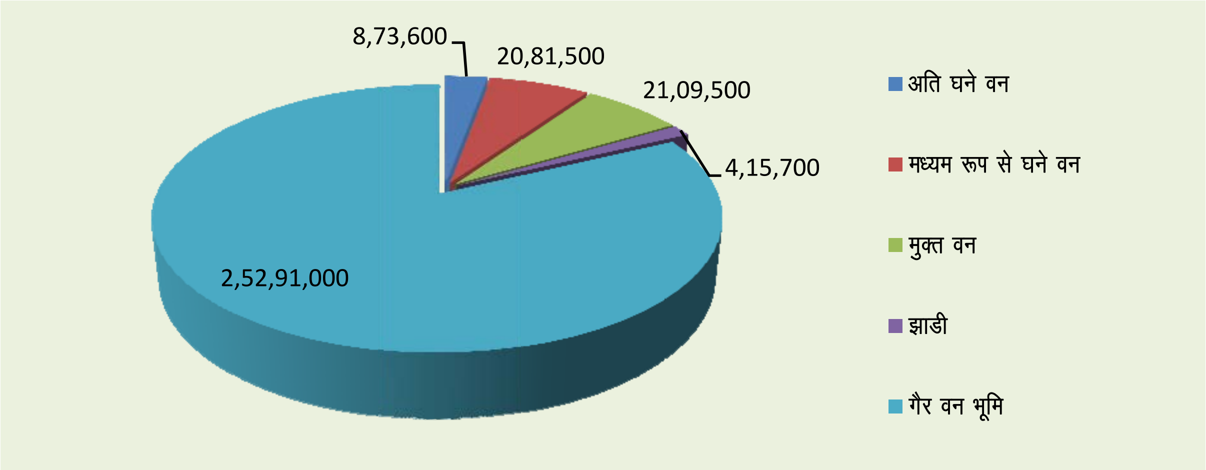

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियांतदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां, तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत है :–

[159] स्रोत:भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[160] के पास निधियों का संचय
2006-07	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	उ.न	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	उ.न	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	243.05	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	176.60	89.00	89.00	शून्य
2011-12	318.80	167.64	130.00	37.64
कुल	**738.45**	**256.64**	**219.00**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्च्तम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 35 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। ₹ 256.64 करोड़ में से 15 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जिसके कारण राप्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

महाराष्ट्र में एन पी वी/सी ए/पी सी ए आदि की गैर वसूली /कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इल मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राशि
1	1870.63 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित 63 मामलों[161] में प्रयोक्ता एजेंसियों[162] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया जिसको अक्टूबर 2002 में सैद्धांतिक अनुमोदन एवं बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया था।	108.50[163]
2	106 मामलों में 2003 से 2007 तक के वर्षों के दौरान 1927.38 हैक्टेयर वन भूमि की विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों[164] से ₹ 111.79 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। विपथित वन भूमि खनन, पाइप लाइन बिछाने, जल परियोजनाओं, पत्थर खदान, टैंक, पवन परियोजना आदि के लिए उपयोग की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से शेष एन पी वी की वसूली के लिए प्रयत्न किये जा रहे है।	111.79
3	गढ़चिरौली , मध्य चन्दा, थाणे, शाहपुर तथा नन्दुरबार वन मंडलों में ₹ 62.48 करोड़ का एनपीवी प्रयोक्ता एजेंसियों[165] से वसूल नहीं किया गया था जिनको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था।	62.48

[160] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[161] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार

[162] मै. स्वास्तिक काम्पलैक्स, श्री महेश एच खेडिया, श्री नीरज एच खेडिया, मै. सवाला ट्रेडर्स, मै. बी आर आके, मै. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, मै. मैन्गैनिस ओर इन्डिया लि., मै. सबीर स्टोन, श्रीमती बारनबाई सीता राम काम्बले, मै. इन्दिराबाई गिराडे, श्री चन्द्रजीत सिंह बग्गा।

[163] लेखापरीक्षा में ₹ 5.80 लाख/है० की न्युनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (1870.63×5.8)

[164] सिंचाई विभाग, पी डब्ल्यु डी, एम एस इ बी, मै. डी आर मात्रे, मै. डी एन पवार, मै. एम ए पाटिल, मै. एच एम शाहा, मै. मुम्ब्रा स्टोन क्रशिंग, मै. शफी इब्राहिम शेख, पटेल इंजीनियरिंग

[165] बी एस एन एल, सिंचाई विभाग, राज्य पी डब्ल्यु डी, एम एम आर डी ए, नर्मदा डेवलपमैंट डिपार्टमेंट, मेसर्स चेतक स्टोन, महावीर कंस्ट्रक्शन।

क. सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से शेष एनपीवी की वसूली के लिए प्रयत्न किया जा रहे हैं।	
4	सीए की निर्धारित दरें लागू न करने के कारण सिरोंचा से पातालगुडम तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के निर्माण के लिए 171.58 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी[166] से ₹ 8.41 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया(जून 2013) कि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं हुआ तथा सारे देय जमा करने के बाद ही इसे अंतिम अनुमोदन में शामिल किया जायेगा। इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सीए की परिवर्तित दरों को कार्यान्वित किया गया जो कि प्रयोक्ता एजेंसियों से अभी वसूल किया जाना था।	8.41
5	अलीबाग वन मंडल में ₹ 0.33 करोड़ का सीए 39.48 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के बदले प्रयोक्ता एजेंसी से कम वसूला गया था क्योंकि सीए दोगुनी निम्नीकृत वनभूमि पर किया जाना था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि जैसा कि वन विभाग को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा गैर वन भूमि दी गई थी, सीए राशि की दुगूनी वसूली वांछित थी। यद्यपि मंत्रालय का यह जवाब संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मान्य नहीं था।	0.33
	कुल	**291.51**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[167]		शून्य	शून्य		53.30	53.30		80.57	80.57
वन की सुरक्षा संरक्षण एवं प्रबन्धन प्रतिपूरक वनरोपण (सीए)		शून्य	शून्य		35.70	35.70		49.43	49.43
वन्यजीव प्रबन्धन[168]		शून्य	शून्य						
सीएटी योजना		शून्य	शून्य						
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप यदि कोई हो		शून्य	शून्य						
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**89.00**	**89.00**	**89.00**	**167.64**	**130.00**	**130.00**

[166] सीमा सडक संगठन
[167] एनपीवी वन की सुरक्षा , संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[168] संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।

2009–10 में न तो एपीओ बनाया गया और न ही निधियां जारी की गयी। संचालन समिति ने 2010–11 का एपीओ अप्रैल 2011 में अनुमोदित किया जो कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर था। फरवरी 2010 में तदर्थ कैम्पा ने एपीओ के अनुमोदन के बिना निधियां जारी की। 2011–12 का एपीओ 10 महीने के विलम्ब के बाद अनुमोदित किया गया और निधियां एपीओ के अनुमोदन के बिना जारी की गई।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यानवयन एजेंसियां 2011–12 के वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी की गई धन राशि का एक बड़ा भाग खर्च नहीं कर सकी। 2011–12 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि के व्यय का स्तर 78 प्रतिशत था। यद्यपि 2010–12 में व्यय की प्रतिशता में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है, परन्तु इसे ध्यान में रख कर राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2013) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,859.09 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापो को जारी की जा सकती है को ध्यान में रख कर चिंताए शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क.सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों तथा एन सी ए सी के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।**	इको–टूरिज्म तथा राज्य वन मुख्यालयों पर अधिसंरचना सृजन के लिए कैम्पा निधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि नमूना जांच में पता चला कि ₹ 6.19 करोड़ अधिकारियों के वाहन, फर्नीचर कम्प्युटर एवं इको टूरिज्म, आरामगृह की मरम्मत और प्रशिक्षणों (₹ 0.40 करोड़) और भवन इमारत के निर्माण एवं आधुनिकीकरण (₹ 4.88 करोड़), वन भवन इमारत के लिए सौलर ऊर्जा संयंत्र की खरीद (₹ 0.91 करोड़) पर खर्च किये गये। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एन सी ए सी के कोई भी निर्देश नही थे कि राज्य वन मुख्यालय के निर्माण पर किसी तरह का कोई खर्च न किया जाए। मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि एन सी ए सी की तीसरी मीटिंग में यह निश्चित हुआ था कि राज्य कैम्पा निधि से मुख्यालय के निमार्ण कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकता।	6.19
2	**सीसीएफ का गलत उपयोग प्रमाणपत्र**	जून – नवम्बर 2011 के दौरान मंडल कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टर तथा जल आपूर्ति के निर्माण के लिए जारी ₹ 1.19 करोड़ में से ₹ 0.91 करोड़ की राशि राज्य पीडब्ल्यूडी के पास अव्ययित पडी थी जबकि यह राशि 2010–11 के दौरान व्यय के रूप में दर्शाई गई थी। पीडब्ल्यूडी ने कोई खर्च नहीं किया था और उपयोग एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, उपयोगिता प्रमाणपत्र अतिरिक्त पीसीसीएफ (डब्ल्यूएल) मुम्बई को सीसीएफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर का दिसम्बर 2012 तक निर्माण नहीं किया गया था । इसके परिणास्वरूप एक वर्ष से अधिक के लिए ₹ 1.19 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा संपूर्ण व्यय और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी हुआ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में था। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि एफसी एक्ट 1980, के अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टता न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। कार्यानवयन एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक कार्य विधिक कार्य था।	1.19

क.सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है जैसा कि कार्यनवयन एजेंसी द्वारा संस्वीकृत कार्य के ऊपर खर्च न किये बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया।	
3	**₹ 18.77 लाख की कैम्पा निधियों का अवरोधन**	वर्ष 2011–12 के दौरान सूक्ष्म योजना बनाने, पेयजल सुविधा, एलपीजी गैस, ढ़ोल की लकडी के पेड़ों के रोपण के एनपीवी संघटकों के अर्न्तगत रोपण हेतु दो विलेज ईको डवलपमेंट कमेटी (वीईडीसी) को ₹ 20.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। वीईडीसी ने दिसम्बर 2012 तक केवल ₹ 1.23 लाख (जारी राशि का 4 प्रतिशत) का उपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.77 लाख की कैम्पा निधियों का एक साल तक अवरोधन हुआ। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2012–13 के समाप्त होने पर सारी निधियों का उपयोग कर लिया जाएगा। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जो कार्य 2011–12 में पूरा होना था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया था।	0.19
	कुल		**7.57**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[169] के अभिलेखों के अनुसार – 2,867.22 है.[170] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 6,361.09 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –4,077.99 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –2,867.22 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2,283.10 है.
सम्बद्ध गैर वनभूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 3,916.65 है. गैर वन भूमि पर – 4,913.26 है.
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – शून्य गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तिरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –3,349.07 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी के उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 2,867.22 है० और उसके बदले में प्राप्त वन भूमि शून्य प्रतिशत थी

[169] पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय काक्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[170] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

जबकि एन ओ अभिलेखों के अनुसार यह संख्याए 6,361.09 है० तथा 64 प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तानान्तरित/परिवर्तित नहीं की गई तथा आर एफ और पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नकृत वन भूमि पर कोई वन रोपण नही किया गया था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य का अनिष्पादन	नागपुर वन मंडल में 2008–11 के दौरान वन भूमि के विपथन के बदले विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन भूमि पर कोई सीए कार्य नहीं किया गया था यद्यपि सीए के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 21.73 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 2013–14 के लिए एपीओ सीए कार्य योजनातर किया गया था।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतराल पर महालेखाकार द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्दिष्ट करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2010–11 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे नहीं बनाए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। यह देखा गया था कि राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों तथा उनसे किए गए खर्च के लिए रोकड़ वही तथा सहायक खाता बही उचित रूप में नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही के अनुचित अनुरक्षण के कारण 2010–12 वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। यह देखा गया था कि रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के बीच ₹ 0.07 करोड़ का अंतर था जिसका मिलान नहीं किया जा सका। (दिसम्बर 2012)। तीन मंडलों (थाणे, शाहपुर तथा नन्दुरबार) में यह देखा गया था कि परिसम्पति रजिस्टर इन मंडलों द्वारा बनाया नहीं गया था जैसाकि जीएफआर में बनाया जाना अपेक्षित था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि अब से लेखाओं को एक निर्धारित फारमेट पर रखा जाएगा। कैश बुक का मिलान पास बुक तथा ऐसा रजिस्टर के रखरखाव पर कार्य किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां होंगी ।तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल तीन बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान 13 बैठक हुई।

मणिपुर

1. पृष्ठभूमि[171]

मणिपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्र 22,32,700 हैक्टेयर है। जनवरी–फरवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,09,000 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 76.54 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 73,000 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,15,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 10,20,900 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011में 19,000 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

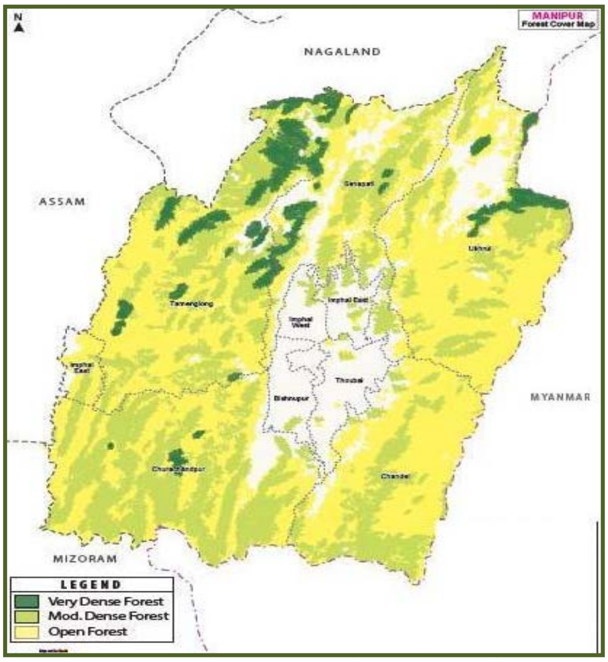

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

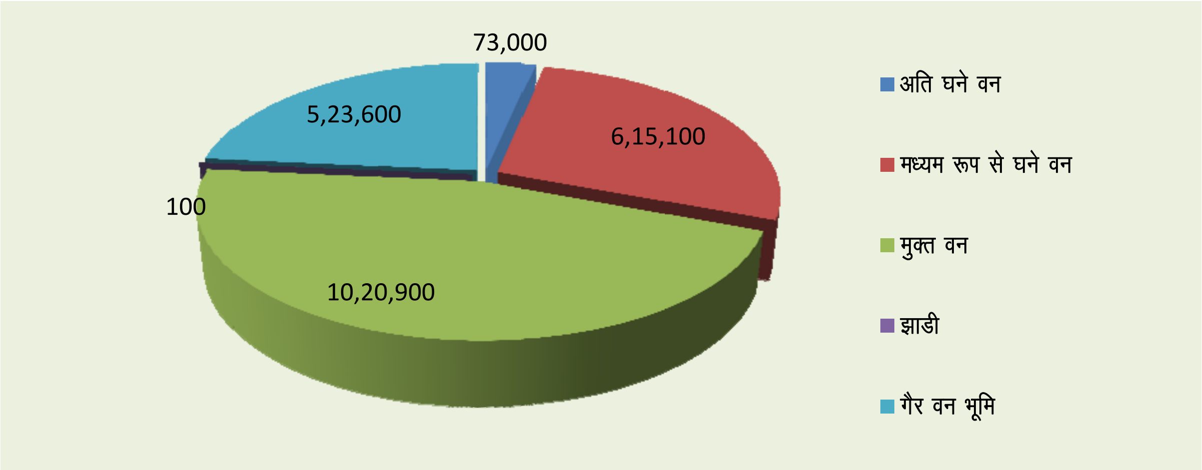

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[171] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[172] के पास निधियों का संचय
2006–07	7.46	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	11.40	0.75	शून्य	0.75
2010–11	12.71	1.34	1.89	0.20
2011–12	3.02	शून्य	0.11	0.09
कुल	34.59	2.09	2.00	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का छः प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 2.09 करोड़ में से चार प्रतिशत अप्रयुक्त रहे।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

मणिपुर में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1	वर्ष 2009–11 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन के एक से चार वर्ष अवधि के बाद भी प्रयोक्ता एजेंसियों से (केन्द्रिय सरकार उपक्रम, राज्य विभागों) से 918.00 है० उन भूमि के विपथन के बदले एनपीवी/सीए आदि की ₹ 63.78 करोड़[173] की वसूली नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी/सीए की ₹ 47.64 करोड़ की राशि अभी तक जारी नहीं की गई थी। फरवरी 2013 तक ₹ 16.14 करोड़ एन पी वी/सी ए की राशि वाकी थी।	63.78
2	₹ 42.67 करोड़ एन पी वी/सी आदि (एन पी वी ₹ 38.73 करोड़, सी ए ₹ 3.84 करोड़, पी सी ए ₹ 0.10 करोड़) वन विभाग द्वारा एन एफ/एन ई रेलवे से वसूल नहीं की गई थी। यद्यपि प्रयोक्ता ऐजेंसी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम अनुमोदन के बिना कार्य आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन था।	42.67
	कुल	106.45

[172] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[173] एनपीवी–₹ 62.26 करोड़, सीए ₹ 1.33 करोड़, एसीए–₹ 0.19 करोड़

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[174]					0	0			0
प्रतिपूरक वनरोपण					0.05	0.05			0
संरक्षित वन[175]					1.60	1.56			0.11
सीएटी योजना					0	0			0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप					0.31	0.28			0
कुल	0.75	शून्य	शून्य	1.34	1.96	1.89	शून्य	शून्य	0.11

2009–10 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां उपयोग नहीं की जा सकीं क्योंकि 2009–10 का एपीओ वर्ष के दौरान संचालन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। इसके अलावा 2011–12 का एपीओ वर्ष के अन्तिम समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया था। उस हैसियत से 2011–12 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी और इसलिए 2011–12 के दौरान एपीओ निष्पादित नहीं किया जा सका। यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 37.33 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं और केवल विशिष्ट, वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंताए शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एन सी ए सी तथा राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों द्वारा अनधिकृत व्यय**	राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म पर ढाँचा निर्माण के कैम्पा निधि प्रयोग नहीं की जानी चाहिए यद्यपि जांच परीक्षा ने यह उजागर किया कि कम्यूनिटी हाल के निर्माण, लोयल क्लब की सहायतार्थ, सिलाई मशीनों के वितरण, तथा इको टूरिज्म के विकास पर किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन संरक्षण तथा प्रबंधन गतिविधियों पर खर्च किया गया। जवाब संतुष्टिजनक नहीं है क्योंकि उपरिलिखित खर्च राज्य कैम्पा तथा एनसीएसी से अधिकृत नहीं है।	0.26

[174]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है
[175]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
2	वन्यजीव निधि का अनियमित उपयोग	राज्य कैम्पा में यह पाया गया था कि आरएसटीसी कार्यों के लिए वन भूमि के 10.00 है0 संरक्षित क्षेत्र के विपथन के लिए प्रयोक्त एजेंसी से प्राप्त ₹ 5. 04 करोड़ की राशि के लिए समूह निधि के अन्तर्गत अलग खाता नहीं रखा गया था। इसके अलावा राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के अनुमोदन के बिना सीधे वन्यजीव संरक्षण कार्यों पर ₹ 5.04 करोड़ में से ₹ 0.11करोड़ का उपयोग किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ऐसे मामलों मे लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भविष्य में संदर्भ के लिए अंकित किया गया है। और अलग से कारपस फंड खोलने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा से बातचीत की जाएगी।	0.11
3	अभिलेखों का रख–रखाव	दो वन क्षेत्रों (सेनापति एवं पूर्वी) में सेनापति वन क्षे द्वारा 172 हैक्टेयर भूमि पर ₹ 0.28 करोड़ की राशि व्यय की गई और पूर्वी वन क्षेत्र विभाग द्वारा पौधफार्म एवं रखरखाव के लिए वर्ष 2004–08 के दौरान 63 हैक्टेयर भूमि पर ₹ 0.18 करोड़ का व्यय किया गया। यद्यपि पौध कार्य एवं उनके रखरखाव के लिए विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि पेड़ो की कटाई और उनकी गिराई से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भविष्य में संदर्भ के लिए अंकित किया गया है।	0.46
	कुल		0.83

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[176]–266.00 है0[177] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–33.88 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–60.00 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–206.00 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–33.88 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
क्षेत्र जो नोडल कार्यालय के अनुसार सी ए के लिए चिन्हित किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–2,415.78 है0 (2003–11) गैर वन भूमि पर–शून्य
क्षेत्र जिसपर सीए,एनओ के अनुसार किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–263.44 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य

[176] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य सरकार का नोडल अधिकारी
[177]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
गैरवन क्षेत्र की प्राप्ति जो आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित थी।	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावणण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में विभिन्नताएं थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 266 हैक्टेयर थी और प्राप्त गैर वन भूमि 23 प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 33.88 है० तथा शुन्य प्रतिशत थीं। आर ओ एवं एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था तथा निम्नीकृत वनभूमि पर किया गया वनरोपण उस क्षेत्र का 11 प्रतिशत था जिस पर वनरोपण किया जाना था।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन कटाई के अभिलेख न बनाना**	2003–12 वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्र में 1,207.89 है0 वन भूमि विपथित की गई थी जिसमें वन कटाई/पेडों की गिराई शामिल थी। तथापि राज्य वन मण्डलों द्वारा वन कटाई/पेडों की गिराई और उनके बदले रोपित किए जाने को अपेक्षित पेडों की संख्या के काई अभिलेख नहीं बनाए थे। इन अभिलेखों के अभाव में वन कटाई के बदले किए गए वनरोपण की सीमा लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि भविष्य में संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अंकित किया गया है।
2	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन बिना परियोजना**	पश्चिमी वन, तमंगलौंग में डीएफओ तमंगलौंग, डीएफओ जिरिबाम तथा डीएफओ उत्तर वन मण्डलों के क्षेत्राधिकार के अन्दर 491.67 है0 वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव जून 2012 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को किया गया था। तथापि कर आयुक्त मणिपुर द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के प्रति सत्यापन में प्रकट हुआ कि कथित परियोजना 2010 से प्रयोक्ता एजेंसी यथा एनएफ रेलवे इम्फाल द्वारा आरम्भ की गई थी मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि के विपथन से संबंधित प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन था।
3	**विपथित भूमि के रिहायशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन**	रहने के लिए अथवा स्वयं की खेती के लिए वन भूमि में नियंत्रण तथा जीवन के अधिकार के उलंघन के परिणमी प्रभाव के साथ थाऊबल बहुप्रयोजन परियोजना आरम्भ करने के लिए 2009–10 के दौरान 595 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के परिणाम स्वरूप उनको आवासों से वन भूमि में रह रहे 404 परिवारों को विस्थापित किया गया था। वन विभाग द्वारा प्रमाणित परिवारों के समाधान के संबंद्ध में की कोई कार्यवाही नही की गई थी। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि प्रमाणित परिवारों के पुनर्वास व स्थापन करने का दायित्व राज्य सरकार का था ना कि वन विभाग का। तथ्य यह रहता है कि मंत्रालय ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का विषय राज्य सरकार से नहीं उठाया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार, राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार के द्वारा निर्धारित अंतराल पर की जानी चाहिए।

जबकि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखाओं के निर्धारित फारमेट में तैयार नही किया था। वर्ष 2009–10 एवं 2011–11 की वार्षिक विवरणी और प्राप्तियों एवं भुगतान के आधान पर सी ए द्वारा तैयार किया गया। आगे राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा के पास जमा राशि का मिलान नहीं किया। इससे अलावा राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा की निष्पादन लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा को संचालित करने के शक्ति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पास है। हालांकि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में वताया कि लेखों के निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने व प्राप्तियों के पुनर्विक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। मणिपुर कैम्पा की संचालन समिति की छः की तुलना में 2009–12 के दौरान दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की छः की तुलना में 2009–12 के दौरान चार बैठक हुईं।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल 2013) कि संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति की बैठकें मार्गनिर्देशों के आधार पर बुलाई जाएगी।

मेघालय

1. पृष्ठभूमि[178]

मेघालय का कुल भौगोलिक क्षेत्र 22,42,900 हैक्टेयर है। नवम्बर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 17,27,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 77.02 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार में अति घने वन के अन्तर्गत 43,300 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 9,77,500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 7,06,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में 2011 निर्धारण में 4600 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

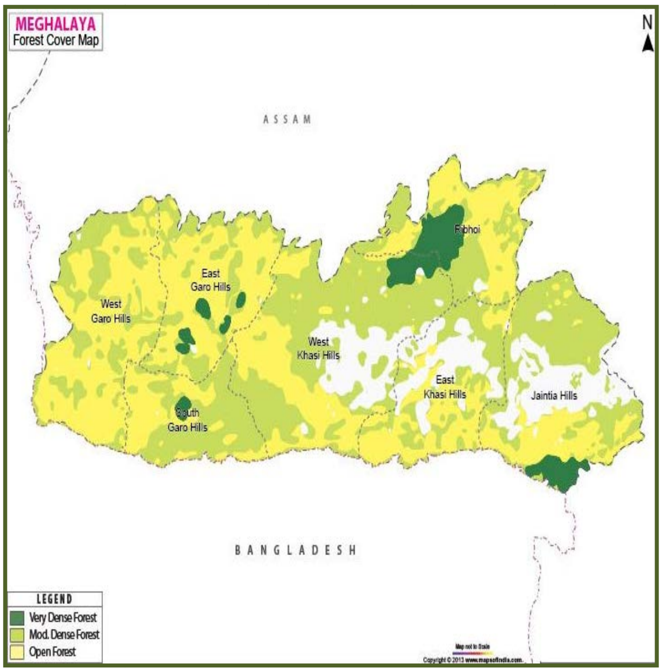

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

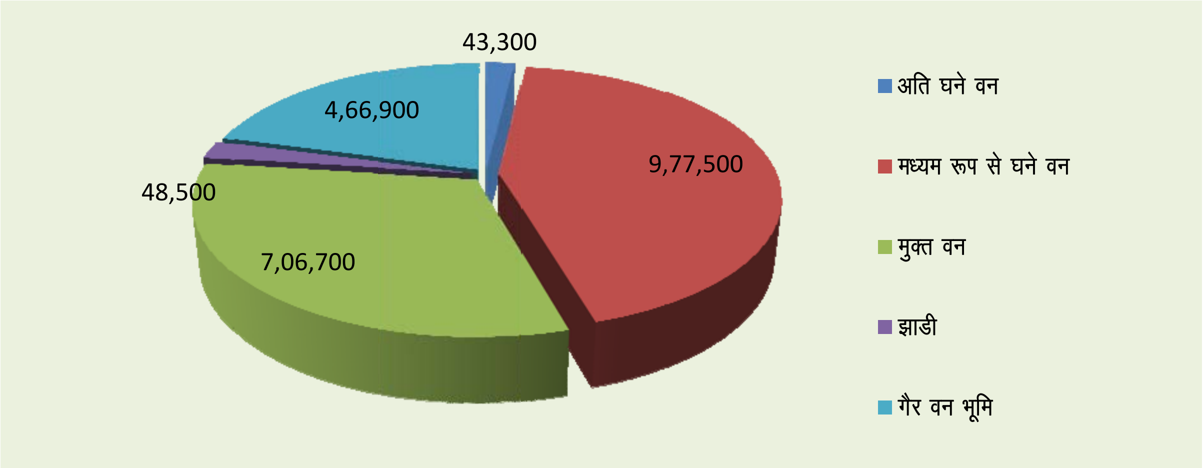

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

दिसम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत थे :–

[178] स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारती राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[179] के पास निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	0.64	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	0.33	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	शून्य	0.10	शून्य	0.10
2010–11	88.11	शून्य	शून्य	0.10
2011–12	1.28	शून्य	शून्य	0.10
कुल	90.36	0.10	शून्य	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 0.11प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 0.10 करोड़ में से 100 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।इससे यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–12 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा एन पी वी/सी ए की कोई भी योजना चालू वहीं की गई। ₹ 96.92 करोड़ (ब्याज सहित) राज्य के प्रतिपूरक वनरोपण निधि के खाते में तदर्थ कैम्पा में (31 मार्च 2012) तक संचित होती रही और यह केवल विशेषत: वानिकी संबंधित किया कलापों के लिए जारी किया जा सकता है जो कि राज्य की अवशोषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए चिंता की बात है। ₹ 0.06 करोड़ की निधि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई और राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्राप्यों के कम निर्धारण/कम वसूली के निम्नलिखित अन्य उदाहरण लेखापरीक्षा में मेघालय मेंदेखने में आए उनका सार अध्याय3 की तालिका 24, 26, एवं 27 में दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	99 हैक्टेयर वन भूमि सम्मिलित एक मामले[180] जिनमें प्रयोक्ता एजेसियों[181] से एन पी वी एकत्रित नहीं किया गया था। जिसको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था।	5.74[182]
2	मार्च 2008 में एन पी वी संशोधित की जबकि राज्य कैम्पा के अभिलेखों की जांच पडताल से पता चला कि चार मामलों[183] में परिवर्तित दर के हिसाब से एन पी वी एकत्रित नही किया गया था।	0.42

[179] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[180] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[181] हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट
[182] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (99x5.8) पर अनुमानित की गई है।

क्रम सं.	विवरण	राशि
3	मार्च 2008 से पहले तीन मामलों[184] में एनपी वी दरों की अनुमोदनों में कमी के कारण एन पी वी की वसूली कम हुई। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता ऐजेंसियों से एन पी वी एकत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी थी।	0.37
4	राज्य कैम्पा लेखापरीक्षा में पता चला कि सात सीमेंट कम्पनियों[185] के पास 2,608.43 है भूमि धारिता थी। इसमें से 838.04 है0 वन भूमि निर्धारित की गई थीं कम्पनियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन निर्बाधन प्राप्य मंत्रालय का जबाव किए बिना प्रचालन कर रही थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि जहां पर जरूरत है, प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की वसूली के लिए कार्रवाई की जा चुकी थीं।	55.05[186]
	कुल	61.58

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**सीए कार्य न किया जाना**	वर्ष 2010–11 के दौरान सीए कार्य नहीं किया गया था क्योंकि अप्रैल 2010 में राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रेषित मेघालय में₹0.10 करोड़ की सीए निधियां ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य कैम्पा के पास अभी भी अप्रयुक्त पडी थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब नही प्रषित किये।	0.10
2	**गिरे पेडों के बदले सीए कार्य न किया जाना**	सितम्बर 2008 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सीए गिरे पेडों की संख्या के 10 गुने की योजना के रूप में राज्य वन विभाग द्वारा किया जाना था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ₹1.39 करोड़ के भुगतान के प्रति 1999–2011 की अवधि के दौरान 10 प्रयोक्ता एजेंसियों[187] को पेडों को गिराने के बदले सीए कार्य की अनुमति दी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि25 प्रस्तावों में पेड़ गिरने की संख्या के स्थान पर सी ए कार्य का कार्यान्वयन किया जाएगा	1.39
कुल			1.49

---

[183]बर्ड विक्टरी चर्च, शिलोंग, स्पोर्टस ऑथरिटी ऑफ इण्डिया शिलोंग, नार्थ इस्टर्न पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, चर्च ऑफ गोड, अपर शिलोंग

[184]केन्द्रीय विधालय, बारापानी, नार्थ इस्टर्न हिल्स विश्वविद्यालय, म्यनटडू लेसका जल विद्युत परियोजना

[185]इनमें आधुनिक सीमेंट लिमिटेड, अमृत सीमेंट अद्योग लिमिटेड, सीमेंट उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, एवं सहायक, ग्रीन बैली उद्योग लिमिटेड गोल्ड स्टोन सीमेंट लिमिटेड, हिल सीमेंट कम्पनी लिमिटेड और मेघालय सीमेंट लिमिटेड शामिल है

[186]इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय राशि संतुलित आधार पर अपनाते हुए कम से कम दर ₹6.57 लाख प्रति है० (838.04x6.57) पर अनुमानित की गई।

[187]इसमें इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, उत्तरी पूर्वी पॉवर ट्रांसमिशन भारत की खेल कुद अर्थोटी एवं ट्रेनिंग केन्द्र लोक कार्य विभाग, बृहदशिलोंग जल आपूर्ति योजना, मेघालय ऐनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर पूर्वी हिल यूनिर्वसिटी, पूर्व उत्तर पुलिस ऐकेडमी, उत्तरपूर्वी इंदिरागाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल साईंस संस्थान (निग्रम्स), निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं इंजिनियरिंग बिंग आदि शामिल है।

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[188]–119.56 है०[189] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–245.33 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–119.56है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–245.33 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	2008–09 में 114.02 है० के विपथन के अलावा सभी मामलों में प्राप्त किया गया।
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–521.13 है0 गैर वन भूमि पर–2.40 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य प्राधिकरणों द्वारा आंकडो में भिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपक्षित वन भूमि 119.56 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 245.33 है० व शून्य प्रतिशत थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि तथा निम्नीकृत वनभूमि पर कोई वनरोपण नहीं किया गया था।

[188]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी
[189]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
अनियमित खनन	प्रयोक्ता एजेंसी–मै0 लाफार्ज उमयाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (एलयूएमपीएल) ने अप्रैल 2005 में खनन प्रचालन आरम्भ किया था और अप्रैल 2010 तक अप्राधिकृत रूप से खनन प्रचालन जारी रखे जब पर्यावरण एव वन मंत्रालय ने मै0 एलयूएमपीएल के पक्ष मे चूना पत्थर खनन के लिए 116.59 है0 वन भूमि के विपथन के लिए अन्तिम अनुमोदन दिया। इसके अलावा जुलाई 2010 में मै0 एलयूएमपीएल से संग्रहीत ₹ 136.73[190] करोड़ ₹ 79.99 करोड़ केवल तदर्थ कैम्पाको जांच करवाए गए और शेष राशि ₹ 56.74 करोड़ राज्य कैम्पा के पास बचे थे। यह देखा गया कि पांच वर्षो से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस प्रयोजन हेतु पहचाने गए गारो पहाडियों में 270 हैक्टेयर निम्नीकृत भूमि पर सी ए कार्य नहीं किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जवाब प्रेषित नहीं किया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में 2009 से 2011–12 तक के वर्षों के इसके आय तथा व्यय की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नही की जा सकी। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय की रोकड़ बही तथा सहायक खाता बही नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायक खाता बहियों के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियां तथा भुगतान लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किए जा सके। तदर्थ कैम्पा के पास जमा निधियों का मिलान राज्य कैम्पा द्वारा केवल मई 2009 तक किया गया था। उसके बाद तदर्थ कैम्पा के पास जमाओं के लिए कोई मिलान नही किया गया था।

राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा का लेखापरीक्षा एवं विशेष लेखा परीक्षा करवाने की शक्ति है। जवकि ऐसा कोई लेखापरीक्षा नहीं किया गया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। मेघालय के राज्य कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छह के प्रति एक बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान एक बैठक हुई।

[190]एनपीवी/सीए/पीसीए ₹ 75.06 करोड़ और एसपीवी ₹ 56.73 करोड़ सुरक्षा जोंन क्षेत्र का सीए/सीएटीपी इत्यादि ₹4.94 करोड़

मिजोरम

1. पृष्ठभूमि [191]

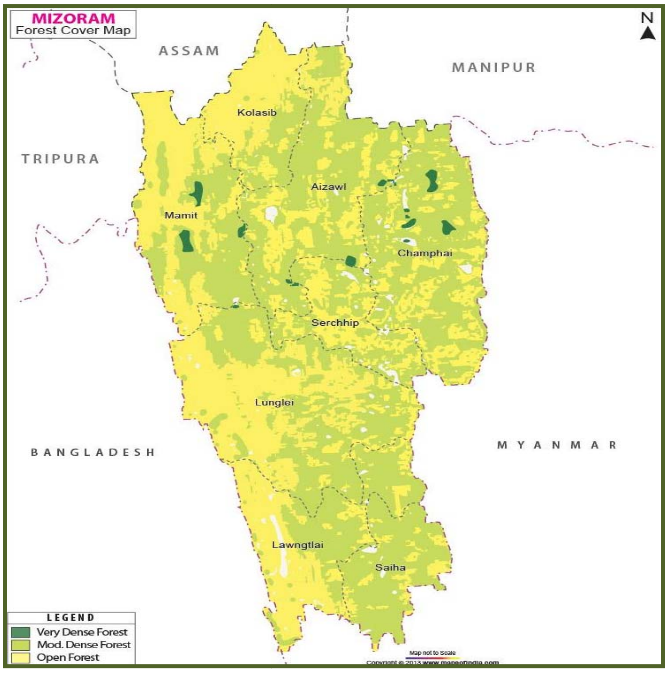

मिजोरम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 21,08,100 हैक्टेयर है। जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 19,11,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90.68 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 13,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 6,08,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 12,89,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 6,600 हैक्टेयर की कमी दर्शाई

वन क्षेत्र–वन के प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

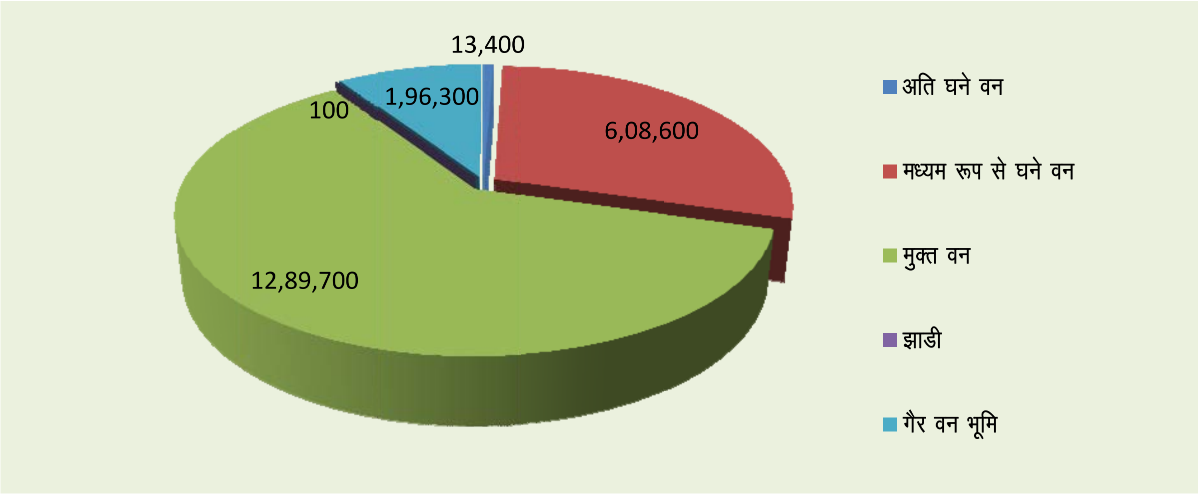

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[191] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[192] के पास निधियों का संचय
2006–07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	10.62	शून्य	शून्य	शून्य
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011–12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	10.62	शून्य	शून्य	शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा द्वारा कोई भी निधि राज्य कैम्पा को जारी नहीं की गयी। यद्यपि राज्य कैम्पा ने ₹ 10.62 करोड़ ₹ 2009–12 के बीच तदर्थ कैम्पा को दिये। तदर्थ कैम्पा ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

मिजोरम में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि के गैर वसूली/कम वसूली के मामले जैसे लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	143.97 हैक्टेयर की वन भूमि सम्मिलित 2 मामलें[193] जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[194] से एन पी वी एकत्र नहीं किया गया था, जिसको अक्टूबर 2002 से पूर्व इन–प्रिंसिपल अनुमोदित तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की राशि के वसूली के लिए कदम लिया जा चुका है।	8.35[195]
2	3,002.80 हैक्टेयर वन भूमि के अप्रचालन के गैर वनीय उद्देश्य के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसियों से एन पी वी के ₹ 219.20 करोड़ जारी नही किये गए। तीन[196] में से दो मामलो में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अंतिम अनुमोदन के विना ही कार्य किया जा रहा था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एन पी वी की राशि के वसूली के लिए कदम लिया जा चुका है।	219.20
3	मार्च 1991 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ₹17 करोड़ की सी ए टी पी राशि जा कि सेरलुई 'बी' हायडल परियोजना के लिए 30 स्केवयर किलोमीटर वन क्षेत्र के प्रचालल के लिए इन–प्रिंसिपल अनुमोदित कि गई थी, प्रयोक्ता ऐजेंसियों द्वारा जारी नहीं किया गया, हालांकि	17.00

[192] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[193] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार

[194] एच एफ ओ आधारित डीज़ल जनरेटिंग प्लान्ट, राज्य सरकार एजेंसी

[195] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (143.97x5.8)

[196] बिजली एवं शक्ति, गृह एवं राज्य पीडब्ल्यूडी

क्रम सं.	विवरण	राशि
	अप्रैल 2010 में परियोजना को तकनीकी रूप से संचालित किया गया था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता ऐजेंसी से सीए टीपी राशि की वसूली के लिए नया प्रस्ताव संशोधित परियोजना के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।	
4	2004–05 के दौरान वन लाईफाई वन क्षेत्र में राज्य जन कार्य विभाग द्वारा सड़को के 1.66 हैक्टेयर वन क्षेत्र का अनाधिकृत अप्रचालन किया गया और दिसम्बर 2012 तक राज्य जन कार्य विभाग से एनपीवी/ सीए के ₹ 12.99[197] लाख की राशि की वसूली नही की गई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) एनपीवी/सीए की राशि की वसूली के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ इस मामले को रखा जाएगा।	0.13
5	राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि तुरियल हाइडल प्रोजेक्ट, जिसके लिए सितम्बर 1994 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5380 है0 भूमि के विपथन के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया था और अन्तिम अनुमोदन मार्च 2000 में दिया गया था, के अन्तर्गत सात वर्षों के लिए ₹16.51 करोड के सीए/सीएटीपी/एपीएस की शेष राशि की वसूली न होने के कारण ₹4.62 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी। मार्च 2000 में अनुमोदन मिला। चलित मामले में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा मूल अनूमोदन में निर्धारित शर्तों को पूरा किये विना ही अंतिम अनुमोदन दिया गया। जो कि सात वर्षों के अन्तराल के पश्चात जून 2012 में ₹16.51 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, परिणामत: ₹4.62 करोड़ की ब्याज राशि का नुकसान हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तकनीकी कारणों, पब्लिक लिटिगेशन इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसियों द्वारा परियोजना को रोका गया जिसके परिणाम स्वरूप भूगतान राशि पर बुरा प्रभाव पड़ा। ₹4.62 करोड़ के ब्याज राशि की वसूली के लिए जबाब नहीं मिला।	
	जोड़	244.68

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

वर्ष 2009–10 के लिए एपीओ तैयार नहीं किया गया था और 2010–11 के लिए ए पी ओ तैयार किये गये थे लेकिन तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुमोदित नहीं किए गये थे। वर्ष 2009–12 के लिए सी ए के लिए तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा को कोई निधि प्राप्त नहीं गई।

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[198] के अभिलेखों के अनुसार–शून्य[199] है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–128.28 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–17.50 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य

---
[197] ₹ 12.14 एनपीवी और ₹ 0.85 लाख सीए

[198] क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोडल ऑफिसर राज्य वन विभाग

[199] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

विवरण (2006-12)	
	एनओ के अभिलेखों के अनुसार–110.78 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर– उ.न गैर वन भूमि पर– उ.न
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर– उ.न गैर वन भूमि पर–उ.न.
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –उ.न
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–उ.न.

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी राज्य कैम्पा व क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन मंत्रालय के दिये गये आंकड़ों में अनियोजित भिन्नता थीं। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार मुक्त श्रेणी के अलावा कोई भी वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग के लिए नहीं दी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार ये आंकड़े 128.28 है० व 14 प्रतिशत क्रमानुसार थे। क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार कोई गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित तथा आरक्षित/सुरक्षित नहीं हुई। एन ओ के दस्तावेज अनुसार गैर वानिकी भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा निर्धारित अंतराल पर की जानी थी। वर्ष 2009–12 में तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए कोई निधि नहीं दी गई थी। फलस्वरूप राज्य कैम्पा निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं कर सका। राज्य कैम्पा दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार व पर्यावरण वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा के विशेष निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अधिकार था। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। जबकि वर्ष 2009–12 के दौरान कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति की बैठक केवल एक बार हुई और 2009–12 के दौरान अधिशासी निकाय की बैठक नही हुई।

ओडिशा

1. पृष्ठभूमि[200]

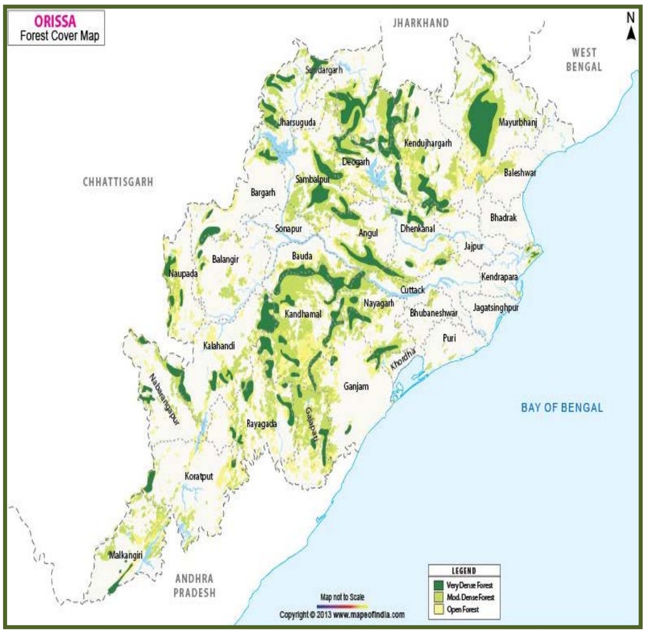

ओडिशा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,55,70,700 हैक्टयर है। अक्तूबर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 48,90,300 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 31.41 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 7,06,000 हैक्टेयर, क्षेत्र, मध्यम घने वन के अन्तर्गत 21,36,600 है0 क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 20,47,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 4800 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में) – 2011

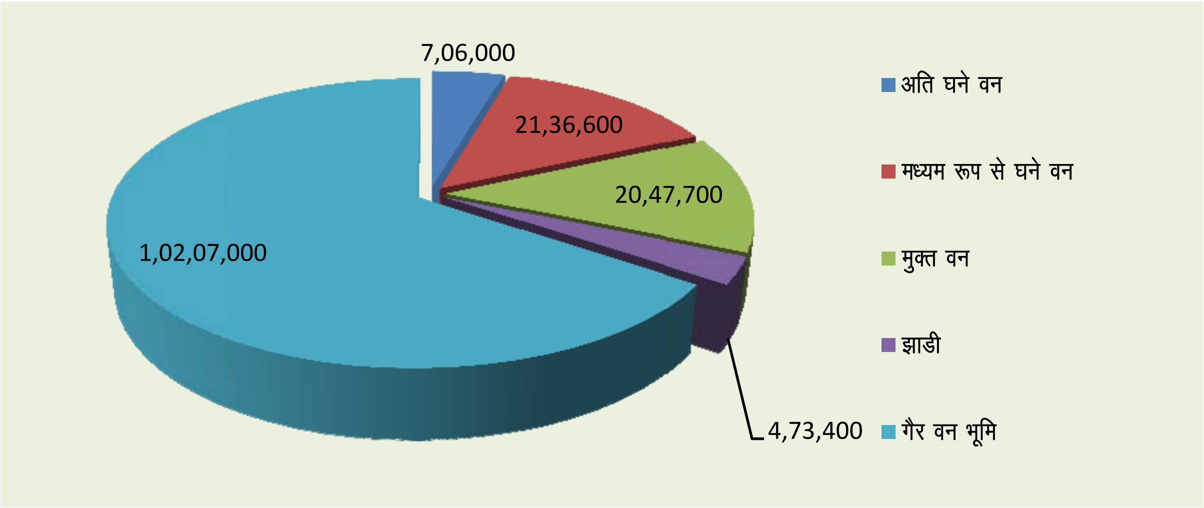

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

अगस्त 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा 2006.–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के ब्यौरे निम्नवत है:–

[200] स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[201] के पास निधियों का संचय
2006-07	448.25	शून्य	शून्य	
2007-08	408.26	शून्य	शून्य	
2008-09	337.14	शून्य	शून्य	
2009-10	449.40	131.06	124.09	6.97
2010-11	1889.42	140.18	72.16	74.99
2011-12	114.79	176.09	23.60	227.48
कुल	3967.26	447.33	219.85	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 12 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के लिए ₹ 447.33 करोड़ जारी किए गए, 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियां का संचय हुआ। ₹ 13.61 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई और वह राज्य सरकार के लेखा में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

ओडिशा में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा में देखने में आए नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1.	3,679.69 है० की वन भूमि वाले 36 मामलों[202] हुए थे में जिनमें प्रयोक्ता ऐजेंसियों[203] से एनपीवी एकत्रित नहीं किया गया जिसकों अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन तथा बाद में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।	213.42[204]
2	23 मंडलों से संबंधित 320 मामलों में ₹ 2476.26 करोड़ के एनपीवी की मांग के प्रति केवल ₹ 1,567.08 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों[205] से वसुल किए जा सकें जिससे ₹ 909.18 करोड़ जारी की वसूली नहीं हुई।	909.18

[201] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[202] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 के जारी रिपोर्ट अनुसार

[203] मै० ओर एम सी लि०, मै० महानन्दी कोल फील्डस लि०, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लि०, मै० रूंगटा माइन्स लि०, मै० नैशनल एन्टरप्राइंजिज (आई आर ओ एन), डी सी जैन, मै० मीनाक्षी पॉवर लि०, गिरधारी लाल अग्रवाल, मै० ए ओ आई के ए टी एच, मै० के जे एस आहलूवालिया मै० टाटा रिफैक्ट्रीज

[204] इन मामलों संतुलित आधार पर न्यूनतम दर ₹ 5.80 लाख प्रति है० (3,679.69x5.8) एन पी वी की लेखापरीक्षा द्वारा कुल अनुमानित राशि

[205] इनमें शामिल थे, मै० पटनायक मिनरल्स, मै० सेल, मै० डी सी जै, मै० ओ एम सी लि०, मै० के सी प्रधान, मै० आर बी ठाकुर, मै० डा० सरोजनी प्रधान, मै० क्योझारा मिनरल्स प्राईवेट लि०, मै० श्री बी के मोहन्ती, मै० एस सी मलिक, मै० बी एल नेवतिया, मै० ए एक्स एल एक्सफ्लोरेशन प्राईवेट लि., मै० रूंग्टा सन्स, मै० आई एम एफ ए लि०, मै० घनश्याम मिश्रा एण्ड संस (पी) लि०, मै० जी एस चौबे, मै० एस के चौरसिया, मै० मनीश्री रिफ्रैक्ट्रीज लि०, मै० फैक्टर लि० आदि।

क्रं सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि सभी खनन पट्टा जहाँ एनपीवी का अंशतः या पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया था वो खनन कार्यरत नहीं थी और कुछ मामलों में खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। तथ्य यह शेष था कि मंत्रालय ने खनन पट्टा के इन मामलों में एनपीवी की वसूली के लिए और खनन पट्टा की समाप्ति के बाद वन भूमि की वापसी के लिए कोई कदम नही उठाया।	
3	ओडिशा सरकार ने क्योंझर तथा बोनाई वन मंडलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक वन्यजीव प्रबन्धन योजना के कार्यन्वन के लिए दिसम्बर 2005 में निर्देश जारी किए। यह योजना 23 मार्च 2008 से राज्य के सभी अन्य जिलों मे लागू की गई थी। प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत खान मालिक वन विभाग के राजस्व शीर्ष में संबंधित मंडल वन अधिकारी के पास पटटा धारित क्षेत्र के आधार पर ₹ 20,000 प्रति हैक्टेयर (22 मार्च 2008 तक ₹ 15,000 प्रति है.) जमा करने को उत्तरदायी थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 से जनवरी 2012 तक के दौरान नौ वन मंडलों के 105 मामलों में खनन पटटा क्षेत्रों की 23609.87 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया। परियोजना रिपोर्टों के अनुसार खनन प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि में वन्यजीव प्रजातियां विद्यमान थी। वन्यजीव प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत पटटा धारियों को ₹ 47.21 करोड़ जमा करने थे जिनमें से केवल तीन मंडलों ने ₹ 10.21 करोड़ जमा किए परिणामस्वरूप ₹ 37.01 करोड़ की वसूली नहीं हुई।	37.01
4	₹ 32.49 करोड़ का एनपीवी तीन मंडलों[206] से संबंधित छः प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया था। छः[207] में से तीन मामलों में एनपीवी की इस आधार पर मांग नहीं की गई कि पटटाधारियों ने नियत समय में खनन पटटा के नवीकरण के लिए आवेदन किया था। तथापी खनन पटटा के नवीकरण के आवेदनों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण न तो अस्वीकर्त किए गए थे और न ही पटटा रदद किया गया था इस प्रकार के मामलों में एनपीवी वसूली योग्य था। एक अन्य मामले में एनपीवी की मांग पूर्व संशोधित दर पर की गई थी जबकि एनपीवी 28 मार्च 2008 के बाद संशोधित की गई थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि इन मामलों में एनपीवी की गैर/कम वसूली ₹ 23.19 करोड थी और एनपीवी की वसूली के लिए कार्यवाई की गई थी। मंत्रालय का उत्तर तथ्य पर आधारित नही था क्योंकि एनपीवी की वसूली योग्य राशि इन मामलो में ₹ 32.49 करोड़ बनती थी।	32.49
5	बोनाई वन मंडल में खनन पटटा अवधि के दूसरे नवीकरण के लिए मैसर्ज़ सैल के पक्ष में खनन तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 2341.93 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मार्च 2011 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया और एक और वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित भू उपयोग योजना के अनुसार पट्टा धारित क्षेत्र में वन भूमि के खंडित क्षेत्र पर कार्य करने की प्रयोक्ता एंजेंसियों को अनुमति दी। इस मामले में ₹ 28.09 करोड़ का अतिरिक्त सी ए देय था। एक बर्ष बीत जाने के बाद भी दिसम्बर 2012 तक राज्य कैम्पा द्वारा कोई मांग नही की गई थी । मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि फरवरी 2013 में प्रयोक्ता ऐजेंसी से	28.09

[206]बोलन्गीर, बोनाई तथा क्योंझर

[207]इनमें मै0 सरकुण्डा माइनस आफ ई एम एण्ड आई लि0, टोडा आयरन माइन्स आफ मै0 सेल, राजभाषा भालूडूँगरी सोपस्टोन माईन्स आफ एसडीएस, मै. दीपक स्टील एण्ड पावर लिमि0, लोअर सुकटेल इर्रीगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं।

क्र सं.	विवरण	राशि
	₹ 18.45 करोड़ के एसीए की बसूली की गई थी। मंत्रालय का यह जवाब मान्य नही है क्योंकि एसीए की वसूली योग्य राशि ₹ 28.09 करोड़ बनती थी जिसमें केवल ₹ 18.45 करोड़ प्रयोक्ता ऐंजेसी से वसूल किए गए।	
6	1984–85 से 1993–94 तक के दौरान वन भूमि के विपथन के सात मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियो[208] से ₹ 4.93 करोड़ के सीए की कुल मांग के प्रति प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा केवल ₹ 2.67 करोड़ जमा किए गए परिणामतः ₹ 2.26 करोड़ की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि संबंधित डीएफओ को इन मामलों में अनुपालन रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।	2.26
	कुल	1,222.45

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे।

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[209]		19.97	19.96		40.12	32.98		87.59	13.55
प्रतिपूरक वनरोपण		70.00	70.00		58.71	22.85		32.84	0.31
संरक्षित क्षेत्र[210]		15.00	13.08		15.00	3.12		20.00	0.57
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य विशिष्ट योजना		26.09	21.05		19.35	13.21		29.46	9.17
कुल	131.06	131.06	124.09	140.18	133.18	72.16	176.09	169.89	23.60

2009–10 के लिए एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई थीं। इसके अलावा 2009–10 से 2011–12 वर्षों के एपीओ समवर्ती रूप से चल रहे थे। केवल 2009–10 का एक एपीओ 31 दिसम्बर 2011 को बंद किया गया था और अन्य दो एपीओ जो कि 2010–11 तथा 2011–12 से संबंधित थे अभी चालू थे।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में 95 प्रतिशत, 2010–11 में 51 प्रतिशत तथा 2011–12 में आजतक 14 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियां 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास

[208] प्रयोक्ता एजेंसियोंमें आर्डनेंस फैक्टरी, सिंचाई विभाग आदि शामिल है।
[209] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च की जाती है
[210] संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर व्यय की जाती है।

₹ 4570.17 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल निर्दिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1.	**एनसीएसी एवं राज्य कैम्पा के दिशानिर्देश के अनुसार व्यय प्राधिकृत नही था**	कैम्पा निधियों को राज्य वन मुख्यालय पर आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए एंव इको टूरिजम पर खर्च नही किया जाना चाहिए। हालांकि नमूना जांच पड़ताल से पता चला कि कार की खरीद के लिए यह व्यय किया गया।	0.07
2	**सीए निधियों का उपयोग न करना**	1982–83 से 2011–12 तक के दौरान 384 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किए गए ₹ 97.31 करोड़ की सीए निधियों में से केवल ₹ 42.44 करोड़ खर्च किए गए थे जिससे ₹ 54.87 करोड़ अव्ययित रहे। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन सूचित किया जाएगा।	54.87
3	**अवसंरचना विकास में भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में कमी**	2009–10 के एपीओ में निर्धारित ₹ 238.39 करोड़ के कुल परिव्यय में से तदर्थ कैम्पा से ₹ 131.06 करोड़ प्राप्त हुए और ₹ 6.97 करोड़ अप्रयुक्त रहे। अवसंरचना के विकास के सभी संघटकों के भौतिक लक्ष्य अप्राप्त रहे। लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 53 से 100 प्रतिशत के बीच थी। मंत्रालय ने कहा (जून 2013) कि तदर्थ कैम्पा से राशि प्राप्त न होने की वजह से अवसंरचना विकास में भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में कमी आई।	6.97
4	**कैम्पा निधि का अनियमित विपथन**	नन्दनकानन चिडियाघर, भुवनेश्वर में राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में ₹ 0.41 करोड़ की राशि व्यय की सामान्य मदों को विपथित की गई जिनका राज्य कैम्पा के एपीओ में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अलावा 2009–10 के एपीओ से यह पाया गया था कि बरीपदा, एसटीआर में ₹ 16 लाख अन्य संघटकों के अप्रयुक्त शेष से यूबीके रेंज में रेंज कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विपथित किया गया था।	0.57
5	**कैम्पा निधियों का अबरोधन**	चार वन मंडलों से संबंधित चार मामलों में अस्वीकृत वाउचरों के प्रति 17.46 लाख की राशि और ₹ 7.24 लाख के असमायोजित अग्रिम समायोजन न करने के कारण अवरूद्ध हो गए। तथ्य को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल/जून 2013) कि शेष कैम्पा निधि की वसूली के लिए संबंधित डी एफ ओ को निर्देश दिए गए है।	0.25
6	**अधिक व्यय**	₹ 50.88 करोड़ के व्यय पर 50,000 के भौतिक लक्ष्य के स्थान पर 2009–10 की अवधि के दौरान 33,465.60 हैक्टेयर भूमि पर रोपण किया गया था। योजना में शून्य वर्ष के ₹ 12,150 की दर पर लागत प्रतिमान के अनुसार व्यय ₹ 40.66 करोड़ होना था, परिणामस्वरूप 16,534 हैक्टेयर के	10.45

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		भौतिक लक्ष्य की कमी के साथ ₹ 10.22 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। इसके अलावा दो वन मंडलों[211] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि विभिन्न संघटकों पर ₹ 0.23 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 10.45 करोड़ का कुल अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियों की कटौती की वजह से लक्ष्य परिवर्तित हुआ और राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा व्यय अनुमोदित था।	
7	प्रशासनिक अनुमोदन/अनुमान संस्वीकृति बिना कार्यों का निष्पादन	तीन वन मंडलों में प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कैम्पा निधि से ₹ 0.51 करोड़ की अनुमानित लागत पर 14 कार्य किए गए थे। मंत्रालय ने (अप्रैल/जून 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।	0.51
8	विषय आधारित प्रशिक्षणों पर निधियों का उपयोग न करना	बारगढ़ वन मंडल निर्धारित संघटक पर निधियों का उपयोग न करने के कारण नवम्बर 2012 तक विषय आधारित प्रशिक्षण के लिए 2010–11 के एपीओ में आवंटित ₹ 0.02 करोड़ खर्च नहीं कर सका, जिससे विषयं आधारित प्रशिक्षणों की योजना का मूल प्रयोजन विफल हो गया। तथ्यों के स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया (अप्रैल/जून 2013) कि आवश्यक अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित मण्डलों को दे दिए गए थे।	0.02
	कुल		73.71

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[212] के अभिलेखों के अनुसार – 8,814.71 है.[213] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 75,24.80 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 5,261.96 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ. न
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,552.75 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ. न
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र	नहीं

[211] कयोंझर तथा बरीपदा

[212] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)

[213] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

विवरण (2006-12)	
एनओके अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 3388.72 है. गैर वन भूमि पर – 4380.46 है.
एनओके अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 5341.99 है. गैर वन भूमि पर – 6951.54 है.
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – उ.न. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – उ.न.
आरक्षित /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 2238.74[214]है.

जैसा तलिका से स्पष्ट है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए आकॅड़ो में असंगत विसंगितां पाई गई। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 8,814.71 है० थी तथा उसके बदले में प्राप्त वन भूमि केवल 60 प्रतिशत थी जबकि एनओ द्वारा 2006–12 की अवधि के दौरान प्राप्त गैर वनभूमि के वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिए गए। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांरित/परिवर्तित तथा आर एफ/पीफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई जबकि एनओ के अनुसार राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांरित/परिवर्तित गैर वनभूमि के बारे में कोई सूचना लेखापरीक्षा को नहीं भेजी गई थी। अभी तक 2238. 74 है0 गैरवन भूमि आर एफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार, गैरवन भूमि पर 159 प्रतिशत वनीकरण किया गया तथा निम्नीकृत वनभूमि पर वनीकरण किए जाने वाले क्षेत्र का 158 प्रतिशत क्षेत्र पर वनीकरण किया गया।

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी गई अनियमितताएं

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति निष्फल व्यय**	15 मामलों में यद्यपि 1996 से 2011 तक की अवधि में आठ वन मंडलों[215] द्वारा ₹ 0.54 करोड़ व्यय किया गया था परंतु किसी परियोजना के प्रति कोई वनरोपण नहीं किया गया। वनरोपण न करने के कारण लेखापरीक्षा को बताए नहीं गए। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि 15 में से 6 मामलो में वृक्षारोपण की प्रगति के बारे में संबंधित डीएफओ से मालूम किया जा रहा है और शेष नौ मामलों में वर्ष 2012–13 में किया जाएगा।
2	**वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क से भूमि का विपथन**	सात वन्यजीव मंडलों में 28 मामलों में 1950.93 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन हुआ। तथापि वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत विपथित श्रेणीवार भूमि के ब्यौरे दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं था। इन ब्यौरों के अभाव में संग्रहीत एनपीवी की यथातथ्यता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि संरक्षित वन क्षेत्र में कोई वन भूमि विपथित नही की गई। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में वन भूमि विपथित की गई थी तथा उसके बदले में प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी भी योग्य था।

[214] छः मण्डलों के 39 मामले

[215] टंगुल, कटक, जयपुर, राउरकेला, बोनाई, क्योंझर, भद्रक (डब्ल्यु एल), राजनगर (डब्ल्यु एल)

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा शामिल नहीं की जा सकी। लेखा अभिलेखों में देखी गई कमियां नीचे दी गई है:

- यह सुनिश्चित करने कि राज्य कैम्पा द्वारा जमा की गई निधियां वास्तव में तदर्थ कैम्पा में जमा हो गई थी, के लिए राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा के साथ कोई मिलान नहीं किया गया था।
- पीसीसीएफ (वन्यजीव) तथा मुख्यजीव रक्षक, ओडिशा ने रोकड़ बही नहीं बनाई जिसके कारण 31 मार्च 2012 को अंतशेष अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- तीन[216] वन मंडलों में कैम्पा रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान नहीं किया गया इसके अलावा राज्य कैम्पा के बचत बैंक खाते में अर्जित ब्याज कैम्पा निधियों में लेखांकित नहीं की गई थी।
- पुरी वन्य जीव मंडल में 31 मार्च 2012 को रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में बीच ₹ 0.83 करोड़ का अंतर था जिसका दिसम्बर 2012 तक मिलान नहीं किया गया।
- राज्य कैम्पा में यह पाया गया कि अक्तूबर 2011 में 2009–10 के एपीओ की समाप्ति पर ₹ 6.97 करोड़ का अव्ययित शेष था। अव्ययित शेष की राशि न तो तदर्थ कैम्पा को वापस की गई थी और न ही दिसम्बर 2012 तक संचालन समिति द्वारा पुनः वैघ की गई।

मंत्रालय ने बताया (जून 2013) कि कैम्पा निधि का तदर्थ कैम्पा के साथ मिलान किया जा रहा था।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए थी। ओडिशा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः के प्रति चार बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान चार बैठक हुई।

[216] पुरी वन्य जीव मण्डल, चन्दका वन्य जीव मण्डल, सुंदरगढ मण्डल

पंजाब

1. पृष्ठभूमि[217]

पंजाब का कुल भौगोलिक क्षेत्र 50,36,200 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 17,64,00 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.50 प्रतिशत था। वन वितान धनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत कोई क्षेत्र नहीं था, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 73600 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 1,02,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्वनिर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 10000 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

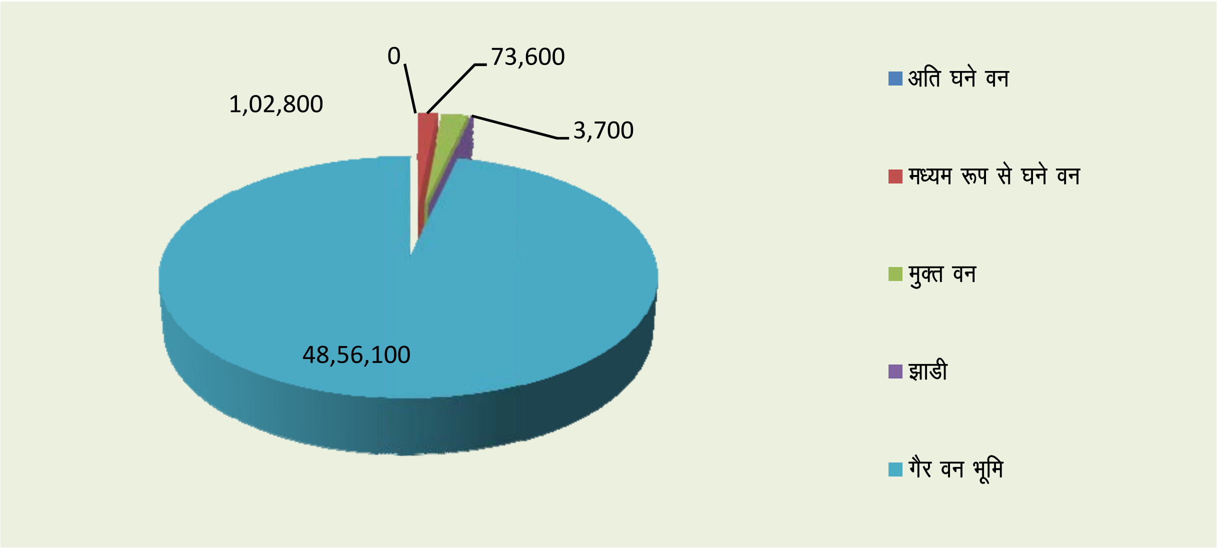

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा सितम्बर 2009 में गठित किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

[217] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[218] के पास निधियों का संचय
2006 से पहले	38.59	0	0	0
2006–07	63.01	0	0	0
2007–08	34.26	0	0	0
2008–09	31.17	0	0	0
2009–10	73.63	33.05	0	33.05
2010–11	28.02	26.52	14.83	44.74
2011–12	17.65	22.08	30.58	36.24
कुल	286.33	81.65	45.41	

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 29 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया। एपीओ के प्रति जारी ₹ 81.65 करोड़ में से 44 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

पंजाब में लेखापरीक्षा के नोटिस में आया एन पी वीकी गैर वसूली का मामला नीचे दिया गया है। मामलें का सार अध्याय 3 की तालिका 24 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
401.05 है० वन भूमि के दो मामले[219]थे जिसमें उपयोग कर्ता एजेंसियों[220] से एनपीवी नहीं लिया गया जिनको अक्टूबर 2002 से पहले अनुमोदित किया गया तथा इसके बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया।	23.26[221]

[218] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[219] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एन पीवी की कुल देय अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (401.05x5.8)

[220] पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मै० कण्डी कैनाल

[221] इन मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कुल देय एन पी वी संतुलित आधार पर कम से कम दर ₹5.80 लाख प्रति है० (401.05X5.8) अपनाते हुए लगाई गई।इन

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटकवार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[222]		0	0		21.83	11.09		41.67	23.21
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0	1.53		0	5.15
संरक्षित वन[223]		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		5.90	2.21		5.48	2.22
कुल	33.05	0	0	26.52	27.73	14.83	22.08	47.15	30.58

वर्ष 2009–10 में तदर्थ कैम्पा द्वारा बिना एपीओ के निधियां जारी की गई थी तथा वर्ष 2010–11 व 2011–12के लिए ए पी ओ संचालन समिति द्वारा छह महीने की देरी के बाद अनुमोदित किए गए। 2009–10 वर्ष के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा कोई व्यय नही किया गया। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में पिछले तीन वर्षों से प्रगामी वृद्धि हुई परन्तु यह कि राज्य की अवशेषी क्षमता को ध्यान में रखते हुए (31 मार्च 2012) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 464.08 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए जारी किए जा सकते हैं।

4.2 निधियोंके उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय जो राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों तथा एन सी ए सी द्वारा प्रधिकृत नहीं किया गया**	कैम्पा निधियां राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म बुनियादी ढ़ांचा निर्माण में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। तथापि नमूना जाँच में पाया कि वाहन इत्यादि की खरीद पर किया गया व्यय अन्य शीर्ष निधि के विपथन द्वारा किया गया। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013)कि वाहन इत्यादि की खरीद पर किया गया व्यय एपीओ में बनाए गए प्रावधानों से बाहर किया गया। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि अन्य शीर्षों से निधि का विपथन, वाहनों की खरीद के लिए किया गया, जो अनियमित है।	0.10
2	**निधि का**	पटियाला वन मण्डल में चेन लिंक फेंसिग के निर्माण के लिए वर्ष 2010–12 में ₹ 1.65 करोड़ मूल्य की कीमत की सामग्री की खरीद की। केवल ₹ 56.40	1.09

[222]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है।
[223]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	अवरोधन	लाख मूल्य की सामग्री का उपयोग किया जा सका और ₹ 1.09 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री अप्रयुक्त थी। परिणामस्वरूप निधियों का अवरोध हुआ। मंत्रालय ने बताया (अपैल 2013 कि वित्त वर्ष 2013–14 में वन्य जीव अभयारण्य की चेन लिंक फेंसिंग को पूरा करने प्रयास किए जा रहे थे।	
3	अधिक व्यय	होश्यारपुर वन मण्डल ने 2010–11 में 125 आरकेएम सिंगल लिव हेज के निर्माण के लिए ₹ 7.13 लाख की अनुमानित लागत के प्रति 115 आरकेएम सिंगल लिव हेज के निर्माण पर ₹ 34.96 लाख का व्यय किया परिणामस्वरूप 10 आरकेएम सिंगल लिव हेज के भौतिक लक्ष्य की कम प्राप्ति के अतिरिक्त ₹ 27.83 लाख का अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एपीओ में किए गए प्रबंधन तथा बाद में संशोधित किए गए और प्रर्याप्त नहीं पाए गए क्योंकि "वैजिटोटिवलिव हैज" की दरें संशोधित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित दरें विना उचित तर्कसंगतता के थी।	0.28
4	अनियमित व्यय	रोपड़ वन मण्डल में 575 है. वन भूमि के निम्नीकृत वन का संवर्धन रोपण तथा सुधार का अग्रिम कार्य ₹ 56.15 लाख की लागत पर कराया गया परन्तु वास्तविक रोपण कार्य केवल 395 ह. पर किया गया और शेष 180 है. क्षेत्र बिना रोपण के रहा, परिणामस्वरूप किए गए अग्रिम कार्य पर ₹ 56.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 180 है. के अग्रिम कार्य के प्रति रोपण का कार्य मोहाली मण्डल द्वारा 2011–12 वर्ष के दौरान किया गया। मंत्रालय का उत्तर प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नही था।	0.56
5	निष्फल व्यय	दसूया तथा होश्यारपुर वन मण्डलों ने 2010–11 में वन क्षेत्र में आग बुझाने के फायर टेंडर के लिए ₹ 14.18 लाख के वाहनों की चैसिस खरीदी। तथापि चैसिस का उपयोग फायर टेंडर प्रतिष्ठापन के बाद ही किया जा सकेगा, अग्नि उपकरण/टेंडर दिसम्बर 2012 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप ₹ 14.18 लाख का व्यय निष्फल हो गया। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि पहले से खरीदे गए चेसिंस पर फायर टेंडर लगाने के लिए टेंडर जारी किए जा रहें है तथा यह कार्य वित्तिय वर्ष 2013–14 तक पूरा कर लिया जाएगा।	0.15
	कुल		2.18

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[224]–2149.56 है0[225] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2190.49 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–1.51 है०
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–2149.56 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2188.98 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव का प्रमाणपत्र	उ0 न0
एन ओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–2883.40 है० गैर वन भूमि पर–1.51 है०
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सी ए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर– शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वनभूमि	आरओ अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
आरक्षित/सरक्षण वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नोडल अधिकारी राज्य कैम्पा व क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन मंत्रालय के दिये गये आंकड़ों में अनियोजित भिन्नता थीं। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 2,149.56 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि शून्य प्रतिशत थी जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार संख्याएं 2,190.49 है० तथा शून्य प्रतिशत थी। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और आरएफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**पीएसएफडीसी द्वारा निधियों का अनियमित टोका जाना**	पंजाब सरकार ने नवम्बर 2011 में पंजाब राज्य वन विभाग निगम (पीएसएफडीसी) के माध्यम से वन विभाग की बावत प्रतिपूरक रोपण के लिए गैर वन भूमि की खरीद के लिए नीति बनाई। भूमि इस प्रयोजन हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई राशि से खरीदी जानी थी। पीएसएफडीसी ने गैर वानिकी उपयोग के लिए विपथित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि

[224]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[225]मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		की खरीद के लिए 2010–12 वर्षों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 51.59 करोड़ प्राप्त किए। तथापि पीएसएफडीसी ने गैर वन भूमि की खरीद पर केवल ₹ 1.44 करोड़ का व्यय किया परिणामस्वरूप ₹ 50.15 करोड़ की निधियों का कम उपयोग हुआ, जिसे कैम्पा के खाते में जमा नही किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से पीएसएफडीसी के द्वारा वन भूमि के विपथन के बदले गैरवन भूमि की खरीद के लिए ₹ 51.49 करोड़ की निधि कैम्पा के दिशा निर्देशो के अन्तर्गत नही था। मंत्रालय का जवाब अस्पष्ट तथा भ्रामक था क्योंकि वन भूमि के विपथन के बदले जो राशि प्रयोक्ता एजेंसियों के द्वारा प्राप्त की गयी उसे कैम्पा के खाते में जमा किया जाना था।
2	**वन भूमि का अप्राधिकृत कब्जा**	अमृतसर वन मण्डल में 558 कैनाल 3 मरला वन भूमि निजी पाटियों के अप्राधिकृत कब्जे में है तथा गैर वन उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही है। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय नें बताया (अप्रैल 2013) कि अतिक्रमण की बेदखली के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10से 2011–12 तक के वर्षों के वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। उचित लेखाओं के अभावमें, इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावाराज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा करने की शक्तियां है। तथापि, ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 2009–10 से 2011–12 वर्षो के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान लेखे तैयार कर लिए गए थे तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिए गए थे। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वार्षिक लेखे विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किए गए थे।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक होनी चाहिए। तथापि 2009–12 के वर्षों के दौरान आयोजित शासी निकाय, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों से संबंधित कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

राजस्थान

1. पृष्ठभूमि[226]

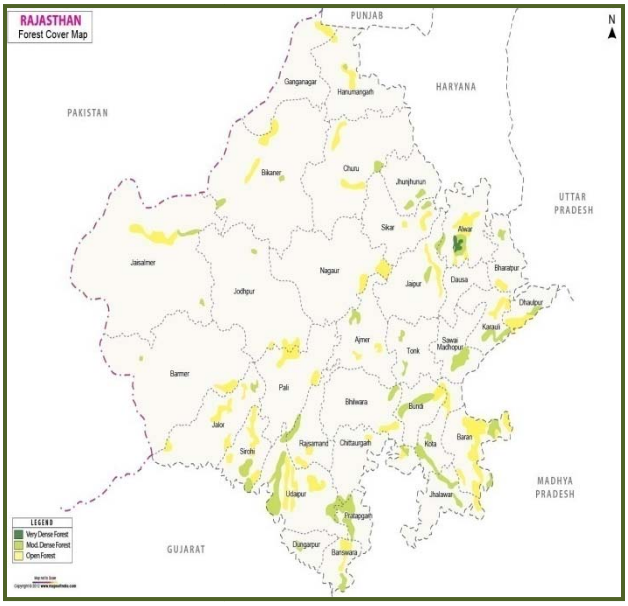

राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,23,900 हैक्टेयर था। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 16,08,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.70 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गो के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 7200 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अधीन 4,44,800 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अधीन 11,56,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व आकलन की तुलना करने पर, 2011 में ऑकलन में 5100 है० वन की कमी दशाई गई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

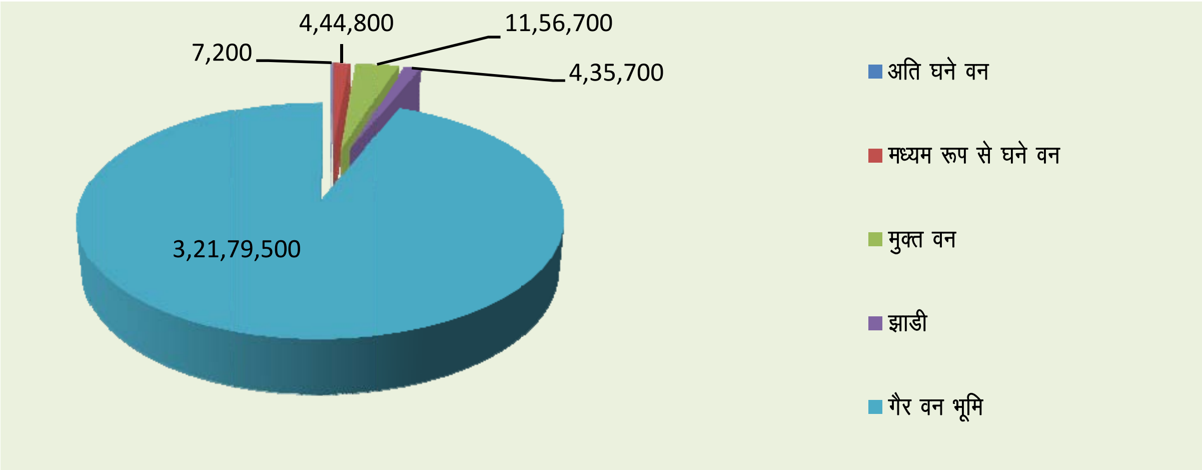

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

नवम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन किया गया था। तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित निधियां,राज्य कैम्पा को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियां तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान उनके प्रति किये गये खर्च के व्यौरे निम्नवत थे :–

[226] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[227] के पास निधियों का संचय
2006 से पूर्व	1.53	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	69.16	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	85.12	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	28.61	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	81.26	32.59	शून्य	32.59
2010–11	60.27	42.06	25.82	48.83
2011–12	28.80	31.89	37.18	43.54
कुल	354.75	106.54	63.00	

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है जारी ₹ 106.54 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को ₹ 1.91 करोड़ रूपये प्रेषित नही किये गये तथा राज्य सरकार के खाते में जमा किये गये।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

राजस्थान में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले, जो लेखापरीक्षा में देखने में आये नीचे दिये गये है। इस मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	893.99 है० वन भूमि वाले 13 मामले[228] हुएथे जिसमें प्रयोक्ता एंजेंसियों[229]से एनपीवी को एकत्र नहीं किया गया, जिनको सैद्धान्तिक अनुमोदन अक्टूबर 2002 के पहले ही प्रदान किया गया था और उसके बाद अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की बकाया राशि को वसूलने का प्रयास किए जा रहे थे।	51.85[230]
2	तीन मंडलों[231] के चार मामलों में वन भूमि का विपथन ₹ 6.97 करोड़ के एनपीवी तथा ₹ 0.05 करोड़ के सीए वसूली के बिना किया गया था।	7.05
3	नमूना जांच के दौरान 84 मामलों में यह देखा गया था कि मजदूरी दरों का संशोधन न करने के कारण सीए कम निर्धारित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अप्रैल 2013) स्वीकार कर ली।	6.17
4	जयपुर (मध्य) वन मण्डल में यह पाया गया कि बदनपुरा, जयपुर में लक्षमण डंगरी के पास ईको	0.44

[227] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[228] पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी रिपोर्ट के अनुसार
[229] ओरियंटल टाल्क प्रोडक्सन प्रा. लि., मै. उदयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिंडीकेट, श्री साह कस्तूर माल, विनोद के अग्रवाल, महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, मै. आरएसडीएमसी
[230] लेखापरीक्षा में रू 5.80 लाख/है० की न्युनतम दर लागू कर संतुलित आधार पर इन मामलों में प्राप्य एन पी वी की कुल राशि अनुमानित की गई (893.99×5.8)
[231] चित्तौरगढ़, बारन और धौलपुर

क्रम सं.	विवरण	राशि
	टूरिज्म परियोजना के संबंध में 9.40 है० विपथित वन भूमि के लिए चारदीवारी के निर्माण तथा वृक्षारोपण के लिए ₹ 0.44 करोड़ की वसूली नहीं की गई जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन सितम्बर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013)बताया कि प्रयोक्ता एजेंसी से बकाया राशि को वसूलने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।	
5	नमूना जांच में पता चला कि निम्नलिखित परियोजनाओं में गिरे पेडों की लागत वसूल नहीं की गई थी। पण उदयपुर (मध्य) वन मण्डल में रोहिणी सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में 4.32 है वन भूमि के विपथन की परियोजना पपण जयपुर (मध्य) मण्डल में घाट की गुणी के विकास तथा सुरंग के निर्माण की परियोजना मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि गिरते पेड़ों की लागत राज्य की प्राप्ति थी तथापि इस संबंध में अनुपालन को लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा।	0.03 0.17
	कुल	65.71

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा कों आबंटित निधियों और जारी निधियों के उपयोग के वर्ष वार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[232]					22.83	18.12		30.27	23.75
प्रतिपूरक वनरोपण					5.25	3.98		11.59	8.41
संरक्षित क्षेत्र[233]					4.50	3.42		7.56	4.96
सीएटी प्लान					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0.98	0.30		2.57	0.06
कुल	32.59	शून्य	शून्य	42.06	33.57	25.82	31.89	51.99	37.18

[232] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च किया जाता है
[233] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्य जीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–10 की निधियां बिना एपीओ के जारी की गई तथा वर्ष 2010–11 के एपीओ का अनुमोदन दिसम्बर 2010 में तथा वर्ष 2011–12 के एपीओ का अनुमोदन सितम्बर 2011 में संचालन समिति द्वारा किया गया। वर्ष 2009–10 में राज्य कैम्पा द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण राशि को राज्य कैम्पा खर्च नहीं कर सका। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण राशि की तुलना में व्यय के स्तर 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 61 प्रतिशत थे। यद्यपि गत तीन वर्षों में खर्च के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि राज्य की प्रतिपूरक वन रोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 857.07 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी किए जा सकते है, को ध्यान में रख कर चिंताएं शेष रहती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों तथा एनसीएसी के द्वारा प्राधिकृत नहीं**	कैम्पा निधि का उपयोग राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्म के ढाचे के संरचना में नहीं करना चाहिए था।तथापि नमूना जांच में पता चला कि व्यय बिल्डिंग के रखरखाव पीओएल चार्ज तथा सेलुलरफोन चार्ज पर किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि वाहन खरीददारी इत्यादि पर व्यय वर्ष 2010–11 में किया गया जिसपर आपत्ति की गई थी तथा आगामी वर्षों में इन समानों पर व्यय राज्य कैम्पा में जमा पूंजी से अर्जित ब्याज से किया जा रहा था। मंत्रालय का जबाव तर्कसंगत नही था क्योंकि निधियों का व्यय उन कार्यकलापों पर नहीं किया गया जिसके लिये निर्मुक्त की गई थीं।	2.04
2	**चारदीवारी का अधिक निर्माण**	छः मामलों में 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ में चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्धारित दरों से अधिक खर्च किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार चारदीवारी में बाद के संशोधनों के कारण अधिक व्यय हुआ। जवाब तर्कसंगत नही है क्योकि अतिव्यय एपीओ में बने प्रावधानों से परे था तथा समर्थ अधिकारी से अनुमोदित नही था।	0.33
3	**गश्त वाहनों के व्यय का अनियमित प्रभार**	जयपुर (मध्य) वन मण्डल में गश्त वाहनों पर किया गया व्यय कार्यों, अर्थात रोपण, पक्की दीवार का निर्माण आदि पर एपीओ के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से प्रभारित किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कोई उत्तर नहीं दिया।	0.02
4	**मण्डल कार्यालयों को निधियों के निर्गम में विलम्ब**	28 वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि मण्डल कार्यालयों को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कारण 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान वन मण्डल द्वारा क्रमशः ₹ 4.13 करोड़ तथा ₹ 4.43 करोड़ की राशि उपयोग नहीं की जा सकी थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि पिछले साल की बचतों को उपचित ब्याज के साथ बाद के वर्ष में उपयोग किया जा रहा था।	

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही था क्योंकि निधियाँ वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के लिए आंबटित की गई थीं जैसा अनुमोदित एपीओ में उल्लेख किया गया।	
	कुल		2.39

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[234]–8,152.66 है0[235] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,975.84 है0
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 584.97 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,698.72 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 7,567.69 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार –1,277.12 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–273.72 है0 गैर वन भूमि पर–917.07 है0
क्षेत्र जिस पर सी ए किया गया एन ओ अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर–शून्य गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–914.95 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–645.32 है0

जैसा उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए डाटा में असंगत अन्तर थे। आरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि 8,152.66 है० थी और इसके जगह पर सात प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार आंकडा क्रमश: 2,975.84 है० तथा 57 प्रतिशत थे। आरओ के अभिलेखों के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और आरएफ/पीएफ के रूप में अधिसूचित थी। जबकि एनओके अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित/परिवर्तित 914.95 है० गैर वन भूमि किया गया,में से केवल 645.32 है० गैर वन भूमि

[234] क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[235] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

आरएफ/पीएफ के रूप में घोषित की गई थी। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन तथा अनउपजाऊ भूमि पर कोई भी वनीकरण नहीं किया गया।

5.2 भूमि प्रबंधन में अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
अन्तिम (चरण–II) अनुमोदन के बिना वन भूमि का विपथन	i. चित्तौड़गढ़ में यह पाया गया था कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सैद्धान्तिक अनुमोदन की प्राप्ति के बिना 16.10 है0 वन भूमि भारतीय रेल को विपथित की गई थी और वन विभाग के पक्ष में 14.04 है0 गैर वन भूमि के हस्तांतरण बिना 30.00 है0 वन भूमि सिंचाई विभाग को विपथित की गई थी। ii. बारन में 52.30 है0 वन भूमि सिंचाई विभाग को चरण–II अनुमोदन के बिना विपथित की गई थी। iii. धौलपुर में ₹ 0.08 करोड़ का सीए प्राप्त किए बिना 13.00 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को विपथित की गई थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि अंतिम अनुमोदन की कार्यवाहीजारी थी।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पीएजी के परामर्श के बिना राज्य कैम्पा की लेखाकरण प्रक्रिया 14 मार्च 2012 को राज्य सरकार ने अनुमोदित की।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की ऐसे अन्तराल, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, पर महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्ति थी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन (अप्रैल 2013) को स्वीकार किया।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। राजस्थान कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12के दौरान छः बैठकों के प्रति दो बैठक हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठकें हुई। 2009–12 के दौरान शासी निकाय की केवल एक बैठक हुई।

सिक्किम

1. पृष्ठभूमि[236]

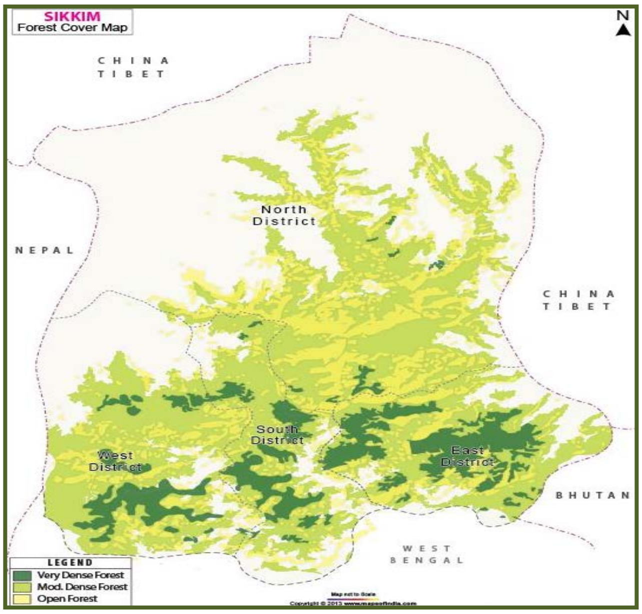

सिक्किम का कुल भौगोलिक क्षेत्र 7,09,600 हैक्टेयर है। दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 3,35,900 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 47.34 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वर्ग के अन्तर्गत 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वने अन्तर्गत 2,16,100 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 69,800 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर)– 2011

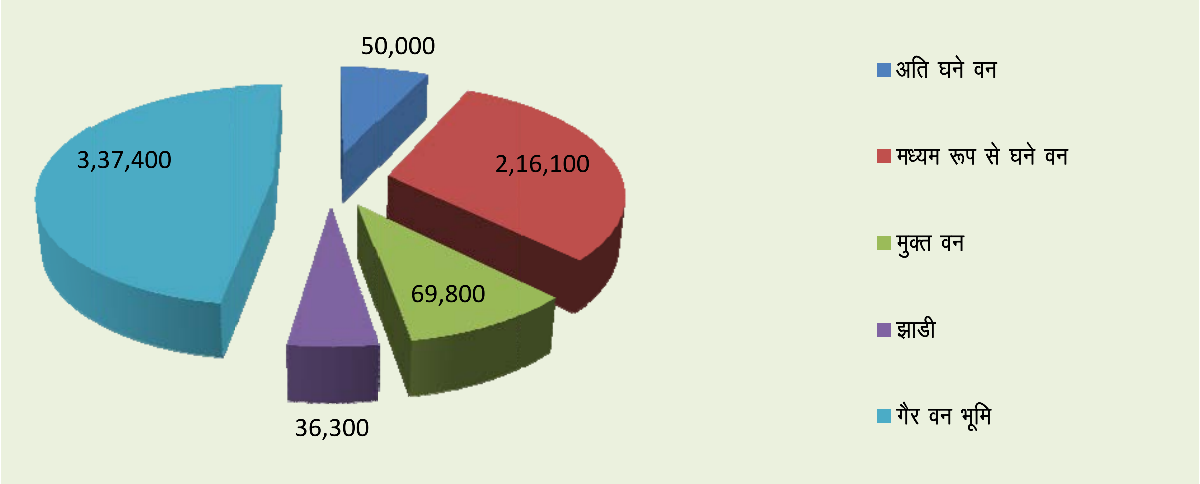

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा अगस्त 2009 में गठिन किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :–

[236]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[237] के पास निधियों का संचय
2006–07	11.60	शून्य	शून्य	
2007–08	34.36	शून्य	शून्य	
2008–09	24.79	शून्य	शून्य	
2009–10	47.64	8.01	4.43	3.58
2010–11	40.63	10.23	13.35	0.46
2011–12	19.84	9.04	10.07	(-)0.57
कुल	178.86	27.28	27.85	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के 15 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओं के प्रति जारी ₹ 27.28 करोड़ में से पूर्ण राशि का राज्य कैम्पा द्वारा उपयोग किया गया था।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

सिक्किम मेंएनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /अल्प वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए, का विवरण निम्नलिखित है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रं स.	विवरण	राशि
1	1992–93 से 2011–12 तक के बीच अनुमोदित गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के 25 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 30.34 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया था। प्रयोक्ता एजेंसियों में मै. सिक्किम ब्रेवरीज लिमि., आर्मी बीआरओ, राज्य सरकार विभाग जैसे डब्लयूएस एण्ड पीएचईडी , आरएम एण्ड डी डी, पर्यटन आदि शामिल थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) किएन पी वी की वसूली का मामला प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ उठाया जा रहा था।	30.34
2	2001–02 से 2011–12 तक की अवधि से समबंधित वन भूमि के विपथन के 23 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 8.22 करोड़ का सीए वसूल नहीं किया गया था। प्रयोक्ता एजेंसियों में मै. सिक्किम ब्रेवरिज लिमिटेड, आर्मी, बीआरओ, राज्य सरकार विभाग जैसे डब्ल्यूएस एण्ड पीएचईडी, आरएम एण्ड डीडी, पर्यटन आदि शामिल थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि मामला प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ द्वाराउठाया जा रहा था।	8.22
	कुल	38.56

[237] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[238]		उ. न.	1.66		उ. न.	1.92		उ. न.	1.88
प्रतिपूरक वनरोपण		उ. न.	1.35		उ. न.	1.50		उ. न.	2.24
संरक्षित क्षेत्र[239]		उ. न.	0.05		उ. न.	0		उ. न.	0.55
सीएटी योजना		उ. न.	1.37		उ. न.	9.93		उ. न.	5.40
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		उ. न.	0		उ. न.	0		उ. न.	0
कुल	8.01	उ. न.	4.43	10.23	उ. न.	13.35	9.04	उ. न.	10.07

2009–12 के एपीओ पांच से 10 महीनों के विलम्ब के बाद अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2009–10 में व्यय तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों का 55 प्रतिशत था। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता में 2009–10 से 2011–12 में प्रगामी रूप से वृद्धि हुई है परंतु यह कि राज्य (31 मार्च 2012) की प्रतिपूरक वनरोपण निधि में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 202.45 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है, को ध्यान में रखकर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं।

4.2 निधि के उपयोग की अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	एन सी ए सी तथा स्टेट कैम्पा दिशानिर्देशों द्वारा व्यय का अधिकृत न होना	राज्य वन मुख्यालयतथा इको–टूरिज्म पर ढाचा निर्माण के लिए कैम्पा निधि प्रयोग नहीं की जानी चाहिए यद्यपि जांच परीक्षा ने यह उजागर किया कि वाहनो की खरीद पर किया गया व्यय (₹ 0.25 करोड) वन संचिवालय इमारत की बाड तथा इसका विस्तार, डी एफ ओ आवास तथा कार्यालयों की मरम्मत तथा वन क्वाटरो का सहायक संरक्षकआदि पर व्यय (₹ 1.99 करोड़) किया गया। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में लेखापरीक्षा का अवलोकन स्वीकार किया।	2.24
2	अतिरिक्त व्यय	जनवरी 2006 से मई 2008 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पांच विद्युत एजेंसियों द्वारा हाइडल परियोजनाओं के निर्माण के लिए 236.73 है० वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया था। अनुमोदित शर्तों के अनुसार सीएटी कार्यक्रम को तीन से पांच साल की अवधि के दौरान पूर्ण	1.89

[238]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च की जाती है।
[239]संरक्षित क्षेत्र निधियां वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती हैं।

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		करना था। तथापि कार्य के निष्पादन में तीन वर्षों तक का विलम्ब हुआ जिसके कारण परियोजनाओं में ₹ 1.89 करोड़ तक लागत वृद्धि हुई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि अति व्यय, मजदूरी तथा सामान की कीमतों में बढोतरी के कारण हुई।	
3	अधिक व्यय	राज्य कैम्पा ने सी ए पी टी के अन्तर्गत 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के एपीओ में अनुमोदित से अधिक दरों पर खर्च किया परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से यह अनुरोध किया गया कि सी ए टी योजना के शेष भाग के लिए अंतर राशि का भुगतान करें।	1.15
4	लाभ से वंचित करना और निधियों का अवरोधन	ईंधन लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने से उन्हें रोकने के लिए लाभार्थियों को वितरण हेतु 2009–10 के दौरान 193 एलपीजी गैस सिलिण्डरों की आपूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम, सिक्किम (एसटीसीएस) को राज्य कैम्पा ने ₹ 8.99 लाख का अग्रिम भुगतान किया। तथापिएसटीसीएस द्वारा एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं की गई थी इस प्रकार अभिप्रेत लाभार्थी लाभों से वंचित हो गए थे तथा ₹ 8.99 लाख की निधि एटीसीएस के पास अवरूद्ध रही। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2013)	0.09
5	जैव विविधता तथा वन्यजीव के संरक्षण तथा सुरक्षा की योजनाएं लागू न करना	वन्यजीव अभयारण्य (2008–09 एवं 2009–10) 20.89 है. भूमि विपथन के लिए विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 9.29 करोड़ (एनपीवी ₹ 6.55 करोड़, सीए ₹ 1.70 करोड़ तथा वन्यजीव /जैवविविधता संरक्षण तथा प्रबंधन योजना (बीसीएमपी) ₹ 1.04 करोड़) की प्राप्ति के बावजूद जैवविविधता तथा वन्यजीव की सुरक्षा के कार्यकलाप केवल ₹ 16.42 लाख तक सीमित था। संरिक्षत क्षेत्र में सुरक्षा तथा संरक्षण के कार्यकलाप न करने के कारण लिखित में नहीं थे। मंत्रालय (अप्रैल 2013) कहा कि तदर्थ कैम्पा से निधि कम प्राप्त होने के कारण, कुछ मामलों में प्रतिबंधित क्षेत्र में और अधिक संरक्षण सुरक्षा गतिविधियां नहीं की जा सकी। उत्तरी सिक्किम में तीस्ता स्टेज–III हाइडोइलैक्टिक पावर प्रोजेक्ट के सुरक्षित क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्र से सटे हुए वन्य जीव बहुल्य क्षेत्र में जैविविधता संरक्षण कार्य जारी है तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि जारी न करने से जैवविविधता तथा वन्य जीव सुरक्षा की गतिविधियां नही जा सकी।	
6	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अलग बैंक खाता न खोलना	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, के अन्तर्गत जैव विविधता तथा वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित कार्यकलाप करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संग्रहित निधियों के लिए राज्य कैम्पा ने अलग बैंक खाता नहीं खुलवाया था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, के अर्न्तग समग्रनिधि के लिए बैंक खाता तदर्थ कैम्पा तथा राज्य वन विभाग को मंत्रणा के बाद खोला जाएगा।	

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
7	**पेड़ो की गणना से संबंधित अभिलेखों का न बनाया जाना**	वन विभाग के क्षेत्रीय मंडल विद्यमान पेडों की गणना करने, प्रभावित वन क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए प्रति पूरक वन रोपित किए जाने वाले पेडों की संख्या तथा किस्म से संबंधित मानकों, रोपित किए जाने वाले पेडों की प्रजातियों के प्रकार तथा संख्या का विशेष उल्लेख करने आदि के लिए उत्तरदायी थे। तथापि वन विभाग के क्षेत्रीय मंडल में कोई गणना नहीं की गयी तथा कोई अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि इस प्रकार परियोजना के गणना रजिस्टर में पेडों को प्रभावित किया तथा परियोजना के अलग रिकार्ड को राज्य नोडल कार्यालय में अनुरक्षित किया जा सकता था।	
8	**जलग्रहण क्षेत्र संसाधन (सीएटी) परियोजना का विलम्बित कार्यान्वयन**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा चूजाचेन, रोंगली मे 99 मे०वा० चूगाचेन हाइड्रों इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 7.46 है० वन भूमि का विपथन जनवरी 2006 में अनुमोदित किया। तदनुसार ₹ 1.69 करोड़ की निधियां राज्य कैम्पा के जीआईएल द्वारा अंतरित की गई थीं (मार्च 2007)। पर्यावरण निर्बाधन की शर्तों के अनुसार सीएटी योजना परियोजना के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर अर्थात जनवरी 2009 तक पूर्ण की जानी थी। संवीक्षा में पता चला कि प्रथम चरण से संबंधित कार्य परियोजना के अनुमोदन के तीन वर्ष बाद 2009–10 के दौरान आरम्भ किया गया। दूसरे मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डैन्स इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डीईपीएल) द्वारा दक्षिण तथा पश्चिम सिक्किम में 96 मे०वा० जोरेथंग लूप हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजक्ट के निर्माण के लिए 32.05 है० वन भूमि का विपथन अनुमोदित किया (मई 2008) । तदानुसार मार्च 2008 में ₹ 1.37 करोड़ डीईपीएल द्वारा राज्य कैम्पा को अंतरित किया गया पर्यावरण निर्वाधन के शर्तों के अनुसार सीएटी योजना को अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर पूरा करना था तथापि यह देखा गया था कि प्रथम चरण से संबंधित कार्य एक वर्ष के विलंब के साथ 2009–10 के दौरान आरम्भ किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने अपर्याप्त निधि को सीएटी के कार्यान्वयन में देरी को जिम्मेदार ठहराया।	
9	**राज्य सरकार द्वारा वनरोपण योजना के कार्यान्वयन का भार तदर्थ कैम्पा पर डालना**	2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन 2006–07 की तुलना में एक प्रतिशत तथा शून्य प्रतिशत था। इस प्रकार राज्य सरकार ने वनरोपण योजना के कार्यान्वयन में तदर्थ कैम्पा पर सम्पूर्ण भार डाल दिया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि राज्य बजट में सीए के रखरखाव की लागत लगातार कम होती गई तथा वर्ष 2011–12 से राज्य बजट में सी ए का आवंटन बंद हो गया।	
	कुल		**5.37**

5. भूमि प्रबंधंन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[240]–351.54 है.[241] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,359.91 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –351.54 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 1,359.91 है.
सम्बद्ध गैर वनभूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	1,359.91 है. वनभूमि के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। तथापि मुख्य उसकी सचिव द्वारा एकवार प्रमाणपत्र जारी किए गए थे और उसकी जेरोक्स प्रति गैरवन भूमि की अनुपलब्धता के शेष मामलों में उपयोग की गई थी।
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2,306.21 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
क्षेत्र जिस पर सीए किया गया एन ओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 511.09 हैक्टेयर गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य

तालिका से स्पष्ट है, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केसम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी तथा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों में गैर सामंजस्य था आर ओ के रिकार्ड के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए विपथित वन भूमि 351.54 है० तथा गैर वन भूमि को इसके बदले शून्य प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि एनओ के आकडों के अनुसार 1359.91 है० तथा शून्य प्रतिशत था। आर ओ तथा एन ओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई वन भूमि हस्तानान्तरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गयी थी एनओ के रिकार्ड के अनुसार कोई गैर वन भूमि पर तथा निम्नकृत वन भूमि पर वृक्षारोपित किया जाने वाले क्षेत्र के 22 प्रतिशत भाग पर वन रोपित किया गया।

[240] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा राज्य वन विभाग का नोडल अधिकारी (एनओ)
[241] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
मुख्य सचिव के प्रभाव प्रमाणपत्र का सत्यापन न करना	राज्य कैम्पा ने मूल प्रमाण पत्रों के बिना क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव भेजे और इसके स्थान पर नेमी रूप में पहले जारी प्रमाणपत्र की फोटो प्रति भेजी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) किमामला का एक ही प्रयोजन से संबंधित होने के कारण प्रत्येक विषय के लिए मुख्य सचिव से अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करना संभव नहीं था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योकि वन भूमि का विपथन मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के बिना किया गया।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे अंतरालों पर महालेखाकार द्वारा की जानी थी जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की इसके आय तथा व्यय की यथा तथ्यता की लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा संचालन के लिए शक्तियां थी। यद्यपि ऐसा कोई लेखपरीक्षा संचालित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि लेखे तैयारी का कार्य सीएएस को सौंपा गया तथा जितनी जल्दी सीएएस द्वारा लेखा तैयार हो जाएगा उसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी थी। सिक्किम कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति तीन बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान तीन बैठकें हुई।

तमिलनाडु

1. पृष्ठभूमि[242]

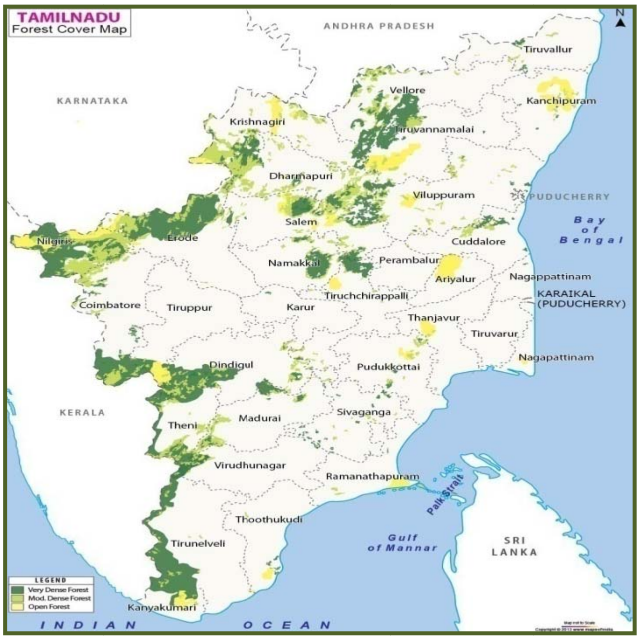

तमिलनाडू का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,30,05,800 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–मई 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 23,62,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 18.16 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अतिघने वन के अन्तर्गत 2,94,800 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 10,32,100 हैक्टेयर क्षेत्र और मुक्त वन के अन्तर्गत 10,35,600 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 4600 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेअर में)–2011

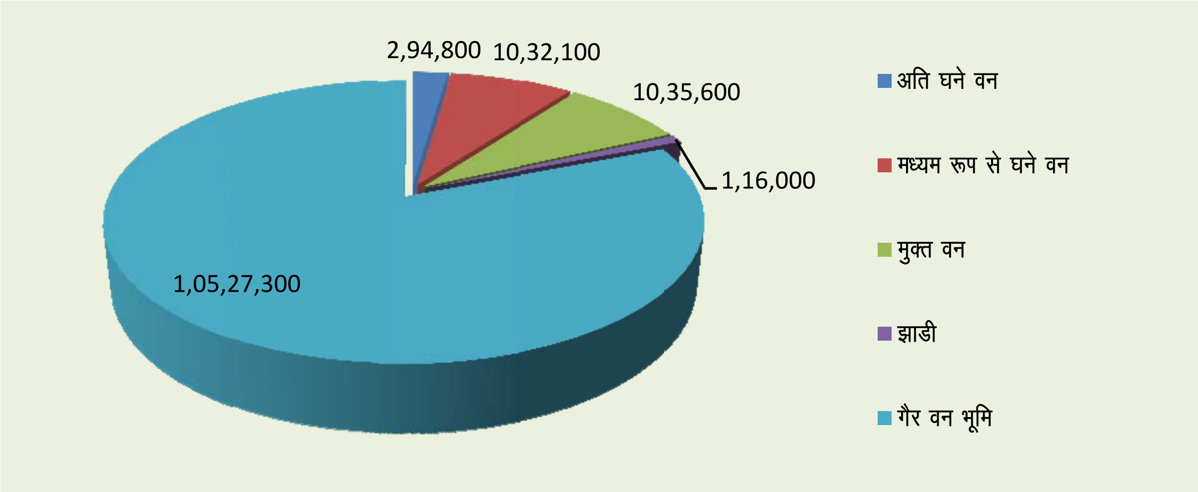

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

राज्य कैम्पा सितम्बर 2009 में गठित किया गया। 2006–07 से 2011–12 कि अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषिति निधि, तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को दी गई निधि तथा किए व्यय का विवरण निम्नलिखित है–

[242]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[243] के पास निधियों का संचय
2006–07	2.00	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	7.56	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	9.56	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	3.53	1.97	शून्य	1.97
2010–11	0.97	1.70	0.67	2.00
2011–12	3.40	1.38*	1.31	2.07
कुल	27.02	5.05	2.98	

*जून 2012 में ₹ 1.38 करोड़ की राशि प्राप्त हुई

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियोंका 19 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी की गई थीं। एपीओ के बिना जारी ₹ 5.05 करोड़ में से 41 प्रतिशत अप्रयुक्त रही जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 19.45 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई तथा सरकारी खाते में जमा कर दी गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के नोटिस में तमिलनाडु में एन पी वी/सी ए/पी सी ए आदि के गैर वसूली/कम वसूली का मामला नीचे दिया गया है।इन मामले का सार अध्याय 3 की तालिका 24 व 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क सं.	विवरण	राशि
1	यहां 107.40 है० मे शामिल सात[244] मामले थे जिनमें एनपीवी, प्रयोक्ता एजेंसियों[245] से इकटठा नहीं किए गए जिनको अक्टूबर 2002 से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया तथा अक्टूबर 2002 से पहले अंतिम अनुमोदन मिला। मंत्रालय ने कहा(अप्रैल 2013) कि संबंधित डीएफओ द्वारा मामले का अनुसरण किया गया। (अप्रैल 2013)	6.23[246]
2	₹ 0.37 करोड़ का एनपीवी (वन्यजीव वार्डन, चेन्नई ₹ 0.25 करोड, डीएफओ नीलगिरि दक्षिण – ₹ 0.08 करोड़ तथा डीएफओ, शिवगंगा ₹ 0.04 करोड़) तथा ₹ 0.87 लाख की शिवगंगा डी एफ ओ से सीए की अल्प वसूली की गई। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि इन मामलों में एनपीवी/सीए इत्यादि का अल्प संग्रह नही	0.37

[243] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि

[244] 16 मार्च 2012 को जारी एमओईएफ की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार

[245] बल्लाकल जलाशय, वरात्तर जलाशय

[246] लेखापरीक्षा द्वारा कुल एनपीवी की राशि सामान्य रूप से ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से निकाली गई है (107.40 x 5.8)

क सं.	विवरण	राशि
	हुआ। यद्यपि, उत्तर का संबंधित दस्तावेजों से समर्थन नहीं किया गया।	
3	₹ 0.17 करोड का पीसीए उदागई नगरपालिका से अप्राप्त रही। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग पीसीए की वसूली के मामले को प्रयोगकर्ता एजेंसी के साथ अनुसार कर रहा था।	0.17
4	वन्यजीव वार्डन चेन्नई द्वारा पीसीए वसूल नहीं किया गया, यह तथ्य जानते हुए भी प्रयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा औपचारिक अनुमोदन से पहले भी काम किया जा रहा था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि पीसीए की वसूली, प्रयोगकर्ता एजेंसी से, अंतिम अनुमोदन में शामिल नहीं की गई अतः मंत्रालय ने स्वीकार किया पीसीए की वसूली प्रयोक्ता एंजेसियों से नहीं की गई।	
	कुल	6.77

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौर

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[247]		0	0		0.66	0.66		0.42	0.43
प्रतिपूरक वनरोपण		0	0		0.60	0.56		0.96	0.87
संरक्षित वन		0	0		0	0		0	0
सीएटी योजना		0	0		0	0		0	0
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप		0	0		0.49	0.45		0.05	0.01
कुल	1.97	0	0	1.70	1.75	1.67	1.38	1.43	1.31

वर्ष 2009–10 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधि बिना एपीओ के थी बिना उद्देश्य या लेखा के शीर्ष को उल्लिखित किए विना जिसके लिए यह जारी किए गए थे। 2011–12 वर्ष के लिए निधि माह जून 2012 में प्राप्त की गई। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 33.95 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है को ध्यान में रख कर राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिंताए शेष रहती है और विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों के लिए जारी की जा सकती हैं।

[247] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**अनियमित व्यय**	₹ 0.48 करोड़ की राशि कुछ मदों, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत की गई थीं, पर 2010–11 के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा खर्च की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि इन मदों (3 वन विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षण कक्ष का विस्तार, प्रयोगिक इनफारमेशन सिस्टम प्रयोगशाला में आधारभूत सुविधाएं तथा राज्य कैम्पा कक्ष के लिए) पर खर्च धारित जमाओं पर अर्जित ब्याज से पूरा किया जाए। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा किकथित मदों को संचालन समिति के नोटिस से उचित आदेश/अनुसर्मथन की बैठक के दौरान सामने लाया जाएगा।	0.48
2	**व्यय करना जो एपीओ/माडल अनुमान के अन्तर्गत नही आता**	बचत से ₹ 0.26 करोड की राशि का एपीओ में अस्वीकृत कार्यों पर व्यय किया गया तथा ₹ 0.10 करोड रूपए में की राशि माडल अनुमान में नहीं शामिल कार्यों पर की गई। इस प्रकार ₹ 0.36 करोड़ का व्यय एपीओ में बिना किसी प्रावधान किया गया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग को मामले का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।	0.36
3	**भूमियुक्त कराने के लिए सीए निधियों का अनियमित विपथन**	₹ 0.15 करोड़ की सी ए की राशि कार्य के लिए डी एफ ओ का काचीपुरम को जारी की गई थी जो कि सी ए के लिए अभी ज्ञान भूमि के स्थान पर अतिकमित विकशित भूमि में सी ए कार्य के लिए राज्य कैम्पा द्वारा डी एफ ओ तिरूबल्लूर को भूमि विपथित की गई थी। इनमें से ₹ 0.06 करोड़ सितम्बर 2012 तक व्यय किए जा चुके थे। मंत्रालय ने कहा(अप्रैल 2013) कि मामले अतिक्रमणकी पुनरावृत्ति को टालने के लिए वनीकरण पर व्यय किया गया। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य पर आधारित नहीं था कि व्यय वनीकरण पर किया गया परन्तु यह अतिक्रमण की बेदखली पर किया गया।	0.15
4	**भुगतान वाउचर का ना देना**	मार्च 2011 में ग्राम वन परिषद को भुगतान के लिए ₹ 0.04 करोड़ तथा ₹ 0.01 करोड़ के भुगतान वाउचर राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि संबंधित वन विभाग ने राज्य कैम्पा को प्रासंगिक वाउचर प्रस्तुत कर दिया है। तथ्य यह है कि इन वाउचर को अब तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है।	0.05
	कुल		**1.04**

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[248] के अभिलेखों के अनुसार–269.33 है0[249] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–323.09 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–230.01 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–230.95 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–39.32 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–92.14है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–147.51 है0 गैर वन भूमि पर–226.95 है0
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–66.97 है0(2008–09) गैर वन भूमि पर–144.12 है०
हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–226.95 है०
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–57.01 है0

जैसा कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केसम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी तथा द्वारा दिये गये आंकडों भिन्नताएं थीआरओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु विपथित वन भूमि 269.33 हैक्टेयर थी और बदले में व्यक्त गैर वन भूमि 85 प्रतिशत थी। जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार यह संख्या 323.09 हैक्टेयर एवं 71 प्रतिशत थी। आरओ के अभिलेखों के अनुसार वन विभाग के पक्ष में कोई गैर वन भूमि हस्तांतरित/प्रतिवर्तित और आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई थी। जबकि एन ओ के अनुसार 226.94 है० में से 57.01है०गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित/प्रतिवर्तित की गई थी, जो कि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित थी। एन ओ के अभिलेखाओं के अनुसार 144.12 है० गैर वन भूमि पर वनरोपण किया गया और निम्नीकृत वन भूमि पर किया गया वनरोपण वनरोपित किये जाने वाले क्षेत्र का 45 प्रतिशत था।

मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि शेष क्षेत्रों में सीए सूचीबद्ध तरीके से किया जाएगा।

---

[248] क्षेत्रीय कार्यलय (आर ओ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं नोडल अधिकारी (एन ओ) राज्य वन विभाग

[249] मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**वन भूमि का अप्राधिकृत विपथन**	वडकू पचयारीकर जलाशय का 1996–2003 के दौरान तिरूनेलवेली जिले में 191. 60 है0 वन भूमि पर अप्राधिकृत रूप से निर्माण किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ₹ 19.17 करोड़ का एनपीवी/पीसीए/सीए आदि और ₹ 1.78 करोड़ के जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना (सीएपीटी) प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा करने के लिए जुलाई 2005 में पूर्वप्रभावी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान मामले में ₹ 19.17 करोड़ का एनपीए/पीसीए/सीए राज्य वन विभाग से वसूल नहीं हुआ और राज्य वन विभाग के पास जमा ₹ 1.78 करोड़ के सीएटीपी प्राप्य की राशि फसल कृषि कार्य शीर्ष को गलतरूप से वर्गीकृत तथा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित नही की गई इस प्रकार परियोजना का निष्पादन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया था। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि प्रयोक्ता एजेसियों एन पी वी/सी ए से ₹ 19.17 करोड की वसूली तथा अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निदेश दिए। इस संबंध में यह कहा गया कि तदर्थ कैम्पा से ₹ 1.78 करोड़ के गैर प्रेषित की कार्यवाही की जा रही थी।
2	**द्वितीय चरण अनुमोदन की अनियमित मंजूरी**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2.91 है0 गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना पुलीकट झील पर उच्च स्तर पुल के निर्माण के लिए 1.46 है0 वन भूमि के विपथन का द्वितीय चरण अनुमोदन दिया। गैर वन भूमि के मामलों में गैर वन भूमि प्राप्त किए बिना द्वितीय चरण अनुमोदन की मंजूरी अनियमित थी। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा किप्रयोक्ता एजेंसियों से गैर वन भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।
3	**पांच वर्षों तक वन भूमि का संग्रहण**	रेडियो एस्ट्रोनामी सेंटर ऊटी को 21 सितम्बर 1966 से 20 सितम्बर 1991 तक 25 वर्षों के लिए पटटा आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27.51 है0 वन भूमि का विपथन मंजूर किया गया था। 5 वर्षों का अन्तराल छोडकर 21 सितम्बर 1996 से पन्द्रह वर्षों के लिए पट्टा का नवीनीकरण किया गया। इस प्रकार 27.5 हैक्टेयर भूमि पट्टा धारी के अधिकार में 5 वर्षों तक अप्राधिकृत रही। एक अन्य मामले में राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि उडगमण्डल नगरपालिका को 1992 तक पटटा आधार पर 2.23 है0 वन भूमि का विपथन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया था। उसके बाद पटटा का नवीकरण नहीं किया गया था। अगस्त 1994 में नीलगिरिज साउथ रेंज द्वारा यह सूचित किया गया था कि उडगई नगरपालिका ने मूलपटटाकृत 2.02 है0 भूमि के प्रति ठोस अपशिष्ट डालने के लिए 4.80 है0 आरएफ भूमि पर अधिकार कर लिया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया था। उसके बाद पटटा का नवीकरण नहीं किया गया था कि उडगई नगरपालिका ने मूल पटटाकृत 2.02 है0 भूमि के प्रति ठोस अपशिष्ट डालने के लिए 4.80 है0 आरएफ भूमि पर अधिकार कर लिया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अगस्त 2007 में नगरपालिका को 6.07 है0 वन भूमि के विपथन के लिए प्रथम चरण अनुमोदन मंजूर किया। शर्तों, यथा गैर वन भूमि का हस्तान्तरण और नगरपालिका द्वारा पीसीए आदि प्रेषित नही करना, का अनुपालन न करने के कारण द्वितीय चरण

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		अनुमोदन मंजूर नहीं किया जा सका। इस प्रकार 4.80 है0 वन भूमि अठारह वर्षों के लिए अप्राधिकृत रूप से पटटाधारी के अधिकार में रही। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि पट्टा के नवीकरण के लिए कार्यवाही की जा रही थी। इस संबंध में उडगई नगरपालिका द्वारा वनभूमि का अनधिकृत कब्जे के बारे में कहा गया कि संबंधित वन विभाग मामले का अनुसरण प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ कर रहा है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य कैम्पा की लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे।तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वार्षिक लेखे निर्धारित फार्मेट में तैयार नहीं किए गये। ऐसा पाया गया कि तदर्थ कैम्पा को 2009–10 तक के लिये ₹ 22.65 करोड़ प्रेषित किये गये ₹ 0.32 करोड़ की राशि तदर्थ के पास मिलान के लिए पड़ी थी। 2010–11से 2011–12 के वर्षो का मिलान नहीं किया गया था। क्षेत्र अधिकारियों को जारी निधि का राज्य कैम्पा द्वारा बैंक मिलान भी नहीं किया गया।

इसके अलावा, राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास राज्य कैम्पा के विशेष लेखा परीखा या निष्पादन लेखा परीक्षा आयोजित करने की शक्ति थी, तथापि ये लेखापरीक्षा आयोजित नही की गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी थी। तमिलनाडू कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल दो बैठकें हुईं। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान दो बैठक हुई।

त्रिपुरा

1. पृष्ठभूमि[250]

त्रिपुरा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 10,49,100 हैक्टेयर है। जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 7,97,700 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 76.04 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 10,900 हैक्टेयर क्षेत्र मध्यम रूप से घने वन के अन्तर्गत 4,68,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 3,18,200 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र में 2011 निर्धारण में 800 हैक्टेयर कमी पायी गई।

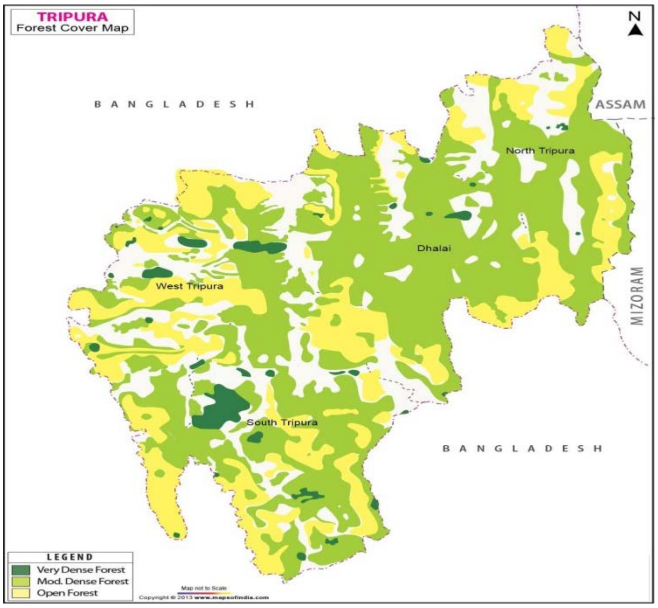

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

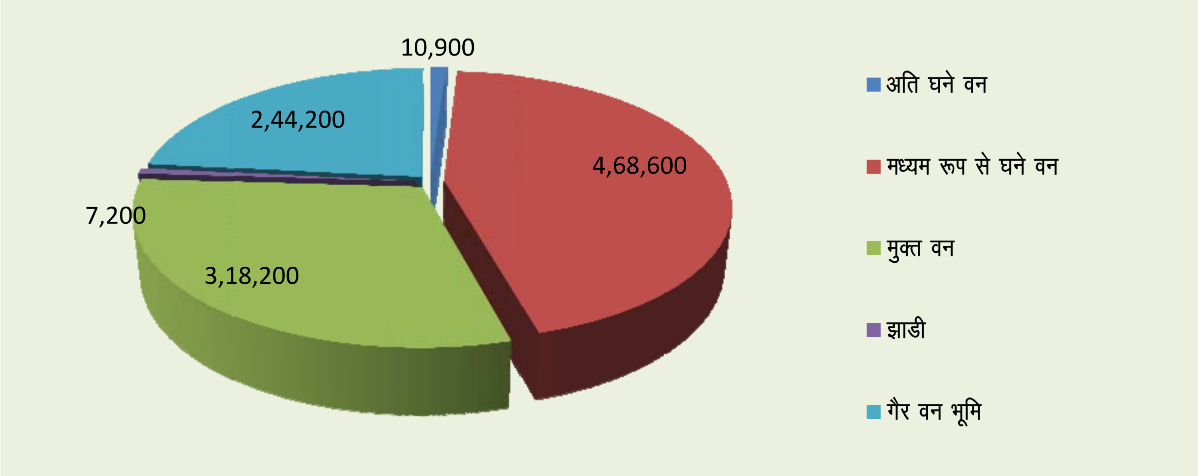

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

राज्य कैम्पा का गठन अक्टूबर 2009 में किया गया। 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषिति निधि, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधि तथा किए व्यय का विवरण निम्नलिखित है

[250]स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[251] के पास निधियों का संचय
2006–07	9.67	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	4.53	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	2.78	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	2.19	3.54	शून्य	3.54
2010–11	34.23	2.58	0.54	5.58
2011–12	4.03	शून्य	1.39	4.19
कुल	57.43	6.12	1.93	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के 11 प्रतिशत 2009–12 के बीच ₹ 6.12 करोड़ एपीओ के प्रति जारी किए गए थे, 68 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

त्रिपुरा में गैर वसूली एनपीवी/सीए/पीए आदि की गैर वसूली/कम वसूली के मामले जो लेखापरीक्षा में देखने में आए, नीचे दिए गए है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 और 26 में भी दिया गया है।

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	यहां 5,741.55 है० की वन भूमि के साथ शामिल 16 मामले[252] है जिनमें एनपीवी प्रयोग कर्ता एजेंसियों[253] से इकट्ठे नहीं किए गए जिनको अक्टूबर 2002 से पहले अनुमोदन दिया गया तथा अंतिम अनुमोदन इसके बाद मिला।	333.01[254]
2.	एक्सपर्ट समिति की सिफारिश पर मार्च 2008 से उच्चतम न्यायालय ने एनपीवी की दरों को पुनरीक्षित किया। यद्यपि चार वन मण्डलों[255] की जांच परीक्षा ने उजागर किया कि 12 मामलों में एनपीवी को पुनरीक्षित दर पर इकटठा नहीं किया गया। मंत्रालय (अप्रैल 2013) ने कहा कि प्रयोगकर्ता एजेंसियों से बाकी एनपीवी की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी थी।	0.18
	कुल	333.19

[251] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[252] 16 मार्च 2012 को जारी एमओईएफ की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
[253] रबर प्लानटेशन गैस बेस्ड काम्बी नेड साइकिल पावर प्रोजेक्ट, गोवमेट एजेंसिस
[254] सामान्य लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल राशि ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से अनुमानित की गई है (5,741.55 x 5.8)
[255] तेलीमुरा, बागफा, वेस्ट एण्ड त्रिष्पा।

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारी जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[256]					2.30	0.54		2.24	1.31
प्रतिपूरक वनरोपण					0.09	0		0.26	0.08
संरक्षित क्षेत्र[257]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0	0		0	0
कुल	3.54	शून्य	शून्य	2.58	2.39	0.54	शून्य	2.50	1.39

*लेखापरीक्षा में आवंटन तथा व्यय के आंकडे केवल छः मंडलों के संबंध में हैं। सम्पूर्ण राज्य की सूचना नोडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

वर्ष 2009–10 के एपीओ के प्रस्तुतीकरण के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं। वर्ष 2010–11 का एपीओ अक्तूबर 2010 में प्रस्तुत किया गया था ओर दस माह के विलम्ब के बाद जनवरी 2011 में निधियां जारी की गई थीं।

तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 9 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसियां 2010–11 तथा 20011–12 में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। यघपि व्यय की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है परंतु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 92.73 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है, इसे देखते हुए राज्य की अवशोषी क्षमता पर प्रश्न उठता है तथा यह राशि केवनल वन संबंधित विशेष कार्यो के लिए जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
निधियों के आवंटन से अधिक व्यय	निर्देश तथा प्रशासनिक मंडल, अगरतला ने 2011–12 के एपीओ में ₹ 0.04 करोड़ के प्रावधान के प्रति टीए पर रू. 0.07 करोड़ का व्यय किया और सदर वन मंडल ने ₹ 0.06 करोड़ के प्रावधान के प्रति टीए पर ₹ 0.08 करोड़ का व्यय किया और अन्य कार्यकलापों से निधियों के विपथन द्वारा 2011–12 के एपीओ में ₹ 0.13 करोड़ के प्रावधान के प्रति वन संरक्षण तन्त्र को सुदृढ़ करने पर ₹ 0.22 करोड़ का व्यय किया।	0.14

[256] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है

[257] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कहा कि व्यय, एपीओ में बनाए गए प्रावधान में ही किया गया। उत्तर इस तथ्य पर आधारित नहीं था कि उपरोक्त मुख्य पर किया गया व्यय, एपीओ में अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए प्रावधानों से निधि विपथन कर किया गया।	

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[258] के अभिलेखों के अनुसार – 191.42 है[259] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –696.22 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 10.91 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 10.95 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 180.51 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 685.27 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र एनओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 1,597.45 है. गैर वन भूमि पर – 10.95 है.
क्षेत्र जिसपर सीए किया गया एनओ के अनुसार	निम्नीकृत वन भूमि पर – 80.00 है. गैर वनभूमि पर – शून्य
प्राप्त गैर वन भूमिहस्तान्तरित / परिवर्तित	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – 10.95 हैं
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों कं अनुसार – शून्य

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए सूचना में पर्याप्त भिन्नताएं है।क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि 191.42 हैक्टेयर थी और बदले में प्राप्त गैर वन भूमि केवल 6 प्रतिशत थी जबकि नोडल अधिकारी के अनुसार आँकड़े 696.22 हैक्टेयर तथा 2 प्रतिशत था। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार कोई भी गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित नहीं की गई तथा कोई भी वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में अधिसूचित नहीं की गई।नोडल अधिकारी के अनुसार 10.95 हैक्टेयर गैर वन भूमि जो वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित हुई, इसमें से कोई भी वन भूमि आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित नहीं की गई।एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर किसी भी प्रकार का वन रोपण नहीं किया गया तथा वन रोपण निम्न वन भूमि पर किया गया जो वनरोपण भूमि क्षेत्र का 5 प्रतिशत था।

[258]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) तथा नोडल राज्य वन विभाग का अधिकारी (एनओ)।
[259]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

5.2 भूमि प्रबंधंन में देखी गई अनियमितताएं

अनियमितता का स्वरूप	विवरण
सीए कार्य के निष्पादन में कमी	2006–12 के दौरान 124 मामलों में 696 है. वन भूमि के विपथन बदले 1,608 है भूमि (1,597 है वन भूमि तथा 11 है. गैर वन भूमि) पर सीए किया जाना था। तथापि वर्ष 2006–07 में ₹ 0.17 करोड़ की लागत पर 60 है वन भूमि के केवल दो मामलों में सीए किया गया था। उसके बाद गत पांच वर्षों 2007–2012 के दौरा कोई सीए नहीं किया गया। आगे 2010–11 के ए.पी.ओ. में केवल ₹ 0.09 करोड़ का प्रावधान किया गया था और 2011–12 के एपीओ में सीए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि राज्य में सीए कार्यकलापों की अनदेखी की गई थी।मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) कहा कि राज्य कैम्पा द्वारा सीए नही किया गया क्योंकि कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था। यह उत्तर राज्य सरकार की सीए गतिविधियों को लेकर निम्न प्राथमिकता दर्शाता है।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसे वह निर्धारित करे। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के अपने वार्षिक लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए। उचित लेखाओं के अभाव में इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय के अनुसार (अप्रैल 2013) वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए राज्य कैम्पा के वार्षिक लेखओं की रिपोर्ट तैयार किए जा रहे थे, तथा शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा के मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। त्रिपुरा कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः की तुलना में दो बैठकें हुई। कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान एक बैठक हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियां (अप्रैल 2013) स्वीकार की।

उत्तर प्रदेश

1. पृष्ठभूमि[260]

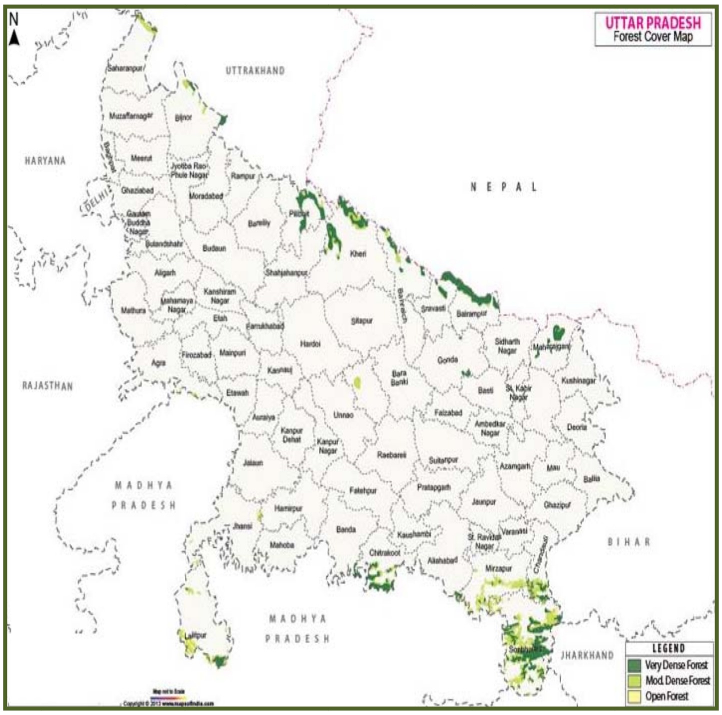

उत्तरप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,92,800 हैक्टेयर है। अक्तूबर 2008–जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र14,33,800 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 5.95 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गो के अनुसार राज्य में अति घने वन के अन्तर्गत 1,62,600 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यमरूप से घने वन के अंतर्गत 4,55,900 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अन्तर्गत 8,15,300 क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 के निर्धारण में 300 हैक्टेयर की अल्प कमी दर्शाई।

वन क्षेत्र – वन के प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

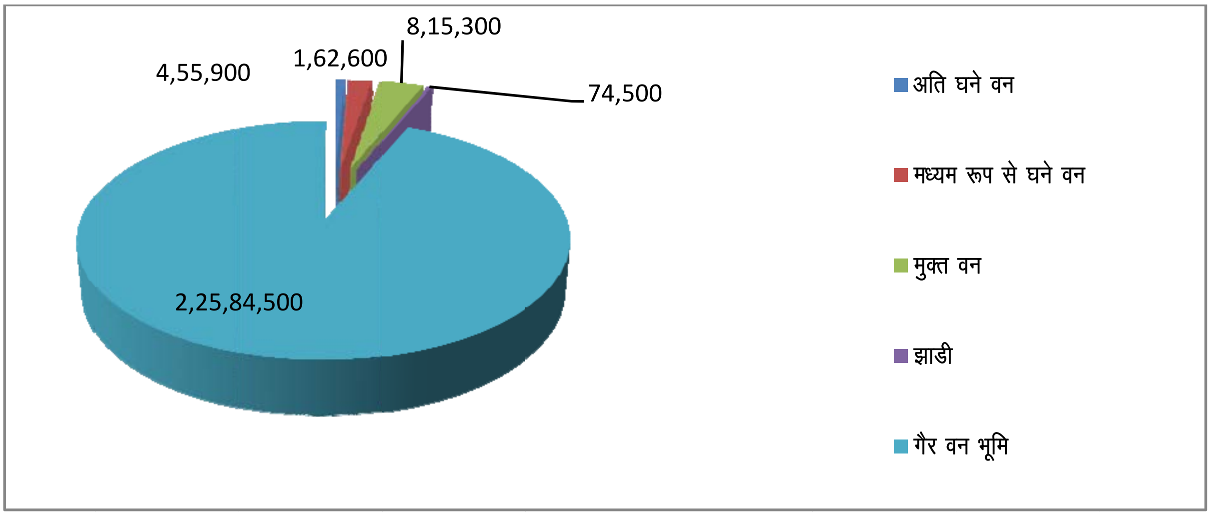

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

कैम्पा सलाहकार परिषद की चौथी सभा जो कि 25 जनवरी 2012 थी में यह निर्णय लिया गया कि राज्य कैम्पा को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1862 के अर्न्तगत कार्य नही करना चाहिए और जिस किसी भी राज्य में राज्य कैम्पा ऐसी सोसाइटियों की तरह पंजीकृत है उसे आवश्यक रूप से भंग कर देना चाहिए यदि वे राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती। राज्य कैम्पा के लेखों की नमूना जाँच में पाया गया

[260]स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

कि राज्य कैम्पा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा काम कर रही है।

राज्य कैम्पा का गठन अगस्त 2010 में हुआ, निधियां जोकि तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा के द्वारा हस्तान्तरित की गई, तथा तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को प्राप्त हुई और उनके लिए अवधि 2006–07 से 2011–12 में किए गए व्यय का संक्षेप व्यौरा नीचे प्रस्तुत है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[261] के पास निधियों का संचय
2006-07	303.37	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	91.21	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	35.97	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	16.90	शून्य	शून्य	शून्य
2010-11	95.23	47.10	32.51	14.59
2011-12	41.84	35.35	6.05	43.89
कुल	**584.52**	**82.45**	**38.56**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 14 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 82.45 करोड़ में से 53 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास निधियों का संचय हुआ। ₹ 22.93 करोड़ की निधि को राज्य कैम्पा के द्वारा तदर्थ कैम्पा को अंतरित नहीं किया गया तथा राज्य सरकार खाते में जमा किया गया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

उत्तरप्रदेश में एनपीवी/सीए/पीसीए की गैर वसूली/कम वसूली/अधिक वसूली इत्यादि जोकि लेखापरीक्षा में पाए गए मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 एवं 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

कं सं.	विवरण	राशि
1	ऐसे दो मामलें हैं[262] जिसमे वन भूमि 1149.87 है० सम्मिलित है जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों के द्वारा एनपीवी की वसूली नहीं की जा सकी, जिनका सैद्धांतिक अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले तथा उसके बाद अंतिम अनुमोदन हुआ।	66.69
2	5 दिसम्बर 2007 के राज्य सरकार आदेश में प्रावधान किया गया कि पेडों के गिरने के स्थलों पर भूमि मुहैया करने में कठिनाइयों के कारण एनएचएआई 10 मीटर पटटी के बराबर भूमि के बाजार मूल्य और पटटी पर रोपण लागत के बराबर राशि उपलब्ध कराएगा और पटटी पर रोपण के बराबर राशि उपलब्ध कराएगा। नवम्बर 2009 में राज्य सरकार ने शर्त को हटा दिया और प्रावधान	54.11

[261] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[262] 16 मार्च 2012 को जारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार

क्र सं.	विवरण	राशि
	किया कि 14 जनवरी 2009 तक एनएचएआई द्वारा उपलब्ध की गई भूमि अथवा इसकी कीमत के अतिरिक्त उस संबंध में कोई अतिरिक्त मांग नहीं की जाएगी। दिसम्बर 2007 के राज्य सरकार के आदेश के बावजूद 13 जिलों में राजमार्ग की लंबाई पर 10 मीटर पटटी के बराबर भूमि की कीमत के लिए एनएचएआई से ₹ 54.11 करोड़ की कोई मांग नहीं की गई थी। परियोजना वर्ष 2009–10 में पूर्ण हो गई थी। नवम्बर 2009 के राज्य सरकार के आदेश के दृष्टिगत कोई मांग नहीं की जा सकी। इस प्रकार मंडलों की निष्क्रियता के कारण परियोजना में शामिल 13 जिलों में 652.31 हैक्टेयर भूमि के संबंध में राज्य कैम्पा ने ₹ 54.11 करोड़ (ग्रामीण कृषि भूमि के लिए संबंधित जिले की सर्किल दरों को ध्यान में रखकर) की हानि उठाई।	
3	गौण्डा वन मंडल में की 4.10 है0 वन भूमि का नवम्बर 2006 में बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा विपथन किया गया था। इसमें से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन में निर्धारित ₹ 0.01 करोड़ के पीसीए की वसूली के बिना अनुमोदित किया गया। इसके साथ ₹ 0.07 करोड़ का प्रीमियम और प्रीमियम पर ब्याज भी नही वसूला गया था। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, प्रयोक्ता एजेंसियो के द्वारा 0.01 करोड़ की पीसीए की वसूली की गई। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के प्रीमियम और ब्याज की वसूली पर मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।	0.08
4	तीन वन मंडलों (मथुरा, बाहराइच तथा चित्रकूट) में ₹ 0.10 करोड़ का एनपीवी/सीए प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली नहीं की गई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, सभी वन विभागों को एनपीवी/सीए की वसूली के लिये कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं।	0.10
5	बहराइच वन मंडल में 3.32 है. वन भूमि का विपथन ₹ 0.05 करोड़ का सीए जमा किए बिना यूपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को अनुमत किया गया था। राशि दिसम्बर 2012 तक वूसली किए बिना रही जिसके लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 0.05 करोड़ की सी ए की राशि को जमा नहीं किया है जबकि उसके लिए उन्हे कई स्मरण पत्र दिये गये तथा इस मामले ने किसी सीए की आवश्यकता नही थी और नियोक्ता कम्पनी को केवल नुकसान की राशि को पूर्व सावधानी के उपाय के तौर पर जमा करवाने को कहा गया था। तथ्य यह है कि ₹ 0.05 करोड़ की वसूली राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से नहीं की गई।	0.05
6	9 मई 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमिगत आप्टीकल फाइबर (केवल बिछाने के लिए एनपीवी के भुगतान से पूर्ण छूट अनुमत की गई थी यदि (क) पेडों का गिरना अन्तर्ग्रस्त नहीं था, और (ख) क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य के बाहर आता है तथापि वन विभाग ने 2009–2011 की अवधि में ₹ 2.81 करोड़ की अनियमित वसूली आप्टीकल फाइबर केवल बिछाने पर की।	2.81
7	तीन वन मंडलों (बहराइच, नजीबाबाद तथा बाराबंकी) में विपथित वन भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 0.82 करोड़ के एनपीवी की अधिक वसूली की। प्रयोक्ता एजेंसियों में एनई रेलवे, पीजीसीआईएल, एमओआरटी तथ आईओसी शामिल थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, एनपीवी की वसूली के मामलें मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उच्चतम दर ₹ 9.20 प्रति है० पर प्रचुर सावधानी बरतते हुए वसूली की गई।	(-) 0.82
	कुल	123.84

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को निधियों के आंबटन एवं इसके उपयोग के वर्ष वार एवं संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[263]					11.94	11.34		0	0
प्रतिपूरक वनरोपण					21.75	20.56		12.32	6.05
संरक्षित क्षेत्र[264]					0	0		0	0
सीएटी योजना					0	0		0	0
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					2.53	0.61		0	0
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**47.10**	**36.22**	**32.51**	**35.35**	**12.32**	**6.05**

वर्ष 2009–10 के लिए एपीओ नहीं बनाया गया था और तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी नहीं की गई थीं। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के एपीओ आठ से 12 महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयन एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी सम्पूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2010–11 में 77 प्रतिशत और 2011–12 में 35 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2010–11 में 69 प्रतिशत तथा 2011–12 में 17 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वय एजेंसियां 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 752.94 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है। और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं, को ध्यान में रखकर राज्य की अवरोधी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**वनरोपण धनराशि का अनियमित विपथन**	2008 में अन्य परियोजना के लिए एयरटेल से प्राप्त निधि से लखनऊ फैजाबाद राजमार्ग के साथ–साथ 20 हैक्टेयर क्षेत्र में ₹ 0.97 करोड़ की लागत पर वनरोपण किया गया था। एक अन्य प्रयोक्ता एजेंसी की परियोजना के प्रति वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सीए धन का विपथन अनियमित था।	0.97

[263]एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर खर्च किया जाता है
[264]संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबन्धन पर खर्च की जाती है

क्रं सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार द्वारा यह पारित किया जा चुका है कि वनरोपण पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़को के साथ–साथ भी किया जा सकता है। यह जबाव तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धनराशि का विपथन एक प्रोजेक्ट से अन्य पर अनियमित था।	
2	**राज्य कैम्पा द्वारा यूनिटों को निधियां जारी करने में विलंब**	राज्य कैम्पा ने 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा से प्राप्त ₹ 47.10 करोड़ की राशि में से मार्च 2011 में अपनी विभिन्न यूनिटों को निधियां जारी की। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में किए जाने वाले कार्यों के लिए मार्च 2011 माह में वर्ष के अंत में राज्य कैम्पा द्वारा निधियों का जारी करना अनुचित था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार कर लिया।	
3	**कार्यों पर संदिग्ध व्यय**	बस्ती वन मंडल ने जून 2011 में संशोधित दरों के आधार पर अक्तूबर 2011 में प्रथम चरण में कार्यों के लिए ₹ 0.33 करोड़ तथा द्वितीय चरण के लिए ₹ 0.11 करोड़ की अतिरिक्त मांग की जबकि 23 अगस्त 2011 को बस्ती वन मंडल द्वारा भेजे ₹ 6.70 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया कि संपूर्ण राशि 20 अगस्त 2011 तक उपयोग की गई थी। इस प्रकार अतिरिक्त राशि की मांग और मंडल को इसका प्रेषण उचित नहीं था क्योंकि कार्य पहले ही पूर्ण हो गया था। मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2013 में व्यक्त किया गया कि संबंधित विभागों से उत्तर प्रतिक्षित थे।	0.44
4	**वनरोपण पर अतिरिक्त व्यय**	फैजाबाद मंडल ने अन्य मंडलों द्वारा अपनाई गई ठेका दर के स्थान पर ₹ 63000/मी0ट0 की दर पर अल्पावधि निविदा आधार पर कांटेदार तार की खरीद की। इसके अलावा फैजाबाद मंडल ने ₹ 281 प्रति नग की दर पर आरसीसी खंभों की भी खरीद की जबकि अनुमोदित अनुमान ₹ 170 प्रति नग था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, अधिक व्यय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई। तथ्य यह है कि वस्तुओं का संपादन दूसरे विभागों के द्वारा अपनाई गई संविदा दरों पर नही किया गया।	0.29
5	**ब्रिक गार्ड में रोपण पर अतिरिक्त व्यय**	अवध वन मंडल ने शहर/बसावट क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आयरन ट्री गार्ड में रोपण किया और गोरखपुर वन मंडल नें ₹ 0.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर गोरखपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर 3000 ब्रिक गार्ड में पेड लगाए। सामाजिक वानिकी के मानकों के अनुसार ब्रिक गार्ड ऐसे क्षेत्र में जहां मानव जनसंख्या काफी कम है अथवा राजमार्गों के साथ साथ उपयोग किया जाता है जबकि आयरन ट्री गार्ड शहरी/बसावट क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। शहरी सीमाओं में ब्रिक गार्ड का उपयोग सामाजिक वानिकी प्रतिमानों का उल्लंघन था और इसके कारण ₹ 0.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि ब्रिकगार्ड का सृजन गोरखपुर डिविजन के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार हुआ। जबाव तर्कसंगत नही है क्योकि ब्रिकगार्ड/आयरन गार्ड का निर्माण सामाजिक वानिकी के मानदंडो के अनुसार नही हुआ।	0.21

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
6	जीप उपयोग रोड के निर्माण पर अधिक व्यय	बांकी तथा कैम्पियरगंज रेंज में 48,500 मीटर जीप के उपयोग के रोड का ₹45 प्रति मीटर की अनुमोदित दर के प्रति ₹ 57.70 प्रतिमीटर की दर पर निर्माण किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 0.06 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि उत्तर सवंधित विभागों से प्रतिक्षित था।	0.06
7	सीए निधियों का असंगत आवंटन	एपीओ किसी विवेक के बिना तैयार किए गये थे क्योंकि सीए धनराशि का आवंटन प्राप्तियों पर आधारित नहीं था। उदाहरण के लिए फैजाबाद तथा उन्नाव ने सीए के आवंटन के रूप में प्राप्तियों का 96 तथा 92 प्रतिशत प्राप्त किया जबकि शिवालिक तथा रेनूकूट ने प्राप्तियों का 15 तथा 2 प्रतिशत प्राप्त किया और ललितपुर को ₹ 6.83 करोड़ की प्राप्ति होने के बावजूद 2009–10 के एपीओ में कोई आवंटन नहीं मिला। सीए का यह असंगत आवंटन एपीओं का अनुमोदन करते समय राज्य संचालन समिति द्वारा सही नहीं किया गया था। सीए का आवंटन प्राप्तियों के आधार पर अनुपातिक रूप से किया जाना चाहिए था। मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2013 में व्यक्त किया गया कि सीए निधियों का असंगत आवटन एपीओ जमा न करने या देर से जमा करने के कारण हैं।	
8	कार्य निष्पादन के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करना	मनरेगा के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्य जॉब कार्ड वाले ग्रामीण लोगों को दिया जाना था और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना था। अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सभी वन मंडलों द्वारा मस्टर रोल के माध्यम से मजूदरों को नकद भुगतान किया गया और भुगतान मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए दिसम्बर 2011 तक लागू ₹ 120 प्रतिदिन और जनवरी 2012 से ₹ 125 प्रतिदिन के स्थान पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर पर किए गए थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार के 2007 के अधिसूचना के अनुसार मजदूरों का भुगतान ₹100 प्रतिदिन किया गया था। तथ्य यह है कि मजदूरों का भुगतान संशोधित दरों से नही किय गया और भुगतान नगद के रूप में किया गया और उनके बैंक खातों में मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार जमा नही किया गया।	
9	गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र	राज्य कैम्पा ने विभिन्न मंडलों को ₹ 23,351 प्रति लाइट की दर पर सोलर लाइटों के संस्थापन के लिए ₹ 0.70 करोड़ की राशि जारी की। तथापि 2011–12 के दौरान ₹ 7,100 की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध थी यदि खरीद एनईडीए से की जाती। वन मंडलों ने आर्थिक सहायता का लाभ लेने के बाद ₹ 16,251 प्रति लाइट की दर एनइडीए से सोलर लाइटों की खरीद की। तथापि उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 23,351 प्रति लाइट के भेजे गए थे। इसलिए ₹ 7,100 प्रति लाइट उपयोगिता प्रमाण पत्र में अनियमित रूप से दर्शाए गए थे। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, सारे विभागों के सौर–प्रकाश के सबसिडी का लाभ नही उठाया।	
10	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन बिना रोपण स्थलों	अवध वन मंडल ने 27 में से 22 मामलों में ऐसे स्थलों जो 2009–10 के एपीओ में अनुमोदित स्थलो से भिन्न थे, पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना वनरोपण कार्य किए।	

क्र सं	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
	का विपथन	मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, संशोधित एपीओ के द्वारा सुधार किया गया। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही है क्योकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के अनुमोदन के बिना वृक्षारोपण स्थलो को बदल दिया गया था।	
11	**सब्याज बैंक खाता देर से खोलने के कारण ब्याज की हानि**	राज्य कैम्पा के अनुसार राज्य कैम्पा में प्राप्त धन राष्ट्रीयकृंत बैंक में सब्याज खाते में रखा जाएगा और संचालन समिति अनुमोदित एपीओ के अनुसार कार्यों के लिए आवधिक रूप से आहरित किया जाएगा। अवध, गोरखपुर, फैजाबाद वन मंडलों में राज्य कैम्पा से प्राप्त निधियों के लिए सब्याज बैंक खाता खोलने में विलम्ब के कारण ₹ 8.60 लाख(@4%) के ब्याज की हानि हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार कर लिया।	
	कुल		**1.97**

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्यशीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[265]– 1,117.24 है.[266] एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,995.23 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 53,5.23 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –374.23 है.
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 582.01 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –2,621.00 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर – 1,731.11 है. गैर वन भूमि पर – 229.91 है.
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर –1,177.40 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तान्तरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –255.77 है.
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 61.04 है.

तालिका से स्पष्ट है कि जो आंकड़ा राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एव वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके सामंजस्य में काफी विभिन्नताएं थी। आरओ के

[265]पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) और राज्य वन विभाग के नोडल अधिकारी।
[266]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

अभिलेखों के अनुसार गैर–वानिकी के लिए 1,117.24 है० वनभूमि विपथित हुई और इसके जगह पर 48 प्रतिशत गैर वन भूमि प्राप्त हुई। जवकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह आंकडा क्रमशः 2,995.23 हैक्टेयर तथा 12 प्रतिशत था। आरओ के अभिलेखों के अनुसार, कोई गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित/परावर्तित नही की गई जो आर एफ/पी एफ के रूप अधिसूचित थी जबकि एन ओ के अभिलेखों अनुसार 255.77 है० गैर वन भूमि में से जा वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित/प्रविर्तित थी, केवल 61.04 है. गैर वन भूमि आर एफ के रूप में घोषित थी। एन ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि पर कोई भी वनीकरण नही किया गया तथा गैर निम्नीकृत वनभूमि पर वनीकरण पूरी वनीकृत भूमि का केवल 68 प्रतिशत ही किया गया। 38 वन विभागों में (2002 में) गैर वानिकी उद्देश्य के लिये 29,271.22 है० वन भूमि विपथित थे, जिसकी जगह पर गैर वन भूमि (विपथित भूमि का 1.28 प्रतिशत) 374.24 है० प्राप्त हुई थी। 28,838.61 है० गैर वन भूमि प्राप्त नहीं हुआ था। 28,838.61 है० का गैर वनभूमि का मून्यांकन ₹3,323.84 करोड़ पर हुआ। (इसकी गणना संबंधित जिला[267] में उपयुक्त सर्कल मूल्यो के आधार पर है)

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि, सभी मामलों मे यह आवश्यक नही है कि वनभूमि के विपथन में उतनी ही गैर वन भूमि ली जाये। जवकि मंत्रालय ने इन मामलों का व्यौरा नहीं दिया है, जिनमें गैर–वन भूमि की प्राप्ति वनभूमि के विपथन में नहीं हुई है।

5.2 भूमि प्रबन्धन में अनियमितताएं

कं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**गैरवन उद्देश्यों हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना वन–भूमि का उपयोग**	ललितपुर वन मण्डल में राज्य सिंचाई विभाग ने 70.84 है० वन भूमि पर चार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया और यूपी एसएमडीसी (राज्य पीएसयू) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 32.78 है० वन भूमि पर खनन कार्य किया। इन मामलों में कोई एनपीवी/सीए वसूल नहीं किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सिंचाई विभाग द्वारा 368.10 है० भूमि शाजाद बांध बनाने के लिए प्रयुक्त की गई। 1974 से 1992 के दौरान परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अस्तित्व में आने पर वन भूमि के विपथन के लिए कायोन्तर अनुमोदन का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2000 में भेजे गए। परियोजना की अन्तिम मंजूरी अभी तक प्रतीक्षित हैं। मांग की गई ₹ 53.29 करोड़ एनपीवी/सीए/पीसी के विरूद्ध केवल ₹ 2.10 करोड़ रूपये वसूल किये गये तथा ₹ 51.19 करोड़ की वसूली नहीं हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, खनन को वन भूमि पर नही होनी चाहिए तथा यह मुद्दा राज्य सरकार के अन्तर्गत विचाराधीन है।
2	**में खनन पटटों की मंजूरी में नियमों का उल्लंघन**	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा एमएमडीआर अधिनियम 1957 की शर्तों के अनुसार, खनन पटटों की मंजूरी/नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन सामान्यतया 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा। रेनूकूट वन मंडल में एनसीएल, दूधी चुआ तथा खरिया का खनन पटटा 40 वर्षों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था जो नियमों के प्रतिकूल था।

[267]भूमि का मूल्य कृषियोग्य भूमि की सर्किल दरों का निम्नतम लेकर परिकलित किया गया है जो प्राप्त किया जा सका। गैर वन भूमि का कुल मूल्य निकालने के लिए सभी सर्किल दरों का प्रबन्ध (एन ओ) करने के प्रयास किए गए थे जो प्राप्त नहीं हो सके।

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
		मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) बताया कि, राज्य सरकार से विचार करने के बाद यह पारित हुआ कि खनन को 40 वर्षों तक पट्टे पर दिया जाए। तथ्य यह है कि खनन को 30 वर्षों से अधिक पट्टे पर देना एफसी अधिनियम 1980 तथा एम एम डीआर अधिनियम 1957 का उल्लंघन है।
3	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदेशों के उल्लंघन में परियोजना का निष्पादन**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ओएम दिनांक 2 दिसम्बर 2009 के अनुसार सभी परियोजनाएं जो राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों की 10 किमी सीमा के अन्दर आते हैं, वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थाई समिति की सिफरिश के अध्ययीन होंगी। कैमूर वन्यजीव मंडल में जेपी एसोसिएटस लिमिटेड (जेएएल) ने वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से निर्बाधन प्राप्त किए बिना कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थान (लगभग 1.5 कि.मी.) पर 4X60 मेवा आन्तरिक विद्युत संयंत्र का निर्माण आरम्भ किया क्योंकि इसमें भूमि उपयोग का परिवर्तन तथा अभ्यारण्य के 10 किमी. के अंदर निर्माण अंतर्ग्रस्त था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अप्रैल 2013) को स्वीकार किया।
4	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना पहुँच मार्ग का निर्माण**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना संरक्षित वन क्षेत्र के बगल में पेट्रोल पम्पों होटलों तथा अन्य वाणिज्यक स्थापनाओं के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण किया गया जोकि एफ सी अधिनियम 1980 का उल्लघंन था। तथ्यों का स्वीकारते हुये मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) बताया कि सारे वन विभाग को इन मामलों में कार्योत्तर पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा वह निर्धारित करे। कथित प्रावधान के बावजूद राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 के वार्षिक लेखाओ को निहित फारमेट में अपने वार्षिक लेखे नहीं बनाये तथा न ही लेखाओं की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा कराई गई।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बैठक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठक के प्रति तीन बैठक हुई । कार्यकारी समिति की 2009–12 के दौरान केवल एक बैठक हुई।

उत्तराखण्ड

1. पृष्ठभूमि[268]

उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,48,300 हैक्टेयर है। अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 24,49,600 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 45.80 प्रतिशत था। वन वितान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य में अति घने वन के अंतर्गत 4,76,200 है. क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अंतर्गत 14,16,700 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अंतर्गत 5,56,700 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की अल्प वृद्धि दर्शाई।

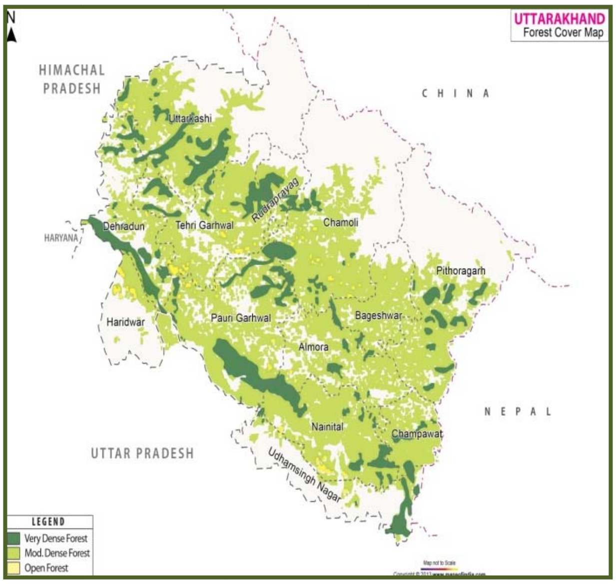

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में) –2011

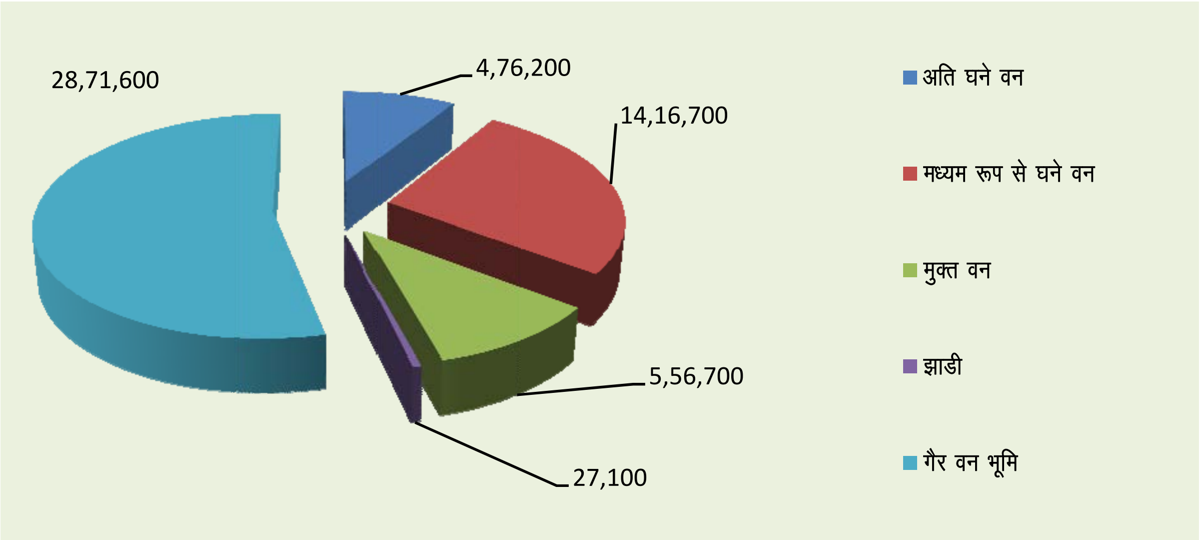

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधियां

राज्य कैम्पा का गठन नवम्बर 2009 में हुआ,जो कि तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा अंतरित की गई, तथा तदर्थ कैम्पा के द्वारा राज्य कैम्पा को प्राप्त हुई और उनके लिए अवधि 2006–07 से 2011–12 में किये गये व्यय का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :–

[268]स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण, द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[269] के पास निधियों का संचय
2005-06	228.34	शून्य	शून्य	शून्य
2006-07	206.96	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	226.34	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	161.17	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	299.15	81.65	शून्य	81.65
2010-11	105.52	82.75	43.60	120.80
2011-12	69.48	शून्य	60.28	60.52
कुल	1,296.96	164.40	103.88	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधि का 13 प्रतिशत 2009–12 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 164.40 करोड़ में से 37 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 8.92 करोड़ की निधि को राज्य कैम्पा के द्वारातदर्थ कैम्पा को अंतरिम नहीं किया गया।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

उत्तराखण्ड मेंएनपीवी/सीए/पीसीए इत्यादि की वसूली नहीं हुई/कम वसूली के मामले जो कि लेखापरीक्षा में देखने में आए, नीचे दिये गये हैं। इन मामलों का सार अध्याय 3 की तालिका 24 और 27 में भी दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1	ऐसे 23 मामलें[270] है जिसमें वन भूमि 3,433.27 हेक्टेयर सम्मिलित है जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों[271] के द्वारा एन पी वी वसूली नहीं जा सका, जिनका मुख्य अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले तथा अंतिम अनुमोदन उसके बाद पारित हुआ।	199.13[272]
2	हरिद्वार वन मंडल में ₹ 18.10 करोड़ की आवश्यकता के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी, जिसे 2012 तक की उपाधि के 10 वर्षों के लिए खनन पटटा दिया गया था, द्वारा केवल ₹ 12.45 करोड़ जमा किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 5.65 करोड़ की कम वसूली हुई।	5.65

[269] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[270] एमओईएफ द्वारा 16 मार्च 2012 की जारी स्टेट्स रिपोर्ट अनुसार
[271] मै० हल्द्वानी स्टोन कम्पनी लालकुंआ सरकारी एंजसी
[272] सामान्य लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल राशि ₹ 5.80 लाख प्रति है० की दर से अनुमानित की गई है (3433.27 x 5.8)

क्रं सं.	विवरण	राशि
	इसके अलावा यह देखा गया था कि वर्ष 2006 में तदर्थ कैम्पा बनने के बाद डीएफओ, हरिद्वार के पास यूवीवीएन द्वारा वास्तव में जमा किए गए ₹ 9.77 करोड़ में से केवल ₹ 4.17 करोड़ की राशि राज्य नोडल कार्यालय को अंतरित की गई थी शेष ₹ 5.60 करोड़ की राशि राज्य कैम्पा निर्देशों के उल्लंघन में 2007–12 के दौरान डीएफओ द्वारा उपयोग की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है और इसका जवाब बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।	
3	नदियों[273] के 2,358.69 हे० से लघु खनिजों के निष्कर्षण के लिए चार खनन पट्टे यूवीवीएन को अप्रैल 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस शर्त पर दिए गए कि प्रयोक्ता एजेंसी वन विभाग को वर्तमान मजदूरी दर पर सीए उगान तथा अनुरक्षण करने की लागत अंतरित कोशी परियोजना की जाएगी, के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। यह भी विशेष उल्लेख किया गया था कि लघु खनिजों के संग्रहण के निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ का 50 प्रतिशत एसपीवी के लिए जमा किया जाएगा जो एकमात्र रूप से नदी प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा लघु खनिजों के संग्रहण के लिए विपथित वन भूमि उसी पडौस में वनों एवं वन्य जीव के प्रबन्धन/सुरक्षा के लिए उपयोग की जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि गौला नदी के संबंध में वसूले ₹ 20.81 करोड़ में से ₹ 16.04 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई थी और कोसी, दबका तथा शारदा नदियों के संबंध में कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं, यद्यपि पटटा अवधि अप्रैल 2012 में पहले ही समाप्त हो गया। इस प्रकार यूवीवीएन द्वारा वसूले ₹ 4.77 करोड़ की राशि तदर्थ कैम्पा को आगे प्रेषण के लिए राज्य कैम्पा को प्रेषित नहीं की गई थी। इस संबंध में राज्य कैम्पा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि इस राशि को तदर्थ कैम्पा के खाते में जमाकर दिया गया है। मंत्रालय का जवाब किसी भी प्रासंगिक दस्तावेजों से समर्थित नहीं है।	4.77
4	तराई पूर्व वन मंडल हल्दवानी में प्रयोक्ता एजेंसी (यूवीवीएन), जिसे दस वर्षों के लिए नैनीताल तथा उद्यमसिंह नगर की नन्दौर तथा कैलाश नदियों में 468 है. के विपथन के लिए खनन पटटा अक्तूबर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया गया था, ने ₹ 2.78 करोड़ की आवश्यकता के प्रति डीएफओ के पास केवल ₹ 47.85 लाख की राशि जमा की परिणामस्वरूप ₹ 2.30करोड़ की कम वसूली हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है और इसका जवाब बाद में प्रस्तुत किया जायेगा।	2.30
5	पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर रोड से संबंधित कचरा निपटान के प्रति प्रयोक्ता एजेंसी (बोर्डर रोड़) संगठन से ₹ 25.45 लाख की राशि नवम्बर 2012 तक वसूल नहीं की गई थी। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध में चलाया जा रहा है।	0.25
6	जून 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए सैद्धान्तिक (चरण– I) अनुमोदन और मार्च 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए अंतिम (चरण II) अनुमोदन में शर्तों तथा निबन्धनों में यथा अपेक्षित दो प्रयोक्ता एजेंसियों[274] से ₹ 16.55 लाख की राशि वसूल नहीं की गई थी। तथापि वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसियों को पहले ही हस्तांतरित की गई थी।	0.17

[273]जिला नैनीताल के गोला (1497 है०), कोसी (254 है०), ढबका (223 है०) और शारदा (384.69 है०)

[274]स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और उत्तराखंड रूरल रोड डवलपमेंट एंजसी

क्रं सं.	विवरण	राशि
	मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध चलाया जा रहा है।	
7	तीन मामलों में एनपीवी 13.25 है. वन भूमि के स्थान पर केवल 13.14 है. के लिए प्रभारित किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 1.28 लाख के एनपीवी की कम वसूली हुई। मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया गया कि यह मामला प्रयोक्ता एजेंसी के साथ, एन पी वी को वसूल के संबंध में चलाया जा रहा है।	0.01
	कुल	**212.28**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आवंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौर

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[275]					51.99	43.43		57.31	45.45
प्रतिपूरक वनरोपण					0	0		13.29	11.90
संरक्षित क्षेत्र[276]					0.75	0.17		0.79	0.79
सीएटी योजना					0	0		2.68	0.57
अन्य विशिष्ट कार्यकलाप					0	0		1.80	1.57
कुल	**81.65**	शून्य	शून्य	**82.75**	**52.74**	**43.60**	शून्य	**75.87**	**60.28**

तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–2010 के लिए निधियां एपीओ बिना जारी की गई थीं। वर्ष 2009–10 का एपीओ राज्य कैम्पा द्वारा तैयार नहीं किया गया था इसके बजाय 16 मार्च 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 10 वर्षीय परियोजना भेजी गई थी। 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के एपीओ पांच से सात महीनों के विलम्ब के बाद तैयार किए गए थे। इसके अलावा राज्य कैम्पा ने 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद मई 2011 तथा अक्तूबर 2012 में संशोधित किए।इस प्रकार एपीओ के प्रस्तुतीकरण में विलंब तथा वित्तिय वर्षो की समाप्ति के बाद इनके संशोधन में विशेष वर्षो के दौरान किए गए कार्यकलापों की खराब योजना दर्शाई।

[275] एनपीवी वन की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन पर खर्च किया जाता है
[276] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंधन पर खर्च की जाती है

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा ने कार्यान्वयक एजेंसियों को एपीओ के प्रति तदर्थ कैम्पा से प्राप्त संपूर्ण राशि जारी नहीं की। जारी राशि 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 64 प्रतिशत थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किए गए व्यय की प्रतिशतता 2009–10 में शून्य प्रतिशत तथा 2010–11 में 53 प्रतिशत थी। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों 2010–11 तथा 2011–12वर्षों में राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि का पर्याप्त भाग खर्च नहीं कर सकीं। व्यय के स्तर जारी राशि के 2010 –11 में 83 प्रतिशत तथा 2011–12 में 79 प्रतिशत थे। यद्यपि व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों से प्रगामी रूप से बढ़ी है परंतु यह कि राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 1,527.93 करोड़ (ब्याज सहित) संचित है. और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती हैं, को ध्याान में रखकर राज्य की अवशेषी क्षमता पर चिन्ताएं शेष रहती हैं।

कैम्पा कार्यक्रम में सुधार के लिए तदर्थ कैम्पा ने अगस्त 2009 में पहली किस्तमूल्य ₹ 81.65 करोड़ अंतरित की परन्तु एपीओ के न बनने के कारण किसी भी निधि को राज्य कैम्पा खर्च नही कर सकी। 2010–11 और 2011–12 अवधि 2009–10 के दौरान, कैम्पा कार्यक्रम को पांच श्रेणियों में कार्यान्वित किया गया, ये थे– शूद्ध निवल मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूर्ण वनीकरण (सीए) संरक्षित क्षेत्र (पीए), अन्य कार्य[277] तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी)। केवल दो कार्यकलाप जो कि एनपीवी तथा पीए थे, को कार्यान्वित किया गया तथा कैम्पो के मूल्य कार्याकलाप जो कि सीए तथा कैट योजना थी, उनपर राज्य कैम्पों ने वर्ष 2010–11 में कोई भी जोर नहीं दिया गया।मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि सीए व कैट योजना को वर्ष 2010–11 और 2011–12 में जोर दिया गया। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीए तथा कैट योजनाओ के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में कोई भी व्यय नहीं किया गया।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताए

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**व्यय राज्य कैम्पा निर्देशों और एन सी ए सी के द्वारा अधिकृत नहीं था।**	कैम्पा निधि का उपयोग राज्य वन मुख्यालय तथा इको–टूरिज्मढ़ाचे के निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए। तथापि जांच परीक्षण में यह उजागर हुआ कि व्यय जो प्रधान सचिव के कार्यालय आवास के नवीनीकरण (₹ 0.16 करोड़), आवास के नवीनकरण (₹ 0.24 करोड) पी सी एफ वी पी के लिये गाड़ी खरीद के लिए (₹ 0.05 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.72 करोड़), व्रिकवेटिंग मशीन (₹ 0.13 करोड़), अटल आदर्श ग्राम योजना (₹ 04.90 करोड़), वनपंचायत (₹ 5.35 करोड़), का सशक्तिकरण और परिचालक व्यय इत्यादि पर किये गये। मानदेय (₹ 0.62 करोड़) इत्यादि। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के व्यक्त किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।	12.26
2	**कैम्पा निधियों से अनियमित व्यय**	कैम्पा निधि से निम्नलिखित अनियमित व्यय किया गया	6.14

[277]सड़क किनारे रोपण, खाली स्थान भरना, ठिगनी प्रजातियां रोपण, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		• देहरादून वन मंडल में राज्य विधान सभा द्वारा वन विभाग के बजट अनुमोदन (मार्च 2011) के समय पर लंच देने के लिए ₹ 2.84 लाख का व्यय किया गया था जो इसके अपने बजटीय प्रावधान से विधान सभा सचिवालय द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय 2010–2011 के मुद्रण से संबंधित ₹ 0.02 करोड़ का भुगतान कैम्पा निधियों से देहरादून मंडल द्वारा किया जायेगा। • राज्य कैम्पा ने इस तथ्य कि बोर्ड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, के बावजूद पर्यावरण तथा पलास्टिक उन्मूलन के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 'स्पर्श गंगा बोर्ड' को ₹ 0.22 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की और इसलिए ₹ 0.22 करोड़ की वित्तीय सहायता अनियिमित थी। • ₹ 2.13 करोड़ का व्यय 19 कार्यकलापों पर किया गया था जो 2010–11 तथा 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित दिए नहीं गए थे। • इसी प्रकार ₹ 3.74 करोड़ का व्यय 2010–2011 के एपीओ में किए गए प्रावधानों से अधिक 25 कार्यकलापों पर किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया कि उपरोक्त कार्य पर जो व्यय गया वह एपीओ के द्वारा अनुमोदित था। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नही था क्योंकि जो उपरोक्त कार्य पर जो व्यय किया गया था वह राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।	
3	**संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य कार्यकलापों पर अनियमित व्यय**	वर्ष 2011–12 में कारबेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के प्लेटीनम जुबली समारोह पर कैम्पा निधियों से ₹ 0.35 करोड़ का व्यय किया गया था जो 2011–12 के एपीओ में अनुमोदित नहीं था। इसके अलावा 2010–11 तथा 2011–12 वर्षों के दौरान वन रक्षक चौकियों के भवनों के निर्माण पर ₹ 0.15 करोड़ का व्यय किया गया था जो राष्ट्रीय पार्कों में किसी नए निर्माण को प्रतिबंधित करने वाले एफसी अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के बयान में व्यक्त किया कि लेखा परीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकार से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।	0.50
4	**सीएटी योजना का कार्यान्वयन**	जलविद्युत परियोजना (एचईपी) कार्यकलापों के परिणामस्वरूप क्षरण तथा भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए सीएटी योजना अभिप्रेत थी। तदनुसार मिटटी क्षरण तथा भूस्खलन जोखिमों की देखरेख करने के लिए व्यापक सीएटी योजना राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार आरंभ की जानी अपेक्षित थी। वन क्षेत्र की सीएटी योजना की लागत एचईपी के संबंधित मालिक द्वारा वहन की जानी थी जो कुछ परियोजना लागत के लगभग दो प्रतिशत थी और कैम्पा निधि का भाग बनती है। तथापि सीएटी योजना के लिए उद्दिष्ट ₹ 9.21 करोड़ वर्ष 2010–11 में उपयोग की गई थीं और केवल ₹ 0.57 करोड़ (6 प्रतिशत) की अल्प राशि का वर्ष 2011–12 में उपयोग किया जा सका। तथ्यों को मानते हुये, मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में व्यक्त किया कि वर्ष 2011–12 में कैट योजना के कियान्वयन में सुधारात्मक कदम उठाये गये थे।	

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
5	**कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां**	राज्य कैम्पा में विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कमियां हुई थी। संचालन समिति (एस सी) की वर्ष 2012–13 के चालू परिव्यय के अनुमोदन के लिए 04 अक्टूबर 2012 को बैठक हुई परंतु यूनिटवार/कार्यकलाप वार प्रस्ताव दर्शाते हुए विस्तृत एपीओ एससी के समक्ष रखा नहीं गया था। केवल ₹ 100 करोड़ का मुख्य संघटका[278] की मात्रा एससी द्वारा अनुमोदित की गई थी और यूनिटों/कार्यकलापों वार एपीओ इसके निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए केवल चार माह रहने के साथ तैयार नहीं किया गया था (नवम्बर 2012) एससी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यह तथ्य कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीए कार्य केवल मानसून मौसम में किया जा सकेगा, जानते हुए चालू वर्ष (2012–2013) में 4,681 है. अग्रिम मिटटी कार्य और 540 है. में सीए कार्य किया जाएगा इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि कार्यान्वयक एजेंसियो द्वारा सीए कार्य के ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकेंगे।	
6	**गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निधि**	उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीएफओ, मिटटी संरक्षण मंडल, रानीखेत, पिथौरागढ़ वन मंडल तथा रूद्रप्रयाग वन मंडल को राज्य कैम्पा द्वारा दी गई निधियां आरंभ में 13–15 महीनों के बीच की अवधि के लिए गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों (ग्रामीण/सहकारी बैंक) में रखी गई थीं जबकि डीएफओ चम्पावत को दी गई ₹ 1.90 करोड़ की निधियां 16 महीनों की अवधि के लिए गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते मे रखी गई थीं। इस प्रकार डीएफओ द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कैम्पा निधियों का रखा जाना कैम्पा मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था।	
7	**कैम्पा निधि पर ब्याज अर्जित करना**	राज्य कैम्पा के आलेख के जांच परीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया गया कि राज्य कैम्पा ने उपस्थित निधियों को निवेश किया तथा उस पर ₹ 18.02 करोड़ का वापसी अर्जित किया तथापि उसी समय तदर्थ कैम्पा के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का ठीक समय पर उपयोग न करना, राज्य के अभिप्रित उद्देश्य को प्रतीक करता है। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 के में व्यक्त किया कि राज्य कैम्पा का सारा ध्यान कैम्पा के कार्य को मार्गनिदेश के अनुसार सख्ती से लागू करने वाले ढांचे को सक्षम बनाने पर था। मंत्रालय के इस जवाब को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योंकि तदर्थ कैम्पा के अनुउपयोग निधियों को प्रेषित करने की बजाय उसके बैंकों में निवेश किया जिसका साक्ष्य लेखपरीक्षा अवलोकन में मिला।	
	कुल		**18.90**

[278]एनपीवी (₹ 54.06 करोड़), सीए (₹ 15 करोड़), पीए (₹ 2 करोड़), कैट प्लान (₹ 20.94 करोड़), अन्य (₹ 8 करोड़)

5. भूमि प्रबन्धन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ[279] के अभिलेखों के अनुसार –1,281.01 है०[280] एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,669.74 है.
बदले में प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – 3,315.23 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार – (–) 2,034.22 है. एनओ के अभिलेखों के अनुसार – 9,669.74 है.
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाण पत्र	हाँ। मुख्य सचिव के 2002 और 2009 सामान्य प्रमाण पत्र प्रेषित किया। अलग–अलग मामलों पर अलग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
एन ओ के अनुसार सीए के लिए अभिज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वनभूमि पर 19,339.46 है. गैर वन भूमि पर – शून्य
एन ओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर – 2006–11 के लिए शून्य, 2011–12 में 4,178 है० तथा गैर वन भूमि पर – शून्य
हस्तांतरित/परिवर्तित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार –शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार – शून्य

तालिका से स्पष्ट है, कि जो आंकड़े राज्य के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सम्वन्धित क्षेत्रीय अधिकारी ने दिये है उसके सामंजस्य में काफी विभिन्नता है। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार गैर वानिकी उद्देश के लिए विपथित वन भूमि 1,281.01 हैक्टेयर तथा इसके बदले में प्राप्त गैर वन भूमि 3315. 23 है० (सिविल सोयम भूमि को वन प्रयोजन हेतु विपथित भूमि के दो गुना मात्रा मे प्राप्त करने को कहा गया) जबकि एन ओ के अभिलेखों के अनुसार विपथित वन भूमि 9669.74 है. था और इसके बदले कोई भी गैर वन भूमि प्राप्त नहीं की गई। आर ओ एवं एन ओ के अनुसार कोई भी गैर वनभूमि वन विभागके पक्ष में हस्तान्तरित/प्रविर्तित नहीं की गई। एन ओ के रिकार्डनुसार गैर वानिकी की भूमि पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत वनभूमि के 22 प्रतिशत पर वृक्षारोपण किया गया।

आगे 19,339.48 है० निम्नीकृत भूमि पर राज्य कैम्पा द्वारा सीए किया जाना था जिसके लिये तदर्थ कैम्पा के पास 2006–12 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 82.84 करोड़ जमा किये गये थे। तथापि यह देखा गया कि 2011–12 के दौरान ₹ 11.90 करोड़ की लागत पर 4,178 है० निम्नीकृत भूमि पर सी ए किया गया था। यह आगे देखा गया कि धन के उपलब्ध होने के बावजूद राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 मेंसीए के

[279]क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[280]मुक्त परियोजनाओं को छोड़कर

लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसके अलावा सीए के लिए वर्ष 2012–13 में किया गया प्रावधान अप्रयुक्त रहा क्योंकि बढती मानसून मौसम बिना किसी वृक्षारोपण कार्य के बीत चुका था। इसके अलावा लेखापरीक्षा में यह अवलोकन किया कि प्रति है० सीए की लागत प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूली निधियों के अनुरूप नहीं था। 2011–12 में सीए कार्य को विभाग के द्वारा ₹ 34,000 प्रति है० के दर पर किया गया जबकि प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 74,100 प्रति हैक्टैयर प्रतिभारित किया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि 2002–09 में मुख्य सचिव ने प्रमाणित किया था कि राज्य में और कोई गैरवन भूमि उपलब्ध नही थी। मंत्रालय का उत्तर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित नहीं था। मंत्रालय ने आगे बताया कि वनभूमि के विपथन से संबंधित डाटा तथा तदर्थ कैम्पा से निधियों का मिलान संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह भी बताया गया था कि सीए की दरें सीसीएफ द्वारा संशोधित की गई थीं और एपीओ में शामिल संशोधित दरें संचालन समिति द्वारा अनुमोदित थीं।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमितताएं

क्र सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	**खनन पटटे देने में कमियां**	एफसी अधिनियम 1980 के पैराग्राफ 4.16 (I) के अनुसार खनन पटटा देने/नवीकरण के लिए वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन खान एवं खनिज विकास (निगमन) अधिनियम 1957 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दी गई खनन पटटा अवधि के कोटर्मीनस अवधि के लिए दिया जाना था। तथापि यह देखा गया था कि मुख्य खनिज के खनन पटटों के नवीकरण के दो मामलों में एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए खनन पटटों के कोटर्मीनस नहीं था जैसा नीचे विस्तृत है: • मै. अल्मोड़ा मैगनीसाइट के पक्ष में खनन पटटा मई 2003 तक की अवधि के लिए आरम्भ में तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 1984 में दिया गया था और एफसी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केवल फरवरी 2003 तक पटटा दे सकेगा। तथापि इस प्रावधान के उल्लंघन में एफसी अधिनियम के अंतर्गत पटटा का 20 वर्षों (2021 तक) की अवधि के लिए मई 2001 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नवीकरण किया गया था जबकि एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत खनन पटटा करने की अनुमति नहीं थी। • इसी प्रकार मै. एन एस कार्पोरेशन, झारकोट के पक्ष में सोप स्टोन के खनन का एक अन्य खनन पटटा जो 20 वर्ष के लिए आरम्भ मे 1974 मे दिया गया था, का अन्य 20 वर्ष (2015 तक) के लिए जून 1995 में नवीकरण किया गया था। एफसी अधिनियम के अंतर्गत पटटा का नवीकरण इस शर्त के साथ जुलाई 2000 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया था कि विपथन की अवधि पटटा के नवीकरण (मई 2015 तक) के कोटर्मीनस होगी। तथापि उपर्युक्त शर्त के प्रतिकूल यह देखा गया था कि एफसी अधिनियम के अंतर्गत फर्म को वन विभाग द्वारा दिया गया पटटा राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने (सितम्बर 2000) से 20 वर्ष (2020 तक) के लिए था। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में बताया कि क्षेत्र स्तर अधिकारियों पर लेखा परीक्षा आपत्तियों का जवाब बाद में दिया जाऐगा।
2	**वनभूमि का अतिक्रमण**	9,672.44 है. वन भूमि अतिक्रमित पडी थी, वन भूमि खाली कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में व्यक्त किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन क्षेत्र स्तर अधिकारी से संबंधित है तथा इसका जवाब बाद में दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने चकराता मसूरी, अलमोडा तथा पोडी में चार सीए स्थलों का भी दौरा किया जिसमें निष्पादित रोपण कार्य विद्यमान पाये गये थे परन्तु इन रोपणों की उत्तरजीविता दर अभिनिश्चित नही की जा सकी क्योंकि रोपण केवल वर्ष 2011–12 में किया गया था।

वृक्षारोपण कार्य पनुवा–1 (डीएफओ कलसी)

वृक्षारोपण कार्य मसूरी वन विभाग

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा निर्धारित किया जाए। तथापि राज्य कैम्पा ने निर्धारित फारमेट में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के इसकी आय तथा व्यय को लेखापरीक्षा में सत्यापित तथा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य कैम्पा ने तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों और उनसे किए गए व्यय के लिए रोकड़ बही तथा सहायक खाता नहीं बनाए। रोकड़ बही तथा सहायकंदबपदह खाता बही के अभाव में 2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतानों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने की शक्तियां होंगी। तथापि ऐसी कोई लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

मंत्रालय द्वारा (अप्रैल 2013) के में व्यक्त किया गया कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 का वार्षिक लेखापरीक्षा निर्धारित रूप में तैयार किया हुआ था। तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 2009–12 की वार्षिक लेखापरीक्षा निर्धारित फारमेंट में को प्रस्तुत नही की गई थी।

7. वन की ओर से गिरता बजटीय प्रवृति

2008–09 से 2011–12 तक की अवधि के वन विभाग के राज्य के बजट तथा व्यय के विश्लेषण से पता चला कि विभागीय बजट प्रावधानों तथा किए गए व्यय में गिरती प्रवृति थी जैसा की नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष (एम एच) वार व्यय*				रोपण तथा वन के संरक्षण के अंतर्गत व्यय
	एम एच – 2406 (योजना)		एम एच – 4406	एम एच – 6406	
	बीई	वास्तविक			
2008-09	195.23	146.89	17.35	शून्य	49.68
2009-10	139.08	88.09	13.40	शून्य	27.41
2010-11	109.65	95.05	16.47	शून्य	40.33
2011-12	115.83	79.04	16.36	शून्य	28.71

*****स्त्रोत: विभाग एवं वित्त लेखे आकड़े (*अनुदान संख्या 27,30 एवं 31 की संक्षिप्तिकृत स्थिति)

उपर्युक्त ब्यौरों से यह स्पष्ट है कि वर्षों से विभागीय बजट तथा व्यय की गिरती प्रवृति रही है। वर्ष 2008–09 की तुलना में 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान मुख्य शीर्ष –2406 (योजना) के अंतर्गत व्यय क्रमशः 60 प्रतिशत 65 प्रतिशत व 54 प्रतिशत था जो वर्ष 2009–10 से राज्य में कैम्पा कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के कारण हो सकता है। इस प्रकार राज्य में वन प्रबन्धन के लिए बजटीय सहायता की क्रमिक वापसी रूकावट थी क्योंकि कैम्पा के अंतर्गत प्राप्त की जा रही निधियां हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए थीं जो राज्य में विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के कारण हुई हैं।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) में बताया कि क्षेत्र स्तर अधिकारियों पर लेखा परीक्षा अपत्ति का जवाब बाद में दिया जाएगा।

8. निगरानी

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार विषय संचालन समिति को एक वर्ष में दो बार मिलना था। उत्तराखण्ड कैम्पा कीसंचालन समिति 2009–12 के दौरान छह की जगह केवल दो बैठकें हुईं। शासी निकाय तो 2009–12 के दौरान केवल एक वैठक हुई।

9. राज्य में अच्छी प्रथा

गढ़वाल वन मंडल पौडी द्वारा किए गए सड़क किनारे रोपण (पौडी–श्रीनगर रोड) का कार्य लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया था और कार्य सराहनीय था जैसा नीचे दिए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है :

ढेला क्षेत्र में निर्मित भवनों की छवियां (लेखापरीक्षा दल के द्वारा प्रत्यक्ष जांच के दौरान ली गई) साथ में देखी जा सकती है।

पश्चिम बंगााल

1. पृष्ठभूमि[281]

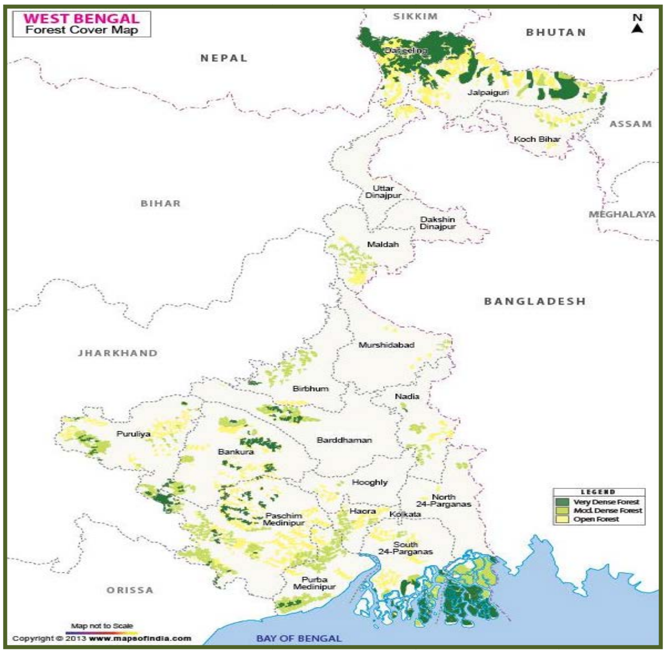

पश्चिम बंगाल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 88,75,200 हैक्टेयर है। नवम्बर 2008 जनवरी 2009 के सैटलाइट डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन क्षेत्र 12,99,500 हैक्टेयर था जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 14.64 प्रतिशत था। वन विज्ञान घनत्व वर्गों के अनुसार राज्य का अति घने वन के अधीन 2,98,400 हैक्टेयर क्षेत्र, मध्यम रूप से घने वन के अधीन 4,64,600 हैक्टेयर क्षेत्र तथा मुक्त वन के अधीन 5,36,500 हैक्टेयर क्षेत्र था। 2009 के पूर्व निर्धारण की तुलना में वन क्षेत्र ने 2011 निर्धारण में 100 हैक्टेयर की वृद्धि दर्शायी।

वन क्षेत्र–वनों का प्रकार (हैक्टेयर में)–2011

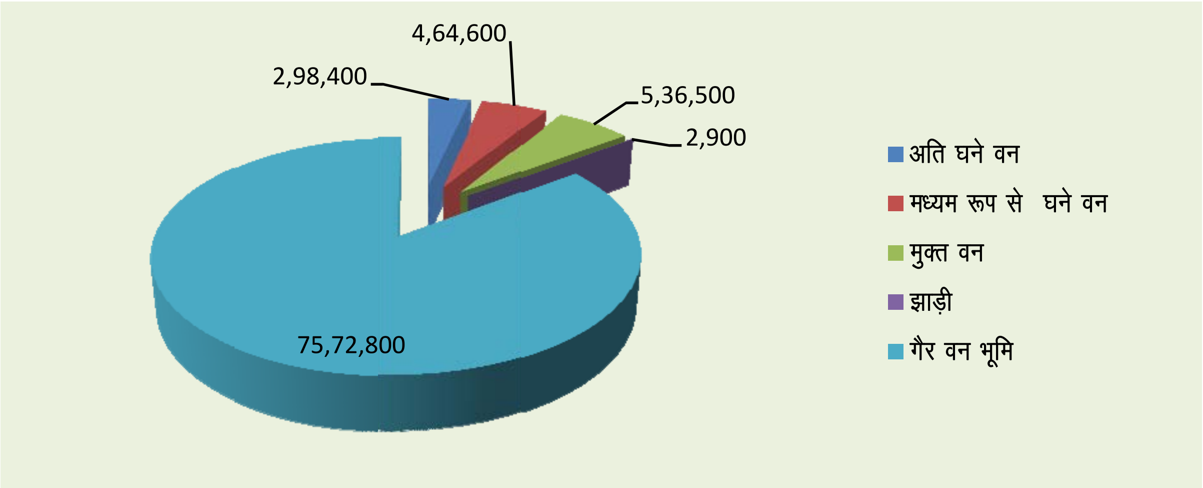

2. राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि

सितम्बर 2009 में राज्य कैम्पा का गठन हुआ। राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित निधियां, तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को जारी निधियां एवं 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान किया गया व्यय का ब्यौरा निम्नवत था:

[281] स्त्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2011

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि	राज्य कैम्पा द्वारा किया गया व्यय	राज्य कैम्पा[282] के पास निधियों का संचय
2006–07	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	27.51	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	22.32	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	32.62	5.30	शून्य	5.30
2010–11	10.38	6.28	5.12	6.46
2011–12	3.16	4.84	2.86	8.44
कुल	**95.99**	**16.42**	**7.98**	

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा द्वारा प्रेषित कुल प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का 17 प्रतिशत 2009 तथा 2012 के बीच जारी किया गया था। एपीओ के प्रति जारी ₹ 16.42 करोड़ में से 51 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा जिसके कारण राज्य कैम्पा के पास संचय हुआ। ₹ 7.85 करोड की निधि राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा की प्रषित नहीं की गई तथा राज्य सरकार के खाते में जमा की गई।

3. राज्य कैम्पा में प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के नोटिस मे आए पश्चिम बंगाल में एनपीवी/सीए/पीसीए आदि की गैर वसूली /कम वसूली का मामला नीचे दिया गया है। इन मामलों का सार अध्याय 3 में तालिका 24 व 27 में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	यहां 14.70 है० भूमि के साथ शामिल एक मामले[283] में प्रयोगता ऐजेंसी[284] से एन पी वी इकट्ठा नहीं किया गया जिनको मुख्य अनुमोदन अक्टूबर 2002 से पहले प्राप्त हुआ तथा अंतिम अनुमोदन इसके बाद प्राप्त हुआ इन मामलों में ₹ 5.80 लाख की न्यूनतम दर पर एन पी वी इकट्ठा किया गया।	0.85[285]
2.	दुर्गापुर वन मण्डल में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी 1996 में 10 वर्षों की अवधि के लिए ईसीएल द्वारा कोयला खनन के लिए झांजरा क्षेत्र मे 90.30 है0 वन भूमि के विपथन का अनुमोदन किया। प्रयोक्ता एजेंसी ने ₹ 9.15 करोड़ की पर्यावरण हानि की निर्धारित राशि के प्रति 1995 में केवल ₹ 1 करोड़ का भुगतान किया। बाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हानि ₹ 18.14 करोड़ परिवर्तित की गई थी । दुर्गापुर वन मण्डल ने मामले को आगे नहीं बढाया और राशि की वसूली नही की जा सकी। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्तमान आंकलन पर आधारित राशि पट्टा के नवीकरण के	17.14

[282] 2009 और बाद में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निधियों में से राज्य कैम्पा के पास अप्रयुक्त पडी वर्ष के अन्त में संचित राशि
[283] एम ओ ई एफ द्वारा 16 मार्च 2012 को जारी स्टेटस रिपोर्ट अनुसार
[284] बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र

[285] इन मामलों में लेखापरीक्षा में एनपीवी की कुल अनुमानित राशि संतुलित आधार अपनाते हुए कम से कम दर रूपये 5.80 लाख प्रति है0 (14.70X5.8)

क्रम सं.	विवरण	राशि
	बाद वसूल की जाएगी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि पट्टा अवधि के लिए पुरीक्षित दरों पर पर्यावरण हानि को भुगतान के लिए प्रयोक्ता एजेंसियां उत्तरदायी थीं।	
3.	जलाशय बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र (अगस्त 1994) के निर्माण के लिए 238.54 है0 वन भूमि विपथित करने का चरण 1 अनुमोदन पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने एनपीवी/सीए जमा किए बिना जलाशय का निर्माण आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि प्रयोक्ता एजेंसियों से नए प्रस्ताव मांगे गए थे तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रचलित दर पर एन पी वी इकट्ठा किया जाएगा।	14.93
4	फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए राज्य मात्सयिकी विभाग को काकद्वीप चार (सितम्बर 2004) में 10 है0 वन भूमि विपथित करने का चरण 1 का अनुमोदन दिया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी ने एनपीवी/सीए जमा किए बिना फिशिंग हार्बर का निर्माण आरम्भ कर दिया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीसी/सीए की वसूली प्रयोक्ता एजेंसियों से करने के लिए कार्यवाई की जा रही थी।	0.69
	कुल	**33.61**

4. कैम्पा निधियों का उपयोग

4.1 राज्य कैम्पा को आबंटित निधियों तथा जारी निधियों के उपयोग के वर्षवार तथा संघटक वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

मुख्य संघटक	2009-10			2010-11			2011-12		
	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशि	राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि	व्यय
एनपीवी[286]						3.77			1.86
प्रतिपूरक वनरोपण						0.40			0.77
संरक्षित वन[287]						0			0
सीएटी योजना						0.95			0.02
अन्य निर्दिष्ट कार्यकलाप						0			0.21
कुल	5.30	उ.न.	शून्य	6.28	उ.न.	5.12	4.84	उ.न.	2.86

संघटक वार ब्यौरे नहीं दिये गए :

[286] एन पी वी वन की सुरक्षा संरक्षण तथा प्रबंधन पर खर्च की जाती है।
[287] संरक्षित क्षेत्र निधि वन्यजीव प्रबंध पर खर्च की जाती है।

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि बिना ए पी ओ के जारी की गई तथा वर्ष 2011–12 के लिए अप्रैल 2011 में ए पी ओ संचालक समित द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य कैम्पा द्वारा 2009–10 में कोई व्यय नहीं किया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के प्रति किया गया व्यय 2009–10 में शून्य प्रतिशत, 2010–11 में 82 प्रतिशत तथा 2011–12 में 59 प्रतिशत था। गत तीन वर्षों में किए निर्गम के कम उपयोग को ध्यान में रखकर राज्य की प्रतिपूरक वनरोपण निधि (31 मार्च 2012) में तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 114.96 करोड़ (ब्याज सहित) संचित हैं, पर ध्यान देते हुए राज्य की अवशोषी क्षमता पर चिन्ता शेष रहती है और केवल विशिष्ट वानिकी संबंधित कार्यकलापों को जारी की जा सकती है।

4.2 निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
1	**एन सी ए सी तथा राज्य कैम्पा के दिशानिर्शों द्वारा अनधिकृत व्यय**	राज्य वन मुख्यालय तथा इकोट्यूरिज्म पर बुनियादी ढ़ाँचा निर्माण के लिए कैम्पा निधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि नमूना जांच में यह उजागर किया गया कि व्यय आधारशिला समारोह तथा वाहन को किराये पर देने इत्यादि पर खर्च किया गया।	0.18
2.	**निधि निकाय के अंतर्गत अलग खाता न खोलना**	राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित संचल वन्यजीव अभ्यारण में पानी जलाशय के निर्माण के लिये 0.99 है० वन भूमि के विपथन के लिये जुलाई 2009 में जो जल प्राप्त किया गया उसके रखरखाव के लिये निधि निकाय के तहत कोई अलग खाता नहीं था।	2.46
3	**वन मण्डलों से बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र**	2009–12 वर्षों के दौरान विभिन्न वन विभाग से राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशि के लिए यूसी, वन विभाग से बकाया पड़े रहें। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि वन विभागों से बकाया यूसी इकट्ठा करने का कार्य जारी था।	1.36
4	**चीता बचाव केन्द्र पर निष्क्रिय व्यय**	24 परगना (दक्षिण) वन मण्डल में सुंदरवन क्षेत्र मे चीता बचाव केन्द्र झारखली ₹ 1.23 करोड़ का व्यय (दिसम्बर 2012) करने के बाद भी कुछ आवश्यक मदों के अभाव में परिचालन में नहीं आ सका। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि कुछ प्रशासनिक कारणों से चीता बचाव केन्द्र संचालित नहीं किया जा सका उदाहरणतः कार्यकारी समिति व संचालन समिति की बैठक न बुलाना तथा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही थी।	1.23
5	**सीए की गुणवत्ता उदाहरणात्मक नहीं**	4 मण्डलों[288] के अभिलेखों तथा जीपीएस पठन की नमूना जांच में पता चला कि 10 स्थानों में से 4[289] में सीए उदाहरणात्मक नहीं था।	0.39

[288] कंगसाबटी (उत्तरी), क्रुसेंग वाइल्ड लाइफ–2 और दार्जिलिंग

[289] पुआपुर मौजा, लालफा ब्लॉक, टोंडू रिवन्यू मौजा और पेशॉक–1 बीट

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण	राशि
		मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) पुराने वनीकरण के रखरखाव के साथ सी ए की कमी उपलब्ध कैम्पा निधि से की जाएगी।	
6	**कैम्पा निधियों का अवरोधन**	कुर्सियांग वन मण्डल में तीस्ता निम्न बांध के संबंध में एनएचपीसी से प्राप्त गैर वन भूमि के सीमांकन के लिए सीमा खम्भे नवम्बर 2012 तक अप्रयुक्त पडे थे। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) दार्जिलिंग हिल्स मैं राजनीतिक अशांति के कारण कार्य नही किया जा सका। कुर्मियांग मंडल में दोबारा से कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार के एलओसी प्राप्त करने तथा विधि निर्धारण के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।	0.22
7	**निष्फल व्यय**	(उत्तर) वन मण्डल में मार्च 2011 में कैम्पा निधियों से निर्मित स्टाफ क्वार्टर बिजली कनेक्शन के अभाव में स्टाफ सदस्यों द्वारा अधिकार में नहीं लिए गए थे और दिसम्बर 2012 को टूटी फूटी स्थिति में पाए गए थे। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि विभाग को निर्देश दिए जा रहे है कि जिन कार्यों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए गए थे उनका उन्ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए	0.08
	कुल		**5.92**

कुछ चयनित क्षेत्रों पर वनरोपण की तस्वीरे

टोंडू राजस्व मौजा जुलाई 2012 में बाढ प्रभावित था परन्तु अप्रयाप्त निधि के कारण पुर्नस्थापित नहीं हो सका

बाग डोगरा क्षेत्र के लालफा खण्ड में हाथीयों से कुचला हुआ प्रतिपूर्ति वनरोपण

5. भूमि प्रबंधन

5.1 तथ्य शीट

विवरण (2006-12)	
विपथित वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार[290]–226.96 है0[291] एनओ के अभिलेखों के अनुसार–425.17 है0
बदले मे प्राप्त गैर वन भमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–190.36 है0 एनओ के अभिलेखों के अनुसार–186.39 है0
कम प्राप्त गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–36.60 है० एनओ के अभिलेखों के अनुसार–238.78 है0
सम्बद्ध गैर वन भूमि की अनुपलब्धता पर मुख्य सचिव प्रमाणपत्र	नहीं
एनओ के अनुसार सीए के लिए ज्ञात क्षेत्र	निम्नीकृत वन भूमि पर–469.77 है0 गैर वन भूमि पर–186.39 है0
एनओ के अनुसार क्षेत्र जिस पर सीए किया गया	निम्नीकृत वन भूमि पर–108.83 है0 गैर वन भूमि पर–शून्य
प्राप्त हस्तान्तरित/परिवर्तित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार –186.39 है0
आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित गैर वन भूमि	आरओ के अभिलेखों के अनुसार–शून्य एनओ के अभिलेखों के अनुसार–2.80 है0

तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारी तथा पर्यावरण एव वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये डाटा में विभिन्नताएं थी। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार वन भूमि के लिए 226.96 है० गैरवानिकी के लिए विपथन किया गया तथा इसके बदले मे गैर वन भूमि को 84 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जवकि एनओ के अभिलेखों के अनुसार यह आंकडा क्रमशः 425.17 हैक्टेयर तथा 44 प्रतिशत थे। आर ओ के अभिलेखों के अनुसार, कोई गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित परिवर्तित नही की गई तथा आर एफ/पी एफ के रूप अधिसूचित नही की गई जबकि एन ओ के अनुसार 186.39 है० गैर वन भूमि वन विभाग को स्थानान्तरित परिवर्तित की गई, केवल 2.80 है० गैर वन भूमि आर एफ/पी एफ के रूप में घोषित की गई। एनओ के अभिलेखों के अनुसार गैरवन भूमि पर कोई वनीकरण नहीं किया गया तथा निम्नीकृत भूमि के 23 प्रतिशत पर वनीकरण किया गया।

5.2 भूमि प्रबन्धन में देखी गई अनियमिताएं

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
1	रोपण का अननुरक्षण	2011 में वन्यजीव वन मण्डल द्वारा ₹ 0.23 करोड़ की लागत पर 30 है0 गैर वन भूमि पर किए गए सीए का कोई अनुरक्षण नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप इन रोपणों को हानि हुई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वनीकरण का रखरखाव राज्य कैम्पा के साथ उपलब्ध निधि के साथ किया गया।

[290] क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) तथा नोडल अधिकारी (एनओ)
[291] मुक्त परियोजनाओं को छोडकर

क्रम सं.	अनियमितता का स्वरूप	विवरण
2	सीए के लिए अनुपयुक्त गैर वन भूमि का हस्तानतरण	जनवरी 2004 में प्रयोक्ता एजेंसी (एनएचपीसी)[292] से प्राप्त 183.49 है0 गैर वन भूमि में से 72.60 है0 वन भूमि सीए के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी (16.53 है0 चट्टानी तथा पथरीला, 3.24 है0 सिंकिंग तथा लैण्ड स्लिप, 1.48 है0 झोरा तथा 51.35 है0 पहले ही वनस्पति से ढका, पेड़ वृद्धि और अन्य विविध अग्रिम वृद्धि) मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि परियोजना कार्य के निष्पादन के दौरान 21.25 है० क्षेत्र वनीकरण के लिए अनुपयुक्त पाया गया तथा वनीकरण से मृदा संरक्षण पैमाने द्वारा अनेक्षित स्थायीकरण है तथा इस प्रकार यह मानल परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संबधित विभाग द्वारा लिया जा रहा था। तथ्य वही है कि सी ए के लिए अनुपयुक्त गैर वन भूमि को प्रयोग कर्ता एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया।
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के चरण II अनुमोदन बिना वन भूमि का विपथन	निमम्नलिखित उदाहरणों में चरण 1 अनुमोदन में निर्धारित शर्तों को पूरा किए और चरण II अनुमोदन प्राप्त किए बिना वन भूमि विपथित की गई थी: i. फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए काकद्वीप चार (सितम्बर 2004) में 10 है0 वन भूमि विपथित करने के लिए राज्य मात्सयिकी विभाग को अनुमति दी गई थी जिसका निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना निर्माण किया गया था और ii. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को जलाशय बकरेश्वर ताप विद्युत संयंत्र (अगस्त 1994) के निर्माण के लिए 238.54 है0 वन भूमि विपथित करने की अनुमति दी गई थी। प्रयोक्ता एजेंसी ने निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना जलाशय का निर्माण आरम्भ किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वन भूमि विपथन को नियमित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
4	वन भूमि का अनियमित पुनर्विपथन	दक्षिण 24 परगना वन मण्डल में 1954 में हेरोभंगा 1, 2 तथा 3 ब्लाकों में 8054 एकड़ वन भूमि शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास (आरआरएण्डआर) विभाग को विपथित की गई थी जिसने आगे 8054 एकड वन भूमि में से लगभग 1400 एकड़ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 1991 में सुन्दरवन विकास बोर्ड को हस्तान्तरित की। एसजीबी को 1400 एकड़ वन भूमि के पुनर्विपथन को 35.15 करोड़[293] के एनपीवी के भुगतान के साथ एफसी अधिनियम 1980 के अनुसार विनियमन अपेक्षित था। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि वन भूमि विपथन को नियमित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
5	प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त छिन्न भिन्न तथा अतिक्रमणित गैर वन भूमि	बांकुरा (दक्षिण) वन मण्डल में 2007 में बांकुरा मुकुट मणिपुर रेल लाइन के लिए सितम्बर 2009 में 14.30 है0 वन भूमि रेलवे को विपथित की गई थी। बदले में प्रयोक्ता एजेंसी ने भिन्न–भिन्न स्थानों पर पांच भिन्न मौजाओं में राज्य वन विभाग को निहित भूमि का हस्तान्तरण किया। वन विभाग बांकुरा जिले के बाराघाट मौजा में 6.7 एकड़ गैर वन भूमि पर अधिकार नहीं ले सका क्योंकि सम्पूर्ण क्षेत्र स्थानीय महिला स्वयं–सहायता समूह द्वारा अतिक्रमित था और भूमि पहले ही बबुई घास, असन तथा अर्जुन पेडों से घिरि थी। मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) लेखापरीक्षा तर्कों को स्वीकार किया।

[292] तीस्ता निम्न बांध परियोजना (चरण III) के निर्माण के लिए 302.49 है0 वन भूमि के विपथन के बदले

[293] 6.26 लाख प्रति है0 की एनपीवी की निम्नतम दर पर परिकलित

6. राज्य कैम्पा के लेखों और लेखापरीक्षा की स्थिति

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य कैम्पा के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जानी थी जैसा कि उसके द्वारा निहित है। तथापि राज्य कैम्पा ने 2009–10 से 2011–12 के वार्षिक लेखे निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं किए । वार्षिक लेखे चार्टर्ड फर्म द्वारा तैयार किये गये थे जो कि राज्य कैम्पा की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थे ।

इसके अलावा राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राज्य कैम्पा की विशेष लेखापरीक्षा अथवा निष्पादन लेखापरीक्षा कराने का अधिकार था। तथापि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं कराई गई ।

7. निगरानी

राज्य कैम्पा दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन समिति की वर्ष में दो बार बैठक की जानी चाहिए थी। कैम्पा की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रति केवल तीन बैठकें हुईं। 2009–12 में कार्यकारी समिति की सात बैठकें हुई। शासी निकाय की 2009–12 वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उपरोक्त समितियों की शीघ्र अतिशीघ्र बैठक बुलाने का प्रयास किया जाएगा।

(गुरवीन सिद्धु)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनाँक : **20 अगस्त 2013**

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक : **20 अगस्त 2013**

अनुबन्ध 1

राज्य कैम्पा की अधिसूचना

क.सं.	राज्य	अधिसूचना
1	अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह	अगस्त 2009
2	आंध्रप्रदेश	सितम्बर 2009
3	अरूणाचल प्रदेश	अक्टूबर 2009
4	असम	अगस्त 2007
5	बिहार	जनवरी 2010
6	चण्डीगढ़	अगस्त 2009
7	छत्तीसगढ़	जुलाई 2009
8	दिल्ली	अक्तूबर 2009
9	गोवा	जनवरी 2010
10	गुजरात	अगस्त 2009
11	हरियाणा	जनवरी 2010
12	हिमाचल प्रदेश	अगस्त 2009
13	जम्मू–कश्मीर	अप्रैल 2011
14	झारखण्ड	अक्तूबर 2009
15	कर्नाटक	जून 2010
16	केरल	नवम्बर 2009
17	मध्यप्रदेश	उपलब्ध नहीं
18	महाराष्ट्र	सितम्बर 2009
19	मणिपुर	अगस्त 2009
20	मेघालय	दिसम्बर 2009
21	मिजोरम	अगस्त 2009
22	ओडिशा	अगस्त 2009
23	पंजाब	सितम्बर 2009
24	राजस्थान	नवम्बर 2009
25	सिक्किम	अगस्त 2009
26	तमिलनाडू	सितम्बर 2009
27	त्रिपुरा	अक्तूबर 2009
28	उत्तरप्रदेश	अगस्त 2010
29	उत्तराखण्ड	नवम्बर 2009
30	पश्चिम बंगाल	सितम्बर 2009

अनुबन्ध 2

लेखापरीक्षा क्षेत्र

क. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	राज्य के छः वन मण्डलों से तीन (दक्षिण अण्डमान मण्डल, दिगलीपुर मण्डल तथा निकोबार
2	आंध्रप्रदेश	21 मण्डल तथा मुख्यालय (पीसीसीएफ)
3	अरूणाचल प्रदेश	नौ मंडलों से पांच जिसको निधियां दी गई थी
4	असम	पीसीसीएफ एवं अध्यक्ष वन बल असम, सीसीएफ (कैम्पा) और नोडल अधिकारी तथा 45 राज्य वन मण्डलों से 23 मण्डल
5	बिहार	राज्य कैम्पा का कार्यालय और 22 राज्य वन मण्डलों से 10 डी एफ ओ (अररिया, औंरगाबाद,बांका, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नवादा तथा सहरसा)
6	चण्डीगढ़	संघराज्य क्षेत्र में दो वन यूनिटों से एक यूनिट
7	छत्तीसगढ़	वन मुख्यालय में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ), राज्य कैम्पा, मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबन्धन (सीसीएफ,एलएम) (नोडल अधिकारी, एफसी अधिनियम) कार्यालय तथा 35 मण्डलों जहाँ कैम्पा निधियों से आवंटन किया गया था, से 18 (भानुप्रतापपुर (पूर्व), धमतरी, जंजगीर–चम्पा, काठघोडा, कौण्डागांव (दक्षिण) कोरबा, कोरिया, महासमुन्द,मानेन्दगढ़, मरवाही, रायगढ़ रायपुर, रायपुर (पूर्व) तथा सरगूजा (पूर्व तथा दक्षिण) क्षेत्रीय मण्डल विलासपुर, जगदलपुर, तथा रायपुर अनुसंधान और विस्तार मण्डल)। ये मण्डल साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयनित थीं।
8	दिल्ली	वनभूमि विपथन के 11 मामलों से 10 मामलों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।
9	गोवा	11 डीसीएफ से छः (डीसीएफ (उत्तर), डीसीएफ (दक्षिण), डीसीएफ (कार्ययोजना), डीसीएफ (सामाजिक वानिकी) डीसीएफ (मृदा संरक्षण)
10	गुजरात	46 राज्य वन मण्डलों से 23
11	हरियाणा	राज्य कैम्पा कार्यालय और राज्य वन विभाग के 19 क्षेत्रीय कार्यालय। प्रोबेबिलिटी प्रपोर्सनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट (पीपीएसडब्ल्यू ओ आर) विधि अपनाकर कुल 36 यूनिटों से 19 का चयन किया गया था।
12	हिमाचल प्रदेश	राज्य कैम्पा कार्यालय और 46 राज्य वन मण्डलों से 23 (अनी, भारमौर, चम्बा, चूरा, डलहौजी, धर्मशाला, जोगिन्दर नगर, करसोग, किन्नौर, कोटगढ़, कुल्लू, (डब्ल्यूएल), मण्डी नाचन, निचार (सीएटी योजना), नूरपुर, पालमपुर पांगी, रामपुर, सरहन, (डब्ल्यूएल), शिमला (डब्ल्यूएल), शिमला (जू एण्ड रेस्क्यू), सुकेत)
13	जम्मु एवं कश्मीर	राज्य कैम्पा कार्यालय और 45 राज्य वन मण्डलों से 22 मण्डल

क. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
14	झारखण्ड	पीसीसीएफ तथा मण्डल वन अधिकारी का कार्यालय तथा 52 राज्य वन मण्डलों से 26 (आदित्यपुर एसएफ (जमशेदपुर), बोकारो, चतरा उत्तर, चतरा दक्षिण, देवधर एसएफ, धनबाद, धलभूम (जमशेदपुर), गिरडीह, गिरिडीह वनरोपण गुमला, हजारीबाग पूर्व, हजारीबाग पश्चिम, हजारी बाग एस एफ, हजारीबाग डब्ल्यू एल, हजारी बाग वनरोपण, कोदरमा, कोदरमा एस एफ, रामगढ़, रांची पूर्व, रांची डब्ल्यू एल, रांची वनरोपण, रांची एस एफ, सिमदेश और सिमदेश एस एफ
15	कर्नाटक	एपीसीसीएफ के दो कार्यालय तथा 72 राज्य वन मण्डलों से 36 (बैंगलौर (यू), बैंगलौर (आर), रामनगर , कोलार, तुमकुर, हुनसुर (टी), मैसूर, बेलगाम, गोकक, करकला (डब्ल्यू एल), हासन, चिकमगलूर (टी), चिकमगलूर (उलयूएल), बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दावणगेरे,कुण्डपुरा, मंगलौर, मणिकेरी,बलेरघटटा (डब्लूएल), डण्डेली (डब्ल्यूएल), येलापुर, कारवाड, हलियाल, घारवाड़, सागर, शिभोगा, (डब्ल्यूएल), गादग, गुलबर्गा, बांदीपुर (डब्ल्यूएल) भद्रावती, सिरसी, होन्नावर, मणिकेरी (डब्ल्यूएल), चामराजनगर (डब्ल्यूएल)
16	केरल	25 क्षेत्रीय मण्डलों से 15 और 11 वन्यजीव मण्डलों से 3
17	मध्यप्रदेश	एपीसीसीएफ का कार्यालय और 63 राज्य वन मण्डलों से 22 (बडवाहा, बालाघाट दक्षिण, बेतूल पश्चिम, छिंदवाड़ा पूर्व, छिंदवाड़ा पश्चिम, देवास धार, गुना ग्वालियर, जबलपुर, भाबुआ, कटनी , खण्डवा, मुरैना, रतलाम, सागर उत्तर, सागर दक्षिण, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली तथा विदिशा)
18	महाराष्ट्र	एसीसीएफ राज्य कैम्पा, सीसीएफ, भूमिप्रबन्धन तथा नोडल अधिकारी का कार्यालय 52 राज्य वन मण्डलों से 26
19	मणिपुर	डीएफओ के तीन मण्डल, सेनापति, पूर्वी वन मण्डल (उखरूल) तथा चार मण्डलों से डीसीएफ, पार्क तथा सेंक्चुरी
20	मेघालय	तीन क्षेत्रीय मण्डलों से दो क्षेत्रीय मण्डल (खासी हिल्स तथा जयन्तिया हिल्स)
21	मिजोरम	नोडल कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच
22	ओडिशा	पीसीसीएफ, क्षेत्रीय तथा वन्यजीव कार्यालय और 50 राज्य वन मण्डलों से 25
23	पंजाब	तीन वन्यजीव यूनिटें और राज्यवन मण्डलों की 18 यूनिटों का स्तरित यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चयन किया गया था।
24	राजस्थान	56 राज्य वन मण्डलों से 28 जहाँ आवंटन कैम्पा निधियों से किया गया था। इन मण्डलों का व्यय के आधार पर चयन किया गया था।
25	सिक्किम	10 राज्य वन मण्डलों से 5

क. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
26	तमिलनाडू	राज्य कैम्पा का कार्यालय और 22 राज्य वन मण्डलों से 13 (कांचीपुरम, तिरूवल्लूर, दिनडुगल, कोदाइकनल्ल, करूर,सलेम,अचूर, कोयम्बटूर, नीलागिरीज (दक्षिण), नीलागिरीज (उत्तर), वैल्लोर, तिरूवन्नामलाई, तिरूपचइ) तथा छः राष्ट्रीय पार्को एवं अभ्यारण्यों से 3 और 8 प्रशासनिक एवं अन्य कार्यान्वयक यूनिटें
27	त्रिपुरा	पीसीसीएफ का कार्यालय तथा 12 राज्य वन मण्डलों से छः
28	उत्तरप्रदेश	81 राज्य वन मण्डलों से 38 तथा दो वन्यजीव मण्डल
29	उत्तराखण्ड	37 राज्य वन मण्डलों से 19 (अल्मोडा वन मण्डल (एफडी), बागेश्वर एफडी, चम्पावत एफडी, पिथौरागढ़ एफडी, गढ़वाल एफडी, रूद्रप्रयाग एफडी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व एफडी, अलकनन्दा मिटटी संरक्षण एफडी, गौपश्वर देहरादून एफडी, मसूरी एफडी, उत्तरकाशी एफडी, उत्तरकाशी एफडी, मुनी की रेती एफडी, लैसडाउन एफडी, कोटद्वार, हरिद्वार एफडी, चकराता एफडी, कलसी सिविल एवं सोयम एफडी, पौड़ी मिटटी संरक्षण एफडी, कलसी मिटटी संरक्षण एफडी, रानीखेत तथा मिटटी संरक्षण एफडी, लैसडाउन)
30	पश्चिम बंगाल	राज्य कैम्पा कार्यालय और 24 राज्य वन मण्डलों से 12 जहाँ कैम्पा निधियों आवंटन किया गया था। इन मण्डलों का साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयन किया गया था।

अनुबन्ध 3

राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पहचानी गई गैरवन भूमि का हस्तान्तरण तथा परिवर्तन न करना

क्रं सं.	परियोजना का नाम	गैर वनभूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश के नालगौंडा और गुंतुर जिलों में कृष्णा नदी के पार पुबलीचिंताल जलाशय योजना के निर्माण के लिए 1,157.20 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन	1,157.20
2.	मै. जी वी के पावर (गोविंदवाल सहोई) लि मि. झारखण्ड के पक्ष में तुकीसुद नार्थ ब्लाक जिला हजारबाग तथा रामगढ़ में आन्तरिक कोयला खान के लिए 374.87 है वन भूमि का विपथन	376.36
3.	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट/भूमिगत सुंरग योजना के लिए 188.33 हैक्टेयर वन भूमि (960.286 हैक्टेयर वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया गया) का विपथन	188.33
4.	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट/भूमिगत सुंरग योजना के लिए 726.35 हैक्टेयर से 29.03.2006 को पहले से विपथत 188.33 हैक्टेयर का विपथन	588.97
Total	कुल	2,310.86

अनुबन्ध 4

गैरवन भूमि आरक्षित वन/सुरक्षित वन की घोषणा एवं अधिसूचना न करना

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (है० में)
1	मै. जी वी के पॉवर (गोविंदवाल साहोई) लिमिटेड झारखण्ड के पक्ष में हजारीबाग और रामगढ़ टोकीसुद उत्तर ब्लॉक जिला में केप्टिव कोयला खान के लिए वन भूमि के 374.84 है० विपथन	376.36
2	मै. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में गुजरात के भुज जिला में मुंडरा पर 4000 एम डब्ल्यू मेगा पॉवर योजना के लिए वन भूमि (धारा 4 वन भूमि) का 130.00 है० का विपथन	130.00
3	किओनझार जिला, उड़ीसा में लोह डॉ० सरोजिनी प्रधान के पक्ष में सिद्धमठ संरक्षित वन में 85.55 है० वन भूमि का विपथन	85.55
4	मै. टिस्को लिमिटेड, उड़ीसा के द्वारा लोह और मैगनीज अयस्क खनन के लिए किओनझार वन मंडल में गांव बामेबरी, जरीबहल इत्यादि में 145.329 है० को वन भूमि का विपथन	60.30
5	कानूनी वारिस श्री प्रबोध मोंहती द्वारा श्री एस. एन. मोंहती के जे एस टी माइन्स के लिए वन भूमि का विपथन	177.52
6	आंध्र प्रदेश के नामगौण्डा और गुंतुर में कृष्णा नदी के पार पुब्लीचिंताल जलाशय योजना के निर्माण के लिए 1,157.20 है० वन भूमि का विपथन	1,157.20
7	उड़ीसा के किओनझार जिला में, मै. टिस्को लिमिटेड के पक्ष में खादबांध लोह और मैगनीज अयस्क किओनझार वन मंडल के तीसरे नवीनकरण के लिए 653.15 है० वन भूमि (453.150 है० अनुमोदित क्षेत्र) का विपथन	317.00
8	मै० इस्पात गोदवरी लिमिटेड, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ के पक्ष में लोह अयस्क खन के लिए 110.00 है० वन भूमि वन विपथन	220.00
9	मध्य प्रदेश, मांडला जिला में कान्हा टाईगर रिजर्व, बफर क्षेत्र मंडल हेलन सिंचाई योजना के लिए हेलन नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए 149.330 है० वन भूमि का विपथन	149.33
10	चूना पत्थर खनन के लिए, मै० जेपी बालाजी सीमेंट योजना के पक्ष में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में कृष्णा मंडल के बुदवाड़ा संरक्षित वन में एस वाई सं. 376 (कोम्पट सं. 5–6) में 629.22 है० वन भूमि का विपथन	693.73
11	आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद जिला में मै० सिंगरेनी कोजिरीज कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में खैरागुडा ओपनकास्ट योजना के लिए 140.30 है० वन भूमि का विपथन	140.30
12	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में मै० प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में भूमिगत/ओपन कास्ट खनन योजना के लिए 726.35 है० वन भूमि (वास्तविक रूप से प्रस्तावित 960.29 है० से 29.3.2006 को पहले से विपथित 188.33 है०) का विपथन	777.30
13	आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के पार इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुउद्देशीय योजना के लिए 3,731.07 वन भूमि का विपथन	3,731.07
14	सिंगनेरी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट कोयला खनन (ओ सी पी	175.69

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (है० में)
	11 मानगुरू) के लिए खमाम जिला के प्लोंचा मंडल में 175.69 है० वन भूमि का विपथन	
15	राजस्थान के बूँदी जिला में मै० ए सी सी सीमेंट वर्क्स के पक्ष में लाखेरी चमोवली खान में चूना पत्थर के खनन के लिए प्रस्तावित 301.88 है० वन भूमि से 100 है० का विपथन	100.00
16	मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में महाराष्ट्र के सतारा जिला में चवनेश्वर विंड फार्म योजना की स्थापना के लिए 163.12 है० वन भूमि का विपथन	163.12
17	झारखण्ड में मै० मिश्रीलाल जैन एंड संस कर्मपड़ा सुरंग के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए खनन लीस के नवीकरण के लिए 49.20 है० पहले से ब्रोकन–अप वन भूमि का विपथन	49.20
18	उड़ीसा के किओनझार जिला में मै० टिस्कों लिमिटेड के पक्ष में किओनझार वन मंडल में लोह और मैगनीज अयस्क के खनन लिए गांव कांमरजोड़ा, जोड़ा, बांसपनी, और बैतरनी आर एफ में जोदा पश्चिम खानों के तीसरे नवीकरण के लिए 503.68 है० (अनुमोदित क्षेत्र 436.68 है०) वन भूमि का विपथन	250.00
19	मै० सुंजलोन एनर्जी लिमिटेड, गडग जिला, कर्नाटक के पक्ष में 75 एम डब्ल्यू विंड पॉवर योजना स्थापना के लिए गड़ग मंडल में कप्पटगुड्डा हिल्स 157.85 है० वन भूमि का विपथन	157.85
20	झारखण्ड, पाकुर जिला में, पानेम कोल माइन्स लिमिटेड के पक्ष में पानेम कैप्टिव कोयला खानों के लिए वन भूमि के 461.09 है० (अनुमोदित क्षेत्र 400.00 है०) का विपथन	461.09
21	महाराष्ट्र के धुले जिला में मै० सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में 225 एम डब्ल्यू विंड पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वन भूमि के 212.52 है० का विपथन	212.52
22	खनन लीस के दूसरी बार नवीकरण के दौरान श्री रमेश प्रसाद साओ के द्वारा लोह अयस्क खनन के लिए, किओनझार जिला, उड़ीसा में बारबिल तहसील में गुझाली लोह अयस्क खानों में पहले से ही ब्रोकन–अप संरक्षित वन भूमि के 42.42 है० के इन–एडिशन ने अतिरिक्त वन भूमि के 209.54 है० का विपथन	209.54
23	कर्नाटक में मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में बेलागोम जिला में रामदुर्गा सौंदती तालुक में विंड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए वन भूमि के 215.55 है० का विपथन	215.55
24	कर्नाटक के जिले चित्रदुर्गा (होसदुर्गा रेंज/हिरियुर में मरिकानिव में 44.66 है०) और तुमकुर (बुक्कापटना रेंज के दासुदी आर एफ में 52.13 है०)	96.79
25	अतिरिक्त वन भूमि के 4.90 है० का विपथन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कोरपोरेशन के पक्ष में तीसता लो–डैम प्रोजेक्ट स्तर–4 के निर्माण के लिए वन भूमि के 338.05 है० का विपथन	338.05
26	कर्नाटक के बेलागोम जिला में बेलागोम और बेलाहोंगल तालुक में 112 एम डब्ल्यू विंड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में वन भूमि के 174.18 है० का विपथन	174.18

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (हे० में)
27	महाराष्ट्र के पूणे जिला में मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में आंध्र लेक विंड पॉवर प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि के 194.66 है० का विपथन	194.66
28	बोनाई वन मंडल, सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा में मै० संगटा सन्स (पी) लिमिटेड के पक्ष में सन इंदपुर और ओरघाट गांव में लोह अयस्क के खनन के लिए 147.17 है० सम्मिलित संरक्षित वन का 38.59+13.79 है० डी एल सी वन और 0.36 है० डी एल सी वन और 0.36 है० पी आर एफ	52.74
29	किओरझार जिला, उड़ीसा में मै० केपो इंटरप्राइज्स के पक्ष में ठकुरानी लोह अयस्क खानों के संबंध में लोह अयस्क खनन के लिए 146.73 है० वन भूमि का विपथन	107.02
30	आंध्र प्रदेश के चित्तुर जिला में डब्बालमडुगु बागु के पार रिर्जवायर के निर्माण के लिए वन भूमि के 59.62 है० का विपथन	59.62
	कुल	**11,033.28**

अनुबन्ध 5

आर एफ/पी एफ के रूप में गैर हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और गैर घोषित

क्रम संख्या	राज्य/यूटी	राज्य कैम्पा के अनुसार प्राप्त गैरवन भूमि	वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित गैरवन भूमि	आर एफ/पी एफ घोषित गैरवन भूमि (है० में)
1	अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह	112.96	65.11	26.00
2	आंध्रप्रदेश	10,168.63	2,360.39	230.80
3	अरूणाचल प्रदेश	205.86	उ.न.	उ.न.
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	63.51	2.51	शून्य
6	चण्डीगढ़	8.14	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ़	323.08	शून्य	शून्य
8	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
9	गोवा	28.50	24.10	4.40
10	गुजरात	591.65	591.65	5.43
11	हरियाणा	51.67	51.67	7.77
12	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
13	जम्मू–कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
14	झारखण्ड	530.11	530.11	शून्य
15	कर्नाटक	2,231.96	2,231.96	उ.न.
16	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
17	मध्यप्रदेश	2,332.49	492.80	शून्य
18	महाराष्ट्र	4,077.99	3,349.07	शून्य
19	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
20	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
21	मिजोरम	17.50	उ.न.	उ.न.
22	ओडिशा	उ.न.	उ.न.	2,238.74[1]
23	पंजाब	1.51	शून्य	शून्य
24	राजस्थान	1,698.72	914.95	645.32
25	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
26	तमिलनाडू	230.95	226.95	57.01
27	त्रिपुरा	10.95	10.95	शून्य
28	उत्तरप्रदेश	374.23	255.77	61.04
29	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
30	पश्चिम बंगाल	186.39	186.39	2.80
	कुल	**23,246.80**	**11,294.38**	**3,279.31**

[1] आकड़े छः मण्डलों से संबंधित हैं।

अनुबन्ध 6

पांच वर्षों की समाप्ति के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द न करना

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	कुल भूमि (है० में)
1	अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह	30	1,464.18
2	अरूणाचल प्रदेश	19	13,837.34
3	असम	26	4,923.76
4	थ्बहार	6	165.88
5	छत्तीसगढ़	57	13,388.58
6	दादर एवं नगर हवेली	3	4.64
7	गोवा	4	70.19
8	गुजरात	116	7,518.89
9	हरियाणा	28	74.37
10	हिमाचल प्रदेश	53	907.29
11	जम्मू–कश्मीर	1	843.63
12	झारखण्ड	13	814.01
13	कर्नाटक	36	1,414.19
14	केरल	5	257.98
15	मध्यप्रदेश	90	1,41,040.58
16	महाराष्ट्र	179	37,328.48
17	मणिपुर	4	288.39
18	मेघालय	2	12.10
19	मिजोरम	6	14,059.48
20	ओडिशा	47	5,648.87
21	पंजाब	45	414.31
22	राजस्थान	110	4,432.09
23	सिक्किम	23	93.86
24	तमिलनाडू	9	191.60
25	त्रिपुरा	41	238.72
26	उत्तरप्रदेश	21	1,459.06
27	उत्तराखण्ड	40	2,938.30
28	पश्चिम बंगाल	8	78.11
	कुल	**1,022**	**2,53,908.88**

अनुबन्ध 7

बेल्लारी खनन मामलों से संबंधित फाइलों को लेखापरीक्षा को न देना

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
1	मै० कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्टस के पक्ष में संदुर तालुक के यसवंत नगर के आर एम ब्लॉक में लोह अयस्क के खनन के लिए वन भूमि का विपथन	30.80	11/08/1994
2	मै० होथुर ट्रेडर्स के पक्ष में संदुर तालुक के स्वामी मलाई ब्लॉक में लोह अयस्क और मैगनीज अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	21.11	13/03/1997
3	मै० एच.जी.रंगन गोवडा के पक्ष में नेब रेंज संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	36.50	15/01/1993 21/11/2006 (नवीकरण)
4	एच.आर. गविअप्पा के पक्ष में नलवत्ती गांव संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	32	24/10/1994 13/2/2004 (नवीकरण)
5	फाइल सं. एफ सी ए/11.1/105/के ए आर/एम आइ एन मै० भारत माइन्स के पक्ष में नंदीहल्ली गांव संदुर तालुक में लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 2045 का नवीकरण	26.20	25/02/1997
6	मै० ट्रीडेंट माइनिंग को लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	5.26	04/07/1997
7	श्री अबुबाकर के पक्ष में नेब ब्लॉक संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	14	04/12/1994
8	श्री मती वी.एस. पदमावथी के पक्ष में संदुर तालुक में केरियागिनाहल्ली आर एफ पर ओरेंज क्वार्टज के खनन के लिए वन भूमि का विपथन	6.75	02/04/1999
9	मै० मैसूर मिनरल लिमिटेड के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए सुब्बारायनाहल्ली पर वन भूमि का विपथन	80.93	20/11/2000
10	मै० के. सी. थीम्मा रेड्डी अदोनी (श्री शांतिप्रिया मिनरलस प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में आर एम ब्लॉक संदुर तालुक में खनन लीस का नवीकरण	80.97	22/02/1999
11	मै० जीनथ ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पक्ष में लोह अयस्क एवं मैगनीज अयस्क के लिए खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	50	05/01/2004

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
12	मै० सिमोर के पक्ष में आर एम ब्लॉक संदुर तालुक और एस एम ब्लॉक में संख्या 1952 का नवीकरण खनन लीस	142.58	6/12/1996 12/03/2007 (नवीकरण)
13	मै० सिमोर के पक्ष में मैगनीज और लोह अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 1179 का नवीकरण	1,615.64	11/12/1996 14/03/2007
14	फाइल संख्या–एफसीए/11.1/121/के ए आर/एम आइ मै० विभूतिगुडढा माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बेल्लारी के बेलागल गांव में लोह अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 1193 का नवीकरण	55	22/07/1999
15	फाइल संख्या–एफसीए/11.1/121/के ए आर/एम आइ एन बेल्लारी जिला में पहले से ब्रोकन–अप वन भूमि का 32.38 है० से अधिक मै० गोग्गा गुरूशांथइया एंड ब्रदर्स के पक्ष में खनन लीस संख्या 2093 का नवीकरण	32.38	07/08/2003
16	फाइल संख्या–एफसीए/11.3/121/के ए आर/एम आइ एन मै० रामगढ मिनरल एंड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस संख्या 622 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	20.23	16/03/2005
17	फाइल संख्या–एफसीए/11.3/124/के ए आर/एम आइ एन बेल्लारी जिला में मै० मैसूर मिलरल लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	78.50	18/04/2001
18	फाइल संख्या–एफसीए/11.3/131/के ए आर/एम आइ एन मै० एस वी रीनिवासुलु के पक्ष में खनन लीस संख्या 1634 का नवीकरण	60	02/02/2005
19	फाइल संख्या–एफसीए/11.3/131/के ए आर/एम आइ एन श्री पी.वेंगन्ना शेट्टी एंड ब्रदर्स के पक्ष में नेब रेंज संदुर तालुक में लोह अयस्क खनन के लिए खनन लीस संख्या 1046 का नवीकरण	50	16/03/2005
20	फाइल संख्या–एफसीए/11.2/142/एम आइ एन बेल्लारी जिला में श्री वी.एन.के. मेनन के पक्ष में मैगनीज के लिए खनन लीस खनन लीस संख्या 1676 का नवीकरण	22.45	25/07/2003
21	बेल्लारी जिला में मै० गोगा गुरूगाथईया एंड ब्रदर्स के पक्ष में खनन लीस संख्या 2093 के नवीकरण के लिए पहले से ही अनुमोदित प्रस्ताव पहले से ही ब्रोकन–अप वन भूमि के 32.38 है० के विपथन के लिए के संबंध में 10.52 है० वन भूमि का विपथन	10.52	05/07/2006

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
22	मै० वी.एस.लैड एंड संस के पक्ष में खनन लीस संख्या 1554 के पहले से ही अनुमोदित प्रस्ताव के संबंध में 15.077 है० अतिरिक्त वन भूमि (ओ बी डम्प के लिए 2.47 है० + रोड़ के लिए 11.46 है० + वाहक पट्टी की स्थापना के लिए 0.877 है०) का विपथन	15.07	03/09/2007
23	फाइल संख्या–के आर ए 208/2006/बी ए एन मै० अश्वत्था नारायण सिंह एंड को के पक्ष में संदुर रेंज के एन ई ब्लॉक में आयरन और खनन लीस संख्या 626 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	56.50	04/07/2006
24	लीस के नवीकरण के लिए श्रीमती आर मलम्मा (आर पम्पापथी) के पक्ष में पहले से विपथित 101.50 है० वन भूमि के संबंध में अतिरिक्त 4.2 है० वन भूमि (रोड़ के लिए 4 है० और मैंगजीन बिल्डिंग 0.2 है०) का विपथन	4.20	03/07/2007
25	संदुर तालुक में ए एम मिनरल्स के पक्ष में का निस्कर्षण	2.03	10/07/1997
26	श्री मती के एम परवथम्मा के पक्ष में खनन लीस संख्या 1625 का नवीकरण	15.24	01/06/1999
27	बेल्लारी जिला, संदुर तालुक का एस.एम ब्लॉक, धर्मपुरा गांव में 23.75 है० बढ़ाने के लिए श्री एच जी रंगनागोवडा, होसपेट के पक्ष में लीस का ग्रांट	23.75	07/12/2006
28	बेल्लारी जिला, संदुर तालुक का एस.एम ब्लॉक मै० रामगढ़ मिनरल्स 26.36 है० (24.28 है० पहले से ही ब्रोकन–अप क्षेत्र और मौजूदा रोड़ के उपयोग के लिए 2.08 है०) के पक्ष में अयस्क खानों के लिए खनन लीस संख्या 1894 का नवीकरण	26.36	11/12/2006
29	होसपेट में खनन लीस संख्या 1028 के लिए वन भूमि का विपथन	15.10	25/08/2006

अनुबन्ध 8

गोवा खनन मामलों से संबंधित फाइलों को लेखापरीक्षा को न देना

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम/फाइल संख्या	विपथित क्षेत्र (है० में)
1	श्री नूर मोहम्मद अब्दुल करीम के पक्ष में लोह अयस्क खनन लीस टी सी सं. 43/53 के लिए वन भूमि का विपथन	9.40
2	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में डीम्ड खनन लीस संख्या 29/54 का नवीकरण	11.31 27.98 (नवीकरण)
3	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में डीम्ड खनन लीस संख्या 21/54 का नवीकरण	15.08 24.98 (नवीकरण)
4	फाइल न. एफ ओ ए/11.3/21/गोवा मै० आत्मा राम पोई पेलोनडिकर के पक्ष में संगुइम तालुका के कोलोम्बा एवं सपरन गांव में टी सी संख्या 17/49 के अन्तर्गत लोह एवं मैग्नीज अयस्क के निस्कर्पण के लिए खनन लीस के नवीकरण के लिए दक्षिण गोवा में वन भूमि का विपथन	44.69 34.18 (नवीकरण)
5	फाइल नं. जी ओ सी 377/2007 बी ए एन श्री अजीत वी एम कादनेकर के पक्ष में कुरपम तालुका में मैना/केवरम गांव पर स्थित आयरन अयस्क खनन लीस टी सी संख्या 12/53 के लिए वन भूमि का विपथन	14.34
6	मै० सोवा के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए वन भूमि का विपथन	44.92 80.22 (नवीकरण)
7	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में लोह अयस्क ओपन कास्ट खनन के लिए डीम्ड खनन लीस संख्या 13/55 का नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	35.15 56.236 (नवीकरण)
8	श्री जे एन अग्रवाल के पक्ष में लोह अयस्क खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	67.859 78.23 (नवीकरण)
9	मै० सोसाईडेड फोमेंटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में डीम्ड खनन लीस संख्या 88/52 का नवीकरण का विपथन	88.60
10	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 35/1952 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	64.75
11	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 3/51 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	84.62 84.62 (नवीकरण)
12	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 40/1954 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	51.00 51.00 (नवीकरण)

अनुबन्ध 9

अन्तरलेखा अन्तरण के मामले

(₹ करोड़ में)

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
15/09/2006	100.00	सीईसी खाता	छत्तीसगढ़	
20/10/2006	0.28	छत्तीसगढ़	अरूणाचल प्रदेश	
04/11/2006	200	सीए खाता	छत्तीसगढ़	
16/11/2006	0.42	उत्तरांचल	केरल	
05/01/2007	5.78	मध्य प्रदेश	राजस्थान	
12/05/2007	0.02	मध्य प्रदेश	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	इस दिनांक को अण्डमान निकोबार के पास केवल ₹ 1.05 करोड़ थे इसलिए ₹ 2.00 लाख अस्थाई रूप से एमपी खाते से विपथित किए जाने थे। इसमें आगे यह भी कहा था कि जैसे ही अ.नि द्वारा कोई जमा किया जाता है तो यह ₹ 2.00 लाख की राशि एमपी को वापस जमा की जाएगी।
04/07/2007	51.11	सीईसी खाता	ए.पी.	
31/07/2007	39.14	सीईसी खाता	ए.पी.	
05/09/2007	0.02	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	एम.पी	
10/01/2008	22.69	बिहार	पंजाब	
11/02/2008	0.55	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	निवेश के दिनांक को पंजाब खाते में अपर्याप्त शेष होने के कारण हिमाचल प्रदेश से पंजाब को ₹ 54.86 लाख 30.01.08 को अन्तरित किए गए थे
12/04/2008	111.16	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़	
01/05/2008	0.06	छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा प्रबन्धन खर्च	हरियाणा	
06/05/2008	0.32	छत्तीसगढ़	अरूणाचल प्रदेश	
06/10/2008	24.88	स्रोत ज्ञात नहीं	झारखण्ड	
31/01/2009	10.41	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	
24/04/2009	0.35	गोवा	दादरा एवं नगर हवेली	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
18/05/2009	28.37	हिमाचल प्रदेश	छत्तीसगढ़	
18/05/2009	11.35	मेघालय	हिमाचल प्रदेश	दिनांक 12.05.2009 के पत्र के अनुसार ठीक प्रविष्ठि
18/05/2009	14.81	उत्तरांचल	उत्तरांचल	
26/05/2009	0.53	केरल	उत्तरांचल	
04/07/2009	1.97	अरूणाचल प्रदेश	ए.पी.	
24/08/2009	82	महाराष्ट्र	उत्तरांचल	
26/08/2009	24	उत्तरांचल	महाराष्ट्र	
08/10/2009	14.73	झारखण्ड	ए.पी.	
08/10/2009	6.84	महाराष्ट्र	ए.पी.	
10/10/2009	0.17	दादरा एवं नगर हवेली	ए.पी.	
05/11/2009	38.11	उत्तर प्रदेश	ए.पी.	
11/12/2009	25.14	राजस्थान	ए.पी.	
11/12/2009	1.81	तमिलनाडू	ए.पी.	
14/01/2010	7.91	बिहार	ए.पी.	
14/01/2010	5.41	पश्चिम बंगाल	ए.पी.	
14/01/2010	122.46	दिल्ली	राजस्थान	
14/01/2010	1.12	अण्डमान एवं निकोबार	ए.पी.	
01/02/2010	2.92	त्रिपुरा	ए.पी.	
17/02/2010	0.074	त्रिपुरा	ए.पी.	
17/02/2010	59.62	उत्तरांचल	महाराष्ट्र	
07/04/2010	0.04	झारखण्ड	मणिपुर	
07/04/2010	0.27	झारखण्ड	पश्चिम बंगाल	
07/04/2010	0.39	झारखण्ड	बिहार	
07/04/2010	0.01	झारखण्ड	चण्डीगढ़	
07/04/2010	0.96	झारखण्ड	हरियाणा	
07/04/2010	2.48	झारखण्ड	कर्नाटक	
07/04/2010	0.41	झारखण्ड	सिक्किम	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
07/04/2010	0.62	झारखण्ड	दिल्ली	
07/04/2010	0.01	झारखण्ड	दादरा एंव नगर हवेली	
07/04/2010	1.25	झारखण्ड	गुजरात	
07/04/2010	2.65	मध्यप्रदेश	सीईओ के लेखे	
07/04/2010	0.26	पश्चिम बंगाल	सीईओ के लेखे	
07/04/2010	2.35	उत्तर प्रदेश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.08	उतरांचल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.62	राजस्थान	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.39	बिहार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	2.92	कर्नाटक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.75	झारखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.96	हरियाणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.34	आसाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	6.16	छत्तीसगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.18	त्रिपुरा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.83	एच.पी.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.82	अरूणाचल प्रदेश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.05	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.40	सिक्किम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	6.55	ओडिशा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
07/04/2010	0.61	दिल्ली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.0084	दादरा एवं नगर हवेली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.24	गुजरात	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.08	केरल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.46	महाराष्ट्र	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.0088	चण्डीगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
17/04/2010	0.54	गोवा	झारखण्ड	
14/06/2010	0.27	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	
09/07/2010	0.25	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	
02/08/2010	0.04	मणिपुर	झारखण्ड	
02/08/2010	62.14	तमिलनाडू एवं आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	
02/08/2010	61.49	ए.पी.	झारखण्ड	
02/08/2010	37.01	उत्तरांचल	असम	
13/09/2010	1.96	उतरांचल	चण्डीगढ़	
13/09/2010	14.39	हिमाचल प्रदेश	झारखण्ड	
13/09/2010	0.20	तमिलनाडू	झारखण्ड	
19/10/2010	2.86	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	
	1,246.84			

अनुबन्ध 10
दिसम्बर 2012 तक लेखों के तैयार होने की स्थिति

क.सं.	राज्य/यूटी	लेखा फारमेट
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	वर्ष 2009–10 एवं 2011 –12 के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए ।
2	आंध्रप्रदेश	वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए। वर्ष 2011–12 के लेखे लेखापरीक्षा की प्रस्तुत नहीं किए गए।
3	अरूणाचल प्रदेश	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
4	असम	वर्ष 2009–10 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। वर्ष 2010.11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए।
5	बिहार	वर्ष 2010 – 11 एवं 2011–12 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
6	चण्डीगढ़	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
7	छत्तीसगढ़	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
8	दिल्ली	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
9	गोवा	वर्ष 2009–10 से 2011–12 के निर्धारित फारमेट में अभी तक तैयार नहीं किए गए।
10	गुजरात	वर्ष 2009 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक, निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए।
11	हरियाणा	वर्ष 2010 –11 एवं 2011–12 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए
12	हिमाचल प्रदेश	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नही किए गए।
13	जम्मू तथा कश्मीर	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
14	झारखण्ड	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
15	कर्नाटक	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
16	केरल	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
17	मध्यप्रदेश	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेने अभी तक तैयार नहीं किए गए।
18	महाराष्ट्र	वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए ।
19	मणिपुर	वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। वर्ष 2011–12 के लेखे अभी तक तैयार नहीं किए गए।
20	मेद्यालय	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।

क.सं.	राज्य/यूटी	लेखा फारमेट
21	**मिजोरम**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
22	**ओडिशा**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
23	**पंजाब**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
24	**राजस्थान**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
25	**सिक्किम**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
26	**तमिलनाडु**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे अभी तक तैयार नहीं किए गए।
27	**त्रिपुरा**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
28	**उत्तरप्रदेश**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए और सीए द्वारा लेखापरीक्षित थे।
29	**उत्तराखण्ड**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
30	**पश्चिम बंगाल**	वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।